Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

SJIF - 5.299

Shodh Chetna

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal

Year : 7 **Vol - 1 & 2** **(Jan. to June 2021)**

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. Surya Narayan Gautam *(Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)*
- Shri Ajay Srivastava *(State Central Library, Rewa)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob. : 9415645164

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
R.L. Vishwakarma, Rewa

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Dr. Dilip Singh (CMP Degree College, Prayagraj)
7. Dr. Gaurav Patel (Asstt. Prof. Law, CMP Degree College, Prayagraj)
8. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
9. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
10. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
11. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
12. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College Nashtigawan, Rewa, M.P.)
13. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
14. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
15. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
16. Sheetal Surothiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
17. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
18. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Sunil Chandra, Agronomy (Prayagraj)
6. Dr. Ramesh Chandra, Dairy Technology (Prayagraj)
7. Dr. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Aizaz Ahemad, Social Convention (Prayagraj)
12. Dr. Arvind Verma, Agriculture Engg. (Mathura)
13. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareliy)
14. Dr. Saleem Uddin, Genetic & Plant Breeding
15. Dr. Piyush M. Maurya, Chemical Science (Rajasthan)
16. Dr. C.L. Sharma, English (Rajasthan)
17. Dr. Chandra Lekha Sharma, Physiology (Rajasthan)
18. Dr. Sikha Verma, Education (Ayodhya)
19. Dr. Sandeep Kashyap, L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
20. Dr. A.K. Roy, Agri. Eco. (Prayagraj)
21. Dr. J.P. Verma, Economics (Lucknow)
22. Dr. Faizan, Political Science (Badaun)
23. Dr. Dinesh Kumar Patel, English (Badayun)
24. Dr. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
25. Prof. Gyan Prakash Verma, Commerce (Varanasi)
26. Dr. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
27. Dr. VIkram Singh, Physics (Prayagraj)
28. Dr. S.K. Tripathi, Agri. Chem. (Prayagraj)
29. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
30. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
31. Dr. Vinay Kumar Patel, Sociology (Bareily)
32. Dr. Manvendra Verma, Defence Studies (Prayagraj)
33. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
34. Dr. R.B. Singh, Statistics (Merrut)

© *Publishers*

Registration Fee : **Rs. 1500.00**

Single Copy **Rs. 250.00 (Individual)**

Annual (4 Issues) **Rs. 1000.00 (Institution)**

Life Member Fee (Individual) **Rs. 5000.00**

Life Member Fee (Institution) **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :
DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431

Special Appearence
R.L. Vishwakarma, Rewa
(Mob. : 9827262820)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III –खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity/	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education / Physical Education/Commerce /Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than Research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08

	(b) Translation works in Indian and Foreign		
	Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning padagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new carricula and courses	02 per curricula/course	02 per carricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (420 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
4.	**(a) Research guidance**		

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

अनुक्रम

1. **A study on socio-economic characteristics of the poultry farmers in Balrampur district of Uttar Pradesh.** 9-14
Alimul Islam
2. **छत्तीसगढ़ में श्रम पलायन : कारण, समस्या एवं समाधान** 15-19
डॉ. के.एल. टाण्डेकर, श्रीमती ज्योति साहू
3. **Kunwar Arjun Singh : A Solution master of the problems** 20-25
Krishna Bhushan Mishra
4. **महिलाओं की परिवार में विभिन्न सामाजिक भूमिकाएँ** 26-29
स्मिता शर्मा, डॉ. (श्रीमती) मधुलिका श्रीवास्तव
5. **बालरामायण में वर्णित समाज एवं संस्कृति** 30-35
सतीश कुमार त्रिपाठी, डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी
6. **निर्गुण कवियों के काव्य में प्रेमतत्त्व** 36-38
श्रीकान्त शुक्ल
7. **नगरीय परिवारों के उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन** 39-45
स्मिता शर्मा, डॉ. (श्रीमती) मधुलिका श्रीवास्तव
8. **Arjun Singh's Joining, Expulsion and Rejoining in Congress Party** 46-51
Krishna Bhushan Mishra
9. **संस्कृति एवं समाज की अवधारणा** 52-56
सतीश कुमार त्रिपाठी, डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी
10. **वाल्मीकि रामायण एवं रघुवंशम् में दार्शनिक अवधारणा** 57-61
योगेश्वर कुमार पाण्डेय
11. **Transcendentalism in the Works of Ralph Waldo Emerson in American Literature** 62-65
Abhimanyu Prasad
12. **वित्तीय बाजार का अवधारणात्मक स्वरूप का अध्ययन** 66-69
रामेश्वर यादव, डॉ. प्रभाकर सिंह
13. **पूँजी बाजार के मध्यस्थों की अवधारणात्मक स्वरूप का अध्ययन** 70-72
रामेश्वर यादव, डॉ. प्रभाकर सिंह
14. **Bama's Karukku : A Study in Dalit Consiousness** 73-75
Smt. Kranti Lodhi
15. **Women Emancipation in the Writings of Shashi Tharoor : A Critique** 76-78
Dr. Priyanka Mehra
16. **Corona-III, A World Pandemic Disease with Particular Reference to REWA District (M.P.)** 79-81
Dr. Ashish Dwivedi
17. **सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं का योगदान व वर्तमान चुनौती** 82-87
डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता
18. **''सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्रों के मतदान व्यवहार का स्थानिक भौगोलिक अध्ययन''** 88-93
डॉ. आर.पी. चौहान, शिव कुमार सिंह
19. **भारतीय राजनीति में अनुसूचित जनजाति की भूमिका (सीधी जिले के सन्दर्भ में)** 94-97
कुंवर प्रताप सिंह, डॉ. संध्या शुक्ला
20. **पनिका जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन (सिंगरौली जिले के संदर्भ में)** 98-103
राम नारायण पनिका, डॉ. सुषमा श्रीवास्तव

21. **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का वर्णन** 104-105
प्रभाक्षी तिवारी

22. **सेलफोन का सामाजिक जीवन प्रभाव (रीवा नगर के विशेष सन्दर्भ में)** 106-111
राकेश तिवारी, डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव

23. **भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप व विस्तार** 112-116
सुनील वर्मा, डॉ. उपमा सिंह

24. **वाल्मीकि रामायण में स्त्री की अस्मिता एवं विमर्श** 117-122
राम कुमार आर्य

25. **भारतीय विदेश नीति में ब्रिक्स एवं भारत का योगदान** 123-125
डॉ. उर्मिला बाथम

26. **पंडित रुद्रदत्त मिश्र जी का अनूठा भावलोक हिन्दी गीत रामायण के संदर्भ** 126-129
डॉ. निशी भदौरिया

27. **Swacch Bharat Abhiya : A Comparative Analysis on English and Odia Newspaper of Odisha** 130-139
Yasmine Lenka, Dr. Pradosh Kumar Rath

28. **समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका** 140-144
डॉ. दीपा पंत

29. **"THE BRIDGING GAP OF FACEBOOK AS A TOOL FOR LIBRARY SERVICE TRENDS IN THE VARIOUS CAMPUSES OF CENTRAL SANSKRIT UNIVERSIY: PROBLEMS AND PROSPECTS."** 145-151
Dr. Rautmale Anand S

30. **जम्मू कश्मीर राज्य और अनुच्छेद-370** 152-154
सुमन पाण्डेय, डॉ. (श्रीमती) प्रीति पाण्डेय

31. **हिन्दू महिलाओं का भरण-पोषण का अधिकार** 155-161
डॉ. सलिल पाण्डेय

32. **''खरगोन जिले में परिवहन के साधन एवं उनका मानव जीवन पर प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन''** 162-169
डॉ. सुरेश अवासे

33. **वेदों में सदाचार** 170-172
डॉ. संजय चतुर्वेदी

34. **वेदों में यज्ञ** 173-175
संजय कुमार चतुर्वेदी

35. **Analyzing the Implications of COVID-19 Pandemic over Plastic Money Transactions in India** 176-186
Dr. Vinod Kumar Yadav

36. **''भारतीयसंस्कृत्यां वैदिकसन्ध्यायाः याज्ञिकं दार्शनिकञ्च विश्लेषणम्, अस्याः स्वास्थ्यस्यो उपरि प्रभावः''** 187-190
राम कुमार आर्यः

37. **पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों का शारीरिक मापन का अध्ययन** 191-197
रंजना देवी शुक्ला, डॉ. अर्चना गुप्ता

38. **अभिज्ञानशाकुन्तलम् में अलंकार योजना एवं छन्दोविधान** 198-200
डॉ. आशुतोष कुमार मिश्र

39. **गांधी जी एवं स्वच्छता का अध्ययन** 201-204
राजेश शर्मा, डॉ. उपमा सिंह

40. **भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मानव संसाधन की प्रमुख भूमिका** 205-209
बबिता शुक्ला, डॉ. प्रभाकर सिंह

41. **The Needs of Wood Substitutes** 210-216
Nisha Pandey

42. **आधुनिक संस्कृत विद्वान डॉ. सूर्य नारायण गौतम** 217-220
रमाशंकर मिश्रा

43. **मध्यप्रदेश में उद्योग : एक अध्ययन** 221-225
डॉ. प्रज्ञा यादव

44. **ऋग्वेद की विषय वस्तु एवं इन्द्र : एक अध्ययन** 226-229
गजराज सिंह, डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी

45. **नृत्य पुरोधा पं. श्रीधर व्यास विरचित संयुक्त हस्त कवित्त : एक विवेचन** 230-233
आयुषी दीक्षित

46. **ज्ञानयोग में वर्णाश्रम धर्म का अध्यात्म** 234-239
कृष्णमणि शुक्ल, डॉ. बृजेशनाथ ओझा

47. **Narrative Style of Michael Ondaatje** 240-242
Preeti Vishwakarma

48. **''घरेलू हिंसा समाज का कटु सत्य : एक आलोचनात्मक परिपेक्ष्य''** 243-247
डॉ. कृष्णदास द्विवेदी

49. **DRINKING WATER QUALITY AROUND SHIV MANDIR DEVTALAB AREA NAIGARI BLOCK REWA DISTRIC MADHYA PRADESH INDIA** 248-255
Kalpana Mishra

50. **राघवेन्द्र चरितम् में प्रकृति दर्शन** 256-260
श्यामाचरण उपाध्याय, डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी

51. **''रीवा नगर के मलिन बस्ती में रहने वाले (0 से 4 वर्ष के) बच्चों के मानवमिती परीक्षण का अध्ययन''** 261-267
आरती द्विवेदी, डॉ. अर्चना गुप्ता

52. **भारत में सायबर क्राइम एक चुनौती : शासन की भूमिका** 268-272
डॉ. कृष्णदास द्विवेदी

53. **1850 से 1950 के बीच महिला संगठनों द्वारा महिलाओं की जागृति के लिए किये गये कार्य** 273-276
डॉ. सुधा सोनी

54. **भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में कर्मचारियों की भर्ती एवं वेतनमान** 277-280
डॉ. प्रभाकर सिंह, बबिता शुक्ला

55. **लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगार सृजन** 281-283
डॉ. जे.पी. सिंह

Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal SJIF - 5.299

Paper Recieved : 4th Jan 21 Paper Accepted : 25th Jan 21

A study on socio-economic characteristics of the poultry farmers in Balrampur district of Uttar Pradesh.

❐ Alimul Islam*

ABSTRACT

Poultry farming mainly refers to growing and protecting various types of domestic birds commercially, in poultry farming, rearing and management of fowls are done for two purposes, Production of the eggs and Production of meat or flesh. Poultry farming is a profit-making business; its primary focus is on maximum production in less expenditure. For this reason, cross-breeding of local and foreign breeds was started. Cross-breeding aims for raising breeds with desirable traits. The study was carried out in Balrampur District of Uttar Pradesh. Balrampur district was selected purposively for the study. A total of 115 respondents were selected randomly as respondents. Majority of the poultry farmers (52.18%) having middle age group. It was observed from the results that (66.00%) of the poultry farmers belong to nuclear family. Whereas poultry farmers had medium personal localite source use. While maximum number of poultry farmers having experience in poultry farming about 5-10 years. *This research studies the satisfaction levels of farmers vis-à-vis services being provided by the Integrator and suggests measures to improve the living conditions of the farmers.*

Key words : *Poultry, Production, Eggs, Farming, farmers*

Introduction

The largest number of poultry population in India is found in Andhra Pradesh followed by Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, Karnataka, Bihar, Orissa, Kerala, Assam, Uttar Pradesh and Punjab. Some important urban areas like Mumbai, Pune, Nagpur, Kolkata, Delhi, Chandigarh, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Shimla, Bhubaneswar, Ajmer etc. are raising poultry through a developed poultry farming systems. And there are many benefits of commercial poultry farming in India. The main benefits are listed below.

- Commercial poultry farming in India has created and still creating profitable business opportunity for the Entrepreneurs.
- Poultry farming business can provide a great employment source for the job seeking people.
- This is such a business in India that can never dry up.
- All types of poultry product have a great demand in the market inside India. And there are no religious taboo about consuming the poultry meat and eggs.
- Highly productive local and foreign breeds are available for commercial production.

* Research Scholar, Dept. of Agril. Extension & Comm. SHUATS, Paryagraj, 211007, INDIA, E-mail-alikhan9695@gmail.com

- Required initial investment is not too high. You can start with small scale production and elaborate it gradually.
- Bank loans are available throughout the country.
- Numerous farms are available and you can easily learn about poultry farming from those established farmers.

For commercial poultry farming in India three systems are suitable according to the condition of India. And the suitable three systems are listed below.

- Intensive System,
- Semi-Intensive System and
- Extensive System.

For commercial meat production business, go with highly meat productive broiler poultry breeds. Contact with your nearest expert poultry producer to learn more about highly productive breeds. Common and mostly raised poultry breeds in India are of three types.

(1) Broilers, (2) Cockerels, (3) Layers

Research Methodology:

The study was conducted in Balrampur district is one of the city of the Indian state of Uttar Pradesh and is a part of Devipatan division as well as the historic Awadh regions. There are 75 district in Uttar Pradesh, out of that Balrampur district was selected purposively. Balrampur district Located on the banks of the West Rapti River and Eastern part of Uttar Pradesh, Which is in Upper Gangetic Plain agro climatic region. The district lies between longitude- 260. 43" N and latitude – 820 8 E. The net-cropped area in the district as per 2019-2020 statistics was as high as 67 per cent of the total geographical area. The farmers, who were engaged in poultry farming activities, have been selected as respondents for the present study. A total of 115 respondents were selected randomly as respondents. Keeping in view the objectives and the variables under study, a well structured interview schedule was prepared and pre-tested in a non-study area to locate any ambiguity in the questions. After pre-testing certain modifications were made in the schedule by consulting experts and finalized schedule will be used for data collection.

Results and Discussion:

The result of the study undertaken and the relevant interpretation and discussion in the light of the objectives of the study-

Table –1 Age distribution of the respondents

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	Young (Up to 35 Years)	38	33.04
2.	Middle (36 to 55 Years)	60	52.18
3.	Old (Above 55 Years)	17	14.78
	Total	**115**	**100.00**

From the above table it is evident that 52.18 per cent respondents were in middle age group 36-55 years. Whereas young age group up to 35 years respondents were 33.04 per cent. While 14.78 per cent respondents were in old age group above 55 years. This shows that farmers from every type of age group are participating in poultry farming.

Table –2 Distribution of the respondents according to their Education.

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	Illiterate	18	15.66
2.	literate (Can read and write)	20	17.39
3.	Primary	17	14.78
4.	Junior High School	15	13.04
5.	High School	20	17.40
6.	Intermediate	21	18.26
7.	Graduate and above	4	3.47
	Total	**115**	**100.00**

The table no. 2 shows that 15.66 per cent poultry farmers were completely illiterate while 17.39 per cent respondents were also illiterate but they can read and write. Whereas 14.78 per cent respondents were primary school passed and 13.04 per cent respondents were Junior High School while 17.40 per cent respondents were High School. 18.26 per cent respondents were having education up to Intermediate level and only 3.47 per cent respondents were graduate and above level. It can be derived from the above data that maximum numbers of farmers belong to poor educational background but they are improving their educational status in the study area.

Table –3 Distribution of Land holding of the respondents

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	Up to 1 ha. (Marginal)	55	47.83
2.	1 – 2 ha.(Small)	35	30.44
3.	Large (Above 2 ha.)	25	21.73
	Total	**115**	**100.00**

From the above table it is evident that 47.83 per cent respondents were marginal farmers where as 30.44 per cent respondents were small farmers while 21.73 per cent respondents were from belongs to large farmers group.

Table – 4 Type of family wise distribution of the respondents

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	Nuclear	76	66.08
2.	Joint	39	33.91
	Total	**115**	**100.00**

The data presented in table showed that most of the respondents (66.08%) were in nuclear family system followed by joint family group with 33.91 per cent respondents respectively.

Table–5 Distribution of respondents according to their farming experience

S.No.	Farming Experience	Frequency	Percentage
1.	0-5 years	23	20.00
2.	6 – 10 years	43	37.40
3.	Above 10 years	49	42.60
	Total	**115**	**100.00**

Above table shows that 20.00 per cent respondents were 0-5 years farming experience where as 37.40 per cent respondents were 6-10 years experience while 42.60 per cent 10 years and above farming experience category.

Table – 6 Annual income wise distributions of the respondents

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	Low(up to Rs. 75,000)	30	26.08
2.	Medium (Rs. 75,001 to 1,50,000)	47	40.87
3.	Large (above Rs. 1,50,000)	38	33.05
	Total	**115**	**100.00**

From the above table it is evident that 26.08 per cent respondents were in annual income group of up to Rs.75000/- whereas 40.87 per cent respondents were in annual income group of Rs. 75001 to 1,50,000 while 33.05 per cent respondents were in monthly income group of above Rs.1,50,0000. Thus, the table reveals that the majority of respondents were enjoying better remunerations, resulting in their higher status in the families as well.

Table- 7 Distributions of the respondents which Method followed of Brooding.

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	Coal /Wood dust	95	82.60
2.	Gas	17	14.78
3.	Electricity	3	2.60
	Total	**115**	**100.00**

The above table shows that majority of the respondents (82.60%) are using coal/wood dust method of brooding in their poultry farm. The wooden dust is the most economical form than gas and electricity. While 14.78 per cent of respondents are using Gas method followed by only 2.60 per cent respondents are using electricity method.

Table-8 Distribution type of roofing for the shed

S.No.	Categories	Frequency	Percentage
1.	*Thatched*	27	23.48
2.	*Cemented Sheet*	73	63.47
3.	Fire Proof	15	13.05
	Total	**115**	**100.00**

Hence, the higher 63.47 Per cent of the respondents are having cemented sheet roofing for their shed. While 23.48 percent of the poultry farmers having thatched. Whereas 13.05 per cent respondents having fire proof shed for the roofing.

Table – 9 Extension contact wise distribution of the respondents

S.No.	Personal	Extent of participation					
		Regular		Occasional		Never	
		Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.	Village Development Officer	25	21.73	50	43.47	40	34.78
2.	Additional Development Officer	27	23.47	55	47.82	33	28.69
3.	Block Development Officer	15	13.04	59	51.30	41	35.65
4.	Veterinary officer	29	25.21	55	47.82	31	26.95
5.	District Agriculture Officer	21	18.26	51	44.34	43	37.39

It is evident from the table that 21.73 per cent respondents were regularly meeting with Village Development Officer in the study area whereas 43.47 per cent respondents meeting with VLW often while 34.78 per cent never meet with Village Development Officer of the village. It was also found that in the study area, 23.47 per cent respondents were regularly meeting with Additional Development Officer while and 47.82 per cent meet him often and 28.69 per cent never meet with Additional Development Officer of their village. 13.04 per cent respondents were meeting with Block Development Officer regularly while 51.30 per cent met with him on often basis whereas 35.65 per cent never met with Block Development Officer of their block. In case of veterinary officer, 25.21 per cent respondents met with them regularly, 47.82 per cent met him on often basis while 26.95 per cent never met with them. 18.26 per cent respondents met with District Agriculture Officer of their district regularly, 44.34 per cent met him often basis whereas 37.39 never met with him.

Table-10 Distribution of the respondents according to their personal locality sources.

S.No.	Personal localite sources	Information sources utilization	
		Frequency	Percentage
1.	Neighbors	15	13.04
2.	Friends	35	30.43
3.	Family members	5	4.34
4.	Relatives	12	10.43
5.	Other poultry farmers	48	41.73
	Total	**115**	**100.00**

Among the personal localite sources, other poultry farmers were the most important sources of information in poultry farming. While after that most important sources of information were friends.

Table – 4.11 Mass media communication wise distribution of the respondents

S.No.	Name of sources	Extent of participation					
		Regular		Occasional		Never	
		Frequency	Percentage	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
1.	Agri. related programme on Radio	35	30.43	69	60.00	11	9.56
2.	Television	32	27.82	65	56.52	18	15.62
3.	News Paper/ journal/Magazine	34	29.56	55	47.82	26	22.60
4.	Meeting/Group discussion	29	25.21	49	42.60	37	32.17

It is clear from the table that 30.43 per cent respondents were regularly listening Agriculture related programme on radio for information, 60.00 per cent were occasionally listening Radio while 9.56 per cent were never listen Radio to collect the information. It was found that 27.82 per cent respondents were regularly watching the television for information, 56.52 per cent were occasionally watching television while 15.62 per cent were never watching television to collect the information. It was also found that 29.56 per cent respondents were regularly reading Agricultural journal/Magazine for information, 47.82 per cent were occasionally reading Agricultural journal/Magazine while 22.60 per cent were never read Agricultural journal/Magazine to collect the agricultural information. It is also evident from the table that 25.21 per cent respondents were regularly participating in meeting/group discussion, 42.60 per cent were occasionally participating in meeting/group discussion while 32.17 per cent were never participate in meeting/group discussion.

Findings of the Study:

- It was found that majority of the respondents (52.18%) having middle age groups
- It was observed that 18.26 per cent of the respondents were educated up Intermediate.
- It was found that 47.83 per cent respondents have up to 1 hac. Land
- It was found that majority of the respondents (66.08 %) belongs to nuclear family
- It was found that 37.40 per cent respondents have farming experience 6 – 10 years.
- It was found that 40.87 per cent respondents income where up to rupees Rs. 75,001 to 1,50,000
- Majority of the respondents (82.60 %) were followed wood dust for Brooding.
- Higher 63.47 Per cent of the respondents are having cemented sheet roofing for their shed.
- It was observed that respondents have medium level of extension contact.
- It was also observed among the respondents 41.73 per cent poultry farmers taking information from other poultry farmers.
- It was found that respondents have medium level of mass media exposure

Conclusion:

It is concluded that majority of the respondents were middle age group, educated up intermediate, main occupation Agriculture and allied sciences having less than 1 hectare land. Mostly belong to nuclear family. It was also founded that majority of the respondents have up to 10 years farming experience medium level of extension contact, have less contact with government officials and medium level of marketing facilities. Overall it appears that the Poultry is one of the fastest growing segments of

the agricultural sector in India today. While the production of agricultural crops has been rising at a rate of 1.5 to 2 percent per annum that of eggs has been rising at a rate of 8 percent per annum.

REFERENCES

1. Babu, P. (2013). Knowledge and adoption level of commercial broiler farmers about scientific broilerfarming in mid-western plain zone of Uttar Pradesh. Thesis, M.V.Sc. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh.

2. Emaikwu JL, Timmons J, Nottingham JR, Musser W (2011). Broiler Production Management for Potential and Existing Growers. University of Maryland Cooperative Extension Poultry. From http://www.mdchick.umd.edu.

3. GOI. (2012). Livestock census, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India.

4. Oladeji, J.O. (2010). Sources and utilization of poultry production information among poultry farmers in Oyo State. Int. J. Livest. Prod., 2: 11-16.

5. Mandal, M.K., Khandekar, N. and Khandekar, P. (2006). Backyard poultry farming in Bareilly district of Uttar Pradesh, India: an analysis. Livest. Res. Rural. Dev., 18: 7

6. Pratap, J. (2014). Assessment of training needs of broiler broiler farmers in Barabanki district of Utta Pradesh. Thesis, M.V.Sc, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh.

Rahman SMA, Sayeed MA, Sarker, NR and Alam J (2006). Impact of improved poultry management technique on socio-economic condition of broiler beneficiaries. J. Bangladesh Agril. Univ. 4 (2): 401-411.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 3rd Jan 21 Paper Accepted : 23rd Jan 21

छत्तीसगढ़ में श्रम पलायन : कारण, समस्या एवं समाधान

❑ डॉ. के.एल. टाण्डेकर*
❑ श्रीमती ज्योति साहू**

शोध सारांश

पलायन विकास एवं विस्तार की चाहत में स्थानांतरण की स्वभाविक प्रक्रिया है, इससे विकास के साथ–साथ बढ़ता रोजगार एवं आय की परिकल्पना साकार होती है, पलायन से गांवों की दशा बदल रही है, वही अब गांवो में शहरी वातावरण की झलक दृष्टिगोचर हो रही है, तीव्र गति से पलायन के कारण सामाजिक विसंगतियों का जन्म हो रहा है, शिक्षा रोजगार एवं बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाकर पलायन की गति को कम किया जा सकता है, पलायन के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरूप उन पर ऋण का बोझ कम हुआ है फिर भी पलायन को रोकना सरकार पर निर्भर है।

प्रस्तावना :–

परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो पलायन मनुष्य की परिस्थिति जन्य आवश्यकता है, भले ही पलायन अल्पकालीन हो, दीर्धकालीन या जीवनपर्यन्त, पलायन के प्रायोजन व स्वरूप भी भिन्न–भिन्न होते हैं, एकल प्रवास परिवार सहित प्रवास अथवा सामूहिक प्रवास इसी तरह देश काल परिस्थिति घटित घटनाएं भी मनुष्य को पलायनवादी बना देती है, वर्तमान परिवेश में ज्यादातर लोग सामान्य तौर पर जीवकोपार्जन, रोजगार प्राप्त करने, जीवन को बेहतर बनाने या अन्य किसी उद्देश्य से पलायन करते है, वैश्विकरण के इस दौर में मनुष्यों का पलायनवादी होना वर्तमान शताब्दी की एक बड़ी विशेषता बन गई है, भारत में पलायन की प्रवृत्ति गांवों से नगरों की ओर रही है, वर्ष 1911 से वर्ष 1961 तक के जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर बना हुआ है, स्वतंत्रता के बाद पलायन की प्रवृत्ति में और वृद्धि देखी गई, वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का 82.7 प्रतिशत भाग गांवो में रहता था जबकि सिर्फ 17.3 प्रतिशत भाग ही शहरों में निवास करता था , यदि 1961 से 1991 तक के 80 वर्षो मे देखे तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद पलायन को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है, वर्ष 1911 से 1941 तक कुल 30 वर्षो में पलायन सिर्फ 27 प्रतिशत की थी जबकि 50 वर्षो में (1951 से 2001 तक) करीब 13 प्रतिशत जनसंख्या गांव से शहरों की ओर स्थानांतरित हुई है, पलायन के अनेक कारण हो सकते है, इन कारणों में भारत में जो अधिक महत्वपूर्ण है, जनसंख्या में वृद्धि, कुटीर उद्योगों का पतन, भूमिहीन कृषक, ऋणग्रस्तता, तथा सामाजिक अयोग्यताएं है।

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)
** अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य), शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, राजनांदगांव (छ.ग.)

सर्वविदित है कि छ.ग. में मानव श्रम की स्थिति भी अच्छी है परंतु फिर भी छ.ग. में पलायन की समस्या वृहद रूप ले रही है, भेभव पूर्व सामाजिक व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, प्राकृतिक प्रकोप, लघु एवं कुटी उद्योगो का पतन, शहरी आकर्षण ने छग के श्रमिको को पलायन हेतु प्रोत्साहित किया है, छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा ही राज्य है, जहां के श्रमिक देश के कोने–कोने में पाये जाते है, राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र की बहुत सी विशेषताएं सामने आ रही है जिसमें श्रमिक पलायन की समस्या प्रमुख है, छ.ग. में श्रमिकों के पलायन का इतिहास कई दशकों पुराना है, प्रति वर्ष पलायन की प्रवृति राज्य के श्रमिकों की आदत बनते जा रही है।

अवधारणा :–

विश्व व्यापिकरण के युग में परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं क्रियाशील है, उनमें पलायन भी एक प्रमुख प्रक्रिया है, पलायन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, साधारण बोलचाल की भाषा में श्रमिको का एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़े समय के लिए घूमने–फिरने जाना या अस्थायी रूप से बस जाना पलायन की श्रेणी में आता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से किया गया स्थान परिवर्तन है, जनसंख्या का एक भाग अपने ग्रामीण जन्म स्थान को छोड़कर नगर में आकर रहने लग जाता है, प्रवास आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है, एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसके पीछे क्या उसकी इच्छा होती है या अन्य बाते या परिस्थिति, प्रवास (पलायन) को प्रोत्साहित करने वाले बहुत से कारक है।

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी पलायन की समस्या देखने को मिलती है, अध्ययन से स्पष्ट है कि 33.8 प्रतिशत लोग जनवरी–फरवरी माह में पलायन करते हैं, जबकि 18.4 प्रतिशत लोग मार्च अप्रैल में पलायन कर जाते हैं, स्पष्ट है कि जनवरी में अप्रैल की तुलना में अधिक पलायन होता है, शेष पलायनकर्ता वर्षभर आने–जाने के क्रम में लगे रहते है, अर्थात धीरे–धीरे पलायन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है किन्तु सार्वधिक पलायन जनवरी–अप्रैल माह के मध्य ही होता है, इन पालयनकर्ता श्रमिकों की वापसी जून–जुलाई माह में सर्वाधिक 54.2 प्रतिशत से अधिक रहती है, यह वह समय होता है जब कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है, स्पष्ट है कि छत्तीसगढ राज्य में वैसे तो पलायन की प्रवृति यहां मौसमी प्रकृति की है, कृषि कार्य समाप्ति के बाद लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते है और कृषि प्रारंभ के समय वापस आ जाते है।

श्रम पलायन कारण : समस्या एवं समाधान

छ.ग. राज्य प्राकृतिक सम्पदा खनिज सम्पदा एवं वन सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, मानव श्रम की स्थिति अच्छी है परंतु फिर भी यहां पलायन की समस्या विकराल रूप ले रही है, छ.ग. में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, अधिक श्रम मूल्य की चाहत, भौतिकवादी जीवनशैली, आवागमन के सुविधाओं का विस्तार आधारभूत संरचना की कमी जनसंख्या पर कृषि का बढ़ता दबाव एवं भेदभाव पूर्व सामाजिक व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, प्राकृतिक प्रकोप लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन एवं शहरी आकर्षण ने छ.ग. के श्रमिकों को पलायन हेतु प्रोत्साहित किया है। मूल निवास की विषय भौगोलिक परिस्थितियां अकाल व सूखे की स्थिति उन्हें पलायन करने के लिए बाध्य करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम पलायन की वास्तविक स्थिति टाइम्स आफ इंडिया में छग सरकार द्वारा अधिकारिक तौर पर प्राप्त आकडों के अनुसार पिछले (वर्ष 2012–15) तीन वर्षों में 95324 लोगों ने अन्य क्षेत्र में पलायन किया है, इसमें सर्वाधिक 29190 जांजगीर चांपा एवं सबसे कम (62) कोरबा जिलो से पलायन हुआ है, छ.ग. का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, यहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिसमें 25 प्रतिशत कृषि श्रमिक है और यही वर्ग पलायन से ज्यादा प्रभावित है, यहां के 37.46 लाख जिसमें से 55 प्रतिशत सीमांत कृषक परिवार में से 76

प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के है, केवल 31 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यहां की लगभग 53 प्रतिशत कास्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण दूसरी फसल लेना संभव नहीं है, कृषि हेतु आवश्यक संरचना, बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम की व्यवस्था अभी शुरूआती दौर में होने के कारण कृषक केवल कृषि से अपनी आजीविका नही चला पाते, इसलिए विवश होकर पलायन को मजबूर होते है, प्रदेश में खनिज संपदा का भंडार है, किन्तु खनिज संपदा से संबंधित उद्यागो में रोजगार संरचना ग्रामीणों के लिए उपयुक्त नही है, यहा पूंजी कौशल एवं आधारभूत संरचना के कमी के कारण पलायन बरकरार है।

छ.ग. सरकार की औद्योगिक नीति भी रोजगार के अवसर बढ़ाने में ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हो पायी है, उद्योगों से अनेक प्रकार से उत्पादन होता है, उसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, समुचित उद्योग नीति एवं ग्रामीण श्रमिक के रोजगार को समन्वय स्थापित न होने के कारण भी यहां श्रमिक पलायन को मजबूर हो रहे है। प्रदेश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन में विद्युत क्षेत्र तथा परिवहन एवं संचार माध्यमो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सामान्य जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है किन्तु इन आधारभूत संरचना से भी ग्रामीण श्रमिको की स्थिति के सुधार नही हुआ, सत्र 2011 की जनगणना के अनुसार छग की जनसंख्या 253 मिलीयन है, यहां 76.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, पिछले पांच दशको के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आयी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छता, जल व्यवस्था एवं रहन–सहन, चिकित्सा, ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित है, प्रमुख रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, विहान (NRLM) , दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना संचालित है, किन्तु योजना के उद्देश्य की समझ न होने तथा जागरूकता के अभाव के कारण प्रदेश से पलायन निरंतर जारी है, छग में श्रमिको के पालयन का मुख्य कारण वर्षभर रोजगार का अभाव, अधिक मजदूरी की लालसा, कृषि भूमि का अभाव, एवं खेत का छोटा आकार, समुचित सिंचाई के साधनों का अभाव, कृषि पद्यति उपकरण तथा यंत्र जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी, लघु व कुटीर उद्योगो का पतन एवं औद्योगिक नगरीकरण, व्यापार, व्यवसाय के प्रति अरूचि , अज्ञानता, एवं दूषित मानसिकता, ऋणग्रस्तता, सरकारी नीतियों, योजनाओं का पूर्व लाभ नही मिलना, मितव्ययिता का अभाव, अकाल तथा राजनीतिक संस्कृति की विकृतियां प्रमुख है। छ.ग. प्रदेश में श्रमिक पलायन की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है –

तालिका

छ.ग. प्रदेश में श्रम पलायन के आंकड़े

क्र.	वर्ष	पलायन
1	1998-1999	209936
2	1999-2000	208909
3	2000-2001	565341
4	2001-2002	150093
5	2002-2003	114781
6	2003-2004	83743
7	2004-2005	65101
8	2005-2006	61941
9	2006-2007	55964
10	2007-2008	34326
11	2008-2009	31490

स्त्रोत – भारत में मानव प्रवास प्रवृतिया कारण व प्रभाव शोध स्मारिका 2009

समस्या/समाधान :–

पलायन की इस प्रकृति का सबसे बड़ा ऋणात्मक पक्ष है, प्रतिभा का तेजी पलायन हो रहा है, इसके अतिरिक्त शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के

कारण गंदी बस्तियों का जन्म होता जा रहा है एवं सामाजिक अपराधो में वृद्धि के साथ प्रशासन की समस्या भी बढ़ रही है, साथ ही पलायनवादी व्यक्ति बड़ी आशाएं और उम्मीद रहने के कारण उनके पूर्ण न होने पर मानसिक असंतोष बढ़ते जा रहा है, जीविकाविहिन मजदूर लाचार एवं मजबूर होकर अपने बाल–बच्चो तथा अपने आश्रितो के साथ जीविकोपार्जन के लिए पलायन करता है, पलायन का दौर उन्ही क्षेत्रो में सबसे अधिक हो रहा है, जो आधुनिक विकास के लाभ से वंचित है आधुनिक संचार प्रणाली से दूर जहां साक्षरता न्यूनतम है, घोर गरीबी की विवषता से अभिशप्त छत्तीसगढ़ के श्रमिक एक दूसरे क्षेत्रो में पलायन मानवीय त्रासदी की ऐसी गाथा है, जिस पर कभी सजींदगी के साथ चिंतन नहीं किया गया।

प्रवास आधुनिक भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, इस विशेषता के परिणाम अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म और विकास हुआ है, प्रवास के प्रमुख कारण है एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यो जाता है, ऐसा करना उसकी इच्छा है या कुछ ऐसी समाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती है, जिनसे विवश होकर ही व्यक्ति पलायन का रास्ता अपनाता है, पलायन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक अलगाव का जन्म पारिवारिक विघटन, धार्मिक विघटन, नैतिक पतन, अस्थिर जीवन, गंदी बस्तियों का जन्म अपराधो में वृद्धि, मद्यपान, जुआखोरी जैसे अपराधो में वृद्धि, आर्थिक विघटन जैसे– चोरी, डकैती को प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही निम्न स्वास्थ्य स्तर, मानसिक असंतोष में भी वृद्धि होती है।

समाधान / सुझाव :–

छ.ग. राज्य में पलायन की बढ़ती प्रवृति को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे है, किन्तु फिर भी यह समस्या यथावत बनी है, वरन निरंतर बढ़ रही है। छ.ग. राज्य से अन्य प्रदेशो में सरकार ने गम्भीरता से लिया है, समय समय पर इसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जाती रही है, वर्तमान में राज्य के 28 जिलो में पलायन रोकने के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है, उसके तहत् लाखो श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी अलग अलग योजनाओं के संचालन हेतु करोड़ो रूपये छ.ग. शासन को उपलब्ध कराया जा रहा है, केन्द्र एवं राज्य सरकार के इन अथक प्रयत्नो के बाद भी श्रमिको का पलायन निरंतर जारी है।

छ.ग. सरकार द्वारा श्रम पलायन के समाधान के संबध में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि ग्रामीण जन जीवन का स्तर ऊँचा उठाने प्रयासरत है। जिसमें गरीब परिवारो को 100 से 150 दिन का रोजगार प्रधानमंत्री सड़क योजना सिंचाई एवं पेयजल की योजना, महिला स्वयं–सहायता समूह, राष्ट्रीय कृषि उत्पाद को बिचौलियो के हाथो में न बेचकर सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय किया जा सके इसका उद्देश्य कृषि श्रमिको को सीधा लाभ पहुंचाना है, राज्य सरकार उत्पादित फसलो (धान) पर प्रति क्विंटल बोनस भी प्रदाय कर रही है।

शासकीय स्तर पर पलायन के व्यवहार का प्रभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से निराकरण किया जाना आवश्यक है, राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक सावधानी से ऐसे प्रयास किया जाए जो अधिक से अधिक श्रमिको को अपने ही क्षेत्र में रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। सिंचाई व्यवस्था की अत्याधुनिक और नई तकनीक के विकास हेतु प्रयास किया जाना चाहिए, इस क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगो की उपेक्षा हो रही है, छ.ग. शासन द्वारा उसे भी पुर्नस्थापित किया जाना चाहिए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सरकारी प्रयास अपर्याप्त है, सिर्फ घोषनाऐं और कागजी कार्य वाहिया पलायन को रोकने में अक्षम साबित हो रही है, सरकारी आंकड़े सही नहीं है स्थाई स्तर पर ग्राम पंचायतो को आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए यदि ग्राम स्तरो पर ही पंचायते कुछ कर सके तो श्रमिक बाहर नहीं जा सकता स्थानीय स्तर पर शासक के द्वारा निर्धारित मजदूरी अकार्य का कारण ना बने, वैसे प्रतिवर्ष पलायन की दरो में कमी आ रही है यह

स्तर आर्थिक सृदृढ़ता की ओर धीरे–धीरे बढ़ रहा है, फिर भी पलायन पर अधिक सक्रीय और ईमानदार शासकीय प्रयासो की आवश्यकता है।

छ.ग. राज्य में यदि पलायन की समस्या का निदान करना है तो यहां की कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाना होगा, कृषि को उन्नतिशील बनाना होगा क्योकि यहां के लोगो के जीवन यापन का एक मात्र आधार कृषि है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिया जा रहा है, इसके बावजूद स्थायी हल तभी संभव है जब कृषि में सिंचाई यंत्रीकरण अच्छे बीज, खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पलायन को रोका जा सकता है, और स्थानीय मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर विकास को गति दी जा सकती है।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि छ.ग. राज्य ही नहीं वरन सम्पूर्ण देश में मजदूरों का पलायन एक प्रमुख समस्या है, श्रम पलायन रोकने तमाम योजनाऐ अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्णक विचार करना होगा श्रम पलायन से शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक परिवेश विकास में बाधा तथा तनावपूर्ण पारिवारिक जीवन को संतुलित कर ही हम विकास की कल्पना कर सकते है छ.ग. से श्रमिको का पलायन मानव मात्र का पलायन नहीं है अपितु छ.ग. के आर्थिक विकास की क्षमताओं का भी पलायन है, पलायन की इस प्रवृति को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो आगामी वर्षो में इसके दुष्परिणाम छ.ग. राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ साथ आर्थिक विकास पर भी परिलक्षित होगा राज्य के विकास के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विद्युत सभी क्षेत्रो में विकास को प्रयास करना होगा ताकि श्रम पलायन को रोका जा सके, स्पष्ट है कि छग सरकार ने भी श्रमिको के पलायन को रोकने हेतु सराहनीय प्रयास किया है, शासन ने योजनाएं नीतियां, कार्यक्रम बनाये एवं उनका भलि भांति पालन भी किया है, गांवो में शहरो की सुविधा मुहैया कराकर तथा जन समान्य के अनुकूल कार्यक्रमो को अपनाकर ही हम समता मूलक समाज स्थापित कर सकेंगे, जो पालयन को रोकने का मजबूत आधार होगा ।

संदर्भ सूची :–

1. ग्रामीण श्रमिको का पलायन कारण एवं निदान (Review of Research, Feb . 2018)
2. छ.ग. का आर्थिक सर्वेक्षण – 2016
3. भारतीय अर्थव्यवस्था–रूद्रवत सुंदरम
4. कुरूक्षेत्र फरवरी 2012, 2014

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299

Paper Recieved : 5th Jan 21 Paper Accepted : 30th Jan 21

Kunwar Arjun Singh : A Solution master of the problems

❒ **Krishna Bhushan Mishra***

ABSTRACT

Everybody has his individual way and capacity of dealing with the problems of his private and public life. In all the ages and countries and kingdoms there had been certain specific figures whom people still remember for their unique capabilities to sort-out the problems that occur on the ways of the development. These kinds of people always proved and are still proving themselves as to be the solution masters of the problems.

Kunwar Arjun Singh had enjoyed the luxuries of royal family and later served this country as an M.L.A, then minister I the state govt., then Chief –Minister of M.P, then Governor of Punjab and then enjoyed the cabinet berths in central govt. of India many times. He proved his caliber and intelligentia with all the capacities and posts that he enjoyed in his life. Apart from all these qualities, an another outstanding quality that amazed the common people was his capability as a solution master of the problems.

Some o the problems and issues are being listed and presented here that Arjun Singh had faced, fought and sorted-out. Arjun Singh himself mentioned many incidents in his autobiography named *A Grain of sand in the hourglass of Time*.

Keywords **:** Unique capabilities, Solution master of the problems, Sympathy and support of the poors, Objection and hesitation, Splendid citadel, Ugliness of feudalistic realities, Problems of the tribals, Vigour and force, Independent statehood.

Arjun Singh has honestly mentioned an event that took place in his family and created some distances among the family members of the author. His elder brother sold a land to Mr Daya Shankar Mishra who had been a close friend of the author. Due to certain reasons his elder brother illegally tried to take-back the land and house of Mr. Mishra. Arjun Singh helped Mr. Daya Shankar Mishra against his own brother. He has described the incident in detail.

"It was just a coincidence that when I had gone to visit Mishra, my brother's men arrived for taking possession of the land. Mishra was at a loss to decide as to what he should do. I assured him that he need not worry as I would try to sort out the matter. Therefore, I politely asked those who had come to take possession to go back. The news about this incident spread quickly and it was labelled my revolt against the family. Matters came to a head after the case, registered by Daya Shankar Mishra against an illegal attempt to dispossess him of his land and house, came up for hearing in court of law. Once the dispute became public knowledge, here was widespread speculation in the entire district as to whether or not I would appear as a witness in this

* Research scholar (English), Awadhesh Pratap Singh University Rewa (M.P.)

case. Even though there was pressure on me not to appear as a witness in favour of Mishra, I did not say anything publicly and decided to disclose whatever I knew truthfully in court. When the date of hearing came, I presented myself in the overcrowded court as a witness for Mishra. As I entered the witness box the judge, a cousin of Captain Awadhesh Pratap Singh the first chief minister of Vindhya-Pradesh - could not believe that I had come to give evidence in a matter against my own father. He asked me whether whatever I was about to say was true and when I told him that it was, to my surprise he suddenly declared that he had no more questions to ask. There was some bickering among the lawyers from both sides, of which I can't recall any details. Later, I was shocked to learn that the judge had disbelieved my evidence on the ground that I was the son of the person who was being accused and, therefore, could not believe me. The case was, therefore, discharged. The logic of this judicial order was totally lost on me and I deduced that this was an overt attempt to subvert justice at the behest of the presiding judge."[1]

After this incident Arjun Singh decided to leave his family house and started living in a small farm house which he had got as his share in the property. After having spent many years in a splendid citadel it was not very easy task to line in the farm house. In those days he had only two issues Abhimanyu and Veena. Despite many bitter experience in that farm house Arjun Singh confronted the ugliness of feudalistic realities. By and by author succeeded in winning the sympathy and support of the poors and common people of his area.

In spite of having been born in a royal and feudal family Arjun Singh showed unique examples of humanity. When he came to know that twenty old persons who were working on his farm were bounded labourers. They did not have their own rights to accept or leave the job. Arjun Singh assured them to provide new rights. Initially the villagers were frightened but when Arjun Singh burnt all the bonds in their presence the villagers became happy. Arjun Singh left then free either to work for him or to leave the job and to select whatever they liked. This was a revolutionary step. Other land lords of the area did not like this idea and they protested and made pressure on author to take the decision back but Arjun Singh boldly and strictly refused their ideas.

In *A Grain of Sand in the Hourglass of Time* author Arjun Singh has thrown light on the problems A land holding he has told that the pieces of land that were of the tribals were by and by going into possession of middle class society or higher class people. These high-class and middle class people paid a pittance and got their registries in their names Innocent tribals did not understand these tricks that it was a big cheating with them Attitude paid much time with those tribals and team came to know about the realities of this kind of activities During his election compaign in 1956 when author was travelling on fort, or horseback he used to stay with the tribals in nights one by one he realized the actual condition and problems of the people. When villagers and tribals told their painful stories that author was moved by heart. Arjun Singh felt that there problems were not designed or manipulated rather there were the real's problems.

Arjun Singh revealed the facts in detail the told that in the beginning year after independence the govt. officials understanding the problem of the tribals because they lived with them many times. As the time advanced the govt. officials left thinking about them Author has given the example of the Maoist problem of present Chhattisgarh and said that only because of discord and insult these villagers adopted the path of Crime.

Author was quite conscious about these problems of the tribals and tried to sort-out all those problems when he became chief Minister of the state Arjun Singh nationalized the illegal trade in tendu patta. He tried to make and great the tribal as the real owner Minimum price of tendu leaves were fired and the workers were given bonus amount for collecting leaves - Arjun Singh took some Concrete steps for the land of tribals as he himself expressed it in his autobiography when he wrote:-

"Similarly, the land that belonged to the tribals, from which they had been easily ousted, was declared by laws not sold. The law gave the rights to the tribals to redeem this land as and when they wanted. When these laws were being framed, as expected, I earned the ire of the land holders and the traders. They combined to do their worst against me in the next election, but I was aware of the great positive impact that these measures would make on the common

people.The elections that took place in 1985, after my first five-year stint as the chief minister, justified my expectations and the Congress won convincingly, in fact, the party gained a three-fourth majority. All this, however, was in the future. Now was the time to take cognizance of all the ground realities and to make a commitment privately to myself to strive for the welfare of the people and then at the appropriate time, to fulfil it with full vigour and force."[2]

As a Minister of culture, Arjun Singh tried to change the cultural picture of Madhya Pradesh as he himself stated;

"In the sphere of culture, Madhya Pradesh presented a diverse picture as each part of the state had its own cultural ethos. It was necessary, therefore, to bring about cohesion so that a collective cultural profile of the state could emerge. I considered it necessary that Madhya Pradesh should encourage the flowering of its diverse cultures to acquire an identity in the Indian ethos. As a first step, I put up a proposal, to the chief minister, for the creation of a Department of Culture, to which he readily agreed. This proposal was, however, rejected later by Shyama Charan Shukla when he again became the chief minister on 23 December 1975.The state possessed a galaxy of cultural and literary figures and it was essential to project them far and wide. In 1973, a week-long festival named Utsav 73' was organized in which luminaries such as Pandit Krishnarao Shankar Pandit (vocalist), Ustad Amir Khan (vocalist), Pandit Kumar Gandharva (vocalist), Ustad Abdul Halim Jaffer Khan (sitar exponent), Ustad Amjad Ali Khan (sarod exponent), Habib Tanvir (theatre), Satyadev Dube (theatre), N. S. Bendre artist), Vishnu Chinchalkar (artist and sculptor), Bhawani Prasad Mishra (poet and author), Shiv Mangal Singh Suman (poet and academician), Harishankar Parsai (writer), Naresh Mehta (writer) nd Shrikant Verma (journalist and writer) were honoured. Each one of them was a celebrity in his own sphere of activity and thus the entire state, for the first time, became aware that it had within its borders such eminent people in the field of arts, literature and culture. 'Utsav 73' was a huge success and subsequently, a similar cultural festival became a permanent fixture and was celebrated year after year."[3]

After losing majority in Madhya Pradesh in assembly elections, author Arjun Singh was appointed as leader of in opposition. After the formation of Madhya Pradesh in 1956 this was the first-time when congress had to face such a loss and to accept the seats is opposition. Author played very positive role as a creative opposition. Under the leadership of Arjun Singh congress party confronted against govt. regarding the deaths of four Harijan members by upper caste people in the village Kanadiya Author himself visited to village Kanadiya and raised motion notice. This action proved as to be the symbol of blind support of Harijans by the congress party. Arjun visited to every district of Madhya Pradesh in his leisure time and established his close relationship with the common people. In this way he would comprehend and articulate all those matters that had made very deeper impact upon the people. He started contemplating about the solutions of those issues in case when congress party would come back into power.

While talking oath as chief minister Arjun Singh remembered many things of his past experiences and in his mind he decided to take certain important steps for the welfare of the people of Madhya Pradesh. In the cabinet of Arjun Singh there were young colleagues and members of all communities. Major importance was given to S. C.s, S.T.s and O.B.C.s later; author told that his main focus was there to empower 85 weaker section of society. Another priority that was there into the mind of Arjun Singh to decentralize the administrative powers. The third important task was to bring that weaker section into streamline as earlier only civil Services were able to ensure the delivery of essential items and goods and services to the common people. Aport from these priorities, Arjun Singh paid his attention to enhance provision of irrigation and power sector.

Arjun Singh started thinking about the rivers of Madhya Pradesh like, sone, Narmada, Rihand, Mahanadi, ken, Mahi Chambal, Tapti that are flowing interstate. Other states were exploiting these rivers but Madhya Pradesh could not enjoy their benefits. So, Arjun Singh paid his attention towards this problem. It was not possible for him to decide anything alone, therefore, he requested Indira Gandhi

to intervene. Indira Gandhi agreed and a meeting of chief ministers of M.P. UP and Bihar was held in Delhi in 1980. They all drew – up an agreement and as a result, Van Sagar on the Narmada was agreed. Not only so some agreement was done with Orissa for Mahanadi, Uttar Pradesh for Chambal and with Maharashtra and Gujarat for Narmada Mahi and Tapti rivers. These agreements proved to be very fruitful for Madhya Pradesh. Later on many dems were built as Bargi dam, Narmada Sagar dams, Sardar Sarovar project etc.

When Arjun Singh became sure that he would get full support of Indira Gandhi, then he requested Indira Gandhi to extend her support and it might be advantageous for the congress party if something special would be done for the down trodden As he himself mentioned that;

"After being assured of her support for the aforementioned priorities, I Brought up the subject of the backward classes and informed Mrs Gandhi it would be advantageous for the Congress Party if we were able to get the support of these classes. On being asked as to what I proposed to do in this matter, I replied that, to begin with, I would appoint a Backward Classes Commission for the state to gather all the relevant statistics and other information. She agreed. Many eyebrows were raised later when I announced the formation of the Backward Classes Commission for Madhya Pradesh under the chairmanship of Ramji Mahajan, a prominent MLA belonging to that community.

Based on the report of this commission, submitted in 1983, I decided to introduce several measures for the welfare of the backward classes and managed to break up the upper caste Brahmin-Thakur cartel, which was then holding sway in Madhya Pradesh politics. All these measures went a long way in alleviating the miseries of the downtrodden. The result was that in the 1984 Lok Sabha election, the Congress won all the 40 seats in Madhya Pradesh and, in the elections to the Assembly in 1985, the Congress emerged triumphant. (In the 1980s, Tamil Nadu too significantly increased the quota for the backward classes in educational institutions and government jobs.)"[4]

In Chapter 21 entitled "The Bhopal Gas Tragedy" of his autobiography author Arjun Singh pointed out towards the events and developments related to Bhopal gas tragedy. There was a Sudden leakage of gas on 2-3 December 1984 in a pesticide factory which belonged to the Union Carbide India limited (UCIL) This factory was located on the outskirt of capital Bhopal. Arjuan Singh was sleeping in his residence. Suddenly at 1 a.m. all the members of family began feeling restless and then they came to know that lethal methyl isocyanate gas was causing that uneasiness As a chief minister Arjun Singh felt it to be his duty to rush towards the affected areas but authorities warned him not to do so because it was very poisonous gas. They advised C.M. to go to a safer place but Arjuan Singh denied to escape. This leakage caused a panic situation in several parts of A the city. The people were running here and there in search of distant and safer places.

Chief Minister ordered all the manpower at his command to mobilize and very soon many camps and other shelters were immediately set-up for the victims. All kinds of facilities as foods medicines, blankets were being provided to the victims without delay Chief Minister was regularly keeping himself in touch with the responsible officer to sort – out the problems. Later it was reported that nearly 3000 people had passed-away and many thousands of people were hospitalized C.M. visited to all the hospitals and shelter houses and instructed the officials to look after them carefully.

As the Lok Sabha elections were also going on and Rajiv Gandhi was busy in his election campaign but as he listened about it he rushed to Bhopal on 6 Dec. 1984 Rajiv Gandhi visited to the hospital where the victims of Bhopal gas tragedy were admitted. He also enquired about the facts from of the collector and SP. Of Bhopal - He also visited to gas affected areas and met the people. Later on all the required a help had been provided by the central Govt.

Warren Anderson was considered to be responsible for that tragedy as owner of the factory. It was found that Anderson was coming on 7th of December morning to Bhopal, so CM ordered his police-men to arrest him. He was arrested and kept in his rest house under police custody. This arrest later created ripples for and wide. After some day Anderson was granted bail as per the Provisions of Indian Law but Arjan Singh was blamed by the

opposition for taking his part. Finally on 31 July 2009 again a new arrest warrant had been issued against Anderson but U.S. Govt. refused to extradite due to lack of evidence. Then "Anderson was again declared fugitive to the law."

In December 1984 Congress party won more than 400 seats in Lok Sabha and Rajiv Gandhi became the prime minister of India. In Madhya Pradesh also Congress party became victorious with a thumping majority on 11th of March 1985 again Arjun Singh was sworn in as chief minister After swearing- in ceremony CM went to Delhi to meet P.M Rajiv Gandhi but to his surprise he was informed that he would have to go to Punjab as governor to settle the Punjab issue. On the contrary Author was given privilege to nominate anybody as C.M. of Madhya Pradesh according to his liking He took over in Punjab on 14 March 1985 After reaching there author tried to understand the Prevailing atmosphere in all the ways. The militants of Punjab were killing the people mercilessly and there was a spirit of hatred and anger against central govt.

Arjun Singh could smell the spirit of the people and came to the conclusion that there had been a man name Harchand Singh Longowal who could be talked convinced to. He has mentioned about him;

"With a majority of the extremist elements having been eliminated during Operation Bluestar (early June 1984), the leadership had come into the hands of sober and rational individuals such as Sant Harchand Singh Longowal. He was basically a man with a religious disposition who had become the president of the Shiromani Akali Dal party (commonly known as Akali Dal), which had a significant presence in Punjab. I had never met him but, from all accounts, 1 concluded that he was the key person whose help would be required to open the doors of negotiations with other leaders. Since he was a total stranger to me as I was to him, some novel way would have to be found to approach him so that contact could be established. After much thought, I wrote a letter directly to him. The main thrust of the letter was that my duty here as governor was akin to his responsibility towards the Sikh community. I also mentioned in the letter that I would like to meet him, at his convenience, at the earliest opportunity. This letter was sent through a messenger who knew Sant Longowal personally. When the saint read the letter, he told the person who had delivered it to him: 'It appears that the governor is out of his mind to have written such a letter to me directly and wondered what would be the impact politically if he were to reveal the contents of this letter. The messenger merely replied that these matters were not for him to decide, but perhaps the governor had written to Longowal having full faith in his discretion and sagacity. The sant kept quiet after that; fortunately, he did not make a public disclosure of the letter. He informed the messenger orally that he would consider the proposal and reply to me in due course. I was convinced that the acceptance of my letter to Sant Longowal had opened the doors for a better and more prosperous future for Punjab and I eagerly awaited his response."[5]

With the Consent of Rajiv Gandhi a draft of agreement was prepared and on 24 July 1985 Sant Harchand Singh Longowal and Prime Minister Rajiv Gandhi Signed on it with a Special pen. This agreement could be possible only because of Arjun Singh as he applied his keen wit to manage everyone related to that problem. It was a land mark in the modern history of India.

Author has mentioned the geographical, political and social condition of Mizoram in his autobiography. In those days Mizoram was facing very crucial condition due to famine. An organization was formed as Mizo-national Famine front under the leadership of Laldenga. Later on the word "Famine" was deleted and name of Mizo National famine front was replaced by Mizo National Front only. This organization demanded an independent statehood. Laldenga the leader of organization has command over a sizeable force in the state and he was working against the govt.

CONCLUSION :

Rajiv Gandhi gave the task of solving Mizo problem to Arjun Singh by applying his way of working so that Laldenga and his supporters could leave the path of violence. Rajive also agreed to consider the candidature of Laldenga as chief minister of Mizoram in case if he maintained peace and rest. Arjun Singh began to work on that issue. He started talking with Lal Thanhawla who was chief minister

of Mizoram in that time. Author managed to have a meeting with Laldenga in Delhi at his residence on 23 June 1986. Laldenga had come there alongwith his wife. Initially Laldenga was not normal as author started discussing about the Mizoram issue but soon when author changed the topic and talked about his personal life, he became normal and gradually discussion reached to its normaley. Laldengra requested author to give him some time to discuss with his supporters and followers.

In his next meeting with Laldenga author succeeded in convincing him that if there would be an atmosphere of peace and rest then he would be honoured with the post of CM and Lal Thanhawla as Deputy CM. He became surprisingly happy. He readily agreed to sign on the agreement. Author demanded Laldenga to give half an hour's time to prepare the agreement. Finally agreement draft was prepared. Laldenga studied it and told that he had no objection and hesitation. Laldenga and Arjun Singh both signed the draft agreement to on 25th June 1986 and the author showed it P.M. Rajiv Gandhi for his approval and finally got it.

"The formal peace accord between the Mizo National Front and the Government of India was signed on 30 June 1986 at New Delhi. The another contentious chapter in our country's history was amicably closed. The most surprising part of the whole episode was that I had not till then visited Mizoram even once. In any case, to give effect to the accord, Lal Thanhawla stepped down from his post and Laldenga was sworn in as chief minister. In February 1987, under the terms of peace accord, Mizoram was granted statehood."[6]

References :

1. Singh, Arjun. *A Grain of Sand in the Hour Glass of Time*. Hay House, 2012, p.44.
2. Ibid, p.77.
3. Ibid, pp.119-120.
4. Ibid, p.143.
5. Ibid, pp.188-189.
6. Ibid, p.220.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 3rd Jan 21 Paper Accepted : 25th Jan 21

महिलाओं की परिवार में विभिन्न सामाजिक भूमिकाएँ

❐ स्मिता शर्मा*
❐ डॉ. (श्रीमती) मधुलिका श्रीवास्तव**

शोध सारांश

''परिवार ऐसे व्यक्तियों के समूह हैं जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है। एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति–पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन के रूप में एक दूसरे के अन्तर्क्रियाएँ तथा एक सामान्य संस्कृति का सामाजिक निर्माण और देख–रेख करते हैं।''

मुख्य शब्द :– महिला, परिवार, भूमिका, सामाजिक संगठन

परिचय :–

परिवार :–परिवार समाजिक संगठन की आधारधूत इकाई है। यह सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है मनुष्य का जन्म परिवार में होता है, उसकी बाल्यावस्था, भाषा, चलना–फिरना, व्यवहार के प्रतिमान आदि परिवार से ही ग्रहण करता है। इसलिए मनुष्य की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक, आधारभूत, सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है।

परिवार का अर्थ एवं परिभाषा :–

एक घर में और एक के ही संरक्षण में रहने वाले लोग अथवा एक ही पूर्व पुरुष के वंशजों को परिवार कहा जा सकता है। ''परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह माना जा सकता है जो विवाह और रक्त संबंधों से संगठित होता है।'' परिवार शब्द के अंग्रेजी पर्याय फेमिली (Family) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमूलस (Famulus) से हुई है। जिसका अर्थ है सेवक अथवा नौकर। फेमूलस शब्द एक ऐसे समूह का संबोधन करता है जिसके अन्तर्गत परिवार के विभिन्न सदस्यों जैसे माता–पिता, बच्चे तथा नौकर इत्यादि के अतिरिक्त दासों को भी स्थान दिया गया ह। परिवार शब्द का यदि विच्छेदन किया जाय तो पायेंगे कि यह शब्द परि अर्थात् चारों ओर और वार अर्थात् दिन, प्रकाश या आवरण के संयोग से बना है। अतः जो अपनी संस्कृति, सुविचार तथा मूल्य रूपी प्रकाश को चहुँ दिशा में फैलाता है वही परिवार है। मात्र उपर्युक्त शाब्दिक अर्थ से परिवार का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। समय एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवार के स्वरूप में निरन्तर बदलाव होते रहे हैं तथा विभिन्न विचारकों एवं समाजशास्त्रियों में इसके अर्थ एवं परिभाषा को लेकर ऐकमत्य का अभाव रहा है।

* शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अतः सबने अपने–अपने हिसाब से उसे परिभाशित करने का प्रयास किया है। ऐसी कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

किंग्सले डेविस के अनुसार–''परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार एक–दूसरे से संबंधि ात हैं तथा परस्पर नातेदार हैं।''

मैकाइवर एवं **पेज**–''परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन–पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है।''

इलिसट तथा **मैरिल**– परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई माना है। इनके मतानुसार–''परिवार पति–पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है।''

बर्गेस और **लॉक** के अनुसार–''परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है। एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति–पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन के रूप में परस्पर अन्तः क्रियाएँ करते हैं।''

कुले के अनुसार– ''एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है तथा यह मानव में उत्कृष्ट भावना को पैदा करता है।''

बिना परिवार के समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त गतिविधयाँ परिवार में ही होती है।

सरल शब्दों में यदि कहा जाय तो परिवार समाज की एक छोटी इकाई अथवा समाज का ही एक छोटा स्वरूप है। परिवार मानव–जीवन के प्रारंभ से ही उसके साथ रहा है तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सभी स्तरों पर सांस्कृतिक विकास में अभूतपूर्व योगदान देते हुए नये बच्चे को जन्म देकर मृतप्राय के रिक्त हुए स्थान को भर कर विनाश तथा सृजन की विरोध ाभासी अवस्था का अति सुन्दर समन्वय करते हुए माज की निरन्तरता को कायम रखता रहा है। चार्ल्स कूले इस संदर्भ में मानते हैं कि परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह रखता रहा है। चार्ल्स कूले इसे सन्दर्भ का निर्माण होता है। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें बच्चे के समाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। परिवार व्यक्ति के सामाजिकरण का एक प्रमुख साधन भी है। डॉ. श्री राम शर्मा परिवार की महत्ता के विषय में लिखते हैं– ''समाज की सर्वाधि ाक महत्वपूर्ण इकाई परिवार होती है। परिवारिक जीवन के विश्लेषण से समाज के स्वरूप की स्पष्ट झाँकी मिल सकती है।''

समाज की अवधारणा :–

साधारणतः समाज शब्द का प्रयोग एक से अधि ाक व्यक्तियों से निर्मित किसी विशिष्ट अन्तः समूह के सन्दर्भ में किया जाता है। अर्थात, सरल शब्दों में कहा जाय तो ''समाज एक स्थान पर रहने वाला अथवा एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों का दल, किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित समूह'' है। परन्तु समाजशास्त्र इस परिभाषा से कहीं उपर उठकर व्यक्तियों अथवा प्राणियों के मध्य उत्पन्न होने वाले अन्तःक्रिया की एक जटिल प्रणाली के रूप में समाज को परिभाषित करता हैं इसके अनुसार समाज अमूर्त है, यह वस्तु की अपेक्षा प्रक्रिया तथा मात्र संरचना की अपेक्षा एक गति है। प्रत्येक मनुष्य का एक निश्चित भूभाग पर वास्तव्य होता है, जहाँ वह अपने मूल आवश्यकताओं जैसे अन्न, वस्त्र, निवास आदि की पूर्ति तथा क्षमता को ध्यान में रखकर, अपने रीति–रिवाज, अधिकार इत्यादि सम्बन्धों का नियमन करते हुए एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया का निर्माण करता है। उसकी इस प्रक्रिया में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विवाह, धार्मिक, आर्थिक आदि संस्थाओं का निर्माण होता है, जिनके संश्लिष्ट रूप को समाज कहा जा सकता है। कहा गया है– ''पारस्परिक अदान–प्रदान कर संबंधों से उद्भूत समाज उन सभी संस्थागत तन्त्रों से व्यापक है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में इकाइयों के रूप में अवस्थित रहकर मनुष्य को संगठनात्मक संश्लेषण में आबद्ध करते हैं।''

अतः समाज किसी प्रकार का अखण्ड संगठन अथवा व्यवस्था मात्र न होकर जाति, वर्ग, समिति,

संस्था तथा व्यक्ति आदि इकाईयों के संयोग से बनता है जिसमें हर घटकों का अपने–अपने स्थान तथा कार्य का सीमित दायरा होता है ताकि एक घटक दूसरे के साथ सम्बद्ध तो रहें, परन्तु दूसरे में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप न करें, ताकि समाज का सन्तुलन भली–भाँति कायम रहे।

समाज का शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषाएँ–

समाज शब्द का अर्थ है–''(1) समुदाय, दल, समूह, (2) सभा (जैसे–आर्य समाज, संगीत समाज) (3) झुंड, गिरोह, समूह (जैसे– सत्संग समाज) (4) समान कार्यकर्ताओं का समूह (जैसे–व्यापारियों का समाज) (5) संघटित संस्था (6) आयोजन, तैयारी''। समाज का अंग्रेजी पर्याय शब्द ''Society'' है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के ''Societies'' धातु से हुई हैं इस शब्द का अनेक अर्थों जैसे समाज, संगति, मंडल, संस्था आदि के संदर्भ आदि के सन्दर्भ में किया जाता है। कभी–कभी तो अंग्रेजी भाषा के ''Association'' शब्द का प्रयोग भी समाज के अर्थ में किया जाता है।

हर किसी ने समाज को अपने–अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, परिणामतः इसके अर्थ तथा व्याख्याा में एक अनिश्चितता देखी जा सकती है। ''किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समीति के रूप में तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से सामज के अर्थ में निश्चिता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज–वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का अपने–अपने ढंग से अर्थ लगाया है। उदाहरण के रूप में, राजनीतिक समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप मं देखता है। मानवशास्त्री आदिम समुदायों को ही समाज मानता हैं जबकि अर्थशास्त्री क्रियायों को सम्पन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहता है।''

उद्‌भव सम्बन्धी सिद्धान्त–

विभिन्न समाजविदों ने अपने–अपने शोध कार्यों के आधार पर समाज की उत्पत्ति के अनेको सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

1. ईश्वरीय सिद्धांत–

यह समाज की उत्पत्ति का सबसे प्रारंभिक तथा सरल सिद्धांत था जिसके अनुसार यह माना जाता था कि समाज की सृष्टि किसी अदृश्य शक्ति अर्थात् ईश्वर ने किया है।

2. शक्ति अथवा बल संबन्धी सिद्धांत–

इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि आदिम काल के कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली पुरुष अन्य सह–पुरुषों को काबू में रखने में समर्थ थे तथा उन पर प्रभुत्व का इस्तेमाल करते थे, या यूँ कहें कि एक प्रकार से शासन किया करते थे। अतः दैहिक अवपीड़न ने उन्हें एक साथ रहने के लिए बाध्य किया जिससे समाज की स्थापना हुई।

3. पितृस्वामिक तथा मातृस्वामिक संबंधी सिद्धांत–

इस सिद्धांत के अनुसार पितृस्वामिक व्यवस्था जिसमें सत्ता और संचालन मान्यताओं पर तथा मातृस्वामिक व्यवस्था जिसमें सत्ता और संचालन स्त्री पर निर्भर थी, एक झुंड यानि दल का निर्माण किया और बाद एक समाज के रूप में विकसित हुए।

5. विकास संबंधी सिद्धांत–

इस सिद्धांत के अनुसार समाज की रचना इरादतन नहीं की गई, अपितु यह क्रमिक विकास का परिणाम है। समाज असंगठन से संगठन तथा अपूर्ण से पूर्ण की ओर लगातार होने वाली एक प्रगति है। समय–समय पर अलग–अलग कारणों ने इसके विकास में सहायता दी है।

समाज की सामान्य प्रकृति एवं विशेषताएँ–

समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। रयूटर कहते हैं ''जिस प्रकार जीवन एक वस्तु न होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं, अपितु सम्मिलन की प्रक्रिया है।'' समाज की रचना करने वाले घटक जैसे व्यक्ति, परिवेश आदि की समानता तथा भिन्नता एक समाज को दूसरे से कई मायने में समान तथा भिन्न बनाती है। हर समाज के अपने–अपने रीति–रिवाज, मान्यताएँ आदि होती हैं, जिसका उसके

सदस्यों को पालन करना होता है। समाज की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. समाज में सन्निहित समानता :–

मैकाइवर कहते हैं– ''समाज का अर्थ समानता है।'' समानता समाज की अनिवार्य प्रकृति है। प्रारंभिक काल में समानता की भावना का आधार नातेदारी तथा वास्तविक या काल्पनिक खून के रिश्ते हुआ करते थे, परन्तु आज ये आधार व्यापक हो गये हैं, जो राष्ट्रीयता या विश्व के सिद्धांत पर आधारित हैं।

2. समाज में निहित विभिन्नता–

समाज भिन्नता पर भी उतना ही आश्रित है जितना समानता पर। भिन्नता का अभाव व्यक्तियों के संबंधों को अत्यंत ही सीमित कर पारस्परिक आदान–प्रदान को खत्म कर देगा और समाज यंत्रवत हो जायेगा। उदाहरण के तौर पर परिवार, लिंगों की जीवनशास्त्रीय भिन्नता पर आधारित है।

3. अन्योन्याश्रिता

अन्योन्याश्रिता भी समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं आज के काल में देश ही नहीं अपितु महाद्वीप भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह अन्योन्याश्रिता समाज के कई स्तर तथा कई रूप में देखी जा सकती हैं उदाहरण के तौर पर स्त्री तथा पुरुष जो परिवार की रचना करते हैं, दोनों में से कोई भी स्वयं पूर्ण नहीं है और उस पूर्णता के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस तरह परिवार उन दोनों की अन्योन्याश्रिता पर आधारित है।

4. सहयोग

सहयोग के अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं उदाहरण के लिए, प्रसन्नता पूर्वक जीवन–यापन करने के लिए परिवार के सदस्य एक–दूसरे का सहयोग करते हैं।

5. रीतियाँ

समाज में रीतियाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी विवाह, शिक्षा, धर्म, बोलचाल तथा भोजन आदि संबंधी परिपाटियाँ होती हैं, जिससे संबंधी ज्ञान समाज के सदस्यों को पीढ़ी–दर–पीढ़ी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित होती रहती है।

6. कार्यप्रणालियाँ –

भिन्न समाजों की अपनी कार्यप्रणलियाँ होती हैं, जो समाज की एकता तथा संगठन को सुनिश्चित करती हैं।

7. सत्ता –

हर समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर समाज के छोटे रूप अर्थात् 'परिवार' में उसका सुचारु संचालन करने हेतु एक निर्णायक व्यक्ति होता है जिसके पास परिवार के हित में निर्णय लेने की सत्ता होती है। वह परिवार की स्त्री भी हो सकती है, और पुरुष भी।

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला की परिवार में सामाजिक तौर से विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि महिला परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना परिवार का किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं हो सकती चाहे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक व समाज में होने वाली प्रत्येक गतिविधि में वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

संदर्भ स्रोत :–

- ई. डब्ल्यु. बजेंस एण्ड एच.जे. लाकः द फेमिली फ्राम इंस्टीट्यूषन टू कम्पोनियनशिप, पृ. 8
- धर्मेन्द्र : समाजशास्त्र, TATA McGraw- Hills, P. 70
- आर.एम. मैकाइवर एण्ड सी.एच.पेज.: सोसाइटी, पृ. 238
- धर्मेन्द्र : समाजशास्त्र, TATA McGraw- Hills, P. 70
- डॉ. राजीव कुमारः शहरी समाजशास्त्र, प्रथम संस्करण, 2012, पृ.–122
- धर्मेन्द्र : समाजशास्त्र, TATA McGraw- Hills, P. 70

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 4th Jan 21 Paper Accepted : 25th Jan 21

बालरामायण में वर्णित समाज एवं संस्कृति

❑ सतीश कुमार त्रिपाठी*
❑ डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी**

शोध सारांश

बालरामायण के सामाजिक चित्रण में जिस–जिस समाज का वर्णन किया गया है जो वर्तमान परिपेक्ष्य में भी महत्त्वपूर्ण है जिसके महत्व का निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है–

शब्द बीज :– बालारामाण, समाज, भारतीय, संस्कृति, पारिवारिक व्यवस्था, आदि।

प्रस्तावना :–

1. पारिवारिक व्यवस्था :

बालरामायण में परिवारिक व्यवस्था राजा दशरथ के परिवार रूपी धूरी पर चारों ओर घूमती दिखाई देती है जिस परिवार में आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भ्राता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श पत्नी का अद्वितीय स्थान उनके पारिवारिक व्यवस्था को अवलोकित करता था।

आदर्श पिता :

पाति रक्षति

प+तृच=पिता। पिता शब्द के पर्याय है जनक पूर्व पुरुष पूर्वज पितृ वर्ग आदि। रघुवंश प्रथम सर्ग में कालीदास ने बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है–

जगतः पितरौ वन्दे, पारवती परमेश्वरौ।।

भारतीय संस्कृति में पिता को देव शब्द से उद्घोषित किया गया है जैसा कि दृष्टव्य है– पितृ देवो भव।

भारतीय आदर्श परम्परा में एक सम्मिलित परिवार में एक पिता मुखिया होता है सम्पूर्ण परिवार का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर होता है इन्हीं तथ्यों को ध्यान आकृष्ट करते हुए उसकी संज्ञा आदर्श पिता से दी गई है।

राजा दशरथ का नाम सुन्दर कल्पवृक्ष के समान है (सेवन करने पर यानी दशरथ नाम का जप करने पर) उसमें पृथ्वी घर, धन, धर्म, सद्गुणी और रूपनिधान पुत्र इस प्रकार सभी कल्याणमय फल फलते हैं।

दशरथ नाम सुलामतरु फलइ सकल कल्यान।
धरनि धाम धन धरम सुत सदगुन रूप निधान।।

दोहावली पृ. 63

राजा दशरथ ने सत्यरूपी तत्व को समझा था एवं जिस सत्य के लिए श्रीराम को त्याग दिया और राम के विरह में प्राण त्याग दिये।

बालरामायण में आचार्य राजशेखर ने अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के चरित्र को अपने नाटक में

* शोधार्थी, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, शासकीय महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
** शोध–निर्देशक, प्राध्यापक –संस्कृत (सेवानिवृत्ति), शासकीय महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

अत्यन्त परिष्कृत और परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया है युग–युग में राम वनवास के उन पर लगे लाञ्छन को नाटकार ने हटा दिया है वे जब कैकेयी का छद्म रूप धारण कर राम के वनवास की याचना की और राम उस आज्ञा को शिरोधार्य कर जानते हुए भी लक्ष्मण और जानकी के साथ वन चले गये। सीता हरण के वृत्तान्त को सुनकर दशरथ ने शरीर त्याग दिया।

नाटककार ने राजा दशरथ के इस घटना को वर्णित कर एक पिता के उच्च आदर्श पिता को और भी रोचक पूर्ण बना दिया है। जिसमें राजा दशरथ एक निर्दोष पिता के रूप में इस नाटक में पात्र के रूप में वर्णित है। राजा दशरथ के पुत्र प्रेम को बालरामायण में राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने के बाद वामदेव के द्वारा छद्म रूप को बताये जाने पर राजा दशरथ कहते हैं–

दशरथः हा रघुकुलचन्द्र रामचन्द्र!
कोऽयं दिलीपकुले चरित विपर्यासः।
वृद्धो दशरथः सोऽयमुपास्ते गृहमेधिताम्।
त्वया तु क्षीरकण्ठेन वनवासो निषेव्यते।।

बा.रा. 30/6

अर्थात् हा रघुकुल के चन्द्र रामचन्द्र दिलीप के कुल में चरित्र का यह वैपरीत्य कैसे हुआ? यह वृद्ध दशरथ गार्हस्थ की उपासना कर रहा है और तू मेरा पुत्र दुधमुहा वनवास का सेवन कर रहा है।

जब राजा दशरथ अपने रथ में सारथि मातलि और सौदामिनी के साथ मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं और अपने पुत्र राम के विवाह से उत्सुक होकर द्वारपाल से यह पूंछते है कि विवाह मंगल सम्पन्न हो गया, द्वारपाल के यह बताये जाने पर कि विवाह मंगल संपन्न हो गया राजा दशरथ कहते हैं–

छद्म! किमुत्कण्ठ से सवधूटीकं रामभद्रं पश्य।

बा.रा. 4।। 41–42।।

अर्थात् हृदय क्यो उत्कण्ठित हो रहा है ? वधू के साथ अपने पुत्र राम को देखने के लिए।

आचार्य राजशेखर ने राजा दशरथ के स्वर्ग में जाने पर राम रावण के युद्ध को इन्द्र के साथ देखते हैं और वहाँ राम पर जब संकट पड़ता है इन्द्र और दशरथ तथा दो चारण के इन्द्रलोक से राम रावण के युद्ध का परिदृश्य चारण द्वारा बताये जाने पर कि हा धिक्कार है, धिक्कार है अभागे रावण ने भी राम के सम्यक फूल रहे कम–लवन के समान मनोरम तथा गिरिशिला के समान विशाल वक्षस्थल पर काल के दांढ के समान कठिन बाण छोड़ा। यह सुनकर राजा दशरथ स्वर्ग में इन्द्रलोक में कहते हैं–

कः कोऽत्र धनुधर्नु पुरन्दरप्रसादीकृसखिभावे सति दशरथे कथमिव रावणो रामभद्रं प्रहरतु।

9। 22–23। बा.रा.

अर्थात् यहाँ कौन है धनुष लाओं। इन्द्र ने प्रसाद कर जिसके साथ मित्रता की है ऐसे दशरथ के रहने पर भी रावण पुत्र रामभद्र पर कैसे प्रहार करेगा।

पुनः राजा दशरथ कहते हैं–

कथं रावण! निपुणोऽसि यदेकेन बाणेन हृदये द्वयं ताडितं रामो दशरथश्च।

बा.रा. 9।।23–24।।

अर्थात् क्यों रावण! बड़े कुशल हो कि एक ही बाण से राम और दशरथ दोनों के हृदय पर प्रहार किया।

इस प्रकार राजा दशरथ को एक आदर्श पिता के रूप में आचार्य राजशेखर ने प्रदर्शित किया है राम के जन्म से लेकर वनगमन प्रसंग तक उन्होंने एक आदर्श पिता के दायित्व का निर्वहण किया है। वे अपने पुत्रों के लिए आदर्श पिता तो थे ही प्रजा को भी पुत्रवत् लालन पालन किया है।

राम वियोग में वे अपने प्राणों की आहुति दे देते है इससे बड़ा आदर्श पिता का उदाहरण भारतीय संस्कृति तथा अन्य संस्कृतियों में सर्वदा दुर्लभ है।

आधुनिक परिपेक्ष्य में महाराज दशरथ का चरित्र पिता के रूप में विशेष अनुकरणीय है समय के प्रवाह में आज पिता पुत्र के बीच में मतैक्य नहीं दिखाई देता इसका निदान अयोध्या नृपति के चरित्र में खोजा जा सकता है, वास्तव में उनका चरित्र आज के परिपेक्ष्य में नितान्त उपादेय है।

आदर्श माता :

माता शब्द की उत्पत्ति– मान् पूजायाम्च्तृन लोपः माता।

माता शब्द के पर्याय है माँ जननी अम्बा आदि भारतीय संस्कृति में माँ का अनुपम स्थान हे इसीलिए माँ के विषय में श्रुति वाक्य है– मातृ देवो भव।

दुर्गा सप्तसती में सप्तसतीकार ने माँ की महिमा के विषय में जो उद्घोष किया है वह सर्वथा दुर्लभ है–

कुपुत्रो जायेत् क्वाचिदपि कुमाता न भवति।

अर्थात् पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र हो जाय लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती वह अपने बेटों का समत्व भाव से पालन करती है।

वासुदेव कृष्ण माँ की महिमा के विषय में महाभारत में बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरी गति नारद उस माता की तरह है जैसे उसका एक बेटा ध र्मात्मा हो और दूसरा जुआँरी लेकिन माँ दोनों को समभाव से लालन–पालन करती है।

माता शब्द स्वयं अपने में इतना गरिमामय है कि वह अपने आप में आदश्र है उसे आदर्श माता कहने की आवश्यकता नहीं।

प्रस्तुत नाटक बालरामायण में आचार्य राजशेखर ने देवी कौशल्या कैकेयी एवं सुमित्रा को आदर्श माता के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में ये तीनों रानियाँ एक आदर्श माता के रूप में उपस्थित है ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में कोई भेद नहीं मानती चारों भाइयों को तीनों माताएँ अपने–अपने पुत्रों की भांति लालन–पालन करती है। इन्द्र के पास (त्रिपिष्टप पुरन्दर सभा) से वापस अयोध्या आने पर मातलि (सारथी) से कैकेयी कहती है–

किं पुनर्मेऽयोध्यादर्शनेऽप्यकारणपर्याकुलं हृदय तद् यदि वत्सानां रामभद्रभरतलक्ष्मणशत्रुघ्नानां वध ूना च सीतामाण्डव्यूर्मिला श्रुतकीर्तीचं दर्शनेन निर्वासियष्यति।

बा.रा. 6/11–12

अर्थात् क्यों अयोध्या के दर्शन से भी मेरा हृदय अकारण व्याकुल होता है। यह व्याकुलता राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन पुत्रों तथा सीता, माण्डवी, उर्मिला एवं श्रुतिकीर्ति इन पुत्रवधुओं के दर्शन से जायेगी।

वामदेव के राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने के समाचार से अवगत होकर बाता कैकेयी करुण स्वर से कहती है।

रामभद्र की सास और सीता की माता भगवति वसुन्धरें छिद्र दो। यह प्रेमीजन याचना कर रहा है। रघुकुल की वधुओं के समागम में तिरस्कृत मैं जीवन धारण नहीं कर सकती! हा पुत्र भरत! लोक में असामान्य अपयश से कलंकित मैं तुम्हारा मुख कैसे देखूँगी। हा पितः! आप दुःख से अभिभूत हुए। हा मातः! तू वंचित हुई। हा कौशिल्ये! तुम्हे दुःख की कील धसी। हा सुमित्रे ! तुम शरीर मात्र बना दी गई।

महाकवि ने इस करुण विलाप से माता कैकेयी के विमाता को स्पष्ट बताते हुए कि माता कैकेयी विमाता होते हुए भी राम से भरत की अपेक्षा अत्याधिक प्रेम करती है और इसी प्रकार कौशल्या सुमित्रा का चारो पुत्रों पर अनुराग बालरामायण में उल्लेखित है।

आज वर्तमान युग में भी एक माता का आदर्श उज्जवल प्रतीत होता है वह अपने पुत्र को 9 माह अपने शरीर की वेदना के साथ पेट में रखती है तथा नवजात शिशु को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है वही आदर्श माता का अपना कर्त्तव्य निर्वहन कर उसे बड़ा होने पर भी सत्य माग्र में चलने की प्रेरणा देती है।

बालरामायण के अनुसार महारानी कैकेयी का कैकेयी के उद्गार उन्हें आदर्श माता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाते है लोक कल्याण के लिए यों कैकेयी का पुत्र प्रेम एक भारतीय आदर्श माँ के लिए नितान्त उपादेय है ओर वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता है क्योंकि काल के परिवर्तन से परिस्थिति वश माँ का विकृत रूप दृष्टिगोचर होता है।

भारतीय माताओं के लिए बालरामायण की महत्ता सर्वोपरि है।

आदर्श पति :

श्रीराम का एक पत्नी व्रत भी एक बड़ा ही आदर्श था। श्रीराम ने स्वप्न में भी कभी जानकी जी के सिवा दूसरी स्त्री का वरण नहीं किया भगवान् राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रावण द्वारा सीता का अपहरण के पश्चात् भी किया। उनको यह लोक में चरितार्थ करके दिखाना था कि जिस प्रकार स्त्री के लिए पतिव्रत्य का विधान है उसी तरह पुरुष के लिए भी एक पत्नी व्रत परमावश्यक है। स्त्री पुरुष का सम्बन्ध भोग भोगने के लिए नहीं अपितु धर्माचरण के लिए है।

भगवान् श्री राम का सीता के साथ कितना प्रेम था इसका वर्णन बालरामायण में राम और रावण के मध्य संवाद के समय जब असम पराक्रमों नाम सप्तोऽङ्क आता है उस सेतु बन्ध के समक्ष राम के कहे जाने पर कि हे रावण लोगों में हँसी उत्पन्न कर रहे चन्दहास को छिपा लो कौन शक्तिमान् होते हुए भी चन्द्रमा को शिलापट्ट पर पीसेगा यह देखना है। लक्ष्मण जी विषाद से उस दृश्य को बातते हुए कहते हैं।

यावत्करोति न धनुः सशरं ममार्यो
यावन्न सूत्रयति विक्रमणं हनूमान्
आर्याशिरो दशमुखेन विलूय तावत्
क्षिप्तं च कल्पितमदर्शनमम्बरे च।।

बा.रा. 7/72

अर्थात् जब ततक मेरे आर्य रामधनुष पर बाण नहीं रखे और हनुमान ऊपर उछलें नहीं उससे पहले ही रावण ने आर्या जानकी का शिर काटकार फेंक दिया और अन्तर्धान हो गया।

इस दशा को देखकर भगवान् राम जी सीमा का शिर जमीन पर बालू में लोटते हुए देखकर शीघ्र ही विलाप करते हुए दोनों हाथों की अंजलि में लेकर (वैसा करके क्या देखकर) हा जानकि! शिरःशेष हो गयी।

करुणापूर्वक देखकर (सकरुण विभाव्य) कहते हैं।

तरुण भुजगों की लीला वही वेणी है कामदेव द्वारा डाले गये दो झूलों का आभा देने वाले वही दोनों कान है, काम के दो कमलवाणों की भांति वे ही दोनों आँखे है, और यही वह चुर्णकुन्तल (केश) रूप कलंक वाला मुखकमल है।

पुनः एक पत्नी व्रत के पालनार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिलाप करते हुए कहते हैं।

देव्याः शिरो मम पुरो यदिदं विलूनं
दृष्टं छलाद्दमुखो यदसौ प्रनष्टः
छिङ्ष्फिल हनुमतः प्लवनं तदब्धौ
छिङ्निष्फलः स च ममाचलसेतुबन्धः।

बा.रा. 75/7

अर्थात् धिक्कार है मेरे समाने जो यह देवी का मुख काट डाला गया और रावण माया से अन्तर्धान हो गया तो हनुमान् का समुद्र को लाँघना और मेरे द्वारा पर्वतों से पुल बांधना निष्फल हो गया।

निष्कर्ष यह कि भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नी व्रत थे तथा सीता के रावण के पास लंका पुरी में रहने पर भी चित्र रूपी मायासीता के रावण द्वारा काटकर देखने पर राम व्याकुल होकर एक पत्नी व्रत को समाज में स्थापित किया है।

आदर्श पत्नि :

पति + ङीप् = पत्नी

जिसका तात्पर्य है सह धर्मणी अर्धागिनी भार्या भारतीय संस्कृति में पत्नी का बड़ा दिव्य स्थान है उसके अभाव में मानव जीवन निरर्थक है क्योंकि उसके बिना कोई भी यज्ञीय कार्य का सम्पादन नहीं होता जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ''अपत्नीयंक कथं अग्निहोत्रम् जुहोत्'' ।।

इस सिद्धान्त का परिपालन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि ने सीता परित्याग के बाद राम द्वारा सम्पादित किये गये यज्ञ में सोने की सीता की प्रतिमूर्ति बनाकर राम के पाश्व्र भाग में रखवाई गई थी।

आदर्श भ्राता :

श्रीराम का भ्रातृ प्रेम भी अतुलनीय था लड़कपन से ही श्री राम अपने भाइयों के साथ बड़ा प्रेम रखते थे। सदा उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। चारो भाई एक साथ ही घोड़ों पर चढ़कर विचरण करते थे रामचन्द्र जी को– जो भी

कोई उत्तम भोजन या वस्तु मिलती थी उसे वे पहले अपने भाइयों को देकर पीछे स्वयं खाते थे या उपयोग में लाते थे। यद्यपि श्री राम का सभी भाइयों के साथ समान भाव से ही पूर्ण प्रेम था उनके मन में कोई भेद नहीं था तथापि लक्ष्मण का श्री राम के प्रति विशेष स्नेह था वे थोड़ी देर के लिए भी श्रीराम से अलग नहीं हुए इसका वर्णन कवि ने वन में केवल भगवान् राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था परन्तु श्री राम सेवक लक्ष्मण भी वन में साथ अपनी प्रिय भार्या उर्मिला को छोड़कर जाते हैं।

दयितमनुसरन्तीं मैथिलीमीक्षमाणा
गृहिणमनुयियासुर्जनिकी सा कनिष्ठा।
गुरूगुरूजनलज्जा नम्रवक्त्राम्बुजेन
भ्रुकुटिपुट निबनधाद्वारिता लक्ष्मणेन।।

बा.रा. 25/6

आदर्श पुत्र : पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति है–

पुमं नरकात् त्रायते इति पुत्रः

जो अपने पिता को स्वयं के सत्कर्म के द्वारा नकर गमन से बचाये वही पुत्र कहलाता है।

पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण इन तीनों ऋणों से महत्वपूर्ण पितृ ऋण है क्योंकि उसके बिना शेष दो ऋणों की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

अतः भारतीय संस्कृति में एक आदर्श पुत्र का अपने आप में विशिष्ट स्थान है।

बालरामायण में राजादशरथ के परिवार में उनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक आज्ञापालक पुत्र एवं आदर्श पुत्रों के रूप में आज भी पारिवारिक व्यवस्था में स्मरण किये जाते हैं।

वर्तमान समय में पिता एवं पुत्र में मतैक्य नहीं है न पिता में पूर्ण रूप से पितृत्व की भावना दृष्टिगोचर होती है और न पुत्र में ही पुत्रतत्व की भावना दृष्टव्य होती है।

आदर्श राजाः

इस काल में राजा ही अपने सम्पूर्ण नगर और जनपद (राष्ट्र) का केन्द्र बिन्दू माना जाता था क्योंकि राजा का मुख्य कार्य प्रजानुरन्जन एवं राष्ट्रोन्नयन था इतना ही नहीं राजा राष्ट्र के धर्म तथा सत्य का उद्भवस्थल था। उस समय के समाज की यह मान्यता थी कि राजा रहित राज्य में किसी भी प्रकार के मंगल या कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती थी।

बालरामायण में वर्णित नाटक में प्रतिहारी रावण से कहता है राजा दशरथ का वैवस्वतत् मनु के महान् कुल में जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए उनमें ये महारथी दशरथ पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं–

सावित्रान् मनुतो महीयति कुल ये जज्ञिरे क्षत्रिया।
स्तोषामेष महारथो दशरथः क्ष्माचक्रमाक्रामति।।

बा.रा. 3/69–70

राजा दशरथ इक्ष्वाकुकुल के अविरथी वीर थे यज्ञ करने वाले धर्म परायण और जितेन्द्रिय थे इनकी खयाति तीनों लोकों में फैली हुई थी वे बलवान् शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इन्द्रविजयी थे धन इत्यादि वस्तु के संचय में इन्द्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु सम्पूर्ण जगत् की रक्षा करते थे उसी प्रकार महाराज दशरथ भी रक्षा करते थे।

आदर्श मंत्री :

मंत्री शब्द का पर्याय है राजा का सहचर अनुयायी अमात्य। अमात्य शब्द का विग्रह है– अमा+त्यक्

जैसा कि रघुवंश में उल्लेखित है–

अमात्य पुत्रैः सवयोभिरन्विता।

रघुवंश 3–28

भारतीय संस्कृति में मंत्री का राजपरिवार में अनुपम स्थान निर्धारित होता है। राज्य की सफलता असफलता में सारा योगदान मंत्री का होता है।

प्रस्तुत नाटक बालरामायण में अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के मंत्री सुमन्त है सुमन्त एक योग्य कर्मनिष्ठ एवं व्यवहार कुशल मंत्री है वे राज्य में प्रजा में असन्तोष तथा विद्रोह नहीं होने देते राज्य के अन्दर प्रजा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं यहाँ तक कि अपना सारा जीवन अयोध्या की सुरक्षा और प्रजा पालन में न्यौछावर करते हैं। महाराज दशरथ की अनुपस्थिति में जब वे इन्द्र लोक में उसी

समय राम का वनगमन होता है। देवी सीता और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ प्रस्थान करते हैं तब मंत्री सुमन्त का दायित्व भूरि–भूरि प्रशंसनीय है वे राम को वन जाने के लिए मना करते है कि पिता की अनुपस्थिति में आपका वन गमन उचित नहीं है किन्तु मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मानते वन की ओर प्रस्थान करते हैं।

सुमन्त भी उनके पीछे–पीछे चल देते है यहाँ पर वे मंत्री पद के दायित्व का पूण्र रूपेण निर्वाह करते हैं अयोध्यापति दशरथ इन्द्रलोक से जब वापस आते हैं तो वे राम के वन गमन की सूचना देते हैं और यह भी कहते है कि हे राम मैं भी आपके साथ वन चलूंगा और उनके पीछे बहुत दूर तक गया। बा.रा. 6/52–53

बालरामायण में आचार्य राजशेखर ने मंत्री सुमन्त का बड़ा दिव्य वर्णन किया है वे आदर्श मंत्री के कसौटी में पूर्णतया खरे उतरते हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अयोध्या नरेश दशरथ के प्रमुख मंत्री सुमन्त एक आदर्श अमात्य है। वर्तमान समय में आपसी कलह और कटुता के कारण राज्यों में न सत्यवादी राजा ही रह गया है। और नहीं कर्त्तव्य निष्ठ मंत्री ही शेष रह गये वे अपने सवार्थभावना में लीन है तथा आम जनता के प्रति भ्रष्टता इत्यादि व्यवस्थाओं को राजनीति में जन्म दे रहे हैं। जिससे प्रदेश का स्वर एवं हमारा सम्पूर्ण भारत देश बेरोजगारी गरीबी इत्यादि से पीड़ित नजर आ रहा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आज वर्तमान पीढ़ी को भी आदर्श मंत्री की आवश्यकता है जिससे प्रशासन की नीति एवं राजनीति सुचारु रूप से चल सके।

संदर्भ स्रोत :–

1. बाल्मीकि रामायण : आदिकवि बाल्मीकि, गीताप्रेस गोरखपुर
2. उत्तररामचरित, आनन्द स्वरूप, मोतीलाल बनारासीदास, 1963
3. कर्पूरमंजरी, डॉ. सुदर्शनलाल जैन, भारतीय विद्या भवन प्रकाशन, बनारस 1963
4. काव्य मीमांसा, राजशेखर, चौखम्भा विद्या भवन बनारस, 1962
5. पद्म पुराण, मनसुख रायमाद, संपा. धरानन्द शास्त्री बनारस, 1973
6. नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, मोतीलाल बनारसी, दिलली –1961
7. तुलसीदश्नन, बददेव प्रसाद मिश्र, प्रयाग–1942
8. ध्वन्यालोक आनन्दवध्रन चौ. वि. भवन, वाराणसी, 1942।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal SJIF - 5.299

Paper Recieved : 10th Jan 21 Paper Accepted : 2nd Feb 21

निर्गुण कवियों के काव्य में प्रेमतत्त्व

❐ श्रीकान्त शुक्ल*

शोध सारांश

हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो चारों कालों में भक्तिकाल सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भक्तिकाल के सगुण और निर्गुण दो विभेद किए गए हैं। निर्गुण कवियों के काव्य में ज्ञान और प्रेम का संगोपाग वर्णन किया गया है। इन दोनों तत्वों में प्रेम का विशेष स्थान है। साहित्य और सृष्टि का निर्माण प्रेम के बगैर अधूरा है। प्रेम ईश्वर का रूप है, उसके आलम्बन भले ही अलग–अलग हों लेकिन मंजिल एक ही है। निर्गुण धारा के कवियों ने अपनी–अपनी सोच और विचारधारा के अनुसार प्रेम को व्याख्यायित किया है। संत कवियों के ज्ञान में प्रेम व्याप्त है तथा प्रेममार्गी कवियों का प्रेम लौकिकता से परे है।

बीज–शब्द :– प्रेम, संत, निर्गुण, प्रेममार्गी, परमात्मा, आत्मा।

हिन्दी कविता के 1000 वर्ष पुराने इतिहास में भक्तिकाल काल को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसका समय सं. 1375–1700 तक माना जाता है। इसे जार्ज ग्रियसन ने हिन्दी कविता के सभी कालों में स्वर्ण काल माना। यह कविता काल का ऐसा समय था, जिसके कवियों के विचारों में मतैक्य भले ही नहीं था, पर इनकी कविताओं में भक्ति और प्रेम का समन्वय देखा जा सकता है। इन कवियों ने ईश्वर को अलग–अलग रूपों में भले ही स्वीकार्य किया हो, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग चुना और वह मार्ग प्रेम का था।

''प्रेम'' एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से दी है, पर प्रेम की एक निश्चित परिभाषा आज भी नहीं दी जा सकी। प्रेम की अनेक परिभाषायें यत्र–तत्र दी गई हैं, किन्तु वे सब अपूर्ण हैं। इस संसार में सर्वप्रचलित सभी परिभाषाओं की छानबीन करने पर भी प्रेम की स्पष्ट, विशद और उपयुक्त परिभाषा का मिलना असम्भव है। प्रेम मानव–मन से उत्पन्न एक भावानुभूति है, जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कठिन तथा दुरूह है। प्रेम तो वाणी का विषय नहीं है, वह केवल अनुभवगम्य ही है। उसका स्थान प्रत्येक प्राणी का मन है और वह एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में बाहर प्रकट होता है। इन सबके बावजूद भी कुछ विद्वानों ने अपने–अपने विचार के आधार पर प्रेम को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। प्रेम को परिभाषित करते हुए सूफी कवि जुनैद ने लिखा है कि ''प्रिय की विशेषताओं में अपनी विशेषता को मिला देना ही प्रेम है।''[1]

धार्मिक ग्रन्थों में भी प्रेम का उल्लेख एवं परिभाषायें यथास्थान वर्णित की गई है। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक 'बाइबिल' में प्रेम की परिभाषा दी गई है। एक

* सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

स्थान में प्रेम का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि –

"Who ever does not love,
Does not know God,
Because God is love."[2]

भक्तिकालीन कवियों ने भी अपने–अपने विचार के अनुसार प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से अधिकतर कवियों की परिभाषाओं में आध्यात्मिकता की अनुपमझलक देखने को मिलती है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी लिखते हैं कि –

"प्रेम ना बाडी उपजै, प्रेम ना हाट बिकाय।
राजा परजा जेहि रूचै, सीस दै ले जाए।"[3]

कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया कि प्रेम न तो खेत में पैदा होता है और न ही बाजार में बिकता है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नूर मुहम्मद प्रेम को सागर के समान अथाह मानते हैं, वे लिखते हैं कि :–

"प्रेम समुद्र अथाह है, बूड़े मिलै न अंत।
तेहि समुद्र में हौ परा, तीर न मिलत तुरंत।।[4]

इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने–अपने मतानुसार प्रेम को परिभाषित किया है, पर एक निश्चित परिभाषा सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। अन्ततः यह कह सकते हैं कि प्रेम वह आकर्षण है, जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। भौतिक स्तर पर हम इसे 'गुरूत्वाकर्षण' कह सकते हैं तथा आत्म तत्व के स्तर पर इसी को प्रेम की संज्ञा दी जाती है। मानवीय प्रेम में व्यक्तिगत सुख की कामना की जाती है किन्तु ईश्वरीय प्रेम सर्वथा निष्काम एवं विश्वात्मा रूप होता है। इस प्रकार 'प्रेम' मूलतः आध्यात्मिक है।

मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में प्रेमतत्व सर्वत्र विद्यमान है, चाहे प्रेम की परिकल्पना का आधार अलग–अलग भले ही रहा हो। शायद उसके पीछे का कारण तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थीं। इन सबके बावजूद प्रेम ही इनकी पीठिका है। जिसके आधार पर भगवत प्रेम रस रसिकों में जीवात्मा आई। संत कवियों ने प्रेम को जिस रूप में स्वीकार्य किया, उस पर प्रकाश डालते हुए आ. हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि – "प्रेम पर इन संतों ने इतना अधिक जोर दिया है कि भक्त के बिना भगवान को भी अपूर्ण बतलाया है।"[5] प्रेम के जिस रूप की कल्पना संतों ने की है, वह केवल ज्ञान के बल पर कही गई बात नहीं हो सकती। इन्होंने खुद को प्रिया के रूप में और भगवान को प्रिय के रूप में स्वीकार किया है। संत कवि दादूदयाल ने ईश्वर ही प्रेम और प्रेम ही ईश्वर है की बात स्वीकार करते हुए लिखते हैं :–

"इसक अलह की जात है, इसक अलह का अंग।

इसक अलह औजूद है, इसक अलह का रंग।।[6]

संतों द्वारा परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति तथा साक्षात्कार करना ही जीवात्मा का परम लक्ष्य माना गया है। इस साक्षात्कार के लिए साधक को कठिन मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। दादूदयाल ने ठीक ही कहा है –

"राम रस मीठ रे, कोई पीवै साधु सुजान।
सदा रस पावै प्रेम को, सो अविनाशी प्राण।।[7]

संतों ने अपने प्रेमालम्बन के रूप की कल्पना कई रूपों में की है। किन्तु प्रेम रंग में डूबे सन्तों का मन भावना–निर्मित दिव्य स्वरूप में अधिक रमा है। प्रेमावेश में आकर संतों ने अपने उपास्य को मानवोचित सर्वोत्कृष्ट गुणों से भी विभूषित किया है। उस अलौकिक तेजपुंज के सौन्दर्य का दर्शन कामना रहित भक्ति–सुन्दरी आत्मा ही कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेममार्गीय सूफी काव्य परम्परा पर्याप्त प्राचीन है। भारत में इसके प्रवेश की निश्चित तिथि बताना कठिन है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सूफी प्रेमाख्यान परम्परा के रूप में उसका अविर्भाव मुस्लिम राज्य की स्थापना के साथ हुआ। भारत में मुसलमानों की विजय, शासन की प्रतिष्ठा और अनुयाइयों की आस्था के संकुचित दायरे की वजह से मनुष्यता शर्मसार हुई। भारत में मुस्लिम–शासन की स्थापना होने से तत्कालीन लोक–जीवन के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थितियों पर जो प्रभाव पड़ा, उन समस्याओं के निराकरण में सूफी–साधकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल शासन नीति का जितना प्रभाव हिन्दुओं पर पड़ा, उससे कहीं ज्यादा शान्त और उदार सूफी साधकों के हृदय को दहला दिया।

इन भावुक प्रेममार्गी कवियों ने हिन्दी घरों में कही जाने वाली पुरातन कहानियों, ऐतिहासिक पात्रों

के साथ अपनी कल्पना का समागम करके उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया। प्रेममार्गी शाखा के कवियों ने कल्पित कहानियों द्वारा प्रेम का मार्ग दिखाया हैं जिस समय इन प्रेममार्गी कवियों का आगमन देश में हुआ, समूचा देश भक्ति आन्दोलन में डूब गया। भारतीय जनता भक्ति रस की माधुरी में आप्लावित हो रही है। सूफी भक्ति का भाव वस्तुतः प्रेम की व्यापक व्यंजना मात्र है। इसके साथ श्रद्धा का संयोग हो जाने से भक्ति भाव का उदय हुआ। सूफी कवि उसमान ने ठीक ही लिखा है –

''आदि प्रेम विधि ने उपराजा,
प्रेमहि लागि जगत सब साजा।
आपनि रूप देखि सुख पावा,
अपने हिए प्रेम उपजावा।।[8]

प्रेममार्गी कवियों ने परोक्ष सत्ता को प्रियतम मानकर प्रेम–भावना का वर्णनात्मक रूप प्रस्तुत किया हैं इन कवियों ने अपने प्रेम को कथानक का रूप दिया और प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मनुष्य को मानवता का पाठ सिखलाया। इन्होंने ईश्वरीय प्रेम, सौन्दर्य–शक्ति एवं वैभव का वर्णन करके यही बतलाया कि लौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम तक पहुँचाने का एक सोपान है। इसी का वर्णन करते हुए मझन लिखते हैं :–

''वोहि लागि दैअ सिष्टि उपराजी,
त्रिभुवन प्रेम दुदुंभी बाजी।।''[9]

प्रेममार्गीय कवियों ने अपने प्रेम का आलम्बन परोक्षसत्ता को मानते हुए उसे सर्वशक्तिमान, सर्वगुण सम्पन्न, सर्वज्ञ स्वयंभू आदि गुणों से विभूषित किया है। परमात्मा अलख, अरूप और अगोचर होते हुए भी संसार के समस्त दृश्य–अदृश्य पदार्थों में व्याप्त है :–

''है नहि कोई ताकर रूपा,
न ओहि सन कोई आहि अनूपा।
ना ओहि ठाउ न ओहि बिन ठाउ,
रूप देख बिन निरमल नाउ।।''10

प्रेममार्गी कवियों के आलम्बन का रूप अद्वैत है। शंकराचार्य का अद्वैत भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिक है, किन्तु इनकी दृष्टि में जगत परम सत्ता के प्रति बिम्बात्मक अभिव्यक्ति है। प्रेममार्गीयों ने अपने अद्वैतवाद का स्पष्टीकरण प्रतिबिम्बवाद के सहारे किया है। जगत ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब है। परोक्ष सत्ता अनन्त सौन्दर्यमयी है और सौन्दर्य की सार्थकता अभिव्यक्ति में है। यह विविध रूपात्मक जगत उसी परम सौन्दर्य की सार्थक अभिव्यक्ति है। प्रेममार्गियों को इसी अर्थ में अद्वैतवादी माना जा सकता है कि वे इस जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते। अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रेममार्गीयों का उपास्य पारमार्थिक परम तत्व है। इन कवियों ने पारमार्थिक दृष्टि से और साधनात्मक दृष्टि से विशिष्टाद्वैतवादियों के निकट है।

सारांशतः यह कह सकते हैं कि निर्गुण धारा के कवियों ने परम–प्रेम स्वरूप परम सत्ता ही प्रेम का विषयालम्बन है। जीवात्मा आवयालम्बन है, जो परमात्मा से बिछुड़ने के कारण सदा दुखी और उदास रहती है। दोनों ही धाराओं के कवियों ने अपने–अपने आधार पर प्रेम कोनिरूपित किया है, लेकिन उसकी सर्वमान्य व्याख्या नहीं कर पाये। प्रेम आदि और अनन्त है। प्रेम को जिसने जिस रूप में देखा उसकी व्याख्या भी उसी तरह की है। ईश्वर का कोई रूप अगर इस धरा पर विद्यमान है, तो वह प्रेम ही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. निकल्सन – मिस्ट्री ऑफ इस्लाम, पृ.–12
2. I. John – The Bible, Chap-4, Verse-8
3. संग्रहकर्ता – अयोध्या सिंह उपाध्याय, कबीर ग्रन्थावली, पृ.–103
4. नूर मोहम्मद – अनुराग बॉसुरी
5. आ. हजारी प्रसाद द्विवेदी – हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ.–46
6. दादू दयाल की वाणी – नेल वेडियर प्रेस प्रयाग, पं. 88
7. दादू–दयाल – दादू वाणी, भाग–2, पृ.–25
8. उसमान – चित्रावली, पृ.–13
9. मझन – मधुमालती, पृ.–04
10. जायसी – पद्मावत, पृ.–03

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th Jan 21 Paper Accepted : 2nd Feb 21

नगरीय परिवारों के उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

❑ स्मिता शर्मा*
❑ डॉ. (श्रीमती) मधुलिका श्रीवास्तव**

शोध सारांश

किसी सामाजिक शोध में सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि एक आवश्यक आधार तैयार करती है। शोध इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाएं, अभिवृत्ति, मूल्य तथा वैचारिक दृष्टिकोण उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती है। सामाजिक पृष्ठभूमि व्यक्ति जीवन के उन मूलभूत गुणों का समुच्चय है जो उसे सामाजिक सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित करता है। सामाजिक जीवन में सामाजिक प्रस्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है, व्यक्ति के सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन होने से उसकी भूमिका में परिवर्तन होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

मुख्य शब्द :– महिला, परिवार, भूमिका, सामाजिक संगठन, आर्थिक, वैचारिक इत्यादि।

परिचय :–

प्रस्तुत अध्ययन नगरीय समुदाय के परिवारों के बदलते स्वरूप पर आधारित है प्रत्येक समाज में परिवार की अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। यही व्यक्ति के व्यवहार, विचार, मूल्यों को निर्धारित करते है जो उस समाज के स्वरूप का निर्माण करता है। दुर्खीम (1962) एवं एण्डरसन ने भी अपने अध्ययनों मे स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का उसके मानवीय व्यवहार में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। कोई भी अध्ययन सामाजिक–सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहार के प्रतिमानों के संदर्भ में सही विश्लेषण तभी प्रस्तुत कर सकता है जब अध्ययन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के विषय में सामान्य जानकारी पूर्ण रूप से ज्ञात हो। अतः प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा परिवार के उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित विशेषताओं जैसे–आयु, लिंग, धर्म, शैक्षणिक स्थिति, जातीय प्रस्थिति, वैवाहिक प्रस्थिति, परिवार की स्वरूपगत स्थिति, परिवार की प्रति व्यक्ति आय, उनके आवासीय प्रतिमान की स्थिति, मासिक आय सम्बन्धी तथ्य एवं परिवार के मुख्य व्यवसाय सम्बन्धी आकड़ों का सारणियों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

* शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय , रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उत्तरदाताओं का वर्तमान आयु–

आयु का व्यक्ति के जैविक विशेषता संबंधी जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। यह व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिति को प्रकट करती है। व्यक्ति की उम्र तथा उसके अनुभवों से उसके सामाजिक–आर्थिक जीवन की स्थिति ज्ञात होती है। समाज में जिस आयु वर्ग की अधिकता होती है उसी आधार पर समाज की सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, परम्परा एवं मूल्य तथा उनमें नवीन परिवर्तन की प्रवृत्ति एवं विचारधारा प्रदर्शित होती है। बदलते परिवेश एवं नगरीकृत युग में युवा पीढ़ी के वर्चस्व को नकारा नही जा सकता है। अतः आयु को एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक के रूप में में देखा जाना चाहिए, जो समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति तथा भूमिका को परिभाषित करती है?

सारणी संख्या –1

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	आयु (वर्ष)	संख्या	प्रतिशत
01	40 तक	73	22.8
02	41 से 55	171	53.4
03	55 ज्यादा	76	23.8
योग –		320	100

उपर्युक्त सारणी संख्या–1 में आयु के आधार पर उत्तरदाताओं को तीन आयु–समूहों मे विभाजित किया गया है। जिससे यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि आधे से अधिक अर्थात 53.4 प्रतिशत उत्तरदाता 41 से 55 वर्ष के बीच के पाये गये है, जबकि 22.8 प्रतिशत उत्तरदाता 40 वर्ष तक के है तथा 23.8 प्रतिशत उत्तरदाता 55 वर्ष से ज्यादा के है। अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि प्रतिदर्शित आधे से अधिक व्यक्ति की आयु 41–55 वर्ष के पाये गये है जो मध्यम आयु समूह का प्रतिनिधित्व करता है। सांख्यिकी परिकलन के अनुसार कुल चयनित उत्तरदाताओं का औसत आयु मानक विचलन के साथ (48.69 ± 10.52) है।

उत्तरदाताओं की लिंग, धर्म एवं जाति वर्ग समूह के आधार पर स्थिति :–

लिंग– सामाजिक जनांकिकी में लिंग वर्ग का विशेष महत्व है। समाज में महिला एवं पुरुष में भिन्नता एक जैविक पक्ष तक सीमित नहीं बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तिगत निर्माण है। लिंग सम्बन्ध अर्थात स्त्रियों एवं पुरुषों की भूमिका सम्बन्धी विचारों में भिन्न संस्कृति के कारण समाज में अन्तर दिखाई पड़ता है। सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में लिंग की रचना और अभिव्यक्ति की जाती है। यह संस्कृति विचारधारा और तार्किक धारणाओं तक सीमित नहीं है। घर में लैंगिक भ्रम विभाजन से लेकर श्रम–बाजार तक, राज व्यवस्था में, कामवृत्ति भावना में, हिंसा की रचना में और सामाजिक संगठन के कई पक्षों में लैंगिक सम्बन्धों की रचना होती है। अध्ययन के दृष्टिकोण से लिंग सम्बन्धी आकड़े महत्वपूर्ण पक्ष रखते है। जिससे समाज में संतुलन की स्थिति एवं प्रस्थिति का पता चलता है।

सारणी संख्या–2

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष	179	55.9
2.	महिला	141	44.1
योग –		320	100

उपर्युक्त सारणी संख्या 2 में लिंग के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत किया गया हैं। लिंग के आधार पर अध्ययन की समस्त ईकाई में पुरुष एवं स्त्री को दर्शाया गया है। जिसमें 55.9 प्रतिशत पुरुष तथा 44.1 प्रतिशत महिलाएं है। धर्म– प्रत्येक समाज में सदस्यों के विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित व निर्देशित करने में अन्य संस्थाओं की तरह धर्म भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैक्सबेबर ने भारतीय समाज में धर्म की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक भारतीय का जीवन धर्म–प्रवण

था। अतः उसके समस्त कर्त्तत्य एवं कर्म, धर्म से ही उत्प्रेरित होकर गतिशील होते थे जो उसके परिवार और समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान करते है।'' धर्म व्यक्ति के सामाजिक–आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज की संस्कृति के मौलिक आधारों की संरचना धर्म पर आधारित होती है। दुर्खीम का कथन है कि 'चिन्तन के सभी प्रमुख वैचारिक रूप, कारण, शक्ति, समूह और काल आदि धर्म में उत्पन्न होते है, वे धार्मिक विचारों के उत्पाद होते है। अतः धर्म मानव का स्वभावगत गुण है जो भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है।

सारणी संख्या–3

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	350	95.3
2.	मुस्लिम	115	4.7
योग –		320	100

सारणी क्रमांक 3 में धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं के दो समूह बनाये गये है। जिनमें हिन्दू और मुस्लिम है। जिनमें अधिकांश हिन्दू धर्म मानने वाले है जिनका कुल प्रतिशत 95.3 है तथा मुस्लिम धर्म मानने वाले 4.7 प्रतिशत पाये है। अतः नगरीय क्षेत्र में हिन्दू धर्म मानने वाले अधिकतम है।

जाति– जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख संख्या के रूप में जानी जाती है। जाति एक आनुवांशिक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता अर्थात् सामाजिक प्रस्थिति बदलने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। जाति एक बंद प्रस्थिति समूह है क्रोबर के अनुसार–जाति एक एथनिक या सांस्कृतिक ईकाई का अन्तवैवाहिक और वंशानुक्रमण समूह है इसका ऊँचा या नीचा स्थान सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर निर्धारित किया जाता है।'' वही सामाजिक वर्ग, व्यक्ति की शैक्षणिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा प्रस्थिति में सापेक्ष रूप से समान होते है अर्थात इन्हे जीवन के एक समान अवसर प्राप्त है। जाति व्यवस्था हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में एक अलग प्रकार की विशेषता है। यह व्यक्ति और समूह दोनों की प्रस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करने वाली एक संस्था है। प्रस्तुत अध्ययन नगरीय समुदाय पर आधारित है जहाँ जाति संरचना जटिल और स्थिर होती है। अध्ययन ईकाई की जातिगत स्थिति अध्ययन के लिए आवश्यक तत्व है। जिससे उनकी जातीय प्रस्थिति ज्ञात होता है।

सारणी संख्या–4

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित /जनजाति	157	49.6
2.	पिछड़ा वर्ग	130	40.6
3.	सामान्य	33	10.3
योग –		320	100

सारणी क्रमांक 4 में जाति के आधार पर उत्तरदाताओं को तीन समूहों में विभाजित किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति है। सबसे ज्यादा उत्तर दाता अनुसूचित जाति/जनजाति के पाये गये जिनका प्रतिशत 49.1 है। 40.6 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है तथा सबसे कम सामान्य जाति के है जो 10.3 प्रतिशत ही है। अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि अध्ययन ईकाई के रूप में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्ति है तथा सबसे कम सामान्य जाति के व्यक्ति है।

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति एवं शैक्षिक स्तर :–

वैवाहिक स्थिति–परम्परागत रूप में विवाह को स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिनके संयोग को पति पत्नी के रूप में समाज द्वारा मान्यता दी गयी हो। इस व्यवस्था के

संतुलन के लिए दो सहयोगियों के बीच अनुकूलन की आवश्यकता होती है ताकि एक की भूमिका अदायगी दूसरे की भूमिका अपेक्षा से मेल खाती हो।

विवाह भिन्न – भिन्न समाजों में भिन्न – भिन्न प्रकार के पाये जाते है। अतः यह एक प्रकार की सांस्कृतिक संस्था है। भारतीय हिन्दू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार एवं जीवनभर का एक सामाजिक बन्धन है, जिन्हें हिन्दू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी भी स्थिती में तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। समाज में विवाहितों की अपनी एक अलग जिम्मेदारी होती है, साथ ही उन्हे समाज की विशेष अपेक्षाओं के संदर्भ कें कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार विवाह व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि तथा उसके सामाजिक दायित्वों के विस्तार का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत अध्ययन में परिवार का विस्तार विवाह के पश्चात ही घटित होता है विवाह एवं सामाजिक मान्यता के पश्चात परिवार जैसी समिति विकसित होती है। इस संदर्भ में जो प्राप्त आकड़े है। उसे सारणी द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या–5

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अविवाहित	05	01.6
2.	विवाहित	301	94.1
3.	तलाकशुदा	11	3.4
4.	विधवा	03	0.9
योग –		320	100

उपर्युक्त सारणी संख्या–5 में वैवाहिक स्थिति के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। आकड़ों से ज्ञात होता है कि आधे से अधिक प्रदर्शित उत्तरदाता विवाहित है जिनका प्रतिशत 94. 1 है, 1. 6 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है जबकि 3.4 प्रतिशत तलाकशुदा है, तथा 0.9 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा है। अतः हम कह सकते है अधिकांश व्यक्ति विवाहित है।

शैक्षणिक स्तर :–

आधुनिक विकासशील समाज में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बताया गया है। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित दिशा मे सोचने एवं समझने की समझ उत्पन्न होती है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान और दक्षता प्रदान करती है जो व्यक्ति को समाज में आदर्श रूप में कार्य करने योग्य बनाती हैं शिक्षा वैचारिक मान्यताओं से प्रेरित होती है जो समाज से ही ली जाती है किन्तु इसका कार्य सांस्कृतिक विरासत हस्तांतरण में और समाज के द्वारा धारित मूल्यों और आदर्शो को प्रोत्साहित करने तक ही समाप्त नहीं होता। वे समाज के अभिन्न और संवेदनशील अंग है। शिक्षा के समाज शास्त्र के अन्तगर्त प्रमुख रूप से समाज में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में अध्ययन किया जाता रहा है।पूंजी वादी समाज में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश हुए लुईस अल्थूजर कहते है कि शिक्षा के माध्यम से ही पूंजीवादी व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति का पुर्नत्पादन होता है, अर्थात् पूंजीवाद समाज में शिक्षा की भूमिका योग्य व अनुशासित श्रम शक्ति वर्ग के पुर्नत्पादन तक ही सीमित है। वही बोर्दियू का कहना है कि शैक्षणिक व्यवस्था की मुख्य भूमिका सांस्कृतिक व सामाजिक पुर्नत्पादन है दुरर्वीम के मत के विरोध में बोर्दियू कहते है कि शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण समाज की संस्कृति का अगली पीढ़ी को संचरण नही होता वरन समाज की 'प्रभुत्वशाली' वर्ग की संस्कृति ही शैक्षणिक के केन्द्र में रहती है और उसी का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जो उच्च जातियाँ शिक्षा को लेकर पहले से ही जागरूक थी उनमें शैक्षणिक स्तर का प्रतिशत अन्य जातियों की तुलना में उच्च है। नगरीय क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है। यहाँ व्यक्ति का शैक्षिक स्तर उतना नही होता जितना की शहरी व्यक्ति का। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन इकाई का शैक्षिक स्तर ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

सारणीसंख्या–6

शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	139	45.4
2.	प्रइमरी	191	28.4
3.	मिडिल	38	11.9
4.	हाई स्कूल	3	0.9
	इण्टर	34	10.6
	स्नातक	8	2.5
	परास्नातक	7	
योग –		320	100

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 6 में उत्तरदाताओं के शैक्षणिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलकर आता है कि 45.4 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है तथा 28.4 प्रतिशत उत्तरदाता केवल प्राइमरी स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त की है। 11. 9 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत क्रमशः मिडिल तथा हाईस्कूल तक के स्तर की शिक्षा ग्रहण की है। 10.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इण्टर के स्तर तक तथा 2. 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है केवल 2.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परास्नातक स्तर तक की उच्च शिक्षा ग्रहण की है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातर उत्तरदाता अशिक्षित है। तथा बहुत ही कम व्यक्ति है जिन्होंने उच्च शिक्षा के स्तर तक शिक्षा ग्रहण की है।

सारणी संख्या–7

उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर एवं उनके लिंग के मध्य वर्गीकरण

क्रमांक	उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर	लिंग					
		पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	74	41.3	65	46.1	139	43.4
2.	हाईस्कूल तक	72	40.2	60	42.6	132	41.2
3.	इण्टर या अधिक	33	18.4	16	11.3	49	15.3
योग –		320	100	320	100	320	100

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 7 से उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर एवं उनके लिंग के वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि 41.3 प्रतिशत पुरुषों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तथा 46.1 प्रतिशत महिलओं ने शिक्षा ग्रहण नही की अर्थात वे अशिक्षित है। 40.2 प्रतिशत पुरुषो ने तथा 42.6 प्रतिशत महिलाओं ने हाईस्कूल के स्तर तक शिक्षा ग्रहण की है तथा 18.4 प्रतिशत पुरुषों ने तथा 11.3 प्रतिशत महिलाओं ने उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण की है। काई स्क्वायर (ग2) प्रीक्षण इस तथ्य को सत्यापित करता है कि उत्तरदाताओं के मध्य सांख्यिकीय परीक्षण में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया हैं–

सारणीसंख्या– 8

शैक्षणिक स्तर का जाति समूह के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	शैक्षणि स्तर	जाति समूह							
		अनुसूचित जाति / जनजाति		पिछड़ी जाति		सामान्य व उच्च जाति		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षि	100	63.7	32	24.6	7	21.2	139	43.4
2	हाईस्कूल तक	57	36.3	75	57.7	0	0	132	41.2
3	इण्टर या अधिक	0	0	23	17.7	26	78.8	49	15.3
योग –		**157**	**100**	**130**	**100**	**33**	**100**	**320**	**100**

जाति समूह के आधार पर उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर के वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि सामान्य व उच्च जाति के 78.8 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण किये तथा 21.2 प्रतिशत उच्च जाति के व्यक्ति अशिक्षित है। 63.7 प्रतिशत के अनुसूचित जाति/जनजाति के तथा 24.6 प्रतिशत पिछड़ी जाति के व्यक्ति अशिक्षित है। 36.3 प्रतिशत तथा 57.7 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के उत्तरदाताएं हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण किए है। ग2 परीक्षण इस तथ्य को सत्यापित करता है कि उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर जाति समूहानुसार के प्रतिशतता में सार्थक अन्तर को दर्शाते है।अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि उच्च व सामान्य जातियों में शिक्षा का स्तर अन्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अपेक्षा उच्च है।

86 उत्तरदाताओं के परिवारिक पृष्ठभूमि –परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक परिघटना है। परिवार सभी समाजिक समूहों में सार्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक समूह है। जैविक दृष्ठि से परिवार में स्त्री को यौन सम्बन्ध एवं सन्तान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृत प्राप्त होती है। मैकाइवर व पेज के अनुसार समाज में परिवार ही महत्वपूर्ण समूह है जो संस्कृति के सभी स्तरों पर किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अवश्य पाया जाता है।5 कर्वे ने भी बताया है कि भरतीय परिवार में संयुक्तता की प्रकृति का गुण है। अन्य विद्वानों ने भी परिवार रूपी संस्था के महत्व को स्वीकार किया है अर्थात यह सभी समाजों में पाया जाता है। वर्तमान समय में परिवार में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है, जो परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण, मूल्यो, विचारों इत्यादि में अनेकानेक परिवर्तन को जन्म दे रहे हे। परिवार के आपसी सम्बन्धों में एक प्रकार की उदासीनता और अलगाव की भावना आदिभी पायी जाती है। पारिवारिक क्रिया कलापों में असंतुलन की स्थिति ही परिवार को विघटन की अवस्था पर पहुँचाती है। प्रस्तुत अध्ययन परिवार के स्वरूप में होने वाले बदलाव को दर्शाते का प्रयास किया गया है, जिसके अन्तगर्त परिवार के मूल स्वरूप की स्थिति प्रस्तुत की गयी है।

सारणी संख्या–9

उत्तरदाताओंका परिवार के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

क्रमांक	परिवार	संख्या	प्रतिशत
1	एकाकी	55	17.5
2	सयुक्त	265	82.5
योग –		320	100

सारणी संख्या–9 तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लगभग आधे से अधिक उत्तरदाताओं की परिवारिक संरचना का स्वरूप संयुक्त है जिसका प्रतिशत 82.8 है। जबकि 17.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप एकाकी पाया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की ही बहुलता है।

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला परिवार में सामाजिक तौर से विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि महिला परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना परिवार का किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं हो सकती चाहे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक व समाज में होने वाली प्रत्येक गतिविधि में वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

संदर्भ स्रोत :–

1. Oplor, M.E. and Singh, Rudradutta, Economic Political Social Change in a Village of North Central India, Human. Organization.
2. रावत, हरिकृष्ण, उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन, जयपुर,2011
3. अहूजा, राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2011.
4. Harlambos, M. and Heald, R.M., Sociology: Theams and Perpoctive, Oxford University Press, New Delhi, 1997.
5. Maciver R.M. and Page C.H., Society : An Introductory Analysis, Macmillan & Co. Ltd, London, 1962.
6. अहुजा, राम, और अहूजा, मुकेश, समाजशास्त्र : विवेचना एवं परिप्रेक्ष्य,रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2013

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 12th Jan 21 Paper Accepted : 6th Feb 21

Arjun Singh's Joining, Expulsion and Rejoining in Congress Party

❒ Krishna Bhushan Mishra*

ABSTRACT

It is well known fact the father of Kunwar Arjun Singh named Rao Shiv Bahadur Singh had been an active member of Congress Party when India became independent. At the regime of Pt. Jawahar Lal Nehru he was charged for taking bribe and resultantly his ticket from Congress Party was also withdrawn. Pt. Nehru himself announced the withdrawal of ticket from the stage in Rewa. After that incident Arjun Singh had an idea of indifference for the Congress Party. If this indifference was not hatred even then it was not a supporting idea for the Congress Party.

Arjun Singh contested as an independent candidate from Majhauli seat of district Sidhi. Gradually, ice of indiffence started melting and Arjun Singh also began to become pro-Nehru. He decided to join Congress party but the episode of his father's punishment always created hindrance on his way. A dramatic pot construction can be experienced in Arjun Singh's joining, expulsion and rejoining in the Congress party.

Keyword : Independent, Perpetual dilemma, Embodiment of all, Titanic conflict, Tragedy of partition, Vigour and determination, Unpardonable crime, Political equation, Tryst with Destiny, Poverty and ignorance, Leadership.

INTRODUCTION:-

Arjun Singh decided to join Congress party but dry welcome or refusal of his suggestions by the Congress men caused a dilemma into the mind and heart of author. Nobody was there in M.P. on whom Arjun Singh could rely on this matter. Most of the state Congress Party members were looking towards Arjun Singh with doubt. He was suffering from desperate state of mind. Finally he decided to write and send a letter of P.M. Nehru. Author was not quite sure whether Pt. Nehru would read the letter or not. On 8th March 1960 Arjun Singh sent that letter to P.M. and after certain days he got a reply from P.M. Both the letters deserve to be quoted and shown here.

Letter from Arjun Singh to J. L. Nehru.

"To,

Hon'ble Shri Jawaharlal Nehru
Prime Minister of India
New Delhi

Respected Sir,

This letter would obviously come as a surprise to you. Not that you do not receive innumerable letters from thousands of people, who even though have not met you, see in you the embodiment of all that is worth striving for in this country, but because of the contents of the same. I know I am being a little impetuous in asking you to waste a few minutes of

* Research scholar (English), Awadhesh Pratap Singh University Rewa (M.P.)

your precious time in going through these lines but I am penning the same in the forlorn hope that you shall bear with me for a short time.

Before I proceed further let me introduce myself. I am a resident of District Sidhi in the Rewa Division of Madhya Pradesh, and am the second son of Rao Shiv Bahadur Singh of Churhat. This name would readily come to your mind if I were to point out that he is the same person who, as erstwhile Minister in former Vindhya Pradesh, was arrested and sentenced for an offence of bribery. This is rather an unusual way of introducing oneself but I chose to do it nonetheless because I wish to come before you as I am, without hiding anything and a clear conscience. At the moment I am a member of the [Madhya Pradesh] Vidhan Sabha and leader of the Independent Group therein. I had the privilege of meeting you once last summer on 13 June at Kathmandu.

To put everything in ... proper perspective, I shall have to take you back to 1942, a fateful year in India's history and no less for me. I was just 12 years old and had just begun to understand the stakes involved in the titanic conflict between the British Raj and the Indian National Congress. Even though I was a member of the premier landlord family of the then Rewa State and my father was in the very good books of the British government, I was strongly attracted towards the national movement and you symbolized it as no one (else) could for the youth. This was a novel experience for millions of young men throughout the country who came under the same spell, and yet there was a difference. To the other many fortunate young men was given the freedom to act and suffer for the country; whereas for me, it was to be but a desire. Held back strongly by the paternal leash, I could not muster enough courage to break away finally even while every fibre of my being vibrated in sympathy with the national cause. It was a tremendous strain for an immature mind to bear, and hardly a week after the wholesale arrests of the leaders in August [1942] and the outbursts in the country, I caved in and had a nervous breakdown.

For six months I suffered, hanging precariously by a thread at the abyss of insanity. Even though I was denied the ... pleasures and privation of prison, I went through something worse, conjuring up in my hallucinations all the tortures of a penitent mind, and my soul was singed in the process. For hours together I used to roam the rooms of our house shouting 'Inquilab Zindabad', a heresy in the premises and then again lapse into days of melancholy [and] brooding.... Only a determined effort to get out of the rut and be of some service to the country saved me.

Then followed years of painstaking study even while I avidly followed the last scene of the drama of our struggle for liberty. With the approaching dawn of freedom and the impending tragedy of partition, a queer sense of exhilaration mingled with foreboding swept the country. At last ... at midnight on 14 August 1947, from the galleries of the Constituent Assembly with my heart in my throat, I watched the most solemn act of centuries being enacted as you, in a voice surcharged with the pent-up emotions of decades of turmoil and travail, guided Mother India to her "Tryst with Destiny". It was at that solemn hour that I dedicated my life to the country under your leadership. I could hardly guess at that time, that the ten years that were to elapse before I took the first step to enter public life would take me through the penitent depths of despair and disillusionment to land me a little away from you.

My father had by then joined the Congress and became a Minister in the first popular cabinet of Vindhya Pradesh under Captain Awadhesh Pratap Singh in August 1948. I was supremely happy to see my family associated actively with a party and leader who had won my loyalty long ago. In spite of all my differences in outlook, 1 loved my father dearly and admired him for his sense of honour and rectitude and, therefore, his joining the Congress reconciled all the heartbreaks of the past and I got busy with the final phase of my studies with renewed vigour and determination.

This period of youthful gaiety and faith was… Short-lived and an event of unparalleled infamy in the whole four centuries of our family history was to shatter everything. On 12 April 1949, the morning newspapers brought me the news at Allahabad where I was studying in the university. For a few stunned moments, I could hardly believe my eyes, for there splashed in banner headlines across the Leader was the news of my father's arrest the previous evening

at Delhi while accepting a bribe of Rs 25,000/-. My mind gave me no peace and I caught the plane the same evening for Delhi. Only a few hours in Delhi completely disillusioned me for I came to learn that all that I read in the papers was true. An idol inside me broke and a hard core of cynicism seemed to enter my soul. It is a feeling I cannot properly describe and every conscientious son has to experience it to know.

This was to be the beginning of a tragic family drama which lasted eight long years, till 1957, when my father was ultimately released from prison. In those eight years I lived through a perpetual dilemma, where my instinctive filial sentiment ranged me behind my father and yet my conscience said otherwise. All efforts notwithstanding, the Supreme Court finally sentenced him to three years imprisonment in April 1954 and the curtain was rung down on one of the celebrated legal cases of the times with all its ramifications. For me it was an experience of a lifetime.

It was perhaps on 2 May 1954 that I drove my father to jail. The memory of that day shall ever rankle in my mind. As the wrought iron gates of the Rewa Central Jail clanged shut and cut off father's last despairing look over his shoulders, a sudden onrush of tears filled my eyes, but refused to flow down, lest the world see them and pity me. I stood there forlorn and weary, crushed by the present and apprehensive of the future. Even as I fought back my tears, a firm resolve crystallized in my mind to enter public life and serve the country so as to wipe out the infamy on our name, and thereby take my revenge, not against the puny men and circumstances that had been instrumental in our degradation, but against fate itself. The next two years were the most harrowing years of my life .... In that twilight of our fortunes and honour, 1 knocked on many doors, some hospitable and some hostile; some eager to help out... and others barely condescending, and in that search for succour, my weary feet took me twice to your gates at Delhi but somehow I could not enter...

All these incidents became unpleasant memories and sources of experience. With the approach of the second general elections in 1957, I saw my first chance to seek the people's confidence in me, even though accordingly to the normal standards. I had practically every political dice loaded against me. Our family's conflict with the peasantry and the recent political scandal were all there to deter me, and above all was the fact that ... my father had been defeated in the last election. No wonder then that even the best of my well-wishers had only sound advice against my candidature to give me. All this, however, only added zest to the fight and I entered the arena with faith and humility. For four months I went from village to village meeting people, promising them nothing but my dedication to their cause and an abiding faith in the establishment of a socialist order of society. Dr Sushila Nayar visited Rewa during this period and called [on] me to offer the Congress ticket, but though I had an inspiring few minutes with her, I could not accept her offer even though I had full belief in the principles and policies of the Congress, for I wanted the electorate to express their confidence personally in me By God's grace I was elected by a comfortable majority in a district in which all the other seats went to socialists not only in the 1957 elections but also in the 1952 elections.

With renewed faith I came to the Vidhan Sabha at Bhopal and as an independent tried to learn the subtleties of parliamentary government and whatever I have been able to grasp is in no small measure due to the kindness and interest of the respected Dr. Katju. As already pointed out, my loyalties had long been won by you and I was all the time trying to achieve my lifelong ambition to serve the country, under your inspiring leadership. The efforts made in this behalf were even welcomed and encouraged by the powers that be in the Congress organization and government in our state, and I was looking forward to formally joining the Congress in a couple of months. But ... an incident that took place a few days ago seems to have changed everything and now I see only frowns around me.

While taking part in the Budget debate, I made a suggestion in the light of your remarks some time ago, that it would be good if legislators and ministers voluntarily disclosed their assets once a year so that any misgiving of the people may be removed. Following up my own suggestion, the very next day I sent a list of my family's assets to the hon'ble speaker of the Vidhan Sabha, and thereby seemed to

have brought a storm over my head, as if I had committed some unpardonable crime. You will realize, Sir, that I acted in my sincere belief and also because I have had first-hand knowledge of the depredations of political corruption and its baneful effects. I do not regret what I have done and would gladly suffer all inconvenience and hardships that it would entail, but what rankles me is that perhaps because of it, I may be deprived once again of the chance to fight under your leadership in the battle for the country's prosperity. It was because of this stake that I took the liberty of addressing this rather long emotional monologue [to you] so as to acquaint you with the problems of a forgotten soldier of your army, knowing well that in your busy preoccupations you hardly get time to wipe an individual's tears.

Many people come to you, Sir, as the Prime Minister of India to seek favours and rewards, but I wish to approach you not as the Prime Minister of India but as Jawaharlal Nehru, the symbol of a nation's determination to break the bonds of poverty and ignorance, and I seek no favour or reward, but merely an opportunity to enjoy the thrills and privation of fighting under your inspiring leadership. The only favour that I ask for is a few minutes for a personal meeting with you so as to gain inspiration and faith for the future.

I shall be looking forward to your acknowledgement with bated breath for it will make or mar my future.

I am,
Yours Sincerely,
Arjun Singh

Post - Churhat
Rewa Division
Madhya Pradesh

The reply of Pandit Nehru was as follows:

Prime Minister's House
New Delhi
No. 562 PMH/60
10 March 1960

Dear Arjun Singh,

I have received your letter of the 8" March and have read it fully. I am glad you Wrote to me at some length as your letter gives me some idea of your thinking

You can certainly see me if you come to Delhi. I am normally rather heavily occupied, but if I am in Delhi, I shall try to find time for you.

Yours sincerely,
Jawaharlal Nehru"[1]

After receiving reply of Pt. J.L. Nehru author got confirmation of his appointment with P.M. for 20 March 1960. Author's wife was also willing to see Pt. Nehru therefore he and his wife reached Delhi on 19 March they stayed at the Western Court on Janpath Arjun Singh and his wife reached P.M's residence that was called Teen Murti Bhawan- before 10 minutes as scheduled time was there 11a.m. Author has told that in the residence of P.M. Nehru there was no pomp and show. Author and his wife were asked to wait a while. It was an astonishing experience for the author that exactly at 11 o'clock they saw Pt. Nehru at the door waiting for them. It was a usual courtesy of Pt. Nehru for all.

Arjun Singh and his wife followed Pt. Nehru into a room where he introduced his wife to P.M. Author has given an interesting incident in his autobiography *A Grain of Sand in the Hourglass of Time* that his wife Smt. Saroj Singh had made an unwilling and hasty comment while their meeting with Pt. Nehru that had made the author uneasy for a while.

"I introduced my wife to him, who, before I could say anything further intervened and told him that she had not come to ask for anything from him. 1 noticed a slight shadow coming over the face of Pandit Nehru, which to me signified that he did not very much appreciate this comment, but within seconds, the shadow passed and he took hold of my wife's arm and asked her to come and sit by his side on the sofa. We were so overwhelmed by the moment and his behaviour that, for a couple of minutes total silence reigned."[2]

That meeting of author with P.M. J L Nehru proved to be very fruitful for him. Pt. Nehru told Arjun Singh that he had read his letter properly and understood the realities of all the past events and all those circumstance under which the author had to write that of letter. Pt. Nehru made understand Arjan Singh to leave the past and to go ahead for the sake of the development Country. Pt. Nehru convinced the

author to join Congress party and to do his best for the country. He assured Arjun Singh that he would talk to then M. P. Chief Minister Dr. Kailash Nath Katju so that his entry into Congress might be made sure.

Arjun Singh has given many reasons and responsible factors of his expulsion from the congress party. In chapter 37 of his biography he has told that in the beginning of 1995 entire country was facing crisis on crisis and ordinary members of congress party were quite dissatisfied and agitated. Author get message from the different parts of the country to take a stand against these follies of the parts and to save congress party. Arjun Singh not want to resign from the congress party himself but P.V. Narsimha Rao anyhow wanted him to quit. Author got a suspension notice through a general secretary of AICC named Janardhna Pojari. By sending notice the Prime minister expected that it would be sufficient to kick the author out of the party but Arjun Singh was adamant to stay inside the party.

After certain days author's matter was sent to the 'Disciplinary Action committee of all India congress committee. A former chief minister of Andhra Pradesh whose name was K. Vijaya Bhaskar Reddy was heading that disciplinary committee. It was evident that all these actions were merely the formalities whereas the real motif of P.V. Narsimha Rao was to expee author from the party. These would have been perhaps an impression that all the problems of the party would be solved after Arjun Singh's expulsion. Author has said that it was a misconception of Prime – minister P.V Narsimha Rao because later widespread dissatisfaction came to light as many congress men did not like the manner of the party in which the affairs were being handled. Author was issued a charge sheet on 27th January 1995 by the 'Disciplinary Action committee to which author called a bundle of false alligations. Arjun Singh replied that letter of charge sheet through his letter dated on 6th February 1995 discarding all the charges.

It was already expected by the author that his reply would not make any positive effect on Disciplinary Action committee On 7th February 1995 Arjun Singh was informed through a letter sent by Janardhan Pojari that party had suspended him from the primary membership for his indulgence in anti-party activities. Not only so rather author had later been accused of accepting money from a group of stockbrokers known as Jain brothers. He himself wrote about it:

"After my expulsion from the Congress Party, as soon as I entered my house at New Delhi on my return from a tour (on 7 February), a police officer from the Central Bureau of Investigation informed me that a complaint had been filed in the court charging me of accepting money from the Jain brothers S. K. Jain, N. K. Jain, B. R. Jain and J. K. Jain, who were stockbrokers as 'illegal gratification I was naturally taken aback because I had never accepted money from anyone. I could discern the design of the prime minister in getting me enmeshed in such a case in order to finish my political career. But I decided to not take things lying down. I took up the challenge to clear my name and, for more than two years, fought a case in a Delhi court. Ultimately, the judge, V. B. Gupta, acquitted me and the other accused in what came to be called the 'hawala case. In the concluding paragraph of the order, which was pronounced on 28 May 1997, the judge observed:

Hence after going through the entire material on record, i.e., charge sheet, statements of witnesses recorded U/s 161 CrPC Criminal Procedure Code and the documents produced along with the charge sheet and after hearing counsel for all the parties. prima facie I find that there is no evidence against any of the accused persons in all the abovementioned cases which can he converted into legal evidence as per decision of our own (Delhi] High Court in the L K Advani case and as such there is no material on record for framing charges against any of the accused persons in all these four cases, namely S/Shri Madhavrao Scindia fa former Union minister). Arjun Singh. N. D. Tiwari, R K Dhawan who was once a confidant of Indira Gandhi). S K. Jain. N. K lain, B. R. Jain and 1. K. Jain. Under these circumstances, all the abovementioned accused are hereby discharged. The surety and bail bonds stand cancelled. All these files Should] be consigned to The Record Room. Copy of this order should be placed in each connected file."[3]

After his expulsion author had to face his real battle against his opponents. He did not want to vow-

down rather he decided to take this matter to the common people of the country. In his mission, author got. the support and solidarity of Narayan Dutt Tiwari and some other senior leaders of the congress party. Narayan Dutt Tiwari was a former chief minister of Uttar Pradesh. Other leaders like M.L. Fotedar, Mohsina Kidwai, Natwar Singh and Sheila Dikshit and others also supported the Stand of Arjun Singh In a meeting of these leaders, It was decided that they would prepare a separate party by the name of Indira Congress and those congress men would be invited to Join it who did not like the Policies and leadership of P.V. Narsimha Rao. On 19th of May 1995, a convention was held at Talkatora Stadium in New – Delhi and all the dissatisfied leaders of the congress party assembled there.

They all attacked on the incapability and failure of P.V. Narsimha Rao Govt to prevent the demolition of Babri Mosque. Author made a long speech and alleged the government for mortgaging economic and political sovereignty of the country. Arjun Singh criticized P.V. Narsimha Rao that he had compromised against the principles of J.L. Nehru regarding Non-alignment in international affairs. Many people attended the convention and a resolution was passed that was supported by all. Sonia Gandhi tried to maintain internal unity of the party but there appeared a chasm and it became almost impossible to stop it. Author himself was not very happy that he party which he joined with full heart in 1960s, now it was going to be divided Arjun Singh and others found no other option but to form a new party that was given the name All India Indira Congress (Tiwari) In his autobiography *A Grain of Sand in the Hourglass of Time* Arjun Singh told about the formation and development of his newly formed party.

"We soon set up an office 21 Janpath, New Delhi, and acquired all the paraphernalia, required for it. Surprisingly, we even received donations from various people who turned out to be well-wishers of the new party. When the time came for the party to be registered with the Election Commission, it was found necessary to slightly change the nomenclature to avoid confusion. Consequently, the new party was named the All India Indira Congress (Tiwari)."[4]

CONCLUSION:-

In 1997 Arjun Singh and all the other leaders who had left congress party rejoined the party as Sonia Gandhi had blessed them all. It is a noteworthy point here that Arjun Singh had made a prophecy in February 1995 that he would again join the party within two years and finally his forecast became true. Some new political development took place during those years which author has recorded in his autobiography as:

"Some months after our re-entry into the Congress, an entirely new political equation developed within the party. The tenuous hold of Sitaram Kesri on the organization became obvious. The Jain Commission (headed by Milap Chand Jain, a former chief justice of the Rajasthan High Court) had by this time (November 1997) submitted its report. In this report, the DMK (Dravida Munnetra Kazhagam, a Tamil Nadu-based party), whose ministers were part of the Gujral Government, was blamed for supporting the assassins of Rajiv Gandhi. Obviously, such a serious indictment could not be taken with equanimity by the Congress Party. The party president, Sitaram Kesri, demanded that the DMK ministers in the Gujral cabinet step down till their names were cleared. The prime minister resisted this demand and refused to drop the ministers concerned. Differences on this account intensified and, ultimately, the Congress withdrew support to the Gujral Government, which resulted in the prime minister resigning on 28 November 1997. (Gujral continued as caretaker prime minister.) The president dissolved the Lok Sabha and called for fresh elections, which were scheduled for early 1998."[5]

References:

1. Singh, Arjun. *A Grain of Sand in the Hourglass Time*. Hay House India, 2012, p.58.
2. Ibid, pp.68-69.
3. Ibid, pp. 347-348.
4. Ibid, p.353.
5. Ibid.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 12th Jan 21 Paper Accepted : 5th Feb 21

संस्कृति एवं समाज की अवधारणा

❑ सतीश कुमार त्रिपाठी*
❑ डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी**

शोध सारांश

समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना अतिशयोक्ति है परन्तु यह सत्य है कि मनुष्य जिस समय इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ समाज को अपने साथ लेकर उत्पन्न हुआ होगा, भले ही मनुष्य समाज के बारे में अनभिज्ञ था। पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही मानव समाज की आवश्यकताएँ अनुभव के अनुसार सर्वप्रथम आवश्यकता भौतिक (Meterial) रही होगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मनुष्य प्रकृति (Nature) को बनाया होगा उस समय मनुष्य की भौतिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और निवास की थी। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् मानव सामाजिक (Social) आवश्यकताओं के विषय में सोचा होगा। भोजन वस्त्र और निवास मानव जीवन के आत्म निर्भर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह समझते हुए उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर विचार करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द :– संस्कृत, समाज, विकास, समस्या, प्रकृति, शक्तियों, चिन्तन आदि।

प्रस्तावना :–

समाज की व्यवस्था क्या हो और सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जाय इस विषय पर चिन्तन करना प्रारम्भ किया होगा। वह चूँकि प्राकृतिक शक्तियों से घिरा था इसलिये वे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया और प्राकृतिक शक्तियों की सन्तुष्टि के पश्चात् धर्म और जादू का विकास किया होगा। इन्हीं सामाजिक समस्याओं और समाज की व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए मानव समाजशास्त्र की खोज की जा सकती है।

आदिकाल सामाजिक चिन्तन (Earliest social Thought) का समाजशास्त्र के उद्‌भव और विकास में कम योगदान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य की जिज्ञासा (Curiosity) मानव समाज की मूल प्रवृत्ति थी। आदिकालीन स्त्री–पुरुष को भी प्रत्येक वस्तु के विषय में जानने की उत्सुकता रही होगी।

मनुष्य ने यह विचार किया होगा कि (संसार क्या है) जीवन क्या है, मनुष्य–मनुष्य का आपस का सम्बन्ध क्या होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों पर आदि कालीन मानव ने विचार किया होगा। आदिकालीन चिन्तन का आधार लोकवार्ता है लोकवार्ता का तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित गीत कथाएँ और वार्ताएँ है। इस प्रकार की लोकवार्ताएँ विश्व के प्रत्येक स्थानों में अन्वेषण (खोज) की जा सकती है जिनका समाज

* शोधार्थी, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, शासकीय महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
** शोध–निर्देशक, प्राध्यापक –संस्कृत, सेवानिवृत्ति, शासकीय महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

शास्त्र के विकास में अत्यधिक महत्व है उसे किसी भी रूप में कम नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को तीन शीर्षकों के अन्तर्गत स्थापित कर समझने का प्रयास किया गया है।

विकास की प्रथम अवस्था :

लेखक का समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के विषय में समाजशास्त्रीयों का मत यह है कि समाजशास्त्र योरोप में पैदा हुआ। इससे सन्तुष्ट नहीं है उनका कहना यह है कि सर्वप्रथम हमें विकास और उत्पत्ति के विषय में जानना अति आवश्यक है फिर समाजशास्त्र शब्द के विषय में।

मानव के साथ ही समाज का जन्म हुआ और समाज की रचना तथा व्यवस्था में समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों की व्याख्या हुई। भारतीय संस्कृति के आधार वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र महाकाव्य और स्मृतियाँ विश्व के आदि ग्रन्थ है तथा इनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भारतीय मनीषियों को समाजशास्त्र के बारे में पूरा ज्ञान था।

वस्तुतः समाजशास्त्र की जड़े हमारे देश भारत में सांस्कृतिक ग्रन्थों में काफी विस्तार से फैली है। अतः समाजशास्त्र की उत्पत्ति का अध्ययन भारत से प्रारम्भ हुआ। भारतीय समाजशास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि समाज का ढाँचा व्यक्ति और समूह के सहयोग पर ही निर्भर है। पाचात्य संस्कृति में व्यक्ति और समूह को एक दूसरे से अलग किया है किन्तु वैदिक ऋचाएँ इस बात को नहीं मानती है कि व्यक्ति और समूह दोनों पृथक है। वे दोनों एक है।

भारतीय समाज का ढाँचा सहयोग और पारस्परिक सहायता पर आधारित है। इस प्रकार देखा जाय भारतीय संस्कृति मत्स्य–नीति (Logic of fish) या आधुनिक शब्दों में अस्तित्व के लिए संपूर्ण और अयोग्य तक जीत की उपेक्षा का दृष्टि से देखती है।

हमारे भारतीय सामाजिक संगठन में समूहों के समाजशास्त्र की विवचेना वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्णित किया गया है। सामाजिक एकीकरण या समन्वय का सिद्धान्त वैदिक संहिताओं की देन है।

वैदिक ऋषियों का मानना है कि समाज को नष्ट होने से बचाने का सबसे अच्छा साधन व्यक्तियों को कार्यों का आधार पर समूहों में विभाजित करना है। इस विभाजन का पहला वर्ग ब्राह्मण जो शिक्षण (Teacher) और गुरू होते थे इनका कार्य अध्ययन और अध्यापन था दूसरा समूह क्षत्रियों का था जो कर्त्तव्य परायण व्यक्ति होता था जो समाज की रक्षा के लिए होता था तीसरा वर्ग वैश्यों का होता था जो समाज की अर्थ व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन का कार्य करते थे। चौथा वर्ग शूद्रों का होता था जिनका कार्य समाज की सेवा करना था।

इस प्रकार देखा जाय सामाजिक शान्ति और सुव्यवस्था के लिए समाज का वर्गीकरण करना अति आवश्यक था।

भारतीय समाजशास्त्रीयों द्वारा मनुष्य को चार वर्गों में विभाजित करने का आधार मनोवैज्ञानिक, नैतिक प्राणिशास्त्रीय और आर्थिक क्रिया कलापों से सम्बन्धित था। समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते है बुद्धिमान कार्यकुशल, लालची आदि ये सभी मिलकर सम्पूर्णतया का निर्माण करते हैं। मानव जीवन को समाजशास्त्रियों में विभाजित किया है मनुष्य का पूरा जीवन निम्न चार बिन्दुओं से गुजरता है। जिसका पहला पड़ाव ब्रह्मार्यावस्था, का है जिसका आधार शिक्षा है इस अवस्था में ब्रह्मचारी अध्ययन स्वतः नियंत्रण साधारण जीवन और गुरू सेवा के द्वारा चार क्रियाकलापों को पूर्ण करता है तथा चार संकाओं का विकास करता है मानसिक शारीरिक भावनात्मक और आत्मिक। जीवन यात्रा का दूसरा पड़ाव गृहस्थ आश्रम है इसमें समाज के विकास के लिए विवाह गृहनिर्माण और सन्तान उत्पत्ति तक जीवन के पूर्ण होना बताया है।

इस प्रकार इस आश्रम से यह ज्ञात होता है कि इस आश्रम में विवाह के पश्चात् मनुष्य सन्तानोत्पत्ति करके अपने वंश को आगे बढ़ाता है तथा इस प्रकार परिवार प्रजाति कीरक्षा करता है और इससे एक सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानान्तरित करना है इस प्रकार इस आश्रम से यह ज्ञात होता हैं कि इस आश्रम में विवाह के पश्चात् मनुष्य सन्तानोत्पन्न करके अपने वंश को आगे बढ़ाना है तथा इस प्रकार विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानान्तरित करता मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक और आश्रम व्यवस्था का निर्माण

किया गया जो तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जहाँ मनुष्य अपने परिवार का त्याग करके तथा अपना सम्बन्ध ग्राम या समुदाय से ऊपर जाकर विश्व कल्याण की भावना को अग्रेषित करता है। अन्तिम पड़ाव चौथा आश्रम का आता है जिसे सन्यास आश्रम के नास से जाना जाता है। इस प्रकार इस आश्रम से विश्व का कल्याण होता है। अतः समाज के उद्भव एवं विकास में शास्त्रियों का दृष्टिकोण व्यक्ति कल्याण से विश्व कल्याण में परिणित हो जाता है।

समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में प्राचीन स्मृतियों का भी विशेष योगदान रहा है मनुस्मृति एक मानव धर्मशास्त्र का अर्थ मानव धर्म के अध्ययन से माना गया है यहाँ संक्षेप में यह कहें कि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था से अलग हटकर जाना एक अपराध करना है तथा अपराध शास्त्र को चुनौती देना है।

विकास की दूसरी अवस्था :

समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की दूसरी कड़ी यूनानी समाजशास्त्रियों ने आरम्भ किया है सुकरात अज्ञेयवादी था परन्तु अज्ञेयवाद को ही पर्याप्त नहीं। जिनमें सुकरत, हेडिपस, एनैक्समैण्डर, थियोग्निस, प्लेटो, अरस्तु प्रमुख है। जैसे आत्मान् विजिज्ञासस्व अर्थात् अपने आप को जानो, सुकरात भी इसी सिद्धान्त पर विश्वास किया था।

यूनान के समाजशास्त्रियों में प्लेटों का नाम सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है। प्लेटों ने ग्रन्थों में रिपब्लिक का अद्वितीय स्थान है। जिसमें मानव जीवन को अच्छे ढंग से बिताने के बारे में वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना में मूल समस्या मानव किस प्रकार श्रेष्ठ जीवन बिताये। इसी ग्रन्थ में प्लेटों ने कम्यूनिटी शब्द का प्रयोग किया था। कम्यूनिटी का अर्थ है समुदाय। इस प्रकार नगर राज्यों की व्यवस्था समाज का वर्गीकरण शिक्षा आदि की व्याख्या करके प्लेटों ने सर्वप्रथम समाज की भूमिका तैयार की थी।

प्लेटों के पश्चात् अरस्तु यूनान का प्रमुख सामाजिक विचारक था। इन्होंने राज्य समाज शिक्षा, क्रान्ति शासन इत्यादि पर विद्वतापूर्वक संघर्ष करते हुए विवेचन किया है इनका कहना है राज्य के ऐतिहासिक विकास से परिवार का जन्म होता है जिसका स्थान मौलिक है व्यक्ति एक साथी की आवश्यकता का अनुभव करता और जिससे परिवार का जन्म होता है। परिवार मिलकर ग्राम समुदाय का निर्माण करते हैं और अनेक ग्राम समुदायों के योग से राज्य का जन्म होता है।

सबकों विदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सामाजिक नहीं वह मनुष्य नहीं है वह या वो भगवान् है या फिर पशु है। अरस्तु के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे समाज पर आश्रित रहना ही होगा। तभी उसकी सामाजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था में समाजशास्त्रियों ने अपेन विचार को व्यक्त कर समाज को अत्याधिक ऊँचाई पर ले जाने का विशेष योगदान दिया है।

विकास की तीसरी अवस्था :

समाजशास्त्र को उद्भव और विकास में तीसरी अवस्था छठवीं शताब्दी से चौदहवी शताब्दी तक चलती रही इस अवस्था में सृजनात्मक कार्य अशान्ति संघर्ष और उठा–पटक के कारण रुके रहे इसके द्वारा क्रान्तिकारी विचारकों ने कुछ कर दिखाने की ठानी जिनमें थामस एक्यूनास संवत (1227–1274) के मध्य सन्त आगस्टाइन दान्ते (1265–1321) का नाम उल्लेखनीय है। एक्यूनास प्राणी होने के कारण वह समाज के बिना नहीं रह सकता समाज की सुव्यवस्थित स्थापना के लिए सरकार की स्थापना को सर्वोपर माना है, एक्यूनास ने चार प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है शाश्वत, प्राकृतिक, दैविक और मानवीय तथा सन आगस्टाइन के विचार हमें उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ईश्वर का नगर से होता है उनके अनुसार संसार की समस्त घटनाओं का संचालन ईश्वर करता है उन्होंने दैविक शक्तियों को संसार में संघर्ष का जन्म होना बताया है तथा पाप पुण्य का संघर्ष शाश्वत है और इस संघर्ष में अन्त में पाप की पराजय तथा पुण्य की विजय होना बताया है। प्राचीन मध्य कालीन राजनीति विचारक के सूद ने आगास्टाइन के ईश्वरीय राज्य एक विश्वव्यापी राज्य इसका खण्डन कर उन्होंने कहा है कि यह विचार जाति वर्ग तथा भेदों का अतिक्रमण करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र की

तीसरी अवस्था एक आस्तिक अवस्था है जिसमें ईश्वर पर विश्वास किया गया है।

विकास की चौथी अवस्था :

समाज शास्त्र की विकास की चौथी अवस्था में यूरोप के संक्रमणकालीन तथा स्वप्नलोकीय समाजवादी विचारकों का अटूट योगदान को कम नही कहा जा सकता इस युग के प्रमुख समाजशास्त्री मैकियावेली, लूथर, थामस हॉब्स लॉक, रूसो माण्टेस्क्यू इत्यादि इस प्रकार इस अवस्था में अनेक क्रान्तिकारी विचार जैसे सामाजिक समझौता का सिद्धान्त समाज की भौगोलिक व्याख्या, मनोवैज्ञानिक व्यख्या इस मनोवैज्ञानिक को बेन्थम ने प्रस्तुत किया तथा इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार समाज सामाजिक समझौते का परिणाम न होकर व्यक्ति की मूल सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। यौन प्रवृत्ति के द्वारा परिवार का जन्म हुआ और इसी से मनुष्य में सहानुभूति और सहयोग का निर्माण हुआ। इन्हीं आधारों पर उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म हुआ। इसी प्रकार माल्थस जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या की तथा थामस मोर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में साम्यवाद तथा वेकन ने सामाजिक कल्याण का महत्व प्रदान किया।

विकास की पाँचवी अवस्था :

समाजशास्त्र के विकास की अन्तिम अवस्था अगस्त कॉम्टे के बाद रुक गई। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता माना मया तथा जिसका जन्म फ्रांस में सन् 1798 में हुआ और मृत्यु 1857 में हुई थी इनका परिचय 19 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सेण्ट साइमन से हुआ जिनके साथ काम्टे 6 वर्ष की अवधि तक रहे। साइमन एक समाजवादी विचारण था जिनका कहना यह था कि सामाजिक विचारो के साथ एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिससे समाज के सभी पहलुओं पर चिन्तन किया जाय। काम्टे ने इस विचारों की कल्पना की काम्टे का विचार था कि अन्य विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र में निश्चितता कम है तथा समाजशास्त्र का विषय समाज के नियमों और समाज की व्यवस्था का पता लगाना है जिससे समाज संगठित रह सके। उन्होंने समाजशास्त्र के दो भाग किये। सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गतिशास्त्र–समाज का ऐसा रूप जिसमें भिन्न–भिन्न सामाजिक नियम अपना काम कर रहे है, एक दूसरे के अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं सामाजिक स्थिति शास्त्र कहलाता है तथा सामाजिक प्रगति का अध्ययन है।

(1) भारत में समाजशास्त्र :

प्राचीन भारत में यद्यपि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हो चुका था किन्तु इसका आधुनिक व्यवस्थिति स्वरूप नहीं था। भारत में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ सब कोई भी ऐसा विज्ञान का विकास नहीं हो पाया था जिसमें मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास हो चुका था और मानव समाज की समस्यओं को जानने समझने में इस विज्ञान को उपयोगी पाया गया था। समाजशास्त्र की इस उपयोगिता का प्रभाव भारतीय विद्वानों पर पड़ना नितान्त स्वाभाविक था। इसके परिणामस्वरूप भारत में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई। भारत में विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र की गोद में हुआ डॉ. डी.एन मजूमदार ने लिखा है कि–

समाजशास्त्र का क्षेत्र जैसा कि वह भारत में समझा जाता है अर्थशास्त्र के ही सन्दर्भ में विकसित हुआ है और जो लोग उसके बारे में और भी कुछ कहते हो उसकी लगभग अस्थिर रचना के लिए उत्तरदायी है। लगभग आधी शताब्दी तक संघर्ष करने के बाद समाजशास्त्र अपने को अर्थशास्त्र के आश्रय से स्वतंत्र करने में सफल हो सका।

संवयतेऽत्र इति–समाज

इस विग्रह में सम उपसर्ग पूर्वक अज् (गतिक्षेपण्भ्योः) धातु से घञ् प्रत्यय होकर समाज शब्द बनता है। जिनका अर्थ है जिसमें लोग समान रूप से साथ–साथ जीवन–यापन करते हैं विचरण करते हैं उसे समाज कहते हैं यद्यपि प्रत्येक प्राणी समूह का अपना एक संघ होता है परन्तु ज्ञान विज्ञान में सम्पन्न मानव जाति का अपना विशिष्ट समाज है। यही कारण है कि संस्कृत के मनीषियों ने मानव समूह को समाज कहा है।

(4) समाज शास्त्र की परिभाषा एवं तत्वः

समाज शास्त्र की परिभाषा के सम्बद्ध में विद्वानों मतभेद है उन्होंने समाजशास्त्र के सम्बद्ध में विद्वानों में मतभेद है उन्होंने समाजशास्त्र की अपने–अपने मतानुसार विवेचन किया है।

अगस्त कॉम्टे–समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है इस परिभाषा में काम्टे ने समाजशास्त्र के दो तत्वों के साथ प्रस्तुत किया है।

(अ) सामाजिक व्यवस्था

(ब) सामाजिक प्रगति

तथा समाजशास्त्र को पुनः दो भागों में विस्तृत कर व्याख्या किया है।

(1) सामाजिक स्थिति शास्त्र

(2) सामाजिक गति शास्त्र

इस प्रकार अगस्त काम्टे ने सामाजिक स्थित शास्त्र के अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्था का समावेश कर वर्णन किया है तथा सामाजिक गतिशास्त्र के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया है।

अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषता निम्न प्रकार है।

(अ) समाज एक सावयव है।

(ब) समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है।

(स) इसके अन्तर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन है

(ड) समाजशास्त्र एक वैषयिक विज्ञान के रूप में

(इ) समाजशास्त्र में विज्ञानों का समन्वय

(उ) समाजशास्त्र में भविष्य वाणी करने की क्षमता

इस विशेषता में इन्होंने दो तत्वों का समावेश किया है–

(1) अवलोकन

(2) वर्गीकरण

(3) समाजशास्त्र एक सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में।

(2) मैक्स बेवर के अनुसार परिभाषाः

समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण (व्याख्यात्मक) बोध कराने का प्रयत्न करता है।

इन्होंने निम्न विशेषताओं तथा तत्वों के आधार पर अपने विचार व्यक्त किये है।

(अ) समाजशास्त्र मानव ज्ञान के रूप में सामाजिक क्रिया का अध्ययन।

(ब) समाजिक क्रिया व्याख्यात्मक ज्ञान के रूप में

(स) समाजिक क्रिया कारण और परिणाम के रूप में

इस प्रकार समाजशास्त्र की परिभाषा को अनेक विद्वानों ने जैसे मैकाइवर और पेज मोरिक गिन्सवर्ग, जानसन दुर्खीम, गिडगल वर्ड, रास, किम्काल मंग और अन्य विद्वानों ने अपने विचारों को स्थापित कर समाजशास्त्र को एक शास्त्र के रूप में अग्रेषित किया है।

(5) बालरामायण में परिवार :

परिवार मानव समाज की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समूह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समिति एवं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था ही परिवार समाज की मूलभूत इकाई है विभिन्न समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रीयों एवं सामाजिक विचारकों ने अपने पृथक–पृथक भावों को स्थापित कर परिवार को परिभाषित किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. मथुरादास शर्मा, बालरामायण – एक काव्यशास्त्रीय अनुशील (अप्रकाशित पी.एच.डी.) पंजाब विश्वविद्यालय, हाशियारपुर, 1992
2. बालरामायण, राजशेखर, व्या. डा़. गगा सागर राय चौखम्भा प्रकाशन प्रथम संस्रण, 1884
3. बाल भारत, राजशेखर, व्या. डॉ. गगा सागर राय चौखम्भा संस्कृत सीरीज, 1969
4. पद्म पुराण, मनसुख रायमाद, संपा. धरानन्द शास्त्री बनारस, 1973
5. नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, मोतीलाल बनारसी, दिल्ली –1961
6. तुलसीदश्नन, बददेव प्रसाद मिश्र, प्रयाग–1942
7. ध्वन्यालोक आनन्दवध्रन चौ. वि. भवन, वाराणसी, 1942।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th May 21 Paper Accepted : 4th Jun 21

वाल्मीकि रामायण एवं रघुवंशम् में दार्शनिक अवधारणा

❒ योगेश्वर कुमार पाण्डेय*

शोध सारांश

परम् ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है जो नित्य प्रति सत्य एवं ज्ञान के अनुसंधान में अनवरत लगा रहता है। यह मानव जीवन में अनेक प्रकार के भाव विकारों एवं दुःखों से घिरा रहता है। जिसकी परिणति 'दुःखात्रयाभिघातात् जिज्ञासातदपघातके हेतौ' इस साँख्य सिद्धान्त के रूप में होती है। दर्शनशास्त्र हमारे मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क की उपज है जिसके द्वारा मानव अपने समस्त कल्मषों को धुल कर पवित्र, शुद्ध बुद्ध होकर मानवता के विकास में योगदान देता है। समस्त दर्शनों का मात्र एक ही लक्ष्य है मोक्ष अथवा समस्त दुःखों की निवृत्ति। उभय महाकाव्यों में परमात्मा या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है और उसे ही समस्त क्रिया कलाप का नियन्ता अर्थात् सर्व जगत् नियन्ता के रूप में चित्रित किया गया है। और उभय महाकाव्यों में अपने–अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है चाहे वह पूर्व जन्म के कर्म हो या इस जन्म के तथा भाग्यवाद और पुरूषार्थ की भी दार्शनिक अवधारधणा का विवेचन किया गया है और अपने– अपने कर्मानुसार जीव अन्यान्य लोकों को प्राप्त करता है अतः पुनः जन्म लेता है या उत्तम कर्मो के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है।

दर्शनशास्त्र समाजिक चेतना के रूपों में से एक है दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है व्यापक अर्थ में दर्शन तर्क पूर्ण विधि पूर्ण एवं क्रमबद्ध विचार कला है इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है यही कारण है कि संसार के विभिन्न व्यक्तियों के समय–समय पर अपने अपने अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया है। भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस कर्म ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उदभूत हुआ उसने दूर–दूर तक मानवों के आध्यात्मिक कल्मश को धोकर उन्हें पवित्र नित्य शुद्ध बुद्ध और सदा स्वच्छ बना कर मानवता के विकास में योगदान दिया है इसी पतित पावनी धारा को लोग दर्शन के नाम से पुकारते है।

परमात्मा की असीम और अनंत सृष्टि में मनुष्य ही चरम और परम पायदान पर अधिष्ठित है।1 इससे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कोई नहीं इसकी संपूर्ण आयु निरंतर आनंद के अनुसंधान में ही व्यतीत होती है यतो हि वह मनुष्य ही विशिष्ट प्राणी है जो युग युगान्तरों से इस दशा में प्रयत्नशील है उसने अपने इस प्रयत्न समवाय

* शोधछात्र, शोध केन्द्र – धर्मसमाज कालेज, अलीगढ (उ0प्र0) संस्कृत विभाग

में प्रत्येक युग के अपने जीवन निष्कर्षों को अपनी आने वाल पीढ़ियों को सौंपा है मानव का यह निष्कर्ष ही उसका जीवन दर्शन कहा जाता है।

यह जीवन दर्शन शब्द मानव के समग्र आचार व्यवहार का द्योतक है जो कि उसके द्वारा अपने संपूर्ण आयुष्य काल में भोगापवर्गार्थ विहित होते है।2 विधाता की इस अनादि अनंत प्रवाह रूपी सृष्टि में अनुदिन अनुक्षण अक्षीण उत्साह मानव का यह सतत और सहेतुक प्रयास जायते से लेकर विनश्यति पर्यन्त भाव विकारों की लंबी यात्रा के रूप में इसी साश्वतिक दर्शन को इंगित करता है इसकी चरम परिणति दुखात्रयाभिघतात जिज्ञासातदपघाके हेतौ इस सांख्य सिद्धांत के रूप में होती है प्रतिकूल वेदनीय को दुख 3 और अनुकूल वेदनीय को सुख4 की संज्ञा देने वाली मनीषियों ने दुखापघातार्थ इस दिशा में जो लिपिबद्ध उपाय5 सुझाए है वे सभी उपाय समवेत रूप से जीवन के प्रति दिव्य दृष्टि6 की देशना करते हुए एक जीवन्त जीवन दर्शन की सूचना देते हैं इस दृष्टि से जब हम वाल्मीकि रामायण एवं कालिदासीय रघुवंशम का अध्ययन करते हैं तो निश्चय ही इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दोनों ही महाकाव्य परम भागवत और आस्तिक महाकवियों द्वारा रचित है अतः उनमें राम के जीवन चरित्र उनके प्रज्ञा विहित कर्तव्य राजनीतिक क्रियाकलाप धार्मिक नैतिक कार्य जनमानस को युग युगान्तर काल से प्रभावित करते चले आ रहे हैं वह सब उनके जीवन दर्शन की सशक्त अभिव्यक्ति ही है उनमें जगतपति जगत एवं जागतिक समस्याओं पर विचार किया जाना स्वाभाविक ही है।

उभय महाकाव्य परमात्मा या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते है जिस प्रकार शरीर में चेतना को देखकर उसमें विद्यमान किसी आत्मा सत्ता का विचार मन में स्वतः स्फूर्त होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड में एक नियामिका या व्यवस्थापिका शक्ति की प्रतीक की एक विश्वात्मा की सत्ता को सिद्ध करती है वह विश्वात्मा शरीर धारी जीव नहीं माना जा सकता है क्योंकि शरीरियों के बहुत्व के कारण उसमें अनेकत्व का दोष समापतित होता है किंच इससे उसको सर्वालोकातिविलक्षण ज्ञान बल क्रिया रूप असीम एवं अनंत स्वाभाविकी शक्तिमत्ता के अनुमापित हो जाने का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा इसलिए उस परत्पर विशिष्ट शक्ति रूप परब्रह्म के उच्छावासित वेद ने उसके संबध में बताया है कि वह आत्मा इस दृष्टिमान जगत से बहुत बडा और उस पर अर्थात् परमात्मा से बहुत छोटा है।7 इस संसार के विलक्षण विकास को देखकर यह सहज ही अनुमति होने लगता है कि इस सृष्टि के समग्र विकास में कोई अटल और शाश्वतिक नियम अवश्य है यह बुद्धि जड प्रकृति में तो नही हो सकती है अथवा इस समस्त जागतिक सृष्टि वितान संतान को सभी जीव धारियों के समस्त प्रयत्न का समवाय परिणाम भी नहीं माना जा सकता है अतः इसके लिए एक विभु और सर्वव्यापक विश्वात्मा की सत्ता को स्वीकार करना परम आवश्यक है वह परमात्मा शक्ति इतनी विशिष्ट है कि उस परम पुरूष में आकाश और पृथ्वी आदि लोक लोकांतर पृथक पृथक्त्वेन अवस्थित हैं तथा उसी सर्व आधार में आत्मावत प्राणवान और निमेषशील समग्र प्राणी जगत स्थिर है।8 अतः इन वैदिक उदात्त भावनाओं के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि चराचरात्मक उभय रूप जगत का आधार स्तंभ वह परब्रह्म परमात्मा ही है इसी के ईक्षण रूप प्रयत्न विशेष से यह सृष्टि सपृक्त होती है और प्रलय काल में विसर्जित भी होती है जैसा कि जन्माद्यस्य यतः ब्रहम सूत्र से स्पष्ट है।9 वह परमपिता परमात्मा एक एवं अखंड है इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, गरूत्मा आदि उसी एक परमात्मा के अनेक गौणिक नाम है।10 वह एक ही ब्रह्म वही विष्णु है वही रूद्र है गुण भेद से यह ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एक ही व्यक्ति की तीन संज्ञाएं है।11 यह वैदिक एकेश्वरवाद का जीता जागता स्वरूप है वाल्मीकि रामायण एवं रघुवंशम में इस सिद्धांत की घोर उपेक्षा सी प्रतीत होती है वहां वेद का जो सर्व शक्तिशाली देवता इंद्र है वह इन दोनों ही महाकाव्यों में इस देवत्रय का किंकर सा प्रतीत होता है तथा जो उपेंद्र था वह विष्णु नाम से अति महत्वपूर्ण हो गया यह विष्णु देवताओं की अनुनय विनय से प्रभावित होकर रावण के वध की प्रतिज्ञा करता है।12 दशरथ मरण और सीता हरण तथा लक्ष्मण शक्ति में प्राकृत पुरूषों की भांति रोता है।13

किष्किंधा में पहुंचकर पंपासरोवर के दृश्य और शरद ऋतु की शोभा का प्रेक्षण करके कामार्त हो बार–बार मूर्छित सा हो जाता है और अपने को महापापी बतलाता है।14 यह निश्चय ही वैदिक वांग्मय और आस्तिक दर्शन के विपरीत वर्णन है यतो हि वहां तो वह उस परम पुरूष परमात्मा को अकाम स्वयंभू धीर अमृत रस में परिपूर्ण तृप्त सर्वात्मनापूर्ण और क्लेशकर्म विपाकाशय से अपरामृष्ट बतलाया गया है।15 अस्तु समालोच्य उभय महाकाव्यों के अध्ययन और मनन से यह भली–भांति प्रकट हो जाता है कि उस काल में वेद के एकेश्वरवाद का सिद्धांत अविकसित दशा में था और बहुदेवतावाद का प्रमाणहीन वितंडा चरम पर था इन्द्र अपना महत्व खो चुका है और उपेन्द्र अर्थात विष्णु ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था वही राम के अवतार के रूप में समकालिक दूसरे अवतार परशुराम को तिरस्कृत करके रावण का निहन्ता बना था वह भक्तों की भाव भरी भक्ति से द्रवित होकर उनके अभीष्ट की सिद्धि करा देता है और रूष्ट होने पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है जैसा कि वालि वध और सुग्रीव को राज्य एवं रावण का वध एवं विभीषण को लंका राज्य प्रदान करने से स्पष्ट है।

यह इस संसार का शाश्वत नियम है कि सभी सांसारिक जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अनिवार्य रूप से भोगते हैं और परमात्मा एक न्यायाधीश की तरह न्यायपूर्वक जीवकृत पुण्य कर्मों का निरीक्षण करके सुख–दुख के रूप मे पुरस्कार और दंड का विधान करता है यही कर्मफल कहलाता है यह कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है जैसा कि मनु स्मृति में लिखा है।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं।
नाघ मुक्त्वा क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि।।16

इस कर्मफल सिद्धांत का वाल्मीकि रामायण में विभिन्न देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस और मानवों को दिए गए शाप और वरदानों से भलीभांति संपुष्टि होती है राम ने अपने कर्म फल का वर्णन करते हुए लिखा है–

"पूर्व मया नूनमभीप्सितानि, पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि।

तत्रायमद्यापतितो विपाको, दुःखेन दुःखं यदहं विशामि।।

राज्य प्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननी वियोगः।

सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि।।17

महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में भी दुष्कृतकर्मजन्य शाप से विषण्ण अभिशप्तों का दुखमय वर्णन इसी प्रकार है दिलीप का संतति निरोध और राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता–पिता द्वारा दिया गया शाप प्रसंग यहां अवलोकनीय है।

"अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति।
मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाय सा।।18

"दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोकादन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम।

आकान्तपूर्वमिव मुक्ताविषं भुजंग प्रोवाच कोसलपतिः प्रथमापराद्धः।।19

महर्षि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास दोनों की ही दृष्टि में कृत अपराध के फल के रूप में मिलने वाला दंड अवश्य ही भोक्तव्य होता है वह शुभ कर्मों के संपादन से सह्यवेद्य तो हो जाता है परन्तु सर्वथा शून्यवत विनष्ट नहीं होता है इस दृष्टि से समालोच्य दोनों महाकाव्यों के यशस्वी प्रणेताओं ने मनुष्य को पाप कर्मों से दूर रहने और सत्कर्मों में स्वयं को निरत रखने की पावमानी प्रेरणा प्रदान की है।

वाल्मीकि रामायण और कालिदासीय रघुवशंम दोनो ही महाकाव्यों में उपर्युक्त कर्मफल सिद्धांत के साथ भाग्यवाद की अवधारणा भी समान रूप देखने को मिलती है जैसा कि वाल्मीकि रामायण के राम जो कि लौकिक दृष्ट्या किसी भी अपराध के कर्ता नहीं है फिर भी उन्हें वनवास मातृ पितृ वियोग और पत्नी वियोग जैसे वृहद कष्टों को भोगना पडा था तथा रामानुज कैकेयी पुत्र भरत जिन्होंने की कोई अपराध नही किया उन्हे भी पितृ वियोग और भ्रातृ वियोग का भीषण त्रास भोगना पड़ा इसी तरह लक्ष्मण कौशल्या सुमित्रा और उर्मिला आदि रामायण के पात्र हैं जिन्हें अकारण ही बड़े–बड़े दुखों को भोगना पड़ा है इन सभी का यह दुख भोग भाग्यवाद की सीमा में परिगणित

होता है रामचरितमानस के यशस्वी प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास ने इसको निम्नांकित शब्दों में परिभाषित किया है।

सुनहू भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ।
हानि लाभु जीवनु मरणु जसु अपजसु विधि हाथ।।20

इसी विचित्र कर्मफल को कर्मणो गहना गतिः और देव, विधि, भवितव्यता आदि अनेक संज्ञाएँ लोक में दी गई हैं इन्हीं के आधार पर यह धारण बनी है कि विधि किं वा देव ही मनुष्य के सुख–दुख आदि परिणामों का प्रमुख हेतु है इसके समक्ष सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं और भोक्तृगण सर्वत्र विवस बने हुए देखे जाते हैं इस प्रकार व्यक्ति कर्म फल के समानांतर भाग्यवाद का सिद्धांत वाल्मीकि रामायण और रघुवंश महाकाव्य दोनों में अनुस्यूत सा दृष्ट होता है यहां पर दोनों महाकाव्यों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे है।

यदिचिंत्य तु तद दैवं भूतेष्वपि न हन्यते।
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः।।21

इसी प्रकार कालिदास ने भी रघुवंशम में रानी की आकस्मिक मृत्यु को देव का ही दुर्विपाक माना है।

स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम्।

विषमप्यमृतं क्वचित भवेद्मृतं वा विषमीश्वरेच्छया।।22

इस प्रकार भाग्यवाद और देव की सर्वस्वीकार्यता दोनों महाकाव्यों में समान रूप से दृष्ट होती है दोनों महाकवि कहीं कहीं पुरूषार्थ के प्राबल्य का भी कथन करते है तदेवं आनिज्ञति कारण कार्य भाव समापन्न सुख दुख को देव या भाग्य तथा ज्ञात कारण कार्य भावरूप सुख आदि को पुरूषार्थ मानना दोनों ही महाकवियों को अभिप्रेत है।

भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के आदि मूल वेद चतुष्टय में पुनर्जन्म की अवधारणा सनातन काल से समादृत रही है इसी के ऊपर कर्म फल भोग व्यवस्था का भव्य प्रासाद प्रतिष्ठित है अंत्येष्टि संस्कार में पढे जाने वाले मंत्र पुनर्जन्म का उद्‌घोष सा कर रहे हैं।

''सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा।

अपो वा गच्छ, यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरे।।

आ त एतु मनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे। ज्योक् च सूर्य दृशे।।

पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्योजनः। जीवं व्रातं सचेमहि।।''23

प्रथम मंत्र में ऋषि का कथन है नेत्रों का प्रकाश सूर्य में मिल जाए प्राण वायु में मिल जाए तू अपने कर्मों के अनुसार प्रकाश लोक में जा यदि वहां तिरोहित होता है तो अथवा औषधि वनस्पतियों में शरीर के साथ स्थित हो जाए दूसरे मंत्र में कहता है हे जीव तेरा मन कर्म युक्त जीवन के लिए तत्पर जीवन में पुनः आए तू अच्छी तरह आध्यात्मिक प्रकाश को देख तीसरे मंत्र के कथन का भाव यह है हमारा पिता परमेश्वर हमें पुनः इस अनुभूतिमय जगत में लाए हम जीवित लोगों की श्रेणी मे होवें इन तीनों आर्चिक मंत्रो के अतिरिक्त श्रीमद्‌भगवतगीता का यह श्लोक भी पुनर्जन्म के विषय में बताता है।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोघ्पराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।24

वाल्मीकि एवं महाकवि कालिदास दोनों ही पुनर्जन्म को स्वीकार करते है वाल्मीकि रामायण में शाप और वरदान वाले कई प्रसंग ऐसे हैं जिनसे पुनर्जन्म की स्पष्टः सन्सिद्धि होती है यहां कुछ स्थल दृष्टव्य हैं विराध को जब राम ने छिन्नबाहु बनाकर एक स्वभ्र में जीवित ही गाड़ दिया तब वह बोला–

अभिशापादाहं घोराम प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्।
तुम्बुरूर्नाम गंधर्वः शप्तो वैश्रवेण हि।।25

सीता पूर्व जन्म में कुशध्वज की कन्या थी उसका नाम वेदवती था जैसा कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा गया है–

तस्याहं कुर्वतो नित्यम वेदाभ्यास महात्मनः।
संभूता वांग्मयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृता।।26

हनुमान की माता अंजनी भी पूर्व जन्म निपुञ्जला नाम्नी अप्सरा थी अथ च राम स्वयं विष्णु और लक्ष्मण शेषावतार थे।

महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृत के सजग पुरोधा और अपनी परम्परा प्राप्त मर्यादाओं और शाश्वत धाराणाओं की सफल चित्रकार बनकर भारतीय क्षितिज पर उभरे हैं अतः उनके रघुवंश में पुनर्जन्म की उपेक्षा कैसे की जा सकती है वहां जब राजाअज की पत्नी इंदुमती वन विहार के समय सहसा आकाश से गिरे हुए पुष्प माला से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तब राजा बहुत ही करूण विलाप करता है और किसी के भी समझाने से उनका दुख दूर नहीं होता तब गुरू वशिष्ठ अपने एक शिष्य को उनके पास अपना संदेश देकर भेजते हैं वह संदेश निश्चय ही पुनर्जन्म की स्वीकृति रूप है—

क्रथकैशिकवंशसंभवा तव भूत्वा महिषी चिराय सा।

उपलब्धवती दिवश्चुतम विवशा शापनिवृत्ति कारणम्।।27

इसी प्रकार सीता अपने निर्वासन का हेतु पूर्व जन्म के दुष्कृत्यों को मानते हुए पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वमुख से स्वीकृति प्रदान की है।

कल्याणबुदधेरथवा तवायं न कामचारो मयी शंकनीयः।

ममैव जन्मान्तरपात्कानाम विपकविस्फूर्ज प्रशह्यः।।28

इस प्रकार भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास दोनों ही पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करते है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है इस अनादि रूपी सृष्टि में तथा इस चराचर रूप जगत का आधार स्तंभ परब्रह्म परमात्मा ही है यही इसका नियन्ता पालन पोषण करने वाला एवं इसका विनाश करने वाला है तथा उसी परम तत्व की खोज में भारतीय मनीषियों ने अपना संपूर्ण आयुष्य बिता दिया आदिकवि वाल्मीकि एवं महाकवि कालिदास ने अपने वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में उस पर ब्रह्म की शक्ति स्वरूप मनुष्य, गंधर्व, किन्नर या अप्सरा कोई भी हो उसी की शक्ति से शाप या वरदान इत्यादि कारणों के द्वारा पृथ्वी लोक में जन्म लेना मृत्यु को प्राप्त होना होता है जिसे हम भाग्य या देव संयोग कहते हैं वह भी उस पर ब्रह्म की इच्छा से ही होता है वह परमपिता परमेश्वर एक अखंड और सर्व जगत नियंता तथा सर्वशाक्तिमान है।

शोध सन्दर्भ

1. महाभारत शान्ति पर्व—80/12
2. प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगानपवगार्थं दृश्यम्।। योग दर्शन—2/18
3. प्रतिकूल वेदनीयम् दुखम्।। तर्कसंग्रह
4. अनुकुल वेदनीयम् सुखम्।। तर्कसंग्रह
5. सॉख्यकारिका—ईश्वरकृष्ण—कारिका—1,2
6. भगवद्गीता—11/18
7. 'अवः' परेण पर एनावरेण।। ऋग्वेद सं0—1/164/17,18
8. अथर्ववेद—10/8/2।।
9. ब्रह्मसूत्रं—1/1/2
10. इन्द्रं मित्रं...................................मातरिश्वानमाहुः।। ऋग्वेद सं0—1/164/46
11. त्वमग्ने। इन्द्रो वृषभः........................पासि नु त्मना।।ऋग्वेद सं0—2/1/3/4,5,6
12. भयं त्यजत्...............................पृथिवीमिमाम्।। वा0रा0बालकाण्ड—15/28,29
13. वा0रा0 तत्तत्प्रसंग।
14. द्र0—वा0रा0कि0का0 प्रथम सर्ग।
15. क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरूषविशेष ईश्वरः। योग0द0समाधिपाद—24।।
16. द्र0—मनुस्मृति—अध्याय—12।।
17. वा0रा0 अरण्यकाण्ड—63/4,5।।
18. रघुवंशम—1/77।।
19. तत्रैव—9/78।।
20. रामचरित मानस अयोध्याकाण्ड—दोहा संख्या—171
21. वा0रा0अयो0का0—22/20
22. रघुवंशम्—8/46
23. ऋग्वेद—10/16/3,10
24. श्रीमद्भगवद्गीता—2/22।।
25. वा0रा0 अरण्य काण्ड—4/16
26. वा0रा0 उत्तर काण्ड—17/9
27. रघुवंशम्—8/82
28. तत्रैव—14/62

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th Jan 21 Paper Accepted : 15th Feb 21

Transcendentalism in the Works of Ralph Waldo Emerson in American Literature

❐ Abhimanyu Prasad*

ABSTRACT

Transcendentalism is a philosophy started in the early 19th century that promotes intuitive spiritual thinking under the influence of German and British romanticism. Transcendentalist Samuel Kant's philosophy of intuitive knowledge not derived from the senses while rejecting organised religion for an individualistic celebration of divinity in each human being.

Key words : Transcendentalism, Emerson, Literature, organised, philosophy etc.

Introduction:

The word "Transcendentalism is originated from Latin word 'transcendere' which means 'to climb over or beyond' that's why American transcendentalist trying to climb beyond traditional thinking favouring instead of a person's intuitive and natural spirituality. According to Merriam Webster dictionary transcendentalism defined as, "A philosophy that emphasizes the prior condition of knowledge and experience of the unknowable character of ultimate reality or that emphasizes the transcendent as the fundamental reality." And it says, "A philosophy that asserts the privacy of spiritual and transcendental over the material and empirical." and it also says, "The quality or state of being tones dental speciality visionary idealism." Basically there are five principles of Transcendentalism:

1. Everything is the reflection of God.
2. Physical world is the doorway to the spiritual world.
3. People can use intuitive to see God in nature and in their soul.
4. Experience is more important than logic.
5. Deeply appreciate beautiful nature without alteration.

There are three transcendentalism values : Individualism, Idealism and Divinity of Nature. Individualis the belief that society and its intuition corrupt the purity of individualism. They believed that independent people's concept of thinking is best. Idealismis original third form romantic a slightly earlier moment in the place of region logic and full of knowledge. Besides reason and learned knowledge transient list placed great importance on imagination, intuition and creativity by which they wanted to live a more ideal and enjoyable way of life. Divinityof nature was totally spiritual instead of believing that nature is sacred and divine .Although it is very difficult to have intimacy with nature but humans shouldn't try to change or improve originality perhaps in its origin form.

In the beginning of the 19th century Unitarianism was a major village in America especially in Massachusetts Boston area that emphasizes and enlightenment trilogy personality and knowledge young and the sum was not interested with the belief Unitarianism that is why they begin to meet in formally. Unitarianism was a major part

* Assistant Professor(English), Govt. P.G. College, Tikamgarh, (M.P.)

of Howard University has many of the first transcendentalist attended this Unitarian school.

In September 8, 1836 Ralph Waldo Emerson organized the first meeting what would later be called Transcendental Club on being frustrated from Unitarian Transcendentalist's belief published with Emerson's essay *Nature* (1836) Transcendentalism was not born as a counter movement to Unitarianism but as a parallel movement to the very ideas introduced by the Unitarianism emphasis on the conscience and value of intellectual region and sobriety.

The transcendental key figures in the rising of transcendentalism are Ralph Waldo Emerson, Herbert David Thoreau, Margaret Fuller, Amos Bronson Alcott, Frederick Henry Hedge, George Reply and many others used to meet regularly and publish their works in new created journal *The Dial* (1840) with the help of utopian community such as Brook Farm and Fruitland attempted for complete lifestyle to the transcendentalist belief.

However, the movement declined after the death of key transcendentalist such as Margaret Fuller and many more began to move onto other pursuits and second wave of transcendentalist were not able to recover the decreasing level of movement that gradually faded its shine from public discourse. But still now we are enjoying the movement's belief by reading the works of great philosophers. The element members and others were declared in public is notably in public positions to The fugitive slave act of 1850, following the failure of group for it never again materialized as a cohesive group.

Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 - April 27, 1882) "The Sage of Concord" and also known as "Father of American Transcendentalist" His effort was to express his view through lecture and essays. As an eminent figure of transcendentalist power, energy and inspiration was the key quality of his philosophy, thoughts and works. Emerson emphasized on liberty, opposed slavery and denied predestination; argued the freedom of press, favoured the principle of divorce and generated innovative path way for the common man. Emerson remained a strong supporter of anti-slavery. He was the pioneer of metaphysical and transcendental thought and Oriental philosophy; champion of individualism, delivered more than 1500 public lectures across United States of America. Philosophy of transcendental broke out in his essay Nature (1936) and his speech entitled "The American scholar" (1937) which is declared "Intellectual declaration of America" by Oliver Wendell Holmes. All his views prescribed first of all in the form of lecture after that printed. The most fertile period 1830 - 1840 is well known for the *Essays of First Series* (1841) contains 'History', 'Self -Reliance', 'Compensation', 'Spiritual Laws', 'Friendship', 'Prudence', 'Heroes', 'The Over Soul,' 'Circle' 'Intellect' and 'Art'.

Essays of Second Series (1844) includes 'The Poet' 'Experience', 'Gifts', 'Manners' and 'Characters'.

The Transcendental group began to publish its general *The Dial* (1840) George Ripley was its managing editor and Margaret Fuller was the first editor and Emerson was promoting young talented writers including Thoreau and Channing. The publication of *The Dial* ceased in April 1844 on which Greeley reported it as an end of the "most original and thoughtful periodical ever published in this country"

On the tour of Europe in 1847-48, Emerson met to Thomas Carlyle, Macauley, Thackeray, Disraeli, Tennyson and was elected as a member of 'Athenaeum Club' and later toured to Paris. All lectures during this period is collected in the volume *Representative Men*(1850) which contains semi autobiographical and critical work of Plato and Montaigne, Napoleon, Shakespeare, Goethe and later his impression published in *English Traits* (1856) which is a study of English society. *The Conduct of Life* (1860) gained immediate popularity which included essays Power, Wealth, Fate and Culture. Emerson had voted to Abraham Lincoln in 1860 and met Lincoln on February 1, 1862 at White House. Abraham Lincoln was already familiar with Emerson's work and lectures. Emerson believed in immediate emancipation of the slaves.

After the death of Emerson's close friends Henry David Thoreau in May 6, 1362 and Nathaniel Hawthorne in 1864 he delivered his eulogy. Emerson was influenced by Indian philosophy particularly *Bhagavat Gita* and Henry Thomas Colebrook's *Essay on Vedas.* Walt Whitman's sent a copy of his

collection of poems *Leaves of The Grass* (1855) to Emerson and to his response he received his words of appreciation that was printed on the cover page of his book in golden leaf, "I greet you at the beginning of a great career." His health started declining from 1857 and in Spring of 1872 he had memory problems and suffered from aphasia; He used to forgot his own name at times but responded on asking how he felt *"quite well, I have lost my mental faculties but I am perfectly well."* On 21st April 1882, he was suffering from pneumonia and died on 27th April 1882 and buried in Sleepy Hollow Cemetery, Concord, Massachusetts.

Other prominent Transcendentalist were Henry David Thoreau (July 12,1817- May 6, 1862) an American naturalist poet, writer and philosopher popularly known for "*Walden"*focused on the advantages of individuality; simple living and close contact with the observation of nature; and "Civil Disobedience"(originally published resistance to the Civil Government) an argument for disobedience to an unjust state. Thoreau frequently opposed the government and its action.

Another major writer was Margaret Fuller (May 23, 1810-July19, 1850) who was an American journalist, translator, editor, believer of individualism, a leading female Transcendentalist and supporter of women's right. Her essays published in journal *The Dial* and later published in the form of book "*Women in the Nineteenth Century"* which is considered to be the first feminist work in the United States of America. Amos Bronson Alcott (Nov 29, 1799 -march 4, 1888) was also an American teacher, philosopher and reformer. As an educationist he is well known for an innovative way of teaching to young students in a conversational style and advocated plant-based diet, women's right and abolition; refused to pay the Poll Tax to protest president Tyloer's annexation of Texas as a slave territory by which David Thoreau was also inspired to write his "Civil Disobedience". Frederic Henry Hedge (Dec12,1805-Aug21,1890) was a leader Unitarian minister, German scholar, and translator at Harvard Divinity School where he met to Emerson and invited to join the "Transcendental Club" and originally it was called *Hedgde's Club* after him. Hedge wrote about the club. "there was no club in the strict sense …….only occasional meeting of likeminded men and women" that earned the nickname" the brotherhood of the like -minded men and women".

Conclusion :

We can concluded that the one can trace the evolution, rising, the climax and the decline of the movement Transcendentalism. Various mentioned writers of the movement have contributed significantly in its upbringing but the contribution of Emerson has given new heights to this movement and has led to its great popularity.

References :

1. P. Joel Porte and Soundra Morris. Preface, the Cambridge Companion to Ralph Waldo Emerson. Cambridge: CUM, 1999, pp. xiii- xiv.
2. Joel Porte. Introduction, the Cambridge Companion to Ralph Waldo emerson. p. 2.
3. Bliss Perry. The Heart of Emerson's Journals, qt by Joel Porte. Introduction, Cambridge Companion to Emerson, p.2.
4. Joel Porte. "Introduction : Representing America-the Emerson Legacy," Cambridge Companion to Ralph Waldo Emerson, p.8.
5. Channing. qt by David Robinson. "Transcendentalism and Its Times," The Cambridge Compansion to Ralph Waldo Emerson. p.13.
6. This refers to Emerson, The Complete Works, ed by Edward Waldo Emerson, 12 volumes, Boston: Houghton Mifflin, 1903-4.
7. Harold Bloom. The Anxiety of Influence : A Theory of Poetry. New York : Oxford University Press, 1973, p. 122.
8. Emerson,. The Early Lecture of Ralph Waldo Emerson, ed. Stephen E. Whicher et al. Cambridge: Harvard University Press, 1959-71, Vol.4, 2, pp. 213-14.
9. Emerson, Journals, 4, p. 278.
10. Alvin W. Gouldner. The Dialectic of Ideology and Technology. New York : Continuum, 1976, p.30

11. Mary Kupiec Cayton. "The Making of an American Prophet: emerson, His Audiences, and the Rise of the Culture Industry in Nineteenth-Century america, "American Historical Review 92. 1987,
12. Oliver Wendell Holmes. Ralph Waldo Emerson. Boston : Boston University Press, 1884, p.65.
13. Quoted by Carlos Baker. Emerson Among the Eccentrics : A Group Portriat. New York : 1996, p. 399.
14. The Journal and Miscellanceous Notebooks of R.W. Emerson. ed by Willian Gillman. Cambridge : Belknap Press, 1960-80, p.27.
15. Edward Wagenknecht. Ralph Waldo Emerson. p. 206.
16. R.W. Emerson. "Civilization," in Society and Solitude. Cambridge, MA: Riverside Press, 1904, p.30.
17. Emerson. "Self-Reliance," Essays and Poems, London: Everyman, 1995, p.25.
18. Robert Weibuch. Cambridge Companion to R.W. Emerson. London : CUP, 1995, p. 192.
19. Emerson. "Self-Reliance," Essays and Poems, London: Everyman, 1995, p.27.
20. Emerson in his Journals. Ed Joel Porte. Cambridge, Ma : Belknap Press, 1960-72, p. 110.
21. McAleer. Ralph Waldo Emerson : Days of Encounter. Boston : Little Brown, 1984, pp. xiv.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th Jan 21 Paper Accepted : 15th Feb 21

वित्तीय बाजार का अवधारणात्मक स्वरूप का अध्ययन

❒ रामेश्वर यादव*
❒ डॉ. प्रभाकर सिंह**

शोध सारांश

वित्तीय बाजार में वित्तीय सम्पत्तियों का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप से संचालित किया जाना तथा वित्तीय बाजार एक संस्था अथवा वह व्यवस्था है जो चैक विनियम साध्य प्रपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, जमा और ऋण, स्टाक और बॉण्ड्स आदि के लेन–देन को सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय बाजारों में दलाल बैंक, गैर वित्तीय संस्थाएँ, मर्चेण्ट बैंक, म्यूचुअल फण्ड, बट्टा ग्रह, केन्द्रीय बैंक आदि अनेक संस्थाओं की सहभागिता होती है। वित्तीय बाजार के दो महत्वपूर्ण अंग माने गये हैं, इन्हीं गतिविधियों को वित्तीय बाजार की अवधारणात्क अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द :– वित्तीय बजार, अवधारणा, विनियम, म्युचुअल फण्ड, बट्टा, बैंक, आदि।

उद्देश्य :–

1. वित्तीय बाजार में वित्तीय सम्पत्तियों का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप से संचालित करना।

2. बैंक एवं बैंक से जुड़े फर्मों एवं वित्तीय संस्थाओं का सुचारू रूप से प्रबन्धन करना।

3. वित्तीय संस्थाओं में समय–समय पर होने वाली वित्तीय गतिविधियों पर साख सम्बन्धी अवधारणाओं को समुचित रूप से दुरुस्त रखना।

शोध–प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध आलेख में वित्तीय बाजार में अवधारणात्मक तथ्वों का वर्णनात्मक एवं विषलेष्णात्मक गतिविधियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर शोध पत्र तैयार किया गया है।

प्रस्तावना :–

वित्त व्यवसाय का मूल आधार होता है। कोई भी व्यवसाय वित्त के बिना न तो प्रारम्भ किया जा सकता है और न ही चल सकता है। व्यवसाय छोआ हो या बड़ा सभी में वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त को वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग का आधार स्तम्भ कहा गया हे। वित्त व्यावसायिक जगत् का एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है, जिसके चारों ओर व्यावसायिक क्रियायें भ्रमण करती हैं। किसी भी देश की वाणिज्य व्यवस्था वित्त पर निर्भर करती है, कोई भी व्यापार अथवा उद्योग बिना वित्तीय व्यवस्था के शुरू नहीं किया जा सकता है। इसी कारण जब एक कम्पनी कोई भी व्यवसाय प्रारम्भ करती है। अथवा उसका

* शोधार्थी (वाणिज्य), शास. संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
** प्राध्यापक (वाणिज्य), शास. संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

नियोजन करती है तब उसे वित्त की आवश्यकता होती है और यह वित्त उसे वित्तीय बाजार उपलब्ध कराता है। वित्तीय बाजार के अन्तर्गत उन सभी संस्थाओं अथवा क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे वित्त सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सके। 1

वित्तीय बाजार में वित्तीय सम्पत्तियों का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप से किया जाता है। वित्तीय बाजार एक संस्था अथवा वह व्यवस्था है जो चैक विनियम साध्य प्रपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, जमा और ऋण, स्टाक और बॉण्ड्स आदि के लेन–देन को सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय बाजारेां में दलाल बैंक, गैर वित्तीय संस्थाएँ, मर्चेण्ट बैंक, म्यूचुअल फण्ड, बट्टा ग्रह, केन्द्रीय बैंक आदि अनेक संस्थाओं की सहभागिता होती है। वित्तीय बाजार के दो महत्वपूर्ण अंग माने गये हैं, एक मुद्रा बाजार व दूसरा पूँजीबाजार, मुद्रा बाजार के अन्तर्गत बैंकों तथा अल्पकालीन एवं मध्यअवधि के लिए ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जबकि पूँजीबाजार में ऐसी संस्थाओं का समावेश होता है जो दीर्घकालीन ऋण स्वीकार करती है तथा विभिन्न स्वरूपों व विभिन्न उद्देश्यों वाली प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।2

वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली इन संस्थाओं को भारत में दो भागों विभाजित किया जाता है। एक जमा स्वीकार करने वाली निक्षेपी संस्थाएँ व दूसरी जमा स्वीकार न करने वाली या गैर निक्षेपी संस्थाएँ। जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं के अन्तर्गत व्यापारिक बैंक, पारस्परिक बचत बैंक विनियोग एवं विकास बैंक तथा सहकारी बैंक आते हैं। इसी प्रकार जमा स्वीकार न करने वाली संस्थाओं के अन्तर्गत बीमा कम्पनियाँ, अभ्भािगोपक, पारस्परिक कोष, मर्चेण्ट बैंकर, दलालों की फर्म तथा भविष्य निधि आते हैं। 3

मुद्रा बाजार :–

मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है, वहाँ अल्प अवधि वाली वित्तीय सम्पत्तियाँ खरीदी – बेंची जाती है। यह बाजार अल्पकालीन मौद्रिक सम्पत्तियों के क्रय विक्रय का केन्द्र बिन्दु होता है। इस बाजार में मुख्य रूप से बैंक, वित्तीय मध्यस्थ, बड़ी निगमित इकाइयाँ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया व्यवहार करती है। मुद्रा बाजार में अधिकांशतः लेन–देन टेलीफोन पर ही होते हैं।

मुद्रा बाजार एक ऐसी सम्पूर्ण व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्था द्वारा अल्पकालीन कोषों की उपलब्धि को सुगम बनाया जाता है। मुद्रा बाजार बचतकर्ताओं एवं अल्पकालीन निवेशकर्ताओं की साथ–साथ लाते है, जिनके पास बेंचते एवं निवेश योग्य कोष की अल्पकालीन मांग रहती है।

मुद्रा बाजार अल्पकालीन वित्तीय सम्पत्तियों का बाजार है। इस बाजार के प्रपत्र तरल होते हैं जिन्हें न्यूनतम लेन–देन लागतों एवं बिना पूँजीगत हानि के मुद्रा में परिवर्तित किया जाता सकता है। मुद्रा–बाजार के प्रपत्र अल्पकालीन अवधि (एक वर्ष से कम) के सामान्यतः होते हैं। मुद्रा बाजार ऐसा मंत्र जो व्यक्तियों वित्तीय संस्थानों बैंकों तथा सरकार की तीव्रता से अल्पकालीन तरलता संतुलन प्रदान करता है। यह बाजार एक ओर जहाँ ऋणी को शीघ्रता से अल्पकालीन कोष प्रदान करता हे, वहीं दूसरी ओर विषक की अपने कोष सुरक्षित प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करता है। इन प्रतिभूतियों में पूंजी हानि की सम्भावना न्यूनतम (सामान्यतः वहीं) होती है। इनके व्यवहारों पर निजर्व बैंक का कठोर नियन्त्रण होता है; और व्यवहार प्रायः सरकारी प्रतिभूतियों तथा बैंक प्रतिभूतियों में होता है।

मुद्रा बाजार उद्योग तथा व्यापार की कार्यशली पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस बाजार में रिजर्व बैंक की अग्रणी भूमिका होती है। इस बाजार में रिजर्व बैंक को अध्यक्षीय आसन प्राप्त होता है। रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार का व केवल नियमन करता है बल्कि निर्माण, संचालन तथा विकास भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार की परिभाषित करते हुये कहा गया है कि ''मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौखिक परिसम्पत्तियों का क्रय–विक्रय केन्द्र होता है। यह उध ाार लेने वालों को नकदी एवं तरलता प्रदान करता है। यह वह स्थान होता है जहाँ व्यक्ति तथा वित्तीय

संस्थाओं के विनियोग योगय अल्पकालीन बचे धन की उधार लेने वाले व्यक्ति, वित्तीय संस्थाएँ तथा सरकार स्वयं मोली लगाकर प्राप्त करती हैं''

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय मुद्रा बाजार द्विशासित मुद्रा बाजार है। यह संगठित एवं असंगठित दोनों रूपों में पाया जाता है। संगठित मुद्रा बाजार के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विदेशी बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, विकास बैंक तथा गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थाओं जैसे—काल मनी बाजार ट्रेजरी बिल बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, जमा पत्र बाजार, व्यापारिक पत्र बाजार, मुद्रा बाजार, म्युचुअल फण्ड तथा रेपो बाजार आते हैं। इसी प्रकार असंगठित मुद्रा बजार में देशी बैंकर, साहूकर, चिटफण्ड आदि की सम्मलित किया जाता है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का प्रारंभ 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ हुआ है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाय भारतीय बैंकों द्वारा 1956 से ही मुद्रा बाजार में सक्रियता रफी है। सन् 1970 में एल.आईसी. तथा यू.आई.आई. को केवल ऋण प्रदान करने के लिये स्वीकृति प्राप्त हुई इसके पश्चात् 1973 से इण्डियन बैंकर्स एसोसिएशन ने आर.बी.आई. से सलाह करके कालमनी पर ब्याज दर की अधि ाकतम सीमा निर्धारित की गई। मई 1989 से ब्याज दर नियमन उठा लिया गया और बाजार आधारित स्वतंत्र ब्याज दर लागू हुई। मई 1989 से ही लेनडर (उधार देने) के रूप में जी.आई.सी. आई.डी.बी.आई. तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को प्रवेश की अनुमति मिली। सितम्बर 1994 से सिक्यूरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस.टी.सी.) ने उधार लेने तथा उधार देने के लिये मुद्रा बाजार में प्रवेश किया। इसके पश्चात् अप्रैल 1995 से म्युचुअल फण्ड्स की कुछ शर्तों के अधीन लेनडर के रूप में प्रवेश की अनुमति मिली। इसके पश्चात् आर.बी.आई. के मार्च 2001 में स्टडऋी ग्रुप की सिफारिशेां पर इण्टर बैंक कॉल मनी बाजार के रूप में बढने की ओर अग्रसर हुआ है।

असंगठित मुद्रा बाजार :–

असंगठित मुद्रा बाजार में देशी बैंकर्स, साहूकार निधि तथा चिटफण्ड शामिल हैं। असंगठित बाजार अपने संगठन स्वरूप, क्रियाओं, ब्याज दरों तथा नियमन के सन्दर्भ में संगठित क्षेत्र से मित्र तथा विशिष्ट होते हैं। असंगठित बाजार में मुख्य रूप से ग्रामीण दस्तकार, छोटे व्यवसायी तथा किसान ऋण लेते हैं, इसकी पहुंच आधुनिक बैंकों तक नहीं होती है। यह बाजार ग्रामों, कस्बों तथा छोटे शहरों में सक्रिय होता है। यहाँ साहूकार प्रचलित दर से अधिक ब्याज दर पर परिस्थित ऋणियों की सहायक प्रतिभूति अथवा बिना प्रतिभूत केवल जमानत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराता है। इन देशी बैंकर्स तथा साहूकारों पर रिजर्व बैंक का कोई कोई नियमन व नियंत्रण नहीं होता है। देशी बैंकर्स की गतिविधियाँ नियंत्रित नहीं हैं। ये ऐसे व्यक्ति अथवा निजी फर्में होती है जों एक बैंक की तरह कार्य करते हैं। ये जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ऋण देते हैं। प्राचीन समय में तथा मध यकाल में ये बहुत अधिक क्रियाशील थे। परन्तु भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास के बाद सये प्रायः समाप्ति हो गये परन्तु देश के पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में अभी भी ये बैंक कार्य कर रहे हैं। जैसे गुजराती सर्राफ मुलतानी अथवा शिकारपुरी सर्राफ, चौतिपार तथा माखाड़ी कयास आदि। इन बैंकरों से ऊँची ब्याज दर लेते हैं तथा रिजर्व बैंक की दर नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

असंगठित मुद्रा बाजार में ऋण/वित्त कम्पनियाँ, चिटफण्ड तथा निधि भी सक्रिय हैं। ऋण कम्पनियाँ जिन्हें साधारणतः वित्त कम्पनी के रूप में जाना जाता है, ये सारे देश में सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ साझेदारी फर्में तथा एकल व्यवसायी भी ऋण प्रदान करने में सक्रिय है। ये अपने कोष सार्वजनिक जमाओं, ऋण लेकर या विभिन्न योजनाओं में प्रातियों के रूप में संग्रह करते हैं। वित्त कम्पनियाँ खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी एवं स्वयं रोजगार व्यक्तियों को ऊँची ब्याज दर पर ऋण देती है। ये दैनिक साप्ताहिक

अथवा मासिक आधार पर वसूली करके उसे पुनः ऋण के रूप में निवेश कर देती है। असंगठित क्षेत्र में ''निधि'' प्रणाली दक्षिण भारत में पाई जाती है। यह एक प्राकर की पारस्परिक कल्याणकारी योजना है, जिसके व्यवहार अपने सदस्यों तक ही सीमित होते हैं। इनके कोष का प्रमुख स्रोत अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करना है। इस कोष से ये अपने सदस्यों को अपेक्षाकृत उचित दर पर निर्धारित उद्देश्यों, जैसे गृह–निर्माण, गृह मरम्मत, धार्मिक उत्सव, चिकित्सा आदि के लिए ऋण प्रदान करती है।

संदर्भ स्रोत :–

1. डॉ. शारदा मंगवार, वित्तीय बाजार एवं विनियोग प्रबंध म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल पृ. 1

2. डॉ. दिनेशचन्द्र गुप्ता, वित्तीय विपणन परिचालन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल

3. प्रो. वी.पी. अग्रवाल वित्तीय बाजार परिचालन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2009 पृ. 24–29

4. Dr. Dinesh Chandra Gupta, Financial Marketing Operation Published by Madhya Pradesh Hindi Granth Akadmic. 2009

5. Prof. V.P. Agrawal, Financial Market operation, Published by Sahitya Bhawan Publications Agra- 2009

6. Prof. V.P. Agrawal, Financial Market operation, Published by Sahitya Bhawan Publications Agra- 2009

7. Dr. Sharda Gangwar, Financial Market and Investment Management Madhya Pradesh Hindi Granth Akadmi Bhopal.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th Jan 21 Paper Accepted : 15th Feb 21

पूँजी बाजार के मध्यस्थों की अवधारणात्मक स्वरूप का अध्ययन

❑ रामेश्वर यादव*
❑ डॉ. प्रभाकर सिंह**

शोध सारांश

पूँजी बाजार के मध्यस्थों के लिये सामान्यतः हिन्दी का ''बिचौलिया'' शब्द प्रचलित है। प्रायः पूँजी बाजार में मध्यस्थों को विचौलियो शब्द से की जाना जाता हैं वाणिज्यिक भाषा में 'विचौलिये' शब्द का अर्थ मध्यस्थ की होता है। पूँजी बाजार में स्थित मध्यस्थों का निवेशक, निर्गमनकर्ता एवं सेबी नियमों से सीधा एवं व्यापक सम्बन्ध होता है। पूँजी बाजार में होने वाला छोआ सा भी विचलन, मध्यस्थों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित करता है। क्यों की ऐसा होने से उनकी नियंत्रण प्रक्रिया एवं बाजार के व्यवहारों पर सीधा असर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप पूँजी बजार में निवेशकों के विश्वास को धक्का पहुँता है। क्योंकि मध्यस्थों के माध्यम से ही निवेशक एवं निर्गमक पास–पास आते हैं व मूलतः विश्वास के आधार पर की निवेशक निर्गमनों में निवेश करने के प्रति उत्साही होते है।

मुख्य शब्दः वित्तीय बजार, अवधारणा, विनियम, म्युचुअल फण्ड, बट्टा, बैंक, आदि।

उद्देश्य :–

1. वित्तीय बाजार में वित्तीय सम्पत्तियों का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप से संचालित करना।

2. बैंक एवं बैंक से जुड़े फर्मों एवं वित्तीय संस्थाओं का सुचारू रूप से प्रबन्धन करना।

3. वित्तीय संस्थाओं में समय–समय पर होने वाली वित्तीय गतिविधियों पर साख सम्बन्धी अवधारणाओं को समुचित रूप से दुरुस्त रखना।

शोध–प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध आलेख में वित्तीय बाजार में अवधारणात्मक तथ्वों का वर्णनात्मक एवं विषलेष्णात्मक गतिविधियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर शोध पत्र तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

पूँजी बाजार मध्यस्थ लोक निर्गमन में सेबी एवं निवेशकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मध्यस्थ निगमनकर्ता कम्पनी एवं सामान्य पब्लिक/निवेशक के बीच एक सेतु का काम करता है। ये निवेशकों को शेयर बाजार के प्रति शिक्षित करते हैं तथा उन्हें सुविधाजनक एवं लाभदायक तरीकों से निवेश करने में मदद करते है। ये मध्यस्था सेबी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते है तथा निगकर्ता कम्पनी की मदद करते हैं।

* शोधार्थी (वाणिज्य), शास. संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
** प्राध्यापक (वाणिज्य), शास. संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

पूँजी बाजार को सुचारू रूप से संचालित करने में मध्यस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पूँजी बाजार में मध्यस्थों के माध्यम से की पूँजी एकत्रित कर पूँजी बाजार तक पहुँचाई जाती है। ये मध्यस्था आम जनमानस तंग पूँजी बाजार के मध्य की कड़ी होती है। ये मध्यसी आम जनमानस से पूँजी एकत्रित कर पूँजी बाजार तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। सेबी ने प्रतयेक मध्यस्थों के सम्बन्ध में विनियमन जारी किए मैं ताकि वे निवेशकों तथा पूंजी बाजार को उचित सेवा दे सके। इन मध्यस्थों को यह आवश्यक है कि वह अपना पंजीकरण एंव विनियमन प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार के रूप में सेबी के अन्तर्गत करें। सेबी ने विनियमन 2008 एक विस्तृत फ्रेमवर्क को रखने के लिए जारी किया है, जो मध्यस्थों पर लागू होगा। नया विनियम सभी मध्यस्थों के लिए पंजीकरण तथा विनियम, स्थायी पंजीकरण, विविध गतिविधियाँ, पंजीकरण फार्म, उचित व्यक्ति प्रक्रिया, पंजीकरण के प्रमाण पत्र का निलम्बन तथा निरस्स्तीकरण की व्यवस्था करता है।

सेबी अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एक बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा तथा पूंजीबाजार का विकास निश्चित नियमनों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जा सके। सेबी अधिनियम–1992 की धारा 11 के अनुसार दलल, उपदलाल, अंश हस्तान्तरण एजेंट, निर्गमन के बैंकर, न्यास संविदा के न्यासियों निर्गमन एजिस्ट्रार, मर्चेण्ट बैंकर्स, अभिगोपको, पोर्टफोलियों मैनेजर, निवेश सलाहकार और ऐसे मध्यस्थ जो कि प्रतिभूति बाजार में किसी न किसी रूप में जुड़े क हो इन सभी को सेबी के पास पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया गया है इसके अलावा सेबी ने सभी मध्यस्थों के सम्बन्ध में उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को समुचित एवं नियमित करने के निर्देश जारी किये हैं, जिससे कि निवेशकों और पूंजी बाजार को समुचित सेवाएं प्राप्त हो सके।

जिस प्रकार पूंजी बाजार की दो प्रकार (प्रथमिक बाजार एंव द्वितीयक बाजार) से विभाजित किया गया है, उसी प्रकार पंजी बाजार मध्यस्थों को कार्यों को अनुसार भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है–

प्राथमिक बाजार के मध्यस्थ –

- मर्चेन्ट बैंकर,
- अंश हस्तान्तरण एजेन्ट तथा रजिस्ट्रार,
- अभिगोपक,
- निर्गमन के बैंकर
- ऋण पत्र प्रत्यासी

द्वितीयक बाजार के मध्यस्थ –

- स्कंध दलाल एवं उपदलाल,
- पोर्टफोलियो प्रबंधक,
- संरक्षक

प्राथमिक बाजार मध्यस्थों की सहायता से ही कोई भी कम्पनी अपने संभावित निवेशकों तक पहुंचती है तथा निर्गमन की पूरा करने के लिये सामूहिक रूप से कार्य करती है। आज स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली के दौर में निर्गमनकर्ता तथा मर्चेन्ट बेंकर्स का दायित्व बसा है कि वे निर्गमनों के मॅयन में समुचित विवेक से काम ले। इसके सन्दर्भ में सेबी ने सभी मध्यस्थों के लिये दिशा निर्देश जारी किये है। जिससे निवेशको व पूंजी बाजार के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का सकी आश्वासन मिल सके। जब कम्पनियाँ अपनी प्रतिभूतियों निर्गमित करती है, तो मध्यस्थ कम्पनी की काफी लाभदाय सेवाएं देते हैं। इन मध यस्थों की मदद से कम्पनी अपने भावी निवेशकों के पास पहुंचती है तथा एक दल के रूप में निर्गमन का कार्य करती है। मध्यस्थ निवेशकों को ीाी सेवा प्रदान करते है।

द्वितीयक बाजार के महत्वपूर्ण मध्यस्थ स्टॉक दबाव उप–दलाल, पोर्टफोलियों प्रबन्धक एवं संरक्षक (कस्टोडियन्स) आदि है। द्वितीयक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका स्टॉक बोकर, निभाता है। यह एक लेन–देन में प्रवेश करने के लिये प्रतिभूतियों के क्रेता तथा विक्रेता दोनों की व्यवायता करता है। इनके द्वारा किसी गये लेन–देन की कपट, उद्देश्यपूर्ण मिथ्या

वर्णन या किसी लन–देन की सरल गलती की स्थिति में की निरस्त किया जा सकता है। किसी आर्डर को पूरा करने के लिए एक मध्यस्थ अपने ग्राहक के लिए अपने स्वयं नाम से प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय कर सकता है। अर्थात् एक मालिक या एक एजेण्ट के रूप में काम कर सकता है।

संदर्भ स्रोत :–

1. डॉ. शारदा मंगवार, वित्तीय बाजार एवं विनियोग प्रबंध म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल पृ. 1

2. डॉ. दिनेशचन्द्र गुप्ता, वित्तीय विपणन परिचालन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल

3. प्रो. वी.पी. अग्रवाल वित्तीय बाजार परिचालन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2009 पृ. 24–29

4. Dr. Dinesh Chandra Gupta, Financial Marketing Operation Published by Madhya Pradesh Hindi Granth Akadmic. 2009

5. Prof. V.P. Agrawal, Financial Market operation, Published by Sahitya Bhawan Publications Agra- 2009

6. Prof. V.P. Agrawal, Financial Market operation, Published by Sahitya Bhawan Publications Agra- 2009

7. Dr. Sharda Gangwar, Financial Market and Investment Management Madhya Pradesh Hindi Granth Akadmi Bhopal.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 4th Feb 21 Paper Accepted : 20th Feb 21

Bama's Karukku : A Study in Dalit Consiousness

❒ Smt. Kranti Lodhi*

ABSTRACT

The oppression endured by women in literature therefore can be considered as marginal literature. The unexpected experience in India of dalit women are surely a double marginality. In this category Bama Faustina one of the most prominent Dalit writer of India, She has expressed the double marginality. Although many writers have tormented Dalit in their works, Bama's novel open up new perspective on Dalit women . Her creative faculty and fertile imagination weave an oppressed and subjugated image of a Dalit Women . Bama has ethical and motive in depicting the real position of Dalit in the form of fiction . This present paper studies, in Bama's novel Karukku, the growth of the Bama's mind and character from infancy through different types of experience and identification of her recognition and role in the world. This paper studies Bama as a Dalit who moves towards self discovery, self definition and self affirmation . The central idea of this paper is caste consciousness as present in Bema's Karukku, prominent Dalit Autobiographies . Bama has unraveled many side of Dalit life. It is primarily a feminist narrative however: it draws our attentiveness towards the exploitation of Dalit in cast ridden society.

Keywords : Dalit, marginality, suffering, identity, consciousness, self- discovery, self definition, exploitation, self affirmation, caste.

Introduction :

Women representation in literary text seems to vary in different ways. Some female characters appear as 'commodities' of men's urges and desires, victim of marginalized oppression and even as the "uneducated and regressive members of society". In India, women are marginalized at every level of the society whether in social, economic, political participation and gender disparity also exist. In 'Karukku' Bama talks about her own feeling of growing up, as a women, within Dalit community Caste system is a social system, which divides the society between the castes; the Brahmin, the Kshatriya, the Vaishyas and the Shudras . There is a separation system within the castes . Brahmin, the Kshatriya, the Vaishyas are considered as upper castes . The Shudras are considered as lower caste . These kinds of separation systems are called Varna and Jati respectively. In the post Vedic ages, Shuras were called untouchable. In Indian socio- cultural context ' Dalit ' are considered as untouchable. The word 'Dalit' was first mention by a nineteenth century writer Jyotirao Phule when he wrote about the incident of 'Untouchables' in his work. They were assigned menial jobs only. During the 20th century, they were referred as ' untouchable ' or 'Harijan' by Narsimha Mehta and Mahatma Gandhi. Dr. Amebedkar, a Dalit Economist, politician and social reformer has conveyed the another word for " Dalit" as "broken men". The official term used for this

* Assistant Professor (English), Govt. P. G. College Tikamgarh (M.P.)

oppressed community as " scheduled caste" and " scheduled tribes".

Women are in a worse position. they are discriminated against, based on their caste, their economic and their gender . In Indian society Dalit women are most marginalized being. These women are not secured. Women of upper caste society are not considered equal to the women of lower caste society. The condition of Dalit women worse than the Dalit men in the Indian society. In name of Devadasis practice, in which parents marry a daughter to a deity, Dalit women are sexually assaulted attacked by rich men and landlords, when the village girls gain their their youth . They are treated with cruelty sexual by upper caste men and forced them into prostitution. They live under the strong clutch of patriarchy. They have to please their husband sexually . Illiteracy makes them dependent on men which question their own identity. Their literary shut their eyes from seeing the truth and justices. So they become victims of patriarchy.

After the independence,the Dalit consciousness increased very fast in the society and in Literature because literature is the mirror of society. This is due to everyone being encouraged to seek education only after independence , irrespective of caste religion and position in society . So, this paved the way for people to realize their condition in society. Through Karukku, Bama fights against caste, gender, religion, and cultural discriminations. She also wants her community woman to be recognized and liberated both 'body and mind'. This paper focuses on how Bama brings out her own feelings and experiences and how she celebrates the various discrimination in her autobiographical novel, Karukku.

Bama,also known as Bama Faustina Susairaj. She accepted 'Bama' as her pen name. She was born in 1958 in a Roman Christian family at Puthupatti, Virudhunagar district in Tamil Nadu. Susairaj and Sebastian are her parents. Her father was doing works in the Indian Army. Bama's ancestors was Dalit and worked as Farm workers. She had her early education in her village and graduated in St Mary's College Thoothukudi, Tamil Nadu. After graduation, and became a schoolteacher for very poor girls. She worked as a nun for seven years. Her service as a nun was not given gratification to Bama because of inequality among the nun . And finally she left the job and started writing. These addicted faced the foundation for her autobiographical work, Karukku. Which was published in 1992. Bama was banished from her village after the releasing of her autobiography, Karukku. Because Bama has portrayed the real condition of their people in the village and society. The village people warning her not to enter in the village without allowance. However, Karukku was significantly acclaimed and won the Crossword Book Award in 2000. Bama followed it with Sangati(1994), Vanmam, and Kusumbukkaran(1996).

In Karukku, Bama,A Christian Dalit,talk about her own feelings of bringing up within the Dalit society in Tamil Naidu. Karukku is a autobiographical that chronicles, Bama life from her childhood to her adult life as a nun, and beyond. Karukku was primarily written by her in Tamil language in 1992. After that it was translated into English language by Lakshmi Holmstrom in 2000. Karukku is one of the most prominent autobiography of a Dalit woman written in Tamil. In preface Bama herself says:

"Karukku, written by a wounded self, has not been dissolved in the stream of time, On the contrary, it has been a means of relieving the pain of others who were wounded".

The meaning of word 'Karukku' in Tamil is Palmyra leaves, with their serrated boundary on both sides, which are like two- edged swords. The term 'Karukku' can also refer to an embryo or seed that signifies freshness and newness. Bama finds many similarities between the saw-edged Palmyra and her own life. She says:

"Events that occurred during many stages of my life, cutting me like karukku and making me bleed…. Later they also become embryo(karu) and symbol that grew into this book"

This is the first autobiography of its type to view in in Dalit literature. In this autobiography, Bama does not follow the standard rules of an autobiography. This autobiography can also be considered as a society's history; it is rather a cultural biography of a society. Bama's Karukku critical her inward searching for self-discovery and the consequential courage, which has given energy her move away from a common life hoped out of a woman (with a man), to live the life as a alone .

Bama deplorable describe an event that is the horrible influence of casteism which is backbone in the Indian soil. The upper class people cast contemptible glances at them and the author remembers in Karukku how once in her school she was branded as a thief because she belongs to a lower caste community. Her reminiscence on her experience at school as:

"The next morning at assembly, the headmaster called out my name. 'You have shown us your true nature as a Paraya' he said. "You climbed the coconut tree yesterday after everybody else had gone home, and you stole a coconut. We cannot allow you inside this school. Stand outside'. (Karukku 19)"

If any work is available in the high society's house, the lower caste people have to go there and find out. Those upper caste people never entered the lower caste people's place because they thought they were touchable. These upper caste people have marginalized the Dalit people. All the facilities available only in upper caste people street not in the lower caste. The children are always bare-bottomed, both boys and girls. In the water lap, people are always fighting for the water, which shows the pity of the poor people. When Obama was studying the third standard in elementary school. She never heard "Untouchability" when she entered the school. She felt and experienced one day Bama had seen Naicker at the house when all Bama's neighbors were doing hard work. Naicker was sitting in his chair an elder person who belonged to Bama's street is considered a respectful one. The person had been bringing tea and Vadai from the tea shop to the Naicker's home. The man has bowed himself and delivered tea and vadai to Naicker, Bama maked fun of herself. She says:

"Naicker women would pour out the water from the height of four feet. While paapti and others received and drank it with cupped hands to help their mouths (P 16)."

When her parents ask her to conceal her caste, she vehemently refuses to do . She is being identified as a person of Paraiyar agglomeration and she did not want to lose her identity. Also as a college student, she undergoes humiliating experiences when she was treated contemptuously by her fellow students for getting scholarships and for wearing the same set of clothes for a week due to her poor social status. She is stigmatized for being born in the lower caste. She takes up Christianity and becomes a nun thinking that she would be free from all sorts of condemnation at least now. But she is disillusioned with the way she has been treated in the convent. Even there where nuns are assumed to take care of the oppressed, casteism played a vital role. Dalit Christians are looked down upon by the Upper caste Christians. Here Bama gives clear details of how Dalit Christians are not permitted to sing with the church singers and how they are not permitted to bury their dead in the village cemetery. They are made isolated cemetery to use beyond the outer parts of the town. The Paraiyars who converted to Christianity in order to evade casteist persecution at the hands of the fundamentalist. Hindus are shown to be mostly disturbed by this as they are unable to escape a different type of harassment within the Church fold. She leaves the church in great disappointment with the feeling that the priest has no real sympathy for the downtrodden. She says:

"But why should I pretend to these people that I am from a different caste, all the same, the pain I felt was not a trifling one." (p.64).

Thus her curious mind then analyzes various incidents and events for the power of their own people.Bama's grandmother served as a servant to the Naicker families under a very difficult situation. In the Naicker family his grandmother was treated as unwanted trash. This kind of humiliation caused Bama to raise his voice against these caste

In "Karukku"Bama has exposed the oppression of Dalit's life, The way how they are discriminated against by the elite, even Bama discriminated against them in many places. Bama ultimately did not provide a solution to these problems in his life story "Karukku". Bama has expressed his anger in her work, She does not oppose in the public sphere, with racial discrimination . Bama has failed in society. As a paramount of Tamil Dalit women Bama openly records inner fury in her writing . She evaluates the strength and weakness of her community. Bama has moral and social purpose in depicting the real condition of Dalit women in the form of fiction. Bama says that her women have latent energy which is like a volcano that remains in the crust of the earth. When necessity comes in their lives they together thrive up to the level of sky with the inherent burning energy and uphold their heads on par with other men.

Reference:

1. Faustina Bama," Karukku" Translated by Lakshmi Holmstrom and Mini Krishna : New Delhi.2005
2. Karukku" The Atlantic Literature Review.
3. Joseph, S John Peter " From Subjugation to Liberation : A Critical Study of Bama 's Karukku"

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 4th Feb 21 Paper Accepted : 20th Feb 21

Women Emancipation in the Writings of Shashi Tharoor : A Critique

❒ Dr. Priyanka Mehra*

ABSTRACT

Various surveys all over the world from time to time have reported that almost all the societies of the world regime under masculine dominance. Women have been treated as the 'Other'- secondary and inferior. One of India's most talented non-fictional writers, Shashi Tharoor in his writings has tried to enlighten the readers in this respect with special reference to the status of women in India. He has shown through his writings, the way women of India have faced various discriminations. Women are always regarded as the 'Second' gender of society. In the contemporary scenario, women in India are now leading ahead in breaking off these unwanted tags. The paper thrusts on Tharoor's objective in which society can act as a catalyst in empowering women. The root cause of various social mayhems is the lack of social understanding. A true society however, remains far from anarchy. This paper proposes to shed light on women empowerment where society can play a pivotal role in bringing an equal status to them with the help of opinions and views illustrated in the writings of Shashi Tharoor.

Key Words : Women, Emancipation, Writings,Shashi Tharoor,empowering, Critique etc.

Introduction :

The western movement termed 'feminism', first turned the concentration all over the world towards the deplorable condition of women. The term came into notice in the early twentieth century. The word 'feminism' has originated from the Latin word '*femina*' meaning 'woman' it originally means 'having the qualities of females'. It began as a movement for women's rights from 1895. In the feminist movement, literature proved as a medium of expression to give a voice to women who wanted to change mindsets; their own as also of others.

In literary texts, feminism scrutinizes the impact and effect of male supremacy and their tortures and picture of gender roles, which tend to impose social norms, customs, conventions, laws, and expectations.

Leading non-fiction writer of India Shashi Tharoor makes his position quite clear regarding the status of women through his depiction of conditions of women prevalent in India. To Tharoor deprivation of equal status to women in society is the violation of secular ideals of India. Tharoor asserts that India has a patriarchal society where male dominates the society and family. Females of the family are given less importance and are usually treated as 'second'. The divinity of the identity is always neglected, her wisdom and potential is incarcerated within the household works. Tharoor thinks that for the proper

* Assistant Professor, Govt. P.G. College, Tikamgarh, M.P.

functioning of a society, it needs the active participation of both man and woman.The disappointment that lies at the core of Shashi Tharoor's heart is the drawback which prevails in social construction of India, which includes division of classes, plight of Indian women and gender inequality.

When one looks at Indian society, one would imagine that women in India enjoy a respectable place in society and family because of the religious connotations given to women by the Indian society as *Shakti Swaroop* of *Kali*, *Durga, Saraswati* and *Laxmi*. Apart from this, the reality is far from the truth of societal nomenclatures. Women still live the life of an underprivileged class. They are being downtrodden by the matriarchal Indian society. They are dishonoured and raped. An illustration is the case of Nirbhaya on 16th December 2012 wherein a woman was raped by six men. Afterwards her body was brutally treated which lead to her death. In response to this, Tharoor tweeted that the girl has done no work of shame and should be saluted by disclosing her name for fighting bravely with those men. He tweeted:

Wondering what interest is served by continuing anonymity of Delhi Gang Rape victims. Why not name and honour her as a real person with own identity. Unless her parent objects she should be honoured and the revised anti-rape law named after her. She was a human being, whereas name not just a symbol. (Twitter)

Women are being oppressed and killed before their birth. The sex ratio has considerably declined in countryside. The social mind set-up of Indian society which prefers men's working and earning ability than women creates the way to the declining sex ratio which according to the writer is a virus, " … like a virus out on the loose, these prejudices of the mind feast and fester on in our souls to create an unequal and unjust society" (*India Shashtra*345) . He simply blames dowry custom which influences female infanticide. With the passage of time he believes this system has strengthened its roots. He writes, " … India's modernization has worsened the practice of dowry rather than reduced it." (*India Shashtra*346) In Indian culture, Tharoor asserts that woman is symbolised with the divinity status. Still, the fate of women in India is miserable. Affirmative actions had been taken up by the government of India to provide constitutional rights to the various groups including, backward classes, women and minorities. However, Tharoor feels there is a lot more to improve the societal status of women in the country and for that society must change its nomenclatures of defining the status and function of a woman.

Shashi Tharoor feels proud of the matriarchal society of Kerala where women are dominant in the society. On evaluating, the reason of equal status in his home state, Tharoor finds the impartation of education and higher literacy state in the state. He promotes female education. According to him, if a girl is being educated then the whole family and overall the whole community gets educated. This helps in advancing of the society as well. He feels proud of his native state where the women top the hierarchical position in society. Kerala has high literacy rate. Education has played an important part in improving the conditions of the women. The women subjugated with the crisis of identity got a new hope through the medium of literacy to establish them. In one of his essays, "India at Forty-Nine: Notes Toward an Impression of Indian Society and Culture Todays" from his book *India from Midnight to the Millennium and Beyond,* he enumerates positive aspects:

An educated woman demands and receives better care for herself and her sick children, ensures better standards of personal and domestic hygiene, has more say in running her household, and is more resistant to cultural pressures to produce large numbers of children. The best contraceptive is education. (*IMMB* 295)

However, only education of women cannot change the mindset of society. The fourth wave of feminism appeals for an equal participation of women in every field recognizing a woman's capabilities and caliber. In the contemporary scenario of modern cities Indian women have progressed in various fields like banking, medical, astronomy, engineering, hospitality still their number as compared to men is unsatisfactory. Tharoor blames the societal values where women achievers of different field are always kept under the investigating lens of their naivety. He focuses in one of his essays, about the beauty contest

like Miss World, Universe and Miss India has collected enough fame in India through the beauty pageants Aishwarya Rai, Sushmita Sen, Priyanka Chopra, etc. Tharoor also highlighted the implausible rumours that for attaining glamour and success women have to exchange through sex. He highlighted the rumour about Sushmita Sen which spread that she had bartered her naivety for the crown. Tharoor has admirably construed through his fictional work *Show Business* the real and hidden picture of Indian Cinema through metaphoric characters and allegory. He unveils the poor face of society which questions the success of a woman. He stresses on women empowerment as the need of the hour and he writes in "Empowering Indian Women", "There is one form of energy that is greater than all the energy that can come out of thermal, hydel, solar or nuclear power: it is woman power, and it can electrify the future."(*IndiaShashtra*357)

Shashi Tharoor mentions the objection of Indian feminists for the organization of Miss Universe in Banglore in 1996 for according to them the nudity and bareness will contaminate the Indian Culture. In the above mentioned essay Tharoor questions to those feminists about their concern on, "economic reality that obliges many poor women to go about bare-breasted because they cannot afford the cloth to cover themselves." (IMMB 307). Tharoor put his point that Indian culture embraces both the *burqa*-clad woman and the Bombay model. He also drives his point back to the great heritage of Indian culture where erotic, amatory couples in overt positions in stones on the temples of Khajuraho are carved. He highly condemns the practice of *Purdahpratha* and *Sati pratha*.

Tharoor stresses for a positive change in society. He writes about two approaches, negative and positive. Negative approach is to technically obstruct the citizens to identify the foetu through the actions taken up government to control sex ratio. Another positive approach focuses on incentives like grant for having girl child, tax- breaks for mixed caste marriages etc. Societal outlook will determine the change in the status of women. Both the genders together contribute in building up of a society and negligence to the development of any one may result in the degradation of whole society. Therefore, it is up to society to choose those norms, values and customs which will help in escalating the power of women. In this process even if it is subjected to leave the old traditions which interrupts the process of women empowerment the society must leave those. In short what we found in *Manusmriti*, can be summed up as what Tharoor render in his works, "Where females are honoured, there the deities are pleased; but where the females are not honoured there all religious acts are of no avail"(Wheeler 121). In a nutshell, it is the liability of society to foster women empowerment to bring positive change of equality in society.

Works Cited

Tharoor, Shashi. "India at Forty-Nine: Notes Toward an Impression of Indian Society and

Culture Today" *India from Midnight to the Millennium and Beyond.* Penguin Books, 2003.

…, "India's Missing and Abused Women" *India Shashtra: Reflections on the Nation in Our Time.* Aleph Book Company, 2015.

…, "Empowering Indian Women" *India Shashtra: Reflections on the Nation in Our Time.* Aleph Book Company, 2015.

Wheeler, J. Talboys. *Ancient and Hindu India: The Brahmanic Period.*Panthi Pustak, 1961.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299

Paper Recieved : 15th Feb 21 Paper Accepted : 28th Feb 21

CORONA-III, A World Pandemic Disease with Particular Reference to REWA District (M.P.)

❐ Dr. Ashish Dwivedi*

ABSTRACT

Now world on progress, nearly 200 vaccines around the world are in progress, out of which 10 vaccines are nearly prepared, out of which 3-4 vaccines are used as emergency vaccine in some country. In India ICMR and ministry of health permitted two vaccine Covishield and Covaxine for emergency use. These vaccine firstly used by health workers and front line corona warriors, then it would be given to others in a phased manner. In India now recovery rate from corona diseases is 96.56%.

Key world : ICMR, (Indian Council of Medical Research) Covid19-(Corona Virus diseases 19,) WHO (World Health Organisation) NIV (National Institute of Virology).

Introduction

In India Corona virus vaccination starts in January 16, 2021. In first day 1,91,181 people vaccinated throughout the country. In India two vaccine permitrted for emergency use: First Covishield is made by Cerum Institute Pune with British Company AstraZeneca, Adar Poona Walla is the CEO of this institute. Second Covaxine made by Bharat Biotech, Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology. These both vaccine two doses Vaccination regimens given 28 days apart.

Some other vaccine apart from India.

- mRNA 1273- Made by Moderna Therapeutics in America.
- INO4800- Innovia Pharmaceutical Pensuvalia America.
- AD5NCOV-Made by Chinese Academy of military Medical Science and Cancino Biological Institute of Biotechnology.
- LVS MEN PDC- Sen ten Gino Institute China Buhan Biological Product - Made by China.
- CHADOXY- Oxford General Institute Britain.

In my two previous research paper (Published in Sodh Chetna July-Sept. 2020 Vol.3, October-December 2020 Vol.4) I have described the situation from May to November, 2020,. Now I am discussing the situation in the month of December 2020 and January 2021. In the month of December total number of Cases affected with Corona diseases are 3847 and the Patients recovered from the Covid 19 till December 2020 are 3703. Number of total death till December 2020 are 33. Total people affected with corona diseases in the month of December are 560 and only one death occur in December month. Significant improvement in this month from previous months. The recovery rate is 96% (95.79) approx, which is also significant.

In the month of January 2021 total number of Corona affected case reaches to 4103, a major drop in this month with only 256 patients. The patients

* Govt. College Beohari, Distt. Shahdol (M.P.) India

recovered from Corona diseases are 4055, the recovery rate reaches up to 99% (98.83) approx. which is very higher and most significant. only two deaths reported in this month. total number of deaths reaches to 35.

Table 1
Covid-19 in Rewa district (2020-21)

Title/month	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.
Affected with Corona disease	32	24	272	481	919	812	747	560	256
No. of death	00	01	01	10	16	02	02	01	02
Average case per day	01 (1.03)	01 (0.8)	9 (8.77)	15 (15.51)	31 (30.63)	26 (26.19	25 (24.9)	18 (18.06)	8 (8.26)

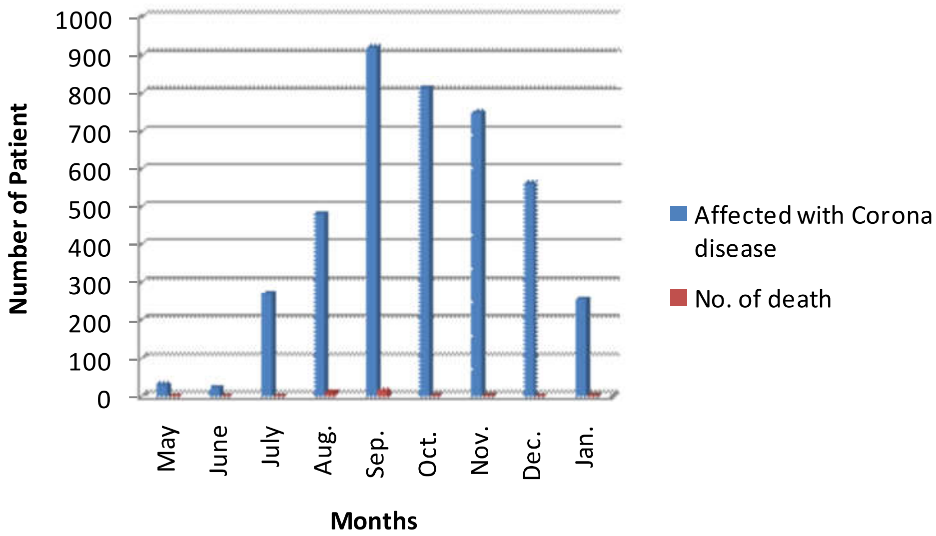

Deaths due to corona in Rewa District -		Till January 2021
Age group	Number	Total numbers of deaths due to Corona in Rewa district are 35 out of which 31 male and 4 female. The youngest death due to Corona diseases is a 17 year girl out of 35 deaths 28 people are from Rewa town, only 7 people are from different blocks of Rewa district 26 people are the above 50 years age group. There is only one death upto the age of 30 years. Only Nine deaths reported so for upto the age of 50 years and only four deaths up to the age of 40 years.
0-10 Year	00	
11-20 year	01	
21-30 Year	00	
31-40 year	03	
41-50 year	05	
51-60 year	10	
61-70 year	08	
71-80 year	08	
Total	35	

Conclusion :

The people who recovered from Corona disease till January 2021 are 4055. The recovery rate is 99% approx. Total numbers of deaths due to corona are 35 and out of which 26 people are from the above 50 year age group. Higher education is also opened in the month of January 2021. Now only primary and middle education is closed. Cinema theaters also opened with 100% capacity with corona guidelines.

Preventive measures for covid-19

1. Washing hands with soap and water at least 20 seconds or hand wash with sanitizer.
2. Cover the face with mask, covering your mouth and nose whenever you are in crowd or outside of your home.
3. Maintain social distance from each other while in working condition or market or office or any place where two or more people present, at least 6'' feet distance from each other is necessary.
4. Use "Arogya Setu app" in your mobile phone and always on blue tooth and location mode on your phone, for better results.
5. Avoid close contact with sick people and if you are sick put him/her in quarantine at home and immediately take Doctor's advice.
6. Kadha, vitamin C and D and other immunity boosters should be taken in regular diet.
7. Yoga and Exercise is also good preventive measures for covid-19.
8. Intake of warm water or water vapour, hot milk, gargle is also preventive measures for covid-19.
9. In case of sick people, National helps line number 1075 issued in Public Interest.
10. The government is now busy in preparing ways how to vaccinate people of India.

Reference :

1. Daily News Paper- Danik Bhaskar, Danik Jagaran, Patrika, Navbharat, Nai Duniya, Nav Swadesh (Rewa - edition).
2 . EASA - European union Aviation safety Agency.
3. Nat Microbiol. 2020 April, 5(4) 536-44
4. World Health organization. Clinical management of Covid-19. Interim guidance 2020 (Internet Publication).
5. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2020 Feb 17, 41(2): 145-51.
6. Livingston E, Bucherk. Corona Virus diseases 2019 (Covid-19) in Italy. JAMA 2020 Apr. 14 ; 323 (14) : 1335.
7. Shodh Chetna, A Peer Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal (July-Sept. 2020) Vol. 3
8. Shodh Chetna, A Peer Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal (Oct-Dec. 2020) Vol. 4, p 125-127
9. European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC).

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 15th Feb 21 Paper Accepted : 28th Feb 21

सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं का योगदान व वर्तमान चुनौती

❑ डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

भारतीय समाज में सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं का योगदान समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। समय के साथ उसकी स्थितियों में परिवर्तन आया है। वैदिक काल में महिला की स्थिति काफी मजबूत और प्रतिष्ठापूर्ण थी, लेकिन धीरे–धीरे उसकी स्थितियों में बदलाव होने लगे। वक्त की आंधी ने महिला की स्थिति कमजोर व बेबसीपूर्ण स्थिति में पहुँचा दी। लेकिन सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं का योगदान बहुत पुराना है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही महिलायें राजनैतिक योगदान दे रही है। फिर भी महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तावनाः–

पुरूष और स्त्री सामाजिक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये होते हैं। उनमें किसी एक के अभाव में यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। आवश्यकता है कि योग्य कर्मठ स्त्रियों की जो आगे बढ़कर अपनी जगह पहचान ले उसे हासिल करें। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पहले 33 फीसदी अब 50 फीसदी आरक्षण देने से वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। अब वे न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं बल्कि समाज के वाजिब फैसले भी ले रही हैं। वर्ष 2006 में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का कारवाँ बिहार से चलकर राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, अरूणांचल एवं मध्यप्रदेश में भी पहुँच चुका है। ऐसे में केन्द्र की ओर से सभी राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने की पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। भारतीय संविधान में महिला तथा पुरूषों के बीच लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया है। और दोनों को समान रूप से अधिकार दिये गये हैं। आजादी के बाद संविधान द्वारा लिंग भेद की समस्त परम्पराओं को दरकिनार करते हुए महिलाओं को भी समान अधिकार और समाज सहभागिता के अवसर दिये थे, लेकिन महिलायें अपने अधिकारों का प्रयोग धरातल पर नहीं कर पा रही है, तो इसका कारण इनमें राजनैतिक व सामाजिक चेतना की कमी होना ही है। पुरूषों की मानसिकता भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। आज भी पुरूष प्रधान समाज महिला को सिर्फ भोग्या बनाय रखने की अपनी सदियों की पुरानी मानसिकता से उतर नहीं पाया है। पंचायती चुनावों में हमें ऐसे एक नहीं कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमें महिलाओं के लिए अनारक्षित स्थानों

* प्राचार्य, पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहड़िया जिला रीवा (म.प्र.)

पर खड़ी महिला उम्मीदवारों के पूरे चुनाव का संचालन उनके पतियों, भाईयों या अन्य पुरूष रिश्तेदारों द्वारा किया गया। समूची निर्वाचन प्रक्रिया में महिला उम्मीदवार के दर्शन सिर्फ नामांकन के समय ही हुये और बाकी का काम पुरूष रिश्तेदारों द्वारा ही किया गया। उम्मीदवार घर की दहलीज के भीतर चूल्हे में खटती रही और उनके पतियों ने उनके लिए वोट मॉगें। महिला उम्मीदवारों के पति देवर या भाई उन्हें जितवाना तो चाहते थे, लेकिन उनकी सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं अपितु अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए ऐसी डमी महिला उम्मीदवार जीती भी लेकिन फिर भी घर की दहलीज लॉघने की उन्हें इजाजत नहीं मिली। वे जीत कर भी चार दीवारी के भीतर तक ही सीमित रहीं। पुरूषों ने उन्हें सिर्फ कागज या रजिस्टर पर अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करन भर का अधिकार दिया था। पिछले पंचायती चुनावों के तुरंत बाद एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन ने राज्य सरकार की एक एजेंसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के नतीजे चौकानें वाले थे। सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों में आरक्षाण का लाभ लेकर 80 प्रतिशत से भी अधिक ऐसी महिलायें जीत कर आयी जिन्हें घर स्टैम्प के अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। उत्तर प्रदेश बिहार और उड़ीसा जैसे बीमारू प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, गुजराज, पंजाब और आन्ध्रप्रदेश जैसे अपेक्षाकृत काफी विकसित व शिक्षित राज्य हों स्थिति सभी जगह कमोवेश एक ही जैसी है। इन सभी राज्यों में ऐसे एक नही कई–कई उदाहरण हैं जहां ग्राम पंचायत, विकासखण्ड या जिला पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति, भाई या पुरूष अभिभावक ही बैठक में भाग लेते हैं। अधिकारियों से बातचीत करते है। सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को तो अपने राजनैतिक अधिकारों तक का पता नहीं है उन्हें नहीं पता कि सत्ता में रहते हुए वे क्या–क्या कर सकती है, कैसे जनसेवा के कार्यों को अंजाम दे सकती हैं। विधायिका में महिला आरक्षण विधेयक पेश करते समय हमें यह भी सोचना होगा कि हमसे भूल कहॉ हुयी, गलती किसकी है? और यह गलती कैसे सुधारी जा सकती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का बस एक ही कारण समझ में आता है, शिक्षा और राजनैतिक जागरूकता की कमी सत्ता में भागीदारी के लिए आवश्यकता है राजनैतिक सोच को पैदा किया जा सकता है मात्र राजनैतिक जागरूकता से विश्व परिप्रक्ष्य में देखे तो हमारे यहॉ शिक्षा का प्रसार बेहद कम है। महिला शिक्षा के मामले में तो हमारी स्थिति और भी दयनीय है। महानगरों और कुछ शहरों को छोड़ दे तो दूरदराज के हमारे गॉवों में आज भी लड़कियों का दिन सुबह चूल्हें से शुरू होता है और रात को रसोई की सफाई के साथ खत्म होता है। अधिकतर लड़कियॉ स्कूलों का मुँह तक नहीं देख पाती और जो किसी तरह गॉव की प्राइमरी पाठशाला में पहुँच भी जाती है तो पॉचवीं के बाद उनकी पढ़ाई खत्म करवा दी जाती है। क्योंकि उनके परिवार वाले आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें नजदीक के दूसरे गॉव या पास के कस्बे में नहीं भेजना चाहते इसलिए आवययकता इस बात की है कि महिलाओं को आरक्षण के साथ–साथ सरस्वती की प्रतीक किताबे भी दी जाय उनके हाथों में चकले–बेलन के साथ–साथ कलमें भी थामाई जाएँ। होना तो यह चाहिए था कि पंचायती चुनावों में आरक्षण देने के बाद निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिये विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाये जाते, जिनमें उन्हें राजनैतिक अधिकार क्या है, सामाजिक दायित्व कौन–कौन से हैं और सत्ता में भागेदारी उन्हे कैसे प्राप्त करनी है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि इससे उनके जागरूक होने का खतरा था। उनके समझदार बन जाने का भय था और उनके बराबर होने की आशंका थी। और फिर महिला आरक्षण का झुनझुना उनके हाथों में थमाकर हमारा मकसद तो पूरा हो ही गया था। आधी दुनिया के इस वोट बैंक को रिझाने और दुनिया को दिखाने में तो हम सफल हो ही गये थे।

सीधी जिले की स्थितिः–

सीधी मध्यप्रदेश के उत्तर–पूर्व छोर पर स्थित जिला है। इसका मध्यप्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। सिंगरौली (24 मई 2008 को सीधी जिला से अलग हुआ) बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इससे देश भर के कई उद्योग को कोयले की आपूर्ति की जाती है। यहीं पर विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति होती है।

सीधी जिला राज्य के उत्तर–पूर्वी सीमा पर 22'', 47''5' और 24.42''10'' उत्तर अक्षांश और 81:18''40 और 82''48''30 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। सीधी जिला रीवा संभाग के 4 जिलों में से एक है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधी की दूरी 632 कि.मी. है। वहीं संभागीय मुख्यालय से इसकी दूरी 80 कि.मी. है। यह जिला पूर्व–पश्चिम में 155 और उत्तर–दक्षिण में 95 कि.मी. क्षेत्र फैला है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10,532 कि.मी. है।

जिले में चौफाल, खाम्ह घाटी में विशाल दृश्य जंगल की ज्वाला और फूलों का खूबसूरत नजारा है। वहीं महुआ के फूलों की खुशबू मदमस्त कर देती है। सीधी जिले में कुसमी तहसील के अंतर्गत बना बरचर बांध जिले का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से सिंचाई होती है तथा मछली पालन होता है। यह बांध संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है! बांध के आसपास साल के घने वन आच्छादित है जो काफी मनमोहक है।

उद्देश्यः–

1. सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं का योगदान एवं वर्तमान समय की चुनौतियों की स्थिति को समीक्षा करना।

2. स्थानीय महिला व अन्य जिले, राज्य के महिलाओं के मध्य हो रहें सम्पर्क के प्रभाव का पता लगाना।

3- l h/kh ft ysd sjkt uhfr d fod kl eaefgykvka dhiz'kklu eaHkwfedkdksKkr djukA

4- l h/kh ft ysdh jkt uhfr eaefgykvkad s ; ksxnku ij i Mh+sokysi zHkkokad ksKkr djukA

आवश्यकताः–

1. सीधी जिला की अधिकतर जनसंख्या आदिवासियों की है। स्थानीय प्रशासन में महिला प्रतिनिधि नाम मात्र की होती है, वास्तविक कार्य का सम्पादन पुरूषों के द्वारा किया जाता है।

2. सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं का योगदान ज्ञात करना।

3. सीधी जिले की लोकतंत्र की वास्तविकता को ज्ञात करना जहां पर स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

4. सीधी जिले की राजनीति में महिलाओं को आने वाले समय की समस्या एवं समाधान ज्ञात करना है।

तालिका क्रमांक 1

सीधी जिले की जनसंख्या 2011 और 2001 जनगणनानुसार

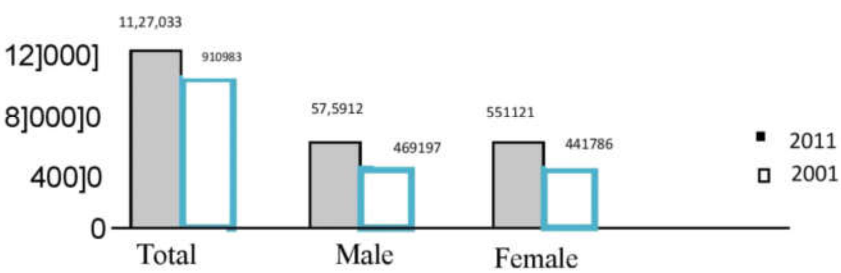

तालिका क्रमांक 2

सीधी जिले में साक्षरता प्रतिशत 2001 के अनुसार

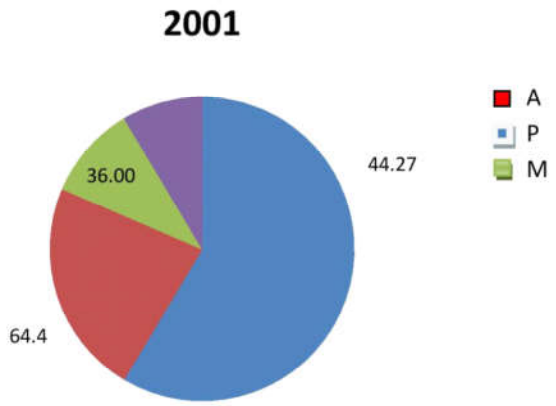

तालिका क्रमांक से ज्ञात होता है कि सन् 2001 की जनगणनानुसार सीधी की साक्षारता प्रतिशत का औसत 60.22% है, पुरूष साक्षारता प्रतिशत 67.4% है एवं महिला साक्षारता प्रतिशत 36.00% है, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते है तो यह प्रतिशत राज्य एवं देश की साक्षारता प्रतिशत से कम है, परन्तु भविष्य में बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।

तालिका क्रमांक 3

सीधी जिले में साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार

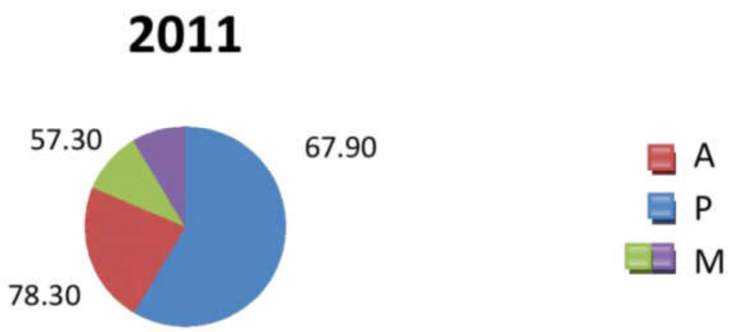

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि सन् 2011 की जनगणनानुसार सीधी की साक्षारता प्रतिशत कुल 67.90% है, जबकि पुरूष साक्षारता प्रतिशत 78.30% है और महिला साक्षारता प्रतिशत 57.30% है।

जब हम तुलनात्मक अध्ययन करे तो स्पष्ट है कि 2001 से 2011 की साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत होती हुयी दिखाई देती है और आशा करते है कि भविष्य में साक्षरता प्रतिशत में इससे भी अधिक बढ़ोत्तरी होगी।

महिलाओं की स्थिति –

वैदिक काल में पुरूषों की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली महिला बाद के कालखण्ड में घर की चार दीवारी के बीच कैद रहने वाली और पुरूषों के पैर की जूती तक बना दी गई। वैदिक समाज में महिलाओं

को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, वे अपना सुयोग्य वर स्वयं चुनती थी लेकिन बाद के दौर में नारी का विवाह कम उम्र में होने लगा। माना जाता है कि वैदिक युग में महिलाओं का स्थान सम्मानीय था। मध्यकाल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जबकि आधुनिक काल में महिलाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रही है। महिलायें अपने हिस्से का आसमां लेने के लिए प्रयासरत है। अपने हाथों की एक लम्बी लाइन खींचने की तैयारी में है। प्राचीन काल में विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। सती प्रथा का भी प्रचलन नही था। बाद के समय में विधवा विवाह को कुछ जातियों ने समर्थन नहीं किया जबकि विधुर के पुनर्विवाह को अपनाया गया ताकि पत्नी के देहान्त के बाद पति अपना विवाह कर सके। समाज ने पुरूष के सुख की सम्पूर्ण व्यवस्था की। जबकि महिला को सदैव तिरस्कृत समझा। पति की मृत्यु के बाद उस सती स्थल का महिमामण्डन कर आय के नए जरिए खोजे गए। देश की ताजा जनगणना के सन् 2011 के अनुसार महिला की शैक्षणिक स्थिति काफी चिन्ताजनक है। देश में पुरूष साक्षरता दर 78.30 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर मात्र 57.30 प्रतिशत बनी हुई है। महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए उनमें जागरूकता व संगठित होने की आवश्यकता है। शैक्षणिक दृष्टि से महिला अब भी पिछड़ी हुई है और महिला शिक्षा के प्रसार की आज बहुत आवश्यकता है। पुरूष प्रधान भारतीय समाज में नारी की स्थिति दिल दहलाने वाली बनी हुई है।

मनुस्मृति में महिला का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया 'बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रखा गया है।' हालांकि भारतीय संविधान ने नारी को पुरूष के समकक्ष माना है। सरकार की ओर से समाज में व्याप्त कुरीतियों समलन दहेज प्रथा का विरोध, भ्रुण हत्या पर प्रतिबन्ध ा, लिंग परीक्षण पर पाबन्दी के प्रयासों के भारतीय समाज में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ये कुरीतियाँ ज्यादा फैल रही हैं। वर्तमान में महिलाओं को यह समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति भगवान की देने न होकर समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इस स्थिति को बदलने का बीड़ा महिलाओं को स्वयं उठाना होगा। जब तक वह खुद अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से सुधार नहीं करेगी, तब तक समाज में उनका स्थान द्वितीय श्रेणी के नागरिक का ही बना रहेगा महात्मा गांधी ने कहा था–'स्त्री तो पुरूष की सहचरी है, उसे पुरूष के समान ही मानसिक क्षमताएं प्राप्त हैं। उसे पुरूष की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है और पुरूष के समान ही स्वतंत्र और स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त है। पुरूष और स्त्री का दर्जा बराबर है, लेकिन एक जैसा नहीं है। वे एक अनुपम युगल हैं और एक–दूसरे के पूरक हैं। उनमें से प्रत्येक एक–दूसरे की सहायता करते हैं, इस प्रकार एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 के बाद महिलाओं में जबरदस्त जागृति आई लेकिन अभी भी सामन्तशाही के अवशेष भारतीय समाज में दिखाई देते है। आज भी कई परिवारों में लड़की के जन्म लेने के साथ ही मौत के घाट उतार दिया जाता है।

सीधी जिला पंचायत में महिलाओं का योगदान–

73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 30 दिसम्बर, 1993 ई. को राज्य विधान सभा द्वारा द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी, 1994 ई. को राज्य में लागू कर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। जिसके आधार पर जिला पंचायत सीधी का विश्लेषण किया जा रहा है। जिला पंचायत सीधी में महिलाओं की स्थिति निम्नवत है।

जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, एवं ग्राम पंचायत सरपंच, पंच में भी महिलाएं अधिकतर निर्वाचित हुयी है। ये सब आरक्षण के कारण महिलाओं की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है, जो सीधी के महिलाओं के लिये शुभ

संकेत है। यही पर विधान सभा, लोक सभा, राज्यसभा, मंत्रिमण्डलों में इनकी स्थिति क्षीण है।

समस्याएँ :–

1. सीधी की राजनीति में महिलाओं के योगदान का अभाव होने की मुख्य समस्या अशिक्षा है।
2. महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भी राजनीति से वंचित रहती है।
3. महिलाओं को यातायात संबंधी समस्याये होती है।
4. सीधी की महिलाये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की राजनीति में नहीं होने का प्रमुख कारण आरक्षण का तय नहीं होना हैं।
5. सीधी जिले का कुछ क्षेत्र नक्सलबाद की समस्या से ग्रस्त है।
6. राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी महिलाओं को पार्टी आरक्षण के आधार पर टिकट नही देती है।

समाधान :–

1. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। जिसके लिए महिला प्रतिनिधि को सम्मानजनक प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए।
2. महिलाओं को साक्षर करने की आवश्यकता है।
3. सीधी जिले का कुछ क्षेत्र नक्सलबाद का खात्मा करने की आवश्यकता है। (चाहे बातचीत से हो या किसी अन्य माध्यम से)
4. राष्ट्रीय पार्टियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का क्रियान्वयन करना आवश्यक है।
5. विधान सभा और लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है।
6. यातायात की पर्याप्त सुविधा मुहैया कराना चाहिए जो प्रतिनिधि के पद के आधार पर हो।

निष्कर्ष –

जहां तक सीधी जिला से महिलाये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, इत्यादि पदों से किसी एक पद में अब निर्वाचित होने लगी है। अब ऐसा लगता है कि सीधी जिले के महिलाएं भी राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद में अपना योगदान देने में सक्षम हो गई है। पंचायत में आरक्षण के कारण महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक कही जा सकती है। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करे तो स्पष्ट है कि आरक्षण के कारण ही इनकी स्थिति सम्मान जनक है अन्यथा नगण्य हो सकता था, लेकिन उससे ऊपर के पदों पर आसीन नही होना एक चिंता का विषय है। राजनीति महिलाओं के लिए सदैव एक वर्जित क्षेत्र रहा हैं। वर्तमान परिस्थितियॉ भी इस वर्जना को तोड़ नहीं पाई हैं। निरंतर जटिल होती परिस्थितियॉ, तथा चारित्रिक पतन महिलाओं को इस क्षेत्र से दूर रखे हैं। अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियॉ न के बराबर हैं और जो स्त्रियॉ इस क्षेत्र में उपस्थित हैं, वे भी लगातार शोषण तथा समस्याओं का सामना कर रही हैं। ये सभी पहलू सीधी की महिलाओं की राजनीतिक चुनौती है। जिनसे महिलाओं को सामना करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. दत्त, विजय रंजन (2009) : महिला सशक्तिकरण की क्रांतिकारी पहल, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, पृ. 14. 20–1422
2. Journlistdharamveer.blogspot.com>blo... 21.07.2018
3. डॉ. अनुभूति, ''नारी समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर उ.प्र. संस्करण प्रथम 2013
4. पॉल, देविका (2005) : स्त्री पुरूष समानता और आयोजन, योजना मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी पृ. 61–63
5. www.c.g.vidhan sabha.gov.in 26.07.2018
6. डॉ. के.के. झा, बस्तर और लोकनायक, प्रवीर चन्द्र भंजदेव और उनकी वंश परम्परा विश्व भारती प्रकाशन नागपुर 2013

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 15th Feb 21 Paper Accepted : 3rd Mar 21

''सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्रों के मतदान व्यवहार का स्थानिक भौगोलिक अध्ययन''

❑ डॉ. आर.पी. चौहान*
❑ शिव कुमार सिंह**

शोध सारांश

सिंगरौली जिला विंध्य प्रदेश तथा वर्तमान मध्यप्रदेश की सीमा को निर्धारित करता है। 170 वर्षो से औद्योगीकरण नीति ने सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन कर सामाजिक विकास के दौर को गति प्रदान किया है। जिले का आर्थिक स्तर औद्योगिक कोयला खनन द्वारा आर्थिक क्षेत्र के साथ सामाजिक स्तर को भी ऊंचा उठाया है। सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्रों के मतदान व्यवहार का स्थानिक एवं भौगोलिक अध्ययन का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है साथ ही यहां की गरीब जनता और जनजातीय सभ्यता विकसित थी, इन्हीं पहलुओं को शोध पत्र में रखने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः–सिंगरौली, सामाजिक, मतदान व्यवहार, स्थानिक, भौगोलिक, जनजातीय, सभ्यता आदि।

प्रस्तावना

सिंगरौली जिला मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह शहर अपनी कोयला खान और बिजली संयंत्रो के लिए विशेष प्रसिध्द है। शहर 2200 वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं सिंगरौली जिला 5672 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंगरौली जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह अपने विशाल प्राकृतिक क्षमता और कोंयले के विशाल भण्डार के कारण यह ऊर्जा की भूमि 'ऊर्जान्चल' के रूप में जाना जाता है।

यह जिला राज्य की राजधानी भोपाल से 742 किमी. की दूरी पर मध्यप्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है । यह जिला 8206° देशान्तर व 2401° अक्षांश पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊॅचाई 609 मीटर है।

रीवा संभाग के अन्तर्गत सीधी जिले का दिनांक 24 मई 2008 को विभाजन कर सिंगरौली जिले की स्थापना की गई। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का क्षेत्र फल 5672 वर्ग किमी. है। जिसमें शहरी क्षेत्रफल 2290 वर्ग किमी. है। सिगंरौली जिले में कुल

* सहायक प्राध्यापक, संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
** शोधार्थी, एम.ए.,नेट (भूगोल), संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

3 तहसील है । सिंगरौली जिले के अन्तर्गत कूल 3 विकास खण्ड है। यहाॅ पर एक लोक सभा सीट भी हैं। विधान सभा की 3 सीट है। यहाॅ की कुल जनसंख्या 1178132 जिसमें पुरुषों की संख्या 614891 तथा महिलाओं की संख्या 563241 है। यहाॅ पर पुरुष महिला का अनुपात एक हजार पर 878 महिलाएं है। कुल साक्षरता की दर 62.4 प्रतिशत है । जिसमें पुरुष साक्षरता की दर 62.4 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता की दर 73.8 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 49.9 प्रतिशत है जो पुरुषो की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। यहाॅ पर 01 नगर निगम है। नगर पंचायतों की संख्या नगण्य हैं। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायतो की संख्या 776 है। जिसमें पटवारी हल्कें 414 है । यहाँ का एस. टी. डी. कोंड 07805 है। औद्योगिक दृष्टिकोण से सिंगरौली जिला पिछडे जिलो की श्रेणी के अन्तर्गत आता है । यहाॅ भाषा की दृष्टि से बोली जाने वाली भाषा मुख्य रूप से हिन्दी , बघेली, एंव भोजपुरी बोली जाती है।

किसी देश में लोकतंत्र एक वृक्ष के समान होता है और स्वतंत्रता उसकी छाया के समान। कोई वृक्ष निरन्तर पल्लवित पुष्पित होता रहता हैं, उसी प्रकार एक निश्चित अंतराल पर निश्चित विधि द्वारा निर्वाचन होते रहने से लोकतंत्र और अधिक परिपक्व होता जाता है। कोई जनसभा चाहे कितनी भी लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित क्यों न हो हमेशा के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करती रहेगी ऐसा सभंव नहीं हो सकता इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि वह निश्चित अवधि के उपरान्त पुनः जनादेश प्राप्त करे। लोकतंत्र का निहित अर्थ है–आत्मनिर्णय का लोगों का अधिकार और मानव की तर्कसंगतता में आस्था। सच्चे लोकतंत्र की मूल बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी जाति, धर्म, रंग अथवा लिंग कोई भी हो स्वशासन को जैसे वह उचित समझे वैसे अपने कार्यों को करने के योग्य है। निर्वाचन प्रक्रिया वह माध्यम है जिससे राष्ट्र के संपर्ण वयस्क नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने का अवसर प्राप्त होता हैं।

हमारी निर्वाचन व्यवस्था अनेक महान आदर्शो को संजोये हुए है। राजनीतिक समानता हमारे लोकतंत्र का मूल आदर्श है। निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक स्वयं को भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा समझता है। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में मतदाताओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम् जवाबदेही आ जाती है। बहुत सोच समझ कर मतदाताओं को निर्णय लेने की आवश्यकता है कि वे अपना बहुमूल्य मत किसे दें सभी राजनीतिक दल के नेता एवं कार्यकर्ता यह दावा करते हैं कि वे सचमुच देश की समस्याओ ं का समाधा करगे। परिणाम यह होता है कि भोले भाले एव ं सीधे मतदाता असमंजस्य की स्थिति में या तो मत देने नहीं जाते अथवा बहकावे में आकर मत दे देते हैं। मतदान एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है पूरी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और सूझबूझ के साथ हमें इसका उपयोग राष्ट्रीय हित और विकास में करना चाहिए।

मतदान व्यवहार

निर्वाचन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिकों को वहां की राजनीति में सक्रिय सहभागिता प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अस्तृत्व भी निर्वाचन पर आधारित होता है एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन संचालन में निर्वाचन आधारशिला का काम करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन एक ऐसी सशक्त प्रक्रिया एवं साधन है, जिसमें भाग लेकर जनता अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधि का चयन कर सकती है और सत्ता की जनउत्तरदायी प्रक्रिया के द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण भी रख सकती है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निर्वाचन के माध्यम से राजनीतिक सत्ता से संबद्ध किसी भी पर को प्राप्त किया जाता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मतदान की शुरुआत सन् 1892 के इंडियन कॉन्सिल ऐक्ट से मानी जाती है। मतदान का प्रावधान पहली बार इसी कानून के द्वारा केन्द्रीय विधायी परिषद् तथा प्रांतीय परिषद् की कुछ अशासकीय सीटों के लिए हुआ था।

इस प्रावधान को 'मिटो मार्ले कानून' 1909 में स्पष्ट तौर पर सम्मिलित कर लिया गया।

साइमन आयोग ने सन् 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रतिशत बढ़ाने तथा महिलाओं को भी मताधिकार उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी। सन् 1931 में अंग्रेज शासकों ने लॉर्ड लोथियान की अध्यक्षता में एक मताधिकार समिति गठन किया गया। उस समिति द्वारा वयस्क मताधिकार के संबंध में गहन अध्ययन किया गया और फिर इसके पक्ष में कई सुझाव प्रस्तुत किये गये।

इस प्रकार भारतीय राजनीति में आम जनता के मध्य निर्वाचन धीरे–धीरे लोकप्रिय होता चला गया। जिसके फलस्वरूप जनता में सरकार के कार्यों के प्रति रुचि तथा सार्वजनिक मामलों के प्रति जागरुकता बढ़ने लगी तथा इससे नेतृत्व भी परिपक्व होता गया। इन सबके बावजूद भी भारत में सन् 1934 तक 'निर्वाचन का आधार' वयस्क मताधिकार को नहीं माना गया था। भारतीयों को तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नया संविधान बनने और लागू होने के बाद पूर्ण वयस्क मताधिकार दिया गया। तब से लेकर 16वीं लोकसभा चुनावों तक वयस्क मताधिकार अपनी बाल्यावस्था और युवावस्था को पार कर प्रौढ़ावस्था में पहुँच गया है।

सन् 1931 के आरंभ में पं. जवाहर लाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार से संबंधित एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान ने अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान करने एवं निर्वाचन में सक्रिय भाग लेने का अधिकार प्रदान किया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ संसदीय शासन के तहत केन्द्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। मताधिकार प्रत्येक भारतीय का अमूल्य अधिकार है। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी।

भारत में जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक है। 1971, 1977, 1984 और 1989 के लाकसभा चुनावों में यह बात देखी जा सकती है। मतदाताओं की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। यदि मतदाता की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वह शासक दल के पक्ष में मतदान करता है। अन्यथा वह शासक दल के विरुद्ध मतदान करता। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय का प्रमुख कारण मतदाताओं की आर्थिक कठिनाईयां ही थी। भारतीय मतदाताओं पर नेतृत्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस की विजय का कारण पं. नेहरू का व्यक्तित्व था, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की आंशिक पराजय का कारण था कि कांग्रेस के पास पं. नेहरू जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं था।

भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार कुछ हद तक राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों से प्रभावित होते हैं। उनके द्वारा सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रमों को पसन्द किया जाता है। 1971 के चुनाव में जनता ने 'गरीबी हटाओं' के कार्यक्रम को अपना मत दिया था। भारती के मतदाताओं पर क्षेत्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। पंजाब में अकाली दल 1967 में से 1971 तक, तमिलनाडु में डी. एम. के. और 1977 के चुनावों में अन्ना डी. एम. के. की सुफलता का कारण क्षेत्रवाद ही था। पं. बंगाल और केरल आदि राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सफलता का कारण भी क्षेत्रवाद ही है। भाषा भी भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1967 और 1971 के चुनावों में डी. एम. के. ने हिन्दी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया था।

मतदान व्यवहार को युद्ध की सफलता या असफलता भी प्रभावित करती है। 1962 के युद्ध की असफलता के कारण 1967 में कांग्रेस को हार का सामान करना पड़ा और 1971 के युद्ध में प्राप्त सफलता ने 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता को सरल बना दिया था। मतदान व्यवहार में सामन्तशाही व्यवस्था का प्रभाव भी देखा जाता था। लेकिन अब यह प्रभाव कम हो गया है। आर्थिक साधनो का प्रभाव मतदान व्यवहार पर पड़ता है। 1984 के लोकसभा चुनावों तथा 1985 में विधानसभा चुनावों में आर्थिक साधनों की भूमिका का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। राजनीतिक स्थिरता का भी प्रभाव मतदान व्यवहार पड़ता है। 1977 से पूर्व कांग्रेस को समर्थन प्रदान किये जाने का यही कारण था। 1980 तथा 1984 लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा इन्दिरा कांग्रेस को भारी बहुमत प्रदान किये जाने का यह सबसे प्रमुख कारण था।

1967 में लोकसभा चुनाव के समय वीएम सिरसीकर ने पूना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नमूना क्षेत्र का नमूना सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के द्वारा इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की राजनीतिक पसंद और मतदाताओं के व्यवहार से संबंधित इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले गये। भारत के लोग लोकतंत्र, चुनाव और राजनीतिक दलों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हलांकि लोकतंत्र का सीधा संबंध मतदाताओं के शैक्षणिक अवसरों से था। उन्होंने पाया कि कम पढ़े लिखे मतदाताओं को लोकतंत्र में ज्यादा भरोसा था जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त मतदाताओं को लोकतंत्र में कम विश्वास था। इस क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्गो के मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी ज्यादा पसंद थी। उच्च शिक्षा प्राप्त परिवारों के बजाय कम शिक्षित परिवारों के मतदान व्यवहार को परिवार का मुखिया प्रभावित करता था, मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर उनकी उम्र, आय और व्यवसाय का कोई असर नहीं पड़ता।

भारत में मतदान व्यवहार के सम्बन्ध में माइनर वीनर एवं रजनी कोठारी ने पाया कि यहां के मतदाताओं के मतदान व्यवहार प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जाति, धर्म, नातेदारी है। भारत में राजनतिक दलों का प्रभाव सीमित रहता है तथा स्वयं सेवी संगठनों का विकास भी कम हुआ है। यही वजह है कि मतदान में धर्म, जाति भाषा एवं क्षेत्र की भूमिका बढती़ जा रही है। जबकि घनश्यान शाह का मानना है कि जब राजनीतिक आंदोलनों के कारण राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है। तब मतदान में प्राथमिक संगठनों का महत्व कम हो जाता है। इन सबके अतिरिक्त नेताओं की विचारधारा, चुनावी प्रचार प्रसार तथा स्थानीय मुद्दे आदि कारक है। जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य करता हैं।

रजनी कोठारी ने 1970 ई. 'कास्ट एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया' नामक पुस्तक लिखी। जिसमें उन्होंने कहा कि जाति के बिना भारतीय राजनीतिक की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एम. एन. श्रीनिवास ने 'कॉस्ट एण्ड डेमोक्रेसी' नामक पुस्तक का संपादन किया जिसमें उन्होंने बताया कि लोकतंत्र और जाति व्यवस्था के सिद्धान्त एक दूसरे के विरोधी होते है। परन्तु भारत में इन दोनों को समायोजित कर लिया गया है। इसका कारण यह है कि प्रभुजातियाँ यह समझती है कि लोकतंत्र से उन्हें लाभ है और पिछड़ी तथा दलित जातियाँ भी यह समझती है कि लोकतंत्र से उनके हितों का विस्तार हो सकता है। वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र के माध्यम से पिछड़ी और दलित जातियां सबल हुई हैं।

मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार

मध्य प्रदेश, भारत के बीच में स्थित एक राज्य है जहां राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय नेतृत्व की उपस्थिति आरम्भ से हो रही है। मध्यप्रदेश विकास दृष्टि से पीछे होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से एक जाग्रत एवं सक्रिय प्रदेश रहा है। राष्ट्रीय राजनीति के लगभग सभी परिवर्तनों से राज्य की राजनीतिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती रही है। 1980 के अर्जुन सिंह भारतीय संघ के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लोगो की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए

अनेक सामाजिक सुधार के कार्य किए। मध्य प्रदेश कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। जिसकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराएं, लोकशैली एवं भाषाएं हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

देश में 15 अगस्त, 1947 से पहले कई छोटी–बड़ी रियासतें थी। जिनका स्वतंत्रता पश्चात् भारत में विलीन और एकीकृत लिया गया। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ, इसके बाद देश में पहले आम चुनाव सन् 1952 में हुए, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र से संसद तथा राज्यों में विधान मण्डलों ने कार्य करना प्रारम्भ किया। प्रारंभिक समय में लोकसभा व विधानसभा के चुनवा एक साथ होते थे। प्रशासन की दृष्टि से पूरे भारत देश को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 में मध्यप्रदेश राज्य का गठन किया गया। मध्यप्रदेश पहले मध्यप्रदेश, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश एवं भोपाल चार घटकों में विभाजित था। इनकी अपनी विधान सभाएं थीं। पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाओं को मिलाकर एक विधानसभा बना दी गई। इस प्रकार 1956 को पहली मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। जिसका पहला अधिवेशन 17 दिसम्बर 1956 से 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ।

2013 में 14वीं विधानसभा के लिए प्रदेशभर में 72.52 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें सबसे ज्यादा पुरुषों की भागीदारी देखी गई। पूरे प्रदेश में कुल 73.53 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिला मतदाताओं ने 69.77 प्रतिशत मतदान किया। वोट देने वाले महिला–पुरुष मतदाताओं में केवल 3.76 प्रतिशत का ही अंतर रहा। यह प्रतिशत पिछले कई चुनावों की तुलना में सबसे कम है। हलांकि महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से ज्यादा पीछे नहीं रही। इससे यह पता चलता है कि प्रदेश की महिलाओं में मतदान के प्रति जागरुकता बढ़ी है।

इस चुनाव में 25 सीटों के लिए महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है, उनमें सबसे अधिक रीवा संभाग की 11 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया तथा नक्सल प्रभावित बालाघाट की चारों सीटों पर भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश के विंध्य अंचल की धौहनी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने प्रदेशभर की महिलाओं से ज्यादा मतदान किया है। धौहनी विधानसभा सीट के लिए कुल 74.98 प्रतिशत मतदान हुआ। जिसमें पुरुषों ने 65.11 प्रतिशत मतदान किया, जबकि महिलाओं ने 74.98 प्रतिशत अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक किया है, उनमें रैगांव, सतना, नागौद, मैहर, रामपुर बघेलान, करेरा, विजयराघवगढ़, लांज, बालाघाट, वारसिवनी, कटंगी, बरघाट, लखनादौन, मनगवां, रीवा, धौहनी, चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, ब्यौहारी, छिन्दवाड़ा, मुलताई, बैतूल, दक्षिण–पश्चिम भोपाल एवं भीकन गांव आदि हैं।

विधान सभा चुनाव 2013 में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया नोटा का प्रयोग प्रदेश के छः लाख बीस हजार लोगों ने प्रयोग किया। अर्थात् इन मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशी को योग्य नहीं समझा। इस विधानसभा में कुल 230 सीटों के लिए भाजपा के 165, कांग्रेस के 58, बसपा के चार और अन्य तीन विधायक चुने गए। इस बार के चुनाव में भाजपा ने 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जिसमें से 22 महिलाओं को जीत मिली। जबकि कांग्रेस ने 23 महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था जिसमें से केवल 6 महिलाएं विजयी हुई। इस प्रकार बसपा की 22 महिला उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं चुनी गई। देखा जाए तो 1957 से लेकर अब तक हर बार महिला विधायकों की संख्या कम ही रही।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ''सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्रों के मतदान व्यवहार का स्थानिक भौगोलिक अध्ययन'' से स्पष्ट होता है कि

विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य रूप से सिंगरौली क्षेत्र में महिलाओं ने मतदान व्यवहार की दृष्टि से सर्वाधिक महिला मतदाताओं ने सर्वाधिक बढ़—चढ़कर हिस्सा लिया है।

संदर्भ स्रोत :—

1. डिस्टेन्सन सिंगरौली, पृ. नरहरी, कलेक्टर सिंगरौली
2. भौगोलिक सर्वेक्षण भारत सरकार नई दिल्ली
3. शैक्षणिक स्थिति शोधार्थी के निजी सर्वेक्षण के आधार पर।
4. ग्रामीण क्षेत्रों का शैक्षणिक स्तर एवं शहरी क्षेत्र का शैक्षणिक स्तर शोधार्थी के निजी सर्वेक्षण के आधार पर।
5. जिला सांख्यिकीय सर्वेक्ष कलेक्टर सिंगरौली
6. सी.एम.डी. नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, वार्षिक प्रगति पत्र 2006 पृ. 02
7. जिला कार्य योजना कृषि विभाग सिंगरौली 2019
8. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली द्वारा प्राप्त आंकड़े

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal SJIF - 5.299

Paper Recieved : 20th Feb 21 Paper Accepted : 4th Mar 21

भारतीय राजनीति में अनुसूचित जनजाति की भूमिका
(सीधी जिले के सन्दर्भ में)

❑ कुंवर प्रताप सिंह*

❑ डॉ. संध्या शुक्ला**

शोध सारांश

संविधान के 65 वें संशोधन अधिनियम (1990) के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजतियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया परन्तु संविधान के (89) वे संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिये दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया है। दोनों आयोग में मुख्य कार्य है अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधाओं के क्रियान्वयन की देख रेख करना तथा इनके विकास हेतु नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेना सम्बन्धित जनजातियों को प्रदन्त व्यवस्था के उल्लंघन विशयक शिकायतें की जाँच करना जनजातियों से सम्बन्धित प्रावधानों के क्रियान्वयन की वर्षिक रिर्पोट कल्याण से सम्बन्धित उपायों की सिफारिश करना।

मुख्य शब्द :– भारतीय राजनीति अनुसूचित जाति जनजाति क्रियान्वयन आदि।

प्रस्तावना

अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उदय जातियों की तुलना में कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वर्तमान सामाजिक असमानता का अन्त हो सके साथ ही यह बात भी आवश्यक मालूम होती है कि ये विशेषाधिकार व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर दिये गए पैतृक आधार पर नहीं यदि अनुसूचित जनजाति का कोई परिवार आर्थिक दृष्ट से समृद्ध है तो उसके सदसयों को आर्थिक सहायता देने को कोई औचित्य नहीं है। समतावादी समाज की स्थापना को मद्देनजर रखते हुए संविधान सभा मे उस बात पर आम सहमति थी कि दलित और पिछड़ा वर्गों के विकास के लिए विषय प्रयास किये जाने चाहिए ताकि इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर सर्वागीण विकसित भारत का निर्माण किया जाता है। भारतीय सविधान का निर्माण सबकी स्वतंत्रता सबकी समानता तथा पारस्परिक भ्रातृभवा की मान्यता के आधार पर किया गया है। संविधान सभा में संविध ाान को अग्रीकृत अधिनियमित लिए किया है।

उद्देश्य

अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक संचना की श्रेणियों के रूप में अस्तित्व में थी। कई विद्वान

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

जाति के राजनीतिकरण को ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन मानते हैं। जो विभाजन करो एवं शासन करो की नीति के अंतर्गत अपनायी गयी थी। 1931 की जनगणना में प्रथम बार जाति आधार आधारित विभिन्न समूहों की संख्या निर्धारित की गई ब्रिटिश साम्राज्यवावदी नीति भारतीय समाज में जितनी अधिक विभाजनकारी रेखाएं खीची जा सकती थी। उन सबका उपयोग साम्राज्य हित में करना चाहती थी इसका भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक स्तरों पर फूट डालकर उसे शक्तिहीन बनाना भी था स्वतंत्र भारत मे निम्न श्रेणी पर अवस्थित जनजातियों को सदियों से शोषित एवं पीड़ित मानते हुए उनके लिए विभेदकारी आरक्षण की नीति को सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक माना गया संविधान लागू होने के साथ ही पिछड़ी जातियों बावत् सरकार की स्पष्ट थी 1953 में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का कालेन कर की अध्यक्षता में गठित किया गया।

शोध कार्यविधियाँ

समानता के अधिकार से सम्बन्धित संविधान के 14, 15, 16, 17 एवं 18 वे अनुच्छेदों में जो व्यवस्थाएँ की गयी है। उन सबमें धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किये जाने का निषेध किया गया है। संविधन के 15 वे उपबन्ध के उपबन्ध ा में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि धर्म नस्ल जाति लिंग स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के लिये दुकानों सार्वजनिक उपहार गृहों, भोजनालयों, सार्वजनिक उपहार, आमोदालया, कुओ, तलाबों, स्नान घाटों, सड़को सार्वजनिक दृश्य स्थानों आदि के प्रयोग कर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना अनुच्छेद (25) ख के द्वारा सभी धार्मिक हिन्दु संस्थाओं को कानूनी रूप से हिन्दुओं के सभी वर्गों और श्रेणियों के लिये खोलने के लिए संसद को अकृत कर दिया गया है उस प्रकार हम देखते हैं कि ये संविधान की वे व्यवस्थाएँ है।

अनुसूचित जनजातियों से संबधित व्यवस्थाएँ

अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार क्षेत्र व जाति रहा अनुसूचित जनजाति सन् 1931 ई. की जनगणना के आधार पर अन्य जातियों से अलग स्वीकार की गयी है भारतीय संविधान मे यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा ऐसी जनजातियों का उल्लेखकर सकेगा प्रत्येक राज्य के लिए वहाँ की जातियों के अनुसार इनकी अलग अलग सूचियाँ बनाई गयी हैं।

आर्थिक दृष्टि से

यह माना कमजोर एवं सामाजिक दृष्टि से अधूत समझी जाती रही है ऐसी जातियाँ जो पीढ़ियों से अप्रिय अमान्य और अत्यधिक निम्न समझे जाने वाल कार्य करती रही है जैसे मल उठाना, झाड़ू देना, अनुसूचित जन जातियाँ वे जातियाँ हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जिनका भौतिक विकास नही हुआ है क्योकि उन क्षेत्रों तक सभ्यता बहुत कम पहुँच पायी है।

प्रतिनिधित्व के सबन्ध में विशेष व्यवस्था

संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है इन जातियों के व्यक्ति सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल निर्वाचन स्थानों की संख्या 552 है जिसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजतियों के लिए क्रमशः 79 और 40 स्थान सुरक्षित हैं। लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को तालिका में दर्शाया जाता है।

विवरण	1952	1957	1962	1967	1971	1977	1987 से वर्तमान
कुल संख्या	489	494	494	521	522	542	552
अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित स्थान	70	76	76	77	77	75	79
अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित स्थान	27	31	31	37	40	35	40

सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष संरक्षण

अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जातियों के लिये केंद्र संघ और राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासनिक कुशलता के अनुकूल स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गयी है संविधान आरक्षित स्थानों के प्रतिशत एवं समय सीमा निर्धारित नहीं रता इन्हे प्रशासन द्वारा नियमों के अन्तर्गत निध ार्रित करने की व्यवस्था की गयी है। इन जातियों को शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिये जो रियायते प्रदान की गयी है।

विशेष पदाधिकारी

इन जनजातियों की हितों के रक्षा हेतु और उनसे सम्बंधित विषयों की जाँच करने के लिए संविध ाान अनुच्छेद 338 में एक विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था करता है इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी अतः 66 वे संवैधानिक संशोधन 1990 के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

शोध कार्य की आवश्यकता–

संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति दो अयोगों की नियुक्ति करेगा प्रथम का कार्य अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी मामलों की जाँच करना होगा तथा दूसरे का कार्य पिछड़ी हुई जनजातियों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जाँच करन होगा इसके अतिरिक्त आयोग उनकी उन्नति के उपायों की ओर संध तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करेंगे तथा उनके लिए आवश्यक अनुदान देने की सिफारिश करेंगे संविधान के द्वारा केंन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है।

प्रथम आयोग की सिफारिस को अपनाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सलाह को सलाह तो दे सकती है। परंतु निर्देश नही उनका पालन करना राज्य की इच्छा और साधनों पर निर्भर करता है। आयोगों के द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं। जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है। कि सरकारों ने इन जनजातियों की उन्नति के लिऐ कदम उठाये हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संविधान के 65 वे संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी परन्तु सविधान 89 वे अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर दी गई है।

प्रत्येक आयोग को संवैधनिक स्तर है जिसका अर्थ है कि आयोग को व्यवहार न्यायालय के सभी अध िाकार प्राप्त है तथा इसका या इस संबंध में देश मे किसी को भी पूछताछ के लिये तलब कर सकता है यही नहीं किसी भी राजकीय अभिलेख को देख सकने का भी उसे अधिकार प्राप्त है। वह अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित कर सकता है।

संसद द्वारा इस अनुच्छेद के आधीन जो भी अधिनियमित किया जाये उसकी सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एक उपध्यक्ष तथा तीन सदस्य होते हैं। इनकी सेवा शर्तों व कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करता है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज एवं राज्य व्यवस्था बहुआथामी है इस निर्धारित करने में सामाजिक संरचना भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएँ परम्पराएँ धर्म भाषा आदि अनेक तत्व रहे हैं, तदानुसार वर्ग जाति भाषा क्षेत्र सम्प्रदाय आदि इसके प्रभावकारी घटक हैं संविधान में इन समस्त विभिन्नताओं से निरपेक्ष राज्य व्यवस्था स्थापित की गई है प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अनुरूप स्वतंत्रता एवं समानता पर बल देते हुए उपर्युक्त किसी भी आधार पर भेदभाव का निरोध किया है। साथ ही वयस्क मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में भी समान अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है। फिर भी भारतीय राजनीति का स्वरूप इन अनेक घटकों से निर्धारित होता रहा भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रभाव से राजनीति अधुती नहीं रही। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के साथ कई जातियों की अर्थिक शक्ति में वृद्धि और उनमें राजनीतिक सत्ता में सहभागिता की आकांक्षा बढ़ती गई सामाजिक संस्कृति परम्परानुसार संमानीत थी पारंपरिक श्रेणी बद्धता में जनजातीय ने एक सामाजिक पहचान थी वरन एक संगठित समूह का संकेत भी थी।

संदर्भः–

(1) गोस्वावमी एस वी भारतीय शासन एक राजनीति

(2) रवत्री हरीश कुमार शोध प्रविधि

(3) फडिया बी.एल. भारत के लोकतंत्र

(4) मिश्रा रंजना भारत में नारी राजनीति परिवर्तन

(5) शर्मा गोविन्द प्रसाद राजनीतिक सिद्धांत

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th Feb 21 Paper Accepted : 5th Mar 21

पनिका जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन (सिंगरौली जिले के संदर्भ में)

❑ राम नारायण पनिका*
❑ डॉ. सुषमा श्रीवास्तव**

शोध सारांश

सिंगरौली जिला विंध्य प्रदेश तथा वर्तमान मध्यप्रदेश की सीमा को निर्धारित करता है। 170 वर्षों से औद्योगीकरण नीति ने सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन कर सामाजिक विकास के दौर को गति प्रदान किया है। जिले का आर्थिक स्तर औद्योगिक कोयला खनन द्वारा आर्थिक क्षेत्र के साथ सामाजिक स्तर को भी ऊंचा उठाया है। जहां गरीबी और जनजातीय सभ्यता विकसित थी, इन्हीं पहलुओं को शोध पत्र में रखने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः–सिंगरौली, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कोयला, जनजातीय, सभ्यता आदि।

प्रस्तावना

सिंगरौली जिला मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह शहर अपनी कोयला खान और बिजली संयंत्रो के लिए विशेष प्रसिध्द है। शहर 2200 वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं सिंगरौली जिला 5672 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ हैं। सिंगरौली जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है । यह अपने विशाल प्राकृतिक क्षमता और कोंयले के विशाल भण्डार के कारण यह ऊर्जा की भूमि 'ऊर्जान्चल' के रूप में जाना जाता है।

यह जिला राज्य की राजधानी भोपाल से 742 किमी. की दूरी पर मध्यप्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला 8206° देशान्तर व 2401° अक्षांश पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 609 मीटर है।

रीवा संभाग के अन्तर्गत सीधी जिले का दिनांक 24 मई 2008 को विभाजन कर सिंगरौली जिले की स्थापना की गई। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का क्षेत्र फल 5672 वर्ग किमी. है। जिसमें शहरी क्षेत्रफल 2290 वर्ग किमी. है। सिगंरौली जिले में कुल 3 तहसील है। सिंगरौली जिले के अन्तर्गत कूल 3 विकास खण्ड है। यहॉ पर एक लोक सभा सीट भी हैं। विधान सभा की 3 सीट है। यहॉ की कुल जनसंख्या 1178132 जिसमें पुरुषों की संख्या 614891

* शोधार्थी
** सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शास. महाविद्यालय विजयराघवगढ़, जिला–कटनी (म.प्र.)

तथा महिलाओं की संख्या 563241 है। यहॉ पर पुरुष महिला का अनुपात एक हजार पर 878 महिलाएं है। कुल साक्षरता की दर 62.4 प्रतिशत है । जिसमें पुरुष साक्षरता की दर 62.4 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता की दर 73.8 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 49.9 प्रतिशत है जो पुरुषो की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। यहॉ पर 01 नगर निगम है। नगर पंचायतों की संख्या नगण्य हैं। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायतो की संख्या 776 है। जिसमें पटवारी हल्कें 414 है । यहाँ का एस. टी. डी. कोंड 07805 है। औद्योगिक दृष्टिकोण से सिंगरौली जिला पिछडे जिलो की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। यहाँ भाषा की दृष्टि से बोली जाने वाली भाषा मुख्य रूप से हिन्दी, बघेली एवं भोजपुरी बोली जाती है।

किसी देश में लोकतंत्र एक वृक्ष के समान होता है और स्वतंत्रता उसकी छाया के समान। कोई वृक्ष निरन्तर पल्लवित पुष्पित होता रहता हैं, उसी प्रकार एक निश्चित अंतराल पर निश्चित विधि द्वारा निर्वाचन होते रहने से लोकतंत्र और अधिक परिपक्व होता जाता है। कोई जनसभा चाहे कितनी भी लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित क्यों न हो हमेशा के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करती रहेगी ऐसा सभंव नहीं हो सकता इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि वह निश्चित अवधि के उपरान्त पुनः जनादेश प्राप्त करे। लोकतत्रं का निहित अर्थ है–आत्मनिर्णय का लोगों का अधि ाकार और मानव की तर्कसंगतता में आस्था। सच्चे लोकतंत्र की मूल बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी जाति, धर्म, रंग अथवा लिंग कोई भी हो स्वशासन को जैसे वह उचित समझे वैसे अपने कार्यों को करने के योग्य है। निर्वाचन प्रक्रिया वह माध्यम है जिससे राष्ट्र के संपूर्ण वयस्क नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने का अवसर प्राप्त होता हैं।

हमारी निर्वाचन व्यवस्था अनेक महान आदर्शों को संजोये हुए है। राजनीतिक समानता हमारे लोकतंत्र का मूल आदर्श है। निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक स्वयं को भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा समझता है। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में मतदाताओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम् जवाबदेही आ जाती है। बहुत सोच समझ कर मतदाताओं को निर्णय लेने की आवश्यकता है कि व े अपना बहुमूल्य मत किसे दें सभी राजनीतिक दल के नेता एवं कार्यकर्ता यह दावा करते हैं कि वे सचमुच देश की समस्याओ ं का समाधा करगे े। परिणाम यह होता है कि भोले भाले एव ं सीधे मतदाता असमंजस्य की स्थिति में या तो मत देने नहीं जाते अथवा बहकावे में आकर मत दे देते हैं। मतदान एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है पूरी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और सूझबूझ के साथ हमें इसका उपयोग राष्ट्रीय हित और विकास में करना चाहिए।

सिंगरौली क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, भेदभाव, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन, आपराधिक शोषण, परम्पराएं रीति–रिवाज व्यस्यक स्थानीय लोगों के लिए अच्छे रोजगार की कमी और भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। कृषि योग्य जमीन की कमी के कारण लोग मजदूरी और ठेके का काम करने को मजबूर हो जाते है। इनमें अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं जहां न हो उनकी सुरक्षा का इन्तजाम होता और न श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था होती है परन्तु व्यावहारिक रूप से श्रम कानून और नियमों के दायरे के तहत नहीं आता केवल स्थानीय बड़ी औद्योगिक इकाईयां व्यवस्थित कानूनों का पालन कर आर्थिक नीति का पालन करती है। अपर्याप्त सामाजिक संरक्षण के कारण श्रमिकों को सुरक्षित महौल में काम करने को मजबूर होते हैं। यहां सामाजिक निरक्षरता, स्कूलों की कमी पैसा कमाने और नशा करने तथा उपभोक्ता वस्तुएं जुटाने की होड़ भी इसका कारण है। आर्थिक विकास में बाधक है।

सिंगरौली मे कोयले की खोज 1840 में अंग्रेजी कैप्टन रैंबथन ने की थी, यहां से कोयले का व्यवसाय सबसे पहले 1857 से शुरू किया गया जो सड़क

परिवहन द्वारा ले जाया जाने लगा। रेलवे के विकस के बाद कोयले का परिवहन पूरी क्षमता के साथ बढ़ा लेकिन क्षेत्रीय विकास की गति ने दो लाख से तीन लाख लोगों को विस्थापित किया। 146 गांव के लोग विस्थापित किए गए जिससे लगभग पचास हजार समुदाय के लोग विलुप्त अर्थात् वहां से चले गए, जिससे उनके घर, मकान, जीवनचर्या एवं जीवन–यापन सब कुछ विस्थापन के साथ खत्म हो गए। उस समय कोई विस्थापन की नीति नहीं थी, विस्थापन के लिए लोगों को कोई हर्जाना मुआवजा, नहीं दिया गया था जिन्हें दिया भी गया था तो इतना कम था कि विस्थापित किए गए घरों एवं लोगों द्वारा फिर से अपना घर बनाकर जीवन यापन किया जाना संभव नहीं था। रिहन्द बांध के बनने के बाद बाढ़ से लोग विलुप्त हो गए, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत लोग पुनः विस्थापित हुए, इसी तरह एन.टी.पी.सी. ने भी विस्थापन की गति जारी रखी।

इस जिले के मूल निवासी मुख्य रूप से आदिवासी थे, दो पीढ़ी पहले यहां के निवासियों का मुख्य कार्य शहद इकट्ठा करना एवं जड़ी–बूटी बनाना था। सन् 1965 में इण्डियन फारेस्ट एक्ट (भारतीय वन अधिनियम) पास हुआ जिससे जंगलों को आरक्षित, संरक्षित एवं वर्गीकृत किया गया। आरक्षित वन पूरी तरह से सरकार के लिए दिया, गया जिससे वहां जीवन–यापन कर रहे आदिवसी समुदाय का जीवकोपार्जन की समस्या दिनो–दिन बनने लगी। जो लकड़ियों से वे जीवन–यापन करते थे इन्हें इमारती लकड़ी व अन्य लड़कियों को शासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना चालू हुआ। सन् 1894 मे भूमि अर्जन को अधिग्रहित कर ले। जिससे 90 प्रतिशत स्थानीय व्यक्ति एक बार में ही विस्थापित हो गए। यहां के लोगों के अन्दर विस्थापन की नीति पार कर गई है। जिस कारण लोग अर्धानिर्मित संरचना का घर बनाते हैं। साथ ही सिंगरौली के लोग इस डर के साथ जीते हैं कि पता नहीं किस रात को उनके घरों को बुल्डोजर से गिरा दिया जाय और हर्जाना, मुआवजा आधा या पूर्ण न दिया जाय। जब सिंगरौली के (सलम बस्तियों) गन्दी कालोनियों में दलितों के समुदाय को देखा गया तो मुख्यतः बिहार के लोग थे और साथ में एन.टी.पी.सी. के सफाई कर्मचारी ही कार्यरत थे। जो सुअर पालन का काम भी करते थे।

जो लोग कोयला खदानों के पास रहते हैं। उनको कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। मुख्य रूप से बोलने की समस्या जो कोयले के ब्लास्टिंग, ताप, प्रदूषण धुंआ के कारण उत्पन्न हुई है। ब्लास्टिंग के कारण सुनने और फेफड़ों की बीमारी होने के साथ सीने की बीमारी होती है। विस्फोट होने से भूमि गरम हो जाती है। ब्लास्टिंग के समय सायरन घड़ी बजती है। और विस्फोट से चट्टाने टुकड़े के आकार में उड़ती हैं। जहां कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जहरीले रसायनों को जल और जमीन में फेंक दिया जाता है। जिससे वहां की जमीन जीवन–यापन योग्य भी नहीं रह जाती। यहां मूलतः आदिवासी लोग रहते थे उन्ही की जनसंख्या भी ज्यादा थी, उनकी ही जमीन ली गई परन्तु उनको रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही है। वे लोग अपना जीवन–यापन, धान की फसल, लकड़ी एवं पत्तियों को जंगल में इकट्ठा कर एवं नीम की दातून बाजारों में बेचकर जीवन–यापन करते हैं। इसके बावजूद भी उन आदिवासियों के शरीर में पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। खाने के लिए सीमित भोजन साथ जीवन जीने की मूलभूत वस्तुओं का अभाव यहाँ के मूल निवासी आज भी अशिक्षित और कम पढ़े लिखे हैं। जिससे वे अस्थाई काम रोड व भवन निर्माण का करते हैं।

जिले में जहां तक ग्रामीण आधारभूत ढाँचे का सवाल है करीब 60 प्रतिशत बस्तियाँ भी सड़कों से नहीं जुड़ी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना दिसम्बर 2000 से शुरू की गयी, जिसमें सडद्यक सम्पर्क से वंचित 500 लोगों तक की आबादी वाले सभी गांवों को पूरे साल प्रत्येक मौसम में चालू रहने वाली शहरी सड़कों को जोड़ने सम्बन्धी साधन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती न ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

सिंगरौली जिले के भौगोलिक सर्वेक्षण का एक आर्थिक पहलू निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया हैः–

तालिका क्रमांक 01

क्र.	भौगोलिक स्थिति	श्रमिकों की संख्या	रोजगार के साधन	प्रतिशत
1	शहरी स्थिति	53	उद्योग लघु उद्योग, दुकान	26.5%
2	औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति	64	कुशल श्रमिक, अर्थकुशल और अकुशल श्रमिक	14.5%
3	ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति	54	कृषि कार्य, मजदूरी सजातीय रोजगार	27%
4	पहाड़ी / जंगली क्षेत्र	29	लकड़ी महुआ, मजदूरी	14.5%
योग		200	–	100%

स्त्रोत :– डिस्टेन्स सिंगरौली, पृष्ठ 11 नरहरी, कलेक्टर सिंगरौली

जिले के 200 श्रमिकों का आर्थिक रूप से भौगोलिक अध्ययन किया गया जिसमें सबसे कम जंगली पहाड़ी क्षेत्रों के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे, मात्र 14. 5 प्रतिशत लोगों को रोजगार के साधन प्राप्त हैं, लेकिन वे भी पूर्ण कालिक न होकर ऋतु चक्रीय परिस्थितियों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का 27 प्रतिशत भाग कृषि सम्बन्धी कार्य में संलग्न होकर रोजगार प्राप्त किया है। सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में निवास कर रहे श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है। जिनको 32 प्रतिशत रोजगार प्राप्त है। इनमें 20 प्रतिशत कुशल श्रमिक कार्यरत हैं। इन्हें औद्योगिक आधार पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता प्राप्त है।

जिले के श्रमिकों का सामान्य स्तर कम होने से श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ काफी दुर्बल है। इनके लिए सामाजिक क्षेत्रों के आदिवासी विचारों को हटाकर उनके मनोभूमि को साफ करना उन्नति श्रेणी के समाजों से तालमेल रखने वाली आकांक्षा और रूचि से देखा जाये तो आर्थिक सम्पन्न नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित व्यक्तिगत और समाजों के बीच आर्थिक सम्पन्नता सीमित है, क्योंकि जिले में औद्योगीकरण स्थानीय नहीं है। ज्यादातर श्रमिक कुशल है। सामाजिक कारणों के बाद जिले में श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा आर्थिक नीतियों के कारण अंधकारमय है। आज के समय में आय महत्वपूर्ण साधन है, व्यक्ति की आय पर उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्थित का आकलन किया जाता है। मनुष्य जब से इस धरती पर आया उसी समय से आवश्यकताओं ने व्यक्ति को आर्थिक आय के लिए विवश किया, फलतः आदिकाल से ही व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता विकास के मार्ग में साधनयुक्त है। परन्तु जिले में आय के साधन सीमित है जंगलों पहाड़ों पर आदिवासियों का निवास स्थल है जहां आधुनिकता छू नहीं पाती इनके परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ने से खर्च बढ़ा रहा है। निरन्तर बढ़ती मंहगाई के कारण भी श्रमिक अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने में सर्वथा अपने को असमर्थ पा रहा है। श्रमिक अपने बच्चों को भी कार्य में लगाने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर भी इनकी निम्न मासिक आय अत्यन्त कम होने के कारण भरण–पोषण की पूर्ति होना संभव नहीं है।

आर्थिक विकास के बारे में मजदूरियों की समस्या रोजगार व समस्या के बाद दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। यदि बेकारी या अर्धबेकारी जिले में आर्थिक विपत्ति की सूचक है तो मजदूरी का वेतन आर्थिक खुशहाली का सूचक है। जिले में औद्योगिक श्रमिक आमतौर पर अशिक्षित जानकारी न रखने वाले एवं अकुशल ढंग से

संगठित है, श्रम की विभिन्न विशेषताओं के कारण वे थोड़ी संख्या वाले एवं श्रमिकों के शोषण के लिए काफी साधन रखने वाले सेवायोजकों की तुलना में अपेक्षाकृत सौदा करने की कमजोर शक्ति होने के कारण अधिकांश व्यवसायों में श्रमिकों का शोषण होता है। ग्रामीण पर्यावरण में श्रमिकों को उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं की गयी। परतु भारत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से सजग है। और उसके लिए कानून बनाकर श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने और बढ़ाने की कोशिश की गयी है। सन् 1950 में ही उचित मजदूरी बिल पास कर संस्थाओं में मजदूरों निश्चित की गयी है तथा जुलाई 1980 में राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के स्तरों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आर्थिक समस्याओं का उदय ग्रामीण समाज के खेतिहर श्रमिकों की निजी स्थिति के कारण और पर्याप्त रोजगार के अवसरों की बहुत ज्यादा कमी के कारण होता है। आर्थिक समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये तो आर्थिक दुर्बलताओं के बुरे प्रभाव समाप्त होने पर श्रमिकों की संख्या निश्चित तौर पर कम होगी।

तालिका क्रमांक 02
श्रमिकों की दशा का अध्ययन

क्र.	श्रमिकों की दशा	श्रमिकों की समस्या	प्रतिशत
1	उच्च आर्थिक दशा वाले श्रमिक	06	03%
2	मध्यम आर्थिक दशा वाले श्रमिक	38	19%
3	सामान्य आर्थिक दशा वाले श्रमिक	52	26%
4	निम्न आर्थिक दशा वाले श्रमिक	98	49%
5	अन्य श्रमिक	08	04%
योग		200	100%

स्रोत– डिस्टेन्सन सिंगरौली, पृष्ठ 11 नरहरी, कलेक्टर सिंगरौली

उपरोक्त सारिणी से सिंगरौली जिले में खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक निम्न आर्थिक दशा पायी गयी इनकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दूसरी स्थिति में 200 श्रमिकों में से सामान्य आर्थिक दशा वाले 26 प्रतिशत मध्यम आर्थिक दशा में 19 प्रतिशत उच्च आर्थिक दशा वाले 3 प्रतिशत तथा अन्य श्रमिकों का 4 प्रतिशत पाया गया है। ब्लैक से 4 किमी की दूरी पर स्थिति है। एस्सार पावर लि. का कुल क्षेत्र 1745.40 एकड़ है। जिसमें 1243.83 एकड़ प्राइवेट भूमि 459.13 एकड़ शासकीय भूमि तथा वन परिक्षेत्र की 19.02 एकड़ है।

तालिका क्रमांक 03
Configuration of Power Plant

S. No.	Detail	Features
1	Project Capacity (M.W.)	1200 M.W.
2	Size of Steam Turbine	600 M.W.
3	Number of Bailers	02 M.W.
4	Number of Steam Turbines	02 M.W.
5	Boiler Technology	Sub Critical
6	Condenser Cooling	-

स्रोत– सी.एम.डी.नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, वार्षिक प्रगति पत्र 2006 पृष्ठ 02

इस संस्थान द्वारा सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए जिसमें नन्द बिहार कालोनी नगवा में सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल की स्थापना की गयी है। हाई स्कूल, कम्प्यूटर शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस आदि की सुविधा निःशुल्क दी जाती है इसके अलावा सड़क, मन्दिर, बाजार और संचार आदि की सुविधा दी गयी है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिंगरौली जिला मुख्य रूप से ऊर्जाधानी के रूप में विख्यात है। यहाँ पर कई शासकीय एवं अशासकीय कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं यहाँ मुख्य खनिज के रूप में कोयला से जुड़े हुए एन.टी.पी.सी. एवं कई अन्य विद्युत उत्पादन की इकाईयां संचालित हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। यहां के लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में पनिका जनजातीय लोगों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा उसका मुख्य कारण है कि व्यावसायिक शिक्षा का यहां पर कमी है अधिकांशतः लोगों यहाँ की कम्पनियों में बाहर के लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ के स्थानीय लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण इन्हें मजदूर वर्ग में ही रोजगार प्राप्त हैं उसी से अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं का विकास हो जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो सके जिससे पनिका जनजातीय समाज का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हो सके।

संदर्भ स्रोत :–

1. डिस्टेन्सन सिंगरौली, पृ. नरहरी, कलेक्टर सिंगरौली
2. भौगोलिक सर्वेक्षण भारत सरकार नई दिल्ली
3. शैक्षणिक स्थिति शोधार्थी के निजी सर्वेक्षण के आधार पर।
4. ग्रामीण क्षेत्रों का शैक्षणिक स्तर एवं शहरी क्षेत्र का शैक्षणिक स्तर शोधार्थी के निजी सर्वेक्षण के आधार पर।
5. जिला सांख्यिकीय सर्वेक्षण कलेक्टर सिंगरौली
6. सी.एम.डी. नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, वार्षिक प्रगति पत्र 2006 पृ. 02
7. जिला कार्य योजना कृषि विभाग सिंगरौली 2019
8. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली द्वारा प्राप्त आंकड़े

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 25th Feb 21 Paper Accepted : 10th Mar 21

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का वर्णन

❑ प्रभाक्षी तिवारी*

शोध सारांश

भारत में श्रमिक वर्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। वैसे तो देखा जाय तो देश के विकास की ओर उन्नतिशील है परंतु आज की असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की कार्यदशाओं संबंधी दशाओं को सुधारने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को सुधार कर समाज को एक नया आयाम प्रदत्त किया जा सकता है। इनकी आर्थिक सुदृढ़ बनाकर देश के आर्थिक ढाँचे को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। अतः श्रमिक वर्ग समाज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शब्द बीज :– असंगठित क्षेत्र, श्रमिक, आर्थिक स्थिति, कार्यदशाएँ, मजदूरी, ऋणग्रस्तता आदि।

शोध का क्षेत्र

शोध के क्षेत्र के अंतर्गत रीवा जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है।

शोध की प्रविधि

अनुसंधानकर्ता के द्वारा शोध लेख में प्राथमिक समंकों का संकलन साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से किया गया है।

शोध का उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना।
2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कार्यदशाओं का अध्ययन करना।
3. रीवा नगर के श्रम बाजार के श्रमिकों को मजदूरी कम होने के कारणों का पता लगाना।
4. श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध लेख का मुख्य भाग :–

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र के श्रमिकों का श्रमशक्ति में अभूतपूर्व योगदान है। परन्तु इनकी आर्थिक वर्तमान परिदृश्य में भी दयनीय है। ये असानता, निरक्षरता एवं रोजगार के अस्थायी रूवरूप के कारण अपने आपको सामूहिक कल्याण हेतु किसी निश्चित संगठन का रूप नहीं दे पाए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में ज्यादातर श्रमिक अकुशल हैं।

रीवा नगर के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि इन्हें बहुत कम मजदूरी प्राप्त होती है। श्रमिकों को वर्ष में केवल कुछ महीनों में ही आंशिक रोजगार मिल पाता है एवं शेष समय के लिए वे बेरोजगार रहते हैं। श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण ठेकेदारों के द्वारा

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शास. विवेकानंद महाविद्यालय मैहर, जिला–सतना (म.प्र.)

किए जाने के कारण वे श्रमिकों को मजदूरी देने में मनमानी करते हैं। वास्तविकता यह है कि मालिकों के द्वारा ठेकेदारों को तो अधिक मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार से श्रमिकों को मजदूरी का कम ही हिस्सा प्राप्त होता है। और वे बेरोजगारी के कारण भी कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्रमिकों की आय का एक अन्य स्रोत कृषि है, परंतु सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि बहुत ही कम श्रमिक ऐसे हैं, जिनकी स्वयं की जमीन है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो कि गाँवों में रहते हैं एवं जमींदारों के खेतों में अधिया या तिहरा के हिसाब से कार्य करते हैं। उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपनी आय का भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, मनोरंजन, वस्त्र, मद्यपान, बीड़ी गुटखा इत्यादि पर व्यय करते हैं। ज्यादातर श्रमिक अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि इनकी मजदूरी कम होने के कारण इनकी आय कम होती है, जिससे कि इनकी बचते बहुत कम होती है, जिससे कि वे अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं एवं अपनी आकस्मिक आवश्कताओं हेतु उन्हें ऋण लेना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र के जो कुछ भी बचते करते हैं वे उन्हें अपने पास ही रखते हैं अतः उनके द्वारा किया जाने वाला विनियोग शून्य के बराबर होता है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा समय तेज धूप में कार्य करना पड़ता है एवं कभी–कभी गंदे वातावरण में भी कार्य करना पड़ता है।

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ठेकेदार अधिक मजदूरी बताकर कार्य के लिए ले जाते हैं एवं मजदूरी देते समय उन्हें कम मजदूरी देते हैं। अतः श्रमिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में कार्यदशाओं संबंधी असंतुष्टता पायी है।

श्रमिकों की अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्रमिकों का का एक दृढ़ श्रम संघ स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी का कठोरता से पालन करना चाहिए इनके लिए निश्चित रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में भी कार्यदशाओं संबंधी सुधार किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है एवं उन्हें आंशिक रोजगार प्राप्त हेाता है, जिससे कि इनके सामने आंशिक बेरोजगारी की समस्या विद्यमान रहती है एवं समय की बर्बादी होती है। वर्तमान समय में आज इन्हें ऋणग्रस्तता एवं गरीबी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार को इनकी समस्याओं के समाधान हेतु अथक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने इन्हें समाज में एक सम्माननीय स्थान प्रदान किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी डॉ. महेशचन्द्र, श्रम अर्थशास्त्र, गोयल पब्लिशिंग हाउस
2. शुक्ल डॉ. एस.एम. एवं सहाय, सांख्यिकी के सिद्धांत, साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा 2008
3. आहूजा एच.एल. उच्चतर समष्टि, अर्थशास्त्र, एस. चन्द्र कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली 2007
4. जैन वी. एम., रिसर्च मेथ्डोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर 2007
5. मिश्र एस. के. एवं पुरी वी.के, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिकेशन हाउस 2010
6. जैन एन.के., मास्टर इन करेंट अफेयर्स, सी 114, निराला नगर लखनऊ

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 25th Feb 21 Paper Accepted : 10th Mar 21

सेलफोन का सामाजिक जीवन प्रभाव
(रीवा नगर के विशेष सन्दर्भ में)

❑ राकेश तिवारी*
❑ डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव**

शोध सारांश

भारतीय समाज की सबसे बड़ी भूमिका है समाजिक संबंधों में घनिष्ठता का होना। विश्व पटल पर भारत सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बरकरार रखने के लिए प्रसिद्ध है और यह संबंध बनाने एवं निर्वाह करने की परंपरा सदियों से भारत की विशेषता विद्यमान रही है। सामाजिक संबंधों को निर्वहन करने में विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ एवं सामाजिक संस्कृतियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती आई हैं। सामाजिक संस्था में विवाह एक ऐसी संस्था है, जो अनेक रिश्तों का निर्माण करती है तथा उन रिश्तों को सामाजिक रूप से निर्वहन करने का उत्तरदायित्व भी निभाती हैं। इन्हीं दूरियों को वर्तमान में कम करने में सेलफोन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य शब्दः— भारतीय, समाज, सेलफोन, निर्वहन, घनिष्ठता, संस्कृतियाँ आदि।

प्रस्तावना :—

भारतीय समाज में संस्कृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से अभौतिक संस्कृति के साथ ही भौतिक संस्कृति भी सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाने में सहायक होती है। इसी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत एक नाम आता है, सेलफोन का जो वर्तमान में सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

केरी स्टाफिंग (2007)[1] ने अपने अध्ययन में बताया कि सेलफोन पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों को घनिष्ठ एवं अटूट बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सेलफोन संबंधों को बेहतर बनाने में उपयोग किया जाने वाला दूरवाणी यंत्र है। सेलफोन सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में एवं अपने अनुभवों को बांटने में भावनात्मक सहायता करता है। के.पी. श्रीवास्तव (2005)[2] के अनुसार सेलफोन का उपयोग एक व्यक्ति को सामूहिक समर्थन एवं सामाजिक पहचान दिलाने में मदद करता है। सेलफोन सामाजिक संबंधों के द्वारा हमारे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत संबंधों में सुधार करता है एवं सामाजिक रिश्तों को बरकरार रखने में सहायक होता है।

सेलफोन दूर—दराज के संबंधों को बनाए रखने एवं उनसे मानसिक एवं भावनात्मक रूप से जुड़े रहने में सहायता करता है। परिवार के सदस्यों से

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

समय–समय पर सलाह लेना एवं देना दोनों सेलफोन के कारण सरल हो गया है। बोल्टन (2006)[3] एवं स्टीव जॉब्स (2012)[4] ने कहा कि सेल फोन समय के साथ चलने एवं परिवार के सदस्यों से सामाजिक रूप से जुड़े रहने में कारगर है। डेविड (2012)[5] ने कहा कि सेलफोन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन का एक विकसित परिणाम है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया ने सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाया है। वर्तमान परिवेश में हमारे पास सामाजिक संबंधों को निभाने के लिए कम समय है, इस कमी को दूर करने के लिए सेल फोन महत्त्वपूर्ण संचार उपकरण के रूप में आता है।

विभिन्न शोधकर्ताओं ने सेल फोन के सामाजिक संबंधों पर प्रभाव को लेकर अध्ययन कार्य किया जा रहा है। जिसमें सेलफोन को बरकरार रखने में मदद करता है। किसी भी स्थान एवं किसी भी समय किसी से भी संपर्क करना सेलफोन के द्वारा ही संभव हो सकता है। माता–पिता के प्रति कर्तव्य, भाई–बहनों के लिए एक सलाहकार, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, पति–पत्नी के लिए विश्वास एवं रिश्तेदारों के कुशलता की जानकारी, ये सभी भूमिका सेलफोन के द्वारा ही बड़ी आसानी से निर्वहन किये जाते हैं।

सामाजिक संबंध सेलफोन के आने से पहले भी सरलता से निभाये जाते थे और छोटी–मोटी बातों से प्रभावित भी होते थे किन्तु सेलफोन के आने से संपर्क की सुविधा और भी अधिक सरल हो गई है। जहाँ सेल फोन संबंधों को बनाये रखने में सहायक है वहीं सेलफोन का प्रभाव सामाजिक संबंध को बिगाड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हर पल की जानकारी का प्राप्त होना व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। पत्नियों के द्वारा पति के हर कार्य का जानना आवश्यक हो जाता है तथा माता–पिता भी अपनी बेटियों के घर–गृहस्थी में अधिक रुचि रखना तनाव का कारण बन जाता है, और यह केवल सेल फोन के कारण ही नजर आता है।

लिंग रिच (2012)[6] एवं पॉल सी. रोजेनब्लाट (2010)[7] ने अपने अध्ययन में कहा कि सेल फोन सामाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार एवं संबंध की आवश्यकता को कम कर दिया है। सेलफोन पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से अलग कर रहा है।

सेलफोन रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। माता–पिता एवं बच्चों के बीच सेलफोन को लेकर वाद–विवाद होना एक आम बात हो गया है। संवाद का यह सहज माध्यम सामाजिक, पारिवारिक ही नहीं मानसिक और प्रोफेशनल परेशानियां पैदा कर रहा है। सेलफोन इतना अहम हो गया है कि परिवार के सदस्यों से कहीं ज्यादा सेल फोन आदमी के लिए जरूरी लगने लगता है।

रीड एवं रीड (2004)[8] एवं ली युंग (2008)[9] ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि सेलफोन समाज में इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि व्यक्ति अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश में सामाजिक रिश्तों को कम कर रहा है। सामाजिक संबंधों का कमजोर होना व्यक्ति की असफलता को दर्शाता है।

लैरी मैजीड (2009)[10] ने अपने अध्ययन में देखा कि सेलफोन रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है। उन्होंने सेल फोन को परिवार से अलग रखने का सलाह दिया है ताकि रिश्तों में मधुरता बरकरार रहे।

इस प्रकार से देखा जाए तो सेलफोन सामाजिक संबंधों को दोनों प्रकार से प्रभावित कर रहा है, संबंधों को जोड़ने में भी तथा संबंधों को तोड़ने में भी सेल फोन अहम भूमिका निभा रहा है। सेलफोन एक उपयोगी संचार साधन है, इसे उपयोग के लिए सोच–समझ एवं कुशलता की आवश्यकता होती है ताकि सेलफोन के लाभ तो मिलते रहे लेकिन सामाजिक संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो।

सेलफोन का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव को जानने के लिए सर्वप्रथम उत्तरदाताओं के मूल निवास स्थान एवं उनके रिश्तेदारों के संबंध में जानना आवश्यक है, क्योंकि आजकल एकाकी परिवार का प्रचलन है। परिवार के शेष रिश्तेदार एक ही शहर या दूसरे शहर या गांव में रहते हैं। कभी–कभी नौकरी के सिलसिले

में भी व्यक्ति को अपना मूल निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है। उपरोक्त परिस्थितियों में व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से किस प्रकार संपर्क साधे। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रारम्भ में इसी बात को जानने का मुख्य प्रयास किया गया है। तत्पश्चात सेल फोन के सामाजिक संबंधों पर प्रभाव को ज्ञात किया गया है।

उत्तरदाताओं का मूल निवास स्थान –

प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल निवास स्थान होता है। कभी–कभी व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान पर आजन्म निवास करता है किन्तु कभी–कभी उसे मूल निवास स्थान से बाहर जाना पड़ता है। मूल निवास स्थान के संबंध में रितु सेन ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी समुदाय से संबंध रहता है और यही समुदाय उसका मूल स्थान होता है।[11]

मूल निवास स्थान व्यक्ति का जन्म स्थल होता है। भारतीय समाज में मूल निवास स्थान का बहुत महत्त्वपूर्ण है। विवाह के समय दोनों पक्षों का मूल निवास स्थान को पूछा जाता है विभिन्न जाति समूह एवं जनजाति समूह अपने मूल निवास स्थान के नाम से ही पहचाने जाते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन रीवा नगर निगम क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत है। उत्तरदाता समूह में कुछ उत्तरदाता का मूल स्थान रीवा शहर ही है किन्तु कुछ उत्तरदाता रीवा शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और कुछ शहर के आस–पास के मूल निवासी हैं। उत्तरदाताओं के मूल निवास स्थान संबंधी जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक –1

उत्तरदाताओं का मूल निवास स्थान

क्र.	मूल निवास स्थान	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	रीवा नमर निगम	130	65
2.	रीवा ग्रामीण क्षेत्र	40	20
3.	शहर के आस–पास	30	15
योग		**200**	**100**

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं से प्राप्त उनके मूल निवास स्थान संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 65 प्रतिशत उत्तरदाता का मूल निवास स्थान रीवा नगर निगम ही है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रीवा के ग्रामीण के बाहर अपना मूल निवास स्थान का होना बताया शेष 15 प्रतिशत उत्तरदाता रीवा नगर निगम आस–पास के मूल निवासी हैं किन्तु कार्य क्षेत्र रीवा शहर के नगर के अंदर होने के कारण यहीं निवासरत है।

अतः सर्वाधिक उत्तरदाता अध्ययन क्षेत्र रीवा नगर निगम क्षेत्र के मूल निवासी हैं, किन्तु उनके रिश्तेदार ग्रामीण क्षेत्र एवं आस–पास के बाहर निवास करते हैं।

मूल निवास स्थान में परिवार के सदस्य –

सामाजिक जीवन रिश्तों के डोर से बंधी होती है। व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से संवेगात्मक रूप से जुड़ा होता है। आधुनिक संघर्षशील जीवन में परिवार के सभी सदस्यों का साथ–साथ रहना संभव नहीं है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को अपने मूल निवास स्थान से गांव जाना पड़ता है ऐसी परिस्थिति में परिवार के शेष सदस्य मूल निवास स्थान पर ही रहते हैं। मूल निवास स्थान में माता–पिता, भाई–बहन, दूर के रिश्तेदार रहते हैं, कभी–कभी पत्नी एवं बच्चे भी मूल निवास स्थान में ही रहते हैं।

उत्तरदाताओं के मूल निवास स्थान पर परिवार के कौन–कौन से सदस्य रहते हैं, इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक – 2

मूल निवास स्थान में परिवार के सदस्य

क्र.	परिवार के सदस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	माता–पिता एवं भाई–बहन	95	47.5
2.	दूर के रिश्तेदार	80	40
3.	अन्य	25	12.5
योग		**200**	**100**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मूल निवास स्थान में उनके माता–पिता एवं भाई–बहन रहते हैं। 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मूल निवास स्थान में उनके दूर के रिश्तेदार निवासरत हैं तथा 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि उनके मूल निवास स्थान में उनके अन्य अर्थात तृतीयक श्रेणी के रिश्तेदार रहते हैं। तृतीयक श्रेणी के रिश्तेदार से आशय है भाई–बहनों के ससुराल पक्ष एवं वे रिश्तेदार जिनसे खून का संबंध नहीं होता किन्तु वे सामाजिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं।

मूल निवास स्थान में हमेशा आना जाना –

अपने मूल निवास स्थान से प्रत्येक व्यक्ति का हमेशा लगाव रहता है। चाहे वह वहां कम समय बिताया हो या अधिक समय तक रहा हो, जो परिवार या जिस परिवार का व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान से अन्य स्थान में भ्रमण किया हो उसका अपने मूल निवास स्थान में जाना–आना होता ही रहता है। परिवार का साथ एवं संपर्क ही सामाजिक जीवन का आधार होता है। व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में परिवार की सर्वाधिक आवश्यकता होती है और परिवार अपने पैतृक निवास स्थान से जुड़ा होता है।

शोधाध्ययनान्तर्गत उत्तरदाताओं में जिन उत्तरदाताओं का मूल निवास स्थान रीवा नगर निगम के बाहर है इनका वहां हमेशा जाना–आना लगा रहता है या नहीं इस संबंध में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका मूल निवास स्थान में हमेशा आना जाना होता है।

अतः सभी उत्तरदाता अपने मूल निवास से जुड़े हुए हैं।

रिश्तेदारों से संपर्क का स्वरूप

संपर्क, संबंध का पर्याय रूप है। जितना अधिक किसी से संपर्क होगा, उतना ही अधिक संबंध मजबूत बनेगा। वर्तमान समय में संचार के विकसित साधनों ने संपर्क को अत्यधिक आसान बना दिया है। पहले पास एवं दूर के रिश्तेदारों से संपर्क बनाने के लिए स्वयं जाना पड़ता था या किसी मध्यस्थ को इस कार्य हेतु चयन किया जाता था। इसके धन एवं समय दोनों अधिक खर्च होते थे। सन् 1854 में विधिवत डाक सेवा अस्तित्व में आया। तब पत्र व्यवहार के द्वारा रिश्तेदारों से संपर्क किया जाता था तब भी समय अधिक लगता था। फिर सन् 1855 टेलीग्राम संचार, संप्रेषण में शामिल हुआ जो अंग्रेजी भाषा में सेवा प्रदान करता था। सन् 1980 में हिन्दी भाषा में टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुआ यह भी डाक सेवा के अंतर्गत आता था।

ग्राह्मवेल ने सन् 1876 में टेलीफोन का अविष्कार करके संपर्क को और भी अधिक आसान बना दिया। घर बैठे दूर के रिश्तेदारों से संपर्क तत्काल होने लगा। संपर्क के इस कड़ी में मार्टिन कूपर ने सन् 1973 में सेलफोन (मोबाइल) का आविष्कार कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचार क्रांति का बिगुल बजाया, जिसने सामाजिक संपर्क को सहज बना दिया।

वर्तमान में सेल फोन के द्वारा संपर्क अधिक किया जाता है। अपने सभी रिश्तेदारों से सेल फोन पर भी संपर्क करके सामाजिक संबंधों की भूमिकाएँ बखूबी निभायी जाती हैं। रीचर्ड (2004)12 एवं वाटसन (2008)13 ने अपने अध्ययन में इस बात को सही ठहराया है कि अधिकांश लोग सेलफोन के द्वारा ही अपने रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं। मोबाइल फोन कम खर्च एवं कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने में मदद करता है।

ताजोरा एक्सेल (2011)14 ने बताया कि सेलफोन द्वारा संपर्क करना दूर रहकर भी करीब होने का अहसास दिलाता है। इसलिए सेलफोन पर रिश्तेदारों से संपर्क करना आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है।

सामाजिक जीवन में रिश्तेदारों से संपर्क बनाने के विभिन्न तरीके हैं। उत्तरदाताओं के द्वारा इस संबंध पर प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है कि–

तालिका क्रमांक –3
रिश्तेदारों से संपर्क का स्वरूप

क्र.	रिश्तेदारों से संपर्क	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पत्र व्यवहार के द्वारा	3	1.5
2.	स्वयं जा कर	65	32.5
3.	सेल फोन से बात करके	132	66
योग		**200**	**100**

रिश्तेदारों से संपर्क का स्वरूप

तालिका क्रमांक 5.2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 66 प्रतिशत उत्तरदाता रिश्तेदारों से संपर्क करने के लिए सेलफोन का उपयोग करते हैं। 32.5 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं जाकर रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं। शेष 1.5 प्रतिशत उत्तरदाता पत्र व्यवहार के द्वारा अपने रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित करते हैं।

वर्तमान में पारिवारिक रिश्तेदारों के घर जाकर संपर्क करने में कमी आना इस बात को दर्शाता है कि सेलफोन रिश्तेदारों से संपर्क का आसान माध्यम है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शोध पत्र के अध्ययन से अवगत होता है कि उत्तरदाताओं में जिन उत्तरदाताओं का मूल निवास स्थान रीवा नगर निगम के बाहर है इनका वहां हमेशा जाना–आना लगा रहता है या नहीं इस संबंध में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका मूल निवास स्थान में हमेशा आना जाना होता है। वर्तमान में पारिवारिक रिश्तेदारों के घर जाकर संपर्क करने में कमी आना इस बात को दर्शाता है कि सेलफोन रिश्तेदारों से संपर्क का आसान माध्यम है। जिससे समाज में सामजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियों में सेलफोन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जिससे एक दूसरे से आसानी से सम्पर्क में रहकर अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं।

संदर्भ सूची–

1. केरी, स्टाफिंग (2007); पारिवारिक रिश्तों में सेल फोन की भूमिका, MMM और GSM एसोसिएशन (gsma) 23 ब्राइटन, यूके, पृ0 43–47.
2. श्रीवास्तव, के.पी.(2005) सामाजिक संबंध एवं सेल फोन, शोध पत्र, Vol.(5)No.3, पृ0 162–166.
3. बोल्टन, (2006); सेल फोन का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव, सूचना संचार सोसायटी, ब्रिटेन, पृ0 56.

4. स्टीव जॉब्स, (2006); स्वस्थ प्रौद्योगिकी के साथ अपने परिवार का संबंध, शोध प्रबंध, सन फ्रांसिसको विश्वविद्यालय, पृ0 89.
5. डेविड (2012); सेल फोन प्रौद्योगिकी और रिश्ते, सामाजिक आंदोलन और शिक्षा पर प्रभाव, न्यू मीडिया सोसायटी स्वीडन, 12(1), पृ0 13—14.
6. लिंग, रिच, (2012); नई तकनीकी, नये संबंध, न्यू मोबाइल संचार, वर्ल्ड प्रेस, संगठन पृ0 102—105.
7. पॉल, सी. रोजेनब्लाट (2010); सेल फोन के उपयोग से परिवार के रिश्तों को खतरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, पृ0 67.
8. रीड, एवं रीड (2004); सेल फोन का सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव, केलिफोर्निया विश्वविद्यालय, 3 ;टवसद्ध पृ0 201—203.
9. ली युंग, (2008); अवकाश में सेल फोन की लत, s.b. संचार बार्न्स—ईस, न्यूयार्क, रूटलेज पृ0 359—381.
10. लैरी, मेजीड, (2009); जीवन के लिए प्रौद्योगिकी एवं रिश्ते, शोध पत्र, CBS। अमेरिका, पृ0 564—569.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed SJIF - 5.299

International Referred &

Multifocal Research Journal

Paper Recieved : 20th Feb 21 Paper Accepted : 10th Mar 21

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप व विस्तार

❑ सुनील वर्मा*

❑ डॉ. उपमा सिंह**

शोध सारांश

जब हम राजनीतिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं, तो एक व्यापक अवधारणा की ओर संकेत होता है। जिसमें सभी प्रकार की औपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रियायें, अन्तः क्रियायें, प्रकार्य, संरचनायें, मूल्य आदि सम्मिलित होते है। राजनीतिक व्यवस्था, सामान्यतः व्यवस्थाओं की सीमओं के पार, पर्यावरण से तथा परस्पर अन्तःक्रिया करने वाली उन संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं का समुच्चीकरण है जिसे राजनीतिक अन्तः क्रियाओं की इकाई या व्यवस्था कहा जा सकता है। इस व्यवस्था का निर्माण सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले उन व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा होता है जो समाज के लिये नीति के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन से किसी प्रकार सम्बद्ध हों। जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते है तब उसका आशय होता है कि शासन का स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कौन–कौन से तत्व इस प्रक्रिया को प्रभावित करते है, राज व्यवस्था में जन सहभागिता का स्तर क्या है और जनता के मूल्य दृष्टिकोण और चरित्र का स्वरूप क्या है? इन सन्दर्भो में जब हम भारतीय राज–व्यवस्था पर इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द :– भारतीय, राजनीतिक व्यवस्था, क्रियान्वयन, सहभागिता, दृष्टिकोण आदि।

1. प्रस्तावना :–

भारत में ब्रिटिश संसदीय परम्पराओं के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत संघीय संसद है जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन–लोकसभा व राज्य सभा है। इनमें लोकसभा को वित्तीय मामलों में सर्वोच्चता प्राप्त है। संघ की वास्तविक कार्यपालिका (मन्त्रि परिषद्) की नियुक्ति दोनों सदनों के सदस्यों से होती है। किन्तु यह कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आम चुनावों में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, अथवा गुट को ही सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया जाता है और यह कार्यपालिका लोकसभा के विश्वास पर्यन्त ही अपने पद बनी रह सकती है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

** शोध निर्देशक एवं सहायक प्रध्यापक (राजनीति विज्ञान), शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

संवैधानिक रूप से मन्त्रिमण्डल की सहायता तथा परामार्श से कार्य करता है किन्तु वास्तव में, संसदीय परम्पराओं के अनुसार निर्णय व शासन कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा लिये जाते है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र की कार्यपालिका है। भारत में संसद की प्रभुता नही है इसकी शक्तियों ब्रिटिश संसद की तरह असीम और अनियंत्रित नही है। यह लिखित संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करती है। इन सब सीमाओं के कारण संसद के अधिकार तथा क्षैत्राधिकार का स्वरूप तथा विस्तार सीमित हो जाता है।

2. एकात्मकता की ओर झुक संघात्मक व्यवस्था

भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई किन्तु इस "Fedration" न कह कर संविधान के अनुच्छेद 1 (I) में Union कहा गया है। डा0 अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा में कहा था, ''आप देखेगें कि प्रारूप समिति ने "Federation" के स्थान पर "Union" शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि नाम का कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर भी समिति ने 1867 के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम की प्रस्तावना की भाषा को आधार बनाया है और समिति का यह विचार है कि भारत को ''यूनियन'' कहना अधिक उपयुक्त होगा, यद्यपि भारत के संविधान का स्वरूप संघीय ही हो सकता है। डा0 अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि ''यूनियन'' शब्द के प्रयोग के दो लाभ हैं– (1) भारत का संघ इकाईयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं हैं व (2) संघटक इकाईयों को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है।

वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो केन्द्रीकृत प्रवृत्ति की ओर झुकी है। ऐसा तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की आवश्यकता थी। यही कारण है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर प्रवृत्त है। शक्तियों के विभाजन में केन्द्र को अधिक व महत्वपूर्ण शक्तियों दिया जाना, समवर्ती सूची पर केन्द्र की प्रधानता, राज्यों में राज्यपालों का केन्द्र के एजेन्ट के रूप में कार्य करना, आपातकाल में संघात्मक स्वरूप का एकात्मक हो जाना, राज्यों को केन्द्र के अनुदान पर निर्भर रहना, दोहरे संविधान व नागरिकता का न होना आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की पुष्टि करते है।

जब तक कांग्रेस की सरकारें केन्द्र और राज्यों में रही संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था की तरह कार्य करती रही। किन्तु 1967 के बाद जब राज्यों में क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय दलों की सरकारें बनने लगीं तब राज्य अधिक स्वायत्तता की मांग करने लगे। परिणाम स्वरूप मार्च 1963 में एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति हुई जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश सरकारिया थे। इस आयोग ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सुधार के उद्देश्य से जनवर 1988 में अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में सुधार के अनेक सुझाव थे। फिर यह समस्या आज भी यथावत् हैं। केन्द्र और राज्यों में टकराव के बिन्दु प्रायः उभरते रहते है। विशेष रूप से जब केन्द्र और राज्यों में अलग–अलग दलों की सरकारें हो तब यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।

3. राजनीति पर जातिगत प्रभाव

स्वातन्त्रयेत्तर भारत में भारतीय राजनीति पर जातिगत प्रभाव बढ़ा है। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है वहीं राजनीति और प्रशासन पर इसका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। एक ओर सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों ने जातियों के राजनीतिकरण को बढ़ाया है तो दूसरी ओर कतिपय संवैधानिक उपबन्ध भी राजनीति पर जाति के प्रभुत्व में सहायक हुए है। आज स्थिति यह है कि हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय राजनीति बहुत कुछ जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई समाजशास्त्री भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के सम्पन्न होने के लिये आवश्यक अवस्थायें उत्पन्न करने का कार्य जातियों के कारण ही बहुत अधिक सम्भव हो सका है। सत्ता के गलियारों तक पहुँचतने के लिये जाति एक ''शार्टकट'' रास्ता बन गया है। राज्यों की राजनीति पर तो जाति का प्रभाव और अधिक है। कुछ राज्यों में कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही जातियों पर आधरित है।

वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय राजनीति में जातीय प्रभाव ने राजनीतिक नेतृत्व के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। भारतीय मतदाता राजनीतिक समस्याओं पर यहां तक कि राष्ट्रीय समस्याओं पर बहुत कुछ जातीय दृष्टिकोण से सोचता है। निर्वाचन में प्रत्याशियों के चयन से लेकर मन्त्रिपरिषद् के गठन तक जातिगत तत्व प्रभावी रहता है।

4. धर्म, साम्प्रदायिकता और भारतीय राजनीति

यद्यपि भारतीय संविधान की आत्मा ''प्रस्तावना'' में भारत को एक ''धर्म निरपेक्ष'' राज्य घोषित किया गया है। फिर भी भारतीय राजनीति ''धर्म'' और ''सम्प्रदाय'' के तत्व से प्रभावित रही है। यह ''धर्म'' ''सम्प्रदाय'' की राजनीति का ही परिणाम था कि भारत का विभाजन हुआ। वस्तुतः यह सूत्र अंग्रेजों ने ''फूट डालो'' और शासन करो की अपनी रणनीति के कारण आरोपित किया था जो स्वतन्त्रता के बाद हमारे राजनीतिक दलों के लिए ''वोट बैंक'' सुदृढ़ करने के कारगर उपाय के रूप में विरासत में मिल गया।

धर्म को हर क्षेत्र में नैतिकता और एकता प्रोत्साहन देना चाहिए। किन्तु भारत में धर्मान्ध भावनाओं ने देश की राजनीतिक और सामाजिक एकता को चोट पहुंचायी है। जो धर्म संयोजक शक्ति का काम कर सकता है वही आज विभेदक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में अनेक धार्मिक मतावलम्बी रहते है किन्तु भारतीय राजनीति का बहुत कुछ निर्धारण हिन्दु–मुसलमानों के तनाव के आधार पर हो रहा है। यद्यपि भारत में साम्प्रदायिक तनाव और इसी आधार पर दमन मध्यकाल से रहा हैं किन्तु एक ''वैचारिकी और राजनीति'' के रूप में यह लोकप्रिय प्रभुता लोकप्रिय सहभागिता अर्थात वयस्क मताधिकार प्रणाली के बाद में उभर कर सामने आया है।

भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर कुछ राजनीतिक दल व संगठनों का गठन हुआ है, जिनके अस्तित्व का आधार ही धर्म अथवा सम्प्रदाय विशेष है। किन्तु जो दल धर्मनिरपेक्ष चरित्र का दावा करते है वे भी ''वोट बैंक'' के लिए इस आधार का दोहन करने से नहीं चूकते। वर्तमान भारतीय राजनीति में दलों के धुर्वीकरण का एक आधार भी धर्म हो गया है।

5. भाषा की राजनीति

जाति और धर्म की राजनीति के साथ भारत में भाषा की राजनीति भी भारतीय राजव्यवस्था को प्रभावित व आतंकित करती रही है स्वतंत्रता के बाद देश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया है। इस पुनर्गठन के बाद देश में जो दंगे हुए वे किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए शर्म की भांति हो सकती है। बम्बई में मराठी गुजराती दंगे हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गये। तेलुगू भाषा–भाषी क्षेत्र के लिए रामालु ने उपवास किये जिसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी भाषा क्षेत्र के लिए उग्र आन्दोलन चलाया। हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के प्रश्न पर मद्रास में दंगा–फसाद हुआ। यहाँ इन माँगों, आन्दोलनों और उपद्रवों के पीछे किसी भाषा के संरक्षण अथवा विकास की मानसिकता कम रही है, राजनीतिक लाभ का उद्देश्य अधिक रहा है।

भाषा का विवाद वस्तुतः प्रारम्भ से ही भारतीय राजनीति का एक समस्या बिन्दु रहा है। 1950 में संविधान परिषद ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया और यह निश्चय किया गया कि 15 वर्षो के अन्दर स्कूलों में अंग्रेजी के बदले हिन्दी माध्यम होगा और केन्द्रीय स्तर पर भी हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा। किन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। 26 जनवर 1965 को हिन्दी राष्ट्रभाषा तो बन गई किन्तु जब उसे लागू करने की बात उठी तो विरोध प्रारम्भ हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिन्दी भाषी राज्यों के विरोध को शान्त करने के लिए यह आश्वासन दिया कि हिन्दी को सरकारी स्तर पर लाने का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त किया जा रहा है, अहिन्दी भाषी राज्य तब तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकेंगे जब तक कि वे हिन्दी सम्बन्धी परिवर्तन के लिए तैयार न हो। इसके बाद 23–24 फरवरी 1965 को मुख्य मंत्रियों के नए सम्मेलन एवं कांग्रेस कार्यकारिणी ने दिल्ली में भाषा की समस्या पर विचार किया। मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया है कि भाषा समस्या पर विचार करते समय विभिन्न राज्यों के जनता के हितों को ध्यान में रखा जाये।

इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य थे– अशोकसेन, चागला, सत्यनारायण सिन्हा, महावीर त्यागी, गुलजारीलाल नन्दा और पाटिल। इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे राज्य भाषा कानून के लिए उचित संशोधन की रूप रेखा तैयार करे और ऐसा करते वक्त मुख्यमंत्रियों की सिफारिशों को ध्यान में रखें।

1967 में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में राज्यभाषा संशोधन विधेयक पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि हिन्दी और अहिन्दी राज्यों में हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी चलता रहे और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में भी यही स्थिति बनी रहे। इस विधेयक के साथ ही एक भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें यह कहा गया था कि उच्च केन्द्रीय नौकरियों के लिए अंग्रेजी व हिन्दी में से किसी एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षायें अंगेजी के अलावा संविधान द्वारा स्वीकृत अन्य किसी भी भारतीय भाषा में ली जा सकती है– 19 जुलाई 1967 को भारत सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को हटाकर किसी भी क्षेत्रीय भाषा को बनाया जा सकता है एवं इंजीनियरिंग, कृषि, चिकित्सा आदि सभी पाठयक्रम इस भाषा में पढ़ाये जा सकते है, घोषणा में कहा गया कि यह परिवर्तन पांच वर्ष के भीतर लागू किया जा सकता है।

इस संशोधन विधेयक के पारित किये जाने के बाद भी कोई भी पक्ष सन्तुष्ट नहीं हुआ। हर तरफ भाषा के नाम पर अग्र आन्दोलन प्रारम्भ हो गये। उत्तर प्रदेश व अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में छात्रों ने हिन्दी के समर्थन में आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसे कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त था। इसी प्रकार अहिन्दी भाषी विशेषकर मद्रास में हिन्दी के विरोध में उग्र आन्दोलन प्रारम्भ हो गया जिसे अन्नादुराई सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार भाषा भी भारतीय राजनीति में ''मतदोहन का एक माध्यम बन गया।

6. क्षेत्रवाद

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का एक अन्य निर्धारक तत्व है क्षेत्रवाद अर्थात क्षेत्रीय अ[redacted]धार पर व्यवस्था में अन्तःकिया। वैसे क्षेत्रवाद कोई नई धारणा अथवा प्रवृत्ति नहीं है वास्तव में यह दक्षिण एशिया की परंपरागत संस्कृति का ही एक अंग है जो 19वीं शताब्दी के पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के दोहरे प्रभाव से परिवर्तित रूप में प्रकट हो रहा है। भारत में भी क्षेत्रवाद आकस्मिक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है।

क्षेत्रवाद को एक बहु–आयामी जटिल अवधारणा राष्ट्रवाद के अन्तर्गत निर्मित होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर सकते है। यह मौलिक रूप से संघीय ढांचे वाले देशों की समस्या है। जबकि संघात्मक व्यवस्था के लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता ह किन्तु क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसी भावनायें लोगों को उकसाती रहती है। क्षेत्रीय भावनाये तब उभरती है जब भौगोलिक पृथकता, स्वतंत्र ऐतिहासिक परम्पराओं, जातीय, संस्कृतिक या धार्मिक विविधताओं और आर्थिक या वर्गीय हितों में से कोई दो या अधिक तत्व संयोजित होते है।

क्षेत्रवाद के उदय के कई उद्देश्य हो सकते है किन्तु निम्न चार विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

1. एक राष्ट्र के अन्तर्गत विशिष्ट पहचान रखने वाले उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय संस्कृति की पुनःस्थापना

2. प्रशासकीय राजनीतिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन

3. दो या दो से अधिक उप सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा केन्द्र राज्यों के विवादों के समाधान के लिए उपाय खोजना और

4. राज्य और केन्द्र के बीच आर्थिक साम्यावस्था को बनाये रखना

क्षेत्रवाद के उदय एवं विकास में अनेक तत्व सहायक होते है। ये तत्त्व प्रायः आपस में जुड़े हुए भी होते है। इसलिए यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन सा तत्त्व क्षेत्रवाद को जन्म देता है और कौन इस बढ़ने में सहायता देता है।

भारत में भी क्षेत्रवाद के उदय एवं विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे है। इनमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कारण, धर्मकाल व भाषा की विविधता, आर्थिक कारण प्रमुख रहे है। वास्तव में भारत जैसे महान और विविधता पूर्ण देश में अपनाई

गई राजनीतिक व्यवस्था और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में क्षेत्रवाद एक अपरिहार्य तथ्य है। विशिष्ट परिस्थितियों के कारण राज्य की स्थापना की प्रक्रिया स्वयं ही क्षेत्रवाद की प्रक्रिया को जन्म देती है। निःसन्देह कई बार यह प्रक्रिया अत्यन्त गम्भीर दिखायी दे सकती है। आर्थिक स्त्रोतों की कमी और गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग पृथकतावादी लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है। पंजाब में खालिस्तान की माँग, जम्मू–कश्मीर की आतंकी गतिविधियों और नागालैण्ड व मिजोरम के पृथकतावादी आन्दोलन इसके उदाहरण है। किन्तु सामान्यतया क्षेत्रवाद की भावना व प्रक्रिया पृथकतावाद का समानार्थी नही थे। इसका वास्तविक सम्बन्ध क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष के लिए अधिक से अधिक सुविधाये प्राप्त करने के लिए दबाब की राजनीति करना है। दूसरे शब्दोमें में इस राजनीतिक सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने का साधन कहा जा सकता है यही कारण है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आाधर पर क्षेत्रीय दलों का उदय और विकास हुआ और वर्तमान में ये दल इतने प्रभावशाली हो गये है कि न केवल भारतीय राजनीति की दिशा निर्धारित कर रहे है बल्कि केन्द्रीय सरकार बनाने व चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

यहाँ भारतीय राजव्यवस्था के सम्बन्ध में उन्हीं तत्त्वों का विशेषोल्लेख किया गया है जो भारत में गठबन्धन की राजनीति के निर्धारक व निर्णायक तत्त्व कहे जा सकते है। इनके अतिरिक्त राजव्यवस्था की दल प्रणाली से सम्बन्धित तथ्यों का अगले अध्याय में विश्लेषण किया गया है जैसे–बहुदलीय व्यवस्था का स्वरूप, दल बदल व दल विभाजन, निजी महात्वाकांक्षा की राजनीति आदि। भारतीय राजव्यवस्था के इन तथ्यों की सीढ़ियों चढ़कर ही हम गढबन्धन की राजनीति के रहस्य का रहस्योद्घाटन कर सकते है क्योंकि राजव्यवस्था की बहुआयामी जटिल संरचना के अन्तः सम्बन्धों और अन्तःक्रियाओं की अनदेखी कर राजव्यवस्था से जुड़े किसी भी प्रश्न के सन्दर्भ में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

संदर्भ स्रोत :–

1. एनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइंसेज, एडीटर–इन–चीफ एडविन आर.ए. सेलिंगमैन, एसोशियेशन एडीटर, आल्विन जानसन, जिल्द ब्राइट कमेन्टेटर्स द मैकमिलान क., न्यूयार्क 1963, पृष्ठ–600, 605
2. मैरी, थामस, ''पोलिटकल पार्टीज इन इण्डया, लिबरल टाइम्स वाल्यू. नं. 1, 2001, पृ. 20
3. 2 मैरी, थामस, ''पोलिटकल पार्टीज इन इण्डया, लिबरल टाइम्स वाल्यू. नं. 1, 2001, पृ. 20001, पृ. 21
4. डी. एन. सिंह, ''भारत में संसदीय लोकतन्त्र : चुनौतियां और संभावनायें ! भ.गां. का. विद्यापीठ में राज. वि. विभाग द्वारा 27–28 फरवरी, 2001 को आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्र।
5. मैरी, थामस, ''पोलिटकल पार्टीज इन इण्डया, लिबरल टाइम्स वाल्यू. नं. 1, 2001 पृ. 22
6. थियोडोर कैपलो, ए थ्योरी ऑ कोएलिशन इन द ट्रेड, सोशियोलोजिकल रिव्यू, 21 (1956), पृ.–484–893
7. रामचन्द्र सिंह, भारत में संयुक्त सरकारें : खिंचाव तनाव (उत्तर प्रदेश का अनुभव। 1967 से 1970 तक) शोध प्रबन्ध, राज0वि0, का0हि0वि0वि0 1971।
8. टुडे इण्डिया, 1996, 1999, 2004, 2008 आदि।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 25th Feb 21 Paper Accepted : 10th Mar 21

वाल्मीकि रामायण में स्त्री की अस्मिता एवं विमर्श

❑ राम कुमार आर्य*

शोध सारांश

भारत में स्त्रियों की अस्मिता एवं विमर्श से तात्पर्य यह है कि एक समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है, उन्हें पुरुषों से ऊंचा, बराबर या नीचा, क्यों माना जाता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है? इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात का भी विशेष महत्व है कि उन्हें कौन–कौन से अधिकार प्राप्त हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्या–क्या कार्य हैं, तथा उनसे किन भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है। इन सभी बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, विशेषतः भारतीय समाज में काफी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है और इसी कारण दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती रही है। यहां पुरुष के अभाव में स्त्री की और स्त्री के अभाव में पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यहां वैदिक काल से अब तक स्त्रियों की स्थिति परिवर्तित होती रही है।

वैदिक काल में स्त्री–पुरुषों की स्थिति में समानता थी। इस समय लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था और ये भी ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। इस युग में अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं। घोषा, अपाला, विश्वम्भरा आदि विदुषी महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। गार्गी व मैत्रेयी ऋषि महिलाएं थीं। इस काल में लड़कियों का विवाह साधारणतः युवावस्था में ही होता था। महाभारत काल एक संक्रान्ति–काल (द्वापर और कलियुग) था जिसमें नियमों की स्थिति के संबंध में विरोधी मत पाए जाते हैं– अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उससे स्नेह का व्यवहार किया जाना आवश्यक है। जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवताओं का निवास होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में सभी कार्य पुण्यरहित हो जाते हैं।1 इस समय तक स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियों को वेदों के अध्ययन की आज्ञा थी।

मुख्य शब्द–वाल्मीकि, स्त्री, अस्मिता, विमर्श, संस्कार, भारतीय समाज इत्यादि।

* सहा0 प्राध्यापक (संस्कृत), शासकीय बापू महाविद्यालय, नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

प्रस्तावना

'अस्मिता' शब्द का तात्पर्य एवं उसकी विवेचन– अस्मि शब्द अस्+मिन् से बना है। अस् होना धातु वर्तमान काल, एकवचन और उत्तम पुरुष वाचक शब्द है। जिसका अर्थ है– मैं अथवा अहम्2। अस्मिता शब्द से तात्पर्य होता है, कि स्त्री के स्वरूप से है। स्त्री का स्वरूप क्या है, उसका विविध युगों में क्या महत्व रहा है, इन सभी विषयों से संबंधित विविध शोध– पत्रों के कुछ पहलुओं का उल्लेख किया है।

स्त्री–अस्मिता परक विविध मतों का विवेचन– यद्यपि स्त्री की अस्मिता एवं विमर्श के विषय में प्रस्तुत शोध–पत्र में रामायण तथा उस पर आधारित नाट्य–ग्रन्थों में उनकी भूमिका को विवेचित किया गया है। रामायण में प्रमुख रूप से आदर्शभूत नारी सीता का ही चित्रण किया गया है, जिसके माध्यम से स्त्री–विषयक विविध पक्षों काके व्याख्यायित किया गया है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के स्त्री पात्रों में सीता, कौशल्या, शान्ता, सुमित्रा, मन्थरा, कैकेयी, उर्मिला, वेदवती, तारा, मन्दोदरी, अनुसूया, ताटका, शबरी, शुर्पणखा, त्रिजटा, सरमा, अरुन्धति आदि का विवेचन किया गया है। रामायण में स्त्री–पात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म (पतिधर्म) को बताया गया है। स्त्रियों के विविध स्वरूपों पर विचार करते हुए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है, कि रामायण तथा परवर्ती ग्रन्थों में स्त्री–पात्रों का वर्णन किया गया है, उनको परिवार में, समाज में शिक्षा के क्षेत्र में तथा विविध अधिकारों के प्रति वे सजग थीं। सर्वप्रथम यदि हम रामायण के सबसे महत्वपूर्ण स्त्रीपात्र सीता के विवरणों में उसके चेतनता का स्वरूप दिखाई पड़ता है।

स्त्री–चेतना से तात्पर्य यहां पर उससे संबंधित कुछ अवधारणाओं से है। जिसके अंतर्गत हम विविध पक्षों को उद्धृत कर सकते हैं, जैसे स्त्री स्वयं के प्रति तथा संपूर्ण समाज के जो उत्तरदायित्व निभाती है, उनमें उसके स्वरूप को विवेचित करता है। इसीलिए वाल्मीकि ने यह उल्लेख भी किया है, कि जिस प्रकार राम अपने कर्तव्यनिष्ठ शील इत्यादि गुणों से सुशोभित है, उसी प्रकार सीता में भी न के गुण विद्यमान है। यदि रामायण के पूर्ववर्ती ग्रन्थों पर विचार करें तो स्पष्ट जाता है, कि वैदिक कालीन समाज में नारी शिक्षा की समुचित व्यवस्था ज्ञथी, समाज में पुत्र के साथ ही साथ पुत्रियों को भी शिक्षा देना आवश्यक था। नारी को वैदिक काल में आदरणीय स्थान प्राप्त था, तथा प्रत्येक कार्य में वह पुरुष की सहयोगी और सहायक थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी समान रूप से समाहित थी। जैसा कि प्रथम अध्याय में उल्लेख किया गया है, कि विश्वामित्र ने पत्नी को पारिवारिक जीव का स्त्रोत माना है। इसी कारण से पत्नी को गृह अथवा घर शब्दों से संबोधित किया गया है3 और गृह की पूर्णता के हेतु स्त्री को आवश्यक माना गया है।4 स्त्री के अन स्वरूपों में कतिपय परिवर्तन हुए जिसका विवेचन रामायण में है जिनके परिणामस्वरूप कुछ अवधारणाएं भी व्याप्त हुईं। यद्यपि वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ में स्त्री के प्रति समाज की कुछ प्रचलित अवधारणाओं को स्वीकार नहीं किया है। इसके उदाहरण के रूप में यह विवरण दिया जा सकता है– स्त्री से संबंधित यदि हम बाल–विवाह जैसी कुप्रथा की दृष्टि से रामायण का अनुशीलन करें तो स्पष्ट होता है, कि रामायण में बाल–विवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय में स्त्रियों के विवाह युवावस्था में होते थे, जैसा कि सीता के कथन से व्यक्त हो जाता है–'स्वयं तु भार्या कौमारी चिरमध्युषितांसतम्।5

स्त्री–पुरुष की समानता विषयक विवेचन–यद्यपि वाल्मीकि ने रामायण में स्त्री की समानता विषयक उद्धरण किष्किन्धाकाण्ड के 24वें सर्ग के प्रस्तुत श्लोक में विवेचित किया है, जिससे स्त्री–पुरुष दोनों की समानता व्यक्त होती है, कि शास्त्रोंक्त यज्ञ–यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है, पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से

अभिन्न होना सिद्ध होता है।6 जहां तक स्त्री का पुरुष की समानता की बात है, तो जैसा कि वाल्मीकि के कथन से स्पष्ट हो रहा है, कि रामायण में विवेचित समाज में स्त्री का पुरुष के समान ही स्थान था, तथा साथ ही साथ उस समय की यह भी विशेषता रही है, कि स्त्री और पुरुष दोनों को धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में समान रूप से भाग लेना आवश्यक माना जाता था।

जिसका उदाहरण राम का अश्वमेध यज्ञ में सीता की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करने तथा दूसरा उदाहरण तारा के द्वारा कहे गये से दिया जा सकता है, जो द्वितीय अध्याय में विस्तार से विवेचित किया गया है। यदि स्त्री–पुरुष पात्रों में श्रेष्ठ राम एवं सीता का परस्पर संबंधों पर विचार करें तो वह सदैव उत्कृष्ट कोटि का रहा है, जैसे सीता के प्रति राम का वन गमन विषयक दृष्टिकोण, अश्वमेघ यज्ञ विषयक दृष्टिकोण, राम का स्वयं सीता को निर्दोष बताते हुए उल्लेखित किया है।

रामायण में वर्णित स्त्री–प्रकार–य़द्यपि रामायण के अंतर्गत स्त्री–विषयक विवेचन में दो स्त्री– पात्रों (कौशल्या एवं अनुसूया) के द्वारा स्त्रियों के प्रति कुछ धर्मों का पालन करने का उपदेश दिया गया है, इन धर्मों का पालन करने वाली स्त्री को असती (अर्थात्) की उपाधि दी गयी है।7 इस प्रकार यहां पर कहा जा सकता है, कि स्त्री के लिए कुछ धर्मों का जिसमें पति–धर्म सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जैसा कि द्वितीय अध्याय में इन धर्मों को विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार से रामायण में एक और उद्धरण मिलता है, जिसके माध्यम से बताया गया है, कि लोक में पिता के द्वारा कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संपर्क करके दे दी जाती है, परलोक में भी उसी की स्त्री होती है।8 इसी प्रकार अयोध्याकाण्ड के सीता–अनुसूया संवाद में अनुसूया से सीता कहती है, कि माता कौशल्या और अन्य स्वजनों के द्वारा जो–जो उपदेश दिया गया है, वे मुझे भूले नहीं हैं–''पतिशुश्रूषणा–न्नर्यास्तपो नान्यद् विधीयते'' अर्थात् स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है।9 इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, कि उस समय में स्त्री के लिए सभी धर्मों में श्रेष्ठ पतिव्रता का धर्म बताया गया है। जिसका पापलन करना स्त्री के लिए अनिवार्य था। जैसा कि उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से विवेचित किया जा चुका है। इसी धर्म का उपदेश कौशल्या ने वन जाते समय सीता को दिया था और सीता ने कौशल्या को ''न मामसज्जनेनार्या''10 इत्यादि इस धर्म को मानने का आश्वासन भी दिया था। श्लोक के माध्यम से केवल आश्वासन ही नहीं देती है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उसका पालन किया था जिसका परिणाम चिर काल तक दिखाई देता है। जैसे लंका विजय के बाद राम का राज्याभिषेक होने पर सीता की अग्निशुद्धि का उदाहरण यद्यपि रामायण में सीता–अनुसूया संवाद में यह उद्धृत किया गया है, कि पति–धर्म का पालन करने वाली या स्वामी की सहधर्मिणी स्त्रियों को सुयश, और धर्म दोनों की प्राप्ति होती है, ''सहधर्माचारिणी यशश्च धर्म च ततः समाप्स्यसि।।''11किंतु यदि हम सीता के विषय में देखें तो यह कहीं से चरितार्थ नहीं होता है, क्योंकि सीता ने राम का सदैव ही अनुसरण किया है, चाहे वह वन–गमन का संदर्भ हो क्योंकि सीता से किसी ने भी वन जाने का प्रस्ताव नहीं रखा उन्होंने स्वयं इसे अपना कर्तव्य समझा और वन जाने का निर्णय लिया है। किंतु अंततः उन्हें अग्नि–परीक्षा देनी पड़ी इससे भी कठोर बात है, कि उनका त्याग भी किया गया जो कि समीचीन नहीं था।

रामायण में स्त्री सशक्तिकरण–रामायण में नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से सीता एवं कैकेयी उल्लेख कर सकते हैं। वाल्मीकि ने सीता की विद्ववता के विषय में राम स्वयं कहते हैं, कि क्षत्रियों के कुल धर्म को उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है, तुम्हारे ही योग्य है।12 रामायण में वर्णित इन दृष्टान्तों के आधार पर स्त्रियों की विद्वता प्रमाणित होती है। सुंदरकाण्ड के एक स्थल पर हनुमान मन–ही–मन सीता की सराहना करते हुए सीता के शील, स्वभाव,

अवस्था और बर्ताव श्रीराम के समान हैं।13 नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोककमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी सीता को देखकर हनुमान ने राम स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहते हैं, हनुमान के प्रस्तुत कथन से स्पष्ट हो रहा है, कि राम एवं सीता में समान रूप से तेजस्विनी विद्यमान थी।14 इस प्रकार स्त्रियों को रामायण में स्त्री का पुरुष के समान ही स्थान था तथा साथ ही साथ उस समय की यह भी विशेषता रही है कि स्त्री और पुरुष दोनों को धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में समान रूप से भाग लेना पड़ता था। यही कारण है, कि जब बाली युद्ध में पराजित हो जाते हैं और उनके अभाव में तारा कहती हैं, स्त्री–पुरुष का आवश्यक है, क्योंकि वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं।15 इस प्रकार रामायण में वाल्मीकि ने जो स्त्री–विषयक विवेचन हुआ है, उससे स्त्री विषयक विविध स्वरूप का परिचय मिलता है। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, कि पुरुष के समान स्त्री के भी अधिकार एवं कर्तव्य है, जैसा कि उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है। फिर भी रामायण में सीता–परित्याग यह एक बहुत ही विचित्र घटना के रूप में घटित होता है। जिसको वाल्मीकि ने समीचीन नहीं बताया है। जबकि अन्य आधारित ग्रन्थों में सीता या अन्य स्त्री–पात्रों को कोमल एवं मृदुभाषी के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही साथ जहां रामायण में सीता नहीं बताया है। जबकि अन्य आधारित ग्रन्थों में सीता या अन्य स्त्री– पात्रों को कोमल एवं मृदुभाषी के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही साथ जहां रामायण में सीता को कोमल एवं मृदुभाषी के साथ–साथ कटुवादिनी इत्यादि रूपों का भी विवेचन मिलता है। यद्यपि अन्य उपजीव्य–ग्रन्थों में इस प्रकार के स्थलों से सीता तथा अन्य स्त्रियों का प्रसंग ही नहीं आता है उन्हें ऐसे स्थलों से अदृश्य ही कर दिया जाता है, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। इस प्रकार वाल्मीकि ने जो स्त्रियों का स्वरूप प्रस्तुत किया है उनके विविध स्वरूप दृष्टिगत होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप सशक्तिकरण है, जिसके लिए स्त्रियों को शिक्षित होना आवश्यक है। वर्तमान समय में भी यदि स्त्रियों की शिक्षा का स्तर सुदृढ़ होगा तो वे अपने कार्यों में अधिक कुशल हो पायेंगी। यद्यपि रामायण में तो स्त्री– शिक्षा का स्तर सुदृढ़ रूप दृष्टिगत होता है, आधुनिक समय में शिक्षा की क्या भूमिका एवं महत्व है उसको भी संदर्भित किया जा सकता है।

इस विषय से संबंधित विवेचन डॉ0 चन्द्रकला पाडिया ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र और स्त्री–विमर्श में उल्लेखित किया है। वर्तमान समय में मान जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रधान माध्यम शिक्षा है तथा समाज और राष्ट्र की प्रगति में स्त्री शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा एवं मानव संतति के अतिरिक्त ऐसा कोई प्राणी नहीं, जो बिना स्त्री जाति के सहयोग से उत्पन्न हुआ हो स्त्री ही भूगोल के अस्तित्व का मूल है। स्त्री से सन्तति, सन्तति से समाज और समाज से संसार का निर्माण हुआ है। सृष्टि का मेरूदण्ड बनी नारी सही अर्थों में तो वर्तमान धरातल पर खड़ी होकर, पुरुष का अर्धांश बनकर, जीवन के हर पथ पर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, समान रूप से कार्यरत होने की दिशा में अग्रसर है। यह एक आम धारणा है, कि भारत में ध ार्मिक संकीर्णता और विदेशी शासनों के कारण शताब्दियों तक स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही। लेकिन यह भी एक सत्य है, कि जैसा कि– ए.एस. अल्तेकर ने लिखा है– ''विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का अध ययन करते समय हम जितना ही प्राचीन काल की ओर जाते हैं, नारी का समाज मेें उतना ही असंतोषजनक स्थान पाते हैं किंतु हिंदू सभ्यता इस दृष्टि में अनोखी है, इसमें हम जितना ही प्राचीन समाज में नारी अपने अधिकारों को स्वीकारने की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में अधिक निष्ठावान रहती है।'' यदि प्राचीन भारतीय शिक्षा–प्रणाली में यदि हम नारी की स्थिति को देखें तो उनकी स्थिति संतोषजनक है। आधुनिक युग की भांति प्राचीनकाल में भी नारी शिक्षा

पर कोई प्रतिबंध नहीं था। किंतु कुछ एक स्त्रियों का ही उल्लेख हमें प्राचीन साहित्य में मिलता है। इसका कारण यह हो सकता है, कि उस समय शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी, उन्हीं का नामोल्लेख हमें प्राप्त होता है। वैदिककालीन स्त्रियाँ शिक्षित थीं, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है, कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के समान ही मन्त्रद्रष्टी नारियां अदिति, अपाला, इन्द्राणी, लोपामुद्रा आदि भी हुई हैं, जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की। इसी प्रकार सामवेद में नोघा, आकृष्टामाप, सिकता, निवावरी, गोपायना आदि अनेक विदुषी नारियों का उल्लेख में मिलता है। नारी को यज्ञोपवीत के अधिकार के साथ–साथ यज्ञ करने और कराने का भी अधिकार प्राप्त था। विवाह के योग्य बनने के लिए अध्ययन की अनिवार्यता थी। ''ब्रह्मचर्येण कन्यानं युवा विन्दते पतिम्'' ।16 संहिताकाल में कन्याओं के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य था क्योंकि स्त्रियों को नियमित रूप से प्रातः संध्या वैदिक प्रार्थनाएं करनी पड़ती थी और अपने पति के साथ यज्ञादि में मंत्रोच्चारण भी करती थीं।17 महाकाव्यों में कहीं पर भी नारी शिक्षा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं होते किंतु महाकाव्यों में चित्रित नारी धार्मिक, राजनैतिक, व्यावहारिक एवं युद्ध विद्या आदि में पूर्ण सक्षम प्रतीत होती है, जिससे यह ज्ञात होता है, कि नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। नारी शिक्षा के विषय कन्याओं की योग्यता एवं कुल स्तर के भेद के ही निधारित किए जाते होंगे। समय के बदलते परिवेश में शिक्षा के प्रसार में भले ही कमी रही हो, किंतु शिक्षा का महत्व किसी भी समाज में कम नहीं रहा है। रामायण महाकाव्य की नारियां शिक्षित थीं, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है, या कि पहले भी चर्चा किया गया है, कि सीता का नियमित रूप से संध्या पाठ करना, कैकेयी का युद्धस्थल में महाराजा दशरथ की सहायता करना। इस काल में नारी को शिक्षा ग्रहण करने का तो पूर्ण अधिकार प्राप्त था, किंतु स्त्रियों के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था नहीं थी, अपितु उन्हें घर में ही किसी पुरुष संबंधी द्वारा शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि स्त्रियों के लिए औपचारिक शिक्षा की पृथक व्यवस्था नहीं थी। महाकाव्यों में पुरुष आचार्यों की भांति किसी विदुषी स्त्री द्वारा अपने निवास स्थान पर छात्राओं को विधिवत वेदाध्ययन कराने का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत के विविध कला प्रसंगों में गौतमी, शाण्डिल्य, सुलभा, विदुला, प्रभासभार्या, अरून्धती आदि उच्च शिक्षित विदूषियां ज्ञानचर्चा में संलग्न दिखाई पड़ती हैं।18 रामायण के सुन्दरकाण्ड में हनुमान द्वारा लाई गई राम नामांकित मुद्रिका को देखकर सीता की प्रसन्नता का प्रसंग उनकी साक्षरता को ही प्रमाणित करता है। वैदिक शिक्षा के साथ–साथ सीता अपने समय के पौराणिक ज्ञान में भी निष्णात थी, उनके द्वारा सन्ध्योपासना इसका प्रमाण है।19 इस प्रकार स्त्री–शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः अनौपचारिक था, अतः जीवन को सफल बनाने के लिए अपेक्षित शिक्षा कन्याओं को प्रायः माता तथा अन्य परिवारजनों से प्राप्त होती थी, कन्याओं को व्यावहारिक शिक्षा के साथ–साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। महाकाव्यों के कुछ प्रसंग यह प्रमाणित करते हैं, कि स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती रही होगी क्योंकि कई स्थानों पर स्त्रियां स्वयं पति के बिना यज्ञ करती लाई गई हैं। रामायण में, राम के राज्याभिषेक के समय कौशल्या द्वारा अग्निमें आहुति डाले जाने तथा मंत्रोच्चारण किए जाने का वर्णन है।20 सृष्टि के प्रारंभिक से ही नारियां अपने पति के साथ प्रत्येक कार्य में सक्रिय भाग लेती रही हैं– चाहे वह गृहस्थी का कार्य क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या रणक्षेत्र। महाकाव्यों में चित्रित नारी का पुरुष को राज्य कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग उसके राजनैतिक शिक्षा ग्रहण किए जाने का प्रतीक है।21 रामायण में, कैकेयी का दशरथ के साथ युद्ध में जाना तथा उनकी रक्षा करना है। संक्षेप में कहा जा सकता है, कि महाकाव्य में विवेचित नारी शिक्षित थी, यदि ऐसा न होता तो उसकी वाणी में इतनी प्रौढ़ता न होती। उन्हें शिक्षा ग्रहण का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

किंतु स्त्रियों के लिए गुरुकुलों की पृथक व्यवस्था नहीं थी, अपितु उन्हें घर में ही किसी संबंधित पुरुष द्वारा शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों का आचरण, उनके द्वारा स्वयं यज्ञानुष्ठान वर चयन के समय वर की योग्यता का निरीक्षण कर वरमाला डालना, विभिन्न पुरुष पात्रों के साथ वैदुष्यपूर्ण संवाद, इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, कि महाकाव्य में जो विवेचित स्त्री–पात्र हैं, वह निश्चित रूप से सुशिक्षित है। किंतु इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, कि महाकाव्यों में स्त्री जिसका वर्णन भारतीय साहित्य में मिलता है, उच्च एवं धनी परिवारों की स्त्रियां थीं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध माता–पिता ही करते थे। परंतु किसी भी समाज के केवल उच्च वर्ग के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल सुसंस्कृत एवं धनी परिवार ही रहे होंगे। अतः कहा जा सकता है, कि महाकाव्य के मध्यम वर्ग की सभी स्त्रियां शिक्षित होती होंगी।22

उपसंहार–

सभी शास्त्रों एवं प्राचीन साहित्य में स्त्री के कर्तव्य के रूप में पति–सेवा का विधान है और इसे ही पतिव्रता धर्म माना गया है। परंतु वास्तव में पतिव्रता स्त्रियां सिर्फ पति ही नहीं अपितु पूरे समाज व संपूर्ण जगत की सेवा में भी अपना सहयोग करती थीं। जानकी का चरित्र भारतीय ललना के महान आदर्श का प्रतीक है। रावण की बारंबार प्रार्थना पर भी सीता ने जो अवहेलनासूचक वचन कहा है, वह भारतीय नारी के गौरव को सदा उद्घोषित करता रहेगा। इस निशाचर रावण से प्रेम करने की बात तो दूर रही, मैं तो इसे अपने बाएं पैर से भी नहीं छू सकती।

चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशचरम्। रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्।।23

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

उत्तररामचरितम्, भवभूति, संपादक आचार्य पं. त्रिनाथ शर्मा एवं डॉ0 कपिलदेव गिरि, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी : सं. 1; 2010

1. मनुस्मृति 1.57.
2. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिन्दी कोश, पृ0 132
3. ऋग्वेद – 3/53/4
4. ऋग्वेद – 1/117 तथा 10/38/40
5. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड – 30/8
6. वाल्मीकि, रामायण, किष्किन्धाकाण्ड – 24/38
7. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड – 39/20
8. इहलोके च पितभिर्या स्त्री यस्य महाबल। अद्भिर्दता स्वधर्मैण प्रेत्यभावे पि तस्य सा।।– वही, अयोध्याकाण्ड, 29/18
9. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड – 118/9
10. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड – 49/28
11. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड – 117/29
12. हितमुक्तं त्वया देवि स्त्रिग्धया सदृशं वचः। कुलं व्यवदिशन्त्य च धर्मज्ञ जनकात्मजे।। वही, अरण्यकाण्ड– 10/2
13. तुल्यशीलवयोवृतां तुल्याभिजनलक्षणम्। राघवो र्हति वैदेही तं चेयमसितेक्षणा।। वाल्मीकि, रामायण, सुण्डरकाण्ड – 16/5
14. वाल्मीकि, रामायण, सुंदरकाण्ड – 16/6
15. वाल्मीकि, रामायण, किष्किन्धाकाण्ड – 24/38
16. अथर्ववेद– 11/5/18
17. ''पाड्या, चन्द्रकला, धर्मशास्त्र और स्त्री–विमर्श पृ0 268
18. ''पाड्या, चन्द्रकला, धर्मशास्त्र और स्त्री–विमर्श पृ0 269
19. वाल्मीकि, रामायण, सुन्दरकाण्ड – 14/49 वही, 5/28/17, 19
20. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड – 20/15
21. ''पाड्या, चन्द्रकला, धर्मशास्त्र और स्त्री–विमर्श पृ0 272
22. पाडया, चन्द्रकला, धर्मशास्त्र और स्त्री–विमर्श पृ0 273
23. वाल्मीकि, रामायण – 5.26.10

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 6th Mar 21
Paper Accepted : 20th Mar 21

भारतीय विदेश नीति में ब्रिक्स एवं भारत का योगदान

❑ डॉ. उर्मिला बाथम*

शोध सारांश

ब्रिक्स दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण–अफ्रीका के समूह के रूप में उभर कर आया है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नही है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे पाँच देशों का एकीकृत प्लेटफार्म कहा जा सकता है।

ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B.R.I.C.S. क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।

भारत की विदेश नीति में ब्रिक्स का योगदान चुनौतिपूर्ण बना हुआ है। जिसमें व्यापार, वित्तीय प्रवित्तियाँ तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था भागीदारी को शामिल किया गया।

प्रस्तावना :–

वैश्वीकरण के दौर में कोई देश अपना विकास अकेले नहीं कर सकता है अपने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक उन्नति के लिए उसे विश्व के अन्य देशों के साथ मधुर संबंध बनाना आवश्यक रहता है। ब्रिक्स (BRICS) का उदय 21वीं शताब्दी के पहले दशक में तब हुआ जब पूरा विश्व वैश्विक, आर्थिक मन्दी से गुजर रहा था। इस काल में जहाँ विश्व के सभी बड़े देश वित्तीय से ग्रसित थें वहीं विश्व के चारों देशों ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन इस झंझावत से अछूते नहीं रहे बल्कि एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक (BRIC) की स्थापना कर दी। वर्तमान में पाँच देशों के संगठन ब्रिक्स में भारत तथा चीन दो बड़े देश हैं। जहाँ तक भारत का संबंध है, वह ब्रिक्स समूह का सबसे सक्रिय देश है। वास्तव में ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक नया संगठन है जो आपस में आर्थिक सहयोग के साथ–साथ पश्चिमी देशों व अमेरिका के प्रभुत्व वाली आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था के स्थान पर एक बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इस संगठन में पाँच देश ब्राजील, रूस, इण्डिया, चीन एवं साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसका नामकरण इन देशों के नामों के पहले अक्षरों से हुआ। इस संगठन की स्थापना 2009 में हुई तथा इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में

* शोधछात्र, शोध केन्द्र – धर्मसमाज कालेज, अलीगढ (उ0प्र0) संस्कृत विभाग

रूस के शहर मेकेटरिनवर्ग में हुआ था। उस समय ब्राजील, रूस, भारत, तथा चीन केवल चार सदस्य देश थे तब इसे ब्रिक (BRIC) के नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम ब्रिक्स जाना जाता है।

एक आर्थिक विचार के रूप में ब्रिक की धारणा का प्रतिपादन वर्ष 2001 में अमेरिका की वित्तीय कम्पनी गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री 'जिम ओ नील' ने किया था नील ने इन चार देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आगे जाने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना था। इस धारणा का विधिवत् प्रतिपादन उनके द्वारा 2003 में लिखित रिपोर्ट (Dreaming with BRICS : The path to 2050) में यह माना गया था कि इन चार देशों ने वैश्विक पूँजीवाद` आलोक में अपनी राजनीतिक व आर्थिक व आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन क लिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत एवं चीन में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के अग्रिम आपूर्तिकर्ता देश होगा। ब्रिक्स के सदस्य देश विश्व के 25 प्रतिशत भू–भाग तथा विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने आकार और अर्थव्यवस्था के कारण ब्रिक्स के सदस्य देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि इनकी अर्थव्यवस्थाओं में भविष्य की दृष्टि से विकास की अपार सम्भावनाएँ मौजूद हैं।

ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य :–

– एक न्याय पूर्ण तथा समतापूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना जो पश्चिमी देशों के प्रभूत्व में न होकर बहुपक्षीय हो।
– वैश्विक मामलों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का लोकतांत्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोक तांत्रिक सुधार।
– वर्तमान विश्व के मुद्दों जैसे– जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापा व्यवस्था का संचालन, ऊर्जा सुरक्षा तथा मानवीय विकास आदि का न्यायोचित साधन।
– सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक लाभकारी सहयोग को मजबूत करना।

देशों का प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के शसर मेकेटरिनवर्ग में हुआ, जिसमें सदस्यों के मध्य वार्ता का मुख्य केन्द्र वर्तमान वैश्विक, आर्थिक संकट का मुकाबला करना तथा चारों देशों के मध्य भविष्य में बेहतर सामंजस्य स्थापित करना था। संगठन का दूसरा शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल, 2010 में ब्राजील में हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों के मध्य ऊर्जा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग विज्ञान, ग्लोबल वॉर्मिंग के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। 12–14 अप्रैल, 2010 को ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका) का तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के टैनांग प्रान्त के सान्या सिटी मकं हुआ। दक्षिण अफ्रीका को औपचारिक रूप से इस समूह का सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया। सम्मेलन में हुए समझौते के अनुसार इन देशों ने सहमति दी की वे अब डॉलन पर निर्भरता को कम करते हुए अपनी मुद्रा में एक दूसरे देशों को ऋण अथवा अनुदान देंगे। ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन 29 मार्च 2012 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रोजगार, जल, ईंधन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण व आतंकवाद सहित 10 मुद्दे ऐसे गिनाए जो ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के लिए चिन्ता का विषय है, ब्रिक्स देशों का पांचवा शिखर सम्मेलन मार्च 2013 में डरवन (दक्षिण अफ्रीका) में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में नए विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ब्रिक्स देशों ने आपातकालीन ऋण संकट के समय आपस में सहायता के लिए 100 अरब डॉलर के आर्थिक कोष की व्यवस्था किये जाने पर सहमति जताई जबकि ब्रिक्स का छठवाँ सम्मेलन 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में सम्पन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु थी 'समेकित विकास टिकाऊ समाधान' उस सम्मूेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला वैश्विक सम्मेलन था। सम्मेलन में जो घोषणा–पत्र

जारी हुआ उसे फोर्टलिजा घोषणा–पत्र के नाम से जाना जाता है। 72 बिन्दुओं वाले इस घोषणा–पत्र के साथ–साथ इस सम्मेलन में 23 बिंदुओं की फोर्टालेजा कार्यवाही योजना भी स्वीकार किया गया। इस गठन का सातवां सम्मेलन 8–9 जुलाई 2015 को उफा (रसिया) में हुआ। इसमें सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद की आलोचना की तथा 'चुनिन्दा आतंक विरोधी' कार्यवाहियों का विरोध किया और यह कहा गया कि आतंकवाद के निवारण हेतु किए गए प्रयासों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ब्रिक्स को सक्षम बनाने हेतु '10 कदम योजना' का प्रस्ताव रखा गया, इस प्रकार सातवें ब्रिक्स सम्मेलन से स्पष्ट है कि ब्रिक्स की गतिविधियों का दायरा अत्यधिक विस्तृत है।

ब्रिक्स एवं भारत :–

ब्रिक्स एवं भारत संस्थापक देशों में शामिल है। साथ ही ब्रिक्स की समस्त गतिविधियों एवं सम्मेलनों में अपनी सक्रियता दिखाई है। भारत प्रारम्भ से ही ब्रिक्स सम्मेलनों में विश्व स्तरीय मुद्दों को स्पष्टता के साथ रखता आया है। जहाँ तक संगठन में सहयोग की बात है तो भारत के पास पर्याप्त संसाधन एवं बड़ा उपभोक्ता बाजार है। एवं सभी देशों के साथ एकजुटता में विकास रखता है। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना में भारत का प्रमुख योगदान है। बैंक की प्रारम्भिक पूँजी 50 बिलियन डॉलर रखी गई, जिसमें भारत द्वारा 10 बिलियन डॉलन का योगदान भारत द्वारा किया, जबकि वर्तमान में बैंक की पूँजी 100 बिलियन डॉलर है, जिस भारत 18 बिलियन डॉलर का योगदान करने की घोषणा की है। हालांकि चीन का योगदान 41 बिलियन डॉलर है। भारत द्वारा यह शर्त रखी गई कि कोई सदस्य देश बैंक की पूँजी में बिना सभी सदस्यों के बगैर पूँजी में बढ़ोत्तरी नहीं करेगा। बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत से बनेगा। किसी भी देश को वीटो का अधिकार नहीं होगा। सभी देशों ने यह सहमति प्रदान की। भारत के द्वारा ब्रिक्स देशों के साथ शांति एवं सद्भाव के संबंध है। हालाकि चीन के साथ भारत के संबंध तनाव पूर्ण रहते हैं, फिर ब्रिक्स संगठन वैश्विक स्तर पर सफल होगा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। यह पश्चिमी प्रभाव और वित्तीय संस्थाओं पर विकासशील देशों की निर्भरता को कम अथवा समाप्त करेगा। संगठन के द्वारा हुए सात सम्मेलन में उल्लेखनीय प्रगति की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. राजेश मिश्रा, राजनीति विज्ञान, (समग्र अध्ययन) गोल्डन पीकॉक पब्लिकेशन पृष्ठ क्र. 5667
2. पुष्पेश पंत – 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, टाटा मेग्राहिल प्राइवेट लिमिटेड पब्लिकेशन दिल्ली
3. वी. वी. तायल – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सुल्तान चन्द्र एण्ड संस पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. क्रोनिकल वार्षिकी 2016, पृष्ठ क्रमांक–306

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 6th Mar 21 Paper Accepted : 22nd Mar 21

पंडित रुद्रदत्त मिश्र जी का अनूठा भावलोक हिन्दी गीत रामायण के संदर्भ

❒ डॉ. निशी भदौरिया*

शोध सारांश

गजानन दिवाकर माडगूलकर जी की मराठी भाषा की सुप्रसिद्ध रचना ''गीत रामायण'' का मधुर रसमयी समश्लोकि पद्यानुवाद करने वाले लोक मंगलकारी साहित्य साधक एवं अनुवादक पंडित रूद्रदत्त मिश्र जी का हिंदी साहित्य जगत में अन्यतम स्थान है।

माधुर्य एवं गेयता से परिपूर्ण हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने वाली कृति ''हिन्दी गीत रामायण'' की लोकप्रियता का आंकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त सत्ताइस भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। गीत रामायण में उस समय का वर्णन है, जब श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ मंडप में दो तपस्वी बालक (कुमार लव कुश) स्वयं को ऋषि वाल्मीकि का शिष्य बताते हुए अपने आगमन का उद्वेष्य रामचरित्र गायन घोषित करते हैं–

राम प्रभु सुनते हैं गायन
सुनाते कुश लव रामायण
× × ×
साम वेद से बालक गाते
सर्गों पर हैं सर्ग सुनाते
सचिव, नारि, मुनि शीश डुलाते
कपोलों पर आँसू– मोचन1

हिन्दी गीत रामायण में कवि के द्वारा अयोध्या नगरी के वैभव धार्मिक पुरुषों, पतिव्रता नारियों एवं उनकी दिव्य संतानों का गौरवमयी वर्णन दृष्टिगोचर होता है।

सरयू तट सँवरी
अयोध्या मनु निर्मित नगरी
× × ×
पतिव्रता स्त्री, पुरुष धार्मिक
पुत्र जन्मते निज कुल दीपक
नहीं नृषंस न कोई नास्तिक
कहीं न सदन, नगर में, मन में वृत्ति अतृप्ति करी'2'

वे वात्सल्य एवं मातृत्व के अभाव में अपूर्ण एवं निरर्थक नारी जीवन की व्यग्रता को वर्णित करते हुए लिखते हैं कि–

''मन से मन को क्या छलना री?
बिन वात्सल्य अधूरी नारी'''3'

* अतिथि विद्वान, भाषा अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने दिव्य गुणों से युक्त सर्वलोक वंदित प्रभु श्री राम को जन्म दिया । प्रभु राम के जन्म पर अयोध्या नगरी में आनंदोत्सव की अनुपम छटा दृष्टव्य है–

शुक्ल पक्ष नवमीं तिथि चैत्र मास की
उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की!
मध्य दिवस कारण क्या रवि–विराम का?
जन्म राम का है सखी, जन्म राम का '4'

यज्ञों की पूर्णता में बाधक राक्षसों के वध हेतु, राम का जन्म ही धर्म की रक्षार्थ हुआ। सुरम्य वनों को, संत जनों को उत्पाती राक्षसों से मुक्त कराने हेतु ऋषि विश्वामित्र राम को अपने साथ वन ले जाने की दशरथ से अनुमति चाहते हैं–

वेदी पर रक्त मांस
फेंकते वही नृशंस
रुकते ही मंत्र, करें नर्तन–न्यारा
ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा
रक्षणार्थ योग्य वही यज्ञ हमारा '5'

गीत रामायण में मधुरता और मर्यादा का सुंदर समन्वय ह्रदय को मंत्रमुग्ध कर देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम एवं माता जानकी के शुभ विवाह उत्सव की मंगल बेला पर मनोहारी दृश्य है–

मुग्ध जानकी देख रही थी राम धनुर्धारी
युगल नयन में शक्ति समेटे निज तन की सारी
पुष्पित सुमन गाल पर लज्जा–अरुण रंजनी का

× × ×

नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का
स्वयंवर जनक नंदिनी का '6'

हिन्दी गीत रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम समस्त सद्गुणों से संपन्न आज्ञाकारी पुत्र आदर्श राजा, आदर्श भाई एवं आदर्श पति के रूप में अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र हमें आदर्शों की सीख देते हुए नैतिकता के मार्ग पर चलने का संदेश प्रदान करता है। वे वनवास के आदेश को माता पिता की आज्ञा मान सहर्ष स्वीकार करते हैं यथा –

राम जा रहे वह तो सत्पथ
सुमंत रोको, रोको रे रथ!
रुकिए सीता रुकिए रघुवर
चरण धूलि दो, धरें शीश पर
हाय हुआ क्या आज अकल्पित! 7'

श्रद्धावान मनुष्य विद्या, यश, वृद्धि, बल एवं अर्थ की प्राप्ति तथा इनका उचित प्रयोग करता है माता–पिता एवं गुरु की सेवा से बढ़कर संपूर्ण सृष्टि में कोई वस्तु पवित्र नहीं कही जा सकती। श्री राम भ्राता भरत के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रजा की रक्षा एवं सेवा का संदेश देकर अयोध्या की देखरेख का भार सौंपते हुए वन गमन के समय सुमंत को समझाते हैं कि–

छत्र पिता का तब मस्तक पर
उनकी आज्ञा पालो प्रियवर
बृद्धापन सार्थक उनका कर
राजनीति को पाल, बढ़ाना तुम रघुकुल का नाम'8'

हिन्दी गीत रामायण में मधुर पंक्तियों के माध्यम से पारिवारिक आपसी सामंजस्य एवं समन्वय को जीवंत बनाए रखने का संदेश प्राप्त होता है, भरत के द्वारा राज्य का त्याग एवं श्री राम की शरण में चरण सेवा हित जीवन यापन की याचना भाव विभोर कर देती है–

गरुड़ सी ऊंची उड़ानें, क्या मशक हैं साधते?
हाथियों का भार कोई ,अश्व पर क्या लादते?
राज्य राघव का सँभालूँ, यह असंभव साधना

× × ×

लौटकर यदि वचनवत् आये न जो प्रभु के चरण
अग्नि के अर्पण करूंगा उसी क्षण यह तुच्छ तन
यह प्रतिज्ञा चरण–रज शिर धर करूँ सच मानना'9'

हिन्दी गीत रामायण में प्रभु श्रीराम की उदारता और उनके भक्तों की निश्च्छल अटूट भक्ति का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आदिवासी शवरी की जीवन की तपस्या अपने प्रभु के दर्शन मात्र की अभिलाषी है, उसके प्रभु एक दिन अवश्य आयेंगे इसी आशा में प्रतिदिन उनके आने की राह ताकती है।

धन्य मैं शबरी, रघुनंदन!
मिला कुटिया को पदस्पर्षन

× × ×

क्या प्रभु को नैवेद्य चढ़ाऊँ?
क्या उसका प्रसाद मैं पाऊँ?
क्षुधित चकोरी के घर आई, आज पूर्णिमा बन'10'

जब राम लक्ष्मण आश्रम पहुँचते हैं तो अपनी सुधि–बुधि खोकर उन्हें चख–चख कर मीठे बेर देती है यथा–

बेर न ये विहगों ने काटे
चखकर मीठे मैंने छाँटे
जो थे मधुर रखे आगे, ललचे न लाल में मन!
शंकित दृष्टि न लक्ष्मण डालो
अभिमंत्रित, उच्छिष्ट् न खालो!
इस मुख में नित रहता है, वेदों का मधु गुंजन'11'

बालि ने छुपकर बाण मारने पर प्रभु श्रीराम पर आरोप लगाया कि धर्म विरुद्ध आड़ से बाण चलाकर मुझे मारने का आपने कैसे शौर्य का प्रदर्शन किया? मैं तो आपका अपराधी भी नहीं। तब प्रभु श्रीराम बालि को उसका अपराध बोध कराते हैं कि–

मैंने किया धर्म का पालन
नहीं बालि वध, खल का घालन

× × ×

शिष्य, पुत्र या कनिष्ठ भ्राता
धर्म–नीति से पुत्र कहाता
तू ने हरी अनुज की कान्ता
मन में लाकर हीन प्रयोजन

× × ×

वन में मृगया को नृप जाते
छिप कर पशु पर तीर चलाते
कौन खेल पर दोष लगाते?
पशुओं में तू कीश! क्रूरमन '12'

लंका विजय के पश्चात् प्रजा के संदेह को मिटाने के लिए माता जानकी की अग्नि परीक्षा लेने पर हृदय में स्वयं से ही प्रश्न करते हैं–

ज्ञात क्या नहीं था मुझको, प्रिया है पवित्र?
लोक–कोप उपजाता क्या, भूप का चरित्र?
लोक नायकों में होती, शक्ति है प्रजा की '13'

किंतु फिर भी वे प्रजा हित में सर्व सुखों का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देते हैं–

लोक साक्ष्य से है पूरी शुद्धि भूमि–जा की
जानकी सती है मेरी, स्वामिनी सदा की
प्रथम मैं अयोध्या यदि यों इन्हें साथ लेता
विषय लुब्ध कहते मुझको, लोक, लोकनेता
गंवा बैठता तो सारी ,प्रीति में प्रजा की '14'

हिन्दी गीत रामायण में कवि द्वारा सामाजिक जीवन में आवश्यक आदर्शों एवं मंगल मान्यताओं का निर्माण तथा उनका यथोचित निर्वाह कर सभ्य समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। जब सहानुभूति, दया, प्रेम, प्रजा कल्याण की भावना से ओतप्रोत मनुष्य निःस्वार्थ जन सेवा में स्वयं को समर्पित करता है तब उससे बढ़कर कोई परोपकारी नहीं होता। परहित में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले श्री राम भक्त हनुमान अद्भुत कर्मशील एवं सेवा योग के आदर्श का

अनुपम उदाहरण हैं–

मुझे प्रभु एकहि वर दीजे
इन चरणों में भक्ति–भावना, मेरी निश्चल कीजे
राघव! इन चरणों में अविचल
कभी न भटके यह मन चंचल
जब तक राम कथा धरती पर, तब तक जीवन दीजे'15'

श्री राम के द्वारा सीता का त्याग किए जाने पर वन में लक्ष्मण को अयोध्या लौटने की आज्ञा देती हुई जानकी का मन व्याकुलता से भर उठता है वे प्रश्न करती हैं –

बोलो लक्ष्मण मैं जाऊँ कहां?
पति–पद–दर्शन फिर पाऊँ कहां?

× × ×

अग्नि हो गई असत्य वक्ता
देव, भक्त को नास्तिक कहता
पतिव्रता मैं, फिर भी त्यक्ता
कंपित भू, रखती चरण जहाँ '16'

साथ ही व्यथित ह्रदय से लक्ष्मण को माता एवं प्रभु श्रीराम के लिए संदेश भी भेजती हैं जो अत्यंत मार्मिक दृश्य बन पड़ा है, यथा –

लौट नगर तुम जाओ देवर
चुभते शर सम अपने ही स्वर
पति न राम, अब केवल नृपवर
कहते रूकती है जीभ यहाँ
माताओं को नमन यहीं से
कह देना प्रणाम स्वामी से
तुम भी लो आषीष भाभी से
बस होठ हुए असमर्थ यहाँ! '17'

हिन्दी गीत रामायण के पात्रों के माध्यम से मानव जीवन एवं संसार के मध्य ऐसे आदर्श एवं नैतिक मूल्यों को स्थापित किया है जिनको निज में आत्मसात कर हमें सर्वत्र प्रतिष्ठा एवं आनंद की प्राप्ति होती है। मन, वचन, कर्म और तन से सत्य के पथ पर अग्रसर होकर धर्म कार्य में स्वयं को तपाना ही सच्ची जनसेवा है। हिन्दी गीत रामायण के उत्तम चरित्र पात्र इसका अनुपम उदाहरण हैं किसी कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ करने का प्रयत्न लक्ष्य को सरल बना देता है। रामकथा के चरित्र हमारे लिए जीवन जीने एवं मूल्यों की परव्याप्ति हेतु सहज सरल एवं ग्राह्य है। ध ैर्य, मर्यादा आदर्श, विश्वास के साकार रूप श्री राम एवं श्री राम कथा राष्ट्र एवं भारतीयों के लिए प्रेरणा है, प्रकाश है, दिशा है, लक्ष्य है ताकि हम अपने जन्म एवं जीवन को सफल कर सकें।

संदर्भ सूची–

1. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 2–3
2. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 5.
3. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 8.
4. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाषक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 17.
5. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 23.
6. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 35–36
7. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 53.
8. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 63.
9. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 77–78
10. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 101.
11. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 102
12. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 107–108
13. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 152.
14. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 152.
15. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 158
16. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 164
17. मिश्र, रूद्रदत्त (अनुवादक), ''हिन्दी गीत रामायण'' प्रकाशक नागेश जोशी बम्बई 1976, पृ.क्र. 165

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 6th Mar 21 Paper Accepted : 25th Mar 21

Swacch Bharat Abhiya : A Comparative Analysis on English and Odia Newspaper of Odisha

❒ Yasmine Lenka*
❒ Dr. Pradosh Kumar Rath**

ABSTRACT

The goal of this study is to evaluate specific aspects of the Swachh Bharat Mission. To understand this, we developed a sentiment polarity indicator based on the media data extracted from a variety of sources such as newspapers and magazines both on the state and national levels. Geographically, the study will focus specifically on rural areas in the state of Odisha. The data we have gathered consists of 5250 pieces of written textual data in more than 291 newspapers and other media types. The study concentrated on several aspects of the media coverage of the mission. First of all, we observe how National and Regional publications covered different aspects of the SBM's mission. Results from this part of the study indicate that focus of topic preferences differ widely between Oriya and English publications. One of the biggest disparities between the coverage of the national and regional papers is observed within two categories: coverage of the Third Party Involvement (TPI) and Information, Education and Communication (IEC) activities within the mission. While almost half (48%) of the national coverage focused on the IEC, only 30% of Oriya articles were dedicated to the topic. Third Party Involvement (TPI) was covered 25% of the time by the national publications and 15% by Oriya publications. Both national and regional papers devoted approximately similar percentage of their coverage to the themes of Quality and Behavioral Change. Lastly, the theme of Gender received the least amount of coverage from both types of publications.

Keywords: Odia newspaper, English newspaper, Newspaper, Comparative analysis, Swachh Bharat Abhiyan

* M.Phil. Scholar, Dept. Of Journalism and Mass Communication, Central University of Odisha, Koraput-763004

** Assistant Professor, Dept. Of Journalism and Mass Communication, Central University of Odisha, Koraput-763004

Introduction

Swachh Bharat Mission (SBM) is a major initiative of the current government, launched by the Government of India on the second of October, 2014. The objective of the mission was to accelerate the process of achieving universal sanitation coverage and to increase the focus on responsible hygiene and sanitation. One of the key planks of the program is to build nearly 12 crore toilets in rural India to ensure an Open Defecation Free India by October of 2019. The response to the program has been overtly positive, being credited to bring the longstanding issues of sanitation to the forefront of public attention as well as a policy priority. However, while some progress has been achieved, there are still outstanding issues in the implementation of the program. Several reports have found that the toilets remain underused or used for unrelated purposes (such as storehouses). Thus, it is important to critically analyze the performance of the mission to understand some major flaws or remaining issues in the implementation of the program. Conceptually, the study follows two steps. Firstly, the data will be analyzed with regards to the content of the main themes summary of which is presented in Table 1. Secondly, the sentiment polarity has been created using tools of the Natural Language Processing (NLP). The sentiment polarity score provides for a common denominator for analysis of the mission's aspects. Namely, the indicator was useful in scoring and ranking the above-mentioned themes based on the sentiment of the media coverage.

Methodology

Using methods of natural language processing, it is aimed to evaluate the media perception of the Swachh Bharat Mission in the region of Odisha. To account for a variety of perspectives, both Odisha and India-wide publications are included in the study. Articles for both types of publications are included in the study only when they discuss the mission for the state of Odisha. Data processing and analysis is divided into several steps. Figure 1 provides an overview of the main methodological steps used for the present analysis. Each of the steps is further described in more detail.

Figure 1: Methodology Overview

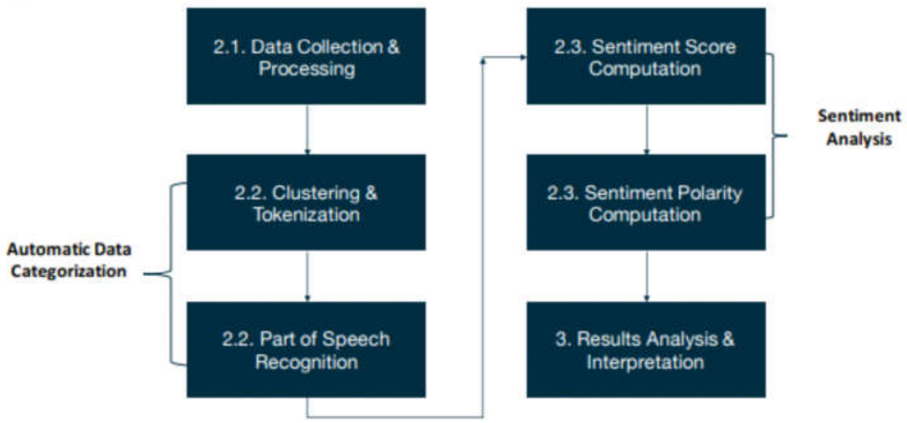

Data Collec tion and Processing

Data used in this report consists of a set of publications on Swachh Bharat Mission (SBM) collected from two sources: Google News Aggregator for English publications and a collection of digitally available articles in Odia language. All available data on the topic from September of 2014 and July 2016 has been

collected, amounting to 5250 news pieces from 273 English publications and one of the major local publications, called the *Samaya*. After the collection of textual data, both English and Oriya datasets were cleaned. Semi-automated cleaning of the data allowed for the elimination of irrelevant information, such as stop words, punctuation as well as signs that do not carry meaning. Due to interest in specific aspects of the project, search, and analysis of the articles were narrowed down to five specific themes,

TPI or Third Party Involvement**:** the category which accounted for the role of NGOs, contractors or other outside agencies;

BC or Behavioural change: the category which accounts for issues related to change in behaviour especially with regards to open defecation fields in rural areas;

IEC: Information, Education and Communication Activities of the project;

Gender: articles discussing involvement of women or gender-related aspects of the mission;

Quality: articles that dealt with the quality of construction on the ground.

The goal of this study is to evaluate specific aspects of the SBM mission. To understand how those aspects rank based on media perceptions, we developed a sentiment polarity based on the data extracted from a variety of sources such as newspapers and magazines both on state and national level. Geographically, the study will focus specifically on rural areas in the state of Odisha. The dataset for the study on Odisha consists of 5250 pieces of written textual data from more than 291 newspapers covering the time period from August 2014 until July 2016. The following table provides a distribution of the dataset according to the main themes of the study.

Table 1: English and Oriya Data Distribution

Language	Behavioral Change	Construction Quality	IEC	Gender	Third Party Involvement
English	343 articles	571 articles	1800 articles	115 articles	950 articles
Oriya	218 articles	217 articles	439 articles	140 articles	216 articles

Data Categorization

Two steps are performed at the stage of data categorization. Initially, the collected data is categorized according to the five clusters, or themes, mentioned above. In the next step, the raw textual data is tokenized. That is, natural language processing algorithms – using pre-established dictionaries – break up the sequence of data into pieces of speech. Depending on the purpose of the assignment, the data can be tokenized into words, specifically defined keywords, phrases, and even symbols. Since the present analysis will be engaged in analysis of words within a given text, the data has been tokenized down into individual words.

The tokenized dataset is further analyzed for parts of speech. Specifically, we use part-of-speech (POS) tagging methods to classify words as nouns, verbs, adverbs and other based on their syntactic function. Since some parts of speech – as nouns or pronouns – do not carry any sentiment, POS tagging helps to create a subset of relevant sentiment-carrying elements such as adjectives and adverbs into a corpus of text ready for analysis. For the purpose of the present study, we updated the algorithm to account not only for adjectives but also for adverbs and a collection of SBM-specific nouns and phrases (for instance, “open defecation fields”). The algorithm was also trained to understand negation and emphasis in

sentences. Words such as “not” or “no” which invert the meaning of words and consequently the direction of sentiment have been controlled for.

Sentiment Analysis

Once the creation of the sentiment-carrying corpus is completed, we compute sentiment scores. Namely, the data is scored through the Sentiwordnet dictionary for positive and negative sentiment. After each sentence is assigned a positive and a negative score, the scores of all the sentences are obtained and averaged to represent the article score. Using positive and negative sentiments, we further obtain the sentiment polarity score for each of our five themes. The polarity score is created using the following formula:

Polarity Score = ln (Positive Sentiment+ 0.5) – ln (Negative Sentiment+ 0.5)

The polarity score is useful in understanding whether the given theme is covered in positive, negative or neutral tone. The formula provides us with a score which will equal to zero, some positive value or some negative value. The value of zero will signify that the sentiment for the given category is neutral and does not expose any positive or negative sentiment. Positive score and negative score will signify positive and negative sentiment accordingly. Besides providing a sense of sentiment for a given theme, sentiment polarity is useful in comparing the sentiment of two or more themes.

Sentiment Analysis

Media reflects the current political agenda as well as the perception towards the discussed topics. But not all topics get the same attention, i.e. the same level of coverage. Thus, looking at the extent to which some aspects of a policy are prioritized over others, gives the first idea of policy priorities. Figure 2 shows the media coverage of the themes described in section 2, by illustrating the number of articles dedicated to a respective theme in English and Oriya publications. The numbers are then expressed as a share of the total national articles (light blue) and Oriya articles (dark blue) on SBM. For example, around every second article in national newspapers (48%) covered some aspects of Information, Education and Communication activities within the SBM.

Figure 2: Theme coverage by national and local papers
In % of all articles

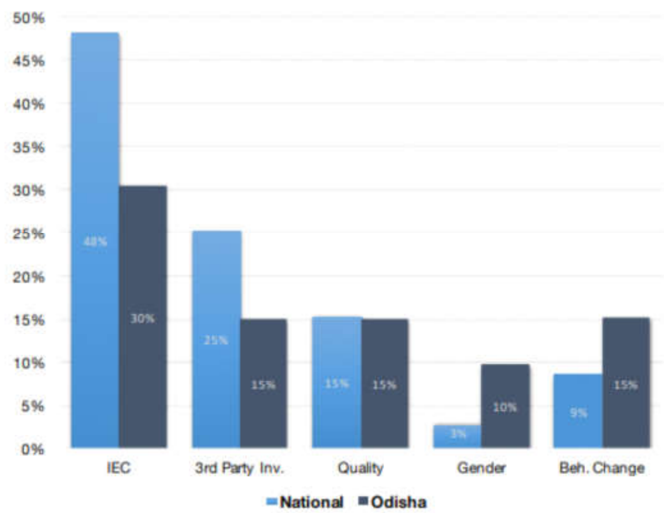

As can be noticed topic preferences differ widely between Oriya and English publications. The biggest disparity between national and local coverage is observed within two categories: coverage of the IEC (Information, Education and Communication activities) as well as the coverage of the Third Party Involvement. While almost half (48%) of the national coverage focused on the IEC, only 30% of Oriya articles were dedicated to the topic. Despite the disparity of coverage, however, the theme of IEC was the most important for both English and Oriya publications. The second most important for the English publications was the coverage of the Third Party Involvement. More precisely, 25% of English papers or every fourth article, discussed how the third party agencies are involved in the mission. The next two important topics within the English publications are Quality and Behavioural Change. While Quality of construction was covered in around 15% of the entire dataset, Behavioural Change was covered only in 9% of the cases. And the topic which received the least coverage within the English dataset is the topic of Gender. Namely, only 3% of all the articles discussed gender participation or gender-specific aspects of the mission.

While Oriya publications mostly focused on the topic of IEC, the papers also concentrated on other areas such as Third Party Involvement, Quality and Behavioural Change. To be more precise, with 30% of articles focusing on the IEC aspect of the mission, every third paper discussed how the mission propagates information about sanitation and cleanliness. And another 15% of articles focused on Third Party Involvement in the mission. That is, Oriya papers also discussed how NGOs, subcontractors and other organizations were involved in the mission. Oriya papers similarly focused on the issues of Quality and Behavioural Change 15% of the time. It is interesting that distribution of Oriya papers, with the exclusion of IEC, is almost equally distributed between the remaining four themes. This is indicative of the fact that all aspects of the mission have been equally important for the regional publication. And this is very dissimilar to the distribution of the national coverage which is skewed toward the two topics of IEC and Third Party Involvement. Yet dissimilarity occurs when we look at the coverage of Gender by national and regional publications. While national papers covered Gender only 3% of the time, Oriya papers dedicated to the topic 10% of the overall coverage.

Having an overview of the themes' importance is indicative of what is more discussed in the media. This quantitative overview of the coverage, however, does not indicate whether the sentiment in that article was negative or positive coverage for SBM. The next chapter of the study employs sentiment analysis methods to understand how themes were perceived within the public sphere.

Sentiment Change over time

This part of the study is preoccupied with analyzing the sentiment of media towards the mission. Taking a temporal perspective, we also analyse how negative and positive sentiments towards SBM have, or have not, changed since the mission's inception. That is, we will track how positive and negative statements in the newspaper content changed over time relative to the third quarter of 2014 (base quarter). Thus, the goal of the chapter is to provide insights about a temporal change of media sentiment within a given dataset. Analyzing the base quarter for English publications, one can observe that positive and negative newspaper sentiments were close to zero both for English and Oriya publications. That is, during the third quarter of 2014, media coverage of the mission was neutral and newspapers did not expose extremely positive or negative sentiments.

But how did the sentiment evolve over time? In order to answer the question, we looked at the

change of the sentiment from quarter to quarter. Furthermore, we differentiated between English and Oriya newspapers. The results are summarized in Figure 3 below. Looking at the picture overall, one can conclude that both positive and negative sentiments fluctuated more or less around zero with the exception of the 3rd and 4th quarters of 2015. Taking Q1/2016 as an example, one can observe that there was almost 20% decrease in positive sentiment in English publications when compared to Q3 of 2014. Similarly, we observe a 25% decrease of the negative sentiment in the first quarter of 2016 comparative to Q3 of 2014. Observing both sentiments for the Q2 of 2016, one observes that positive sentiment was relatively on the decrease as compared to the base quarter in 2014. That is, within the last two-year period, the positive coverage of the mission has dramatically decreased. Negative sentiment, on the other hand, stayed close to zero most of the time.

Figure 3: Sentiment change in English papers
In % change relative to the Q3 of 2014

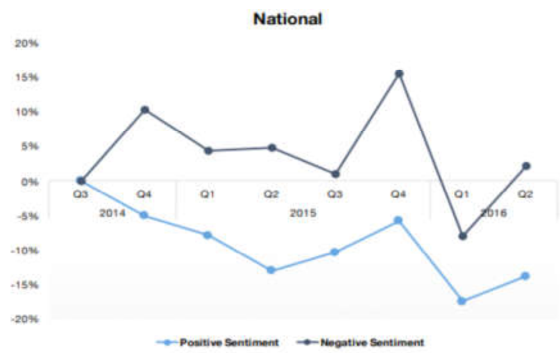

Sentiment change within Oriya publications provides two important insights. First of all, as opposed to the English publications, it is the negative content that has been decreasing when compared to the base quarter. Looking into the Q3, Q4 of 2015 and Q1 of 2016 on Figure 4, for instance, one observes a steady decline in the negative sentiment of the SBM coverage. The decreasing negative trend is steady across the entire period with some spikes in Q4/2014 and Q2/2016. This overall decrease of negative content indicates that the negative coverage of the topic in regional papers has been on the decline.

Figure 4: Sentiment change in Oriya papers
In % change relative to the Q3 of 2014

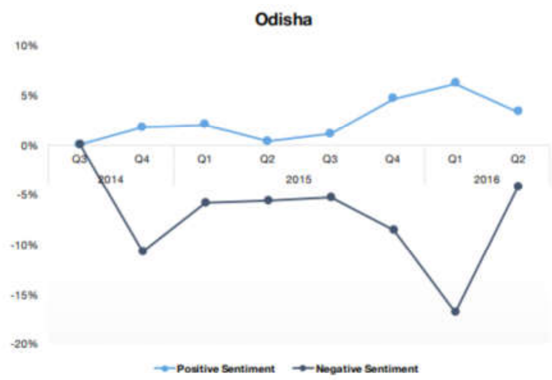

Despite the decreasing negative content, and secondly, there is no increase in the positive content as indicated by observing changes of positive sentiment in Figure 4. Namely, the positive sentiment has barely changed since the inception of the project. The positive sentiment of articles constantly hovering around zero indicates that within the regional articles, positive coverage of the mission was minimal. This trend changes a little in the Q4/015 and Q1/2016 when positive sentiment increased by about 5% relative to the base Q3 of 2014. Detailed analysis of articles for that period consists of articles which aim at evaluating the progress of the mission after almost a year since its inception.

Sentiment Ranking

While having an idea of the changes in sentiment, the analysis in the previous chapter lacks a focused approach to the five SBM themes that have been identified as important aspects of the study. It would be interesting, for instance, to understand how media coverage of the themes can be compared as well as the detailed context of each theme. To understand this, we developed a polarity indicator which enables to compare several themes of the mission. As suggested in the literature, using sentiment polarity provides a comparative aspect within the sphere of natural language processing.

The results of implementing these methods for the present study indicate the following insights. First of all, taken together, media coverage of the SBM has been positive. While calculations of sentiment polarity do allow for negative values to occur, none of the themes in the present study received an absolutely negative scoring. Nevertheless, some of the themes were ranked close to zero, indicating that for two categories specifically – Third Party Involvement and Behavioural Change – the sentiment polarity is positive only by a small margin.

Detailed ranking of the five themes is provided by the Figure 5. With the positive score of just above 25, Gender is the theme that has been covered most positively by the media. Gender is closely followed by the themes on Quality and Information, Education and Communication. And the last two categories are Third Party Involvement and Behavioural Change.

Figure 5: Sentiment Ranking

We further analyzed each of the categories in detail with the goal of understanding the context behind the sentiment ranking. One could wonder, for instance, about specific terms and topics that are discussed within the theme on Gender. What are the most frequent topics and can the overall positive ranking of Gender be attributed to those specific words and concepts? To understand this, we pulled five most frequent terms that have been used within each theme. Figure 6 on the following page visualizes those terms for each of our themes. Furthermore, the Figure provides a polarity score for each of the words within the theme. Seeing a negative polarity score of the word "work" within Gender, for example, we can infer that media has mostly exposed negative sentiment of that word when discussing gender within the SBM.

While the theme of Gender has been evaluated more positively than the rest f the categories, several aspects of the mission's engagement with gender were criticized by the media. The words that were most frequently used within the topic of Gender are "girls", "growth", "women", "Nrega" and "work". Concepts of "Nrega" and "work" have been mostly evaluated negatively by the media. Interestingly, articles about Nrega frequently refer to female employment as on of the biggest benefits of the project which reached its fifth anniversary in 2015. The term women, on the other hand, have been referred to mostly in a positive light in specific articles. The positive feedback arises from the fact that the mission acknowledged and tried to address the women's security when it comes to using open fields at the risk of being sexually abused. The SBM's initiatives, however, are only regarded as the necessary minimum to productively employ women in public space and the working sphere. Thus, most articles conclude that there is still a lot to be achieved when it comes to ensuring the security of women in public spaces and workplace.

Figure 6: Sentiment polarity of the most frequent words within five themes

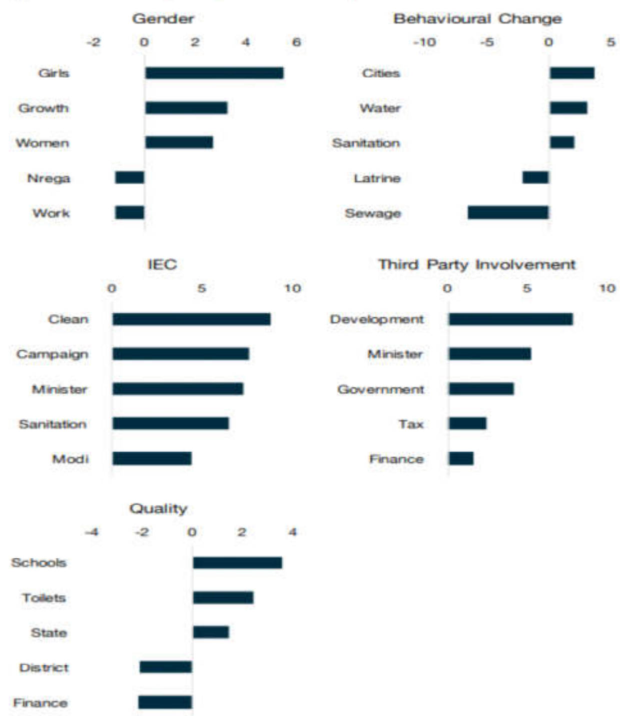

Most frequently used terms within Behavioural Change are words such as "cities", "water", "sanitation", "latrine" and "sewage". There are two major critiques within this theme. Most articles argue that Behavioural Change is not actively promoted. Namely, it is argued that an overall focus on infrastructure does not allow for concentration on any other aspects such as the promotion of the development of habits with regards to the usage of latrines. One of the articles, for instance, covered a study which was published in the health journal Lancet. The article states that the projects similar to the SBM do not necessarily positively affect health indicators exactly because they rather focus on the infrastructure instead of promoting Behavioural Change. The study has been conducted on more than 100 rural villages in India. Additionally, there is a criticism of not having adequate measuring and evaluation methods with regards to the mission and its goals, especially within the sphere of open defecation fields.

Words most used within the articles discussing **Third Party Involvement** consist of terms such as "development", "minister", "government", "tax" and others. Looking in detail into the media narratives, one observes a single story revolving within this theme. And that is the involvement of other organizations in funding or promotion of the SBM mission. In Odisha, for instance, the involvement of the National Aluminium Company Limited was widely covered as the example of corporate India's involvement in the promotion of the project. Interestingly, the main focus of corporation's activities tends to be public spaces like schools, railway stations, villages or police stations in various parts of the state. Along the articles focusing on corporate India, there are articles that discuss the government's efforts in trying to include international organizations, such as the World Bank, in the financing of the mission as a developmental priority of India.

Conclusion

The Quality of construction has been covered from two main perspectives. A certain category of articles focused primarily on the infrastructures, and thus is the frequent usage of the word "toilet". Furthermore, the word has been used mostly positively as those articles focused on the process and numbers of toilets being built in districts, schools and villages. One of the articles, for example, focused on the allocation of toilets to Ganjam schools in Odhisha. They also tried to evaluate such aspects of the rural infrastructure as the availability of water and proper sewage system under the mission. Another set of articles takes a critical approach towards the mission's overarching focus on the infrastructure. Namely, they argue that behavioral change of the population cannot be triggered simply focusing on the infrastructure. Those articles argue that in the rural areas, the success of the mission is especially dependent on the campaigns which sensitize citizens towards usage of the toilets and trigger behavioural change when it comes to usage of open fields.

References

1. Blei, David, Carin, Lawrence, & Dunson, David. 2010, "Probabilistic Topic Models." IEEE Signal Processing Magazine, vol. 27, no.6, :55–65.

2. Bravo-Marquez, Felipe, Mendoza, Marcelo, & Poblete, Barbara. 2013, "Combining Strengths, Emotions and Polarities for Boosting Twitter Sentiment Analysis." Proceedings of the Second International Workshop on Issues of Sentiment Discovery and Opinion Mining - WISDOM '13, no.August,1–9. Retrieved (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2502069.2502071).

3. Gebrekirstos Gebreselassie. 2012, "Introduction to Sentiment Analysis Overview." Retrieved (http://www.lct-master.org/getfile.php?id=114&n=1&dt=TH&ft=pdf&type=TH).

4. Godbole, N., Srinivasaiah, M., & Skiena, S. 2007, "Large-Scale Sentiment Analysis for News and Blogs." Icwsm, 219–22. Retrieved (http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/2007/godbole2007a.pdf\nhttp://stu dent.bus.olemiss.edu/files/conlon/Others/__BookChapter_SocialMEsia_EBusiness/Lar ge-Scale Sentiment Analysis for News and Blogs.pdf).

5. O'Keefe, T. & Koprinska, Irena. 2009, "Feature Selection and Weighting Methods in Sentiment Analysis." Australasian Document Computing Symposium, 67.

6. Singh Tomar Pankaj Sharma VITM, Deepak & AsstProfessor, Gwalior. 2016, "A Text Polarity Analysis Using Sentiwordnet Based an Algorithm." vol. 7, no.1, :190–93.

7. Thiel, Killian, Kötter, T., Berthold, Michael, Silipo, R., & Winters, Phil. 2012, "Creating Usable Customer Intelligence from Social Media Data: Network Analytics Meets Text Mining." KNIME. com Report, 1–18. Retrieved (http://www.knime.org/files/knime_social_media_white_paper.pdf).

8. Tumasjan, Andranik, Sprenger, To, Sandner, Pg, & Welpe, Im. 2010, "Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal about Political Sentiment." Proceedings of the Fourth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 178–85. Retrieved (http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/viewFile/1441/1852).

9. Will, Lowe, Benoit, Kenneth, Slava, Mikhaylov, & Laver, Michael. 2011, "Scaling Policy Preferences from Coded Political Texts." Legislative Studies Quarterly, vol. 36, no.1, :123–55.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th Mar 21 Paper Accepted : 30th Mar 21

समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका

❑ डॉ. दीपा पंत*

शोध सारांश

समाज की वास्तविक पहचान उसके साहित्य से होती है। साहित्य ही समाज का प्रेरक, निर्धारक एवं भाग्य नियन्ता है। समाज की आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, उत्साह, हर्ष, विषाद आदि सभी भाव साहित्य में विद्यमान रहते हैं। सत्साहित्य आचरण को गढ़ता है, मनोविकारों पर अंकुश लगाता है साथ ही सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। व्यक्ति और समाज को प्रभावित करने की अपार क्षमता साहित्य में निहित रहती है। समाज के नवनिर्माण में साहित्य पथ–प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निमार्ण में भी सहायक होता है। समाज के नवनिमार्ण में भी साहित्य की अहम भूमिका होती है। साहित्य समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला रखता है। इस संदर्भ में अमीर खुसरो से लेकर कबीर, रहीम, जायसी, तुलसी, भारतेन्दु, प्रेमचंद, पंत, निराला, नागार्जुन आदि रचनाकारों ने समाज के नवनिमार्ण में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

प्रस्तावना–

साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है दर्पण में वही प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है जो उसके सामने रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में तत्कालीन समाज ही प्रतिबिम्बित होता है। समाज के सुख–दुःख, भावनाएं, उत्थान–पतन, हर्ष–विषाद इन सबकी अभिव्यक्ति साहित्यकार अपने साहित्य में करता है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है।साहित्यकार व्यक्ति के रूप में समाज की एक इकाई होता है अतः समाज में घटित घटनाओं से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। वह अपने अनुभवों से जिए हुए समाज को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति देता है। लेखकों के दायित्व और समाज निमार्ण में उनकी भूमिका के संदर्भ मे डॉ० एस० राधाकृष्णन लिखते हैं–"विचारकों और लेखकों के रूप में समाज सचेतन और आत्मआलोचक बनता है। वे किसी भी समाज के जीवन मूल्यों के संरक्षक हैं, उन जीवन मूल्यों के, जो किसी भी समाज का वास्तविक जीवन और स्वभाव है। विचारकों और लेखकों का काम हमें समाज की वास्तविक आत्मा की चेतना तक शिक्षित करना, हमें आत्मिक आलस्य और गंवारपन से बचाना है।"1

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, रा०स्ना०महा० पिथौरागढ, उत्तराखण्ड।
E-mail : deepapantbngpgc@gmail.com

साहित्य के द्वारा मानव– मानव के बीच, भूतकाल और वर्तमान के बीच, तथा मनुष्य के हृदय और प्रकृति सौन्दर्य के बीच संबंध स्थापित किया जाता है।साहित्य लेखन सोद्देश्य कर्म है वह आत्माभिव्यक्ति का सबसे सबल माध्यम है। इस संदर्भ में डॉ० नगेन्द्र लिखते हैं–"साहित्य अपने मूल रूप से सामाजिक या सामूहिक चेतना नहीं है,वह तो वैयक्तिक चेतना ही हो सकती है। मनुष्य पहले व्यक्ति है पीछे समाज की इकाई और उसका पहला रूप ही मौलिक रूप है अतएव साहित्य अपने वास्तविक रूप में जीवन के प्रति व्यक्ति की अथवा अनात्मा के प्रति आत्मा की प्रतिक्रिया ही है अर्थात साहित्य वस्तुतः आत्माभिव्यक्ति है।"2 जो मौलिकता सेयुक्त हो वही साहित्य है। समाज का हित ही साहित्य का उद्देश्य है। साहित्यकार जब सभी मनुष्यों की भावनाओं को स्पर्श करने वाली रचना करता है तो उसके हृदय में एक पूर्णता और संतुलित दृष्टि जाग पड़ती है।साहित्यकार के हृदय में उठने वाली भावनाएं निजी या एक विशेष समय के लिए ही आनन्ददायक नहीं होती उनसे हर स्थान और हर समय का व्यक्ति आनन्दित हो सकता है।

साहित्य को व्यक्तियों और समाज को मिलाने वाली शक्ति कहा गया है। किसी साहित्य के सरस आनन्द का उपभोग भिन्न– भिन्न स्थान और समय के व्यक्ति एक भाव से करते हैं। साहित्य व्यक्ति से व्यक्ति और देश से देश को मिलाने वाली रसधारा है। जब साहित्यकार मानव मात्र के हृदय की अनुभूतियों से एकाकार होकर रचना करता है तो उसे अपने मन में पूर्णता और उचित दृष्टिकोण का अनुभव होता है। कवि उस समय तक सुंदर रचना प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक वह अपने युग की हलचलों का पूर्णतया जानकार न हो। यदि साहित्य समाज के साथ–साथ नहीं बदलता तो वह समाज के पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि वह समाज का मागदर्शक भी होता है। यदि वह समयानुसार परिवर्तित नहीं होगा तो समाज के विचार और बेड़ियां बनकर समाज की प्रगति को रोक देंगा। साहित्य और मानव जीवन एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक की उन्नति या अवनति पर दूसरे की उन्नति या अवनति निर्भर है इसलिए साहित्य और समाज के बीच सदा संतुलन रहना चाहिए।

साहित्य न केवल हमें संस्कारित करता है वरन् समग्रता के साथ नूतन समझ और नूतन मानदण्डों से भी अवगत कराता है। आज की इक्कीसवीं सदी में जबकि मानव चॉद तारों से भी दूर जाने के प्रयास में लगा है, साहित्य व्यापक स्तर पर इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आम लोगों तक सरलता से प्रेषित कर सकता है। साहित्य आज भी वह व्यापक माध्यम है जिसमें सबका हित और सभी का सच छिपा है।

साहित्यकार समाज का ही एक अंग है। समाज में घटित घटनाओं को वह अपने विचार एवं संवेदनात्मक अनुभवों के आधार पर साहित्य में व्यक्त करता है। किसी भी युग का साहित्य उस युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।साहित्य के माध्यम से परंपराओं को स्थायित्व मिलता है। इस संम्बन्ध में प्रो० दुबे लिखते हैं–"साहित्य में परंपरा की अभिव्यक्ति और व्याख्या होती है और उसके माध्यम से परंपराओं को स्थायित्व भी मिलता है। साथ ही साहित्य परंपराओं का मूल्यांकन करता है और उसके सत्त नये और प्रयोजनों की खोज भी।"3

साहित्यकार समाज में जाग्रति उत्पन्न करता है। साहित्य समाज का आदर्श है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की महान भूमिका रही है। बंकिम चन्द्र चटर्जी के 'वन्देमातरम' गीत ने देश के जन–जन में ऐसी उत्तेजना, ,उत्साह, उमंग, और स्फूर्ति भर दी कि करोडों लोग मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। साहित्य समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसे अपने आदर्शो के अनुरूप मोड़ता है इस एक गीत के माध्यम से ही जाना जा सकता है। कवि अपने युग को किस सीमा तक प्रभावित करता है इस संदर्भ में आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है–"साहित्य में मनुष्य का जीवन ही नहीं जीवन की

वे कामनाएं, जो अनन्त जीवन में पूरी नहीं हो सकती, निहित रहती है।" रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, शरदचन्द्र, आदि ने न केवल अपने युग को प्रभावित किया, अपितु धर्म, दर्शन, सामाजिक परंपराओं एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को भी प्रभावित किया। यह जरूर है कि प्रभाव धीरे–धीरे पढता है।

साहित्य सत्यं शिवं सुन्दरम् का समन्वित रूप है। वह सत्य के द्वारा समाज की वास्तविक स्थिति का उद्घाटन करता है तो शिव और सुन्दर के द्वारा समाज को एक दिशा देता है। समाज में उच्चादर्शों की स्थापना करता है।" लेखक अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को साहित्य का रूप देता है। जो लेखक समाज के प्रति कुछ जागरूक हैं, वे तो इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लेखक इतने फक्कड़ होते हैं कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज की अभिव्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति समझते हैं। व्यक्तियों की तरह रचनाएं भी परस्पर सम्बद्ध होती हैं और एक–दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। एक रचना से दूसरी रचना का अर्थ बदल जाता है, मूल्य घट–बढ जाता है और वह अपने आप से कुछ और हो जाता है। समाज यदि एक ओर लेखक के व्यक्तित्व के माध्यम से साहित्य–रूप ग्रहण करते हुए व्यक्ति की सीमा से सीमित हो उठता है। इसीलिए प्रत्येक सार्थक रचना समाज के जीवन में नवीन योगदान होती है।"5जहां लेखक द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान व अनुभवों को साहित्य में लिपिबद्ध किया जाता है, वहीं आम आदमी अथवा पाठक के लिए यह उसकी कौतूहल एवं जिज्ञासा प्रवृत्तियों को शांत करने का प्रभावशाली साधन होता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन से उर्जा प्राप्त करता है,उसी प्रकार मानसिक भूख की शांति के लिए साहित्य की आवश्यकता मस्तिष्क की होती है।आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में–"साहित्य उन श्रेष्ठ मनुष्यों की शिक्षा और वार्ता है जिन्हें अपनी जाति के प्रतिनिधि के रूप में बोलने का अधिकार प्राप्त है और जिनके शब्दों में उनके स्वदेशीय बन्धुगण अपने–अपने भावों का प्रतिबिम्ब देखते हैं और अपने अनुभव के सांराश का पता लगाते हैं।"6

साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। जो साहित्य केवल समाज का यथातथ्य चित्रण करता है,वह एकपक्षीय है। हिन्दी की प्रगतिवादी साहित्य परंपरा इसलिए अधिक समय तक नहीं चल पाई। साहित्य का मूल गुण हित चिंतन है। समाज की घटनायें साहित्य को प्रभावित करती हैं तो साहित्य उन घटनाओं को एक दिशा देने का कार्य करता है। यदि साहित्य समाज का केवल दर्पण होकर रह जायेगा तो वह अपने प्राकृतिक धर्म से विमुख हो जायेगा। साहित्यकार को समाज का छायाकार या चित्रकार भी कहा जाता है क्योंकि साहित्यकार अपनी कृति को समाज में चल रही मान्यताओं और परंपराओं के वर्णन द्वारा ही सजाता है। कोई भी साहित्यकार चाहे कितना भी अपने को समाज से अलग रखना चाहे लेकिन वह ऐसा नही ंकर पाता है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है और क्षुधापूर्ति करता है। साहित्य के माध्यम से हम न केवल समकालीन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि मानव इतिहास, विभिन्न देशों के भूभागों की सभ्यताओं व संस्कृतियों, पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति–रिवाजों, रहन–सहन परंपराओं आदि के विषय में जान पाते हैं। हमारे पूर्वजों के महान विचार व सत्कर्म आज भी प्रेरणा के श्रोत हैं और यह साहित्य से ही संभव हुआ है।

साहित्यकार को समाज का प्रहरी इसलिए कहा जाता है कि वह अपनी रचनाओं से समाज को उद्बोधन दे। साहित्य में जीवनदायिनी शक्ति है। वह निराशा के गर्त में डूबे समाज में अपनी ओजस्वी रचनाओं से पुनः जीवन का उत्साह भर सकता है। कबीर,सूर, तुलसी, और भारतेन्दु के साहित्य ने भारतीय जनता में

व्याप्त निराशा, कुंठा और अवसाद को दूर किया और समाज को उच्च मानवीय मूल्य, स्वाधीनता की चेतना से मण्डित किया। जिस देश के पास जितना उन्नत और समृद्ध साहित्य होता है, वह देश व जाति उतनी उन्नत व समृद्ध मानी जाती है। यदि हमारे देश के पास भी चिर समृद्ध साहित्य उपलब्ध न होता तो भीषण आक्रमणों, सैकडों वर्षों की गुलामी आदि ने न जाने कहां हमें पहुंचाया होता।

साहित्यकार के लिए कहा जाता है "जहां न पहुंचे रवि वहां पहुचे कवि"। साहित्य रूपी भवन का निर्माण समाज के आधार पर ही होता है। साहित्य सर्वथा देशकालिक होता है। हिन्दी साहित्य के आदिकाल में भारतीय समाज जब मुस्लिम आक्रांताओं से ग्रस्त था और भारतीय राजा और प्रजा युद्धरत थे तो उस काल के साहित्यकारों की आग उगलने वाली लेखनी उन्हें "हतो वा प्राप्सयति स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यते महीम्" की याद दिलाकर अपने दायित्व का अक्षरशः पालन कर रही थी, फिर पूर्व मध्यकाल में जब मुस्लिमों द्वारा सम्पूर्ण भारत आक्रांत हो गया, तब भारतीयों को धर्म रूपी सूत्र में बांधने हेतु साहित्यकारों का कार्य आज भी भक्तिकाल की चौपाईयों के रूप में परिलक्षित है, फिर उत्तर मध्यकाल के राजा महाराजाओं के शान शौकत की भी चर्चा रीतिकाल के साहित्यकारों ने की है। साहित्यकाल के अन्तिम आधुनिक कालखण्ड में 200 वर्षों तक अंग्रेजों के तलवों को चाट रहे लोगों को ललकार कर स्वाधीनता के लिए उत्सुक और बलिदानी बनाने वाले रचनाकारों का कार्य भूले नहीं भुलाया जा सकता। न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में साहित्यकारों की रचनाओं ने विभिन्न क्रान्तियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्लेटो और अरस्तू के नवीन सिद्धान्तों ने राज्य और अधिकारों के स्वरूपों को ही बदल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का अमर काव्य 'रामचरिचमानस' अज्ञानान्धकार में भटकते हुए असंख्य भारतीयों का आकाशदीप की भांति पथ प्रदर्शन कर रहा है। कवि बाल्मीकी की पवित्र वाणी आज भी हमारे ह्रदय स्थल में अमिट छाप छोड़ती है।

साहित्यकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जनचेतना के जागरणकर्ता तथा मानवीय मूल्यों के वाहककर्ता के रूप में निभाते हैं। जनचेतना से ही समाज का निमार्ण होता है तथा कौन सा राष्ट्र कितना शक्तिशाली या विकसित है यह उसके समाज के स्वरूप पर ही निर्भर करता है, अतः आज साहित्यकार का प्रमुख दायित्व बनता है कि उसकी रचनाएं जनचेतना का माध्यम बनें। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम सिर्फ जनता को जागरूक बनाकर ही किया जा सकता है। साहित्य के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि मनुष्य के प्रकृति के प्रति प्रेम की तरफदारी जहां साहित्यकारों ने की है, वहीं सामाजिक संदर्भ में भीसाहित्यकारों की लेखनी चली है। साहित्यकार साहित्य सृजन के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्र के प्रति साहित्यकार का दायित्व आदर्श तथा यथार्थ के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे जीवन की सहजता एवं सौम्यता की अनुभूति प्रत्येक राष्ट्रवासी को हो और उस आनंद की प्राप्ति सहज रूप से हो सके और अंततः साहित्य का अपना उद्देश्य पूरा हो सके।

साहित्य और समाज का आपस में क्या संबंध है, इस प्रश्न को लेकर समय– समय पर विचार होता रहा है और अनेक कथन इस संदर्भ में प्रचलित हो गये हैं। कुछ लोगों के अनुसार "साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है।" इसका अभिप्राय यह है कि जैसा समाज का रूप होता है, साहित्य में उसका वैसा ही चित्र प्रतिबिम्ब रूप में दिखाई पड़ता है। साहित्य के संदर्भ में एक उक्ति और प्रचलित है– "साहित्य समाज का दीपक है।" इसका अर्थ है दीपक के समान साहित्य भी अपने प्रकाश से समाज का पथ आलोकित करता है वह समाज का पथ– प्रदर्शन कर उसे आगे बढ़ाता है। एक अन्य उक्ति भी प्रचलित है– "साहित्य समाज का मस्तिष्क है।" इसका आशय यह है कि मस्तिष्क की भांति ही साहित्य में भी विचार अथवा चिंतन होता है। जैसे मस्तिष्क शरीर के व्यवहार को नियंत्रित करता है, वैसे ही साहित्य समाज की गतिविधि को

संयत रखता है। जैसे मस्तिष्क 'भविष्य में क्या किया जाय' इसका आदेश शरीर को देता है वैसे ही साहित्य भी समाज को भावी दशा के स्पष्ट संकेत प्रदान कर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। निश्चय ही अंतिम उक्ति साहित्य और समाज के संबंध का अधिक व्यापक रूप प्रस्तुत करती है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि, साहित्य और समाज में सहयोग और सद्भाव रहता हैं, दोंनों ही चेतन हैं और अपनी चेतना से एक'–दूसरे को प्रभावित करते हैं। वंस्तुतः समाज की लोकमंगल की चेतना का सशक्त वाहक यदि कोई है तो वह साहित्यकार ही है। साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध अविच्छिन्न है, अटूट है। साहित्य ही हमें मनुष्य की कोटि में रखता है। यही उसकी सार्थकता है। जिस समाज का साहित्य क्षीण हो जाता है, उसे रसातल में जाते विलम्ब नहीं लगता। साहित्य समाज को नया जीवन देता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. राधाकृष्णन, धर्म और समाज, पृ० 269, राजपाल एन्ड सन्स, दिल्ली
2. डॉ० त्रिभुवन सिंह, डॉ० नगेन्द्र– प्रगतिवाद और हिन्दी साहित्य– साहित्यिक निबंध, पृ० 880
3. मैनेजर पाण्डेय, अनभै सांचा, पृ० 266, वाणी प्रकाशन
4. डॉ० शेरसिंह बिष्ट, साहित्य एवं संस्कृतिः चिन्तन के नये आयाम, पृ० 07, श्री अल्मोड़ा बुकडिपो
5. डॉ० नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना/समाज, साहित्य और लेखक का व्यक्तित्व, पृ० 44 राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, तीसरा 1978
6. रामचन्द्र शुक्ल–चिन्तामणि–3, पृ० 32, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, प्रथम 1983

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal

SJIF - 5.299

Paper Recieved : 10th Mar 21 Paper Accepted : 26th Mar 21

"THE BRIDGING GAP OF FACEBOOK AS A TOOL FOR LIBRARY SERVICE TRENDS IN THE VARIOUS CAMPUSES OF CENTRAL SANSKRIT UNIVERSIY: PROBLEMS AND PROSPECTS."

❒ **Dr. Rautmale Anand S***

ABSTRACT

In the past few years Central Sanskrit University libraries have begun to An Abstract document for discussions on Library and its new trends in the domain of library services - Open Knowledge System, Open Services & their facilities mine the possibilities available to them through social networking sites. As Facebook has become dominating in the social networking sites arena, Sanskrit libraries need to created their own library web-pages on through Facebook to create library awareness and to function as a marketing tool of the library, its resources and Library services as well, Although Facebook's existence is not new in social networking arena, its use in the library setting has not become a common agenda yet. Though inclusion of Facebook in the field of library and information science has started in some of the developed libraries around the ten campuses of Central Sanskrit University Libraries, but that also only in an experimental level. Evidence suggests that students are increasingly using the internet to conduct research for classes and to socialize with each other. Social networking websites, particularly Facebook provides a pre-existing online community that reflects the real campus community, which librarians can utilize to better understand students and offer useful and applicable all campus library services. In order to stay relevant with the student population at college and universities, academic librarians need to pay attention to the trends and behaviours of the students who constitute maximum of users group in academic libraries. And today's users expect more from libraries than ever before; to satisfy these modern users the library professionals also need to enhance new skills of web based servicers and to know more about the users behaviour it has become necessary to stay connected with the users directly and the social networking sites especially Facebook has become a good means for connection. This paper will mainly highlight on the different pros and cons of library service trends in the various campuses of central Sanskrit university library services."

Keywords: Social networking; Facebook; Academic or University libraries.

* Librarian, Central Sanskrit University, Ministry of Education, Govt. of India
Guruvayoor Campus, P.O.Puranattukara, Thrissur-680551 (Kerala), librarian.sansthan@gmail.com

1. Introduction

Today's libraries are not just a mere storehouse of books; instead libraries are considered multifaceted and multifunctional information as well as knowledge dissemination centers. Moreover with the changing scenario of information seeker or users there is always need of constant change and adoption of newer and most recent development being accepted or used by the people at the time. Modern libraries are hybrid libraries characterized by print and electronic collections, manual and ICT based services. Hence they must move beyond their traditional role as custodians of books and integrate new methods of storage and transmission of information into an already existing structure. Today's users expect more from libraries than ever before. Modern libraries must link users with the information they seek.

1.1. Social Networking Site

Today internet has become an integral part of everyone especially the urban people of their daily life. One can say that most of the individuals have become mostly dependent on the internet and other communication technology for their day to day activities. And since the internet does not have any physical restrictions it has become easy for the people around the globe to have a connection through internet and forming a social group in the internet through a common network. And this web based networking is called social networking sites. Social networking is defined as a web based services that allows individuals, groups and organizations to build relationships with other users these sites often feature a public or semi-public profile within a restricted system, a list of contacted users and a list of connections of users which is created within the system of the site.

1.2 Definition of Social Networking

According to Computing Dictionary3, a social networking site as any website designed to allow multiple users to publish content of them. The information may be on any subject and may be for consumption by friends, mates, employers, employees just to mention a few.

Boyd and Ellison define social networking sites as web-based services that allow individuals to construct a public or semi-public profile within a bounded system, articulate a list of other users with whom they share a connection, to view and navigate their list of connections and those made by others within the system.

Today there are billions users of various social networking sites and these social networking sites has become an integral part of our lives. Out of various social networking sites Facebook has become dominating in the social networking arena. Most social network services are web based and provide a variety of ways for users to interact, such as e-mail and instant messaging services. Social networking has encouraged new ways to communicate and share information. Millions of people have made their profiles on these social networks and interact with others regularly. These social networking sites may contain set rules and regulations to be followed as per their editorial policy or may be entirely user-driven.

This platform is used for social activities by organizations, academia and the general public specifically the youth. The use of this platform has compelled various ten campuses of central Sanskrit university students to spend a lot of time at these sites.

1.3 Facebook

Facebook is a social networking site that allows people to connect with friends, classmates, co-workers, casual acquaintances — anyone who is also a member of the site. The name refers to the traditional print face books of incoming students once popular at many colleges. The site started at Harvard in February 2004 and soon spread to some other campuses. At present there are 1.650 million monthly active users on

Facebook and has a total of 2.8 billion user fourth quarter of 2020 (Wikipedia).

Currently Facebook is the fifth most visited site on the internet worldwide and second most trafficked social media site on the world. It was first founded by Mark Zuckerberg in 2004. These are interactive allowing visitors to leave comments, message each other via widgets on the blogs and it is the interactivity that distinguishes them from other static websites. Users must register before using the site, after which they may create a personal profile, add other users as friends, and exchange messages, including automatic notifications when they update their profile. Additionally, users may join common-interest user groups, organized by workplace, school or college, or other characteristics, and categorize their friends into lists.

2. CSU- Campus Library and Social Networking site: Facebook

It is clear that the various campuses of central Sanskrit university staff students and all faculties' communitiesmostly constituted by a large number of young and more technologically advance students and the teachers or the scholars who mostly considers the web based or online information resources due to various reasons. If we have to mention some of them the first reason will be the vast resources available, ease of access, can be access easily if users have an internet connection without any physical incontinence. And most above this regarding academic knowledge, a vast source of information, resources and academic research materials are now freely available on internet, which make the users spend more time in internet or be online maximum time.

The present academic environment has now totally revolves around web and internet based background. And the social networking sites are the most active and common among the present generation without any particular differences of age, sex, or education qualification or profession. It has become a platform for most of the individuals for various activities other than just socializing with each other i.e. those persons having profiles in these social networking sites.

It is understandable that twenty-first century student is not interested in printed work; for all CSU-Campus librarians to make libraries interesting innovations such as social networking site should be introduced to attract them to the library environment. Social networking sites would help establish a cordial relationship between librarians and patrons; market the library's services; announce library programs on the wall and so on.

At present with many developed PDA (Personal Digital Assistance) devices like, mobile phones with better applications and developed, i-Phones, Tablets etc. has become more easier for the students and other professional to use internet and other web based services effectively and in maximum, since one does not need to rely only on a pc or a laptop for the purpose.

According to many surveys and studies done on the use of Facebook and as according to the Facebook record also in has been noticed that maximum number of user belong to the age group between 15-25. And we can assume that most students either high school, college, and university fall under this age group mainly. It has also be highlighted in many research and documents that most of the Academicians also use various social networking sites out of which Facebook become more prominent.

Considering the situation and the development in the field of information, the time has come for the library and information professionals come in term with every possible opportunity to keep in contact with the information users. Though library and information science has been developing and evolving with each development in various fields, it is also true that in case of information nothing is enough. We can see that everything is changing

in a very fast way we the library and information personals should be more active, open and more faster above all. A new way of providing library services through internet technology which will emphasis on user oriented is must for the present users to meet their information need. Here, we can use the social networking site Facebook can be used for a multi-dimensional information flow i.e. Library to users, users to library, library to library and user to user instead of being only one way communication.

3. Use of Facebook for CSU Library Services

Today, CSU- libraries are using the latest technologies and trends to make their services popular and user friendly. The concept of a library as physical place where one can visit to get information is rapidly changing to a social cyberspace where users access, communicate and contribute to existing knowledge. This is because the modern library of the 21st century is characterized with collective knowledge creation and enabling technologies; and also a movement away from the old stereotype, conventional and one directional library services to users to a more dynamic, two-way communicational network environment characterized by open access, content creation, collaborative and participatory social space where users are free to access and contribute content. It is very clear that Facebook is being used by CSU- users and other social groups to share information update information's, to acquire these update knowledge's, for marketing purpose which can be done by various available services of Facebook, Instant Messaging, It has become an important need for Sanskrit libraries to adopt the new social networking tools in their services as a strategy to embrace change while promoting a participatory role for library users in knowledge creation. The growing use of social networking tools calls for librarians to develop 21st century skills on digital technologies. Libraries can connect their social networking sites with their library Websites to links to their catalog, chat reference pages, research guides, calendar of events, news etc.

If we consider the use of Facebook as tool for these particular needs we can take the advantages of all available services or feature of Facebook to cover the needs. As mention earlier, due to changes in the academic environment and influence of the modern technology the strategy of use of information and its uses has change dramatically. These new generation students are more on the web based information's, only few numbers are visiting a library to search for information or consulting a librarian for document selection. The reasons may be many but it has affected the library and information field in many ways.

Apart from the Central Sanskrit University Library trends services in various campus students are available in the internet of the Facebook it has become a good platform for the library professionals also to connect with the information users. Most of the conventional academic libraries do lack update of information and mostly available resources are also not enough to meet the need of the users initially. In certain cases if the library is developed and have good collection and resources with good library profession also some student prefer web base information sources over these library materials which manly happen out of hobbit and influence of the environment.

In these case the initiative must be from the side of the library to encourage the user to have contact with the library and here the library have to be in the way which these users wants or prefer. Here the library must be a web based, common on the Social Network; Facebook among their common interest with ease of communication. This can be done in various ways, some are; by creating a Facebook profile of the library, by connecting the libraries web link with the Facebook, by forming a user's group of the CSU-

library, providing discussion forum of the users and the all campus library professional and others.

If libraries have a Facebook profile one can update most of the activities, which of course will be related with the information and its sources easily, and users can also check easily. Some of the library services which can be provided via Facebook to its users connected with Facebook is:

❖ Regular update of arrival of new books, documents, journals etc. in the library.

❖ Reference services can be provided through instant massages and on chats, which will help the users in selecting the appropriate internet based resources without wasting mush time.

❖ It the library and its user group in the Facebook keep active in communication and prepare good user profile with their information interest libraries can provide Current Awareness Services to the particular users.

❖ Online open help desk for all the internet users not only for the profile users can also be provided, where guidance may be given in information search process by guiding to the proper search option, proper website and the selection of proper information with good source.

❖ Most students are not aware of the different services offered in the library such as reservation of books, reference services and Strategic Dissemination of Information (SDI). The awareness can be given to the student users by providing maximum information of the library in the profile. Since visiting a Facebook profile is considered more appropriate than visiting a library to get the information about the library.

❖ The library can create a discussion forum or group for its users so that the user share their knowledge's and thoughts regarding the library, its services, collection, and any other related topics or even a feedback from its users which will help in the further development of the library.

❖ The user will also be able to provide any new information if available which may be of the education related or the institution also.

❖ Facebook can be used as a platform for the marketing of the library and regular updates of activities etc.

❖ OPAC can be directly link with the Facebook profile. One of the most important aim of librarians is to make library resources available to its users and information seekers so if social networking; Facebook can help achieve this goal then it should be pursued vigorously.

❖ The use of Facebook as a tool does not require any special equipment apart from computer, Internet connectivity and a trained professional to manage, which is affordable in most of the Academic libraries at present.

❖ Using Facebook as a tool for library services may be more effective for Distance Education students.

If we consider the use of Facebook as tool for the purpose there will definitely have positive side. But there are limitations or problems also.

3.1 Problems of using Facebook as Tool for Academic Library Services

When we discuss about the problems of using Facebook they are not exactly the technical problems but problem from the professional point of view. Being in Facebook require a lot of activeness from the libraries and its professionals side. Librarians must be aware that using Facebook as a tool requires a lot of attention both technically and professionally. Though we have to mention that this tool does not require much except for some equipment only but it may be too much for some libraries in certain condition, especially in Developing country like India.

There will be need of constant and regular update of profile or the Facebook page at least once a week or more. If not updated it will become useless which require regular monitoring of the page and the library also. In such a case it may not be suitable for very small on convectional libraries instead may be helpful for large and active libraries that host a lot of events, exhibitions, workshops and other activities and

having large amount of data's in its collection.Though it is a good medium for communicating with the users but the library professional should not get too attached to Facebook as there will always be a next or better tool coming up for the purpose. Every technology changes quickly and the internet is constantly changing; and the libraries and the library professionals should be prepared to leave current tool strategy to jump to the next tool quickly.

Apart from these problems there are some other noticeable problems that may affect, especially in India use of computer and internet is restricted to only a group of people of students though efforts have put to made available of these facilities, but the process is rather slow.Most students are not aware of the different services offered in the library such as reservation of books, reference services and Strategic Dissemination of Information (SDI). The awareness can be given to the student users by providing maximum information of the library in the profile. Since visiting a Facebook profile is considered more appropriate than visiting a library to get the information about the library.

❖ The library can create a discussion forum or group for its users so that the user share their knowledge's and thoughts regarding the library, its services, collection, and any other related topics or even a feedback from its users which will help in the further development of the library.

❖ The user will also be able to provide any new information if available which may be of the education related or the institution also.

❖ OPAC can be directly link with the Facebook profile. One of the most important aim of librarians is to make library resources available to its users and information seekers so if social networking; Facebook can help achieve this goal then it should be pursued vigorously.

❖ The use of Facebook as a tool does not require any special equipment apart from computer, Internet connectivity and a trained professional to manage, which is affordable in most of the Academic libraries at present.

❖ Using Facebook as a tool for library services may be more effective for Distance Education students.

If we consider the use of Facebook as tool for the purpose there will definitely have positive side. But there are limitations or problems also.

4. CONCLUSION

Though Facebook has been considered as the most recent tool for Library services we cannot deny the availability of various other tools for the purpose. But it has come to the fact that the dimension of a modern library has changed a lot from time to time so as the approach of the information user seekers towards information sources. Especially the students of this new academic environment have different strategy regarding information and acquisition of knowledge. And here Facebook become a prominent amongst its group as based on different study based documents. The emergence of online social networks and its expanding user base demand immediate attention from the side of academic libraries. The library's profiles on these networks facilitate the reaching out strategy to the new generation users at their own space and time. Using Facebook as a tool has both positive and negative sides but being new in the field still can be considered.

REFERENCES

1. Faisal, S.L. (nd). Blogs and Online Social Networks as User Centric Service Tools in Academic Libraries: An Indian Library Experience. Kendriya Vidyalaya, Pattom: India. (Retrieved from http://slfaisal.wordpress.com).
2. Praveen.,& Noushia. (2011). *International Journal of Digital Library services*. Use of Social Networking Site(Facebook) In Making Awareness among The Library And Information Science Professionals Of

University Libraries Of U.P: A Case Study. (Retrieved From www.ijodls.in).

3. Ayiah, Efua Mansa., &Kumah, Cynthia Henewaa. (2011). IFLA 2011. Social Networking: a tool to use for effective service delivery to clients by African Libraries. (Retrieved from http://conference.ifla.org/ifla77).
4. Pen hornCecilia.,&PioneerHuila (ND). The use of social networking tools for innovative service delivery at the University of Pretoria Library. (Retrieved from http://www.arl.org).
5. Ellison, N. B., Stein field, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites [Electronic Version]. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143–1168 (Retrieved from http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html).
6. https://idv.sagapub.com/cgi/content/abstract/23/4/266
7. Suffer, Andreas, Von Krogh Georg., & Bach Andrea. (1999). towards knowledge networking. *Journal of Knowledge Management*, 3(3), 180-190.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (April 2016.
9. RopesSanctity., &Aura, Kulkarni. (2011). Cloud Computing in Digital and University Libraries, Global Journal of Computer Science and Technology, 11.
10. Wikipedia. Cloud Computing (Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/cloud-computing).
11. Xuemei, Yin. (2009). From Cloud Computing to Personal Digital Archives. Shanxi Archive. (2).
12. Yang Jie., & Liu Wanjun.(2010). Cloud Computing in the Application of Digital Library. International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, 39

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 15th Mar 21 Paper Accepted : 30th Mar 21

जम्मू कश्मीर राज्य और अनुच्छेद-370

❑ सुमन पाण्डेय*
❑ डॉ. (श्रीमती) प्रीति पाण्डेय*

शोध सारांश

जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित प्रदेश है। पाकिस्तान इसके उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित है जबकि चीन ने अक्साई चीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। भारत इन कब्जों को अवैध मानता है जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है।

यहाँ के अधिकांश निवासी मुसलमान है किन्तु इनके रहन–सहन, रीति–रिवाज एवं संस्कृति पर हिन्दू धर्म की पर्याप्त छाप है।

1947 में भारत व पाकिस्तान को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब इन्स्टूमेन्ट ऑफ एक्सेशन–1947 के तहत सभी रियासतो को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वे स्वेच्छानुसार किस राज्य में सम्मिलित होना चाहती है इसका निर्णय कर सकती।

जम्मू कश्मीर तात्कालीन समय में देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी जिसने निर्णय नही लिया। परिणामस्वरूप 24 अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तानी सैनिको ने कुछ कबालियों एवं कुछ स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जिससे जम्मू कश्मीर ने भारतीय सहायता लेने के साथ ही 27 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किये। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय हो जाने के बाद भारतीय संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर को अनु0 370 के द्वारा कुछ विशेष प्रावधान प्रदान किये गये। 5 अगस्त 2019 को अनु0 370 के प्रावधानों के परिवर्तन कर लगभग उसे समाप्त कर दिया गया है।

बीज शब्द– जम्मू कश्मीर, राज्य, अनुच्छेद–370, भारतीय, संविधान, प्रावधान, दोहरी नागरिकता, राजनैतिक दृष्टि इत्यादि।

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध समस्या–

अनु0 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेश राज्य का दर्जा प्राप्त होता है जिसके अनुसार– जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर अपने राज्य के भारतीय संसद की अधिकांश विधियों को लागू नही करता, जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा है यहॉ कि विधान सभा का कार्यकाल 06 वर्ष, आरक्षण के उपबंध लागू नही, दोहरी नागरिका, जम्मू कश्मीर की सेवाएँ एवं अन्य सुविधाएँ केवल वहॉ के स्थायी निवासियों के लिये है, स्थायी निवासी की परिभाषा/मापदंड भी अत्यन्त जटिल है। इत्यादि समस्याएँ है।

जम्मू कश्मीर के भारत के शामिल अंग होने के पश्चात् भी वहॉ लागू उक्त वर्णित नियमों के कारणों जम्मू कश्मीर राज्य का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास बाधिक हो रहा है।

एक ही राज्य में 2 राज्य, 2 निशान, 2 विधान का नियम वैचारिम वैमनस्य एवं दूरियों को बढ़ावा देता है।

शोध उद्देश्य–

अनुच्छेद 370 अपने निर्माण से लेकर वर्तमान तक सदैव ही एक विवादित व उलझा हुआ मुद्दा रहा है जिसकी व्याख्या सियासतदानों ने अपने–अपने अनुसार की है। किसी ने इसे जम्मू कश्मीर के लिये वरदान तो किसी ने अभिशाय कहा। यदि राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय तो चाहे भारत हो या जम्मू कश्मीर यह सदैव वोट बैंक का माध्यम रहा है। शोध विषय के रूप में अनु0 370 के चयन का उद्देश्य इस प्रकार हैः–

1. स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति का अध्ययन करना।
2. देशी रियासतो के विलय की जानकारी प्राप्त करना।
3. कश्मीर रियासत की स्थिति का पता लगाना।
4. धारा 370 की स्थिति का पता लगाना।
5. धारा 370 हटाने के बाद की स्थिति को रेखांकित करना।
6. कश्मीर समस्या के समाधान के उपाय सुझाना।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध पत्र सैद्धान्तिक प्रकृति का है जिसमें द्वितीयक स्त्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

तथ्य विश्लेषण–

27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय की आधिकारिक घोषणा तथा 21 अप्रैल 1948 को युद्ध कश्मीर में शासन के सुचारू संचालन हेतु जून 1949 में भारतीय संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के विषय में विचार विमर्श के लिये वहॉ के चार प्रतिनिधियों शेख मुहम्मर अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी को चुना गया।

संविधान सभा में आम सहमति से 306 (ए) ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया जो अनुच्छेद 370 बनकर तैयार हुआ। अनु0 370 को भाग–21 के द्वारा निर्मित किया गया। भाग–21 एक अनिश्चित, अस्थायी एवं संक्रमण कालीन (मूल संवि0) उपबंध के नाम से जाना है। अनु0 370 को भाग–21 में रखने का मतलब ही यही था कि अनु0 370 को अस्थायी तौर पर निर्मित किया गया है, अर्थात् इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

अनु0 370 में तीन उपबंध किये गयेः–

अनु0 370 (1), 370 (2), 370 (3)।

अनु0 370 (1)– यह 4 अन्य उपबंधों में विभाजित है।

अनु0 370 (1) (A) – अनु0 238 (राज्यों को अपनी सेना रखने का अधिकार) जम्मू कश्मीर में लागू नही होगा।

अनु0 370 (1) (B) (i)– भारतीय संसद की जम्मू कश्मीर में अधिकारों की व्याख्या।

अनु0 370 (1) (B) (ii)– संसद की विधियों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिये वहॉ की विधानसभा व राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी।

अनु0 370 (1) (C)– अनु0 1 एवं अनु0 370 जम्मू कश्मीर ने लागू होगा।

अनु0 370 (1) (D)– अन्य अनु0 को लागू करने के लिये राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। यदि 3 विषयों (संचार, सुरक्षा व विदेश नीति) के लिये विचार करना होगा तो विधानसभा से किन्तु यदि उपरोक्त 03 विषयों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय है तो जनमत संग्रह होगा।

अनु0 370 (2) – जम्मू कश्मीर का संविधान बनने से पूर्व यदि भारतीय संसद वहॉ के लिये 03 विषयों के अतिरिक्त यदि कोई कानून बनाती है तो उसके लिये जम्मू कश्मीर की सहमति की आवश्यकता होगी।

अनु0 370 (3) – अनु0 370 को पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तित करने के लिये राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक है जम्मू जम्मू कश्मीर विधानसभा, की संस्तृति के साथ।

निष्कर्ष एवं सुझाव–

5–6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनु0 370 को, अनु0 370 (3) का प्रयोग करते हुये लगभग पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया गया है। किन्तु इसे समाप्त करने से पूर्व वहॉ के स्थानीय नागरिकों से दूसरे विषय में राय क्यों नही मॉगी गई, उन पर इतनी पाबंदिया (टेलीविजन, प्रेस, इन्टरनेट बंद) क्यों किया गया, 2011 की वार्तालाप समिति की सिफारिश जो कहती है कि अनु0 370 को समाप्त नही करना चाहिए को दर किनार क्यों कर दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात् वहॉ की स्थितियॉ क्या होगी?

जो भी किया गया अच्छा था थोड़ी जल्द बाजी हुई अचानक से हुआ इसलिए इतनी पाबंदियॉ लगानी पड़ी, और लोगों को इसे समझने में समय लग रहा है जो कि जायज है वक्त के साथ जब वहॉ के नागरिकों को भी वही सारी सुविधाएँ जो सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है प्राप्त होगी। उनका भी सामाजिक व सास्कृतिक व आर्थिक विकास तीव्रगति से होगा तो पंजाब, हैदराबाद, सिक्किम, जूनागढ आदि ऐसी रियासतों की भॉति जम्मू कश्मीर भी सामान्य तौर पर देश के विकास में पूर्ण सहयोग कर पायेगा।

स्रोत संदर्भ–

1. झा, प्रेमशंकर, जम्मू और कश्मीर विलय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996
2. इन्स्टूमेंट ऑफ एक्सेसन (1947) विलय पत्र जिसमें हस्ताक्षर के द्वारा रियासतों के भारतीय संघ में विलय की अधिकारिक अनुमति प्रदान की।
3. भाग– 21 मूल संवि0 ने इसे एक अस्थायी, अविश्चितकालीन एवं संक्रमण कालीन उपबंध के तौर पर रखा गया था।
4. ड्राफ्ट 306 (ए) ज0क0 के लिये संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया ड्राफ्ट जो अनु0 370 बनकर तैयार हुआ।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 15th Mar 21 Paper Accepted : 30th Mar 21

हिन्दू महिलाओं का भरण-पोषण का अधिकार

❐ डॉ. सलिल पाण्डेय*

शोध सारांश

माता–पिता, पत्नी और बच्चों का भरण–पोषण करना हिन्दू विधि के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक व पुनीत कार्य माना गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 एवं धारा 25 में पत्नी के भरण–पोषण के संबंध में प्रावधान किया गया हैं। हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 में हिन्दू महिलाओं के भरण–पोषण के संबंध में प्रमुख रूप से दो तरह के प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 18 में पत्नी के भरण–पोषण संबंधी प्रावधान हैं एवं धारा 19 में विधवा पुत्रवधू के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भी हिन्दू महिलाएँ त्वरित रूप से भरण–पोषण प्राप्त कर सकती हैं।

शब्द बीज (Key words)– विधिक, भरण–पोषण, कर्तव्य, दैव निदर्शन विधि, साक्षात्कार आदि।

परिचय–

स्मृतिकारों से लेकर संहिताबद्ध हिन्दू विधि तक भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत और पूर्ण दायित्व रहा है। मिताक्षरा के अनुसार बृद्धजनक, पत्नी और अपत्यों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत है। प्राचीनकाल से ही पत्नी मुख्यतः पति के घर की प्रबन्धक हुआ करती थी, आज भी महिलाओं की एक बड़ी संख्या घरेलू काम में ही लगी हैं और जीविकोपार्जन में संलग्न नहीं है। पत्नी के भरण–पोषण के पति के दायित्व की यह प्रमुख वजह रही है। लक्ष्मी देवी वि0 नागन्ना के मामले में कहा गया कि–पत्नी के भरण–पोषण का दायित्व किसी अनुबन्ध के अंतर्गत उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यह पति–पत्नी के विधिक सम्बन्ध के अन्तर्गत सृजित होता है। भरण–पोषण के लिए पत्नी का अधिकार विवाह की प्रास्थिति का परिणाम है और पति का यह विधिक कर्तव्य है कि वह पत्नी का भरण पोषण करे। एक हिन्दू विवाहित स्त्री, पति द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है और उसे यह अधिकार जीवनभर के लिए निरंतर प्राप्त होता है।

भरण–पोषण का अधिकार अविभाजित परिवार की संकल्पना से उत्पन्न हुआ है। ऐसे परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों अपनी पत्नी और अपनी संतानों का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य है, चाहे उसकी जो अवस्था हो। भरण–पोषण के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था आता है।

* अतिथि विद्वान (विधि), विधि विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

वर्तमान समय में हिन्दू महिलाओं का भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार विस्तृत हो चुका है तथा वे औचित्यपूर्ण कारणों से पति से पृथक रहने पर तथा विवाह विच्छेद के उपरांत भी भरण–पोषण प्राप्त कर सकती हैं। प्राचीनकाल में पतिगृह को छोड़कर अन्य स्थान में रहने वाली पत्नी को भरण–पोषण पाने का अधिकार नहीं था।

शोध का उद्देश्य :–

इस शोध कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. हिन्दू महिलाओं के लिए उपलब्ध भरण–पोषण के अधिकार का अध्ययन व विश्लेषण करना।

2. भरण–पोषण के अधिकार के प्रति हिन्दू महिलाओं की जागरूकता का पता लगाना।

3. भरण–पोषण के संबंध में हिन्दू महिलाओं की वास्तविक दशा का पता लगाना।

4. हिन्दू महिलाओं को भरण–पोषण के संबंध में होने वाली समस्याओं का पता लगाना।

5. हिन्दू महिलाओं के बेहतर भरण–पोषण की व्यवस्था हेतु आवश्यक सुझाव देना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोधकार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से पूर्ण किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची पद्धति के माध्यम से हिन्दू महिलाओं की वास्तविक दशा पता लगाने का प्रयास किया गया है साथ ही द्वितीयक स्त्रोत के रूप में उपलब्ध पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि का उपयोग करते हुए हिन्दू महिलाओं के लिए उपलब्ध भरण–पोषण के प्रावधान तथा उनके क्रियान्वयन का अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

हिन्दू महिलाओं का भरण–पोषण का अधिकार –

वर्तमान में हिन्दू महिलाओं के लिए उपलब्ध भरण–पोषण के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए इसे निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत,

(ii) हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम के अंतर्गत,

(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत।

(v) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भरण–पोषण का अधिकार –

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 पति और पत्नी के बीच कार्यवाही की अवधि में वादकालीन भरण–पोषण के संबंध में प्रावधान करती है जब कि ध ारा 25 कोई आज्ञप्ति पारित करते समय या उसके पश्चात् निर्धारित स्थायी भरण–पोषण के संबंध में प्रावधान करती है किन्तु वादकालीन भरण–पोषण के मामले में पक्षकारों के अभिवचन में किये गये अभिकथनों के आधार पर इसे इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे अभिकथनों पर विचार करना स्पष्ट रूप से बाहरी विचारों में प्रवेश करना है अथवा यह मुख्य बिन्दू पर अपरिपक्वन होने के तुल्य है। इस प्रकार पत्नी के अभिकथित विश्वासघात के आधार पर वादकालीन भरण–पोषण का इन्कार उचित नहीं होगा। इस धारा के अन्तर्गत भरण–पोषण भी इस आधार पर प्रभावित नहीं होगा कि यहाँ समझौते की आज्ञप्ति थी जो अभित्यजन की गयी पत्नी के आजीवन भरण पोषण के लिए पति की सम्पत्ति पर भार थी। वर्तमान धारा के अन्तर्गत भरण–पोषण पत्नी का पुष्ट अधिकार है जिसका वह पत्नी के रूप में दावा कर सकती है चाहे वैवाहिक अधिकारों को पूर्ण न भी किया गया हो। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए केवल विचार यह है कि पक्षकार के पास उसके भरण–पोषण के लिये कार्यवाही का आवश्यक व्यय दिये जाने के लिये कोई पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निर्वाह व्यय और भरण–पोषण का निर्णय देने के पूर्व न्यायालय को निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना चाहिए–

1. प्रार्थी की आय और अन्य सम्पत्ति,

2. विरोधी पक्ष की निजी आय और अन्य सम्पत्ति

3. पक्षकारों का आचरण,

4. न्यायालय के मत में धनराशि न्यायोचित होनी चाहिए।

5. यदि आवश्यक हो तो ऐसा भुगतान प्रत्यर्थी की अचल सम्पत्ति पर भार द्वारा सुरक्षित किये जा सकते है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 (2) तथा (3) के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश को संशोधित अथवा निरस्त करने की पर्याप्त शक्ति रखते हैं, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि –

1. न्यायालय के आदेश करने के पश्चात् किसी समय किसी पक्षकार की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है।

2. वह पक्षकार जिसके लिये भरण–पोषण स्वीकार किया गया है, उसका विवाह हो गया है।

3. यदि पत्नी को भरण पोषण देने का निर्णय किया गया है परन्तु वह असती हो गई है

4. यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने विवाहिता के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ सम्भोग किया है।

स्पष्ट है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 एवं 25 में हिन्दू महिलाओं के भरण–पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान उपलब्ध हैं।

(II) हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम के अंतर्गत –

इस अधिनियम की धारा 18 पत्नी के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 18 के अनुसार–

1. हिन्दू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् विवाहित हो अपने जीवनकाल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी।

2. हिन्दू पत्नी अपने भरण–पोषण के दावे को समपहृत किए बिना अपने पति से पृथक् रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी–

(क) यदि उसका पति अभित्यजन अर्थात् युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है;

(ख) यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा;

(ग) यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है;

(घ) यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जवित है;

(ङ) यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासतः निवास करता है;

(च) यदि उसका पति किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह गया है; और

(छ) यदि उसके पृथक् होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है।

3. यदि कोई हिन्दू पत्नी असती है या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह गई है तो वह अपने पति से पृथक् निवास करने और भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।

इस अधिनियम की धारा 19 विधवा पुत्रवधु के भरण–पोषण के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 19 के अनुसार–

1. कोई हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने श्वसुर से भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी।

परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहाँ उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी संपत्ति नहीं है वह निम्नलिखित में किसी से अपना भरण–पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो :–

(क) अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से या

(ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से।

2. यदि श्वसुर के अपने कब्जे में कि ऐसी सहदायिकी सम्पत्ति से, जिसमें से पुत्रवधु को कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है श्वसुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधु के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा।

(III) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हिन्दू महिलाओं का भरण–पोषण का अधिकार –

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 में पत्नी, सन्तान और माता–पिता के भरण–पोषण के लिए उपबन्धा किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार–यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण–पोषण करने में उपेक्षा करता है, या भरण–पोषण करने से इन्कार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इन्कार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी के भरण–पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे, जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय–समय पर निदेश दे।

धारा 125 का उद्देश्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित, प्रभावी और कम खर्चीला उपचार प्रदान करना है, जो अपनी आश्रित पत्नी, सन्तानों और माता–पिता के भरण–पोषण में उपेक्षा करते हैं अथवा उनका भरण–पोषण करने से इन्कार करते हैं। असंरक्षण की स्थिति में पत्नी असामाजिक धन्धों में जा सकती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इससे समाज में विकृति और अपचार का प्रसार होता है। पत्नी भरण–पोषण विहीन रहने पर कष्ट की स्थिति में आपराधिकता की ओर उन्मुख हो सकती है। भरण–पोषण न होने से पत्नी में भुखमरी और आवारागर्दी का प्रवेश हो सकता हैं। मनु के अनुसार भी ''वृद्ध माता–पिता'', साध्वी पत्नी और शिशु पुत्र चाहे भले ही सौ अपकार्य क्यों न करें उनका भरण–पोषण किया जाना चाहिये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस प्रावधान को सम्मिलित करने का प्रारम्भिक उद्देश्य यह है कि इसमें उल्लिखित व्यक्तियों को सिविल न्यायालयों में उपलब्ध उपचारों की अपेक्षा कहीं अधिक त्वरित और कम खर्चीला उपचार मिल सके। इस तरह, इन उपबन्धों का उद्देश्य भरण–पोषण के अभाव में होने वाली उस भुखमरी और आवारागर्दी का निवारण करना है, जिससे अपराध का प्रसार होता है।

पत्नी किसी भी आयु की अवयस्क अथवा वयस्क हो सकती है। धारा 125 (1) के सपष्टीकरण (ख) के अनुसार ''पत्नी'' के अन्तर्गत ऐसी स्त्री भी है, जिसके पति ने उससे विवाह–विच्छेद कर लिया है या जिसने पति से विवाह – विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। ''पत्नी'' के इस विस्तृत अर्थ के अन्तर्गत भरण–पोषण के अधिकार का दावा तलाक शुदा पत्नी को भी उपलब्ध करा दिया गया है।

हिन्दू महिलाओं की वास्तविक दशा –

हिन्दू महिलाओं की भरण–पोषण के संबंध में वास्तविक दशा का पता लगाने के लिए शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के रीवा जिले का चयन किया गया। शोधार्थी द्वारा विभिन्न आय वर्ग एवं विभिन्न सामाजिक दशाओं से संबंधित कुल 100 हिन्दू महिलाओं का निहित प्रश्नावली के द्वारा दैवनिदर्शन विधि से साक्षात्कार किया गया। महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई जो सारणी के माध्यम से वर्णित की जा रही है।

सारणी क्र. 01
भरण–पोषण के अधिकार के बारे में महिलाओं की जानकारी

क्र.	विवरण	संस्था	प्रतिशत
1	जानकारी है	58	58
2	जानकारी नहीं है	34	34
3	कुछ कह नहीं सकते	08	08
	कुल	100	100

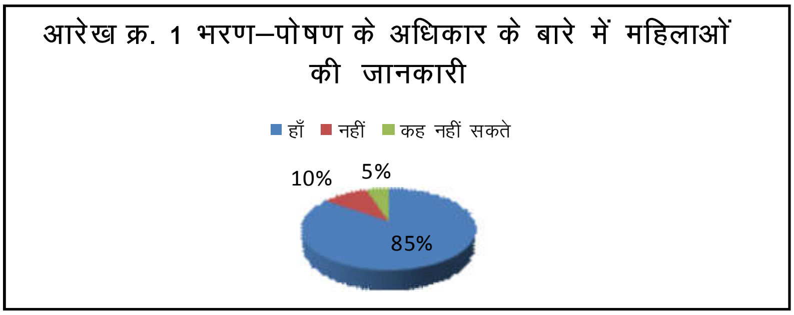

शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार के दौरान निहित प्रश्नावली के माध्यम से यह पूछे जाने पर कि क्या आपको पता है कि भारतीय विधियों में हिन्दू महिलाओं के भरण–पोषण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, सर्वाधिक 58 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि जानकारी है, 34 प्रतिशत ने कहा कि जानकारी नहीं है जबकि 08 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक संख्या उन महिलाओं की है जिन्हें भरण–पोषण के अधिकार की जानकारी है।

सारणी क्र. 02
क्या आपका भरण–पोषण समुचित ढंग से हो रहा है

क्र.	विवरण	संस्था	प्रतिशत
1	हाँ	73	73
2	नहीं	23	23
3	कुछ जवाब नहीं दिया	04	04
	कुल	100	100

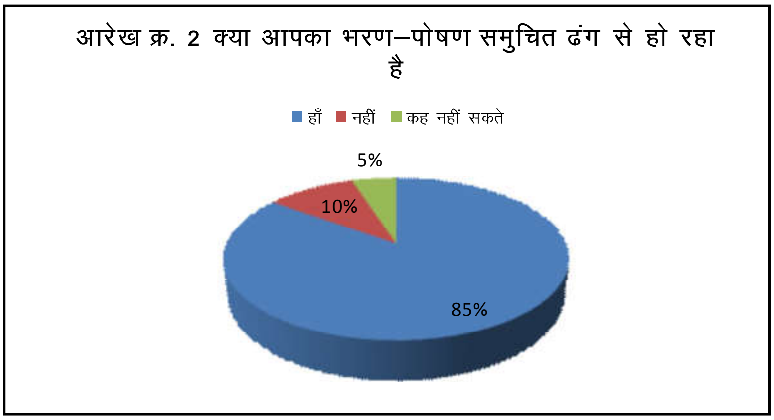

शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार के दौरान निहित प्रश्नावली के माध्यम से यह पूछे जाने पर कि क्या आपका भरण–पोषण समुचित ढंग से हो रहा है। सर्वाधिक 73 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि हाँ, 23 प्रतिशत ने कहा कि नहीं, जबकि 04 प्रतिशत महिलाओं ने कुछ जवाब नहीं दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने कहा कि उनका भरण–पोषण समुचित ढंग से हो रहा है।

सारणी क्र. 03

भरण–पोषण समुचित ढंग से नहीं होने पर क्या महिलाओं को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	85	85
2	नहीं	10	10
3	कह नहीं सकते	05	05
	कुल	100	100

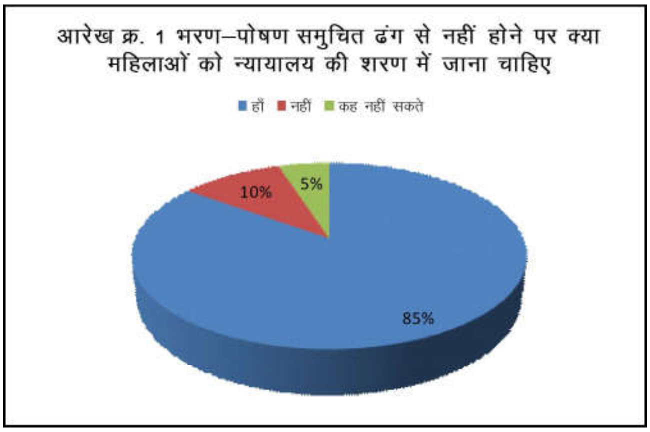

शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार के दौरान निहित प्रश्नावली के माध्यम से यह पूछे जाने पर कि भरण–पोषण समुचित ढंग से नहीं होने पर क्या महिलाओं को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। सर्वाधिक 85 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि हाँ, 10 प्रतिशत ने कहा कि नहीं है जबकि 05 प्रतिशत महिलाओं ने जवाब दिया कह नहीं सकते।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने कहा कि भरण–पोषण समुचित ढंग से नहीं होने पर महिलाओं को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।

निष्कर्ष :–

शोध कार्य के निष्कर्ष निम्नानुसार है –

1. हिन्दू महिलाओं के भरण–पोषण के लिए भारतीय विधियों में प्रभावी उपबन्ध मौजूद हैं।

2. ज्यादातर हिन्दू महिलाओं को भरण–पोषण के अधिकार की जानकारी ह` ।

3. महिलाओं में इस बात की जागरूकता है कि यदि उनका भरण–पोषण समुचित ढंग से नहीं किया जाता तो न्यायालय की शरण लेनी चाहिए।

सुझाव – शोधार्थी का सुझाव है कि –

1. हिन्दू महिलाओं को भरण–पोषण के अधिकार से संबंधित विधियों की एवं उपलब्ध उपचार की तथ्यात्मक जानकारी दी जाय। इसके लिए नुक्कड़ नाटक, चलचित्र एवं प्रदशर्नी आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

2. लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि जिन महिलाओं का भरण–पोषण समुचित ढंग से नहीं हो रहा है उन्हें भरण–पोषण की मांग के लिए न्यायालय की शरण में जाने के लिए प्रेरित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. आधुनिक हिन्दू विधि की रूपरेखा–डॉ0 पारस दीवान चौदहवां संस्करण 2013।
2. हिन्दू विधि–आर0 के0 अग्रवाल पंचम संस्करण 2014।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता–डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी चौबीसवां संस्करण 2014।
4. हिन्दू विधियां वेयर ऐक्ट भीमसेन खेत्रपाल एवं पूजा खेत्रपाल।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 3rd Apr 21 Paper Accepted : 20th Apr 21

''खरगोन जिले में परिवहन के साधन एवं उनका मानव जीवन पर प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन''

❑ डॉ. सुरेश अवासे*

शोध सारांश

परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आधुनिक परिवहन के साधनों ने आज विश्व को संकुचित (छोटा) कर दिया है। प्राचीन समय में जो दूरियां महीनों या कई दिनों में तय की जाती थी, आज इन साधनों की सहायता से वही दूरियां कुछ ही घंटों एवं मिनटों में तय कर ली जाती है। परिवहन के आधुनिक साधनों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिवहन के विकास ने देश के नागरिकों को विश्व के कोने-कोने से रोजगार उपलब्ध करवाया है एवं जीवन निर्वाह की सुविधा प्रदान की है। यद्यपि परिवहन के साधन स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते परंतु प्रारंभ से लेकर अंत तक उत्पादन के अभिन्न अंग है। क्योंकि उद्योगों एवं कृषि में प्रयोग होने वाली सामग्री कच्चा माल, श्रम मशीनों की सरलतम उपलब्धि एवं उत्पादित माल को विस्तृत बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ।

खरगोन जिले में परिवहन के साधनों के विकास ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में तो उत्तरोत्तर वृद्धि की है। परंतु इसके साथ-साथ मानव जीवन के लिए खतरे की संभावनाओं को भी जन्म दिया है। परिवहन के आधुनिक साधनों ने एक और विकास के द्वार खोले हैं तो दूसरी ओर इसने मानव संसाधन को भी हानि पहुंचाई है। दुर्घटनाएं, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण परिवहन के आधुनिक साधनों द्वारा प्रदान किए गए अभिशाप है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवहन के साधनों का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव कुछ हानिकारक है परंतु अधिकांश लाभदायक है। क्योंकि हम वाहन दुर्घटनाओं एवं पर्यावरण प्रदूषण पर उचित प्रयासों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। परिवहन के इन साधनों ने जहाँ मनुष्य को इतनी सहुलियत दी है वहीं इनकी वजह से बहुत-सी हानियाँ भी हैं। हर रोज

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.), मो. 9685 274 260

दुर्घटनाओं के किस्से सामने आते हैं। यातायात के साधनों ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। मनुष्य ने पैदल चलना छोड़ दिया है। यातायात साधनों के कारण पर्यायवरण में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है इसलिए हम सीमित मात्रा में ही साधनों का प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक हो सके थोड़ी दूरी की यात्रा पैदल ही करनी चाहिए और इन्हें सुरक्षापूर्वक चलाना चाहिए।

प्रस्तावना :–

वर्तमान समय में परिवहन के साधनों का विशेष महत्व है क्योंकि किसी देश के संसाधनों को उनके मूल क्षेत्रों से उत्पादक क्षेत्रों तक तथा उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त जनसंख्या को भी अपने आवागमन के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है यथार्थ मैं यदि कृषि एवं उद्योग धंधे किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर व हड्डियां मानी जाए तो परिवहन को आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली माना जा सकता है। परिवहन को अंग्रेजी में "Transport" कहते हैं। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। Trans एवं Porter जिसका अर्थ क्रमशः 'पार' एवं ले जाना होता है। इस प्रकार Transport का अर्थ होता है पार ले जाना हिंदी का परिवहन शब्द भी संस्कृत के 'वह' धातु से बना है जिसका अर्थ होता है – खींचकर अथवा सिर पर या कंधे पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना। उपरोक्त अर्थ यातायात की अविकसित अवस्था का घोतक है। अतः इसके वर्तमान तथा वैज्ञानिक अर्थ में समस्त शीघ्रगामी एवं सस्ते साधन एवं तरीके के आ जाते हैं जो मनुष्य एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में विस्तृत रूप में परिवहन से तात्पर्य उन सभी साधनों की सेवाओं से है जो वस्तु प्राणियों और समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में प्रयोग किए जाते हैं। मानव सभ्यता के विकास में परिवहन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है मनुष्य को सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक एवं धार्मिक पहलुओं पर परिवहन का प्रभाव पड़ा है। पर जाए परिवहन मानव साधन का एक माध्यम है जिसकी सहायता से व्यक्तियों, वस्तुओं और विभिन्न संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा भावात्मक एकता के लिए उन्नत एवं विकसित परिवहन के सभी साधनों का होना नितांत आवश्यक होता है।

अध्ययन क्षेत्र

खरगौन जिला मध्यप्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 21 अंश 22 मिनिट – 22 अंश 35 मिनिट (उत्तर) अक्षांश से 74 अंश 25 मिनिट – 76 अंश 14 मिनिट (पूर्व) देशांश के बीच यह जिला फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8030 वर्ग कि०मी० है। इस जिले के उत्तर में धार, इंदौर व देवास, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में खण्डवा, बुरहानपुर तथा पश्चिम में बड़वानी है। नर्मदा घाटी के लगभग मध्य भाग में स्थित इस जिले के उत्तर में विंध्याचल एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतश्रेणियां हैं। जिले का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 1872413 है। नर्मदा नदी जिले में लगभग 50 कि०मी० बहती है।

जिला – खरगोन

स्थिति विस्तार

N

उद्देश्य

1. मोटर रेल तथा ट्रक अधिक मात्रा में माल लाती है और ले जाती है इसीलिए इनके द्वारा माल लाना ले जाना मितव्ययी करना।
2. साधनों की गति अधिक होने के कारण माल तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचा दिया जाता है।
3. ये साधन एक ही बार में बहुत अधिक माल या यात्रियों को लाते हैं और ले जाते हैं।
4. इन साधनों की गति बहुत तेज होती है।

निर्मित परिकल्पनाएं

1. परिवहन के साधन का नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर पाया गया है।
2. परिवहन के साधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरी क्षेत्रों में यातायात बाधा उत्पन्न करता है। और दुर्घटनाएं भी अधिक होती है। आए दिन सड़क पर जाम लग जाता है।
3. परिवहन के साधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का नगरी क्षेत्रों से अधिक विकास हुआ है।

उपरोक्त सभी परिकल्पना सत्य पाई गई है।

अध्ययन की विधि

खरगोन जिला ग्रामीण प्रधान जिला है। तथा औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला होने के कारण परिवहन के साधनों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। अध्ययन कार्य प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों का संग्रह कर किया गया है एवं विधि अल्फा इंडेक्स, बीटा इंटेक्स, गामा इंटेक्स ,एवं आंकड़ों का संकलन परिवहन विभाग जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन समाचार पत्र स्वास्थ्य विभाग कृषि विभाग कृषि उपज मंडी एवं अन्य कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई।

परिवहन के साधनों का मानव जीवन पर प्रभाव–

परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास ने मानव जीवन के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है जिससे आधुनिक युग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है परिवहन के साधनों ने प्रत्येक क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसका ध्यान हम पूर्व में ही कर चुके हैं। किसी ने ठीक ही कहा है 'चक्र के आविष्कार ने मानव सभ्यता को गति प्रदान की है।' परिवहन के साधनों उद्योग धंधों के विकास में भी आधारभूत योगदान दिया है। जिससे प्रतिकूल दशाओं में भी उद्योग को आवश्यक सामग्री की पूर्ति इन्हीं साधनों से संभव हो सकी है। परिवहन के साधनों ने प्रत्येक क्षेत्र के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है साथ ही मानवीय विकास के हर पहलुओं को भी प्रभावित किया है जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं–

सामाजिक प्रभाव – परिवहन के साधनों के विकसित होने के कारण ही खरगोन जिले में यहां के श्रमिक निकटवर्ती शहरों जैसे खरगोन, सनावद बड़वाह, कसरावद आदि शहरों में कार्य हेतु रोजाना आगमन करते हैं, जिससे उनको रोजगार प्राप्त होता ही है साथ में ही ग्रामीणों का शहरों में आने जाने एम संपर्क में रहने से ज्ञान का विकास भी करते हैं। फलस्वरूप समाज में व्यापत बुराईयों, अंधविश्वास, रूढ़िया भी समाप्त होने लगी है। अनेक जाती एवं धर्म के लोग एक साथ यात्रा करते हैं परिणाम आपसी मेल बड़ा है एवं अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा ओं का भी अंत हुआ है। साथ ही किसानों को विभिन्न प्रदर्शनी यों के माध्यम से नए–नए यंत्रों तथा कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जिससे कृषि उत्पादन में तीव्रता आई है एम किसानों तथा मजदूरों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।

आर्थिक प्रभाव– खरगोन जिले में मुख्य रूप से कृषिगत हरित अर्थव्यवस्था है अतः यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषिगत कार्यों में क्रियाशील है। जिले में परिवहन के साधनों का अधिकांश प्रभाव यहां की कृषि पर ही पड़ा है। इस प्रकार यहां पर बड़ी मात्रा में फसल उत्पादन किया जाता है। अतः कृषि उत्पादन में परिवहन के साधनों का उपयोग फसल बोने से लेकर उसे बेचने मंडी तक ले जाने एवं मंडियों से अन्य क्षेत्रों में वितरण करने तक होता है। परिवहन कृषि उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक तत्व

के रूप में कार्य करता है जिसमें परिवहन होने से कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। परिवहन के साधनों के विकसित होने के कारण आज शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों जैसे सब्जी –भाजी ,दूध ,मांस आदि को सीमित समय में दूर–दूर स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है जिससे इनका वितरण समान रूप से किया जाना संभव होगा।

दुर्घटनाएँ– आधुनिक परिवहन के साधन अत्यधिक गति से चलने वाले होते हैं जिसके कारण उन पर आसानी से नियंत्रण करना कठिन होता है परिणाम स्वरूप आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है जिससे धन एवं जन दोनों ही हानि होती है। इनमें कभी–कभी तकनीकी कारणों से भी दुर्घटनाएं हो जाती है क्योंकि खरगोन जिले में सड़क यातायात ही मुख्य रूप से संचालित होता है जिसमें अधिक ट्रैफिक भीड़ आदि के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है जो निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाई जा रही हे–

तालिका क्रमांक 01

खरगोन जिले में वाहन दुर्घटनाएं

वर्ष एवं दुर्घटनाओं का विवरण-	बस	ट्रक	. कार/ टैक्सी	स्कूटर /मोटर साइकिल	अन्य	योग
2015						
संख्या	99	123	212	431	161	1025
मृत	20	36	43	76	68	240
घायल	194	137	362	493	162	1334
2016						
संख्या	96		232	489	210	1057
मृत	32	161	48	60	183	230
घायल	156	43	310	562	49	1370
		218				
2017						
संख्या	96	170	219	464	184	1128
मृत	21	52	43	63	64	239
घायल	196	216	294	552	177	1424
2018						
संख्या	91	184	256	457	241	1199
मृत	20	57	57	68	69	271
घायल	253	187	344	497	210	1404

स्त्रोत– जिला सांख्यिकी पुस्तिका, खरगोन ध्पुलिस कोतवाली खरगोन

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्रतिवर्ष वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। अतः कह सकते हैं कि जिले में जैसे–जैसे वाहनों की संख्या बड़ी है उसी प्रकार वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में वाहन दुर्घटनाएं 1199 हो गई जिसमें 271 लोगों की मृत्यु हो गई एम 1404 घायल हो गए।

जहां पर एक और परिवहन के साधनों ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास की लहर ला दी है वहीं दूसरी ओर या अभिशाप के रूप में सामने आया है। परिवहन के साधनों का सबसे बड़ा दोष दुर्घटनाएं हैं। वाहन दुर्घटनाएं कहीं कारणों से होती है– भीड़ का अधिक होना, यातायात नियमों का पालन न करना, तकनीकी खराबी आदि कारणों से दुर्घटनाएं होती रहती है। उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रतिवर्ष वाहन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग मृत्यु की गोद में समा जाते हैं एवं कई घायल हो जाते हैं। दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष जिले में अपार धन जन की हानि होती है जिसकी भरपाई करना असंभव है। अतः इन पर नियंत्रण करना परम आवश्यक हो गया है इसीलिए जिला प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव– आधुनिक परिवहन के साधनों का दूसरा मुख्य दोष या है कि इनके द्वारा वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है। यह पेट्रोल, डीजल एवं कोयला आदि पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन करते हैं जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जहरीली गैस से मुक्त होती है जिससे हमारा वायुमंडल लगातार दूषित होता जा रहा है। यह वाहन इंजन के माध्यम से चलते हैं जो अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अतःइनके द्वारा धोनी पर सूजन भी पर्याप्त रूप से होता है। वाहनों का सर्वाधिक प्रचलन शहरों में ही होता है एवं वहां पर वाहनों की संख्या का घनी होने के कारण शहरों में वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण अधिक मात्रा में पाया जाता है। मोटर वाहनों के चलने से सड़कों की धूल उड़ती है। सड़कों की हालत जितनी खराब होगी उतनी ही ज्यादा धूल उड़ेगी, जिससे वायुमंडल में धूल के कणों की अधिकता हो जाती है। खरगोन शहर में इतनी धूल उड़ती है कि इसे धूल का शहर कहा जाने लगा था। अतः खरगोन में खराब सड़कों व वाहनों की अधिकता से धूल, धुआं और ध्वनी तीनों की मात्रा में वृद्धि हुई फल स्वरूप लोग टी बी (क्षय रोग), स्वास संबंधी रोग एवं मानसिक रोगों से पंडित होने लगे हैं। शहरों में इन कारणों से घुटन महसूस होती है। अतः अधिकांश लोग शहरों से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं

जिससे उन्हें ताजी हवा एवं शुद्ध वातावरण मिल सके।

खरगोन में प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसीलिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा यहां की सड़कों को पुनः निर्माण किया जा रहा है साथ ही वायु प्रदूषण की भी जांच की जाने लगी फलतः अनुचित पदार्थों से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाने लगी जिससे इसमें कमी आई है। खरगोन में धूल की समस्या बढ़ने के साथ–साथ जिले में शवास संबंधी रोगो एवं टी. बी. (क्षय रोग) के रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परिवहन के साधनों का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वे कई प्रकार के बीमारी और रोगों का शिकार हो जाते हैं।

परिवहन की समस्याएँ एवं सुझाव– खरगोन जिले में परिवहन से संबंधित कई समस्याएं हैं आध ुनिक युग में सड़कों की चौड़ाई इतनी तो आवश्यक होनी चाहिए कि दो बड़े वाहन बिना अपनी गति घटाएं सरलता से एक दूसरे को पार कर ले परंतु खरगोन जिले में राजकीय राजमार्ग क्रमांक 26 एवं 31 का नवीनीकरण डबल गोले से सिंगल गोले में कर दिया गया है। जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। जिसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी है। वर्षा ऋतु में तो दुर्घटना ज्यादा होती है ।अतः इसके निराकरण स्वरूप सड़कों के किनारों पर गिट्टी डाल दी जाए या फिर उसका चौड़ीकरण कर दिया जाना चाहिये। खरगोन जिले के परिवहन के अंतर्गत प्रमुख समस्या यह है कि जब भी सड़कों का निर्माण होता है । तो सहयोग वंश उसके बाद ही विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग तथा नगरपालिका आदि के द्वारा तार, पाइपलाइन हो आदि के लिए सड़कों पर गड्ढे खोद दिये जाते हैं। जिससे नवनिर्मित सड़क उपयोग में आने से पूर्व ही बेकार हो जाती है। इस समस्या का उपाय यह है कि सड़क के निर्माण से पूर्व ही इससे संबंधित कार्यालय को सूचना देना चाहिए। ताकि वह अपना कार्य सड़क निर्माण से पूर्व ही कर ले जिससे नवनिर्मित सड़क की हालत खराब ना हो एवं उसका उचित प्रयोग किया जा सकें।

सड़कों की चौड़ाई कम एवं खराब किनारे होने के कारण वाहनों के क्रश होने पर दुर्घटना होने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है । औरट्रैकिंग तथा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में चालाक अत्यधिक तीव्र गति से चलाता है । कभी–कभी संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना हुई जाती है । औरलोडिंग भी यहां की प्रमुख समस्या है। नगरी क्षेत्रों में कहीं लोग अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अतः पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार के वाहनों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिये। तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा नगरी सड़कों पर उपयुक्त जगहों पर गति अवरोधक निर्मित किए जाने चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में सड़कों पर आवारा पशु यत्र–तत्र बैठे रहते हैं। जिस कारण भी परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती ऐसे मवेशियों को पकड़ लेना चाहिए। यातायात में विभिन्न प्रकार की बाधाओं को शक्ति से दूर करना होगा। अतः खरगोन जिले के नागरिकों को भी इसे सुधारने में अपना योगदान देना परम आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खरगोन जिले एवं संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था विकास दर को देखते हुए निकट भविष्य में परिवहन का मुख्य साधन सड़क मार्ग ही होंगे। अतः सड़कों का बहुमुखी विकास समय की आवश्यकता है।

निष्कर्ष – परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आधुनिक परिवहन के साधनों ने आज विश्व को संकुचित (छोटा) कर दिया है। प्राचीन समय में जो दूरियां महीनों या कहीं दिनों में तय की जाती थी, आज इन साधनों की सहायता से वही दूरियां कुछ ही घंटों एवं मिनटो में तय कर की जाती है। परिवहन के आधुनिक साधनों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

देश का औद्योगिक, कृषि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास परिवहन के साधनों के विकास पर निर्भर करता है। क्योंकि सुविकसित परिवहन व्यवस्था ने श्रम को अपूर्व गतिशीलता प्रदान की है जिसके फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य एवं साधनों में श्रम का समान विक्रम संभव हो पाया है। परिवहन के विकास में देश के नागरिकों को विश्व के कोने–कोने से रोजगार उपलब्ध किया है एवं जीवन निर्वाह की सुविधा प्रदान की है। यद्यपि परिवहन के साधन स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते परंतु प्रारंभ से लेकर अंत तक उत्पादन के अभिन्न अंग है। क्योंकि उद्योगों एवं कृषि में प्रयोग होने वाली सामग्री कच्चा माल, श्रम मशीनों की सरलतम उपलब्धि एवं उत्पादित माल को विस्तृत बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास होना अति आवश्यक है।

खरगोन जिले में परिवहन के साधनों के विकास ने सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में तो उत्तरोत्तर वृद्धि की है। परंतु इसके साथ साथ मानव जीवन के लिए खतरे की संभावनाओं को भी जन्म दिया है। परिवहन के आधुनिक साधनों ने एक और विकास के द्वार खोले हैं तो दूसरी ओर इसने मानव संसाधन को भी हानि पहुंचाई है। दुर्घटनाएं, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण परिवहन के आधुनिक साधनों द्वारा प्रदान किए गए अभिशाप है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवहन के साधनों का मानव जीवन पर पढ़ने वाला प्रभाव कुछ हानीदायक परंतु अधिकांश लाभदायक है। क्योंकि हम वाहन दुर्घटनाओं एवं पर्यावरण प्रदूषण पर उचित प्रयासों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं।

खरगोन जिले की परिवहन व्यवस्था का गहन अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि खरगोन जिले में सड़क परिवहन के सर्वागीण के माध्यम से ही जिले में सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक विकास पर्याप्त रूप से होगा और यही निरंतर विकास के लिए समय की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

- डॉ. प्रमिला कुमार – मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन।
- डॉ मोहन लाल मिश्रा– परिवहन और आर्थिक विकास।
- डॉ सी.बी. मांमोरिया– भारत का भूगोल।
- जिला सांख्यिकी पुस्तिका–2018 खरगोन।
- इंटरनेट एवं जिले की वेबसाइट और जिले के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 5th Apr 21
Paper Accepted : 25th Apr 21

वेदों में सदाचार

❑ डॉ. संजय चतुर्वेदी*

शोध सारांश

विश्व का सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है। भारतीय संस्कृति में वैदिक ग्रन्थों का अतिशय समादर है। वेदों में ही सम्पूर्ण ज्ञान राशि के मूलभूत श्रोत प्राप्त होते हैं। मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवहार सम्पूर्ण सिद्धान्त एवं कर्त्तव्य कर्मों का भी मूलभूत स्रोत वेद ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य के मन-मस्तिष्क में छाये हुए अज्ञानान्धकार को दूर कर देता है। सृष्टि के प्रारम्भ में जीवन यात्री मानव के कल्याण एवं मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने जिस ज्ञान के प्रकाश को दिया उसी का नाम वेद है।

निरुक्त की दृष्टि से ज्ञानार्थक ''विद'' धातु ''घञ्'' अथवा ''अच्'' प्रत्यय का प्रयोग होने पर वेद शब्द बनता है। वेद मानव की दानवी प्रवृत्ति का त्याग कराकर प्राणि मात्र के प्रति समभाव तथा सदाचार की परम उदात्त भावना का उपदेश देते हैं। वेद मनुष्य को प्रातः जागरण के साथ दिवस भर की सम्पूर्ण चर्चा कब, कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना इत्यादि रात्रि पर्यन्त शुभाशुभ क्रियाकलापों को बिना किसी भेदभाव के मानव ही नहीं अपितु प्राणि मात्र की बिना हिंसा किये हुए विश्वबन्धुत्व तथा सदाचार के दिव्य भावों का उपदेश करते हैं। मनुष्य का मन सदाचारी हो। इसके लिए वेद मन को सर्वकल्याणकारी शिव संकल्पमय बनाने की आज्ञा देते हैं। यजुर्वेद में 'तन्मे मन शिवसंकल्प मस्तु' मंत्र आया है जो मन में कल्याणकारी भावों को लाने का निर्देश देता है। यह मंत्र बताता है कि मन में कल्याणकारी शिव संकल्प उठेंगे तो वे सदाचार के रूप में फलीभूत होंगे। मन ही पवित्र नहीं रहेगा तो सदाचारी आचरणों का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा। कहा भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिया पानी वैसी रही बानी, जैसी रहे शुद्धी वैसी बनै बुद्धि।

क्योंकि 'यन्मनसा मनुते तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति'—का सिद्धान्त उपरोक्तानुसार ही है। अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों से मन को कर्म करने लग जाता है। यजुर्वेद का ही मंत्र—'विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव- जो हमें शिक्षा देता है कि हे प्रभु! हमारी दुर्बुद्धि दूर हो हमारे दुराचार दुर्विचार नष्ट हों और जो भद्र हैं, कल्याणकारी हैं वे ही हमें प्राप्त हों। क्योंकि दुरित दुराचा या कुत्सित आचरण हमारे सदाचरणों का विनाश करते हैं, यही हमारे विनाश का कारण है। जबकि—

'स नः पूषाऽविना भुवन्'—अर्थात् सदाचार हमें पोषण देता है। सत्कर्म करवाता है तथा प्रतिष्ठा दिलवाने के साथ ही हमारी रक्षा भी करता है।

मनुष्य द्विपक्षीय प्राणी है। वेद जहाँ मनुष्य स्वभाव से ही कुछ सदाचारी आस्तिक है तथा कुछ दुराचारी नास्तिक भी है। सदाचार के माध्यम से प्राणी मात्र में समभाव को रखते हुए विश्व-बन्धुत्व के साथ मनुष्य जीवन को जीने का आदेश देते हैं। वहीं दुराचारी हिंसक तथा नास्तिक स्वभाव के मनुष्यों को दुराचरण ही स्वाभाविक गुण होता है। ऐसे व्यक्तियों की सहायता ईश्वर भी नहीं करता। इनका पतन होने के साथ ये सदा दुःख तथा अपकीर्ति को प्राप्त करते हैं।

* प्राचार्य, शास. रणजीत संस्कृत उ.मा.वि., इन्दवार, जिला-उमरिया (म.प्र.)

सदाचारी मनुष्य सदाचार के पथ में चलते हुए समाज में यश, कीर्ति तथा सम्मान को प्राप्त करते हुए जीवन को जीता है। सदाचार कल्याण का पथ है। यह पथ पूर्वजन्म के कर्मों पर ही निर्भर है। इस पथ में अहिंसक तथा ज्ञानी पुरुष ही जाते हैं। अतः हमें भी सदाचार की शिक्षा के लिए इन्हीं महापुरुषों के सत्संग में ही रहना चाहिए। वेद का यह वाक्य 'अग्ने नय सुपथा'—हे प्रभो! हमें सुपथ में ही ले चलें यही शिक्षा देता है।

अनन्त योनियों में भटकने के बाद आत्मा के संचित पुन्यों एवं परम पिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से आत्मा को मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है।

पुनरासद्य सदनमपश्च पृथिवी मग्ने।
शेषे मातुर्यथोपस्ये इतरस्या शिवतमः॥

(यजुर्वेद 12-39)

यजुर्वेद का यह मंत्र स्पष्ट संकेत करता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही शुभ अथवा अशुभ विचारों वाला होता है। अतः मनुष्य को सदाचार करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इस संसार में प्राणी मात्र की यह स्वाभाविक अभिलाषा रहती है कि मैं जीवन पर्यन्त सुखी रहूँ और मुझे संसार में धन-धान्य तथा एश्वर्य पद प्राप्त हों तथा शरीर त्याग के अनन्तर मुझे परलोक में सहृदय हृदय के द्वारा परिज्ञात अनिर्वचनीय परम पुरुषार्थस्वरूप स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हों। किंतु सदाचार आदि पुण्य पुञ्ज के प्रभाव के बिना कोई भी मनुष्य परमात्मा की ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख-विशेष की प्राप्ति कथमपि नहीं प्राप्त कर सकता। सदाचार ही पुन्य अथवा धर्म का दूसरा नाम है। अतः ईश्वर की कृपा अनुग्रह करने के लिए मनुष्य जीवन में सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहना परमावश्यक है। सदाचारी व्यक्ति ही सत्य पथ का अनुगामी होता है। तथा सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है।

मनुष्य जीवन से ही सदाचार के माध्यम से उर्ध्वगति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत कार्य करने पर मनुष्य का पतन होना निश्चित है।

जब से हमारे भारत में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना शुरू कर दिया तभी से हमारे संस्कारों में शिथिलता आने लगी। परिणामस्वरूप सुख के बदले दुःख तथा मर्यादा के बदले अपकीर्ति पारम्परिक प्रेम के बदले ईर्ष्या तथा संस्कार के बदले नग्न नृत्य दिखाई दे रहे हैं। जब बच्चों को जन्म के समय ही सदाचार आदि गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तब उनसे संस्कृति एवं सम्मान की आशा कैसे की जा सकती है?

सदाचार तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सद्वृत्ति प्रायः सभी मनुष्यों के अन्दर होती है। वेद उसी सद्वृत्ति को जगाते हैं। यदि बालक को बचपन से ही सदाचार युक्त निष्कपट व्यवहार की शिक्षा देंगे तो निश्चित ही सदाचारी बालक की आयु शतवर्षी होगी। सदाचारी बालक दुराचार से मुक्त, पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला निरोगी तथा एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाला होगा। वैदिक संस्कृति सदाचार को जितना महत्व प्रदान करती है उतना अन्य उपादानों को नहीं।

असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्यो मा अमृतं गमय
सहनाववतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यपङ्करवाव है
तेजस्विनाव धीवमस्तु माविद्विशा वहै
'प्रदीपयेम जगत्'
भद्रंकर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमः अक्षभिः,

इत्यादि मंत्र वेद के उन पावन दिव्य संदेश को प्रकाशित करते हैं। जिनमें यह कहा गया है कि हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। यह शरीर नश्वर है। हम अपने ज्ञान एवं सदाचार से विश्व मंगल की कामना से मृत्यु पर विजय पाकर अमृत्व को प्राप्त कर लें। साथ रहने, साथ खाने, तथा हम सभी एक साथ तेजस्वी हों। ज्ञान का प्रकाश केवल हमें ही प्राप्त न हो। अपितु प्रदीपयेम् जगत्। वह ज्ञान का दिव्य प्रकाश ऐसा हो जो हमारे समाज, राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व के अज्ञान को नष्ट कर सबको ज्ञान से प्रकाशित करें। मेरी ही कानों से नहीं अपितु सबके कानों से कल्याणकारी बचन श्रवण किये जाय। सबकी आँखें भद्र अर्थात् कल्याणकारी कार्य ही देखें।

''संगच्छध्वं संवद्धध्वम् संवो मनांसि जायताम्'' इत्यादि सदाचार के सर्वकल्याणकारी मंगल उपदेश हमें विश्वकल्याण के लिए वेदों से ही प्राप्त हुए हैं।

वेद में वर्णित सदाचार का ज्ञान सर्वत्र प्राणिमात्र में समभाव सबकी उन्नति सबकी रक्षा तथा सबकी आरोग्यता का उपदेश देते हैं। सदाचार ही एक ऐसा धागा है जो समाज या राष्ट्र ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के मोती रूपी राष्ट्रों को एक माला के रूप में बांध सकता है।

आज केवल मैं और मेरा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज केवल किसी भी तरह से अर्थ के संग्रह की शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज विश्व में सर्वत्र शक्तियों का संचयन भी प्रायः अपने से कमजोर राश्ट्रों को सताने के लिए किया जा रहा है। सर्वत्र भय, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा घोर आतंकवाद दिखाई पड़ रहा है। जबकि वेद विश्व मात्र के प्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन का संदेश देते हैं। जो कि केवल सदाचार से ही सम्भव है। हमारा भारत अपने सदाचार एवं वैदिक ज्ञान के कारण ही कभी विश्वगुरु कहलाता था। हमारे भारत में सदाचार एवं संस्कारों को ही जीवन का परम धन माना गया है। हम अपने सदाचार एवं आदर्श के बल पर ही विश्व पूज्य रहे हैं। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में धन-दौलत को आधार माना गया है। जो कि बालू की दीवार की तरह अस्थिर है।

ईसा से आठ सौ वर्ष पूर्व भगवान यास्क ने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' में आचार्य का निर्वचन करते हुए कि आचार्यः कस्माद? आचिनोत्यर्थन्, आचिनोति बुद्धियति वा।' (1/4) अर्थात् आचार्य किसे कहते हैं? जो शिष्य को सदाचरण सिखलाता है। अथवा शिष्य को सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थों को समझा देता है अथवा 'गृह्यसूत्रों का तात्पर्य संस्कार के संनिदेय से है। सदाचार एवं संस्कारों के कारण ही बड़े-से-बड़े सम्राट, तपस्वियों के चरण छूकर उनके चरण रज से स्वयं को धन्य मानते थे।

लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस आर्यावर्त में वेद के सदाचार का उपदेश दिया जाता था वहीं पर कुछ अशिक्षित वर्ग इस परम पवित्र कर्म को जाति या संप्रदाय विशेष का बताकर उस पर अश्रद्धा का भाव रखते हैं। जब तक इस भारतभूमि में सदाचार का पालन होता था तब तक इस वसुन्धरा की मर्यादा सुख तथा समृद्धि सराहनीय थी। प्राणि-प्राणि में सद्भावना थी। सर्वत्र कल्याण-ही-कल्याण दिखाई देता था। हमारा राष्ट्र भारत सदाचारी देश होने के कारण ही विश्व गुरु कहलाता था।

आज प्रायः लोगों में एक नई संस्कृति का विकास हुआ है। जिसमें देर रात तक जागना तथा सूर्योदय के बाद कई घंटों तक शयन करना है। जो कि प्रायः अशान्ति एवं सभी बीमारियों का जड़ है। जबकि ब्रह्ममुहूर्त में जागरण भ्रमण तथा ईश्वर के आराधन से परमात्मा की समीप्यता प्राप्त होती है तथा सदआचरण सद्कार्य करने के लिए मानसिक बल प्राप्त होता है।

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि लोगों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान, सद्विवेक तथा सदाचरण करने की प्रेरणा मिले। लोग सदाचारी हों। लोगों की वेद भगवान में श्रद्धा बढ़े। लोग वेदों का अध्ययन करें। तथा दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रकाश को स्वयं में जागृति करते हुए विश्व की अज्ञानता को नष्ट करें तथा प्राणि मात्र में समभाव को रखते हुए विश्व कल्याण की मंगल कामना के साथ हमारा राष्ट्र भारत एक बार अपने उसी सदाचार के बल पर फिर से विश्व गुरु बनें।

'जयतु वेद पुरुषः
सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु
मा काश्चिद् दुख भाग
भवेत्' इति।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. शुक्लयजुर्वेद।
2. निरुक्तम्।
3. यज्ञमीमांसा।
4. वैदिक साहित्य का इतिहास।
5. शतपथ ब्राह्मण।
6. ऋग्वेद।
7. कठोपनिषद्।
8. श्रीमद्भगवत्गीता।
9. साधक संजीवनी।
10. ईशावास्योपनिषद्।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th Apr 21 Paper Accepted : 30th Apr 21

वेदों में यज्ञ

❑ संजय कुमार चतुर्वेदी*

शोध सारांश

यज्ञ वैदिक संस्कृति प्रधान अंक है। वेदों के एक लाख मन्त्रों में यदि देखा जाए तो कर्मकाण्ड के 80,000 मन्त्र, उपासनाकाण्ड के 16000 मन्त्र तथा ज्ञानकाण्ड के 4000 मन्त्र हैं। अतः वेदों में कर्मकाण्ड के मन्त्रों की संख्या को देखकर यह स्पष्ट है कि कर्मकाण्ड ही वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अगर कर्मकाण्ड के मन्त्रों को वेदों से निकाल दिया जाए तो प्रायः वेद ही नहीं रहेंगे, अतः यह स्वयमेव स्पष्ट है कि कर्मकाण्ड से ही वेद है और वेद से ही कर्मकाण्ड है। कर्मकाण्ड का मुख्य विषय यज्ञ है। वेदों में यज्ञ-याज्ञादि के विविध प्रकारों का वर्णन प्राप्त होता है। वेदों का मुख्य विषय यज्ञ होने के कारण ही यज्ञों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वेद के बिना यज्ञ नहीं हो सकते और यज्ञों के बिना वैदिक मन्त्रों का भी सही सदुपयोग नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि वेद से यज्ञ है तथा यज्ञ से वेद है। ''यज्ञो धारयति वेदः''।

यज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ—''यज्'' धातु से ''यज्''-यात-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो-नङ् (3/3/70) इस पाणिनि सूत्र से नङ् प्रत्यय करने पर ''यज्ञ'' शब्द बनता है।

''नङ्न्तः'' इस पाणिनीय लिङ्गानुशासन से यज्ञ शब्द पुल्लिङ्ग भी होता है। 'नङ्' प्रत्यय भाव अर्थ में होता है—किन्तु, ''कृत्यल्युटो बहुलम्'' (3/3/113) इस सूत्र पर ''बहुल-ग्रहणं-कृन्मात्रस्योर्ध-व्यभिचारार्थम्'' इस सिद्धान्त से कृदन्त के सभी प्रत्ययों का अर्थ आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यही भाष्यकारादि सम्मत मार्ग है।

यथाशक्ति देशकाल पात्रादि विचार पुरस्सर दृव्योत्सर्ग श्रद्धापूर्वक देवताओं के उद्देश्य से दृव्य का त्याग कर्म से याचकों को सन्तुष्ट करना, परोपकार की भावना से जिसमें प्राणिमात्र के कल्याण का भाव निहित हो ऐसे कर्म से अपना सबकुछ भगवान के श्रीचरणों में अर्पण करना चारों वेदों का पाठ उत्तम शिष्यों तथा कर्मनिष्ठ आचार्यों के द्वारा ''सर्वेभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्चित् दुःख भाग्भवेत्'' प्रदीपोऽयं जगत् सर्वम्' ''भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः'' इत्यादि की भावना से जो कार्य किया जाए उसे ही यज्ञ समझना चाहिए। वैसे तो मनुष्य का पूरा जन्म तथा प्राणिमात्र के कल्याण की कामना से किया जाने वाला प्रत्येक कर्म ''यज्ञ'' है।

सत्पथ ब्राह्मण में (9/2/4/5) यज्ञ के महत्व को बताते हुए इसे विश्व की नाभि कहा गया है—(अध्वरो वै यज्ञः)

भागवान श्री कृष्ण भगवती गीता के माध्यम से मनुष्य को कर्म यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है तथा वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है—

* सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

अन्नाद् भवन्ति भूतानि,
पर्जन्यादन्न संभवः।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो
यज्ञः कर्म समुद्भवः।।

(भगवद्गीता)

यज्ञ की पवित्र अग्नि में विधि-विधानपूर्वक घी तथा वनस्पतियों की दी हुई आहूति वायु के द्वारा भुवन भास्कर भगवान् सूर्य एवं समस्त सौर मण्डल को प्राप्त होती है, इसके पश्चात् वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है तथा अन्न से प्रजा की उत्पत्ति एवं प्रजा का पालन होता है।

मनुस्मृति में भी इसी बात को कहते हैं—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादिव्य मुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिः, वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः।।

महाभारत के शान्ति पर्व में भी इसी विषय का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि—

अग्नौ प्रास्ताहुति र्ब्रह्मन्, आदित्यामुपगच्छति।
आदित्याज्जायते वृष्टिः, वृष्टेरन्न ततः प्रजाः।।

यज्ञ से देवताओं अर्थात् प्रकृति का पोषण होता है। यज्ञ द्वारा वर्षा होने से प्राणी मात्र का पालन-पोषण होता है। इसीलिए शास्त्रों ने सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञों का होना परमावश्यक कहा है। कालिका पुराण के अनुसार संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यज्ञों से देवता सन्तुष्ट होते हैं। यज्ञ ही समस्त चराचर जगत् का प्रतिष्ठपक है।

यज्ञ पृथ्वी को धारण किये हुए है, यज्ञ से आध्यात्मिक शक्ति स्वयमेव जाग्रत होती है। यज्ञ ही प्रजा को पापों से बचाता है। यज्ञ कर्म करने से परोपकार की भावना बनती है। यज्ञ किसी जाति या धर्म विशेष के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक कर्म है।

हमारे ऋषि-मुनि यज्ञों को ही अपना धर्म मानते थे। हमारे ऋषि-महर्षि तथा वेद के जानने वाले ब्राह्मणों का कर्म ही यज्ञ करना एवं यज्ञ कराना होता था। ये लोग प्रायः जंगल के बीच प्रकृति की सामीप्यता में मन को एकाग्र करके यज्ञ-याज्ञादि की उपासना करके देवताओं को प्रसन्न करते थे तथा उनसे नाना प्रकार की रिद्धि-सिद्धि प्राप्त करके इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया करते थे।

याज्ञिक कर्म के अन्तर्गत मनुष्य के मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पवित्र रखते हुए प्रकृति एवं पर्यावरण की सामीप्यता में रहना एवं प्रकृति की रक्षा करना ही हमारे ऋषियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

आज आए दिन एक नई बीमारी का पता चलता है। कहीं अधिक ठंड तो कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ती है। वायु मंडल दूषित होने के कारण वर्षा चक्र असंतुलित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप अनावृष्टि की सम्भावना अक्सर बनी रहती है, वायु मंडल में दूषित गैसों के जमाव के कारण ओजोन पर्त में छेद बढ़ता जा रहा है जिस कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। आए दिन वैज्ञानिकों की चेतावनी टी.व्ही. के माध्यम से देखने को मिलती है कि लाखों वर्षों से जमे हुए ग्लेशियर तापमान की अधिकता से पिघल रहे हैं।

अगर यही क्रम चलता रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित् ही कहा जा सकता है।

हमारे मनीषि प्रकृति के दूषित होने का दुष्परिणाम अच्छी तरह जानते थे इसलिए तो उन्होंने प्रकृति वृक्षों में भी देवताओं को देखा तथा यज्ञ द्वारा इनके रक्षण का संदेश दिया।

यज्ञ का धुआँ विविध प्रकार की औषधि युक्त होता है जो वायु मंडल में जाकर वायु मंडल की दूषित गैस को नष्ट करता है तथा वायु मंडल में बादल बनाकर सर्वत्र वृष्टि करता है जिसमें अन्न तथा औषधियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे मनुष्य का पालन होता है। यही यज्ञ-विज्ञान है। जिसका निर्माण सृष्टि के कल्याण के लिए हमारे मनीषियों ने किया था।

लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जहाँ पर इस यज्ञ-विज्ञान का आविष्कार हुआ वहीं पर कुछ अशिक्षित वर्ग इस पवित्र कर्म को गति या सम्प्रदाय विशेष का बताकर इस पर अश्रद्धा का भाव रखते हैं। जब तक इस भारत भूमि में यज्ञों का उचित सम्मान था तब तक इस वसुन्धरा की मर्यादा सुख तथा समृद्धि सराहनीय थी, प्राणी-प्राणी में सद्भावना थी। सर्वत्र कल्याण-ही-कल्याण दिखाई देता था तथा हमारा भारत वर्ष याज्ञिक देश होने के कारण ही विश्व गुरु कहलाता था।

जब से घूस नवयुग ने पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना शुरू कर दिया तभी से यागादि कर्मों में शिथिलता आने लगी जिसके परिणामस्वरूप सुख के बदले दुःख,

मर्यादा के बदले अपकीर्ति, पारस्परिक प्रेम के बदले ईर्ष्या तथा द्वेष, द्रव्य के बदले दरिद्रता, संस्कार के नाम पर नग्न नृत्य दिखाई दे रहे हैं। सुख तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। सब बच्चों की हीनता से परेशान हैं जब बच्चों को संस्कार दिया ही नहीं जाता तो उनसे संस्कृति की रक्षा करना एवं सम्मान की आशा कैसे की जा सकती है।

अतः स्वयमेव स्पष्ट है कि समस्त दुःख समूह को नष्ट करने वाला साधन केवल यज्ञ ही है जिसके कारण मानव सर्वतोभावेन सुखी और सन्तुष्ट रह सकता है।

वर्तमान कलिकाल कराल के प्रभाव से यज्ञ अल्प ही दिखाई देते हैं। वेद के एक अक्षर को सही ढंग से उच्चारित न कर सकने वाले संस्कारहीन व्यक्ति भी अपने-आप को याज्ञिक तथा महावैदिक कहते हैं जो कि यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति भी नहीं बता सकते। शायद ऐसे लोगों के कारण ही प्रजा का यज्ञ के प्रति श्रद्धाभाव नहीं रहा।

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि लोगों को सद्बुद्धि मिले, लोग यज्ञ-विज्ञान को जानें तथा अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुसार हर घर में कम-से-कम पंच यज्ञ अवश्य करें तथा देवगण प्रसन्न होकर सबको अभीष्ट फल प्रदान करें तथ विश्व की कल्याण की भावना के साथ भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने।

''सर्वं यज्ञ मयं जगत्'' इति।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. शुक्लयजुर्वेद संहिता।
2. यज्ञ मीमांसा।
3. यज्ञ मन्त्र संग्रह।
4. लघु सिद्धान्त कौमुदी।
5. श्रीमद्भगवतगीता।
6. यज्ञ रहस्य।
7. ऋग्वेद।
8. शतपथ ब्राह्मण।
9. निरुक्तम्।
10. यजुर्वेद भाष्य।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th Apr 21 Paper Accepted : 30th Apr 21

Analyzing the Implications of COVID-19 Pandemic over Plastic Money Transactions in India

❐ Dr. Vinod Kumar Yadav*

ABSTRACT

Demonetization and COVID-19 pandemic have strong influence on the digital payment mode in India. These events are predominantly associated with the promotion and popularity of cashless transactions in every nook and corner of the country. The former was an anthropogenic incident whereas the latter was a natural incident that took the whole economy and society into its grip, which adversely affected the whole Indian economy. These incidents paved the way for materialization of cashless Indian economy. Consistent development in advance technology has made society cashless. The Government of India has been very concerned to the development of non cash payment system in India. The adoption and expansion of digital payments have become a moral obligation for the twenty first century generation. The current paper is an attempt to study the impact of COVID-19 pandemic over plastic money transactions in India.

Keywords: Demonetization, COVID-19, Cashless, Digital Payment, & Plastic Money.

Introduction

COVID-19 aftershocks on global economy have deep rooted impact on the payment industry across multiple dimensions. Alternative payments could boost the non-cash payments' growth trajectory in Indian market. The ongoing pandemic has enhanced the global digital consumption. Global non cash transaction has recorded a growth of 14%. Among the top 15 non-cash transaction markets in the world, the United States topped the list followed by China, India, & Russia (World Payments Report, 2020). Transformation and convergence are two prominent forces shaping the payment industry across the globe. The global payments landscape is on the verge of fundamental transformation. The world of payments of the twenty first century will be altogether different. Alternative payments such as e-wallets, mobile and digital currencies, are playing an increasingly prominent role in the payments space. The National Payment Corporation of India (NPCI) has been actively engaged in expanding the range of services to its diverse customers (Global Payments Report, 2020).

The COVID-19 pandemic has a significant and overarching impact on global payments across sectors. Ongoing shift toward e-commerce, digital

* Assistant Professor, Department of Commerce, Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Doimukh, Arunachal Pradesh, Contact No.9089749076, e-Mail: avvhydav2020@gmail.com

payments, instant payments, and cash displacement has got momentum during the pandemic period (McKinsey Global Payments Report, 2020). The digitalization of payment world presents ample opportunity in Indian context. The Indian payment landscape has reflected changes occurring in the payment sector across the world. Indian payment industry has moved on the road of getting digital behemoth in the payment world. Now digital payment in India has been no more an urban and affluent phenomenon. Digitization of cash will accelerate in days to come, and consequently, proportion of non cash payments will overtake cash payments. However, alternative digital payment instruments will drive the growth of non cash payment (Digital Payments Report, 2020).

Digital payment has reached the stage of replacing the cash based conventional payment system. The ongoing pandemic has posed multiple challenges against the current commerce world. In India, online penetration is expected to be double by 2024. As per the Goldman Sachs estimates, compound annual growth rate of online grocery is 81% as pandemic has accelerated the pace. On one hand where brick and mortar physical retail trade is very popular today, and on the other hand, online retail trade has been consistently growing with the introduction of advance infrastructure and technology. More than eighty percent portion of overall e-commerce spending will be digital by 2024. The pandemic has brought unprecedented decline in cash transaction around the world (The Global Payments Report, 2020). Consumers of the modern market have been well informed and educated to analyze the pros and cons of diverse digital payment products available in the current payment world, manifesting a well-developed consumer environment as well. The level of digital payment adoption in India has been intensive and extensive (Report on Digital Payments in India, 2021).

Indian consumers are gradually shifting from paying inline to online over a period of time. Retail payment products like debit cards, credit cards, immediate payment services [IMPS], and Unified Payment Interface [UPI] have recorded combined volume of over 20 trillion and combined value of over INR 54 trillion in 2019. Credit card issuance witnessed growth of over 10 million cards in 2019. Total number of cards in circulation stood at over 800 million in December 2019 (India Digital Payments Report, 2019). India's push toward cashless payments accelerated in 2019, as card and mobile payments as a percentage of GDP rose to 20% in the quarter ended Dec. 31, 2019, from 13% in the same quarter of 2018 (India Mobile Payments Market Report, 2020).

There has been a big confusion to identify the demonetization and COVID-19 pandemic as burden or blessing as at the outset both the incidents proved catastrophic to our Indian economy and society as well. But when it is seen from the perspective of growth and development of non cash or cashless or digital payments in India then they seem to be the positive incidents as they proved bedrock in the development of cashless society leading to the formation of cashless economy in India. Both the incidents, especially COVID-19 pandemic brought the Indian economy and society to a complete standstill. Indian economy needs to take an urgent call to address the issues and challenges posed by demonetization and COVID-19 to streamline the economic activities for the inclusive and sustainable growth and development of the country. Neither demonetization nor COVID-19 pandemic was cashless or non cash oriented at the outset. However, circumstances created by these incidents made them deeply linked and suitable to digital or cashless payment promotion in India. Therefore, the so called association between plastic money driven transactions and pandemic needs to be empirically analyzed and verified, otherwise it would be merely an intuition not a valid proposition.

Review of Literature

- KMPG India (2020) has observed that COVID-19 has a profound and significant impact on digital modes of payment in India. Indians have proclivity and propensity to deal in cash. However, COVID-19 has marked an evident impact in marginalizing cash transactions. COVID-19 has been proved a silver lining in many ways in India. Apprehension towards digital payments, lack of awareness, poor infrastructure, technicality, cost involved, etc. have been major reasons behind non-adoption of digital payment by common masses in India.

- PwC India (2020) has stated that there has been a continued push to adopt digital payments from governments, regulators, and bank alike. Moreover, rapid evolution of digital payment ecosystem has been considered essential to aid the recovery and lead the emergence into the new normal.
- Lee (2020) has observed that there has already been significant downfall in cash usage. Moreover, it has been noted that the future of contactless payment is very promising as COVID-19 is expected to cause a drastic decline in cash transaction habit of common people.
- Research & Markets (2020) has outlined that the corona virus outbreak has not only transformed the pattern of shopping but the payment pattern also. Moreover, COVID-19 pandemic has brought unprecedented growth in contactless payments.
- JCM Global (2020) has analyzed that the major concern over cashless transactions, especially contactless transactions, is all about their security feature. Moreover, the most concerning aspect of cashless world is its unfair impact on the people without bank account or without access to technology or infrastructure needed for cashless transaction.
- Luthi (2020) has noted that cashless payments have recorded an unprecedented growth during the COVID-19 pandemic period. Cashless payment methods are often beyond the outreach of unbanked people. Therefore, cash remains the only payment option for many people.
- Runkel (2020) has concluded that the transition from cash transaction to cashless transaction has been very difficult across the globe due to low general acceptance of cash payment methods, limited access to advance technologies, and heavy reliance on conventional markets. However, these are not the latest reasons for the lower acceptance of cashless payments in the society.
- Mittal et al. (2020) have claimed that the wider adoption of digital payment system would be in position to play a vital role in minimising the economic fallout of COVID-19 pandemic. There have been many issues that need to be addressed at the earliest so as to exploit the potential of digital payments in India.
- Sharma (2020) has observed that the current pandemic situation has accelerated the adoption of smart digital payment alternatives across the globe. However, cashless society models have already been contemplated in many parts of the world. Thus, COVID pandemic will force the countries to switch to more secured and innovative digital payment alternatives from the prevailing hard currency transaction.
- Chandwani (2020) has stated that COVID-19 has resulted in a drastic downfall in the popularity of cash as a medium of exchange. Thus, it has forced individuals to switch to digital payments to fulfil their day to day needs. However, a robust digital payment system has not been developed in the country. There are many more issues in the digital payment system that needs to be resolved.
- Desai (2020) has analyzed that Demonetization-2016 and COVID-19 have crucial role in bringing India on the verge of a cashless economy where the former laid down the foundation of digital payments, and the latter built up the digital payments ecosystem.
- Chandak (2020) has observed that the non-cash payments have been growing in India at the fastest pace ever. The ever growing smart phone penetration and sharp surge in e-commerce have led to rise in the popularity of digital payments.
- Chakrabarty (2020) has said that the dearth of currency notes led by demonetization in 2016 forced people to adopt cashless transaction mode. The advancement in digital payment technology and its gradual adoption in post demonetization period enabled society to cope up with COVID-19 pandemic life style.
- Youssef (2020) has claimed that demonetisation-2016 laid down foundation for the wide spread adoption of digital payments and digital wallets. Thus, today's India is no more unfamiliar with cashless payments. Younger generation is more confident with digital payments or cashless transaction than elderly generation due to technological exposure and awareness.
- Ramachandran (2020) has asserted that the COVID-19 pandemic has recorded manifold growth in digital transactions. Three overarching

requirements of cashless India are higher internet penetration, laying of fibre optic cable network throughout the country, and leveraging the power of satellite to connect the remote and difficult locations. Internet is not the only barrier to adoption of digital payments but awareness to digital payments and security of data also.

- Singh (2020) has said that the RBI has witnessed the unprecedented growth in the popularity of cashless transactions after the outbreak of corona virus, despite decline in transactions led by slowdown in economy. However, cash economy is deeply embedded into the payment system of our country.
- Balz (2020) has said that COVID-19 has resulted in a dramatic economic downturn with widespread insolvencies and unemployment. The pandemic has facilitated and driven change. It has turned out to be a catalyst for digital transformation. The quantum leap in digitalization has led to boom in cashless payments.
- Cox (2020) has observed that the pandemic has enhanced our reliance on cashless payments. Contactless and mobile payments have made spending money more convenient than ever for consumers. Digital payment is not just an option, but the need of hour.
- Beniwal & Ghosh (2020) have claimed that COVID-19 pandemic has achieved what demonetisation-2016 could not i.e. cashless or digital payments. India's per capita digital payments has grown more than five times. However, India is still far away from going beyond its strong conventional attachment to cash. Digital payments are largely an urban phenomenon.
- Shukla (2020) has observed that demonetization disaster 2016 caused havoc on Indian economy, which has not been fully recovered so far. However, one of its implications that is the popularity of cashless transaction in the society that will be helpful in managing the pandemic problem.
- Mukhopadhyay (2020) has described many pros of going cashless for India like reduction in high cash maintenance cost, financial record, tax collection, financial inclusion, control over leakage, etc. it has been concluded that India has started migrating towards a cashless economy.
- Gundaniya (n.d.) has stated that the ongoing pandemic has completely transformed the shopping behaviour. The COVID-19 pandemic has vastly affected the entire payment industry. Therefore, every business organisation has switched to digital payment methods for their survival during this ongoing pandemic period taking care of the emerging change in the payment habit of the society.
- Mukherjee (2019) has observed that the cashless society was nowhere the fundamental objective of the demonetization 2016 by the incumbent government. However, an acute shortage of banknotes paved the way for promotion of cashless society that was an afterthought to justify the act of government. Cash is still a king in India today.
- Podile & Rajesh (2017) have observed that the demonetization-2016 forced society to endorse cashless transactions. India has been shifting from cash to cashless economy. People are gradually getting familiar and comfortable with cashless transactions. India cannot become a cashless economy until and unless prevailing issues and negative perceptions of people to cashless transactions are addressed.

Statement of Problem

The ongoing pandemic has brought the entire global economy to a grinding halt. The entire global society was forced to stay home so as to avoid public contact because of the widespread danger of corona virus spread. Food is one of the unavoidable basic needs of the society. We may stop doing work for a while but hunger is beyond control for the living human being. Therefore, procurement of basic items fulfilling the needs of human being is inevitable irrespective of the situation whether be it pandemic or anything else. Physical distancing as a strong measure of control of corona virus spread reduced the widespread cash transactions, and promoted debit cards and credit cards [i.e. plastic money] operated and internet banking driven cashless transactions. Cashless transactions proved better alternative to cash based conventional transactions while maintaining zero public contact. Thus, society gradually switched to cashless or digital transactions from the direct cash transactions. The COVID-19 pandemic has brought

a drastic change in the marketing pattern and behaviour of the society altogether. Thus, the ongoing pandemic has left no stone unturned from promoting and popularizing the cashless payments across the world. Plastic money i.e. debit cards and credit cards is the most common medium of cashless or non cash transactions in India as they are used in multiple ways while purchasing goods off line or online.

Objective of Study

The present study has following objectives:

- To analyze the impact of COVID-19 pandemic on debit card operated transactions in India.
- To analyze the impact of COVID-19 pandemic on credit card operated transactions in India.
- To study the gap between pre COVID-19 and post COVID-19 plastic money driven transactions in India.

Research Questions

The current study has attempted to answer of the following questions:

- Has there been any substantial impact of COVID-19 on debit card operated transactions in India?
- Has there been any significant impact of COVID-19 on credit card operated transactions in India?
- Has there been any strong impact of COVID-19 on plastic money operated transactions in India?

Research Hypotheses

- There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per debit card operated monthly transaction numbers.
- There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per credit card operated monthly transaction numbers.
- There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per debit card operated monthly transaction amount.
- There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per credit card operated monthly transaction amount.

Research Terminology

- **COVID-19**

COVID-19 stands for corona virus disease 2019 caused by severe acute respiratory syndrome corona virus (SARS CoV-2). This disease originated and identified in December 2019 in Wuhan city, Hubei province of China. It was declared a pandemic by the World Health Organization [WHO] on 11th March 2020.

- **Plastic Money**

Debit cards and credit cards are referred to as plastic money. They are collectively termed as plastic money. These cards are predominant instruments of non cash payments by the common masses in India.

Reference Period

This study endeavours to study and analyze the impact of COVID-19 pandemic on debit card and credit card operated transactions in India. The first COVID-19 case was identified on 31st December 2019 in Wuhan city of China. However, the first COVID-19 case was identified in India on 30 January 2020. COVID-19 was declared a pandemic by the WHO on 11th March 2020. Government of India announced lockdown in the last week of March 2020 with effect from 25th March 2020. Thus, Indian society and economy started observing the explicit influence of COVID-19 from April 2020 onward. Therefore, under this study first six months of post COVID-19 [from April 2020 to September 2020] and the corresponding months of the pre-COVID-19 [from April 2019 to September 2019] have been taken as reliable and justified time period for the purpose of current study.

Research Methodology

The current research paper is empirical cum exploratory by nature, which is purely based on secondary data. For the sake of study of the impact of COVID-19 over plastic money operated transactions, the overall study period has been classified into two parts as Pre COVID-19 period and Post-COVID-19 period. First complete six months of post COVID-19 i.e. April 2020 to September 2020 have been taken as post COVID-19 period, and corresponding six months of the year 2019 i.e. April 2019 to September 2019 have been

taken as pre-COVID-19 period. Indian society and economy was under the strong influence of COVID-19 pandemic with effect from April 2020 to September 2020. Therefore this time period has been taken as time period of study. Student-t test has been applied for the purpose of hypotheses testing.

Data Analysis & Hypotheses Testing

Graph No. 1

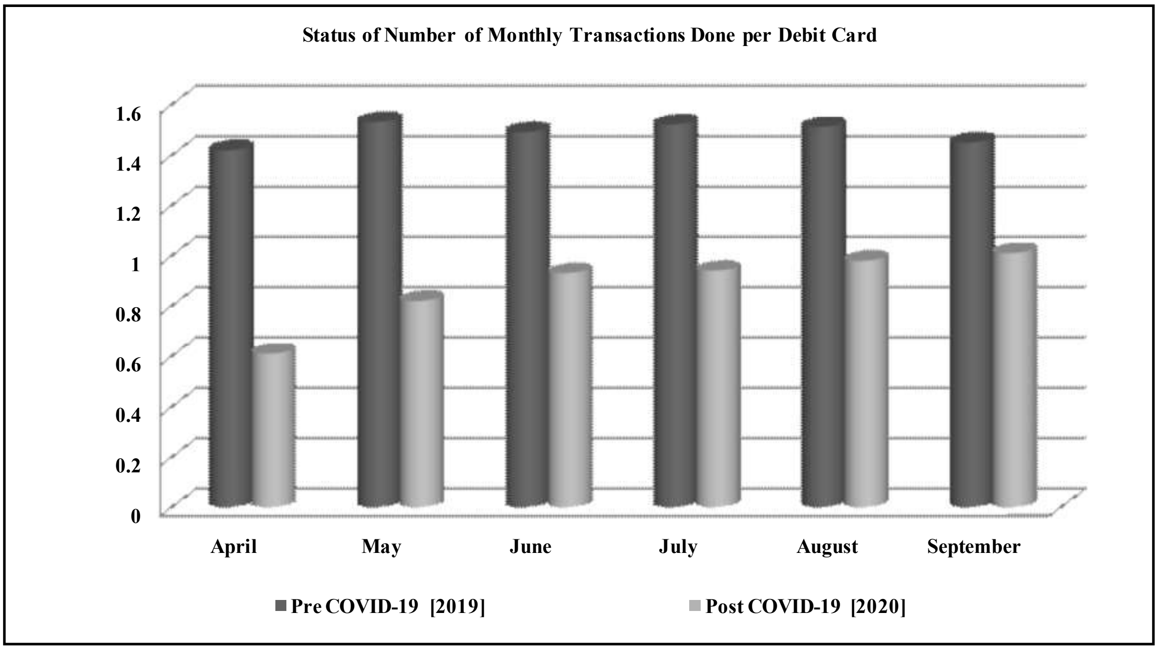

Source : Reserve Bank of India (Derived)

S.No.	Hypotheses	Critical Value	t-Value	Level of Significance (α)	P-Value	H_0 :Accepted/ Rejected
1	There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per debit card operated monthly transaction numbers.	**2.57**	**11.14**	**.050**	**.0001**	**Rejected**

Graph No. 2

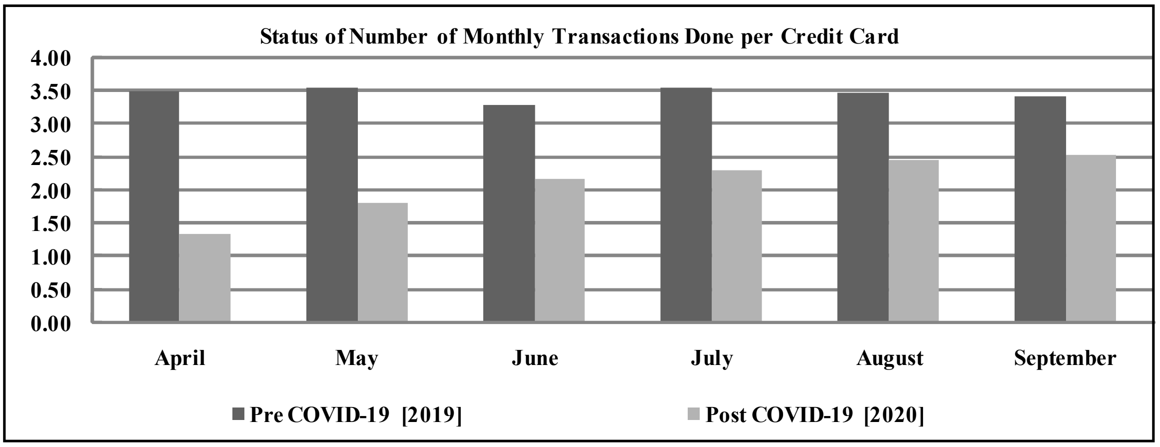

Source : Reserve Bank of India (Derived)

S.No.	Hypotheses	Critical Value	t-Value	Level of Significance (α)	P-Value	H_0 :Accepted/ Rejected
2	There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per credit card operated monthly transaction numbers.	**2.57**	**6.81**	**.050**	**.0010**	**Rejected**

Graph No. 3

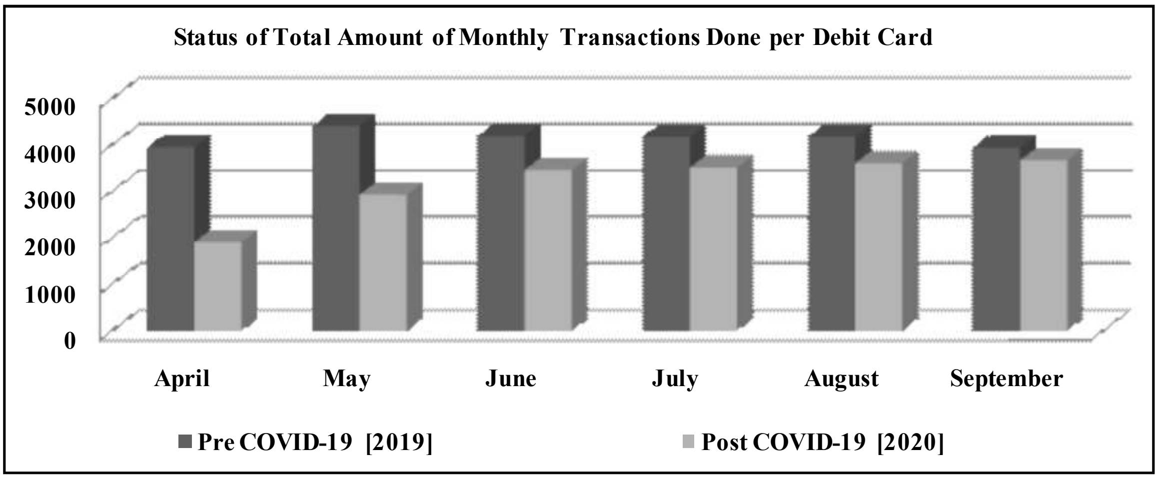

Source : Reserve Bank of India (Derived)

S.No.	Hypotheses	Critical Value	t-Value	Level of Significance (α)	P-Value	H_0 :Accepted/ Rejected
3	There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per debit card operated monthly transaction amount.	**2.57**	**3.54**	**.050**	**.0165**	**Rejected**

Graph No. 4

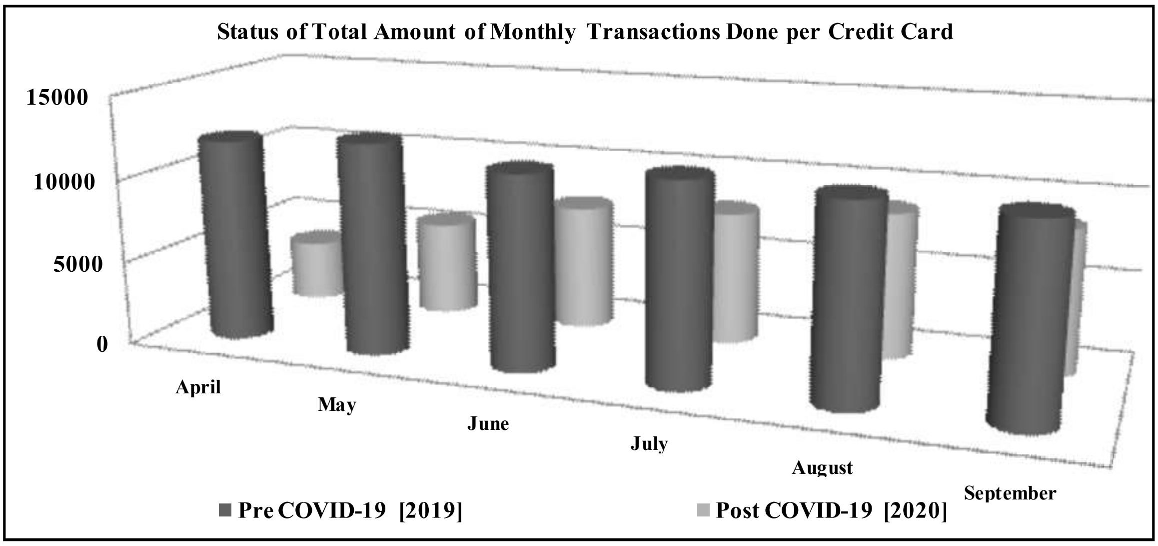

Source : Reserve Bank of India (Derived)

S.No.	Hypotheses	Critical Value	t-Value	Level of Significance (α)	P-Value	H_0 :Accepted/ Rejected
4	There is no significant difference between pre COVID-19 and post COVID-19 period per credit card operated monthly transaction amount.	**2.57**	**5.13**	**.050**	**.0037**	**Rejected**

Findings As per the analysis of the Plastic money operated transactions based on RBI data during April to September 2019 [as Pre COVID-19 Period] and during April to September 2020 [as Post COVID-19 Period], it has been quite clear that there has been a significant difference between Pre COVID-19 and Post COVID-19 six month period's plastic money driven transactions [both in volume and value] data. Thus, it manifests that during the post COVID-19 six month period plastic money based transactions [both in volume and value] have been significantly reduced as compared to pre COVID-19 six month

period plastic money driven transactions [both in volume and value]. This result reveals the natural fact as majority of the working population of India is occupied in the unorganized sector. Thus, abrupt job loss of millions of working population made them economically paralyzed because of complete lockdown and widespread fear of corona virus spread, and hence, their earning capacity got jeopardized that has been reflected through significant reduction in the post COVID-19 six month period plastic money operated transactions. Therefore, it can be concluded that the plastic money driven transactions [both in volume and value] have been significantly reduced during the post COVID-19 six month period as compared to the corresponding six month period plastic money driven transactions of 2019 as pre COVID-19 period. **Conclusion**It has been in wide circulation through diverse media channels that COVID-19 has attracted Indian consumers towards debit cards and credit cards [plastic money] based cashless transactions all over the country irrespective of the geographical and economical status. Undoubtedly cashless or digital transactions have been consistently growing with the advent of advance technology, and ongoing infrastructure development across the country. Universal acceptance of cashless is the demand of the hour, and our favourable and proactive response to the ever growing needs of the dynamic economic world. However, the non cash transactions can never fully replace the direct cash transaction in developing countries like India, where a significant proportion of India is still today far away from the access of the basic formal education, fulfillment of minimum basic needs, and general opportunity for the enhancement of employability. Therefore, a huge working population of India is occupied in the informal sector. Moreover, there are many other explicit realities like lack of cyber security, weak infrastructure, negligible initiative on awareness on cashless or digital payments, wider illiteracy and poverty, technicality and cost involved, digital divide, etc. behind the non adoption of cashless transaction by common masses of India. In India, debit cards and credit cards are very prominent and popular medium of cashless or digital transactions. Thus, understanding of the impact of pandemic on credit cards and debit cards driven transactions would provide an insight towards the shift of society from direct cash transactions to cashless or non cash transactions.

Reference

- Barkhard, Balz. (2020, October 21). COVID-19 and cashless payments-has corona virus changed Europeans' love of cash? Bank for International Settlement. https://www.bis.org/review/r201022h.pdf
- Beniwal, Vrishti, & Ghosh, Suvashree. (2020, July 13). Virus boosts digital payments in India where cash ban failed. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/virus-boosts-digital-payments-in-india-where-cash-ban-failed/articleshow/76931917.cms?from=mdr
- Bijapurkar, Rama, Shukla, Rajesh, Rai, Praveena, & Sachdeva, Vikas. (2021). Digital Payments Adoption in India, 2020. National Payment Corporation of India [NPCI]. https://www.npci.org.in/PDF/npci/knowledge-center/Digital-Payment-Adoption-in-India-2020.pdf
- Capgemini Research Institute. (2020). World Payments Report 2020. https://worldpaymentsreport.com/
- Chakrabarty, Amitava. (2020, December 24). How demonetization is helping India transact under the shadow of COVID-19 in 2020. Financial Express. https://www.financial-express.com/money/how-demonetisation-is-helping-india-transact-under-the-shadow-of-covid-19-in-2020/2157129/
- Chandak, Vikas. (2020, July 7). Digital Dividend: The New World Order of Contactless Payment & Cashless Transactions. Business World. http://www.businessworld.in/article/Digital-Dividend-The-New-World-Order-Of-Contactless-Payments-Cashless-Transactions-/07-07-2020-294985/
- Chandwani, Sonam. (2020, July 7). Future of Cash: Impact of COVID-19 on Payments. Entrepreneur. https://www.entrepreneur.com/article/352904
- Cox, Richard. (2020, December 18). COVID-19 and contactless: Is the retail industry ready for a cashless society? Open Access Government.

https://www.openaccessgovernment.org/covid-19-and-contactless-is-the-retail-industry-ready-for-a-cashless-society/100607/

- Desai, Rajesh. (2020, November 25). Future of Digital Payments-What's next for India's Digital Space? PR Newswire. https://www.prnewswire.com/in/news-releases/future-of-digital-payments-what-s-next-for-india-s-digital-space-lyra-network-827936593.html
- FIS Global. (2021). The Global Payments Report: Rebuilding payments for a smarter world. https://worldpay.globalpaymentsreport.com/en/download/
- Gundaniya, Nikunj. (n.d.). Impact of COVID-19 on Payment Industry. Digipay.guru. https://www.digipay.guru/blog/impact-of-covid-19-on-payment-industry/#
- JCM Global. (2020, November). The Impact of Going Cashless. https://emea-en.jcmglobal.com/jcm-white-paper-the-impact-of-going-cashless/
- KMPG India. (2020, August). Impact of COVID-19 on Digital Payments in India. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/08/impacting-digital-payments-in-india.pdf
- Lee, Nathaniel. (2020, December 3). The coronavirus pandemic has caused a surge in demand for contactless payments, accelerating the shift from cash to digital options. CNBC. https://www.cnbc.com/2020/12/03/covid-19-pandemic-accelerating-the-shift-from-cash-to-digital-payments.html
- Luthi, Ben. (2020, December 4). COVID-19 Accelerates the Move to Cashless Payments. Invetopedia. https://www.investopedia.com/covid-19-changing-the-landscape-for-cashless-payments-5089731
- McKinsey & Company. (2020). The 2020 McKinsey Global Payments Report. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/2020-mckinsey-global-payments-report-vf.pdf
- Mittal, Shivangi, Grover, Aman. (2020, August). Resolving Bottlenecks in the Adoption of Digital Payments. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/08/ORF_SpecialReport_116_Digital_Payments.pdf
- Moorgate, OPUS Advisory Services International Inc, & BNY Mellon. (2020). Global Payments 2020: Transformation and Convergence. https://www.bnymellon.com/content/dam/bnymellon/documents/pdf/articles/global-payments-2020-transformation-and-convergence.pdf
- Mukherjee, Andy. (2019, June 10). View: Cashless India could be a model for the world. The Economic Times. https://cfo.economictimes.indiatimes.com/news/view-cashless-india-could-be-a-model-for-the-world/69671290
- Mukhopadhyay, Bappditya. (2016). Understanding Cashless Payments in India. Springer Open-Financial Innovation, 2 (27), p.01-26. https://jfin-swufe.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40854-016-0047-4.pdf
- Podile, Venkateshwara, & Rajesh, P. (2017). Public Perception on Cashless Transaction in India. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 7(7), p.63-77. https://www.researchgate.net/publication/318484701_Public_Perception_on_Cashless_Transactions_in_India
- PwC India. (2020, April). Impact of the COVID-19 Outbreak on Digital Payments. https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/financial-services/fintech/point-of-view/pov-downloads/impact-of-the-covid-19-outbreak-on-digital-payments.pdf
- Ramachandran, T V. (2020, July 28). Cashless India: Nothing Elitist about it. The Hindi Business Line. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/indias-set-to-become-a-cashless-economy/article32214260.ece
- Research and Markets. (2020, May). COVID-19 Impact on Global e-Commerce & Online Payments-2020. https://www.researchandmarkets.com/reports/5026196/covid-19-impact-on-global-e-commerce-and-online
- Reserve Bank of India. [2019]. Bankwise ATM/POS/Card Statistics [Dataset]. https://www.rbi.org.in/scripts/ATMView.aspx?atmid=77
- Reserve Bank of India. [2020]. Bankwise ATM/POS/Card Statistics [Dataset]. https://www.rbi.org.in/scripts/ATMView.aspx?atmid=77

- Runkel, Corey. (2020, August 4). Pandemic Catalyzes Transition to Cashless Benefits. Yale School of Management. https://som.yale.edu/blog/pandemic-catalyzes-transition-to-cashless-benefits
- S&P Global Market Intelligence. (2020). 2020 India Mobile Payments Market Report. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/indiamobilepayments_2020final-report.pdf
- Sharma, Manas J. (2020 July 17). Cash No King Anymore: COVID Pandemic has Accelerated Adoption of Digital Payments. Outlook. https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-cash-no-king-anymore-covid-pandemic-has-accelerated-adoption-of-digital-payments/356892
- Shukla, Srijan. (2020, March 27). Modi's demonetization will be of use during the coronavirus lockdown. The Print. https://theprint.in/opinion/pov/modis-demonetisation-will-be-of-use-during-the-coronavirus-lockdown/389237/
- Singh, Anushruti. (2020, July 17). A Cashless Dividend: Indian Digital Payments spike over virus fears. SME Futures. https://smefutures.com/a-cashless-dividend-indian-digital-payments-spike-over-virus-fears/
- The Boston Consultancy Group & Google. (2020). Digital Payments 2020: The Marking of $500 Ecosystem in India. https://image-src.bcg.com/BCG_COM/BCG-Google%20Digital%20Payments%202020-July%202016_tcm21-39245.pdf
- Worldline. (2019). *India Digital Payments Report*. https://worldline.com/content/dam/worldline/documents/india/documents/worldline-india-digital-payments-report-2019-a-year-in-review.pdf

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 15th Apr 21 Paper Accepted : 25th Apr 21

''भारतीयसंस्कृत्यां वैदिकसन्ध्यायाः याज्ञिकं दार्शनिकञ्च विश्लेषणम्, अस्याः स्वास्थ्यस्यो उपरि प्रभावः''

❐ राम कुमार आर्यः*

परिचय

वेदो हि नाम अपूर्वो ज्ञानराशिः।[1] अस्य विद्यानिधेर्न कदापि प्रक्षयः, शाश्वतोऽयं ज्ञानराशिः।[2] ब्रह्माण्डेऽस्मिन् सर्वत्रव्यापकस्य परमचैतन्यस्य आभामयशाब्दिकविग्रहोऽस्ति अयं वेदः। तपोपुतैः योगयुक्तैर्महर्षिभिः साक्षात्कृतः।[3] विश्वसाहित्यस्य प्रथमः ग्रन्थोऽयं विद्यते, यस्मिन् मानवानां कर्त्तव्याकर्त्तव्यस्य विचारः कृतः। ''**वैदिकसन्ध्याया याज्ञिकं दार्शनिकञ्च विश्लेषणम्**'' इत्याख्योविषयोऽयमव्याप्त्यादि-दोषशून्योऽस्ति। सर्वादौ सन्ध्यायाः अर्थविश्लेषणाय कोशग्रन्थः स्वीकर्त्तव्यम्। तत्पश्चाद् वैदिकसन्ध्यायाः कोऽर्थः किं स्वरूपमस्तीति विविच्यते। तदनु वेदेषु स्मृतिग्रन्थेषु च वर्णितायाः वैदिकसन्ध्यायाः प्रमाणानि तस्य च विवेचनं करिष्यते। ततो वैदिकसन्ध्यायाः स्वरूपस्य विवेचनाय वेदा उपनिषदः शुल्बसूत्राणि गृह्यसूत्राणि रामायणं महाभारतञ्चोपपादयिष्यन्ते, तदिरिक्तत्वेन विविधस्रोतेभ्योऽपि प्रकृतविषयोपकारिणीं सामग्रीं सङ्गृह्य प्रस्ताविताऽध्याय-विभाजनमनुसृत्य च विषयोऽयं स्पष्टीकरणीयम्। **वेदशब्दार्थः**—'विद्ज्ञाने'[4], विद्सत्तायाम्'[5], 'विद्लृलाभे'[6], 'विद विचारणे'[7] एतेभ्यो धातुभ्यो ''**हलश्च**''[8] इति पाणिनीयसूत्रेण करणाधिकरणकारकयोर्घञ् प्रत्यये कृते 'वेदः' शब्दः साध्यते। यस्यार्थः—

''**विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्याः यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः।**''[9]

वेदस्यापरं नाम श्रुतिः। श्रवणात् श्रुतिः। श्रुतिशब्दः ''श्रु श्रवणे''[10] इत्यस्माद्धातोः करणकारके ''क्तिन्'' प्रत्यये कृते निष्पद्यते। यस्यार्थः—''**आदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः**''॥[11] सायणः—''**इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः**''।[12] आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्—''**मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्**''[13] इति।

सन्ध्यायाः परिचयः

समुपसर्गपूर्वकं ''**ध्यै चिन्तायाम्**''[14] इत्यस्माद् धातोः ''**आतोश्चोपसर्गे**''[15] इत्यङ् प्रत्ययो विधीयते यस्यार्थः ''**सम्यग् ध्यायन्त्यस्याम्**''[16] इति। तत्र पञ्चमहायज्ञविधौ महर्षिदयानन्दः लिखति ''**सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या इति सन्ध्याशब्दस्यार्थः। तत्र रात्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायामुभयोस्सन्ध्ययोः सर्वेर्मनुष्यैरवश्यं परमेश्वरस्यैव स्तुतिप्रार्थनोपासनाः कार्य्याः**''।[17]

शुद्धिर्द्विविधा बाह्या आभ्यन्तरा च। तत्र बाह्या जलादिना शुद्धिर्भवति। आभ्यन्तरा च रागद्वेषासत्यादित्यागेन। यथा मनुस्मृतौ मनुरब्रवीत्—''**अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनःसत्येन शुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति**''॥[18] शरीरशुद्धेस्सकाशादात्मान्तःकरणशुद्धिः सन्ध्यया भवति, या परब्रह्मप्राप्त्येकसाधनभूता विद्यते।

वैदिकसन्ध्यायाः स्वरूपम्

वेदेषु सन्ध्ययाः सत् स्वरूपम् ऋषिभिर्निगदितम्, वैदिकसन्ध्याशब्देन तदेवोच्यते। यतोहि भजनद्वारा रात्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायां क्रियमाणा सन्ध्या भजनसन्ध्या, एवमेव कीर्त्तनद्वारा रात्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायां क्रियमाणा सन्ध्या कीर्तनसन्ध्या।

* सहायकाचार्यः, शासकीय बापू महाविद्यालयः, नौगांव, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

एवमेव वेदमन्त्रैः रात्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायां क्रियमाणा सन्ध्या वैदिकसन्ध्योच्यते। **शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये। शंयोरभि स्त्रवन्तु नः॥**[19] सन्ध्यायां गायत्रीमन्त्रस्य जपविधानमस्ति। **ओ3म् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।**[20] तत्रापि जपः त्रिविधः—वाचिकजपः, उपाशुंजपः मानसिकजपश्च। तत्रापि मानसिकजप सर्वोत्तमः निगदितः। **नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च। मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥**[21]

वैदिकसन्ध्यायाः याज्ञिकं दार्शनिकञ्च विश्लेषणम्

यज्ञशब्दः 'यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु'[22] इति धातोः नङ्[23] प्रत्ययकृते सति निष्पन्नः। यस्य त्रयोऽर्थाः सन्ति—देवपूजा, सङ्गतिकरणं दानं च। प्रथमस्तावद् देवपूजा—अग्नि-जल-वाय्वित्यादीनां देवानामग्निहोत्रेण पूजनम्, सहैव परदेवस्य ध्यानम् अर्थात् सन्ध्येति। सङ्गतिकरणम्- उत्तमोत्तमवस्तूनां सुगन्धितपदार्थानां सङ्गतिकरणेन शाकल्यनिर्माणम्। दानम् अर्थात् प्रियवस्तूनां दानम्, तत्रापि विशिष्य ब्रह्मदानमर्थाद् विद्यादानं सर्वोत्तमं भवति।[24] शतपथब्राह्मणे तु **''यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म''**[25] इत्यभाणि, अर्थान्निखिलेऽस्मिन् संसारे यानि कानिचन कर्माणि श्रेष्ठतराणि सन्ति, तानि सर्वाणि यज्ञे समाहितानि भवन्ति। यज्ञ एवास्य जगत आधार इति।[26]

मन्वादिस्मृतौ पञ्चमहायज्ञाः प्रोक्ताः। यथा—**''अध्यापनं ब्रह्मयज्ञपितृयज्ञस्तुतर्पणम्। होमोदेवोबलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्''॥**[27] अत्र मनुस्मृतौ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः इति प्रोक्तः। एवमेव याज्ञवल्क्यस्मृतावपि- **''बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रियाः। भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः''॥**[28] अत्र याज्ञवल्क्यस्मृतौ स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तः। एते पञ्च महायज्ञा अहरहः कर्तव्याः नित्यत्वात्। यत्पुनरेपां फलश्रवणं तदेपां पावनत्वख्यापनार्थ न काम्यत्वप्रतिपादनाय।।[29]

महर्षिदयानन्दः पञ्चमहायज्ञविधिरिति ग्रन्थे ब्रह्मयज्ञान्तर्गते सन्ध्यायाः विधानं करोति। एवं प्रकारेण ब्रह्मयज्ञे सन्ध्या, स्वाध्यायः, अध्यापनञ्चैतानि कर्माणि समाहितानि भवन्ति। मनुरपि बभाण—

**''ब्राह्मेमुहूर्तेबुध्येतधर्मार्थौचानुचिन्तयेत्।
कायक्लेशांश्चतन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेवच''॥**

**''उत्थायावश्यकंवृत्वावृतशौचःसमाहितः।
पूर्वांसंध्यांजपंस्तिष्ठेत्स्वकालेचापरांचिरम्''॥**[30]

एवं प्रकारेण मनुमतेऽपित सन्ध्या, स्वाध्यायः, अध्यापनञ्चैतानि कर्माणि ब्रह्मयज्ञे समाहितानि भवन्ति।

दार्शनिकविश्लेषणे ब्रह्म, जीवः, जगत् एतेषां स्वरूपमित्याद्यविषयाः आगच्छन्ति। अत्र सन्ध्यायां ब्रह्मण स्वरूपस्य ध्यानं क्रियते।[31] तस्मादेव कारणात् ब्रह्मयज्ञोऽप्युच्यते। वेदान्तसारे त्रिविधकर्मसु सन्ध्यावन्दनं नित्यकर्म इति प्रोक्तम्—**''नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि।''** अत्र नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनमस्तीति प्रतिपादितम्।[32] वैदिकसन्ध्यासम्पादनेन न काचित् विशेषपुण्यप्राप्तिः, किन्तु अकरणे प्रत्यवायस्तु भवत्येव।

वैदिकसन्ध्यायाः स्वास्थ्यस्यो उपरि प्रभावः

वैदिकसन्ध्यायाः स्वास्थ्यस्यो उपरि बहुप्रभावः भवति। आत्मिकं मानसिकञ्च शान्त्यर्थं सन्ध्यायाः आचरणं सर्वदैव करणीयम्। यथा मनुस्मृतौ मनुरब्रवीत्—**''अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति''॥**[33] शरीरशुद्धेस्सकाशादात्मान्तः-करणशुद्धिः सन्ध्यया भवति, या परब्रह्मप्राप्त्येकसाधनभूता विद्यते। रात्रिन्दिवयोः सन्ध्यावेलायां ब्रह्मयज्ञसम्पादनेन बहुलाभः भवति। यथा ऋषयः दीर्घसन्ध्यत्वाद् दीर्घमायुः, प्रज्ञा, यशः, कीर्तिः, ब्रह्मवर्चसञ्चावाप्नुवन्। यथाह मनुः—**ऋषयोदीर्घसंध्यत्वाद्दीर्घमायुरवाप्नुयुः। प्रज्ञांयशश्चकीर्तिंचब्रह्मवर्चसमेवच''॥**[34] **तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचछुक्रमुच्चरत! पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात।**[35]

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥[36]

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्र जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥[37]

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥[38]

मधु वाता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥[39]

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥[40]

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥[41]

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद् भद्रं तन्न आ सुव॥[42]

एवं प्रकारेण ''**वैदिकसन्ध्यायाः याज्ञिकं दार्शनिकञ्च विश्लेषणम्**'' **एवञ्च अस्याः स्वास्थ्योपरि प्रबावः** स्वकीयं सार्थक्यं विधत्ते।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

अथर्ववेद-संहिता, श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकर (सं.), पारडी : स्वाध्याय मण्डल, 1985.

ईशादिनौउपनिषद्, हरिकृष्णदासगोयन्दका (व्याख्याकार), गीताप्रेसगोरखपुर (उ.प्र.) : सं. 30; 2067 वि.सं.

ऋग्वेदभाष्यभूमिका, सायणः, जगन्नाथ पाठक (व्याख्याकार), वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन, 2008.

ऋग्वेदसंहिता, नागप्रकाशक, नवदेहली : 2003, तृतीयसंस्करणम्।

बृहदारण्यकोपनिषद् (शाङ्करभाष्यार्थः), गोरखपुर : गीताप्रैस, वि.सं. 2068.

निरुक्तम् (यास्कमुनिप्रणीतम्), (कश्यपप्रजापतिकृत-निघण्टुभाष्यरूपम्, श्रीमद्भद्दुर्गाचार्यकृत- ऋज्वर्थाख्यव्याख्यानु-सारिण्या) मुकुन्दझाशर्मा, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, नवदेहली : 2002.

पातञ्जलयोगदर्शनम् (व्यासभाष्य - संवलितम्), सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव (हिन्दी व्या.), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 2011.

पातञ्जलयोगदर्शनम्, उदयवीर शास्त्री, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 2000.

यजुर्वेद-अथर्ववेदभाष्यम् (हिन्द-भाषानुवादसहित), बुद्धदेवविद्यालङ्कार (व्याख्याकार), गोविन्दरामहासानन्द, नई दिल्ली : 2008.

श्रीमद्भग्वद्गीता (शांकरभाष्य हिन्द-अनुवाद-सहित), हरिकृष्णदास गोयन्दका (अनु.), गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. 2073, पैंतीसवां पुनर्मुद्रण.

श्रीमद्भग्वद्गीता (शांकरभाष्यसमेता), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2015.

द्वितीयक स्रोत

गीता रहस्य (1-2), बालगंगाधर तिलक, जेड एक्स पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2016.

भारत की सामाजिक समस्याएं, एन.एन. ओझा, क्रानिकल बुक्स, नई दिल्ली, 2010.

भारतीय दर्शन : आलोचन और परिशीलन, चन्द्रधर शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पुनर्मुद्रण, 2013.

मनुस्मृतिः, उर्मिलारस्तोगी, जे.पी. पब्लिशिंगहाऊस, दिल्ली : 2005.

महाभारतसंहिता (चिकित्सितपाठात्मिका), (चत्वारः भागाः), भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर, पुण्यपत्तनम् (पूना) : 1871-1974.

वाल्मीकीयरामायणम् (द्वौभागौ) गोविन्दभवनकार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर : सं. 45; 2071 वि.सं.

श्रीमद्भग्वद्गीता (श्रीमधुसूदनसरस्वतीकृतगढार्थदीपिका-व्याख्योपेता, समीक्षात्मकविमर्शाख्यव्याख्यात्म-कटिप्पणीविधानु-क्रमणिका, भाग दो), मदनमोहन अग्रवाल (हिन्दी भाष्यकार एवं अनु.), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली.

श्रीमद्भगवद्गीता, मधुसूदन सरस्वती, मोहन अग्रवाल (सं.) चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1976.

हिन्दीग्रन्था (Hindi Sources)

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, महर्षि दयानन्द सरस्वती, दिल्ली : विजयकुमार गोविन्दरामहासानन्द, 1983

योग एवं यौगिकी चिकित्सा, रामहर्ष सिंह, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली-2006

वेदों में आयुर्वेद, कपिलदेव द्विवेदी, विश्वभारती अनुसन्धान परिषद, ज्ञानपुर (भदोही), 2001 वैदिकसिद्धान्तरत्नावली, सत्यपाल शास्त्री, घुडमल प्रहलाद कुमार आ.ध.न्या. हिण्डौन सिटी (राज.) : 2006 ई.

संस्कार भास्कर, स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत) : सं. 2; 1998.

संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी : सं. 1; 2010

कोशग्रन्थ (Dictionary)

अमरकोश, अमरसिंह, बम्बाई : निर्णयसागर प्रेस, 1962.

संस्कृत हिन्दी शब्दकोश, वामनशिवराम आप्टे, दिल्ली : मोतीलाल बनारसी दास, 1990.

अन्तर्जालीय स्रोत (Internet Sources)

http://www.sanskrit.nic.in/Thesis_Modified/Thesis-E-H/Thesis%20Modified/director/T/index.htm

http://www.sanskrit.jnu.nic.in/

http://indcat.inflibnet.ac.in/

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/

http://dsal.unhicago.edu/dictionaries/apte/

http://csl.du.ac.in/online/theses-disertation.htm

https://www.indcat.org/

https://www.worldcat.org/

संदर्भ

1. ''सर्वज्ञानमयो हि सः''। मनुस्मृतिः 1.126
2. ''पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति''। अथर्ववेदः 10.08.132
3. ''साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः''। निरुक्तम्, 1.6
4. धातुपाठः, अदादिगणः, धातुसंख्या-57
5. तदेव, दिवादिगणः, धातुसंख्या, 32
6. तदेव, तुदादिगणः, धातुसंख्या, 40
7. तदेव, रुधादिगणः, धातुसंख्या, 41
8. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, 3.3.121
9. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषयः, पृ. 29
10. धातुपाठः, भ्वादिगणः, धातुसंख्या, 675
11. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषयः, पृ. 29
12. ऋग्वेदभाष्यभूमिका, पृ. 5
13. आपस्तम्ब-गृह्यसूत्रम, 3
14. धातुपाठः, 1.1056
15. अष्टाध्यायी, 3.3.109
16. पञ्चमहायज्ञविधिः, पृ. 1
17. पञ्चमहायज्ञविधिः, पृ. 1
18. मनुस्मृतिः, 5.109
19. यजु. 36.12
20. यजुर्वेद, 36.3
21. यजुर्वेद, 16.41
22. धातुपाठः भ्वादिगणः, 728
23. ''यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ्''। अष्टाध्यायी, 3.3.90
24. **''सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। वार्यन्नगोमहीवासस्- तिलकाञ्चनसर्पिषाम्''।।** मनुस्मृतिः, 4.233
25. शतपथब्राह्मणम्, कां. 5, अ.3, ब्रा. 5, कं. 17
26. अथर्ववेदः, 9.15.14
27. मनुस्मृतिः, 3.70
28. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, आचाराध्यायः, 102
29. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, आचाराध्यायः, 102
30. मनुस्मृतिः, 4.92-93
31. ऋतंच सत्यन्चाभीद्धातपसोअध्याजायत। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोअर्णवः।।10.190.1

समुद्राद्रणवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणी विदधद्विश्वव्स्य मिषतो वशी।।10.190.2

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वंकल्पयत। दिवञ्च पृथवीन्चान्तरिक्षमथो स्वः।।10.190.3

32. वेदान्तसारः, पृ. 127
33. मनुस्मृतिः, 5.109
34. मनुस्मृतिः, 9.94
35. यजु. 36/24
36. ऋग्वेद मंडल 1, सूक्त 89, मंत्र 8
37. ऋग्वेद मंडल 1, सूक्त 89, मंत्र 9
38. सं.वि. वेदारम्भ सं.
39. ऋग्वेद मंडल 1, सूक्त 90, मंत्र 6
40. ऋग्वेद मंडल 1, सूक्त 90, मंत्र 7
41. ऋग्वेद मंडल 1, सूत्र 90, मंत्र 8
42. यजुर्वेद 30/3

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 20th Apr 21 Paper Accepted : 4th May 21

पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों का शारीरिक मापन का अध्ययन

❑ रंजना देवी शुक्ला*
❑ डॉ. अर्चना गुप्ता**

शोध सारांश

इस शोध पत्र में रीवा जिले के तीन पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों का शारीरिक मापन का अध्ययन किया गया। जिसमें से रीवा जिले के तीन पोषण पुनर्वास केन्द्र, सिरमौर, गंगेव एवं नईगढ़ी से 15, 15, 15 बच्चे लिये गये। इस तरह कुल 45 बच्चों को शामिल किया गया। इनकी उम्र 1 माह से 5 तक वर्ष थी, कुपोषण को मापने के लिए कई मापदंड निर्धारित किए गए। बच्चों में कुपोषण की स्थिति को मापने के लिए डिजिटल वजन मशीन, एनफेन्टोमिटर एवं एम.यू.ए.सी. टेप का उपयोग किया गया।

अध्ययपयन से पता चला कि भर्ती बच्चों में भर्ती के समय एवं छुट्टी के समय 14 दिन पश्चात् वजन में काफी अंतर आया, बच्चों की कुपोषण की स्थिति में सुधार देखा गया। 45 बच्चों में से 15 बच्चे एन.आर.सी. में सुपोषित हुए और 60 दिन में फालोअप पूर्ण होने तक 33 बच्चे सुपोषित पाये गये। बच्चों का वजन वृद्धि संतोषजनक रहा तथा बच्चों में कुपोषण की स्थिति में सुधार देखा गया।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती के दौरान बच्चों के शारीरिक मापन में वृद्धि हुई इस योजना को उच्च प्राथमिकता देते हुए भविष्य में आगे चलाया जाना आवश्यक है। इस योजना के द्वारा बच्चों के कुपोषण को काफी हद तक दूर किया जा सकता है एवं कुपोषण में हो रहे मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।

मूल शब्द–अति गंभीर कुपोषण, पोषण पुनर्वास केन्द्रक, एनफोन्टोमीटर

प्रस्तावना–

बाल स्वास्थ्य का अर्थ गर्भधारण से जन्म और उसके बाद पॉच साल की उम्र तक के देखभाल एवं स्वास्थ्य से है। बच्चों का विकास एक जटिल एवं सतत् प्रक्रिया है। उन्हें एक खास आयु में कार्य विशेष करने में सक्षम होना चाहिए ये विकासात्मक मील के पत्थर कहलाते है। एक माता या पिता होने के नाते यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो बच्चे समान रूप से विकसित नहीं होते।

* शोध छात्रा, शासकीय कन्या स्नाकोत्तर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोध निदेशक, प्राध्यापक (गृहविज्ञान), शासकीय कन्या स्नाकोत्तर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषण पुनर्वास केन्द्रों को अफ्रीका में बनाया गया था। पोषण पुनर्वास केंद्र एक प्रकार की स्वास्थ्य इकाई है, जो कि कुपोषित एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चे जिनमें चिकित्सकीय जटिलताएं हो उन्हें चिकित्सकीय एवं पोषण की सुविधाएं प्रदान करती हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को उनके शारीरिक मापदंड के अनुसार भर्ती किया जाता है।

पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती होने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ के द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित किए गए इस मापदंड को आधार मानकर ही यह तय करते हैं, कि बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आ रहा है या नहीं। यह पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने लायक है या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में।

बच्चे के शरीरिक मापन में सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे की उम्र क्या है 1 माह से ऊपर एवं 6 माह से कम एवं 6 माह से 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का शारीरिक मापदंड अलग–अलग होता है।

1 माह से 6 माह तक

1. वजन/लंबाई के अनुसार less then & 3SD (डब्ल्यूएचओ 2005 के अनुसार)
2. दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन (एडीमा)।
3. शिशु का वजन घर में ना बढ़ रहा हो।
4. स्तनपान कराने में समस्या

6 माह से 5 वर्ष तक

1. लंबाई ध्ऊंचाई के अनुसार वजन – 3 एसडी स्कोर से कम (डब्ल्यूएचओ 2005 के अनुसार)
2. ऊपरी बांह के मध्य की गोलाई 11.5 सेंटीमीटर से कम
3. दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन (एडीमा)।

कुपोषण की स्थिति का मापन करने के लिए मापदंड सुनिश्चित किए गए हैं।

पोषण पुनर्वास केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना एवं कुपोषण से होने वाली मृत्यु से बचाना।

एच.एस. अर्पमेया, स्वामिनी पी. कामथ, प्रशान्तक के. कीनि, बी.एस. बालिया, यू. वी. सेनाय, अनिमेश जैन, बालक्ष्णा एन.एस. राय ने पोषण पुनर्वास केन्द्र का अध्ययन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मनीपाल विश्वविद्यालय कर्नाटका 2015 में अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में 91 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को शामिल किया जिसमें से 50 बालक और 41 बालिका थी। 60 (65.93 प्रतिशत) बच्चे वजन और ऊँचाई 2 स्कोर से & 3SD से भर्ती हुए और 14 बच्चें (15.38 प्रतिशत) MUAC<115 MM, 17 (18.68 प्रतिशत) बच्चे WHZ & 3SD और MUAC<115 MM दोनो से भर्ती हुए। गड्ढे पड़ने वाली सूजन किसी में भी नहीं पाया गया।

गंभीर कुपोषण बच्चों का संस्थागत प्रबन्धन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश (भारत) सन् 2014, एन.एफ.एच.एस.–3 के अनुसार मध्यप्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में (50 प्रतिशत) आधे बच्चों का ठिगना कद है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये बच्चे लम्बे समय से कुपोषण का शिकार है। 35 प्रतिशत बच्चे अपनी लम्बाई के अनुसार दुबले या पतले थे, जबकि 60 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले थे। यह आंकड़े कुपोषण (लम्बे समय से या कम समय से) के सभी रूपों का मध्य प्रदेश में उच्च व्याप्ति की ओर संकेत करते है।

रितेश रावत और प्रियेश मार्सकोले ने 2015 में सिविल अस्पताल बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश के पोषण पुर्नवास केन्द्र का अध्ययन किया जिसमें 102 बच्चे भर्ती हुए। जिसमें 61.8 प्रतिशत बालिका थी जिसमें 42.17 प्रतिशत की उम्र 13–24 महीने और 34.3 प्रतिशत की उम्र 0–12 महीने थी। लगभग 60 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग व गॉवों से थे। जिनका माध्यव वजन भर्ती के समय 6.4 किलोग्राम था जो कि छुट्टी के समय बढकर 7.09 किलोग्राम हो गया। कुल 102 बच्चों में जहॉ 8 बच्चे डिफाल्टिर थे वहीं 92 बच्चों में 66.3 प्रतिशत की रिकवरी दर्ज की गई।

उद्देश्य–

(1) पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों को उनके शारीरिक मापन की स्थिति को ज्ञात करना।

(2) पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों के भर्ती के समय शारीरिक मापन एवं फालोअप से छुट्टी के समय शारीरिक मापन की स्थिति तथा अंतर ज्ञात करना।

शोध अध्ययन की परिसीमन– प्रस्तुत शोध रीवा जिले की तीन एनआरसी में भर्ती बच्चों तक सीमित किया गया है उक्त परिसीमन में बच्चों के शारीरिक माप के लिए वजन, ऊचाई/लंबाई, एम यू एसी, एडिमा की स्थति का अध्य्यन किया गया।

न्यादर्श चयन– अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप में न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। इस अध्ययन के लिए रीवा के ग्रामीण स्तर से 45 बच्चों का रेंडम प्रणाली द्वारा चुनाव किया हैं।

शोध क्षेत्र का परिचय एवं सांख्यकीय विश्लेषण – मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रीवा 524 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से 873 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल की ऊंचाई 304 मीटर है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6240 वर्ग किलोमीटर (2410 वर्ग मील) जनसंख्या 2365106, जनघनत्व 375/किमी^{2} (970/मील^2), साक्षरता 71.60, यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, NH27, NH75 पर स्थित है। रीवा शहर से सिरमौर 40 किमी की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। रीवा से गंगेव उत्तर–पूर्व दिशा में 40 किमी की दूरी पर एवं नईगढ़ी 60 किमी की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है।

शोध की विधियां एवं सामग्री–

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के तीन तहसील में पोषण पुर्नवास केन्द्री में भर्ती बच्चें के एन्थ्रोपोमेट्री शोध अध्ययन हेतु आवश्यक समंको का संकलन वर्ष 2020 जनवरी से 2020 मार्च के मध्य सिरमौर, गंगेव एवं नईगढ़ी में स्थित पोषण पुनर्वास केन्द्र में 15, 15, 15 (कुल 45) बच्चों को शामिल किया गया है। इन समंको से प्राप्त निष्कर्ष पूरे पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों का प्रतिबिंबित कर सकेगा।

शारीरिक मापन परीक्षण हेतु संग्रहित न्यादिर्श–

पोषण पुनर्वास केन्द्र के बच्चों में शारीरिक अध्ययन का मापन करने के लिए 1 माह से 5 वर्ष तक के 45 बच्चों को शामिल किया गया और शारीरिक मापन के स्तर को ज्ञात करने के लिए मानव शास्त्रीय सूचकांकों का प्रयोग किया गया जिसमें एनफोन्टोमीटर, डिजिटल वजन मशीन, एम.यू.ए.सी. टेप आदि उपकरणों से ऊँचाई, वजन, ऊपरी मध्यन बॉह की गोलाई एवं विटरल पेडिन्ग एडिमा को नापने के लिए हाथ के अंगूठे को शामिल किया गया है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या– शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिंबित होता है जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।

इसके लिए यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किए गए समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणी बद्ध किया जाए, निम्नानुसार हैं–

रीवा जिले के पोषण पुनर्वास केन्द्र में 45 बच्चों का चयन कर उनके शारीरिक मापन का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार उनके वजन, लंबाई, एम. यू.ए.सी. के आधार पर वर्गीकृत किया गया, वर्गीकरण में बच्चें के भर्ती के समय का वजन, छुट्टी के समय का वजन एवं 60 दिन के फालोअप के समय के वजन की गणना की गई। बच्चों के भर्ती के समय छुट्टी एवं फालोअप के समय लंबाई की गणना की एवं बच्चों का एम. यू.ए.सी. की गणना की। बच्चों के शारीरिक अध्ययन का परिणाम जानने के लिए भर्ती वजन का 15 प्रतिशत लक्षित वजन निकाला गया। 15 प्रतिशत लक्षित वजन के अनुसार 45 बच्चों में 15 बच्चे पोषण पुनर्वास केन्द्रत में सुपोषित हो गये। एवं 45 में से 33 बच्चे फालोअप के दौरान सुपोषित हुये। 9 बच्चे नान रिस्पान्डर पाये गये और 3 बच्चे डिफाल्टंर पाये गये। किसी भी बच्चों को मेडिकल ट्रासन्फर नहीं किया गया और किसी भी बच्चो की मृत्यु नही हुई। सूजन किसी भी बच्चों में नहीं पाया गया। अतः इस प्रोग्राम से कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर हो रहा है।

सारणी – 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के अनुसार वर्गीकरण

पोषण पुनर्वास केन्द्र	संख्या	प्रतिशत
पोषण पुनर्वास केन्द्र, सिरमौर	15	33.33
पोषण पुनर्वास केन्द्र, गंगेव	15	33.33
पोषण पुनर्वास केन्द्र, नईगढ़ी	15	33.33
योग	45	100

सारणी– 2 बच्चों के लिंग के अनुसार वर्गीकरण

पोषण पुनर्वास केन्द्र	बालक	बालिका	कुल
पोषण पुनर्वास केन्द्र, सिरमौर	5 (29.41%)	10 (35.71%)	15
पोषण पुनर्वास केन्द्र, गंगेव	3 (17.64%)	12 (42.85%)	15
पोषण पुनर्वास केन्द्र, नईगढ़ी	9 (52.94%)	6 (21.42%)	15
योग	17 (37.78%)	28 (62.22%)	45

1 माह से 5 वर्ष तक के 45 बच्चों को शामिल किया गया जिसमें से सिरमौर एवं गंगेव में बालिकाओं की संख्या 8 ज्यादा थी जो कि क्रमशः 35.71 प्रतिशत, 42.85 प्रतिशत थी जबकि नईगढ़ी में बालकों की संख्या ज्यादा थी जो कि 52.94 प्रतिशत रहा।

सारणी– 3 बच्चों के ऊँचाई/लम्बाई का वर्गीकरण (सेमी.)

ऊँचाई/लम्बाई (से.मी.)		सिरमौर	गंगेव	नईगढ़ी
भर्ती के समय		72.60	66.66	64.62
छुट्टी के समय		72.61	66.80	64.93
फालोअप	प्रथम	72.74	67.16	67.61
	द्वितीय	72.84	67.48	67.08
	तृतीय	73.06	67.69	68.06
	चतुर्थ	73.28	67.85	68.34

1 माह से 5 वर्ष तक के 45 बच्चों का औसत लम्बाई भर्ती के समय सिरमौर, गंगेव, नईगढ़ी का क्रमशः 72–60, 66–66 एवं 64–62 था जो कि एन.आर.सी. से छुट्टी के समय क्रमशः 72–61, 66–80 एवं 64–93 हो गया जिसमें ज्यादा अंतर नहीं पाया गया। 60 दिन के फालोअप के दौरान औसत लम्बाई क्रमशः 73–06, 67–69 एवं 68–06 जिसमें काफी अंतर प्राप्त हुई। 75 दिन के पश्चात् चतुर्थ फालोअप औसत लम्बाई 73–28, 67–85 एवं 68–34 प्राप्त हुआ जिसमें पूर्व से अधिक औसत लम्बाई प्राप्त हुआ।

सारणी– 4 बच्चों के वजन का वर्गीकरण (किग्रा.)

वजन		सिरमौर	गंगेव	नईगढ़ी	कुल औसत वजन
भर्ती के समय		6.69	5.55	5.55	5.87
छुट्टी के समय		7.00	5.59	5.66	5.97
फालोअप	प्रथम	7.39	6.18	5.70	6.25
	द्वितीय	7.73	6.39	5.94	6.46
	तृतीय	8.07	6.68	6.18	6.52
	चतुर्थ	8.68	6.62	6.13	6.63

1 माह से 5 वर्ष तक के 45 बच्चों का भर्ती के समय औसत वजन 5–87 प्राप्त हुआ जो समान्य वजन से कम था, छुट्टी के समय औसत वजन 5–97 प्राप्त हुआ जो कि भर्ती के समय के वजन से थोडा ज्यादा था एवं 60 दिन के फालोअप पूर्ण होने पर औसत वजन 6–52 प्राप्त हुआ, फालोअप के वजन में सुधार प्राप्त हुआ। चतुर्थ फालोअप के 75 दिन पूर्ण होने पर कुल औसत वजन 6–63 पाया गया एवं पूर्व से वजन में सुध ाार देखा गया।

सारणी – 5 बच्चों के एस.डी. स्कोर का वर्गीकरण

एस.डी. स्कोर		पोषण पुनर्वास केन्द्र नईगढ़ी, सिरमौर, गंगेव					कुल योग
		Median	-1SD	-2SD	-3SD	-4SD	
भर्ती के समय		0 (0%)	0 (0%)	10 (22.22%)	27 (60%)	8 (17.78%)	45
छुट्टी के समय		0 (0%)	7 (15.56%)	20 (44.44%)	13 (28.89%)	3 (6.98%)	43
फालोअप	प्रथम	10 (22.22%)	20 (44.44%)	9 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	39
	द्वितीय	15 (33.33%)	16 (35.56%)	9 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	40
	तृतीय	11 (24.44%)	16 (35.56%)	6 (13.33%)	0 (0%)	0 (0%)	33
	चतुर्थ	11 (24.44%)	11 (24.44%)	7 (15.56%)	1 (2.22%)	1 (3.23%)	31

1 माह से 5 वर्ष तक कुपोषित बच्चों का एस.डी. स्कोर प्राप्त हुआ जिसमें से 45 में से भर्ती के समय 35 बच्चे (77-78%) < & 3SD से कम के थे जो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में प्राप्त हुए थे एवं 10 बच्चे (22-22%) <&2SD से कम थे जो सामान्य कुपोषण में आते हैं। एवं 60 दिन के फालोअप के पूरा होने पर <&3SD के एक भी बच्चे इस श्रेणी मे नहीं मिले, एवं 33 बच्चे ¼100-00%½ <&2SD के थे।

सारणी – 6 बच्चों के एम.यू.ए.सी. (सेमी) का वर्गीकरण

पोषण पुनर्वास केन्द्र नईगढ़ी, सिरमौर, गंगेव		एम.यू.ऐ.सी. (सेमी)			कुल योग
		0 to 11.5 cm	11.5 to 12.5 cm	12.5 to 26.5 cm	
भर्ती के समय		33	9	0	42
छुट्टी के समय		32	7	3	42
फालोअप	प्रथम	23	10	4	37
	द्वितीय	20	13	6	39
	तृतीय	22	8	7	37
	चतुर्थ	14	10	7	31

6 माह से 5 वर्ष तक के 42 बच्चों में 42 बच्चों के ऊपरी मध्य बॉह की गोलाई ली गई जिसमें से भर्ती के समय 33 बच्चे 11–5 सेमी. से कम एम.यू.ए.सी. के थे एवं 9 बच्चे 11–5 सेमी से ज्यादा एम.यू.ए.सी. के प्राप्त हुए, 60 दिन के फालोअप पूर्ण होने पर 37 बच्चों में से 22 बच्चे 11–5 से कम एवं 15 बच्चे 11–5 सेमी. से ज्यादा के प्राप्त हुए जो कि बच्चों में सुधार को दर्शाता है।

पोषण पुनर्वास केन्द्र नईगढ़ी, सिरमौर, गंगेव	परिणाम					कुल योग
	क्योर	नान रिस्पाडर	डिफाल्टर	मेडिकल ट्रान्सफर	मृत्यु	
छुट्टी के समय	15	29	1	0	0	45
फालोअप के बाद	33	9	3	0	0	45

1 माह से 5 वर्ष तक के 45 बच्चों का परिणाम प्राप्त हुआ जिसमे से प्रोग्राम के पूर्ण होने तक 33 बच्चे (73–33 प्रतिशत) सुपोषित हुए, 9 बच्चे (20 प्रतिशत) नान रिस्पांडर, 3 बच्चे डिफाल्टर (6–66 प्रतिशत) हु, एवं मेडिकल ट्रान्सफर एवं मृत्यु किसी की नहीं हुई।

निष्कर्ष–

रीवा जिले के तीन तहसील के पोषण पुर्नवास केन्द्र में 45 बच्चों का शारीरिक मापन का अध्ययन किया गया। अध्ययन में बच्चों के भर्ती के समय वजन, ऊँचाई, ऊपरी बॉह के मध्य की गोलाई ली गई। भर्ती के समय का वजन एवं छुट्टी के समय के वजन एवं फालोअप के समय के वजन में अंतर पाया गया। बच्चों का 15 प्रतिशत लक्षित वजन में 33 बच्चे (73.33 प्रतिशत) सुपोषित हुए। पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों के स्वास्थ्य में वृद्धि का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि यह संस्था कुपोषित बच्चों के लिए मील का पत्थर है।

सुझाव–

पोषण पुर्नवास केन्द्र बच्चों को सुपोषित करने एवं मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कुपोषित बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्र के बारे में समुचित सुविधाओं की जानकारी देकर लोगों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिये, जिससे शासन की स्वास्थ्य संबंधी नीति का समुचित लाभ हर एक वर्ग को मिल सके एवं भावी पीढ़ी सुपोषित रहें।

संदर्भ ग्रन्थ–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश, शिशु स्वास्थ्य पोषण वर्ष 2016–17

2. अपरेशनल गाइडलाइन पोषण पुनर्वास केन्द्र, 2015
3. NRC SAM Register, संभागीय संयुक्तत संचालन स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा संभाग, रीवा म.प्र.
4. डब्ल्यू.एच.ओ. 2005 के अनुसार
5. Aprameya HS and Kamath, Sowmini P and Kini, Prashant K and Baliga, B.S. and Shenoy, UV and Jain, Animesh and Rao, Balakrishna NS (2015) Socioepidemiological determinants of severe acute malnutrition and effectiveness of nutritional rehabilitation center in its management- International Journal of Health & Allied Sciences- 4 (3) pp- 148&153- ISSN 2278-4292
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भारत सन् 2014, एन.एफ.एच. एस. 3
7. Rawat Ritesh, Marskole Priyesh- (2015)- A study to evaluate the effect of nutritional intervention measures on children with severe acute malnutrition admitted in nutrition rehabilitation center at civil hospital Bairagarh, Bhopal, Madhya Pradesh- J of Evolution of Med and Dent Sci/ eISSN& 2278&4802] pISSN& 2278&4748/ Vol- 4/ Issue 17/ Feb 26] 2015 Page 2934-2939
8. www.google.com
9. www.nrcmis.mp.gov.in

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th Apr 21 Paper Accepted : 4th May 21

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में अलंकार योजना एवं छन्दोविधान

❒ डॉ. आशुतोष कुमार मिश्र*

शोध सारांश

कालिदास ने शाकुन्तल में प्रायः प्रचलित सभी अलंकारों का प्रयोग है। अलंकारों के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं है। वे सहज और स्वाभाविक रूप में हैं, श्रमसाध्य नहीं। अलंकार भाव और भाषा की मनोरमता देकर रस परिपाक में सहायक है। मुख्य रूप से इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है– उपमा, यमक, शब्दश्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, दृष्टान्त, निदर्शना, अप्रस्तुत प्रशंसा, तुल्ययोगिता, दीपक, विभावना, विशेषोक्ति, समासोक्ति, व्यतिरेक, विरोधाभास, अर्थान्तरन्यास के साथ–ही–साथ छान्दोविधान को इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्दः–अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अलंकार, अतिशयोक्तियोजना, विरोधाभास, अर्थान्तरन्यास, उपमा, यमक, शब्दश्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक एवं छन्दोविधान आदि।

प्रस्तावना :–

शाकुन्तल में जिन अलंकारो का प्रयोग हुआ है उनका ही यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है। शब्दालंकार प्रायः सभी श्लोकों में है, अतः उनपर ध्यान नही दिया गया है।

(1) यमक – 5–5 ।

(2) श्लेष – 2–4, 2–14, 3–13, 3–18, 4–1, 5–6,

(3) रूपक – 4–18, 5–25 ।

(4) उत्प्रेक्षा – 1–8, 1–18, 1–23, 1–29, 1–33, 2–2, 2–3, 3–1, 4–2, 4–12, 4–22, 5–15, 5–23, 5–31, 6–4, 6–21, 6–25,

(5) अतिशयोक्ति – 1–34, 2–6, 2–9, 5–12, 6–19,

(6) स्वभावोक्ति– 1–3, 1–7, 1–9, 1–14, 1–15, 1–30, 2–2, 2–6, 3–5, 3–10, 3–22, 4–14, 6–6, 6–17,

(7) दृष्टान्त– 1–26, 3–14, 5–7, 5–14, 6–28, 6–30, 6–31,

(8) निदर्शना– 1–17, 1–18, 6–16, 7–29, 7–29, 7–31।

(9) अप्रस्तुत प्रशंसा– 1–17, 1–22, 1–25, 1–26, 1–33, 3–2, 3–3, 3–6, 4–17, 5–2, 5–4, 5–12, 5–17, 5–22, 5–24, 5–25, 5–28, 6–1, 6–26, 6–29,।

(10) तुल्ययोगिता– 3–17, 4–2, 4–11, 4–13, 4–28, 6–17।।

(11) दीपक– 1–30, 2–15, 4–20, 5–8, 7–3,।

* आचार्य (साहित्य), ग्राम सड़वा खुर्द, पोस्ट कांटी जसरा, प्रयागराज पिन–212107, मोबा. 9956179710

(12) विशेषोक्ति– 3–6, 3–23, 5–10, 6–4, 6–7, 7–1,।

(13) व्यतिरेक– 1–24, 2–13, 2–14, 3–6, 4–6, 5–8,।।

(14) समासोक्ति– 1–24, 3–4, 3–14, 3–17, 4–2, 4–3, 4–9, 4–13, 5–7, 6–11, 6–13, 6–19।

(15) विरोधाभास– 1–9, 1–29, 2–1, 2–11, 3–3, 3–7, 3–9, 3–14,।

(16) काव्यलिंग– 1–4, 1–7, 1–11, 1–28, 1–29, 2–5, 2–9, 2–24, 4–16, 5–2, 5–27, 6–5,

(17) अर्थापत्ति– 3–13, 5–14, 5–16, 6–26।

(18) सन्देह– 2–9, 6–10,

(19) भ्रान्तिमान– 1–24,

(20) प्रतिवस्तूपमा– 1–20, 5–4, 5–12

(21) परिकर– 1–3, 1–13, 2–4, 2–10, 3–18, 4–8, 4–11–7–2

(22) पर्यायोक्त– 1–2, 2–15, 3–5, 6–5, 6–12,

(23) समुच्चय– 1–30, 2–5, 2–6, 4–19, 6–5, 6–8

(24) अनुमान– 1–30, 2–7, 3–5, 3–12, 3–13, 5–31, 6–11, 6–15,

(25) विषम– 1–10, 1–18, 2–18, 5–20, 6–1,

(26) पुनरुक्तवदाभास– 1–3, 3–14,

(27) परिणाम 3–3, 3–18, 4–10, 7–5,

(28) यथासख्य– 4–2, 7–29,

(29) विशेष– 5–3

(30) आक्षेप– 5–3

(31) सम– 4–13, 5–15

(32) उदान्त– 7–6, 7–27

(33) भाविक– 7–33

उपमा कालिदासस्यः–

कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विश्वविश्रुत हैं। उनकी उपमाएँ अत्यन्त मनोरम हैं। उनमें लिंग साम्य, औचित्य आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। रम्यता, यथार्थता, विविधता, औचित्य और सर्वांग सुन्दरता आदि गुण उनमें मिलते हैं। यद्यपि उपमा के प्रयोग रघुवंश में सर्वाधिक है, तथापि शाकुन्तल आदि में भी उनकी संख्या कम नही है। कुछ अत्यन्त रोचक उपमा प्रयोग ये है–

अधरः किसलयरागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहू।
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमंगेषु संनद्धम्।।

अभिज्ञान शाकुन्तलम् (1–20)

शकुन्तला के सौन्दर्य का वर्णन है कि उसके अध ार में किसलय की सी लालिमा है, दोनो भुजाएँ कामल शाखा के तुल्य है, उसके अंगों में फूल सा यौवन व्याप्त है।

शकुन्तला पर आसक्त राजा के चित्त की क्या ही सुन्दर उपमा दी गई है–

गच्छतिपुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः।
चीनांशुकामिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य।।

अभिज्ञान शाकुन्तलम् (1–34)

शरीर आगे चल रहा है और मन पीछे की ओर दौड़ रहा है, जैसे हवा के विपरीत ले जाया जाता हुआ ध्वजा का वस्त्र।

ललना ललाम शकुन्तला के लावण्य का अवलोकन कर राजर्षि दुष्यन्त के हृदय में जो ललित उद्गार उद्भूत होते है उनको महाकवि निम्न लिखित श्लोक के द्वारा अभिव्यक्त करता है–

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररु है
रनाविद्धं नत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्।
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं
न जाने भोक्तारं कमिह समुपसीस्पति विधिः।।

शकुन्तला का लावण्य किसी व्यक्ति द्वारा न सूँघे गये पुष्प के समान, नाखूनों के अग्रभाग से न छेदे गये नूतन किसलय के समान, न विधे गये नत्न के समान, जिसके रस का किसी के द्वारा आस्वादन नही किया गया ऐसे नवीन मधु के समान तथा पुण्य कर्मो के अखण्डित फल के समान वर्णित है इस प्रकार इनकी उपमाओं में यह विशेषता है कि वे कि विषय को अधिक स्पष्ट करती हुई रसाभिव्यंजक व्यापार में सहायक सिद्ध होती है। कालिदास उपमा के वर्णन में अद्वितीय है। ऋषियों के मध्य में शकुन्तला जीर्ण पत्तों के बीच में किसलय के तुल्य दिखाई देती है–

मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्।

शकुन्तला को प्रतिगृह भेजने के बाद महर्षि कण्व की तुलना किसी की धरोहर लौटाकर चिन्तामुक्त व्यक्ति से की गई है, क्योंकि कन्या तो पराई सम्पत्ति होती है–

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः।

जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।।

ऋषि मारीचि ने राजा दुष्यन्त, शकुन्तला, और पुत्र भरत की बहुत सुन्दर उपमा क्रमशः विधि, श्रद्धा और वित्त से दी है जैसा की द्रष्टब्य है

दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्।

श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयंहत्समागतम्।।

इस प्रकार कालिदास की उपमाएं पात्र तथा परिवेश के अनुकूल है। उनकी उपमाओं का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हैं जो लौकिक तथा अलौकिक क्षेत्रों से संग्रहीत है। इनकी उपमाओं में सर्थकता के अतिरिक्त रमणीयता, औचित्य, सरलता एवं, यथार्थता के दर्शन होते है। कालिदास कीउपमाओं में केवल अर्थाववोध ही नही होता अपितु उनसे वर्ण्य विषय का चित्र भी उपस्थित हो जाता है। इनकी उपमाओं में मानव सौन्दर्य के साथ–साथ प्रकृति सौन्दर्य को भी ग्रहण किया गया है। इनकी उपमाएं व्यंगार्थ को भी स्पष्ट करती है। संक्षेप में हम कह सकते है कि कालिदास की उपमाएं अनुपम है। उनकी उपमाओं में सजीवता, सरसता, स्वभाविकता, एवं विषयानुकूल भाववोधकता, विद्यमान है अतएव उनके विषय में उपमा कालिदासस्य यह कथन सर्वथा उचित है।

कालिदास की कविता के मर्मज्ञ मल्लिनाथ का कथन तथ्यवाद न होकर यथार्थ है। उनके काव्य के रहस्य को तीन व्यक्ति ही जान सकते है– स्वयं कालिदास, सरस्वती और चर्तुमुख ब्रह्मा

कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती।

चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये च मादृशाः।।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

(1) अभिज्ञानशाकुन्तलम्ः–महाकविकालिदास चौखम्बा सुरभारती 1979

(2) कुमारसंभवम्ः–महाकविकालिदास चौखम्बा सुरभारती 1972

(3) ऋतुसंहारः–महाकविकालिदास चौखम्बा सुरभारती 1990

(4) संस्कृत काव्य शास्त्री भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययनः–चैखम्बा सं. सं. वाराणसी 2002

(5) संस्कृत साहित्येतिहासः–हंसराम अग्रवाल चौाखम्बा सं. सं. वाराणसी 2004,

(6) संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहासः– डॉ0 कपिल देव द्विवेदी 1994

(7) रसगंगाधर जगन्नाथः–चौखम्बा प्रकाशन 1971

(8) मृच्छकटिकम् शुद्रकः–निर्णय सागर प्रेस 1963

(9) मालविकाग्निमित्रम प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदीः–काशी हिन्दू विश्व विद्यालय 1976

(10) अभिज्ञानशकुन्तलम् डॉ0 कपिल देव द्विवेदीः–रामनारायण लाल एण्ड संस प्रयाग प्रकाशन 1997

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 10th Apr 21
Paper Accepted : 30th Apr 21

गांधी जी एवं स्वच्छता का अध्ययन

❑ राजेश शर्मा*
❑ डॉ. उपमा सिंह**

शोध सारांश

किसी भी तरह का बदलाव लाने में युवा मुख्य दूत और अगुआ के तौर पर भूमिका अदा करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने शैक्षाणिक संस्थानों के जरिये स्वच्छता की संस्कृति को विकसित करने के लिये युवाओं का उपयोग करने का फैसला किया है। इसी तरह, रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और शहरी मामलों जैसे मंत्रालय मिशीनरी अंदाज में रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंम्पों और स्मार्ट सिटी और गाँवों के बड़े नेटवर्क के जरिये जलापूर्ति–कचरे के सुरक्षित प्रबंधन और आधारभूत संरचना के रखरखाव से संबंधित स्वच्छता की पूरी श्रृंखला तैयार करने को लेकर काम कर रहे हैं। इस तरह से यह अभियान पहले ही 'स्वच्छता' को जीवन शैली बनाने की राह पर पहुँच चुका है।1

शब्दबीज :–गांधी स्वच्छता, शहरी, गांव शिक्षा कचरा, रखरखाव इत्यादि।

परिचय :–

आईसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुका एक युवा गाँधी से आशीर्वाद लेने उनके सेवाग्राम आश्रम पहुंचा। गाँधी ने इस युवा से पूछा, आप आईसीएस क्यों बनना चाहते हैं? गाँधी ने इस व्यक्ति से कहा गाँवों में जाकर स्वच्छता के लिए काम करना भारत के लिए सबसे बड़ी सेवा है और इस तरह से आईसीएम के आकांक्षी 'सफाई' की कला में विशेषज्ञता हासिल करते हुए एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बन गए। स्वतंत्रता संग्राम के स्कूल में सफाई और 'स्वच्छता' स्नातक के लिए टेस्ट जैसा था विनोवा भावे, ठक्कर बप्पा जे.सी. कुमारस्या समेत कई प्रतिभाशाली युवकों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हुए सफाई और स्वच्छता को स्वतंत्रता का मूल मानकर इस दिशा में काम किया।

सत्य के खोजी के रूप में गाँधी ने संयमित जीवन शैली अपनाई और स्वच्छता को सर्वोच्च अहमियत दी। राष्ट्रपिता के रूप में उन्होंने राष्ट्र निर्माण में स्वच्छता की अनिवार्यता को महसूस किया और स्वच्छता को ईश्वर की भक्ति जैसा बताया।

विकास मानव सभ्यता का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। पाषाण युग के शिकारी जीवन से लेकर

* शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक, राजनीति शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

विकसित शहरी इंसान बनने तक के सफर में हमने जीवन में अपने बड़े पैमाने पर बदलाव लाया है। विकास को नवोन्मिष के जरिये जीवन के पहलुओं में बेहतरी के तौर पर देखा जाता है। मानव विकास की धारणा में किसी व्यक्ति के बेहतर जीवन से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा, साफ और ताजी हवा, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य और सफाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकल्पों की स्वतंत्रता आदि। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के मुताबिक विकास के ऐसे ज्यादातर पहलुओं को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की श्रेणी में रखा जा सकता है। विकासशील समुदाय के रूप में हमने शारीरिक जरूरत के एक पहलू आपूर्ति के लिए तंत्र बनाने के लिये काफी परिश्रम किया है, जबकि दूसरे पहलू निपटाने की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। विकास के एजेंडे में यह नहीं के बराबर दिखता है।

एक कहावत है कि ''अच्छी शुरूआत आधी सफलता है।''2 बाकी आधी सफलता को लेकर एक कहावत यह भी है ''आप किस तरह से किसी काम को खत्म करते है, यह भी काफी अहम है।''3

मानव सभ्यता अगर खाना तैयार करने और विकास के उपकरण बनाने मूं पारंगत है, तो उसे अपने उत्पादों के निपटारे की कला में भी विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। चाहे इंसान का मलमूत्र हो, औद्योगिक कचरा, विकास संबंधी गतिविधियों से जुड़े अन्य कचरे हों, दुर्भाग्य से इन तमाम चीजों के निपटारें की तरफ ध्यान नहीं है।

कचरों के निपटारे की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे बाजार और यहां तक कि मंदिरों के अहाते में भी मक्खी, मच्छर और चूहा आदि की भरमार देखने को मिलती है। गाँधी ने इसे दुर्गंध का अड्डा कहा था। यहाँ तक कि हमने पवित्र गंगा को भी गंदे नाले में बदल दिया है। गाँधी ने सार्वजनिक जगहों पर साफ–सफाई को लेकर शहरों की भी निन्दा की, उन्होंने कहा था कि लोग जब सड़क पर चलते है, तो उन्हें लगातर यह डर बना रहता है कि वहाँ मौजूद इमारतों से कोई उन पर थूक देगा। वह खुले में शौच को 'असभ्यता' मानते थे और उन लोगों के बारे में उनका कहना था ''अगर कोई भी उस वक्त वहां से गुजरता था, हमें अपनी आंखें नीची करनी पड़ती है।4

गाँधी के लिए स्वच्छता सिर्फ जैविक आवश्यकता नहीं है, यह जीवनशैली है, सत्य की अनुभूति करने का अटूट हिस्सा है। स्वच्छता को लेकर उनकी समझ सत्य को लेकर उनकी सार्वभौमिक अनुभूति से जुड़ा हुआ है। गाँधी सत्य को ईश्वर की तरह पूजते थे और उन्होंने इसे पवित्र माना। इसलिए उन्होंने स्वच्छता की तुलना 'ईश्वर भक्ति' से की। उन्होंने 'स्वच्छता' को स्वतंत्रता के लिए जरूरी कदम माना और इसे 18 रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया। सत्य के इस निराकरण ने जीवन को सत्य का सबसे करीबी स्वरूप माना और इसलिए उन्होंने जीवन की तुलना सत्य या ईश्वर से की। ऐसे सभी प्रक्रियाएँ जो जीवन का हिस्सा और इससे संबंधित आचरण भी सभ्य की अनुभूति का हिस्सा है। इस अर्थ में गाँधी स्वच्छता व्यक्ति के अन्दर और बाहर की सफाई को ईश्वर की अनुभूति की साधन मानते थे। उनका कहना था 'हम गंदे शरीर के साथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ शरीर का गंदे शहर में वास नहीं हो सकता है।5

भारत की स्वतंत्रता को लेकर गाँधी के समग्र नजरिये के कारण उन्हें स्वराज के लक्ष्य में स्वच्छता की अनोखी अहमियत के बारे में समझने का अवसर मिला। भारतीय होमरूल के अधिकार सिलसिले में मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया ''स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।''6 गाँधी के लिए स्वराज के काफी गहरे मापने है। उन्होंने 'यंग इण्डिया' में कहा 'स्वराज पवित्र और वैदिक शब्द है, जिसका आशय स्व–शासन या आत्म नियंत्रण होता है। यह आर्थ सभी नियंत्रण से मुक्ति नहीं है जो अक्सर 'स्वतंत्रता' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तमाम गतिविधियों को लेकर आत्म नियंत्रण। इसमें सार्वज्ञानिक

स्थानों पर कचरा फैलाने से भी आत्म नियंत्रण का मामला शामिल है। उन्होंने यह भी कहा ''मेरे सपनों का स्वराज गरीब आदमी का स्वराज ळै और समाज के अंतिम पापदान पर मौजूद व्यक्ति को सहयोग के लिए आत्म नियंत्रण की जरूरत है।7

गाँधी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन कचरे का जिक्र किया था, जो इस पवित्र शहर में दुर्गंध फैला रहा था। उनका कहना था ''कितनी भी भाषणबाजी हमें स्वशसन उपयुक्त नहीं बनाएगी। हम अने आचरण से इसके उपयुक्त बन सकते हैं।8 स्च्छता उनके लिए 'स्वराज यज्ञ' रहा। उन्होंने इस 'आत्म–नियंत्रण की 'व्यक्तिगत' और 'सार्वजनिक' दोनों जीवन में वकालत की। निपटान संबंधी तंत्र के बारे में गाँधी का कहना था ''स्वराज तक पूर्ण स्वराज नहीं माना जाएगा, जब तक इसके तहत सभी इंसानों को जीवन की सामान्य सुविधाएं सुनिश्चित तौर पर मुहैया नहीं करायी जाती है।9

स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्वतंत्रता के आयामों की व्याख्या की और 'स्वच्छ व्यवहार' के महत्व को रेखाकिंत किया। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि ''खुद की सरकार के बारे में सोचने से पहले हमें आवश्यक परिश्रम करना होगा। 10 ''हमारी गरीबी का एक प्रमुख कारण साफ–सफाई के बारे में जरूरी ज्ञात की कमी है। 11 इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि स्वराज भारत को सिर्फ अंग्रेजी दासता से नहीं अतः हर तरह की दासता से मुक्त कर रहा है। एक और अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वराज सतत परिश्रम और पर्यावरण के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग का फल होगा।

गाँधी अहिंसात्मक जीवन को ईश्वर और सत्य की पूजा के सबसे अच्छे साधन के रूप में देखते थे। वह सफाई को शुद्धिकरण का कार्य मानते थे और इसमें उन्हें काफी आनंद मिलता था। गाँधी के निजी सचिव प्यारेलाल इस बारे में दिलचस्प किस्सा सुनाते है। उनके मुताबिक यह मामला नोआखली का है, जहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गाँधी सघन दौरे पर थे। उन्होंने लिखा है, ''यहां तक कि नोआखली में रात काफी ओस भरी थी और गाँधी जी को जिस फुटपाथ से गुजरना था, उसमें काफी फिसलन हो गई थी। यह 19 जनवरी 1947 की बात है, जब वह बादलकोट से अतकारा के लिए रवाना हुए थे। किन्तु पैदल मार्च के आदी रहने के बावजूद कर्नल जीवन सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वह लुढ़क गए इसके बाद गाँधी ने हंसते हुए उन्हें उठने में सहारा देने के लिये अपनी लाठी का आखिरी सिरा आगे बढ़ाया।12

फुटपाथ की जगह इतनी संकटी थी कि टोली एक एक कर ही आगे बढ़ सकती है। अचानक से यह काफिला रुक गया। दरअसल गाँधी रूककर कुछ सूखी पत्तियों की मदद से पुटपाथ पर से माल हटा रहे थे। फुटपाथ को कुछ सांप्रदायिक शरारती तत्वों द्वारा फिर से गंदा कर दिया गया था। इस पर मनु ने पूछा ''आप मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते ?''13 गाँधी ने हंसते हुए जवाब दिया ''आपको नहीं पता है कि इस तरह का कार्य करने में मुझे कितनी खुशी होती है।''14

उनकी राय में गांव सभी प्रमुख उत्पादों आहार का केन्द्र होते है और ग्राम राज्य भारत का दिल है। गाँधी का मानना था कि ग्राम्य जीवन में भारत की आत्मा है। इसलिए उन्होंने हिंद वराज की तुलना 'ग्राम्य राजा' से की। स्वतंत्र भारत के गांव को सुधार कर ऐसा बनाए जाय, जहाँ ग्राम्य जीवन से जुड़ी हर तरह की जरूरतो के उत्पादन के ग्राम उद्योग हों कोई अनपढ़ नहीं हो, सड़के साफ हों, निकासी के लिए तय जगह हो और कुंए भी साफ हों।15

गाँधी ने कहा था, ''एक आदर्श गांव का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि इसमें स्वच्छता के लिए पूरी गुंजाइश हो। इसमें पर्याप्त रोशनी वाली झोपड़ियाँ होगी और उसमें हवा की आवाजाही के लिए निर्माण से जुड़ी सामग्री वैसी होगी, जो घर के 5 मील की दूरी पर उपलब्ध हो सके।16

सन्दर्भ स्रोत :–

1. योजना (2018) संपादकीय (विकास को समर्पित मासिक) विशेषांक, वर्ष 62, अंक 11, पृ. 5
2. बी.ओड इकानॉमिक ग्रोथः मीटिंग चैजेंजेज आफ ग्लोबल डिवेलपमेंट' 6 अक्टूबर 2004
3. http://www.worldhank.org/depweb/english/beyond/beyondco/beg_1.pdfj04
4. सीडब्ल्यूएसजी, खंड 13, पू. 213।
5. स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पृ. 213
6. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम : इट्स मीनिंग एण्ड प्लेस, नवजीवन, अहमदाबाद, 1941
7. यंग इंडिया, 19.11.1925
8. यंग इडिया, 19–13–1931, पू. 38
9. आईबिड, पृ. 212
10. यंग इंडिया, 26–03.1931, पृ. 461
11. स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीडब्ल्यूएमजी, खण्ड 13, पृ. 213
12. शिक्षण अने साहित्य, 18–08–1929;41'295
13. यंग इंडिया, 12–06–1924, पृ. 195
14. यंग इंडिया, 05–01–1922,पृ.4 और यंग इंडिया, 27–08–1925, पृ.297, एमओएमजी, पृ.319
15. प्यारेलाल –लास्ट फेज।
16. लेटर टू. मुन्नालाल शाह, 4–4–1941, 73:29

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 10th Apr 21 Paper Accepted : 30th Apr 21

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मानव संसाधन की प्रमुख भूमिका

❑ बबिता शुक्ला*
❑ डॉ. प्रभाकर सिंह**

शोध सारांश

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे और पूंजीगत वस्तुओं में एक मजबूत आधार प्रदान करना था। प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने महसूस किया कि निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा विनिर्माण आधार और पर्याप्त तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी होना आवश्यक था इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में शामिल करने का प्रयत्न किया गया हैं।

मुख्य शब्दः—भारत, हैवी, इलेक्ट्रिकल्स, लिमिटेड, मानव, संसाधन, उपकरण, आपूर्ति, इत्यादि।

प्रस्तावना :—

भारत के बहुत भारी विद्युत उपकरण उद्योग में मुख्य रूप से देश की छवि के योजनाकारों ने माना कि लंबे समय तक औद्योगिक विकास के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति हेतु एक पूर्व शर्त थी। यह एक मजबूत घरेलू बिजली उपकरण उद्योग के साथ ही कायम रह सकता है। तदनुसार, योजना आयोग ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक सभी प्रकार के भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने की सिफारिश की।

परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 17 नवंबर, 1955 को एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (AEI), यूके के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके लिए भारत में भारी बिजली के उपकरणों के निर्माण के लिए भोपाल में एक कारखाना स्थापित किया गया था। कंपनी को 29 अगस्त, 1956 को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड [HE (I) L] के रूप में पंजीकृत किया गया था।

बिजली उत्पादन क्षमता की मांग में लगातार वृद्धि की उम्मीद थी कि भारत सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में सदी के अंत तक 1,00,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन के लिए देश में स्थापित क्षमता को बढ़ाने का संकल्प लिया गया था। तदनुसार सरकार द्वारा भारी विद्युत उपकरणों के

* शोधार्थी, एम.फिल (वाणिज्य)
** निर्देशक, प्राध्यापक (वाणिज्य), शास. संजय गॉधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

निर्माण के लिए तीन और संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

अपने मानव संसाधन के प्रति अपनी वचन बद्धता के अनुरूप, बीएचईएल में मानव संसाधन नीतियां अपने कर्मचारियों के लिए उपयोगकर्ता–अनुकूल है। संगठन ने कार्यस्थल पर सभी समकालीन पद्धतियों को अपनाते हुए, सभी मानव संसाधन, कार्यों में पारर्शिता सुनिश्चित की है। जिसने दो तरफा विश्वास पैदा किया है। कर्मचारियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अनेक तरीकों से कर्मचारी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है बीएचईएल ने 2001–02 में एक आनलाइन पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत की थी। यह एक मील का पत्थर था, क्योंकि उस समय पीएसयू में यह नियम नहीं था कर्मचारी मूल्यांकन के लिए बेल–कर्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और व्यक्तिगत स्कोर दिए जाते है, जिन्हें मानवीकरण की वैज्ञानिक प्रणाली संचालित प्रक्रिया के माध्यम से रेटिंग में परिवर्तन किया जाता है।

बीएचईएल जैसे मजबूत संगठन में कर्मचारियों के लिए करियर अस्थिरता जैसे मुद्दे नहीं पैदा होते। नौकरी की सुरक्षा, उच्च क्षमता कर्मचारी योजना, कार्यों में नियमित परिवर्तन, विशिष्ट विकास प्रक्रियाएं ओर उत्तराधिकार योजना प्रणाली कई सालों से लागू है।

भेल में भर्ती की पूरी प्रक्रिया ई–सक्षम और पारदर्शी हे। एक केन्द्रीय पीएसयू होने के नाते, भर्ती और चयन में सभी सरकारी दिशा–निर्देशों को आमंत्रित किया जाता है, वे नियत तरीके से व्यापक रूप से विज्ञापित होती है इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यकता हो, मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति, संघों और रोजगार केन्द्र को अधिसूचना भी दी जाती है। चयन समिति सरकारी निर्देशों के अनुसार गठित की जाती है और सर्वोत्तम उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भर्ती में आरक्षण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

संगठन की रणनीतियों और नीतियों को तैयार करते समय कर्मचारियों की राय और धारणाओं को समेकित और कार्यन्वित किया जाता है। करियर विकास उन्मुख पदोन्नति नीति सभी व्यक्तियों की उन्नति और विकास के लिए मंच प्रदान करती है। मानव संसाधन प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के साथ बेंचमार्क किया जाता है भले ही वे भर्ती कर्मचारी लाभ या एचआर सिस्टम जैसे ऑनलाइन जानकारी और आवों के सिस्टम हो अथवा चिकित्सा आवास और बीमा जैसे कर्मचारी केंद्रित कल्याण योजनाओं के संबंध में मानव संसाधन नीतियां हों।

भेल के तहत संयंत्रों ने भी तेजी से प्रगति की। हालाँकि, दोनों कंपनियों के उत्पाद प्रोफाइल और प्रौद्योगिकियों में पूरक के रूप में काफी ओवरलैप था। उत्पाद प्रोफाइल के युक्तिकरण, डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रथाओं के मानकीकरण की तत्काल आवश्यकता थी। निगमों के एकीकरण से तालमेल और संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा। मर्ज की गई इकाई भी बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को खड़ा करने में बेहतर होगी। विचार–विमर्श के बाद 1972 में भारत सरकार ने दोनों निगमों के संचालन को मिलाने और वास्तव में आधुनिक वैश्विक उद्यम बनाने का निर्णय लिया। तदनुसार, [HE (I) L] और BHEL औपचारिक रूप से जनवरी 1974 में विलय हो गए।

आकर्षण कर्मचारी लाभ :–

सामाजिक सुरक्षा के वैधानिक प्रावधान के अतिरिक्त, बीएचईएल अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय और चिकित्सा लाभ दोनों में व्यापक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। कर्मचारियों के लिए विस्तृत तकनीक और कार्यात्मक क्षेत्रों में सीखने और व्यावसायिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यहां कर्मचारियों का नियुक्ति कार्य उत्कृष्ट प्रशिक्षण और विकास लाभ तक ही सीमित नहीं है। इसके विपरीत संगठन अपने कर्मचारियों को व्यावहारिक पहलुओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों खेल आयोजनों, टाउन होल्स कारखाना परिषदों संचंत्र परिषदों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रबंधन

समितियों पर त्रैमासिक प्रतिक्रिया के माध्यम से आकर्षित करने में विश्वास करता है। संगठन ने एक सोशल नेटवर्किंग पोर्टल लॉन्च किया है। जो कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संचार को आगे की ओर बढ़ाएगा। एक सुनियोजित व्यवस्था है। जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी शिकायते कह सकते हैं। बीएचईएल सभी स्तरों पर किए गए सर्वोत्तम कार्यों को मान्यता और प्रोत्साहन देने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसलिए कंपनी ने तिमाही के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों को पुरूष्कृत करने के लिए कई अन्य पुरूस्कारों के अलावा उत्कृष्टता पुरूस्कार योजना शुरू की है।

पहला उच्च दबाव बॉयलर के लिए तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में था, दूसरा हैदराबाद (तेलंगाना) में स्टीम टर्बो जनरेटर और उच्च दबाव पंप और कम्प्रेसर के लिए–ये दोनों चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से और तीसरा प्लांट हरिद्वार (उत्तराखंड) में है। इसके साथ ही बड़े स्टीम टर्बो जनरेटिंग सेट और मोटर्स के लिए यूएसएसआर सहयोग और टर्बाइन और जनरेटर सहित हाइड्रो जेनरेटिंग सेट भी।

ये तीन नई कल्पना की गई परियोजनाएँ हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड का हिस्सा थीं, जिसके लिए भोपाल में काम शुरू किया गया था। सभी प्रारंभिक प्रारंभिक कार्य भोपाल से नवंबर 1964 तक किए गए। सरकार ने इन तीनों इकाइयों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक अलग निगम बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जन्म और औपचारिक रूप से 13 नवंबर, 1964 को शामिल किया गया।

मानव संसाधन

- जन प्रबंधन

● सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ई–पेपर पोर्टल बीएचईएल राउंडग्लास ओडीपी परामर्श के लिए प्रणाली बीएचईएल राउडग्लास पर डॉक्टर का पंजीकरण एस्टेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली।

ईकाई/प्रभाग	स्थान	नाम
बीएचईएल विनिर्माण इकाईयां	बैंगलूरू	इलेक्ट्रानिक्स डिविजवन (ई डीएन) इलेक्ट्रनिक्स सिस्टम्स डिवीजन(epsd) इलेक्ट्रिक एवं फोटोवोल्टाइक (EPD)
	भोपाल	हैवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट (HEP)
	गोंइंदवाल	इन्डस्ट्रियल वाल्व प्लान्ट IVP
	हरिद्वार	हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट प्लान्ट HEEP
		सेन्ट्रल फाउंड्र फोर्ज प्लान्ट CAFFP
	हैदराबाद	हैवी पावर इक्विपमेन्ट प्लन्ट HPEP
	जगदीशपुर	फेब्रिकेशन स्टाम्पिंग एवं इन्सुलेटर प्लान्ट (FSIP)
	झांसी	ट्रांसफार्मर प्लांट (TP)
	रुद्रपुर	कम्पोनेन्ट फेब्रिकेशन प्लांट (CFP)
	शनीपेट	बॉयलर ऑगिललरी प्लान्ट (BAP)
	तिकचिराफल्ली	हाई प्रेशर बायलर प्लांट (HPBP)
		सीमलेस स्टील ट्यूब प्लान्ट SSTP
	तिरुमपम	पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (PPTU)
	विशाखापटनम	हैवी प्लेट एंड वेसल प्लांट (HPVP)
बीएचईएल रिपेयर यूनिट्स	मुम्बई वाराणसी	इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (EMRP) हैवी इक्विपमेन्ट रिपेयर प्लान्ट एचईआरपी
बीएचईएल पावर सेक्टर रीजन	पावर सेक्टर उत्तरपूर्वी क्षेत्र पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र पावर से पश्चिमी क्षेत्र पावर से दक्षिणी क्षेत्र	पावर से उत्तरपूर्वी क्षेत्र पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र पावर से पश्चिमी क्षेत्र पावर से दक्षिणी क्षेत्र
बीएईएल निनिर्माण इकाईयाँ	बेंगलुरु चेन्नई	औद्योगिक प्रणाली समूह (ISG) टाइपिंग केन्द्र

स्रोत :– भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 2019–20

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 2019–20 में

1. कुल 1,09000 करोड़ के आर्डर
2. गैर–कोयला व्यापार को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया ट्रांसमिशन, सौर एयरोस्पेस और रक्षा व्यवसायों में अब तक से बसें अधिक आर्डर प्राप्त किए।
3. आज तक भारत और विदेशों में 190 गीगावाट से अधिक विद्युत उत्पादक उपकरण स्थापित किए गए
4. देश में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय बाजार में एकमात्र सबसे बड़े हिस्सेदार।
5. उन्नत अल्ट्रा सुयरक्रिटिकल टेक्नॉलॉजी (एयूएससी) सही दिशा की ओर जा रहा है। हाई स्पिन रोटर टेस्टरिंग की कमीशनिंग की गई उच्च तापमान अनुप्रयोगों और मिश्र धातु 617 ब्लेड के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी स्थापित की गई।
6. 1.2 गीमावाट से अधिक सौर पीवी पोटकोलियो देश के फ्लोटिंग सोलर पीवी मार्केट में सबसे बड़ा ईपीसी समाधान प्रदाता।
7. बीना म.प्र. में कमीशन किए गए भारतीय रेल्वे के कर्षण ग्रिड को सीधे बिजली की आपूर्ति करने वाले 1.7 मेगावाट एस पीटी का पहला संयत्र।
8. 43 मिमियन यूनिट बिजली 28 एमडब्लयूपी इन हाउस अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न हुई।
9. क्षमता निर्माण, उत्पादकता बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए कंपनी की सम्पत्ति में 330 करोड़ से अधिक निवेश किया गया।
10. अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में 750 करोड़ से अधिक का निवेश 549 पेटेंट और कॉपीराइट दायर 4,849 कुल बौद्धिक पूंजी।
11. मानव पूंजी आधार 33752,9000 + इंजीनियर।
12. विश्वकर्मा पुरस्कार 88 बीएचईएल कर्मचारियों द्वारा जीते गए।

नियोजन–

किसी संस्थान में मानव संसाधन, नियोजन प्रबन्धकीय प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। मानव संसाधन नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि बदलते परिवेश में इसके रूप में परिवर्तन आया है। मानव संसाधन किसी भी संस्थान का महत्वपूर्ण संपत्ति होती है जिसमें पाई जाने वाली विशेषता के कारण गतिशीलता पाई जाती है। संगठन में नए श्रम शक्ति का आगमन और पुराने श्रम शक्ति का विस्थापन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन में सभी प्रकार के कार्यों को अंजाम देने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति सही समय पर बनी रहे ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शीघ्रता आवे। मानव संसाधन नियोजन में नई भर्ती, स्थानांतरण; पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, स्वैच्छिक विमुक्ति, हायर एंड फायर श्रमिकों की पारिवारिक परिवृत्ति तथा श्रम परिवर्तन दर, बाजार की परिस्थितियां, तकनीकी परिवर्तन आदि कई कारणों से परिवर्तन होता रहता है किंतु एक कुशल मानव संसाधन प्रबंधक का दायित्व होता है कि संगठन में मानव संसाधन की सही प्रवृत्ति हमेशा बनी रहे क्योंकि सही व्यक्ति सही आकृति सही कार्य सही समय पर तथा सही मात्रा नियोजित करके संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अतः मानव संसाधन प्रबंधक को इसका नियोजन करना पड़ता है।

मानव शक्ति नियोजन संगठन की सफलता को निर्धारित करता है। अतः संगठन को एक सही आकृति का निर्धारण उसकी भांति चयन प्रशिक्षण व विकास आदि कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। मानव संसाधन का संख्यात्मक या मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों की आकृति का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि विगत पारगमन की अवस्था में सही मानव संसाधन आकृति का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में मानव संसाधन प्रबंधन का नियोजन भली भांति सोच विचार कर एवं भूतकाल में होने वाले प्रभावों को

देखकर सही नियोजन की ओर ध्यान दिया जाता है। इस नियोजन प्रक्रिया में अनेक कदमों से गुजरना पड़ता है।

- मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य (Objectives of human resource planning)
- वर्तमान मानव संसाधन सूची (Current human resource inventory)
- मांग का पूर्वानुमान (Demand forecasting)
- आपूर्ति पूर्वानुमान (Supply forecasting)
- कुल मानव संसाधन आवश्यकता का अनुमान (Estimating the net human resource requirements)
- पुनः प्रतिनियुक्ति तथा अतिशय के लिए कार्यक्रम योजना अतिशय (Action plan for redeployment or redundancy)
- कार्य आवश्यकता के अनुरूप पद का निर्धारण जो भरा जायेगा (Determining job requirements of positions to be filled)
- नियोजन योजना (Employment plan)
- प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम (Training and development programme)

मानव संसाधन प्रबंधक निर्धारित समय में संचालक मंडल के समक्ष उन बिन्दुओं को प्रस्तुत करता है जो ऊपर दर्शाए गए हैं। संचालक मंडल द्वारा पूछे गए प्रश्नों व सुझावों को भी विवेक पूर्ण ढंग से उत्तर देता है। नियोजन का प्रारूप तैयार करते समय प्रत्येक संचालक के सुझावों पर आम सहमति स्वीकार्य व अस्वीकार्य किया जाता है तथा एक अर्थपूर्ण नीति का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक बैठक में नीतियों की समीक्षा की जाती है। नवीन बिन्दुओं को सम्मिलित करना व अनुपयोगी बिन्दुओं को हटाना संचालक मंडल की विवेक एवं निर्णयों पर निर्भर करता है।

संदर्भ स्रोत :–

1. डॉ0 कामेश्वर पंडित प्रीति रैना, मानव संसाधन प्रबंधन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.क्र. 50
2. https://www.bhel.com/history-bhel
3. भेल की विभिन्न वार्षिक रिपोर्ट , 2016, 2017, 2018, 2019

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal

SJIF - 5.299

Paper Recieved : 15th Apr 21 Paper Accepted : 25th Apr 21

The Needs of Wood Substitutes

❑ Nisha Pandey*

ABSTRACT

The research paper deals with the wood, as a building material, possesses a number of valuable properties such as low heat conductivity, amenability to mechanical working, small bulk density, relatively high strength, etc. It has also its worn drawbacks such as susceptibility to decay and inflammability, fluactuations in properties due to changes in moisture content, variations in strength in length and across fibres, etc. These shortcomings of timeber can greatly be reduced by the application of some of the modern wood processing techniques.

Key Words : Needs, Wood, Substitutes, growth Industry etc.

Introduction :

The wood is the most unusual and valuable raw material of the building construction. There is acute shortage of this critical building material in the country. It is necessary that instead of curtailing or banning its use in the building construction and advocating usage of energy intensive materials like steel, aluminum and plastic, suitable alternatives should be found out to augment the availability of wood for the construction.

The traditional forest species take about 50 years or even more to yield tree of adequate girth capable of producing quality timber. On the other hand, there are several fast grown species which mature in 10 to 20 years and can produce wood to augment wood supply. These species are Babul, Eucalyptus, Poplar and sissoo which have been found suitable under various climatic and soil conditions. In this research paper give the various aspects of timber as the most versatile building material will be briefly discussed.

The work timber is derived from an old English word timbrian which means to build. The timber thus denotes wood which is suitable for building or carpentry or various other engineering purposes and it is applied to the trees measuring not less than 600 mm in girth or circumference of the trunk. In this research paper following three terms are to be noted in connection with the timber: 1. Converted timber: This indicates timber which is sawn and cut into suitable commercial sizes. 2. Rough timber: This indicates timber which is obtained after felling a tree. 3. Standing timber: This indicates timber contained in a living tree.

The trees are the tallest living things and the man chops down forests without replanting for tomorrow. The forests are vital for the economic prosperity of land. The man and trees are closely linked and without trees, the life on our planet would be endangered. The powers of tree can be briefly enumerated as follows: 1. It conserves soil moisture. 2. It precipates rainfall and lowers temperature. A single tree can cool the summer heat for an entire day and night and is found better than 20 air-conditioners running for 20 hours. 3. It prevents

* Lecturer, Civil Engineering, Govt. Polytechnic College, Rewa (M.P.)

depletion of the ozone layer of the atmosphere. 4. It prevents solid erosion. 5. It produces oxygen and purifies the air. It is estimated that a hectare of trees will produce about 10 tonnes of oxygen which is enough for 45 persons to live for one year.

Review Literature :

A wood substitute is a material that is produced from natural materials combined with others, such as rice husks, empty fruit bunches, bagasse, and agricultural residues after harvesting, or a product that is developed from synthetic polymers, such as plastic beads and recycled plastic. Such materials can be used instead of real wood from nature [9,10]. Nowadays, technology that utilizes wood waste and other agricultural residues for industrial production is highly advanced, creating industrial wood substitutes such as wood-based panels, particleboards, medium-density fiberboards, and wood–cement boards. Furthermore, technology to create synthetic polymers to be used as wood substitutes and conventional composites, such as plywood, polymer composites, and wood–plastic composites, has been developed

Trott, P. Innovation Management and New Product Development, 6th ed.; Pearson Education, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2017; pp. 300–330.

Prof. Ratczak (2008) Wood Technology Institute Poland, Substitution becomes a universal and inevitable phenomenon as a result of technological advancement and ever-growing societal needs. It is remarkable that at the same time: - substitution is a positive process allowing saving valuable natural raw materials, incl. wood; - substitution is negative, as in many cases production, use, and disposal of non-wood products are harmful to the environment. The main areas where increased substitution of wood raw materials and wood materials is observed are: 1 construction (structures, windows, doors, flooring), 2 transport (sleepers), and 3 packaging. The raw materials (materials) which compete with wood first of all are: plastics (packaging, windows, doors, furniture), aluminium (windows, construction elements in the building industry, transport and furniture), steel (construction of bearing structures: bridges, houses, etc.), cement (as above).

L. GUSTAVSSON1,* , R. MADLENER2 , H.-F. HOEN3 , G. JUNGMEIER4 , T. KARJALAINEN5, S. KLÖHN6 , K. MAHAPATRA1 , J. POHJOLA7 , B. SOLBERG3 , H. SPELTER (2004) THE ROLE OF WOOD MATERIAL FOR GREENHOUSE GAS MITIGATION, We synthesize aspects from engineering, natural and social sciences to better understand the role of wood substitution in CO2 mitigation. We also formulate some recommendations on filling knowledge gaps that could be useful for policy making regarding how wood substitution could be further expanded. There are sufficient wood resources to substantially increase the use of wood for material and energy purposes. However, a number of factors hinder a wider use of wood for energy and material purposes. To improve the knowledge about wood as a substitute for other resources and the implications, it would be helpful to better integrate research from different disciplines on the subject and cover different scales from a project to an economy-wide level.

A.L. Hammelt, robert L. Youngs, Xiufang Sun and Mudit Chandra (2001) Non-Wood Fiber as an Alternative to Wood Fiber in China's Pulp and Paper Industry. As raw materials for paper manufacturing, rice straw and wheat straw are easily available and relatively cheap to use However, the environmental concerns over small mails that use straw offset this advantage. As the government reinforces environmental regulations, the amount of rice straw and wheat straw used in pulping might be reduced considerably. Bamboo will become a more popular source of fiber in China's pulp and paper industry. The technology of bamboo pulping is developing at a rapid rate as a result of significant amounts of government sponsored research.

Classification of trees: For the engineering purposes, the trees are classified according to their mode of growth. Following is the classification:

1. Exogenous trees: These trees increase in bulk by growing outwards and distinct consecutive rings are formed in the horizontal section of such a tree. These rings are known as the annual rings because one such ring is assed every year and these rings are useful in predicting the age of tree. The timber which is mostly used for engineering purpose belongs to this category. The exogenous trees are further subdivided into two groups:1. conifers; and 2. deciduous.

The conifers are also known as the ever-green trees and leaves of these trees do not fall till new ones are grown. As these trees bear cone-shaped fruits, they are given the name conifers. These trees yield soft woods which are generally light coloured, resinous, light in weight and weak. They show distinct annual rings.

The deciduous trees are also known as the broad-leaf trees and leaves of these trees fall in autumn and new ones appear in spring season. The timber for engineering purposes is mostly derived from deciduous trees. These trees yield hard woods which are usually close-grained strong, heavy, dark coloured, durable and non-resinous.

Soft woods and hard woods: The soft woods form a group of ever-green trees. The hard woods form a group of broad-leaf trees. It is to be noted that the terms soft woods and hard woods have commercial importance only. It is quite likely that some variety of soft wood may prove to be stronger than some variety of hard wood. Table 8-1 prepared to show points of differences between soft woods and hard woods.

No.	Item	Soft woods	Hard woods
1.	Annual rings	Distinct	Indistinct
2.	Colour	Light	Dark
3.	Fire resistance	Poor	more
4.	Medullary rays	Indistinct	Distinct
5.	Strength	Strong for direct pull and weak for resisting	Equally strong for resisting tension,
6.	Structure	thrust or shear	compression and shear
7.	Weight	Resinous and split easily	Non-resinous and close-grained
		Light	Heavy.

The example of soft woods are chir, deodar, fir, kail, pine, spruce, etc. and those of hard woods are babul, mahogany, oak, sal, teak, etc.

2. Endogenous trees: These trees grow inward and fibrous mass is seen in their longitudinal sections. The timber from these trees has very limited engineering applications. The example of endogenous trees are bamboo, cane, palm, etc.

Structure of a tree:

A tree basically consists of three parts, namely, trunk, crown and roots. The function of the trunk is to support the crown and to supply water and nutrients from the roots to the leaves through branches and from the leaves back to the roots. The roots are meant to implant the tree in the soil, to absorb moisture and the mineral substances it contains and to supply them to the trunk. Form the visibility aspect, the structure of a tree can be divided into two categories: i. Macrostructure ii. Microstructure.

(i) Macrostructure:

The structure of wood visible to the naked eye or at a small magnification is called the macrostructure. Fig. 8-1 shows the transverse section of the trunk of an exogenous tree. Following are its different components:

1. Pith: The innermost central portion or core of the tree is called the pith or medulla. It varies in size and shape for different types or trees. It consists entirely of cellular tissues and it nourishes the plant in its young age. When the plant becomes old, the pith dies up and decays and the sap is then transmitted by the woody fibres deposited round the pith. The pith of branches is nothing but merely a prolongation of the pith of stem.

2. Heart wood: The inner annual rings surrounding the pith constitute the heart wood. It is usually dark in colour. As a matter of fact, it indicates dead portion of tree and as such, it does not take active part in the growth of tree. But it imparts rigidity to the tree and hence it provides strong and durable timber for various engineering purposes.

3. Sap wood: The outer annual rings between heart wood and cambium layer is known as the sap wood. It is usually light in colour and weight. It indicates recent growth and it contains sap. The annual rings of sap wood are less sharply defined than those of heart wood. It takes active part in the growth of tree and the sap moves in an upward direction through it. The sap wood is also known as the alburnum.

4. Cambium layer: The thin layer of sap between sap wood and inner bark is known as the cambium layer. It indicates sap which has yet not been converted into sap wood. It the bark is removed for any reason, the cambium layer gets exposed and the cells cease to be active resulting in the death of tree.

5. Inner bark: The inner skin or layer covering the cambium layer is known as the inner bark. It gives protection to the cambium layer form any injury.

6. Outer bark: The outer skin or cover of the tree is known as the outer bark. It is the outermost protective layer and it sometimes contains cracks and fissures. It consists of cells of wood fibre and is also known as the cortex.

7. Medullary rays: The thin radial fibres extending from pith to cambium layer are known as the medullary rays. The function of these rays is to hold together the annual rings of heart wood and sap wood. These rays are sometimes broken and in some varieties of trees, they are not very prominent.

(ii) Microstructure:

The structure of wood apparent only at great magnifications is called the microstructure. When studied under a microscope, it becomes evident that wood consists of living and dead cells of various sizes and shaped.

A living cell consists of four parts, namely, membrane, protoplasm, sap and core. The cell membrane consists mainly of cellular tissue and cellulose. The protoplasm is a granular, transparent, viscous vegetable protein composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulphur. The core of cell differs from protoplasm merely by the presence of phosphorus and it is generally oval. The cells, according to the functions they perform, are classified into the following three categories:1. Conductive cells, 2. Mechanical cells and 3. Storage cells.

1. Conductive cells: These cell serve mainly to transmit nutrients from roots to the branches and leaves.

2. Mechanical cells: These cells are elongated, thick-walled and have tightly interconnected narrow interior cavities. These cells impart strength to the wood.

3. Storage cells: These cells serve to stone and transmit nutrients to the living cells in the horizontal direction and they are usually located in the medullary rays.

Felling of trees:

To get timber, the trees are knocked down or cut down or caused to fall to the ground. This is known as the feeling of trees. The important facts to be remembered in connection with felling of trees are as follows:

1. Age of trees for felling: The trees should be felled when they have just matured or when they are very near to maturity. If they are felled before they have attained maturity, the sap wood would be in excess and timber obtained from such trees would not be durable and it will be in less quantity. On the other hand, it is also not desirable to fell trees after they have fully matured as heart wood starts decaying after maturity. The age of good trees for felling varies from 50 to 100 years.

2. Method of felling: The trees should be felled by experienced persons. The tree should be cut from a place a little above its roots and very near to the ground level. Such a practice would help in getting more timber from the trunk of tree. The process of felling of timber is as follows:

(i) A cut is made at the lowest possible point of the trunk and it is extended beyond the centre of gravity of cross-section of tree as shown on cut on left hand side of fig. 8-2. This cut should be made on the side opposite to that on which it is desired to fell the tree.

(ii) Another parallel cut is made above the first cut in the opposite direction as shown in fig. 8-2.

(iii) The top of tree is then tied with ropes on all the four diametrically opposite sides.

(iv) The rope on the side the tree is to be felled is pulled and at the same time, the rope on the opposite side is slowly loosened.

(v) By suitable swinging the tree, the trunk of tree will break at the level of cuts and then it is slowly allowed to fall gently on the ground. The labourers cutting the tree should shift away when the tree falls to avoid any accident.

(vi) The branches are chopped off and the log is cut to the required sizes. Its bark is removed and the log is sawn as early as possible. The timber should be protected from rapid drying and possible attack from insects.

The various appliances required in the process of felling of trees include axes, ropes, saws, wedges, wire cables, etc. A wedge is used to relieve the blade of the saw and at the same time, it is made use of to ascertain the reaction of the tree when it is struck. The number and size of wedges will be decided by the lean of inclination of tree, distribution of weight and thickness of tree. The wedges should be driven gradually to cause the smooth felling of tree.

3. Season for felling: The trees should be felled when sap is at rest. The season for felling of trees should be carefully determined by keeping in mind the climatic conditions of the locality and types of trees. In autumn and spring, the sap is in vigorous motion and hence the felling of trees in these seasons should be avoided. For hilly areas, the mid-summer would be the proper season for felling as there is heavy rainfall in winter. For plain areas, the mid-winter would be the proper season for felling as in summer, the water contained in sap would be easily evaporated and it will lead to the formation of cracks.

Defects in timber: The defects occurring in the timber are grouped into the following five divisions:(1) Defects due to conversion**,** (2) Defects due to fungi**,** (3) Defects due to insects **,** (4) Defects due to natural forces**,** (5) Defects due to seasoning.The various types of defects under each category will now be briefly discussed.

(1) Defects due to conversion: During the process of converting timber to the commercial form, the following defects may occur:(i) Chip mar, (ii) Diagonal grain**,** (iii) Torn grain**,** (iv) Wane.**,** (i) Chip mark: This defect is indicated by the marks of signs placed by chips on the finished surface of timber. They may also be formed by the parts of a planing machine.(ii) Diagonal grain: This defect is formed due to improper sawing of timber. It is indicated by diagonal mark on straight grained surface of timber.(iii) Torn grain: This defect is caused when a small depression is formed on the finished surface of timber by falling of a tool of so.(iv) Wane: This defect is denoted by the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber.

(2) Defects due to fungi: The fungi are minute microscopic plant organisms. They attack timber only when the following two conditions are satisfied simultaneously: (i) The moisture content of timber is above 20 per cent. (ii) There is presence of air and warmth for the growth of fungi.

If any of the above condition is absent, the decay of wood due to fungi would not occur. Hence the dry wood having moisture content less than 20% will remain sound for centuries. Similarly the wood submerged in water will not be attacked by fungi because of absence of air. Following defects are caused in the timber by the fungi: (i) Blue stain, (ii) Brown rot, (iii) Dry rot , (iv) Heart rot , (v) Sap strain, (vi) Wet rot, (vii) White rot., (i) Blue stain: The sap of wood is stained to bluish colour by to action of certain type of fungi. (ii) Brown rot: The term rot is used to indicate decay or disease of timber. The fungi of certain types remove cellulose compounds from wood and hence the wood assumes the brown colour. This is known as the brown rot., (a) The dry rot occurs at places where there is no free circulation of air such as improperly ventilated basements, rooms, etc. and in damp situations like kitchen, toilets, etc., (b) The unseasoned soft woods and sap wood are easily attacked by dry rot. , (c) If timber is not properly stored after being felled down, it is liable for the attack of dry rot., (d) the most favorable conditions for the rapid growth of fungus responsible for dry rot dry rot are absence of sunlight, dampness, presence of sap, stagnant air and warmth., (e) The dry rat is also caused by charring, painting and tarring the unseasoned timber., (f) The dry rot may be prevented by using well-seasoned timber free from sap., (g)

When part of timber is seriously affected by dry rot, The damaged portion may be completely removed and the remaining unaffected portion should be painted with a solution of copper sulphate., (iv) Heart rot: This is formed when a branch has come out of a tree. In such a cede, the heart wood is exposed to the attack of atmospheric agents. Ultimately the tree becomes weak and it gives out hollow sound when struck with a hammer., (v) Sap stain: The fungi of certain types do not bring about the complete decay of timber. But they feed on cell contents of sap wood. In doing so, the sap wood loses its colour. This is known as the sap stain and it generally occurs when moisture content goes beyond 25 percent or so., vi. Wet rot: Some varieties of fungi cause chemical decomposition of wood of the timber and in doing so, they convert timber into a grayish brown powder. This is known as the wet rot. The important facts to be remembered in connection with the wet rot are as the follows:

(a) The alternate dry and wet conditions favour the development of wet rot.

(b) If unseasoned or improperly seasoned timbers are exposed to rain and wind, they become easily liable for the attack of wet rot.

(c) To prevent wet rot, the well-seasoned timber should be used for exterior work or for underground work and it should be covered by tar or paint for protection against moisture.

(vii) White rot: This defect is just the opposite of brown rot. In this case, certain types of fungi attack lignin of wood and the wood assumes the appearance of a white mass consisting of cellulose compounds.

(3) Defects due to insects: Following are the insects which are usually responsible for the decay of timber: i. Beetles ii. Marine borers iii. Termites.

(i) Beetles : These are small insects and they cause rapid decay of timber. They form pin-holes of size about 2mm diameter in wood. They attack the sap wood of all species of hard woods. The tunnels are formed in all directions in sap wood by the larvae of these beetles. The timber is converted into fine flour-like powder. They usually do not disturb the outer shell or cover. Hence the timber piece attacked be beetles may look sound till it completely fails.

(ii) Marine borers: These are generally found in the salty water. The most of the varieties of marine borers do not feed on wood. But they make holes or bore tunnels in wood for taking shelter. The diameter and length of these holes may go as high as 25mm and 60 mm respectively. The wood attacked by marine borers loses colour and strength. It may be noted that no timber is completely immune from the attack of marine borers.

(iii) Termites: These are popularly known as the white ants and they are found in abundance in tropical and sub-tropical countries. These insects live n a colony and they are very fast in eating away the wood from core of the cross-section. They make tunnels inside the timber in different directions and usually do not disturb the outer shell or cover. Hence the timber piece attacked by termites may look sound till it completely fails. Very few good timbers such as teak, sal, etc. can resist the attack of white ants. Such timbers have certain chemicals in their composition and the smell of these chemicals is not favorable for the termites.

(4) Defects due to natural forces: The main natural forces responsible for causing defects in timber are two, namely, abnormal growth and rupture of tissues. Following defects are caused by these forces: (i) Burls, (ii) Callus, (iii) Chemical stain, (iv) Coarse grain (v) Dead wood, (vi) Druxiness, (vii) Foxiness, (viii) Knots, (ix) Rind galls, (x) Shales, (xi) Twisted fibres (xii) Upsets, (xiii) Water stain, (xiv) Wind cracks.

(i) Burls: These are also known as the excrescences and they are particularly formed when a tree has received shock or injury in its young age. Due to such injury, the growth of tree is completely upset and irregular projections appear on the body of timber.

(ii) Callus: It indicates soft tissue or skin which covers the wound of a tree.

(iii) Chemical stain: The wood is sometimes discolored by the chemical action caused with it by some external agency. This is known as the chemical stain.

(iv) Coarse grain: If a tree grows rapidly, the annual rings are widened. It is known as the coarse grained timber and such timber possesses less strength.

(v) Dead wood: The timber which is obtained from dead standing trees contains dead wood. It is indicated by light weight and reddish colour.

(vi) Druxiness: This defect is indicated by white decayed spots which are concealed by healthy wood. They are probably formed for the access of fungi.

(vii) Foxiness : This defect is indicated by red or yellow tinge in wood or reddish brown stains or stains or spots round the pith of tree discoloring the timber. It is caused either due to poor ventilation during storage or by commencement of decay due to over-maturity or due to growth or tree in a marshy soil.

(viii) Knots : These are the bases of branches or limbs which are broken or cut off from the tree. The portion form which the branch is removed receives nourishment form the stem for a pretty long time and it ultimately result in the formation of dark hard rings which are known as the knots. As continuity of wood fibres is broken by knots, they form a source of weakness. shows a typical knot. The knots are classified on the basis of their size and form.

Conclusion :

To improve the knowledge about wood as a substitute for other resources and the implications of such substitution, it would be helpful to better integrate research from different disciplines on the subject, and to cover different scales from a project to an economy-wide level. We have also formulated some recommendations on filling knowledge gaps that could be useful in policy making regarding how existing market potentials could be further expanded.

It can be concluded from the research on the model development of innovative wood substitute for the sustainable growth of the India wood substitution industry that four main variables for developing innovative wood are those of customer orientation, innovation and technology, research and development, and resources. An entrepreneur should adjust and develop for the extension of their business. Research and development for wood substitutes is directly and indirectly influenced by innovation and technology, customer orientation, and resources. The researcher expects that an entrepreneur can employ the results of this study to create a competitive advantage for the sustainability of the wood substitution industry in the future.

Acknowledgement (Optional)

The authors can acknowledge any person/ authorities in this section. This is not mandatory.

Reference:

Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO. Global Forest Resources Assessment 2015; FAO: Rome, Italy, 2015; pp. 5–8.

Materials of Industry, Their distraction and Production by Samuel foster Mersereau. Mc.Graw-Hill Book Compnay, Inc. New York 1947.

Building Materials by V.A. Vorobey,. Higher School Publishing House Moscow 1954.

timber, Its Structure and properties by E. Desch. Macmillan & Co. Ltd. London 1956.

Office of Industrial Economics. Industrial Economic Status Report for 2017 and Outlook for 2018; Office of Industrial Economics: Bangkok, Thailand, 2017; pp. 15–30. 6. Li, X.; Lei, B.; Lin, Z.; Huang, L.; Tan, S.; Cai, X. The utilizatio of bamboo charcoal enhances wood plastic composites with excellent mechanical and thermal properties. Mater. Des. 2014, 53, 419–424

Rangwala, : Engineering Materials (Materials Science) S.B. Patel, Charotar Publishing House Opposite Amul Dairy, Court road, Ahmedabad 33rd Edition : 2006.

Royal Forest Department. Mae Jang Forest Plantation (Left Side): The Value of Biodiversity Conservation; Officer of Printing Mill, the War Veterans Organization of Thailand under Royal Patronage of His Majesty the King: Bangkok, Thailand, 2013; pp. 5–8.

Royal Forest Department.Forestry Statistics Data 2017; Office of Information and Planning: Bangkok, Thailand, 2018; pp. 7–10.

Thienhirun, S. The ongoing impacts of forest destruction and climate change on biodiversity in ASEAN. In Proceedings of the 52nd Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand, 4–7 February 2014; Kasetsart University: Bangkok, Thailand, 2014.

A.L. Hammelt, robert L. Youngs, Xiufang Sun and Mudit Chandra (2001) Non-Wood Fiber as an Alternative to Wood Fiber in China's Pulp and Paper Industry, Department of Wood Science and Forest Products, Virgina Tech, Blacksburg, Virinia, U.S.A. Vol. 55/2001/No.2

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 25th Apr 21 Paper Accepted : 10th May 21

आधुनिक संस्कृत विद्वान डॉ. सूर्य नारायण गौतम

❑ रमाशंकर मिश्रा*

शोध सारांश

आदिकाल से ही संस्कृत भाषा ऋषियों मनीषियों की जिह्वाविलासिनी रही है। यह हमारा गौरव है कि, विश्व का प्रथम ग्रन्थ माना जाने वाला ग्रन्थ भी संस्कृत भाषा में ही निबद्ध है। समय-समय पर प्रवाहित समाज को नित नवजीवन प्रदान करती हुई निरन्तर अग्रसर हो रही है। संस्कृत को अमरत्व प्रदान करने में हमारे पूर्वजों की अनन्त पीढ़ियाँ बीत गईं और कुछ उन्हीं में सम्मिलित होने के लिए आज भी कृतसंकल्प हैं। उन्हीं संस्कृतज्ञों में समाहित तथा संस्कृत के लिए सर्वथा समर्पित एक नाम है डा. सूर्य नारायण गौतम का।

डॉ. गौतम का जन्म 02 मई, 1973 को रीवा से पूर्व लक्ष्मणपुर ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीरामसजीवन गौतम एवं माता का नाम श्रीमती कृष्णा है। जन्म के कुछ दिनों बाद ही माता-पिता के द्वारा चोरहटा ग्राम में बस जाने के कारा आपकी सम्पूर्ण परवरिश वहीं से सम्पन्न हुई।

शिक्षा—कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोरहटा में तथा पूर्व मध्यमा से वेदाचार्य, साहित्याचार्य, पीएच-डी. तक की शिक्षा शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय रीवा से हुई। आप प्रारम्भ से ही मेधावी छात्र के रूप में प्रतिष्ठित रहते हुए शास्त्री की परीक्षा में स्वर्णपदक प्राप्त किया। आचार्य परीक्षा की प्रावीण्य सूची में द्वितीय एवं वेद विषय में प्रथम स्थान में रहे। एम.ए. (संस्कृत) की परीक्षा आपने स्वाध्यायी छात्र के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। आपकी सम्पूर्ण शिक्षा अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अन्तर्गत सम्पन्न हुई।

अभिरुचि एवं प्रवृत्ति—राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं पत्र-पत्रिकाओं में शोध-पत्र प्रस्तुति एवं वाचन आपकी मुख्य अभिरुचि है। इसके अलावा सहयोगात्मक प्रवृत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में उत्प्रेरकता के कारण युवा वर्ग में आपकी अच्छी पैठ है। कवि सम्मेलनों में भी यदा-कदा आप देखे जा सकते हैं। आपके द्वारा अनेक वेद विद्यालयों की स्थापना में योगदान दिया गया है। एक वृहद् विद्यापीठ की योजना पर आप यत्नशील भी है।

शैक्षणिक सेवाएँ

विगत अनेकों वर्षों से कई संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर वर्तमान में श्रीजगदीशप्रसाद झाबरमल विश्वविद्यालय, झुन्झुनू राजस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर एवं निदेशक-भारतीय प्राच्यविद्यानुसंधान केन्द्र के रूप में सेवारत है।

साहित्य सृजन (प्रकाशित पुस्तकें)

1. जीवन के दस सुख एवं उनकी प्राप्ति के वैदिक उपाय नामक आपकी प्रथम पुस्तक जो सत्यम् पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित है। जिसमें आपने जीवन के दस सुखों को वैदिक विधि से प्राप्त करने के सरलतम उपायों

---

* वेदाचार्य, शोधार्थी, वेद विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

का वर्णन किया है। आपने दस सुखों का वर्णन करते हुए लिखा है—

प्रथममारोग्य लाभं, द्वितीयं च धनागमः।
तृतीयो वै वशीपुत्रो, निर्वैर्यं च चतुर्थकम्॥
पंचम युगलप्रीतिः, षष्ठं गोधन मेव च।
सप्तमो वै सतांप्रीतिः, अष्टमतिथिपूजनम्॥
संतुष्टिर्नवमो ख्यातिः, दसमो प्रभुचिन्तनम्।
सुखानि दशधामेषां, स जायते सुखीनरः॥

2. **श्रीमद्रामगीता**—एजुकेशनल बुक सर्विस नई दिल्ली से प्रकाशित है तथा बहुत ही शिक्षाप्रद है। यह पुस्तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में पठन-पाठन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। इसकी तात्कालिकी लेखन करते हुए संस्कृत के मूर्द्धन्य विद्वान डॉ. उमाकान्त मिश्र जी ने कहा है—''डा. गौतम युवा हैं, जिज्ञासु हैं, स्वाध्यायी एवं विनयशील हैं। वे एक अच्छे समीक्षक एवं मेधावी अध्येता हैं। वेद एवं वेदांग में अभिरुचि सम्पन्न एवं सन्मार्ग प्रणेता हैं। उम्र की दृष्टि से वे वृद्ध भले ही न हों किन्तु ज्ञान की दृष्टि से वे प्रवृद्ध हैं। ये सच्चे अर्थों में सूर्य भी हैं और नारायण भी, ज्ञान के प्रकाशक भी और संरक्षक भी। हमें गर्व है कि ऐसे युवा व्यक्तित्व पर। ये बाह्य चाकचिक्य से प्रभावित न होकर संस्कृत वाङ्मय की सेवा में संलग्न हैं।''[1]

3. **वेद, यज्ञ और पर्यावरण**—जी.एच. पब्लिकेशन, शहरारा बाग, प्रयागराज (उ.प्र.) से प्रकाशित इस पुस्तक में वेद क्या है? वेद के द्वारा यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य और विधि तथा उससे होने वाले विश्वकल्याण को प्रबल प्रमाणों और तर्कों से सिद्ध किया गया है। इसके अलावा भी आपके द्वारा अनेकों पुस्तकों का लेखन किया जा चुका है, जो विभिन्न यंत्रालयों में प्रकाशनार्थ भेजी जा चुकी है तथा कुछ को भेजना शेष है।

4. **यजुर्वेदोऽग्नितत्वविमर्शः**—जी.एच. पब्लिकेशन, शहरारा बाग, प्रयागराज (उ.प्र.) से प्रकाशित है। यह वेद विषय के अनुसंधाताओं के लिए बहुत ही महत्व का ग्रन्थ है। इसकी उपयोगिता को देखते और परखते हुए विश्वविद्यालय ने स्वयं ही प्रकाशित किया है। इसमें पाँच अध्याय हैं। **प्रथम अध्याय** में वैदिक वाङ्मय का सम्पूर्ण परिचय, वेदस्याविर्भाव अपौरुषेयत्व विचार, ऋग्वेदीय-यजुर्वेदीय-सामवेदीय तथा अथर्ववेदीय मण्डल विचार किया गया है। **द्वितीय अध्याय** में यजुर्वेद का स्थान, उसका स्वरूप विमर्श, उसमें वर्णित विषयों का अध्ययन, श्रौतयागों की वैज्ञानिकता तथा वैदिक ऋषि-देवता एवं छन्दों का समीक्षण किया गया है। **तृतीय अध्याय** में यजुर्वेदीय मन्त्रों में अग्नि का स्वरूप विमर्श, अग्नि शब्द का एतिह्य, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दृष्टि से अग्नि तत्व का वैशिष्ट्य एवं वैज्ञानिकता का वर्णन किया गया है। **चतुर्थ अध्याय** में लोकत्रय की दृष्टि से अग्नि विभाग विमर्श, तात्विक दृष्टि से अग्नि देवता का स्वरूप विमर्शः श्रौताग्नि विमर्श, स्मार्ताग्नि विमर्श, कर्मकाण्डेषु अग्निस्थापनादि क्रम, वेदी एवं कुण्डों के साथ अग्नि का सम्बन्धादि का निरूपण किया गया है। **पंचम और अन्तिम अध्याय** में यजुर्वेदीय अग्निपरक शब्दों का निर्वचन, शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं अग्निपुराण की दृष्टि से अग्नितत्व का विवेचन तथा लौकिक धर्मों की दृष्टि से अग्नि के आधुनिक स्वरूप का विवेचन किया गया है।

5. **किस्सन केर पोथन्ना**—वैदिक सिद्धान्तों पर आधारित बघेली कहानियों का अनुपम भण्डार है। जो जी.एच. पब्लिकेशन, शहरारा बाग, प्रयागराज (उ.प्र.) से प्रकाशित है। इस पुस्तक में बघेलखण्ड के वस्त्रालंकारों का सजीव चित्रण, ग्राम्य जीवन की झलकियाँ, पुरातन संस्कृति और लोकाचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। बघेली के प्रतिष्ठित और मर्मज्ञ विद्वान डा. अमोल बटरोही जी ने किस्सन केर पोथन्ना की भूमिका में भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है—''कथाकार डा. सूर्य नारायण गौतम ने 'किस्सन केर पोथन्ना' में लोककथा शैली में ही लोक स्वभाव का स्पर्श करते हुए कथाएँ लिखी हैं तथा बघेली लोक संस्कृति, जन भावनाओं तथा लोकरंजक वृत्तों के माध्यम से आगामी पीढ़ी को लोकजीवन से जोड़ने एवं यथेष्ठ परिवर्तन करने का अनूठा सुकृत किया है। लोक-शैली में कथा लिखने एवं लोक कथाएँ कहने में सूर्य जी सिद्धहस्त हैं। इन्होंने अपनी वैदिक संस्कारों से सुसज्जित लेखनी के द्वारा आम जन-जीवन को उकेरने का अनुपम प्रयत्न किया है।''[2]

6. **बघेली कथाएँ** (बघेली कहानियों का अनुपम भण्डार)—आदिवासी लोक कलश अकादमी, म.प्र. से प्रकाशित है। इस कथा ग्रन्थ में डा. गौतम ने लुप्त होती जा रही

विन्ध्यक्षेत्रीय लोक कथाओं को संरक्षित करने का अनुपम प्रयास किया है। जो ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कथाएँ हमें कुछ वर्ष पूर्व अपने बुजुर्गों से सहजता में ही सुनने को मिलती रहती थी। समय के परिवर्तन के कारा अब वे लोक जीवन से अलग होती जा रही हैं। बघेली कथाएँ नामक कथा ग्रन्थ में उन्हीं कथाओं को और भी मनोरंजक, उद्देश्यपरक और सारगर्भित कर आमजन को सुलभ किया गया है।

7. वैदिक चिन्तन मंजूष—जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र. से प्रकाशित यह ग्रन्थ भी बहुत ही महत्व का है। इस ग्रन्थ में डा. गौतम द्वारा आकाशवाणी, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लिखे गये आलेखों तथा विभिन्न संगोष्ठियों में दिये गये व्याख्यानों को संग्रहीत कर उन्हें और भी अधिक परिमार्जित कर लोकोपकारी बनाया गया है। इसमें निबद्ध सभी आलेख वेद विषयक गुत्थी को सुलझाने में परम सहायक हैं।

8. वेदचिन्तनम्—जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र. से प्रकाशित संस्कृत भाषा में निबद्ध यह ग्रन्थ वैदिक शोधार्थियों के लिए अति उत्तम शोधपरक ग्रन्थ है। इसकी भाषा शैली प्रांजल एवं सरस है। वेदों में किये गये शोधों का उत्तम संकलन है। जो नवीन अध्येताओं की जिज्ञासाओं को समन करने और उन्हें नवीन शोधों के लिए प्रेरित करने वाला है।

9. शतपथ संदर्शन—इस ग्रन्थ में शतपथ ब्राह्मण के शिक्षाप्रद व्याख्यानों को संग्रहीत कर संवादात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। जो शतपथ जैसे दुरूह विषय में सुगमता से प्रवेश करने के लिए सुगमद्वार का कार्य करने में समर्थ होगा तथा साथ ही वेदों में मांस भक्षण की धारणा का भी निरसन होगा। आख्यान सरल और सरस भाषा में लिखे गये हैं जो सर्वसाधारण के लिए पठनीय और प्रेरक हैं। साथ ही नवीन शोधों के लिए प्रेरक भी हैं। प्रस्तुत पुस्तक की शुभाशंसा में महाकवि डा. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी महाभाग ने आपको वेद पण्डित तथा संस्कृत के लिए समर्पित तथा सुखद् भी माना है।

10. वेदतत्वविमर्शः—वेद विषयक चिन्तन से परिपूर्ण यह ग्रन्थ संस्कृत और विशेषकर वैदिक क्षेत्र में अनुसंधानरत छात्रों के लिए 25 अध्यायों में निबद्ध यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। इसका वैशिष्ट्य यह है कि इसमें देश भर के प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा लिखे गये उत्कृष्ट लेखों का संग्रह किया गया है। भिन्न-भिन्न विषयों को जो यथाक्रम तथा पिष्टपेषण रहित तथा नवीनतम हैं।

11. बघेली बिरबाही—जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज (उ.प्र.) से प्रकाशित है। सोंधी माटी लोनी बघेली साहित्यिक मंच, सीधी द्वारा प्रदत्त संपादन कार्य आपके द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में बघेलखण्ड के प्रमुख बघेली कवियों के चुनिन्दा काव्यों का संकलन किया गया है। कतिपय ऐसे भी कवि हैं जो अब कीर्तिशेष ही हैं। अतः उनको जीवन्त करने की दिशा में यह प्रथम और अनुपम प्रयोग है।

12. बोली आपन नाउ रे...—यह काव्यकृति बघेली बोली में आपकी मौलिक रचना है। इसमें चालीस गेयात्मक पद्यों का संकलन है जिसमें पुरानी-से-पुरानी बातों और नवीनतम घटनाओं का वर्णन बड़े ही रोचक शैली में किया गया है। बघेली के जाने-माने कवि श्री भृगुनाथ पाण्डेय ने बहुत ही उत्कृष्ट भावों से समन्वित पद्यमय प्रसस्ति का ग्यारह पृष्ठों में भूमिका लेखन किया है। जो बहुत ही अद्‌भुत है। साथ ही हिन्दी साहित्य में मूर्द्धन्य विद्वान डा. नर्मदा प्रसाद मिश्र 'नरम' जी ने भी अपनी सारगर्भित एवं उत्साहवर्द्धक सहमति प्रदान करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

11. कथा सौरभम्—डा. गौतम ने लोक कथा शैली में संस्कृत भाषा के सतत् विकास और उसके अभिवर्धन हेतु मनोरम कथाओं का लेखन किया है। इनकी संस्कृत कथा लेखन की विशेषता है कि, इन्होंने कथाओं में वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यक तथा उपनिषदीय आख्यानों को अपनी कथाओं का उपजीव्य बनाते हुए एवं नवीन घटनाचक्र में उन्हें पिरोते हुए पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है।

12. बीसवीं सदीय विन्ध्यक्षेत्रीय सन्तों का सामाजिक योगदान पर पुस्तक लिखी जा रही है, जिसमें विन्ध्यक्षेत्रीय सन्तों द्वारा किये गये सामाजिक कार्यों का विस्तृत विवेचना किया है।

13. कथा वीथी—हिन्दी भाषा में कहानियों का संकलन किया गया है जो समसामयिक समाज की समस्याओं को अवगत कराने के साथ-साथ हिन्दी भाषा के प्रचार का उपक्रम है।

टीका ग्रन्थ—आचार्य शौनक द्वारा लिखित **'चरणव्यूह'** नामक ग्रन्थ का आपके द्वारा अनुवाद भी किया जा चुका है

जिसे प्रकाशन की प्रतीक्षा है। इस पुस्तक में वेदों का आठ विधियों का सरलतम पाठ लिखा गया है जो वेद प्रचार का ही एक अंग है।

सम्पादन—(1) शोध चेतना (अन्तरराष्ट्रीय, त्रैमासिक-शोध पत्रिका), जो जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयाग, उ.प्र. से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है उसका भी संपादन आपके द्वारा किया गया है।

साहित्यिक योगदान—अनन्त संदेश, विन्ध्य, कौटिल्य, साहित्य प्रभा, रचना, शोध चेतना, रघुवंशम्, मंगल-भारत, सम्भाषण सन्देश, मानस कण, चौमासा आदि राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मासिक पत्रिकाओं में आलेख लेखन।

प्रसारण—आकाशवाणी के रीवा केन्द्र से वार्ता-हिन्दी एवं संस्कृत तथा स्वरचित कहानियाँ- हिन्दी एवं बघेली।

सामाजिक सेवाएँ—वैदिक प्रवचनों के माध्यम से जन-सामान्य को अंधविश्वास, ढोंग तथा मिथ्या मत-मतान्तरों से बचाकर ऋषियों, महर्षियों द्वारा बताई गई सरलतम उपासना पद्धति का प्रचार-प्रसार करना है। इसके अलावा निम्नांकित संस्थाओं में अनेकों दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष—भारतीयम् सेवा समिति चोरहटा, रीवा, म.प्र.।

विशेष आमन्त्रित सदस्य—महर्षि दयानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय, रीवा, म.प्र.।

उपाध्यक्ष—श्री दिवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल, नेहरू नगर, रीवा, म.प्र.।

भूतपूर्व सह सचिव—हमारी पहल (सेवाभावी समिति), रीवा, म.प्र.।

जिला संयोजक—संस्कृत भारती, जिला- रीवा, महाकौशल प्रान्त।

इसके अलावा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर आप संघ की गतिविधियों में भी सहयोग प्रदान करते हैं। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नगर अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन किया है। संस्कृत भारती द्वारा दिये गये जिला संयोजक, प्रान्त वेद प्रचार प्रमुख से अखिल भारतीय हिन्दी महासभा के राष्ट्रीय वेद एवं संस्कृत सलाहकार, सोंधी माटी लोनी बघेली साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक तथा अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य आदि का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं।

सम्मान—(1) कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हाथरस उ.प्र. के शताब्दी समारोह में आपको **'विशिष्ट सहयोग सम्मान'** से अलंकृत किया गया। (2) आपके द्वारा किये गये वेद प्रचार एवं वैदिक संस्कृति के उन्नयन, विकास एवं संवर्धन के प्रयत्न स्वरूप आपको **'वेद गौरव', 'विन्ध्य शिखर', 'काव्यदर्शी'** आदि सम्मानों से अलंकृत किया गया है।

निष्कर्ष

जिस व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोधोपाधि प्रदान की जा चुकी हो ऐसे व्यक्तित्व को कतिपय पृष्ठों में उल्लिखित नहीं किया जा सकता। न केवल रीवा नगरी बल्कि पूरा देश ऐसे कर्मठ अध्ययनशील, व्यवहारकुशल एवं दूरदृष्टा विद्वान को अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस करती है तथा उनके निर्विघ्न जीवन की कामना के साथ-साथ उन्हें बारम्बार नमन करती है।

सन्दर्भ

1. श्रीमद्रामगीता की तात्कालिकी से।
2. डा. अमोल बटरोही—लोक संस्कृति को चिरस्थई करने का अनुपम प्रयास—किस्सन केर पोथन्ना से।
3. जीवन के दस सुख एवं उनकी प्राप्ति के वैदिक उपाय, सत्यम् पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. श्रीमद्रामगीता, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. वेद, यज्ञ और पर्यावरण, जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र.।
6. वेदतत्वविमर्शः, जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र.।
7. वैदिक चिन्तन मंजूषा, जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र.।
8. सतपथ संदर्शन, जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र.।
9. वेदचिन्तनम्, जी.एच. पब्लिकेशन, प्रयागराज, उ.प्र.।
10. डा. सूर्यनारायण गौतम कृतित्व एवं व्यक्तित्व, शोध-प्रबन्ध, लेखिका डा. गीता देवी।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 25th Apr 21 Paper Accepted : 10th May 21

मध्यप्रदेश में उद्योग : एक अध्ययन

❐ डॉ. प्रज्ञा यादव*

शोध सारांश

गणतन्त्रात्मक राष्ट्रीय व्यवस्थान्तर्गत मध्यप्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी संरचना ऐसी है कि यह देश के अनेक प्रान्तों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसकी जलवायु प्रायः भारत के सभी प्रान्तों की जलवायु से मेल खाती है। कुछ भाग पठारी छोड़कर पूरा क्षेत्र विन्ध्य और सतपुणा की पर्वत श्रेणियों से आच्छादित है। अतः यहाँ की कृषि व व्यापार भी क्षेत्रीयता के आधार पर ही विकसित है। किसी क्षेत्र में धान की खेती है तो कहीं सोयाबीन और कहीं दलहन है तो कहीं तिलहन। कहीं गन्ना का उत्पादन भी होता है तो कहीं कृषि ही नहीं होती किन्तु खनिज की बहुलता है। प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेश में किये जाने वाले उद्योगों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी—मध्यप्रदेश, उद्योग।

मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योग

मध्यप्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से उन्नत होने के बावजूद उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है, परन्तु राज्य में उद्योगों के विकास में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भागों में उपयुक्त दशाओं के आधार पर भिन्न-भिन्न उद्योगों की स्थापना की गयी है।

प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गयी थी। 1980 के दशक तक राज्य में कृषि पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी, परन्तु वर्तमान में कृषि पर आधारित उद्योगों में वनस्पति तेल, चीनी मिल आदि की प्रधानता है।

चीनी उद्योग

प्रदेश में सबसे पहली चीनी मिल वर्ष 1934 में जावरा (रतलाम) में स्थापित की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 15 है, जिसकी दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता लगभग 3,578 हजार टन है। चीनी मिलों की स्थापना मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक हुई है क्योंकि गन्ना उत्पादक जिले इसी क्षेत्र में स्थित है। प्रदेश में सबसे बड़ा चीनी कारखाना बरलाई (सीहोर) में स्थित है। प्रदेश के प्रमुख चीनी कारखाने भोपाल शुगर मिल (सीहोर), डबरा शुगर मिल (ग्वालियर), जीवाजीराव शुगर कम्पनी (मन्दसौर), जावरा शुगर मिल (रतलाम) आदि है।

वनस्पति घी

प्रदेश में वनस्पति घी के कारखाने प्रमुख रूप से गंजबासौदा, जबलपुर, खण्डवा, ग्वालियर, इन्दौर और मुरैना में स्थित है। वनस्पति घी के कारखानों की संख्या 10 है।

* अतिथि विद्वान्, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, जैतवारा, सतना (म.प्र.)

कृत्रिम रेशा उद्योग

प्रदेश में प्रमुख कृत्रिम रेशा कपड़ा उत्पादक केन्द्र इन्दौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन तथा देवास है। इसके लिए कच्चा माल मुंबई, ग्वालियर तथा देवास की कृत्रिम रेशा उत्पादक मिलों से प्राप्त होता है।

सूती कपड़ा उद्योग

यह प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र व गुजरात के बाद तीसरा है। इन्दौर राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केन्द्र है। प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र केन्द्र इन्दौर, ग्वालियर एवं उज्जैन आदि हैं।

रेशम उद्योग

कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1984 में रेशम संचालनालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के लगभग 26 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियाँ संचालित हैं।

सोयाबीन तेल उद्योग

राज्य में तिलहन और सोयाबीन की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्य है, मध्यप्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने के लिए सालवेंट एक्सट्रेक्ट प्लांट लगाये गये हैं। सोयाबीन एक बहुउपयोगी 40 से 50 प्रतिशत तक तेल देने वाली द्विदलीय फसल है। इसका उत्पादन वर्ष 1975 के पश्चात देश में निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह मुख्यतः रबी की फसल और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा की जाती है। सोयाबीन का उपयोग तेल निकालने, प्रोटीन युक्त पदार्थ युक्त पदार्थ, प्रोटीन व विविध मानव व पशु आहार आदि में होता है, क्योंकि अन्य दलहनों या तिलहनों की तुलना में इसमें प्रोटीन एवं तेल का अंश बहुत अधिक होता है। अतः सोया दूध एवं सोया आहार इसी कारण विशेष रूप से प्रचलित हो रहे हैं। अब रिफाइंड तेल की खपत मूंगफली एवं सरसों के तेल के पश्चात सबसे अधिक होने लगी है। इसके सभी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए गुणकारी माने गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में 83 तेल तथा सालवेंट एक्सटैक्ट की मिलें हैं।

मध्यप्रदेश में खनिज आधारित उद्योग

राज्य में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना अधिकतर पश्चिमी मध्यप्रदेश में की गई है।

चीनी मिट्टी उद्योग

प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर तथा रतलाम आदि क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग स्थापित हैं।

सीमेंट उद्योग

राज्य में चूना पत्थर के भण्डार बड़े पैमाने पर पाये जाते हैं। जिससे प्रदेश में सीमेंट उद्योग की स्थापना में प्रगति हुई है। वर्तमान में कैमूर, सतना, मैहर, रीवा, सीधी, नीमच सहित प्रदेश में 23 सीमेंट कारखाने सीमेंट उत्पादन कार्य कर रहे हैं।

भारी विद्युत उपकरण

प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1990 में बिजली का भारी समान बनाने का कारखाना लगाया गया था। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। इस कारखाने में ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, स्विच गियर, इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन एवं इण्डस्ट्रियल मोटर जैसे भारी उपकरण बनाये जाते हैं।

वनों पर आधारित उद्योग

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 30.72 प्रतिशत पर वन पाये जाते हैं। राज्य में वन आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है क्योंकि वन संरक्षण को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है।

कागज उद्योग

वर्तमान में राज्य में 09 (नौ) कागज बनाने वाले संयंत्र पंजीकृत हैं, जो विविध प्रकार के कागज बनाते हैं। राज्य में शहडोल जिले के अमलई स्थान पर निजी क्षेत्र में स्थापित ओरिएण्ट पेपर मिल सबसे प्रमुख है। राज्य में सलाई की

लकड़ी एवं अन्य कच्चा माल पर्याप्त होने के कारण कागज उद्योग का विकास हुआ है। अखबारी कागज का कारखाना बुरहानपुर जिले में स्थित है।

बीड़ी उद्योग

प्रदेश में बीड़ी उद्योग का विकास जबलपुर, सागर, कटनी, दमोह तथा सतना में हुआ है। प्रदेश में बीड़ी बनाने के लगभग 260 कारखाने कार्यरत हैं।

लकड़ी उद्योग

राज्य के छिन्दवाड़ा तथा मण्डला में इमारती लकड़ी को चीरने के कारखाने कार्यरत हैं। वर्तमान में लगभग 113 कारखाने प्रदेश के इस उद्योग में लगे हुए हैं।

लाख उद्योग

राज्य के विन्ध्य के क्षेत्र में लाख उद्योग का केन्द्रीकरण है। कच्चे लाख से सीड लाख तथा शैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में है।

औषधि उद्योग

औषधि उद्योग की लगभग 26 इकाईयाँ प्रदेश में कार्यरत हैं। इसके प्रमुख केन्द्र, भोपाल, छिन्दवाड़ा, देवास, धार, जबलपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, कटनी आदि हैं।

परिवहन

किसी भी देश, प्रदेश व क्षेत्र के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान देते हुए पिछले पाँच वर्षों की अवधि में राज्य में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

प्रदेश में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है। आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है। प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

परिवहन के साधन

सड़क परिवहन—प्रदेश में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग कि.मी. पर 52 कि.मी. है, जबकि देश का औसत 75 कि.मी. है। इससे सिद्ध होता है कि प्रदेश में सड़कों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। राज्य में सड़क माल परिवहन तथा यात्री परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है। मध्यप्रदेश में सड़क की कुल लम्बाई 64,719 किमी. है।

सारणी क्रमांक- 1
प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रांतीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल योग (कि.मी.)
2015	4771	10934	19429	26482	61616
2016	4771	10934	19429	26482	61616
2017	7809	11060	20412	24359	63637
2018	7806	11389	22129	23395	64719

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि प्रदेश में लोक निर्माण द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई किलोमीटर में प्रस्तुत है। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2015 में 4771 किलोमीटर जो बढ़कर वर्ष 2018 में 7806 किलोमीटर हुई है। प्रांतीय राजमार्ग की लम्बाई वर्ष 2015 में 10934 किलोमीटर थी, जो बढ़कर वर्ष 2018 में 11389 किलोमीटर हो गई है। मुख्य जिला मार्ग की सड़कों की लम्बाई वर्ष 2015 में 19429 किलोमीटर थी, जो बढ़कर वर्ष 2018 में 22129 किलोमीटर हो गई है। अन्य जिला ग्रामीण मार्ग की लम्बाई वर्ष 2015 में 26482 किलोमीटर थी, जो घटकर वर्ष 2018 में 2395 किलोमीटर तक हो गई। सभी मार्गों को मिलाकर सड़कों की लम्बाई

2015 में 61616 किलोमीटर थी, जो बढ़कर वर्ष 2018 में 64719 किलोमीटर हो गई। अन्य जिला ग्रामीण मार्ग के अलावा सभी राजमार्गों की लम्बाई बढ़ते क्रम में हुई है। अन्य जिला ग्रामीण की लम्बाई घटने का कारण है कि इन सड़कों को मुख्य मार्गों में जोड़ा जा रहा है।

सारणी क्रमांक- 2

प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की संख्या (संख्या हजार में)

वर्ष	कार एवं जीप	टैक्सी/ थ्री-व्हीलर	यात्री वाहन	माल वाहन	मोटर साइकिल/ स्कूटर	मोपेड आदि अन्य टैक्टर ट्राली सहित	कुल पंजीकृत वाहन
2012-13	493	132	153	242	6887	815	8722
2013-14	611	151	156	263	7668	872	9721
2014-15	696	226	172	244	8831	972	11141
2015-16	784	243	172	267	9632	1027	12129
2016-17	877	261	180	292	10496	1085	13193

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 में मध्य प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक की जानकारी दी गई है। वाहनों की संख्या क्रमशः इस प्रकार है—कार एवं जीप की वर्ष 2012-13 में 493 हजार थी, जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 877 हजार, टैक्सी/थ्रीव्हीलर की वर्ष 2012-13 में 132 हजार थी, जो बढ़कर 2016-17 में 261, यात्री वाहन की वर्ष 2012-13 में 153 हजार से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 180 हजार, माल वाहन की वर्ष 2012-13 में 242 हजार से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 292 हजार, मोटर साइकिल/स्कूटर की वर्ष 2012-13 में 6887 हजार से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 10498 हजार, अन्य ट्रैक्टर ट्राली सहित वर्ष 2012-13 में 815 हजार से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 13193 हजार की संख्या रही है। प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्षवार बढ़ते क्रम में वृद्धि हुई है। अर्थात् सभी प्रकार के वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।

रेल परिवहन

प्रदेश में प्रति 1000 किमी. क्षेत्र में 195 कि.मी. रेलमार्ग है जिसमें से 1880 कि.मी. रेलमार्ग विद्युतीकृत है। प्रदेश में सबसे पहला रेलमार्ग इलाहाबाद से जबलपुर 1867 ई. में बनाया गया था मध्यप्रदेश का इटारसी सबसे लम्बा रेलवे जंक्शन है। वर्तमान में मध्यप्रदेश की रेलवे लाइनें पाँच जोन में आती हैं। इनमें पश्चिम मध्य रेलवे जोन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। प्रदेश में 20 बड़े तथा 13 छोटे जंक्शन हैं।

वायु परिवहन

राज्य में प्रमुख पाँच हवाई अड्डे तथा 33 हवाई पट्टियाँ स्थित हैं। ये हवाई अड्डे राज्य की औद्योगिक तथा पर्यटन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। राज्य के पाँच इकाई हवाई मण्डीदीप (भोपाल), पीथमपुर (इन्दौर), मालनपुर (ग्वालियर), मनेरी (जबलपुर) और खजुराहो में है। इसमें से भोपाल हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा तथा इन्दौर हवाई अड्डे का नाम रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा रखा गया है।

जनसंचार

मध्यप्रदेश में संचार सेवा की शुरुआत 01 अप्रैल 1962 में हुई, जब नागपुर में डाकतार परिमण्डल गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8,323 डाकघर तथा 42,008 पत्र पेटियाँ हैं तथा 2,560 टेलीफोन केन्द्र कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 18 आकाशवाणी केन्द्र स्थापित है जिनमें निजी रेडियो चैनल भी शामिल है तथा 74 रिले केन्द्र तथा 68 लघु प्रसारण केन्द्र प्रदेश हैं।

निष्कर्ष

कोई भी देश या प्रदेश तभी उन्नत होता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले संसाधनों की सुचारु व्यवस्था हो। आयात से निर्यात की स्थिति अच्छी हो। मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत राज्य होने के साथ जनसंख्या भी नियन्त्रित है तथा खनिज संसाधन भी पर्याप्त है। वन भाग भी पर्याप्त होने की वजह से मसालों और मेवों का उत्पादन भी हो जाता है जिससे राज्य की आय में सदा वृद्धि होती रहती है। अतः जिस क्षेत्र में कमोवेश खामिया भी हैं उनको दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए जिससे प्रदेश की आय में और भी वृद्धि हो सके।

सन्दर्भ

1. मामोरिया चतुर्भुज : भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन, आगरा, 2005
2. आर.एस. कुलश्रेष्ठ : औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा
3. कौटिलीय अर्थशास्त्र (अर्द्धवार्षिकी राष्ट्रीय शोध पत्रिका) विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा।
4. द हिन्दू-सर्वे आफ इण्डियन इण्डस्ट्रियल, 2009

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 25th Apr 21 Paper Accepted : 10th May 21

ऋग्वेद की विषय वस्तु एवं इन्द्र : एक अध्ययन

❑ गजराज सिंह*
❑ डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी**

शोध सारांश

ऋग्वेद एक विपुल मन्त्र राशि है। दस हजार से भी ज्यादा मन्त्रों की संख्या है तथा सभी मन्त्रों में मानवोपयोगी ज्ञान के सूत्र भरे हैं। इस आलेख में वेद की विषय-वस्तु और इन्द्र के स्वरूप पर चर्चा की गयी है। जिाासा यह हुई कि आखिर इस महान ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। इसी जिज्ञासा शमन हेतु इस शोध आलेख का लेखन किया गया है।

शब्द कुंजी—ऋग्वेद, विषय-वस्तु।

ऋग्वेद में प्राकृतिक पदार्थों का मुख्यतः स्तुतिमय वर्णन किया गया है। वर्ण्य विषय को ही वेद में देवता नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से वर्णित देवताओं का उल्लेख किया जा रहा है—शक्ति और शक्तिमान के द्वारा निखिल ब्रह्माण्ड सचरणशील है। इन्हीं को माया और मायावी, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति आदि भी कहा जाता है। शिव के बिना शक्ति निराधार हो जाती है—टिक ही नहीं सकती और शक्ति शिव शव के समान है। यही शक्ति परा देवता कहलाती है। ज्यों-ज्यों जगत् का विकास होता है, त्यों-त्यों यह परा देवता (मूल शक्ति) नाना रूपों को धारण करती जाती है। विश्व में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक आदि जितनी शक्तियाँ हैं, सब इसी देवता के भेद मात्र हैं। साधारणतः देवता असंख्य हैं। किन्तु इनमें से कुछ प्रधान शक्तियों या देवताओं को यज्ञ-संपादन के लिए चुन लिया गया है। देवतावाद के प्रधान वैदिक ग्रन्थ ''बृहद्देवता'' के प्रारम्भ में ही कहा गया है—

वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नत।
दैबतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमवगच्छति॥

अर्थात् प्रयास करके प्रत्येक मन्त्र के देवता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि देवत ज्ञान प्राप्त करने वाला मनुष्य वेदार्थ और वेद-रहस्य समझता है।

''बृहद्देवता'' का कहना है कि मुर्दे (शव) के भी आँखें रहती हैं। परन्तु वह इसीलिए नहीं देख सकता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहीं है। जब तक जड़ (नेत्र) का अधिष्ठाता चेतन रहता है, तब तक वह भली-भाँति देखता है। जड़ पदार्थ में स्वयं कर्तव्य-शक्ति नहीं है, इसलिए उसका अधिष्ठाता चेतन माना गया है। इस तरह अनेक जड़ पदार्थों के अनेक अधिष्ठाता चेतन (देवता) माने गये हैं। परन्तु समुदाय-रूप से सब एक ही हैं। एक ही अग्नि के अनेक स्फुलिंगों की तरह एक ही परमात्मा की सब विभक्तियाँ हैं—''**एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़**'' महाशक्ति की जो अनेक शक्तियाँ विविध रूपों में प्रस्फुटित है, उनके अनेक नाम हैं, इसलिए अनेक

* शोधार्थी—बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ.प्र.)
** निदेशक—एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

नामों से स्तुतियाँ की गई हैं। वस्तुतस्तु सभी नामों से परमात्मा की ही पुकार लगाई गई है—''**तस्मात सर्वेरपि परमेश्वर एव ह्यते।।**''[1]

''**देवो दानाद् द्योतनाद दीपनाद्वा**'' अर्थात् लोकों में भ्रमण करने वाले प्रकाशित होने वाले व भोज्य आदि सारे पदार्थ देने वाले को देवता व देव कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं—पृथिवीस्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष स्थानीय वायु या इन्द्र और द्यस्थानीय सूर्य। अनेक नामों से इन्हीं की स्तुतियाँ की गई हैं। जिस सूक्त के ऊपर जिस देवता का नाम रहता है, उसका वही प्रतिपादनीय और स्तवनीय है। जहाँ औषधि, जल, शाखा आदि जड़ पदार्थों को देवातावत् माना गया है, वहाँ औषधि आदि वर्णनीय है और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय है। आर्य लोग प्रत्येक जड़ पदार्थ का एक अधिष्ठाता देवता मानते थे इसीलिए उन्होंने जड़ की स्तुति भी चेतन की तरह की है।

मीमांसाकार का मत है कि जिस मन्त्र में जिस देवता का वर्णन है, उस मन्त्र में उसी देवता की सी दिव्य शक्ति सदा से निहित है। अतएव देवत्व-शक्ति मन्त्र में ही है। ऋग्वेद[2] से ज्ञात होता है कि पृथिवी स्थानीय 11 अन्तरिक्ष-स्थानीय 11 और द्यस्थानीय 11—सब तैंतीस देवता हैं। 9652 और 11734 आदि में भी 33 देवों का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में भी यही बात है। शतपथ-ब्राह्मण (4.5.7.2) में 8 वसु, 11 रूद्र, 12 आदित्य, आकाश और पृथिवी—

ये 33 देवता हैं। ऐतरेय-ब्राह्मण में 11 प्रयाजदेव, 11 अनुयाजदेव और 11 उपयाजदेव—ये 33 देवता हैं। परन्तु ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 3339 देवताओं का उल्लेख है। सायणाचार्य ने लिखा है कि देवता तो 33 ही हैं परन्तु देवों की विशाल महिमा दिखाने के लिए 3339 देवों का उल्लेख है।

निरूक्तकार का कहना है कि 'तत्तत्कर्मानुसार विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी देव एक हैं।' मतलब यह कि नियन्ता एक है और इसी मूल सत्ता के विकास सारे देव हैं। इसी बात को निरूक्तकार ने यों लिखा है—''**तासां महाभाग्यात् एकैकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति।**''[3] यास्क ने उदाहरण दिया है—''नरराष्ट्रमिव'' अर्थात् व्यक्ति रूप से भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य मनुष्य राष्ट्ररूप से एक ही है, वैसे ही विविध रूपों में प्रकट होने पर भी देवों में एक ही परमात्मा ओत-प्रोत है। इस तरह भासमान भेद में अभेद और भासमान अनेकत्व में वास्तविक एकता है। इसीलिए निरूक्ताकार ने लिखा है—''**एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति।**''[4] अर्थात् एक ही आत्मा (परमात्मा) के सब देवता विभिन्न भाग हैं। इन्हीं परमात्मा को याज्ञिकों और ब्राह्मण-ग्रन्थों ने ''प्रजापति'' कहा है। सभी देवता इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गये हैं। ऋग्वेद के 55वें सूक्त में 22 मन्त्र हैं और सबके अन्त में—''**महद्देवानामसुरत्वमेकम्**'' वाक्य आया है, जिसका अर्थ है—'देवो का महान् बल एक ही है।' तात्पय यह है कि देवों की शक्ति एक ही है—दो नहीं। महाशक्ति का विकास होने के कारण देवों की शक्ति पृथक् नहीं है—स्वतन्त नहीं है। ऋषियों ने जिन प्राकृत शक्तियों की स्तुति की प्रशंसा की है, उनके स्थूल रूप की नहीं की है, प्रत्युत उनकी शासिका व अधिष्ठात्री चेतनशक्ति को की है। इस चेतनशक्ति को वे परमात्मा से पृथक नहीं मानते थे—परमात्म रूप ही मानते थे। उन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में ही अग्नि की स्तुति की है, परन्तु अग्नि को परमात्मा से स्वतन्त्र मानकर नहीं। वे स्थूल अग्नि के रूप के ज्ञाता होते हुए भी सूक्ष्म अग्नि-परमात्म शक्ति रूप के स्तोता और प्रशंसक थे। वे मरणशील अग्नि में व्याप्त अमरता के उपासक थे—''**अपश्यमहं महतो महित्वममर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु।**''[5]

अर्थात् 'मरणशील प्रजा में मैंने अगर अग्नि की महिमा को देखा है। इसी तरह वे इन्द्र में भी परमात्म शक्ति को ही देखते थे। कहा गया है जो इन्द्र सृष्टि-कर्ताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं मैं उनकी स्तुति करता हूँ। जितने देवता हैं सबको वे उसी तरह परमात्म रूप समझते थे जिस तरह एक ही सूत्र में माला की सारी मणियाँ ओत-प्रोत रहती हैं और केवल माला समझी जाती हैं। वस्तुतः देवता या दिव्य शक्तियाँ चारों तरफ हैं बाहर, भीतर सर्वत्र। ऋषि लोग सब में वृक्ष शाखा पर्ण आदि में देव ही देव देखते थे। अनुमान किया जा सकता है कि ऋषि लोग जब अपने को चारों ओर से देवों से ही घिरा हुआ अनुभव करते होंगे तब उनका समाज कैसा आनन्दमय स्वर्णमय और सुगन्धमय रहा होगा?

जो इस रहस्य को नहीं समझते, वे वेद के ऊपर तरह-तरह के सन्देह जाल बिछाते हैं। कहते हैं—वेद में औषधियाँ वैद्यों से बातें करती हैं। द्यावापृथिवी बोलती है जल और वायु

चमस और स्रुवा सबके सब चलते वर देते या चन देते हैं। जड़ पदार्थ ये सब कार्य कैसे करेंगे?'

वेद प्रधानतः आध्यात्मिक ग्रन्थ है उसमें चेतनवाद की प्रधानता है। वैदिक मन्त्रों के साथ विहार करने वाले ऋषि चेतन में रमण करते रहते हैं, चेतनगत-प्राण है। ऐसे पुरुष सभी पदार्थों को चेतनमय देखते हैं वे चेतन के साथ ही खाते-पीते, सोते-जागते और बोलते-बतलाते हैं। वे कुछ बनावट नहीं करते वस्तुतः ऐसा ही अनुभव करते हैं। अभी भी यहाँ के या किसी भी देश के महात्मा ऐसा ही अनुभव करते और जड़ पदार्थों से बातें करते हैं। जो ''आत्मवत्सर्वभूतेषु'' को जीवन में ढाल लेते हैं वे पशु, पक्षी, करूण और ठीकरे से भी बातें करते हैं। भला जो वैद्य अपनी औषधियों से बातें करना नहीं जानता, वह क्या भेषज का मर्म जानेगा? जो वीर अपनी तलवार से बातें नहीं करता, वह भी कोई वीर है? सच्चाई तो यह है कि अपने में चेतन का जितना ही अधिक विकास होगा, मनुष्य उतना ही जड़ वस्तुओं से चेतनवत व्यवहार करेगा। इसके विपरीत जिसमें चेतन-तत्व का विकास नहीं हुआ है, जिसके मन-मस्तिष्क और प्राण जड़ानुगत हैं वह तो मनुष्य को भी जड़ की ही तरह उस पर मनमाना अत्याचार करेगा। महात्माओं और जड़वादी मनुष्यों का कार्य प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखे-सुने जाते हैं। फलतः वेद-मन्त्रों का चेतनानृगत होना उनकी अत्युच्च अध्यात्म भूमिका है।

वैदिक ऋषियों की दृष्टि विशाल और व्यापक थी। उनकी माता पृथिवी थी, उनका पिता द्यौ था।[6] वे प्रत्येक अवसर पर सारे भुवनों का स्मरण करते थे। वे अपने व्यष्टि को समष्टि से संवलित रखते थे—उनके मन विशाल और वचन उदार थे, उनके कर्म पिण्ड-ब्रह्माण्डव्यापी थे। वे अपने में विश्व को तथा विश्व में अपने को देखते थे। ऐसे दिव्य पुरुषों का सर्वत्र चेतन और देवता देखना स्वाभाविक ही है। स्वार्थी अहंकारी और विलासी व्यक्तियों से देवता दूर रहते हैं। तपस्वी को छोड़कर देवता दूसरे के मित्र नहीं होते।[7] 'कुकर्म करने वाले के भी देवता नहीं हैं।[8] तात्पर्य यह है कि जो संयमी तप पूत और सदाचारी हैं उनको ही दैवत ज्ञान होता है।

इन्द्र

ऋग्वेद में सर्वाधिक आर्य-साहित्य और आर्य देश में ही प्रख्यात नहीं हैं, अन्य साहित्य और अन्य देशों में भी यथेष्ट विख्यात हैं। रमानाथ सरस्वती का मत है कि 'वृत्रासुर असीरिया, सीरिया या शाम का प्रसिद्ध दलपति था। पारसियों की 'जिन्द अवस्ता' से ज्ञात होता है कि बेबीलोन नगर को आर्य शून्य करने के लिए वृत्र ने अद्विशूर नाम की देवी की उपासना की, परन्तु प्रयत्न में असफल रहा। अन्त को आर्य इन्द्र ने वृत्र को मार डाला। वृत्र आर्यों का घोर शत्रु था। इसीलिए उसके वध पर आर्यों ने परमानन्द का अनुभव किया। फारस के राजा साइरस ने जिस तरह 'टाइग्रीस' नदी का प्रवाह रोकर बेबीलोन को जीता था उसी तरह वृत्र ने भी आर्यभूमि को जीतने की ठानी थी। यह अत्यन्त प्राचीन कथा है इसलिए तथ्य निर्णय कठिन है। तो भी 'ऋग्वेद' और 'अवस्ता' से इतना तो विदित ही हो जाता है कि 'इन्द्र-वृत्र-युद्ध' हुआ था।

इन्द्र-वृत्र-युद्ध की बातें ऋग्वेद के अनेकानेक मंत्रों में थे। संस्कृत के अनेक ग्रंथों में भी ये बातें हैं। प्राचीन परम्परा भी ऐसी ही है। परन्तु निरूक्तकार यास्क कहते हैं कि कहीं 'इन्द्र का वृत्रासुर से संग्राम हुआ होगा, इसे हम अस्वीकार नहीं करते परन्तु वेद में इन्द्र-पुत्र-युद्ध के बहाने वैज्ञानिक वर्षा का वर्णन है। तात्पर्य यह है कि यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा (अन्योक्ति) अलंकार है। परन्तु सोलह आने में से पन्द्रह आने वेदाध्यायी सदा से इन्द्र वृत्र-युद्ध को वास्तविक युद्ध मानते हैं। यास्क के पहले वेदार्थ ज्ञाता वैदिक संप्रदायों की परम्परा अक्षुण्ण थी इसलिए वेदार्थ का तात्विक ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता थी। यास्क के समय यह परम्परा टूट गई थी। इसलिए वेदार्थ-रहस्य समझने में कठिनता और जटिलता उत्पन्न हो गयी। फलतः इस प्रसंग में अधिकांश वेद-टीकाकार यास्क से सहमत नहीं है।

ऋग्वेद के एक स्थल[10] पर कहा गया है कि इन्द्र ने अनेक सहस्र सेनाओं का वध किया। अन्यत्र लिखा है इन्द्र ने तीस हजार राक्षसों को मार डाला।[11] इन्द्र ब्रज द्वारा शम्बरासुर के 99 नगरों को एक काल में विनष्ट किया था।[12] इन्द्र ने शरत् नामक असुर की सात पुरियों को विध्वंस किया (69610)। इसीलिए इन्द्र को पुरन्दर कहा जाता है। इन्द्र आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रूप से तीन प्रकार की मूर्तियाँ धारण कर प्रकट होते हैं। वे माया द्वारा अनेक रूप धारण कर यजमानों के पास आते हैं। इन्द्र के रथ में हजार घोड़े जाते हैं।[13] सेवक सुदास राजा के

लिए 66066 जन मारे गये थे। ये सब कार्य इन्द्र की शूरता के सूचक हैं।[14] इन्द्र ने शम्बरासुर की 99 नगरियों को छिन्न-भिन्न कर डाला और निवास के लिए 100वीं नगरी अधिकृत कर लिया। इन्द्र ने काँपते हुए वृत्रासुर के सिर को सौ धारों वाले वज्र से छेद डाला (9086)। कदाचित् तभी से इन्द्र का एक नाम आखण्डल (शत्रु खण्डयिता) पड़ा।

इस मंत्र में ऋषि ने इन्द्र में भगवान की दिव्य विभूति का दर्शन किया है। इन्द्र तुम्हारा एकमात्र बाण सौ अग्र भागों से युक्त और सहस्र पात्रों में संयुक्त है। इन्द्र ने 21 पर्वत-तटों को तोड़ा था। इन्द्र ने जो कार्य किया उसे मनुष्य या देवता नहीं कर सकते। इन्द्र ने सोमरस का यज्ञ करके अपनी देह को पुष्ट किया है। इन्द्र तुम मनुष्यों के समान स्पष्ट वाक्य का उच्चारण करते हो।[15] इन्द्र ने कहा द्यावापृथिवी मेरे एक पार्श्व के समान भी नहीं है। मेरी महिमा स्वर्ग और पृथिवी को लाँघती है। मेरी इतनी शक्ति है कि कहो तो मैं इस पृथिवी को दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दूँ। मैंने अनेक बार सोम-पान किया है। इस पृथिवी को मैं जला सकता हूँ। जिस स्थान को कहो, उसे मैं विध्वंस्त कर दूँ।[16] अनेक बार यज्ञपूत सोमपान करके और ईश्वरीय शक्ति से अमोघ' वार्यशाली होकर इन्द्र ने ऐसे उद्‌गार प्रकट किये हैं। इन्द्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वृत्र आदि असुरों को 810 बार मारा था।[17] इन्द्र ने आकाश में श्लोक को स्थिर किया है। द्यौ पृथिवी और अन्तरिक्ष को तेज से पूर्ण किया है ओर विस्तृत पृथिवी को धारण कर उसे प्रसिद्ध किया है।[18] इन्द्र तुम्हारे गर्जन करने पर स्थावर और जंगम काँप जाते हैं। स्वष्टा भी काँपते हैं।[19] इन्द्र मनुष्यों के लिए युद्ध करते हैं वे सौ यज्ञों के कर्त्ता कहे गये हैं। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है—इन्द्र अस्सी, नब्बे अथवा सौ अश्वों के द्वारा ढोये जाकर हमारे सामने आओ।[20] इन्द्र के 'उच्चैश्रवा घोड़े का भी उल्लेख है। 109.8 में उल्लेख है कि इन्द्र के वज्य नब्बे नदियों के ऊपर विस्तृत हुए थे।

निष्कर्ष–

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि आर्य ऋषि इन्द्र में परमात्मा की भव्य विभूति देखते थे। साथ ही आर्य लोक इन्द्र को देव-श्रेष्ठ और महान् शूर-वीर भी समझते थे। अध्यात्म दृष्टि से इन्द्र परमात्मा थे अधिदैव दृष्टि से श्रेष्ठ देव थे और अधिभूत-दृष्टि से महान योद्धा थे। इन्द्र विषयक सारे विवरण पढ़ने से ये बातें मालूम पड़ती हैं। ब्राह्मणों और उपनिषदों में इन्द्र को अद्वितीय आत्मा जीवात्मा प्राण आदि कहा गया है। अनेक देवों के साथ भी इन्द्र का वर्णन है। वैदिक साहित्य में इन्द्र-तत्त्व एक विशिष्ट प्रतिपाद्य है।

सन्दर्भ–

1. सायणाचार्य
2. निरूक्त, दैवतकाण्ड 15
3. ऋग्वेद 214.11
4. तै स. 1410.1
5. निरूक्त, दैवतकाण्ड 15
6. निरूक्त दैवतकाण्ड 7 म अध्याय
7. पृष्ठ 1335 मन्त्र-1
8. ऋग्वेद 122.4
9. ऋ. 510.11
10. ऋ. 1222.8
11. ऋ. 1221.2
12. ऋ. 500.3
13. ऋ. 504.21
14. ऋ. 575.6
15. ऋ. 733.18
16. ऋ. 794.14
17. ऋ. 1252.12
18. ऋ. 1410.7-12
19. ऋग्वेद 116-13
20. ऋग्वेद 312.2
21. ऋग्वेद 110.14
22. ऋग्वेद 343.6, ऋ. 317.6

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal
SJIF - 5.299
Paper Recieved : 25th Apr 21 Paper Accepted : 10th May 21

नृत्य पुरोधा पं. श्रीधर व्यास विरचित संयुक्त हस्त कवित्त : एक विवेचन

❑ आयुषी दीक्षित*

शोध सारांश

पं. श्रीधर व्यास जी ने नृत्य कला के क्षेत्र में अद्‌भुत कार्य किया है। आपके द्वारा कथक नृत्य द्वारा भारत का नाम उज्जवल किया गया है। आपने नृत्य को न केवल अर्थोपार्जन का साधन माना है बल्कि धर्मार्थ, काम और मोक्ष का साधन भी मानते हैं। अतः उसके विकास का बीड़ा उठाये आपने चतुर्दिक विकास किया है। प्रयोग विधा के साथ-साथ हस्तलेख के माध्यम से आपने नृत्य सम्बन्धित 'नटवरी नृत्य' नामक ग्रन्थ भी समाज को प्रदान किया है तथा शास्त्रीय संगीत से बद्ध बहुत से पदों की रचना भी की है। जो विशाल कार्यक्रमों में गाये व चरितार्थ किये जाते हैं। आपकी ही रचना और जो संगीत के क्षेत्र में नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसी की समीक्षा इस लेख में प्रस्तुत की जा रही है।

शब्द कुंजी : श्रीधर व्यास, हस्तमुद्रा।

अब संयुक्ता का करे बखान, दो हाथों का मुद्रा ज्ञान।
अंजली मुद्रा नमस्कार में, कपोत मुद्रा सम्भाषण में।
कर्कट मुद्रा शंख बजाती, भाव नगर स्वस्तिक बतलाती।
डोला मुद्रा नाट्यारम्भ में, पुष्पपुट मुद्रा अर्घ्यदान में।
उत्संग आलिंगन करती, शिवदर्शन शिवलिंग बताती।
कटकावर्धन पूजा टीका, पर्वतशिखा कर्तरी स्वस्तिक।
रधका पहिया चक्र बतावे, सम्पुट मुद्रा वस्तु ढांके।
आपसी झगड़ा पाशभाव में, स्नेह प्रेम है किलक भाव में।
जल की मछली मत्स्यभाव में, कछुआ आया कूर्म भाव में।
सूअर वराह मुद्रा बतलाती, मुद्रा गरूड़ पक्षी बन जाती।
नागपाश में नाग बन्ध है, खटुआ खटिया पलंग बिछा है।
'श्रीधर' कहे यह मुद्रा ज्ञान, नर्तक गण इसको पहिचान।
जो नर्तक इसको सीख लेवे, निरत कला में पूरण होवे।

1. अंजली हस्त मुद्रा—दोनों हाथों से पताका मुद्रा बनाकर तथा उन्हें हथेली की ओर से मिला देने पर अंजली संयुक्त हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—यह मुद्रा नमस्कार करने में प्रयोग आती है देवताओं को नमस्कार करते समय, सिर पर तथा गुरूजनों को नमस्कार करते समय मुंह पर और ब्राह्मणों को नमस्कार करते समय छाती पर रखते हैं।

2. कपोत हस्त मुद्रा—दोनों हाथों से पताका मुद्रा बनाकर मुद्रा बनाकर उसे नीचे ऊपर और बगल से परस्पर मिला देने पर कपोत हस्त मुद्रा बनती है।

3. कर्कट हस्त मुद्रा—यदि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच से हथेली की ओर अथवा

* शोधार्थी (संगीत विभाग), श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू (राजस्थान)

बाहर की ओर निकली हुई हो तथा सभी उंगलियां आपस में एक दूसरे से मिली हुई हो तो उसे कर्कट हस्त कहते हैं।

प्रयोग—इस मुद्रा का प्रयोग शंख बजाने, पेट बतलाने में, शरीर के अंगों को मरोड़ने में तथा वृक्षों की डाल झुकाने में किया जाता है।

4. **स्वस्तिक हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों की पताका मुद्रा को एक दूसरे के आर-पार कलाई के समीप रखे तो स्वस्तिक हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—इस मुद्रा का प्रयोग घड़ियाल अथवा मगर बतलाने में किया जाता है।

5. **डोला हस्त मुद्रा**—यदि दोनों हाथों की पताका हस्त मुद्रा को जंघा पर रखें तो उसे डोला हस्त मुद्रा कहते हैं।

प्रयोग—इसका प्रयोग नाट्य आरंभ से पूर्व किया जाता है।

6. **पुष्पपुट हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों से सर्पशीर्ष मुद्रा बनाकर उन्हें सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठिका) की ओर से मिला देने पर पुष्पपुट मुद्रा बनती है।

प्रयोग—देवताओं को अर्घ्य प्रदान करना, आरती, फल-जल-पुष्प आदि अर्पण करने में पुष्पपुट मुद्रा हस्त का प्रयोग होता है।

7. **उत्संग हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों से मृगशीर्ष मुद्रा बनाकर दाहिनी भुजा पर बायें हाथ को तथा बाई भुजा पर दाहिने हाथ को रखने से उत्संग हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—इस मुद्रा का प्रयोग आलिंगन, आभूषण धारण करने के प्रदर्शन, भुजबन्ध, लज्जा तथा बालकों को पढ़ाने के भाव में उत्संग मुद्रा का प्रयोग होता है।

8. **शिवलिंग हस्त मुद्रा**—बायें हाथ से अर्ध चन्द्र मुद्रा बनाकर उसकी हथेली पर दाहिने हाथ से शिखर मुद्रा बनाकर रखने में शिवलिंग हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—शिवलिंग दर्शन हेतु इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

9. **कटकावर्धन हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों से कटका मुख मुद्रा बनाकर उन्हें कलाई पर स्वस्तिक आकार बनाकर रखने से कटकावर्धन हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—राजा के गद्दी पर बैठने, पूजा, विवाह अभिषेक में कटका वर्धन मुद्रा का प्रयोग होता है।

10. **कर्तरी स्वस्तिका हस्त मुद्रा**—जब दोनों हाथों से कर्तरी मुख मुद्रा बनाकर उन्हें स्वस्तिक आकार रखने पर यह कर्तरी स्वस्तिका हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—इस मुद्रा का प्रयोग डाल (शाखा) पहाड़ की चोटी तथा पेड़ बतलाने में किया जाता है।

11. **शकट हस्त मुद्रा**—यदि दोनों हाथों से बनी भ्रमर मुद्रा के बीच की मध्यमा उंगली फैली हो तथा अंगूठे के अग्रभाग आपस में मिल जाने पर शकट हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—शकट हस्त मुद्रा का प्रयोग प्रायः राक्षस का भाव बतलाने में किया जाता है।

12. **शंख हस्त मुद्रा**—बायें हाथ की हथेली के मध्य में दाहिने हाथ के अंगूठे को रखकर बायें हाथ की चारों उंगलियाँ उस पर ढक दी जाय तथा दाहिने हाथ की चारों उंगलियाँ भी बायें हाथ पर इस प्रकार से ढंक दी जायं कि बायें अंगूठे का अग्रभाग तथा दाहिनी तर्जनी का अग्रभाग आपस में मिल जाय तब शंख हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—इस मुद्रा का प्रयोग शंख आदि बतलाने में किया जाता है।

13. **चक्र हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों से अर्धचन्द्र मुद्रा बनाकर उन्हें हथेली की ओर स्वस्तिकाकार मिला देने पर चक्र हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—रथ का पहिया दिखलाने में चक्र मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

14. **सम्पुट हस्त मुद्रा**—यदि चक्र हस्त की सभी उंगलियों को मोड़ दी जाय तो सम्पुट हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—वस्तुओं को ढांकने और सम्पुट (बन्द करने) में सम्पुट हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

15. **पाश हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों से सूची मुद्रा बनाकर उनकी तर्जनी उंगलियों को थोड़ा अंदर की ओर झुका कर आपस में मिला देने पर पाश हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—वाद-विवाद, आपसी झगड़ा, जंजीर, सांकल, लड़ाई आदि भाव बतलाने में पाश हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

16. **कीलक हस्त मुद्रा**—दोनों हाथों से मृग शीर्ष मुद्रा बनाकर उन्हें पृष्ठ भाग से मिला दिया जाय और कनिष्ठका उंगली आपस में गूंथ देने पर कीलक हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—स्नेह तथा प्रेमपूर्वक बातचीत करने पर इस कीलक हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

17. मत्स्य हस्त मुद्रा—एक हाथ के पृष्ठ भाग पर दूसरे हाथ को रखकर दोनों हाथों के अंगूठे व कनिष्ठिका उंगली को फैला देने पर मत्स्य हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—इस मुद्रा का भाव मछली बतलाने में किया जाता है।

18. कूर्म हस्त मुद्रा—जब चक्रहस्त में कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे को छोड़कर शेष सभी उंगलियां कुन्वित की जाए तो कूर्म हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—कछुआ बतलाने में कूर्म मुद्रा का प्रयोग होता है।

19. वराह हस्त मुद्रा—दोनों हाथों से मृगशीर्ष्ञ मुद्रा बनाकर उन्हें एक-दूसरे पर इस प्रकार रखें कि अंगूठा और कनिष्ठिका आपस में मिल जाय तब वराह मुद्रा होती है।

प्रयोग—सूअर दिखाने में प्रयोग किया जाता है।

20. गरूड़ हस्ता मुद्रा—दोनों हाथों से अर्धचन्द्र मूद्य बनाकर उन्हें हथेली की ओर स्वस्तिकाकार इस प्रकार रखा जाए कि दोनों अंगूठे एक-दूसरे से मिलकर गुंथ जाय तो गरूड़ मुद्रा होती है।

प्रयोग—गरूड़ पक्षी बतलाने में किया जाता है।

21. नागबन्ध हस्त मुद्रा—दोनों हाथों से सर्पशीर्ष मुद्रा बनाकर उन्हें स्वस्तिकाकार रखने पर नागबन्ध मुद्रा हस्त बनती है।

प्रयोग—नागबन्ध बतलाने में इस मुद्रा का प्रयोग होता है।

22. खटवा हस्त मुद्रा—यदि एक चतुरहस्त दूसरे चतुरहस्त के ऊपर हो तथा दोनों हाथों की तर्जनी (पहली) उंगलियों एवं अंगूठे अगल हो तो उसे खटवा हस्त मुद्रा कहते हैं।

प्रयोग—खटिया, पालकी के भाव प्रदर्शन में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

23. भेरूण्ड मुद्रा—दोनों हाथों से कपित्थ मुद्रा बनाकर उन्हें कलाई के पास स्वस्तिकाकार से जोड़ देने से भेरूण्ड हस्त मुद्रा बनती है।

प्रयोग—इस मुद्रा का प्रयोग दो पक्षी एक साथ बतलाने में किया जाता है।

नृत्यकला से होने वाले लाभ का वर्णन करते हुए पं. श्रीधर व्यास जी कहते हैं—

निरत कला में है कई भाँति भाँति के लाभ।
भक्ति भाव से जो करे मिट जाये सब ताप।।
मिट जाये सब ताप कीर्ति फैले जग में।
मिले धन धान्य सम्मान देश देशान्तर घूमे।।

कुछ लोगों का मानना है कि नृत्य कला केवल उछल-कूद एवं धन कमाने के अलावा कुछ नहीं है परन्तु वह युग बीत गया जब इस कला को हेय दृष्टि से देखा जाता था अब नृत्यकला बहुत ऊँची उठ चुकी है तथा ज्ञान के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। नृत्यकला सीखने के कई लाभ हैं—आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, शिष्टाचार तथा आचरण, यश और धन।

आध्यात्मिक लाभ—प्राचीनकाल से नृत्यकला ईश्वरोपासना तथा मोक्ष प्राप्ति का साधन रही है। यह एक ऐसी शुद्ध कला है जो कभी न नष्ट हुई है और न होगी इसीलिए ऋषि-मुनियों ने मुक्ति का मार्ग समझकर इसे अपनाया था।

बौद्धिक—नृत्यकला बौद्धिक विकास होता है। नृत्यकला में धार्मिक कथानकों को विशेष स्थान है। अतः वेद, पुराण, रामायण, महाभारत तथा गीता में वर्णित भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त समय-समय पर होने वाली ऐतिहासिक घटनाओं का भी ज्ञान होता है। विभिन्न काल में प्रचलित नृत्य, ताल, लय, मुद्रा वेश-भूषा, साज-सज्जा आदि का शास्त्री ज्ञान भी इससे होता है।

मानसिक—नृत्यकला से नर्तक को मानसिक लाभ होता है। प्राचीन कथानकों के अध्ययन तथा प्रदर्शन द्वारा मन को शांति मिलती है। नृत्यकला द्वारा मन कोमल भावुक तथा कल्पनाशील हो जाता है। जो नर्तक के विशेष गुणों में से है।

शारीरिक—नृत्यकला में अंग-संचालन की क्रिया प्रधान होती है। अतः इसके द्वारा शरीर के सभी अंगों का यथेष्ट व्यायाम हो जाता है। इससे शरीर के समस्त अंग सुडौल, स्वस्थ तथा लचीले बन जाते हैं।

साहित्यिक—नृत्यकला का साहित्य से गहरा सम्बन्ध होने के कारण नृत्य के अनेक तोड़े साहित्यिक होते हैं जिनमें कविता, छंद, अलंकार, गण आदि का प्रयोग होता है। इन

तोड़ों के अध्ययन, पठन, मनन तथा नर्तन से नर्तक को साहित्य का भी ज्ञान हो जाता है।

मनोवैज्ञानिक—नर्तक कथानक के पात्रों की भूमिकाएं करता है जिससे उसे विभिन्न प्रकार के चरित्रों का ज्ञान होता है तथा नृत्यकला प्रदर्शनार्थ देश-विदेश भ्रमण करता है तब अनेक व्यक्तियों से उसकी भेंट होती है। अतः वह दर्शकों की अभिरुचि का भी अनुमान लगाकर ऐसी चीजें प्रस्तुत करता है जो उन्हें रुचिकर लगे।

शिष्टाचार तथा आचरण—प्रत्येक नर्तक को शिष्ट, चरित्रवान तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। नृत्यकला सीखने से ही नर्तक में ये बातें आती हैं। कार्यक्रमों के दौरान कई छोटे-बड़े शिक्षित तथा विद्वानों से नर्तक का परिचय होता है। यही वातावरण उसे विशिष्ट तथा व्यवहार कुशल बना देता है। यश तथा धन नृत्य कला के माध्यम से नर्तक देश-विदेश घूमता है जिससे उसे बड़ा आदर-सम्मान और धन की प्राप्ति होती है।

सन्दर्भ–

1. नटवरी नृत्य पं. श्रीधर व्यास, श्रीहरि संगीत कला केन्द्र, महानन्दा नगर, उज्जैन।
2. संगीतार्चन् (कथक नृत्य भाग-2) सुश्री संगीता व्यास, श्रीहरि संगीत कला केन्द्र, महानन्दा नगर, उज्जैन।
3. वसंत सुधा, डा. धनश्री पांडे—मुलावकर, विद्या विकास पब्लिशर्स प्रा. लि. मेहाड़िया रोड, धन्तोली, नागपुर-12।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 25th Apr 21 Paper Accepted : 10th May 21

ज्ञानयोग में वर्णाश्रम धर्म का अध्यात्म

❑ कृष्णमणि शुक्ल*
❑ डॉ. बृजेशनाथ ओझा**

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र में परमेश्वर भगवान् शंकर की कृपा से स्थावर जंगमात्मक प्राणी तथा वर्णाश्रम का निर्माण हुआ। परमेश्वर की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रादि देवता हुए। परमेश्वर ने ही इस जगत में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की है। वर्णाश्रम के आचार तथा धर्म के सम्यक् परिपालन से ज्ञान की शीघ्र प्राप्ति होती है। ज्ञान से ही अज्ञान का निवर्तन होता है। इस संसार में मानव कभी कर्मों से मुक्त नहीं होता। इस संसार में मानव को अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म का शास्त्रीय विधान के अनुसार पालन करना चाहिए। अपने–अपने आश्रम धर्म के पालन से ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है।

शब्दबीज– ज्ञानयोग, वर्णाश्रम, धर्म, परमेश्वर, अध्यात्म आदि।

प्रस्तावना–

सूत संहिता में पापों की प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। पूर्व में वर्णित ब्रह्महत्या प्रभृति पाँच महापाप हैं। गो हत्या आदि उप पाप हैं। निषिद्धाचरण, अस्पृश्यादि दोष क्षुद्र पाप हैं।[1] श्रद्धापूर्वक नित्य वेद पारायण तथा वेदान्तों का श्रवण करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है।[2]

प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्णधमानुसार चार आश्रमों का संहिता में निरूपण किया गया है। चार आश्रम इस प्रकार हैं–(1) ब्रह्मचर्य आश्रम (2) गृहस्थाश्रम (3) वानप्रस्थ आश्रम (4) संन्यास आश्रम।

ब्रह्मचर्य आश्रम–सूत संहिता सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात् ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेशकर ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् ब्रह्मचारी को ध्यानावस्थित होकर वेद का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को उपनयन के पश्चात् वेदाध्ययन करने का विधान है। ब्रह्मचारी को दण्ड, यज्ञोपवीत, मेखला, कृष्णा जिन (काला मृगचर्य) तथा काषाय या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। गृह्यसूत्र में निर्दिष्ट अपनी–अपनी परम्परा के मंत्रपूर्वक दण्डादि के धारण करने का निर्देश दिया गया है।[3] ब्रह्मचारी भिक्षा याचना के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करता हुआ, गुरु की सेवा में तत्पर रहे। ब्रह्मचारी अपने शिर तक की लम्बाई का बेल, पालश

* शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** विभागाध्यक्ष–संस्कृत, श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, जिला–रीवा (म.प्र.)

या पीपल का दण्ड धारण करे। दण्ड सीधा तथा छाल युक्त होना चाहिए। सुबह–शाम ब्रह्मचारी को ध्यान व स्थित होकर संध्या करने का निर्देश दिया गया है। ब्रह्मचारी को काम, क्रोध, लोभ तथा मोह का परित्याग करना आवश्यक हे। अपने सूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी को अग्नि सेवन करना चाहिए। ब्राह्मण बटुको स्नान के पश्चात् देव, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए शिवग्मि विरजाग्नि अथवा अग्निहोत्रादि से उत्पन्न भस्म को जलामिश्रित कर भस्म धारण मन्त्र से उसके शरीर में लेप करना चाहिए। भस्म लेप के पश्चात् वक्षस्थल ललाट हाथों, तथा ग्रीवा आदि में त्रिपुण्ड्र धारण का विधान किया गया है। मिधावी भूयास्म अथवा ''त्रियायुष जयदग्ने'' इस मंत्र से त्रिपुण्ड धारण करें।[4]

त्रिपुण्ड धारण करने के पश्चात् फूल से, वेलपत्र से या चन्दन से शिव की आराधना करनी चाहिए। अपने गुरुओं तथा अध्यात्मज्ञानी प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मचारी को करको के व्यत्यास विधि से (बाये हाथ से बायॉ पैर तथा दाहिने हाथ से दाहिने पैर का) स्पर्श करना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञानदाता गुरु को सबसे प्रथम प्रणाम करने का निर्देश है गुरु के बैठने के पश्चात् ही शिष्य को गुरु के आदेशनुसार व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सदासत्य भाषण करना चाहिए। पठित पाठ का सदास्मारण करना चाहिए नित्य नैयिन्तक कार्यों को शान्तिपूर्वक निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा याचना कर गुरु के चरणों में समर्पित करे, तथा उनकी आज्ञा के अनुसार ही उसे मोक्ष्य का उपभोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सूर्यभिमुख भोजन करने का निर्देश दिया गया है। भोजन के पूर्व हाथ पैर प्रक्षालन कर दो बार आचमन करे तदनन्तर 'प्राणाय स्वाहा' आदि पाँच मंत्रों से पाँच आहुतियाँ देने के पश्चात् ही भोजन करे। ब्रह्मचारी को अनवरत वेदाभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। वेद से भिन्न मन्त्रों का कभी जप न करे। इस प्रकार वेदाभ्यास करते–करते यदि ब्रह्मचारी को ज्ञान से वैराग्य हो जाय तो मोक्ष की आकांक्षा से उसे परमहंस संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।[5]

गृहस्थाश्रम–ब्रह्मचारी को वेदों के अभ्यास के पश्चात् आचार्य की अनुमति से समावर्तन संस्कार के पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में पिता के निर्देश के अनुसार अपने फुलानुरूप कुल गोत्र की सुशील कन्या विधिवत पाणिग्रहण करना चहिए। अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित के निर्देशनुसार यथाकाल गृहस्थ धर्म का पालन करें।[6] पत्नी के ऋतुकाल निवृत्ति के पश्चात् एकादशी त्रयोदशी पूर्णिमा तथा अमावस्या का परित्याग कर भार्या का सेवन करे। दिन में गाम्यधर्म का सेवन निर्षिद्ध है। गृहस्थ का धर्म है कि वह अतिथि, भिक्षु, आदि को भोजन कराने के पश्चात् स्वयं भोजन करे। गृहस्थ को केवल अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, अपितु अतिथि तथा भिक्षुओं का उसे प्रथम ध्यान रखना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए ही उसे दाम्पत्य धर्म का सेवन करना चाहिए। ब्राह्मण गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने जीवन–यापन के लिए पौरोहित्य, अध्यापन अथवा शिक्षाप्रदान कर धनार्जन करे, अन्य निदित मार्ग का कभी आश्रय नहीं ग्रहण करना चाहिए।[7] गृहस्थ को अपने यजमान तथा शिष्यों से ही धन ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रानुकूल मर्यादा का पालन करते हुए, उसे ग्रहस्थ धर्म का आचरण करना चाहिए आपत्पकाल में भी निषिद्ध चरण नहीं करना चाहिए। निषिद्ध दान ग्रहण करने से ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। स्वर्ण, भूमि, घोड़ा, गाय आदि का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए धन अर्जन की दृष्टि से कभी भी दान ग्रहण करना श्रेयस्कर नहीं है शास्त्रानुमोदित धर्मानुष्ठान के लिए ही दान स्वीकार्य है। धर्मानुष्ठान के लिए भी उत्तम लोगों से दान स्वीकार करना चाहिए हीनवृत्ति लोगों से लिया गया दान अनर्थ का कारण होता है।[8]

सूत संहिता में गृहास्थ के शारीरिक अभिक्रियाओं का भी निर्देशन किया गया है। गृहस्थ को निर्जन तथा निरापद स्थान में ही मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए मलमूत्र के विर्सजन के बाद मृत्तिका तथा जल से गुदा शिश्न दोनों हँाथ तथा चरणों का प्रक्षालन करना चाहिये। शौच के पश्चात् पुनः दो बार अचमन कर स्नानविधि का सम्पादन करना चाहिए। स्नान के पश्चात् तीन बार

आचमन कर सन्ध्या वन्दन करते हुए गायत्री मन्त्र का यथा शक्ति जप करना चाहिए। वेद का पारायण करते हुए ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्देश दिया गया है।[9] यथा शक्ति दान के पश्चात् निर्धनों तथा असमर्थों की सेवा करना भी गृहास्थ का धर्म है।

गृहस्थ धर्म का निरूपण करते हुए कहा गया है कि गृहस्थ को यतियों, भिक्षुओं तथा ब्रह्मनचारियों को भोजन कराने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यति को जल देने के पश्चात् भिक्षा देवे तथा पुनः जल देवें यह भिक्षा अखण्ड पुण्य फल दायक होती है। यति को दिया गयाजल सागर के सामन तथा भिक्षा में रूके समान फलशाली कही गई है। गृहस्थ को यथा शक्ति एक ही बार भोजन करने का विधान है। भोजन में केवल मुर्गी के अण्डे के समान बत्तीस (32) ग्रास ही ग्रहण करना चाहिए।

एकवारं गृही नित्यमश्नीयादत्तमं हितत्।
द्विवारंवाक्षमोऽश्नीयात् द्वानिंशद ग्रासमन्बहम्।।
कुक्कुटाण्डप्रमोणेन न हृष्टोनविषाद वान्।।[10]

समय, हवन, जप तथा गुरुओं के सेवा काल में शुद्धता का ध्यान रावते हुए यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए एक वेणुदण्ड तथा जलपूर्ण कमण्डलु गृहस्थ को हमेशा साथ रखने का निर्देश दिया गया है–

''वैषवीं धारयेदष्टिं सोदक च कमण्डलुम्।''[11]

गृहस्थ को अपने अंगों में भस्म, लेप तथा प०चाक्षर मंत्र से त्रिपुण्ड धारण करना चाहिए। त्रिपुण्ड धारण से वेदाध्ययन तथा ब्रह्म कर्तव्य का पुण्य प्राप्त होता है। श्रुति के नियमानुसार त्रिपुण्ड धारण न करने से ब्राह्मण का पतन होता है–

''त्रिपुण्ड्रंधारयेद भक्त्या मनसा पिन लंछयेत्।
श्रुत्वा विधीयते यस्मात्तत्यागी पतितो भवेत्।।[12]

वेदविधान के अनुसार ब्राह्मण को रुद्राक्ष धारण करने का निर्देश दिया गया है। परमेश्वर शिव की सदा आराधना करनी चाहिए। विधिवत् यज्ञ करने से सारे पाप भस्मीभूत हो जाते है। पापों के भस्मीभूत हो जाने से परमेश्वर शिव में उसका मनलीन हो जाता है। शिव के ध्यान से तथा यज्ञ के फल से चित्तशुद्धि के पश्चात् उसे स्वर्गफल की उपलब्धि होती है।[13]

सूत संहिता के अनुसार पितरों की ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्रोंत्पादन के साथ–साथ श्राद्ध तथा विधिवत तर्पण करना चाहिए। सत्य एवं प्रिय वचन बोलने का अभ्यास करने का भी निर्देश दिया गया है–

''पुत्रमुत्पादयेत् स्वस्यां पितृणामुपशात्तये।
सत्यं ब्रूयात् प्रियं बूयात् सर्वभूतेषु सर्वदा।।[14]

गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए पुत्र के वयस्क हो जाने पर सभी कर्मों को संन्सस्त कर वेदान्त का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वेदान्त का श्रवण करते हुए उसे संन्यासी धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ अश्रम से वैराग्य हो जाने पर परमहंस जीवन अपना कर वेदान्त का अभ्यास करना चाहिए वैराग्य में भी यादि मोक्ष की इच्छा न हो तो बहूदक या कुटीचक संन्यास का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।[15]

संहिता के अनुसार यदि गृहस्थ आश्रम से वैराग्य न हो तो वानप्रस्थ आश्रम को शरण लेना चाहिए। मध यमायु व्यतीत होने पर वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय आवश्यक है। अथवा विधिवत पाँच यज्ञों की सम्पादन करते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए।[16]

3. वानप्रस्थ आश्रम– सूत–संहिता के अनुसार पुत्र के वयस्क हो जाने पर गृहस्थ पत्नी को पुत्र की सुरक्षा में छोड़कर अथवा सपत्नीक गृह का त्याग कर वन में प्रवेश करे। वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए संहिता में शुभ मुहूर्त का निर्देश दिया गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि वार, तथा नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वन में यम–नियमादि अष्टांगयोग का अभ्यास करते हुए परमेश्वर शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करनी चाहिए। वन में शाक, मूल तथा फलाहार करना चाहिए। परमेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन में गृहस्थ अधा अर्थात् सोलह ग्रास मंत्र आहार लेने का निर्देश दिया गया है। जरा, नख तथा केश को धारण करना चाहिए। अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञों का अनुष्ठान करते हुए वस्त्रों का परित्याग कर वृक्ष की छाल धारण कर दिन में तीन बार स्नान करना आवश्यक है। वानप्रस्थी कभी किसी से दान ग्रहण न करे वानप्रस्थ आश्रम में शहद तथा मांस आहार निषिद्ध है। दिन में एक बार

ही आहार निर्दिष्ट है। रात में शिव का ध्यान परम कर्तव्य है। इद्रियों पर नियंत्रण का सदा आत्मतत्व का चिन्तन करना चाहिए। भूमि–शयन करे तथा निरन्तर गायत्री जप करते हुए जीवन व्यतीत करे। आते निद्रा का परित्याग कर चान्द्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए।[17]

सूत संहिता के निर्देशानुसार वानप्रस्थी को ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करना चाहिए। वर्षाकाल में छत–छप्पर आदि का परित्याग कर आकाश नीचे निरावरण स्थान में निवास करे। हेमन्त ऋतु में जलार्द्र वस्त्र धारण कर तपस्या में वृद्धि करनी चाहिए।[18] वानप्रस्थी दिन में तीन बार स्नान कर देवताओं का तर्पण करे। एक पैर से स्थिर रहकर निराहार जीवन व्यतीत करे। यदि निराहार संभव न हो तो शुक्ल पक्ष में दुग्धपान कर कृष्ण पक्ष गाय का गोबर खाकर जीवन–यापन करें। अथवा वृक्ष के सूखे पत्ते का आहार कर कठोर व्रत का पालन करना चाहए–

"पय पिवेच्छुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे च गोमयम्।
जीर्ण पर्णा शनीवास्यात्कृच्छैर्वावर्तयेत्सदा।।"[19]

निरन्तर योगाम्यास करते हुए पशुपतिशिव का ध्यान करे। काले मृग का चर्म तथा सफेद यज्ञोपवीत धारण कर जब तक वैराग्य उत्पन्न न हो अनवरत आश्रम में निवास करो।[20]

वानप्रस्थ धर्मो का सम्यक् निर्वाह करते हुए यदि वैराग्य उत्पन्न न हो तो अग्नियों को समारोपित कर अनवरत आत्मचिन्तन करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार अग्निहीन तथा आवास त्याग का आत्मध्यान करते हुए मोक्ष के लिए प्रयासरत रहे। यदि ध्यान रत रहना संभव न हो तो निरन्तर वेदान्त का मनन चिन्तन करते हुए जीवन–यापन करता रहे। ऐसे वानप्रस्थी को प्रणव मंत्रों से त्रिपुण्ड्र धारण करना चाहिए –

अथवा वाग्नीन् समारोप्य स्वात्मनि ध्यान तत्परः।
अनग्निरानिकेतः स्यान्मुनिर्मोक्षपरो भवेत्।।
सदोप निषदभ्यास परो वा स्यात् समाहितः।
त्रिप्रण्ड्रोद् धूलनं कुर्यात् गृहस्थस्योक्त मंत्रतः।।[21]

इस प्रकार आचरण करते रहने पर यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाय तो कुटीचक, बहूदक अथवा परमहंस सन्यास ग्रहण करे। इस प्रकार सूत संहिता में वानप्रस्थ आश्रम का निरूपण किया गया है।[22]

संन्यास–आश्रम– संन्यास मानव–जीवन का अन्तिम आश्रम है। संन्यसी चार प्रकार के होते हैं। कुटीचक, बहूदक, हंस तथा परमहंस –

"कुटीचक को मुनश्रिष्ठ तथैव च बहूदकः।
हसः परमहंसश्च तेषां वृत्तिंवदामि ते।।[23]

कुटीचक संन्यासी प्रतिदिन अपने घर से भिक्षा ग्रहण कर उसी से अपना जीवन यापन करें शिखा, यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड, कमण्डलु, पवित्र कुश धारण करे तथा गैरिक वस्त्र धारण कर अनवरत गायत्री जप करें अपने पूरे शरीर में भस्म का लेप करे तथा त्रिपुण्ड्र लगावे। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शिवार्चन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए।[24]

बहूदक संन्यासी अपने बन्धुओं के गृहों का त्याग कर अन्यत्र सातगृहों से भिक्षा ग्रहण करे उसी से अपन जीवन–यापन करें। किन्तु प्रतिदिन एक स्थान से भिक्षा ग्रहण न करे। बहूदक संन्यासी गोवालरज्जु से वध त्रिदण्ड, झोला, पात्र, पानी छानने का वस्त्र कैपीन, कमण्डलु, पिछौना वस्त्र, गुदड़ी, पादुका, छाता, पवित्रमृगचर्म, सुई, पक्षिणी (हाथ को सहाय देने वाली काष्ठ) रुद्राक्षमाला, योगपद वाहरीवस्त्र स्नान के लिए मिट्टी खनन के लिए खुरपी आदि सदा अपने साथ रखना चाहिए। पूरे शरीर में भस्म का लेप करे तथा त्रिपुण्ड्र धारण करे, शिखा यज्ञोपवीती रहे तथा देवताओं की आराधना में तत्पर रहे। सदा स्वाध्याय करता हुआ समय व्यतीत करे। मौनव्रत करे तथा मोक्ष साधना हेतु अनवरत प्रयासरत रहे। संध्या काल में गायत्री जप का अनुष्ठान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करों निरन्तर ब्रह्म साधना में तत्पर रहे।[25] हंस संन्यासी कमण्डलु, झोला, भिक्षापात्र, गुदड़ी, कौपीन बिछाने का वस्त्र, कटिवस्त्र, उत्तरीय तथा वेणु का दण्ड धारण करे।

हंस कमण्डलु शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च।
कन्यां कौपीन माच्छाद्यंगवस्त्रं बहिःपटम्।
एकं तु वैणवं दणुं धारयेन्निव्यमादशत्।।[26]

हंस संन्यासी त्रिपुण्ड लगावे तथा अनवरत परमेश्वर शिव की आराधना में तत्पर रहो दिन में केवल एक बार आठ ग्रास भोजन ग्रहण करे तथा शिखा धारण करे–

त्रिपुण्ड्रोद् धूलनं कर्यच्छ्‌िवलिंग समर्चयेत।
अष्ट ग्रासं सकृन्नित्यमश्नीया त्सशिखं भवेत्।।[27]

हंस संन्यासी प्रातः मध्याह तथा सायं सन्ध्या में त्रिकाल गायत्री का जप करे तथा निरन्तर आत्म चिन्तन में तल्लीन रहे। तीर्थों में भ्रमण करता हुआ कठिन चान्द्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। एक रात से अधिक किसी भी स्थान में निवास न करे।[28]

परमहंस संन्यासी त्रिदण्ड गोवाल रज्जु, पानी छानने का वस्त्र, पवित्रकुश, कमण्डलु पक्षिणी, मृगचर्म, सुई, खुरपी, शिखा, यज्ञो पवीत, संन्यादि नित्यकर्म, आदि का परित्याग करे। परम हंस संन्यासी को इन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। कौपीन, बिछौना वस्त्र, धार्यवस्त्र गुदड़ी योगपट्ट, आच्छादन वस्त्र पादुका, छाता रुद्राक्ष माला तथा वेणुदण्ड ग्रहण कर सकता है। शरीर के अंगों में भस्म लेपन तथा त्रिपुण्ड धारण करना चाहिए। मिट्टी का, कांसे का, या लकड़ी का पात्र आचमन पूर्वक ग्रहण करना चाहिए।[29] अथवा इनका भी परित्याग करें। परमहंस को करपात्री या उदर पात्री चाहिए। अर्थात् हाँथ में जितना आ जाय उतना ही भोजन करना चाहिए उदार पेट में जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ग्रहण करें संग्रह वृत्ति का परित्याग करे। उसे किसी प्रकार का पात्र नहीं रखना चाहिए।

बहूदकानां हंसानां पाणिपात्रं तथोदरम्।
कांस्यपात्रं न विघ्युक्तं मृत्पात्रमिति श्रुतिः।।[30]

यदि पात्र रखना आवश्यक है तो मिट्टी का पात्र रखना चाहिए परमहंस को माधुकरी वृत्ति से भिक्षा ग्रहण करना चाहिए अर्थात् न वह अधिक भोजन करे न भूखा ही रहे! परमहंस को मिताहार ग्रहण करना श्रेयस्कर है—

माधुकरमथैकान्तं परमहंस सः समाचरेत।
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः।।[31]

परमहंस संन्यासी को उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए जितने से उसकी साधना में व्यवधान न हो। परमहंस सभी वर्णों से भिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि ब्राह्मणों से भिक्षा प्राप्त हो सके तुक्षत्रिया आदि वर्णों की भिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। परमहंस को गुरु की सेवा करते हुए आत्मज्ञान के लिए निरन्तर अभ्यास करना चाहिए। परमहंस को सभी प्रकार के व्यवहारों का परित्याग करना चाहिए। काम, क्रोध लोभ दम्भ दर्प आदि का दूर से ही त्याग करना श्रेयस्कर है।[32] सभी प्रकार के संन्यासियों को वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहकर चातुर्मास्य व्रत करना चाहिए। मोक्ष के उद्देश्य संन्यासियों को गायत्री मंत्र का अनवरत जप करने का निर्देश दिया गया है।[33] परमहंस को केवल प्रणव का जप करने का विधान है। क्योंकि वेदों का आरम्भ एवं अन्त प्रणव से ही होता है, अतः तीनों संन्ध्याओं में एकाग्रचित होकर छः प्राणायाम करने के पश्चात् कम से कम एक सौ आठ बार प्रणव का जप करने की विधि का निरूपण किया गया है। परमहंस संन्यासी को एकान्त में इन्द्रियादि को को समाहित कर समाधिका अभ्यास करना श्रेयस्कर है—

प्रणवाद्यास्त्रयो वेदा प्रणवे पर्यवस्थिताः।
तस्मात्प्रणवमेवैकं परहंसः सदा जपेत्।।
संध्याकालेषु शुद्धात्माः प्रणवेन समाहित्।
षट्प्राणायामकं कुर्यजये तृष्टोत्तरं शतम्।।
विविक्त देश माश्रित्य सुखासीनः समाहितः।
यथाशक्ति वित्त समाधिकस्थो भवेत्संन्यासिनांवरः।।[34]

परमहंस संन्यासी को उत्तरोत्तर उत्तमवृत्तियों का आश्रम लेना चाहिए। उत्तम वृत्ति का आश्रय लेने के पश्चात् उसे पूर्व वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए।[35] उत्तमवृत्ति के पश्चात् पूर्व वृत्ति का आश्रय लेने से संन्यासी को आरुढ़पतित कहा जाता है, तथा वह सभी धर्मों से बहिस्कृत कर दिया जाता है।[36]

सूत संहिता के अनुसार संन्यासी के तेज से सूर्य भी विचलित हो जाता है। नारायण के चरत या अचर हो रूप है, उनमें से संन्यासी चर रूप तथा मृन्मयी मूर्त्तियाँ अचर रूप हैं। संन्यासी सदा पवित्र होता है, जहाँ वह निवास करता है वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियाँ रहती हैं। संन्यासी वेष सर्वेश्वर की तरह पूज्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम के देवता आदित्य है। संन्यासियों की पूजा परमेश्वर शिव की तरह करनी चाहिए थे।[37]

सूत संहिता में संन्यासियों का मरणोत्तर क्रियाओं का भी निरूपण किया गया है। परमहंस संन्यासी को प्राण त्याग के पश्चात् जलाना नहीं चाहिए। उसे भूमि के अन्दर माड़ना चाहिए। संन्यासी के मरने पर अशौच

नहीं होता उनका मरणोत्तर तर्पण आदि नहीं करना चाहिए। जहाँ परमहंस को समाधि दी जाती है, वहाँ पीपल का पेड़ लगा देना चाहिए। पीपल का वृक्ष के छूने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं परमहंस संन्यासियों को समाधिस्थ करने के पश्चात् उसके परिवार के लोग निकाल कर दाहक्रिया करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तथा दाह कर्म करने वाले को अशौच नहीं होता, वह स्नान मात्र से पवित्र हो जाता है।[38] इस प्रकार सूत संहिता में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का निरूपण किया गया है।

संदर्भ स्रोत

1. मनु स्मृति (अ. 11/54–56)
2. सूत संहिता (2/7/37–40)
3. सूत संहिता (1/3/2–3)
4. सूत संहिता (2/3/4–11)
5. सूत संहिता (1/3/12–25)
6. सूत संहिता (2/4/1–4)
7. सूत संहिता (2/4/5–7)
8. सूत संहिता (2/4/8–13)
9. सूत संहिता (2/4/14–15)
10. सूत संहिता (2/4/17–18)
11. सूत संहिता (2/4/20)
12. सूत संहिता (2/4/23)
13. सूत संहिता (2/4/24–27)
14. सूत संहिता (2/4/28)
15. सूत संहिता (2/4/30)
16. सूत संहिता (2/4/31–32)
17. सूत संहिता (2/5/1–9)
18. सूत संहिता (2/5/10)
19. सूत संहिता (2/5/11–12)
20. सूत संहिता (2/5/13)
21. सूत संहिता (2/5/14–15)
22. सूत संहिता (2/5/16)
23. सूत संहिता (2/6/2)
24. सूत संहिता (2/6/3–5)
25. सूत संहिता (2/6/6–11)
26. सूत संहिता (2/6/11–12)
27. सूत संहिता (2/6/13)
28. सूत संहिता (2/6/14–15)
29. सूत संहिता (2/6/16–19)
30. सूत संहिता (2/6/21)
31. सूत संहिता (2/6/22)
32. सूत संहिता (2/6/23–25)
33. सूत संहिता (2/6/26–27)
34. सूत संहिता (2/6/28–30)
35. सूत संहिता (2/6/31)
36. सूत संहिता (2/6/32)
37. सूत संहिता (2/6/33–38)
38. सूत संहिता (2/6/39–41)

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 30th Apr 21 Paper Accepted : 20th May 21

Narrative Style of Michael Ondaatje

❒ Preeti Vishwakarma*

ABSTRACT

The present paper showcases the various narrative techniques used by well known Sri-Lankan Canadian Novelist Michael Ondaatje. Ondaatje believes in multiple voices in his narratives. Here some characteristics his narrative style has been discussed in the reference of the English patient 'Anil's Ghost' and 'Coming Through Slaughter', His use of flashback technique to tell his stories puts him in the category of Avant grade Canadian authors.

Key words: Narrative, Multiculturalism, Narrative-voices, Flashbacks etc.

Introduction :

The narrative is omniscient, our existence can't be separated from the narratives created by us. Our life is a kind of web of narratives and human minds are occupied in knitting the web of these narratives, to cognize their intricacies, to process their evolution, to negotiate their cessation and even relate to them. In this context, Jerome Bruner observes in "The narrative Construction Reality" (1991) that "we organize our experience and our memory of human happenings mainly in the form of narrative"

In a 1984 interview, Michael Ondaatje expressed his endeavour "to start each book with a new vocabulary, with a new set of clothes" (Solecki, 1985,325). The delving of a different topic and choice of a new context with every new writing project appears to have been the reason for one of the most recurrent, if not clichéd, statements about the author and his work, that both dude possibility of a definite classification.

Being an epitome of Multi-Culturalism Ondaatje himself experienced the outcomes of emerging Multicultural society. Ondaatje contrives various aspects responsible for the multicultural environment. Migration is the main aspect that played an indispensable role in creating an emerging post-modern multicultural phenomenon.

As a victim of colonialism, civil-wave Ondaatje left Srilanka and migrated to England and later Canada. Anil in 'Anil's Ghost' and Ondaatje himself in Running in the family have migrated to foreign lands to make a better living. In the English patient, War becomes the tool of creation multicultural phenomena set in Girolamo villa in Italy where Almasey, Hana, Caravaggio and Kip create their little multicultural world. In his article entitled "Site of passage; The City as a place of Exile in contemporary North-American Multicultural literature" describes the postmodern world as:

"The city becomes a multicultural college of a kaleidoscope- a contested and ever-changing site of conflicting voices, cultures and beliefs- it permits itself to be read most effectively as a postmodernist arena of plurality, fluidity, discontinuity and difference, less a static mosaic than an ongoing process of ever-shifting interactions and dialogues

* Assistant Professor (English), Govt. Bapu College, Nowgong, Distt. Chattarpur (M.P.), Mob. 7054771252

between a multiplicity of voices and perspective…the city becomes the territory where the postmodern drama of irony and indeterminacy- of self, of language-most, forcefully plays itself out." (258-86)

In an excerpt from the interview with Michael Ondaatje, he quotes from English poet John Berger's novel 'G'. "We can no longer rely on only one speaker. We can't rely on only just one voice." Through the conversation between his different characters and their dissimilar voices, Ondaatje thus explores a literary and political form and again cites John Berger to sum up: "Never again will a single story be told as though it were the only one."

In the English patient, multiple narratives have been used by Ondaatje to tell the story of the different characters. At first, Hana tells the story of her traumatic past where she grew up by her stepfather Patrik and her falling have with an officer She got broken mentally and emotionally after the death of her father & her lover and suffers from emotional trauma in her life. She wants to serve the patients so their pain can be mitigated as well as her own. She finds solace in helping & nursing patients. In Almasy, she finds glimpses of her father, Patrik who also died of burning in a fire so she takes care of Almasy as her father and slays with of Almasy as her father and slays with him in the villa Girolamo in Italy.

In the novel, further fragmentation and confusion are achieved through the use of first-person on third-person narrative The novel alternates between moments when the patient's thoughts return to the past and his story is told in the third person and moments when he tells his own story in the first person, The shift between first and third person narrative in the novel is made a more complex by the fact that the patient sometimes speaks of himself in the third person, mainly in the second part of chapter I when he is addressing Caravagio.

(Carvaggio) is still amazed at the clarity of discipline in the man, who speaks sometimes in the first person, who still does not admit that he is Almasy.

Who was talking back then?

{Death means you are in the third person : (The English Patient,247)

The English Patient accordingly tells Caravaggio as his first person account turns into a third person narrative, referring himself as Almasy, thus describing his own self from an outsider's point –of-view.

Ondaatje has renounced his fundamental authorial right in 'The English Patient'. Hana is at first mostly designated as "she" or "the Young nurse" (The English Patient,4) until Caravaggio, who also remains anonymous for awhile, emerges to call her by her name and thus endows her with a concrete identity.

In Anil's Ghost, Michael Ondaatje introduces his readers to his main leading role, Anil Tissera a forensic pathologic, who has just comeback to her birthplace, Srilanka After 15 years of absence during her investigation procedure on the identity of a skeleton she has found out with her partner Sarath which has no resemblance as expected to the skeletons of the 6th centuries-reader travel backwards and comeback to present at all points of the plot's evolution.

The quest for the truth on the identity of the skeleton involves the help of Palipanana, Gamini and Ananda. A historian of inscriptions, a ritual painter and the brother of Sarath, a doctor also working with the victims of violence are the persons will help Anil and Sarath to their investigation Each fragment shed light indirectly to these people's present reactions, attitude and behaviour. Each memory on the information of their present appearance. The past is alive in present and the present foresees the future outcome of the story.

Ondaatje has recreated the Biography of Buddy Bolden with his amazingly fictional mingling with reality. Ondaatje is unmistakable his effort to stablish a notion of Bolden's legacy for the sake of the reader.

This technique consciously blurs the lines between fact and fiction and thus establishes a sense of the past. In this novel, author (Ondaatje) switches from present to past tense early on in the novel. The seamless movement of present to past tense serves to subtly orient the reader into the transition from their own contemporary reality and into the historical frame work of the novel.

"Coming Through slaughter" also contains one more historical personality E.J. Bellocq, who has been fictionalised by Ondaatje. Bellocq is shown developing a print of the photo for Webb, After Webb

leaves, Bellocq creates two final prints of the photograph and is then said to have,".. dropped the negative into the acid tray and watched it bleach out to grey goodbye. Hope he don't find you" (Ondaatje,53) The idea of participating within the visual archive of history is revisited in this sequence as it presents Bellocq totally engrossed with the only known photograph of Bolden.

Conclusion:

Ondaatje establishes a vision of the past in a traditional way by involving the pictures from history, but by depicting how their characters seizes control over the meanings and fates of these visuals, the author move on from presenting an already Known vision of the past and instead illustrate their ideas as to what the past might have meant.

Works cited:

Ondaatje Michael, The English Patient. London: Bloomsbury, 2018

Anil's Ghost. London: Bloomsbury, 2000bb

Coming Through Slaughter. London: Bloomsbury, 2004

Preetha M. The Disoriented Postmodern World in Michael Ondaatje's Novels.Authorspress,2018

Books.openedition.org/ps

http://literatureessaysamples.com

http://www.researchgate.net

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Referred &
Multifocal Research Journal SJIF - 5.299
Paper Recieved : 30th Apr 21 Paper Accepted : 20th May 21

''घरेलू हिंसा समाज का कटु सत्य : एक आलोचनात्मक परिपेक्ष्य''

❑ डॉ. कृष्णदास द्विवेदी*

शोध सारांश

घरेलू हिंसा स्त्री के जीवन को तहस–नहस कर देती है। वह स्त्री को इतना कमजोर और विरोध में अक्षम बना देती है कि वह हार कर अपने सारे अधिकारों और दावों को त्याग कर घर छोड़ने को बाध्य हो जाती है। घरेलू हिंसा को किसी संबंध में अपने साथी पर नियंत्रण रखने अथवा शक्ति बनाए रखने के लिए किए जाने वाले व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह व्यवहार शारीरिक, लैगिंक, भावनात्मक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक व्यवहार या भय हो सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे। इनमें किसी को डराना, आतंकित करना, धमकी देना, दुःखी करना, आरोप लगाना अथवा किसी प्रकार की चोट या घाव देना सम्मिलित है। घरेलू हिंसा किसी भी जाति, आयु, लिंग, धर्म के साथ हो सकती है। यह उन जोड़ों के साथ हो सकती जो विवाहित हों, साथ में रहते हों। घरेलू हिंसा समाज के किसी विशेष वर्ग या स्तर से संबंधित नहीं है बल्कि यह समाज के सभी स्तरों, सभी शैक्षिक स्तरों, आर्थिक स्तरों में संभव हो सकती है। घरेलू हिंसा को रोकने हेतु विधि प्रवर्तन, समाज कल्याण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में कई प्रयास किए भी गए है परन्तु इस दिशा में वास्तविक परिवर्तन समाज की अच्छी सोच, शिक्षा, कडे कानून तथा बेहतर विधि प्रवर्तन द्वारा परिवर्तन लाकर ही संभव है।

कूटशब्द–घरेलू हिंसा,स्वास्थ्य संरक्षण, विधि प्रवर्तन, समाज कल्याण, अपशब्द प्रयोग।

प्रस्तावना–

घरेलू हिंसा को घरेलू दुरुपयोग, पति द्वारा पत्नी पर किया गया दुरुपयोग, मारपीट करना, पारिवारिक हिंसा, साथी के साथ की गई हिंसा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो किसी संबंध जैसे विवाह, परिवार अथवा प्रेम संबंध में किसी एक के द्वारा दूसरे साथी के साथ किया गया हो। अर्थात् घरेलू हिंसा को शारीरिक आक्रमण, भय, लैंगिक दुरुपयोग, भावनात्मक दुरुपयोग, नियंत्रित करना अथवा हावी होना, आर्थिक दुरुपयोग आदि को सम्मिलित करते हुए कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है।

* सहायक प्राध्यापक (विधि), श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, जिला–रीवा (म.प्र.)

शराब पीना तथा मानसिक रूप से बीमार होना इस दुरुपयोग के साथ जुडे हुए है तथा घरेलू हिंसा को दूर करने में वर्तमान में बहुत बडी चुनौती है। घरेलू हिंसा की पहचान, जागरूकता, परिभाषा तथा दस्तावेजीकरण एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता जाता है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य आपराधिक बल प्रयोग, अपहरण, अवैधानिक तरीके से कैद करना, परिपीड़न, छिप कर परेशान करना आदि से भी है।

घरेलू हिंसा के प्रकार—सभी प्रकार की घरेलू हिसांओं का एक ही उद्देश्य होता है, पीडित (शिकार) व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। हिंसा करने वाला अपनें पार्टनर (साथी) पर शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत से हथकंडे जैसे भय दिखाना, आरोप लगाना, दबाव बनाना, किसी बात से मना (इनकार) करना आदि अपनाता है। घरेलू हिंसा के निम्नलिखित प्रकार है :—

(i) शारीरिक हिंसा—शारीरिक हिंसा में वे कार्य सम्मिलित होते है जो दर्द, घाव या कोई भी अन्य शारीरिक नुकसान उत्पन्न करते हैं। इसके अंतर्गत मारना, पीटना, तमाचा मारना, घूंसा मारना, धक्का देना, जलाया जाना आदि घटनाएं आती है जो पीड़ित को शारीरिक हानि पहुँचाती है। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत कई अन्य व्यवहार भी सम्मिलित है जैसे जब आवश्यक हो तब उसका उपचार न करवाना, उसे सोने न देना, या अन्य वे कार्य जो जीवन जीनें के लिए आवश्यक है से रोकना अथवा पीड़ित को उसकी इच्छा के विरूद्ध कोई दवा या शराब पीनें या लेंने पर मजबूर करना आदि। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि महसूस कर रहा है अर्थात वह शारीरिक हिंसा का शिकार है। इससे दर्द किसी भी स्तर का हो सकता है।

(ii) लैंगिक हिंसा तथा वैवाहिक बलात्कार— लैंगिक हिंसा से तात्पर्य किसी भी उस परिस्थिति से है जहॉ अनैच्छिक, ना चाहते हुए भी, लैंगिक क्रिया में भाग लेने के लिए किसी प्रकार के बल या भय का प्रयोग किया जाए। किसी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक क्रिया करना, चाहे वह उसका साथी हो जिसके साथ यह संबंध बनाया जाना उचित हो भी हिंसा की क्रिया में सम्मिलित है।

(iii) भावनात्मक हिंसा—भावनात्मक हिंसा जिसे मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक हिंसा भी कहा जा सकता है, में बहुत सारी क्रियाएं सम्मिलित है जैसे शिकार (पीड़ित) को अकेले में या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, इस बात का नियंत्रण करना कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या—क्या नहीं, पीड़ित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना, ऐसे कार्य करना जिससे पीड़ित पर दबाव बने या उसे अपमान महसूस हो, पीड़ित को उसके परिवार और मित्रों से अलग करना, जब पीड़ित व्यक्ति स्वतंत्रता या प्रसन्नता व्यक्त करे तो उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की बात करके ब्लैकमेल करना, पीड़ित को पैसे देने या उपयोग करने अथवा अन्य जीवन के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने से इनकार करना आदि।

भावनात्मक हिंसा में वे सभी क्रियाकलाप तथा कथन सम्मिलित है जो पीड़ित को परेशान करने अथवा उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने में सक्षम हों। यह व्यवहार पीड़ित को स्वयं से प्रश्न करने पर विवश करते है अथवा वह स्वयं को ही किसी को पीड़ित करने का जिम्मेदार मानने पर विवश हो जाता है अथवा इस कारण उसे स्वयं यह लगता है कि सभी उसकी गलतियों के कारण हुआ है। भावनात्मक हिंसा के शिकार महिला या पुरूष धीरे—धीरे अवसाद का शिकार होनें लगते है तथा इससे आत्महत्या की संभावना बढ़ने लगती है, भोजन की अनियमितता तथा शराब जैसी आदत आदि भी उत्पन्न होती है।

भावनात्मक हिंसा में वे मौखिक या शाब्दिक बातें भी सम्मिलित है जिनसे पीड़ित के आत्मसम्मान, या स्वमूल्यों को हानि पहुँचती है या उसकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। भावनात्मक हिंसा में भाषा का प्रयोग भी सम्मिलित है। अर्थात् किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हानि पहुँचाना भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है।

(iv) आर्थिक हिंसा—आर्थिक हिंसा से तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति दूसरे साथी के आर्थिक स्त्रोतों पर नियंत्रण करना चाहे। आर्थिक हिंसा में पीड़ित के द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं का सीमांकन करना, उसके आर्थिक स्त्रोतों को नष्ट करने का प्रयास करना, अथवा आर्थिक बचत आदि करने से रोकना सम्मिलित है। पति या पत्नी को आर्थिक स्त्रोत बनाने या चलाने से रोकने का उद्देश्य पीड़ित को स्वयं को सहायता करने में सक्षम बनानें से रोकना होता है (आत्मनिर्भर बनने से रोकना होता है) अर्थात् उसे शासन करने वाले के उपर आर्थिक रूप से निर्भर करना होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने से रोकना, रोजगार ढूढनें से रोकना, नौकरी करने से रोकना अथवा उनके कैरियर बनाने से रोकना आते है।

शोध कार्य का उद्देश्य—शोध का उद्देश्य घरेलू हिंसा मुक्त समाज हेतु विधि प्रवर्तन एवं विधि निर्माण में सहायता प्रदान करता है। शोध कार्य का एक अन्य उद्देश्य घरेलू हिंसा के कारणों को जानना भी है।

शोध परिकल्पना एवं शोध प्रविधि—शोध परिकल्पना में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को कमजोर एवं प्रभाव हीन कड़ी मानते हुए शोध प्रविधि में मुख्यत—विश्लेषणात्मक शोध पद्धति के द्वारा तथ्यों को सत्यापित करने पर प्रयास किया गया है।

घरेलू हिंसा के प्रभाव

(i) शारीरिक प्रभाव—टूटी हुई हड्डियॉ, सिर की चोट, आंतरिक रक्तस्त्राव आदि घरेलू हिंसा के कुछ शारीरिक प्रभाव हैं। जिन्हें चिकित्सकीय सहायता तथा ध्यान की आवश्कता है। आर्थराइटिस, अल्सर, पेल्विक दर्द, माइग्रेन आदि स्वास्थ्य की समस्याएं घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्ति से जुडी प्रमुख समस्याएं है। वे महिलाएं जो घरेलू हिंसा के शिकार होने के समय गर्भवती होती है उनमें गर्भपात की संभावना, समय से पूर्व शिशु का जन्म अथवा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है।

(ii) मनोवैज्ञानिक (मानसिक)—वे पीड़ित जो हिंसा के बाद भी उन्हीं व्यक्तियों के साथ रह रहे है उनमें अत्यधिक तनाव, डर तथा झुंझलाहट देखी गई है। अवसाद भी एक सामान्य समस्य है जहॉ पीड़ित व्यक्ति को यह लगता है कि वह कभी भी हिंसा से मुक्त नहीं हो पाएगा तथा लगातार इसका शिकार बनता रहेगा। यह पाया गया है कि हिंसा के शिकार 60% व्यक्ति संबंध में रहने के दौरान अथवा संबंध विच्छेद होने के बाद अवसाद का शिकार या तो हो चुके होते है या इसी स्थिति में पहुॅचनें वाले होते है जिससे आत्महत्या की संभावना में वृद्धि होती है।

अवसाद के साथ—साथ घरेलू हिंसा से ग्रसित व्यक्ति प्रायः भय और लम्बे समय से चली आ रही झुझलाहट का भी अनुभव करते है और इन्हीं से जुड़ी बीमारियों का शिकार होते है। घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों में सबसे अधिक पायी जाने वाली बीमारी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर (PTSD) है।

(iii) आर्थिक प्रभाव—एक बार हिंसा करने वाले व्यक्ति से अलग होने के बाद पीड़ित को यह समझ आता है कि वह किस हद तक हिंसा का शिकार थी। आर्थिक हिंसा तथा अकेलेपन के कारण पीड़ित व्यक्ति के पास बहुत कम पैसा होता है और बहुत कम लोग होते है जिनसे वह सहायता ले सकता है। यह घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति के रास्ते की सबसे बडी रूकावट होती है और यही वह सबसे बडी वजह होती है जो पीड़ित को अपने उपर शासन करने वाले से अलग होनें से रोकती है।

घरेलू हिंसा के कारण—घरेलू हिंसा के कारणों के लिए कई सिद्धान्त दिए गए है। हिंसा इसके अंतर्गत कई सिद्धान्त जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त जो कि हिंसा करनें वाले के व्यक्तित्व तथा मानसिक स्तर आदि को समाहित करता है एवं सामाजिक सिद्धान्त जो बाहय कारको जैसे हिंसा करने वाले व्यक्ति का पारिवारिक परिवेश, तनाव, वातावरण, सामाजिक स्तर आदि को समाहित करता है सम्मिलित है। कोई एक सिद्धान्त सभी मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता हैं, परन्तु फिर भी घरेलू हिंसा के कारणों के संबंध में भी बहुत से सिद्धान्तों की बात की जा सकती है :—

(i) मनोवैज्ञानिक–मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त अपराधी के व्यक्तित्व के लक्षणों तथा मानसिक विशेषताओं पर जोर देता है। व्यक्तित्व लक्षणों से तात्पर्य जैसे अचानक तेज गुस्सा फूटना, स्वयं पर नियंत्रण की कमी तथा स्वयं के सम्मान की कमी आदि से है। कई सिद्धान्तों का मानना है कि साइकोपैथोलॉजी तथा अन्य व्यक्तित्व की समस्याएं घरेलू हिंसा का कारण है तथा यह बड़ों के स्थान पर बच्चों में अधिक देखनें को मिलता है। विभिन्न अध्ययनों का मानना है कि 80% घरेलू हिंसा का कारण ये व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं हैं।

(ii) जलन या ईर्ष्या– महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के बहुत से मामलों में यह पाया गया है कि ईर्ष्या की भावना भी इसका एक कारण होती है जब एक साथी या तो अविश्वसनीय हो अथवा संबंध समाप्त करने वाला हो।

(iii) व्यावहारिक–व्यावहारिक सिद्धान्त व्यवहार विशेषज्ञों के अध्ययनों पर आधारित है। व्यवहार शास्त्री व्यवहार में परिवर्तन के आधारभूत कारणों का उपयोग करते है। यहॉ व्यवहार चिकित्सा की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक समस्या को पहचानकर हिंसा करनें वाले व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है।

(iv) सामाजिक तनाव–जब व्यक्ति ऐसे परिवार में रहता है जहॉ दबाव बढ़ता जा रहा हो तब सामाजिक तनाव भी बढ़ता जाता है। अत्याधिक आर्थिक समस्य जैसी समस्याएं परिवार में होने पर तनाव बढ़ता है और आर्थिक तनाव उत्पन्न होता है। हिंसा केवल तनाव के कारण ही उत्पन्न नही होती बल्कि कुछ व्यक्तियों का तनाव के प्रति प्रतिक्रिया देनें का एक तरीका भी होता है। गरीबी में रह रहे परिवारों तथा युगलों में बढ़ती जबावदारियों बढ़ती हुई आर्थिक समस्याओं के कारण घरेलू हिंसा अधिक देखने को मिलती है।

(v) मानसिक बीमारी–बहुत सारे मानसिक कारण भी घरेलू हिंसा के प्रमुख कारक है। नशीली दवाइयों तथा शराब पीने की आदत, स्वयं पर नियंत्रण की कमी आदि भी घरेलू हिंसा के कारक है। यह पाया गया है कि एक तिहाई लोग ही इस प्रकार के बीमारियों का शिकार होते हैं।

(vi) वैवाहिक कलह के विकार–अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संस्थान तथा शोध समितियों ने एक नये प्रकार के विकार की खोज की है जो वैवाहिक कलह के विकार के नाम से जाना जाता है जो कि हिंसात्मक या बिना हिंसा वाला हो सकता है। महिला पुरूष के परे यह एक प्रवृत्ति होती है जो पुरूष साइकोपैथालॉजी का प्रभाव होती है या शासन अथवा नियंत्रण करने की प्रवृत्ति होती है।

घरेलू हिंसा के परिणाम– पीड़ित व्यक्ति, आयु, हिंसा की तीव्रता आदि के अनुसार घरेलू हिंसा के कई परिणाम हो सकते हैं। लगातार भय डर या दबाव में रहना ऐसी भावनाएं है जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति के अंतर्मन में उत्पन्न होती है तथा वह कुष्ठित सी हो जाती है। घरेलू हिंसा के परिणामों को निम्न श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है :– पीड़ित पर स्वयं पर अथवा परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव, समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, राष्ट्रीय विकास में पड़ने वाला प्रभाव आदि। ''पीड़ित पर पड़ने वाले प्रभाव'' को पुनः पुरूष, महिला, वृद्ध तथा बच्चों में वर्गीकृत किया जा सकता।

विधि प्रवर्तन– 1983 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498– ए के सम्मिलित होने के बाद से घरेलू हिंसा को विशिष्ट दाण्डिक अपराध के रूप में जाना जाने लगा। यह धारा विवाहित महिला पर उसके पति या परिवार वालों के कू्रता के मामलों के साथ कार्य करती है इसके द्वारा 4 प्रकार की क्रूरताओं पर कार्यवाही की जाती हैः–

(1) ऐसा आचरण जिसके कारण कोई महिला आत्महत्या का प्रयास करे।

(2) वे कार्य जिससे महिला को कोई चोट पहॅुचे या जीवन अथवा स्वास्थ्य को खतरा है।

(3) महिला या उसके परिवार को कुछ सम्पत्ति देने के लिए जबरदस्ती करना

(4) महिला को इसलिए परिपीड़ित करना कि वह या उसके परिवार वाले मॉगों को पूरा करने में सक्षम न हो या कुछ सम्पत्ति न दे रहे हो।

इसके लिए तीन वर्ष कारावास तथा जुर्माना के रूप में सजा दी जाती है यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत स्वयं महिला द्वारा की जाये उसके स्थान पर उसके परिवार का कोई सदस्य भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

विधि के क्षेत्र में सिविल और क्रिमिनल विधि दोनों में अधिक से अधिक निदानों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। समाज में घरेलू हिंसा को रोकने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सिविल विधि के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम तथा भारत के संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 में प्रदत्त अधिकारों को ध्यान में रखकर निदान देने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त विधिक प्रावधान होने के बावजूद आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है। यह हिंसा घर पर कार्यस्थल के स्तर पर हो सकती है।

न्यायपालिका ने समय–समय पर इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण को रोकने के लिए निर्देशों के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता विद्यमान है।

निष्कर्ष– घरेलू हिंसा कानून से पहले विवाहित स्त्री के लिए पति और उसके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क में सहारा लेने का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद जोडी गई धारा है 498–क एक गैर जमानती धारा है जिसके अन्तर्गत प्रतिवादियो की गिरफ्तारी तो हो सकती है पर पीड़ित को भरण पोषण व निवास जैसी कोई सुविधा नही मिलती। जबकि घरेलू हिंसा कानून के अन्तर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी नही होती लेकिन पीड़ित महिला को भरण पोषण, निवास व बच्चों को अस्थाई संरक्षण सुविधा मिल जाती है। इन प्रावधानों के होने के बावजूद घरेलू हिंसा से पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नही हो पा रहा और कडे कानून की आवश्यकता विद्यमान है।

सुझाव– घरेलू हिंसा से पूर्णतः संरक्षण अभी दूरगामी स्वप्न है किन्तु समाज के विभिन्न स्तरों, शासन तथा विधि प्रवर्तन आदि के प्रयासों से घरेलू हिंसा में कमी की जा सकती है। इसे निम्न प्रकार से बताया जा सकता हैः

(1) महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए शिक्षित करना।

(2) घरेलू हिंसा के विरूद्ध समुदाय निर्माण

(3) सुरक्षित स्थान, शिक्षा तथा वकालत की सुविधा प्रदान करके तथा घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु कार्यक्रम बनाकर।

(4) घरेलू हिंसा के अपराधियों के विरूद्ध कड़ा निर्णय तथा दण्ड की व्यवस्था करना।

(5) प्रत्येक महिला को हिंसा मुक्त जीवन प्रदान करनें में समाज को योगदान प्रदान करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

(1) अवस्थी सुधा–घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी संस्करण 2009।

(2) आहूजा राय–सामाजिक समस्याएं द्वितीय संस्करण रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली।

(3) उपाध्याय जय जय राम–भारत का संविधान सेन्ट्रल ला एजेन्सी द्वितीय संस्करण 1999।

(4) सिंह अवतार–भारतीय दण्ड संहिता 28वां संस्करण प्रकाशत एडीटोरियल बोर्ड।

(5) बसु दुर्गादास–भारत का संविधान एक परिचय आठवा संस्करण 203 वाध्वा पब्लिकेशन नागपुर।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 30th Apr 21 Paper Accepted : 15th May 21

DRINKING WATER QUALITY AROUND SHIV MANDIR DEVTALAB AREA NAIGARI BLOCK REWA DISTRIC MADHYA PRADESH INDIA

❐ Kalpana Mishra*

ABSTRACT

Ground water sample were collected from twelve (12) different hands pump (drinking water sources) around Shiv mandir center Devtalab area, Naigari block District Rewa Madhya Pradesh India. Temperature, ph, electrical conductivity total dissolved solids, total hardness have been determined along various water quality profiles. The experiment procedures were set according to the BIS and WHO. The study was reported some other important parameters which exceeded the permissibly limit and unsuitable for drinking purpose.

Keywords: Water Quality Parameters, Groundwater, Drinking water

1. Introduction

Most of earth's surface is in the ocean and seas. The high salts content makes its unsuitable for drinking purpose. Only 1% availably is fresh water (river, lakes, streams, ground water) for domestic, agriculture, industrial uses. Water is the most precious natural resources expected to be free from pollution. Safe drinking water is essential for life. Assess to safe drinking water has improved over the last decades in almost every part of the world but approximately one billion people still lack access to safe water and over 2.5 billion lack accesses to adequate sanitation. Approximately 70% of the fresh water used by human goes to agriculture (Nath and Helen,2013).

Ground water is generally considered to be much cleaner than surface water. However, several factors such as discharge of industrial, agricultural and domestic wastes, land use practices, geological formation, rainfall patterns and infiltration rate affects the ground water quality and once contamination of ground water in aquifers occurs, it persists for hundreds of years because of very slow movement in them. Groundwater often can be used without treatment. Howere, limited groundwater resources, decreasing level of ground water due to over-abstraction and increasing cost of pumping, are not in tune with the environmental obligations for future generations (Tiwari et al., 2003 and Tiwari et al., 2014).

Hydrogeology deals with the occurrence and circulation of water which is primarily concerned with the mode of occurrence distribution, movement and chemistry of ground water occurring in the sub-surface in relation to geological environment. The social and economic growth of nation depends mainly

* Assistant Professor & Head, Department of Mining Engineering, JNCT, Rewa (M.P.) India 486001, Email : kalpanageology@rediffmail.com

on availability of water and its quality the demand of water for domestic, irrigation and industrial use is increasing day by day due to enpotential of population as well as increase in irrigation and industrial development India with about 16 percent of the world's population has only 4 percent of water resources for sustenance of its agriculture industrial and house hold activities. The annual extraction of groundwater in India is 230 billion cubic meters is by far the highest in the world. Many of the Indian rivers water body's ponds and lakes are of alarming threshold which needs immediate remediation andrejuvenation.

Based on various geological and geomorphological parameters various artificial recharge structures such as check dam, contour trenches, gulley plug, percolation ponds etc. would be suggested to recharge the groundwater of the area.

It is natural resources with economic, strategies and environmental value which is under stress. Therefore, the water management strategies must be aimed for sustenance of life. All the water producing consuming controlling developing and concerning organization need to adopt a water cropping plan to horns the limited rainy cycle for appropriate conservation methodology for appropriate conservation methodology for sustainable development with appropriate inputs for monitoringinstitutions. Ground water is a precious natural resource which play a vital role to eater the demand of water supply arising due to in adequate surface water resource throughout world in our country, rapid population growth, urbanization and industrialization have led to a greater demand for an. It is the major and safe source of drinking water as compared to surface water in both urban and rural areas of our country (Karanth, 1987). The nature and amount of total dissolved species in natural water is strongly influenced by mineralogy, solubility of rock forming minerals as well as contaminated activities (TOdd, 2002; Tiwari,2014). The rain water after infiltration through soil add groundwater quality is dependent on type of soil the type of rock encountered below the soil haorizon and the residence time in which the water infiltration from the surface of saturated zone (CGWB, 2017). The dinking qualities of ground water are largely dependent on the concentration of biological, chemical and physical contaminants as much as environmental and human activities in such respects (Scheweb et al., 1992). The water with poor quality also affect the agriculture production. The dependability on groundwater is increasing every year due to increased population intensive agricultural activities and urbanization The use of chemical fertilizers, pesticides and effluents discharged from industries have adversely affected the ground water.

Increasingly smaller supply of water resources, around water and sediment beneath the earth's surface, water is essential for life's sustenance and it's security is important component to the economic growth and health development of India it originates as rainfall or snow and they moves through the soil into groundwater system where it eventually makes its way back to surface streamed takes or oceans. Ground water is the only renewable mineral source catering the 60% of irrigation need and more than 85% of domestic need of rural population in our country (Day 2012) Ground water is affected by many factors such as physiochemical characteristics of soil, rainfall, weathering pattern of rocks chemical reaction, sub surface rode of micro-organism. Human and agricultural wastes and industrialfulfillments.

(I) GEOLOGY:- 2. GEOLOGY :- The study area is part of northern estern of vindhyan sedimontary basin, where main rock types are govindgarh sandstone and shale of Rewa group of vindhyan supergroup (Fig-02) Besides those, recant alluviums also present in the area sandstone is quartz arenite, medium to carse grained and dominated by monocrystalline quartz , It shows development of cross beds (Tiwari and Dubey, 2007) the shale is thinly bedded and ehocolate brown in colour, polygonal mud cracks are recorded in this unit.

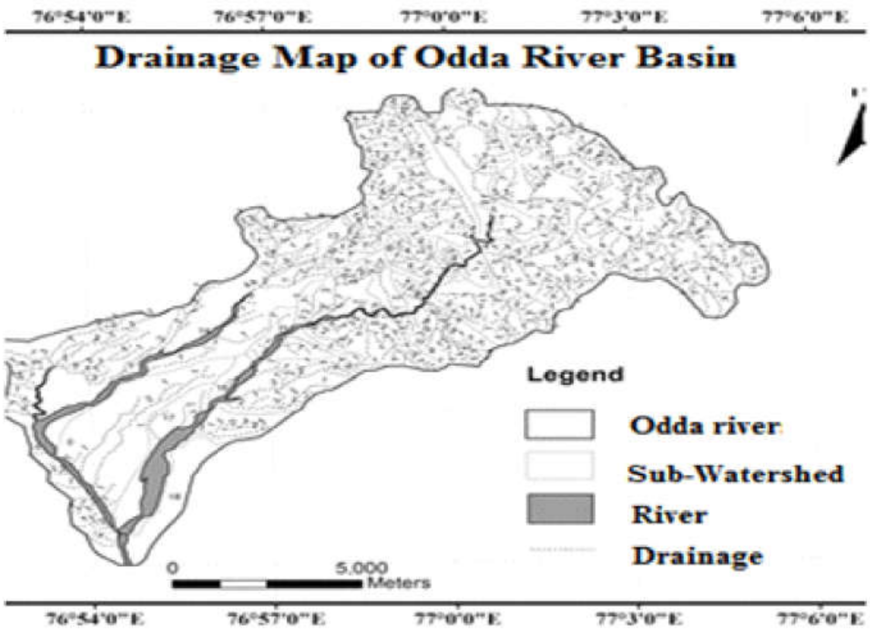

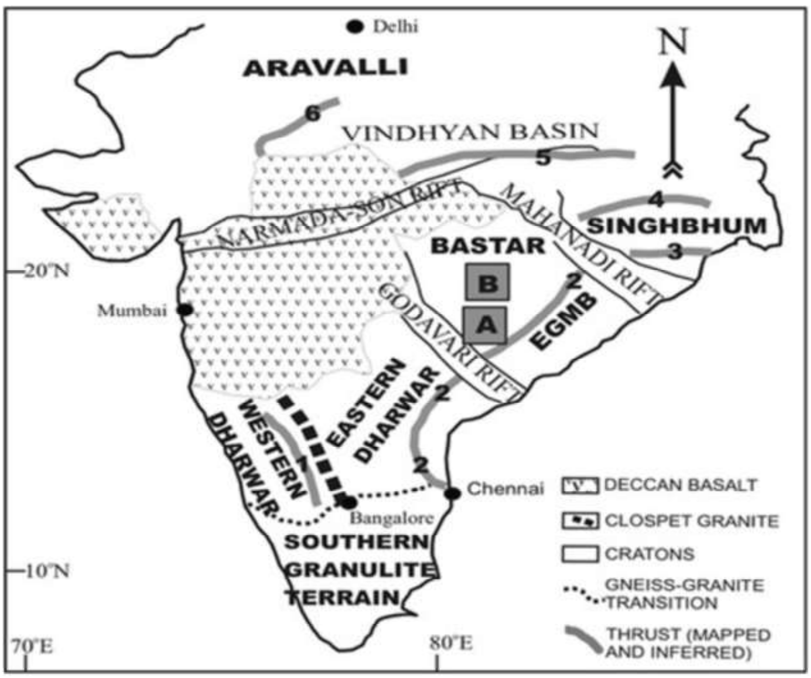

HYDROGEOLOGY :- Hydrogeologically, the area lies in precambrian sedimontry province (Karanth 1987). Due to high silica comentain in the local, the primary porosity is low, whereas secondary porosity in the form of joints tractars bedding planes and weathered pediment makes the area faverable for ground water exploitation (Bhari 2009, Tiwari and Singh 2010)

(III) HYDROGEOCHEMICAL ANALYSIS :– Water samples collected from well and analyzed for major anion and cation by conventional method proposed by rain water Thatcher (1964). The result will be interpreted and groundwater pollution will also be studied. Geochemical analysis will provide TDS, EC, TH and pH data in area and determined groundwater drinking water quality & irrigation water quality.

Chemical quality parameter will be carried out with the help of following formula:-

DRINKING WATER QUALITY PARAMETER

Total Dissolved solids (TDS) - The weight of the residue consisting of pollutants left behind after all the water from a water sample is evaporated is a major of the TDS and gives the general nature of groundwater quality. It denotes mainly various kinds of minerals present in the water. The TDS include in cations & anions or heavy metals.

Total Hardness (TH) - Total hardness denotes the concentration of calcium and magnesium in water and is usually expressed as the equivalent of $CaCo_3$.

$$TH=2.497\ Ca+4.115Mg$$

Hydrogen Ions Concentration (pH) - The pH value of a solution is the negative logarithm of the concentration of hydrogen ions in moles per litre.

Specific Electrical conductance & Resistance (EC) - Electrical conductance represent the ability of a substance to transmit electric current & the reciprocal of resistance.

(V) Suitable Artificial Recharge Structures :– The artificial recharge to ground water is the process by which the subsurface water reservoir is augmented by modifying the natural movement of surface water utilizing suitable construction techniques. Any human made structure that adds surface water to an aquifer system is considered as 'Artificial recharge system'. This time artificial recharge methods are very popular. From the geological map of the area, sites suitable for artificial recharge will be selected. The soil characteristics, water table, piezometric surface, land surface elevation and profile will be carefully studied to suggest method for artificial recharge.

Sampling and field work Samples were collected as per the guidelines of APHA. Each sample was taken in clean plastic bottle and kept in iceberg on the field. Alkalinity, Total Hardness, Calcium hardness, pH, Total Solids, COD, DO, BOD, Chlorides, Fluorides, Sulphates, Phosphates were tested in a laboratory while BOD bottles were filled at site and reagents for DO fixation were mixed at the time of sample collection. The chemical water quality analysis of samples was performed using standard analytical methods. All samples were

transported to the Madhya Pradesh Pollution Control Board Jabalpur. 2.5 MethodsThe chemical water quality analysis of water samples was carried out using standard analytical methods as per the guidelines of APHA. Following table shows the chemical water quality parameters and their methods used during testing.

Results and Discussion :

The chemical water quality analysis of water samples was carried out using standard analytical methods as per the guidelines of APHA. Following table shows the chemical water quality parameters and their methods used during testing. Table 2

Table 1 : Standard Chemical water quality parameters determination methods

S.No.	Parameters	Method
1	Alkalinity	2320 B. Titration Method
2	Total Hardness	2340 C. EDTA Titramitric Method
3	Calcium Hardness	EDTA titration
4	pH	pH meter
5	Total Solids	Evaporation Method
6	COD	5220 B. Open reflux method
7	BOD	By DO Consumption Calculation
8	DO	4500-0 C. Azide Modification method
9	Chlorides	4500-Cl B. Argentometric Method
10	Fluorides	4500-F D. Spadns Method
11	Sulphates	4500-SO4 2- E. Turbidimetri Method
12	Phosphates	4500-P D. Stannous Chloride Method
13	Iron	3500-Fe B

Table 2 : Alkalinity and Hardness (Mg/I) shows

Sr.N.	Collection Area of Name	Alkalinity (Mg/I)	Hardness (Mg./I)
1	Sitapur	106.06	58.0
2	Uchehra	160.08	126.3
3	Dhera	150.26	110.4
4	Patpara	189.76	146.5
5	Rampur	174.32	130.6
6	Karhiya	220.64	210.67
7	Devtalb	210.46	196.74
8	Ghorha	233.46	215.5

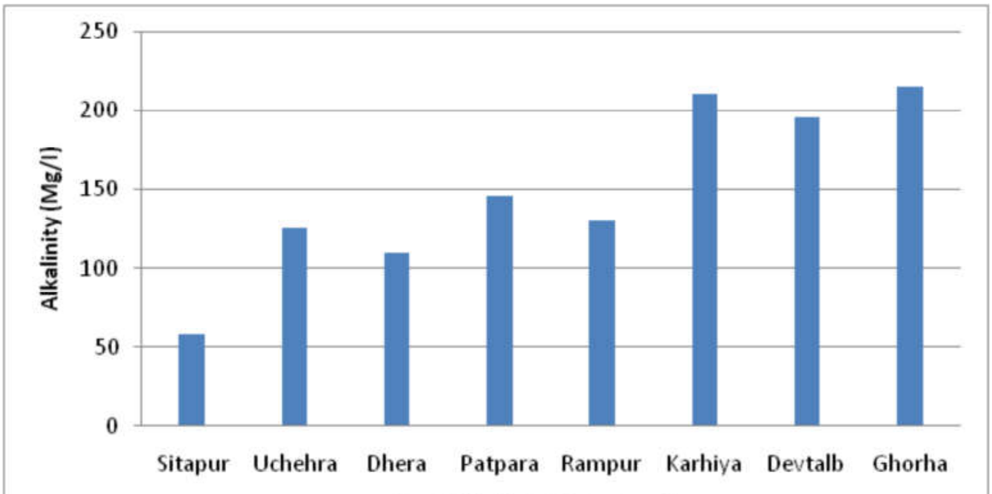

Fig. 1 Alkalinity Variation Chart

Alkalinity Alkalinity of Tamsa river water varies from 106.06 mg/l to 233.46 mg/l along the flow of river. Maximum alkalinity was recorded at the downstream of mixing point of cement effluent. Alkalinity level of river water was found above the permissible value (200 mg/l) after the station Patpra. Alkalinity of various points was found as shown below

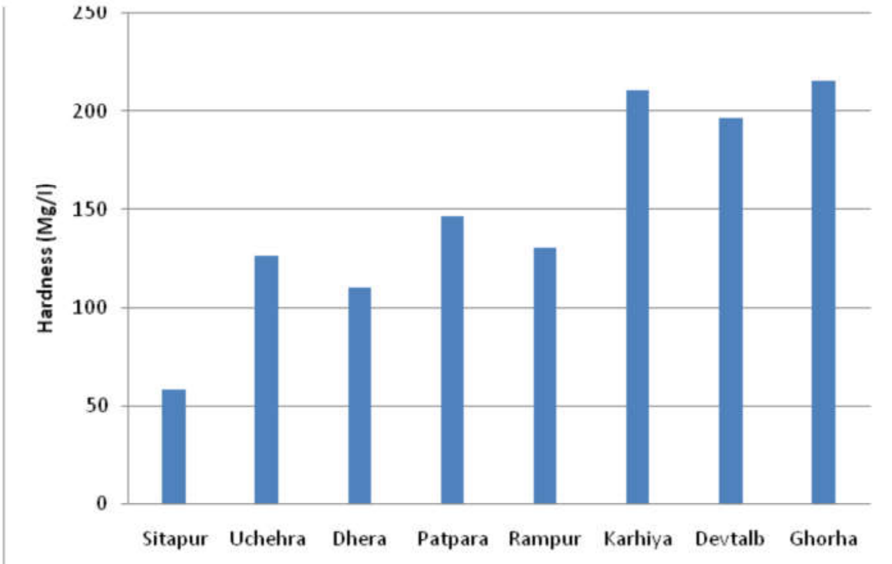

Fig. 2 Hadness Variation Chart

Total Hardness Total Hardness of Tamsa river water varies from 58 mg/l to 215.60 mg/l along the flow of river. Maximum Total Hardness was recorded at the downstream of mixing point of cement effluent. Total Hardness level of river water was found in the range of hard water from station Dhera to station Ghorha. This hardness is caused due to the mixing of township waste. Total Hardness of various points is shown below

RESULTS AND DISCUSSION

The preliminary investigations ground and drinking water quality in varied drastically among different sites of Karwi city, Chitrakoot District. We referred the standard ranges for different chemicals in drinking water as prescribed by WHO (2004). Understanding the groundwater quality is important as it is the main factor determining its suitability for drinking, domestic, agricultural, and industrial purposes Table 2-3 illustrates the physicochemical parameters of groundwater in Karwi city, indicating the average values. The value was compared with the WHO and BIS (1992) standards.

The results of the physic-chemical analysis of the groundwater of the area show a wide variation in different individual parameters (Table 2-3 and Figure 1-6)

The high content of total dissolved solids increases the density of water and influences osmo regulation of fresh water organisms. TDS is only an aesthetic and technical factor, however a high concentration of TDS indicate that harmful contaminants, such as iron, manganese, sulphate, bromide and arsenic, can also be present in the water. TDS values varied from 477.0-744.0-$_{,mg}$/l. The pH value of groundwater samples ranges from 7.50 to 7.88. This show that the groundwater in the study area is generally neutral to slightly alkaline. Although pH has no direct effect on human health, it shows close relationship with some other chemical constituents of water. Hardness in water is due to the natural accumulation of salts from contact with soil and geological formations or it may enter from direct pollution by industrial effluents. Hardness of water mainly depends upon the amount of calcium or magnesium salts or both. In present study, total hardness waried from 555.0-910.0 mg/l. The hardness is more than 50 mg/l will cause the Renal Calculi formation of kidney stone. The maximum level of total hardness is due to presence of carbonate and non carbonate hardness.

CONCULUTION :

The study reveals that the study area is suitable for drinking with few exceptions. The hardness of water is due to the aquifer chemistry of the hard water should be used for drinking after same chemical treatments. Hardness can be minimizing by recharging the aquifer adopting rain water harvesting.

REFERENCE

Mishra, Kalpna; Tripathi, A.K. (2020) Conservation of Water resource of Naigarhi area Rewa District, Madhya Pradesh, India, Shodh Chetna June to Januar, Vol. I and II, ISSN No. 23500441 pp. 123-127.

Mishra, Kalpna et al. (2020) Control of Water Pollution in Tons River Basin Madhya Pradesh, India, Shodh Chetna- year6, (Oct. to Dec., vol.4, ISSN : 2350-0441, pp.137-140

Mishra, Satish Kumar, Tiwari, R.N. (2020) Water Level Fluctuations and Ground Water Management of MudWara Area, Katni District, Madhya Pradesh, India, Shodh Chetna- year6, (Oct. to Dec., vol.4, ISSN : 2350-0441, pp.108-115.

Basavarajappa H.T., Manjunatha M.C., 2015, Groundwater Quality Analysis in Precambrian Rocks of Chitradurga District, Karnataka, India using Geo-informatics Techniques, Aquatic Procedia 4 (2015) 1351-1365.

Dubey D.P, Tiwari P, Mishr U.K., Tiwari R.N. and Mishra R.N. (2016) mineralogical and geochemical characterization of Baukitet late rite deposits Karigohi area around birsinghpur District satna Madhya Pradesh India Recent Advancements in mineral and water resources Edtd Rabindra Nath Tiwari, Excellent publisher New Delhi PP.97

K. Murali and Dr. R. Elangovan (2013) carried out their work on Assessment of Groundwater Vulnerability in Combatore South Taluk, Tamilnadu, India Using Drastic Approach. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 6, June 2013, 1 ISSN 250-3153.

Murkute Y.A. Deshpande S.S. and Loknande P. (2018) Assessment of ground water quality and irrigation suitability: A case study of shallow aquifer from panchdhara watershed Wardha district Maharashtra water resources, Irrigation practices and sustainable agriculture, Edtd. Rabindra Nath Tiwari, Excellent publisher New Delhi pp. 63-70.

Rabindranath Tiwari (2017) Mrphometrics analysis, water level fluctuation and artificial recharge strategy in Maihar water shed Rewa district (M.P.) around water ISBN: 978-93-86238-15-3, 31,2017

Sarala C, Ravi babu P (2012). Assessment of Grounwater Quality parameters in and around Jawaharnagar, Hydrabad, International journal of scientific and research publications, vol. 2, Issue 10, october 2012.

Tiwari R. N. (2015) Ground water quality studies in Naraini watershed Rewa district, M.P. India water and environment,

Tiwari R.N. and Kushwaha V.K. (2018) Delineation of Ground water potential zones in part of Rewa District M.P. using geospatial approach. Water resources Irrigation and sustainable agriculture Edtd, Rabindra N. Tiwari, Excellent publisher New Delhi, pp 30-36

Tiwari R.N. and Kushwaha V.K. (2018) Ground water potential zone mapping in and around satna city M.P. India using an Integration of geoptial approach, Natural resources, environment and health Edtd. Rabindra Nath Tiwari, excellent pub. New, Delhi pp. 58-67

Tiwari R.N. and kushwaha V.K. (2018) Role of lineament of groundwater availability using geospatial approach: A case study of Sidhi district (M.P.) water resources irrigation practices and sustainable agriculture Edtd. Rabindra Nath Tiwari, Excellent pub, New Delhi pp 82-87.

Tiwari R.N. and Singh S (2016) Assessment and Management of Ground water Resources around Govindgarh area Rewa district central India. Recent Advancement in mineral and water Resources Edtd by R.N. Tiwari Excellent Publishers New Delhi.

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 2nd May 21 Paper Accepted : 20th May 21

राघवेन्द्र चरितम् में प्रकृति दर्शन

❒ श्यामाचरण उपाध्याय*
❒ डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी**

शोध सारांश

आधुनिक काल में भौतिक जीवन की आपाधापी युक्त जीवन शैली से विश्रान्ति प्राप्त कराने हेतु राघवेन्द्र चरितम् में मानव जीवन के कल्याणार्थ प्रकृति को मानव के प्राण तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है जहाँ प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं से पूरित मानवी सम्बन्धों की संवाहक के रूप में स्थापित किया है वहीं यह भी संदेश दिया गया है कि प्राकृतिक नियमों के विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती, इसलिए व्यक्ति को सदैव मानव कल्याण को ध्यान में रखकर प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। जिससे प्रकृति की सुषमा परम सहयोगी की भाँति निरन्तर मानव को सुखद अनुभूति कराती रहे। ध्यान रहे यदि हमारे द्वारा प्रकृति के प्रतिकूल आचरण किया जायेगा तो वही प्रकृति विदग्धकारी (विध्वंशकारी) बनकर हमारे संतापों को बढ़ाने वाली बनेगी। अतः हम सभी मानव समाज में यह परम कर्त्तव्य है कि हम प्राकृतिक सम्पदाओं से छेड़–छाड़ कदापि न करें। इसी प्रकार का संदेश सम्पूर्ण मानव जाति के लिए महाकाव्य में वर्णित है।

महाकवि राज पं0 राजकिशोर मणि त्रिपाठी कृत 'राघवेन्द्र चरितम्' महाकाव्य 2400 श्लोकों में निबद्ध आधुनिक काल के श्रेष्ठ महाकाव्य में एक है षोडश सर्गों में विभाजित भगवद् गुणानुवाद पूरित इस महाकाव्य में प्रारम्भ से ही कथानक के रूप में सुरम्य प्रकृति के दृश्य प्रस्फुटित हुए हैं। यद्यपि आदिकाल से ही संस्कृत साहित्य में प्रकृति की घनिष्टता के दर्शन होते हैं वस्तुतः समस्त ब्रह्माण्ड का सृजन प्रकृति द्वारा ही हुआ है। 'प्राकृतिकेषु सर्वेषु जीवजन्त्वितरेष्वपि'[1] संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि महाकवि कालिदास, माघ, भारवि आदि से लेकर आधुनिक कवियों तक की कृतियाँ प्रकृति के सुरम्य सानिध्य में ही पल्लवित हुईं हैं। 'राघवेन्द्र चरितम्' महाकाव्य में पूर्ववर्ती काव्य रचनाओं के सापेक्ष प्रकृति के मनोहारी रूप पूर्ण तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। महाकाव्य में सम्पूर्ण मानवीय संवेदनाओं को समस्त मानवीय सम्बन्धों

* शोधार्थी
** निर्देशक, सेवानिवृत एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत)द्र धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगढ़।

के रूप में महाकवि ने इतनी सहृदयता से उकेरा है कि समस्त पाठकगण मन्त्रमुग्ध होकर महाकाव्य के कथानक में आनन्द का रसास्वादन कर सकते हैं।

परवर्ती महाकाव्यों के मूल स्रोत ग्रन्थ रामायण जैसी सहृदयता इस महाकाव्य में सहज सुलभ है। यह महाकाव्य पूर्ववर्ती कृतियों का अनुसरणगामी होते हुए भी कवि की स्व अनुभूति पर आधारित एक मौलिक रचना है। प्रकृति के सूक्ष्म अन्वेषण से निःसृत मनोहर दृश्य अद्भुत हैं। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण का यथार्थ रूप प्राप्त होता है। महाकाव्य में प्रकृति दर्शन प्राकृतिक दृश्यों तक ही सीमित न रहकर हृदय के रागात्मक सम्बन्धों की सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। रचनाकार इस तथ्य को लेकर सजग है कि सम्पूर्ण संसार का सृजन प्रकृति के वरदहस्त से ही सम्भव है प्रकृति रहित जीवन निःसार है, अकल्पित है। यही कारण है कि राघवेन्द्र चरितम में प्रकृति को प्राण तत्व के रूप में स्वीकार करके महाकाव्य का आधार एवं प्रारम्भ प्रकृति वर्धन से ही आरम्भ हुआ है तथेहि—

अस्त्युत्तरस्यां दिशि भारतस्य हिमालयः पर्वतपङ्क्तिपावनः ।[2]

स्वतः पवित्रोऽपिपुनाति नित्यं वपुः स्वमुग्रस्य पदोंद विन्दुभिः ।।

मानव जीवन तथा प्रकृति अन्योन्याश्रित हैं अर्थात् एक दूसरे के पूरक हैं एक के बिना दूसरे की महत्ता निरर्थक है। वस्तुतः प्रकृति तथा मानव जीवन अभिन्न है यहाँ तक कि आधुनिक कविगण विद्वान तथा समीक्षकों ने प्रकृति को काव्य का प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। राघवेन्द्र चरितम् का आद्योपान्त अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि कवि ने प्रकृति से पूर्ण तादात्म्य स्थापित किया है। महाकाव्य प्राकृतिक सौदर्य से परिपूर्ण है। इसमें प्रकृति के चिरकालीन सौन्दर्य का निरीक्षण कर सहृदयता पूर्ण वर्णन तथा किया गया है पर्वत राज हिमालय का महत्तापूर्ण वर्णन दृष्टव्य है—

सिद्धौषधीनां प्रसवः समासां सिद्धाङ्गनानाञ्च विलासभूमिः ।[3]

शोभामपूर्वां निदधाति काञ्चित् संध्यार्कभास्वत्किरणानुरञ्जितः ।।

प्रकृति संवाहक पर्वत राज हिमालय समस्त सिद्ध—औषधियों का उत्पत्ति स्थान है और सिद्धाङ्गनाओं की क्रीड़ा भूमि है जो सायंकालिक सूर्य के प्रकाशमान किरणों से रंगा जाकर किसी अपूर्व शोभा को धारण करता है। इतना ही नहीं व संसार की महानदियों का उदगम स्थल होने के साथ—साथ शिवभार्या को उत्पन्न करने वाला तथा भगवान राघवेन्द्र को पति रूप में वरण करने वाली सौभाग्यकांङ्क्षिणी सरयू नदी का भी उद्गम स्थल होने के कारण प्रणम्य है तथेहि—

शम्भोर्द्वितीयां जगदद्वितीयां शिवां समुत्पाद्य न केवलं यः ।[4]

बभूव मान्यो महनीयमूर्तिः प्रणम्य आस्ते प्रभवः सरय्वाः ।।

महाकाव्य के कथानक में प्राकृतिक श्रोतों से साम्य स्थापित किया गया है। महाकाव्य का आरम्भ हिमालय की महिमागान से हुआ है महाकाव्य में प्रकृति के भव्य सौदर्य के चित्रण वन, पर्वत, नदी, दिवस, रात्रि तथा ऋतुऐं आदि के चिर नूतन सौन्दर्य का सूक्ष्मतम निरूपण प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति में कल्पित मानवीय चेष्टाऐं, सुखद क्षणों की अनुभूति से पूरित हैं। कन्या रूप में उत्पन्न सरयू को हिमालय में उसकी बाल चेष्टाओं से आकृष्ट मन वाला होकर उसे पुत्र के समान ही भलीभाँति पालन—पोषण के दर्शन कराये हैं तथेहि—

पुपोष सम्यक् सुतनिर्विशेषं तद्बालचेष्टाभि. निविष्टचित्तः ।[5]

तदनन्तर पिता हिमालय की गोद में अपने बचपन को बिताने वाली वह (सरयू) अपनी सखियों के साथ सुखपूर्वक काल यापन करके क्रमशः यौवन प्राप्त कर अपनी माँ के शोक का विषय बन गयी।

बभूव मातुर्विषयं शुचेः सा यथाक्रमं यौवनमादध ाना।[6]

अर्द्ध रात्रि में माता मेना (पर्वत) की पुत्री सरयू (नदी) को योग्य वर प्राप्त कराने की अभिव्यक्ति पति हिमालय से करती है। नदियों के पिता पर्वतधिराज (पत्नी) मेना को हृदय से लगाकर करते हैं। पति को वरण करने वाली सरयू को अपने यहां से प्रस्थापित करो क्योंकि पिता केवल कुमारावस्था में ही रक्षक होता है।

प्रस्थापय त्वं सरयूं पतिंवरां कोमार्यकाले जनकोहिरक्षकः।[7]

तत्पश्चात पतिवरण की आकांङक्षिणी पुत्री के लिए माता–पिता से वियोग इतना पीड़ा दायक होता है दृष्टव्य है।

मातुर्वियोगं न शशाक सोढुं सा निम्नगा तत्र पपात भूमौ।[8]

इस प्रकार राघवेन्द्र चरितम् एक प्रकृतिमयी कृति है कहना अतिसयोक्ति नहीं होगा काव्य में प्रकृति तथा मानवीय भावनाओं को संयुक्त करके प्रकृति और मनुष्य के मधुर सम्बन्धों की अभिव्यंजना की है। स्वयं हिमालय मेना पर्वत पति–पत्नी तथा माता–पिता की भूमिका में हैं सरयू, गंगा, घर्घरा, कावेरी आदि नदियाँ उनकी पुत्री हैं तथा परस्पर बहिनें हैं सरयू नदी भगवान विष्णु के अवतार भगवान राघवेन्द्र को पति रूप में वरण करने की आकाङिक्षणी है। हिमालय पर्वत से गिरकर पृथ्वी पर चलती हुई सरयू नदी में घाघरा विलय करती हुई कहती है।

पतिंवरेऽस्मिन् शुभकर्मणि त्वं मामेव सन्देशहरामवेहि।[9]

पति को खोजने वाली सरयू अपने इस शुभ कर्मे मुझे सन्देश वाहिका समझो। महाकाव्य में सरयू द्वारा भगवान राघवेन्द्र को पति के रूप में वरण करने की भूमिका प्रमुख रूप से प्रस्तुत है जो प्रकृति की अभिव्यंजना के रूप में अद्भुत है। अलौकिक है।

कैलाशनाथस्य निवासभूमिं गतः कदाचिद् भगवान्जनार्दनः।[10]

तत्रैव दृष्टा त्वमनेन बाले लोकस्थिर्केवलकारणेन।।

अर्थात् हेवाले कैलाशनाथ शंकर के निवास स्थान पर किसी समय भगवान जनार्दन गये थे वहॉ ही लोक की स्थिति के एक मात्र कारण उन जनार्दन के द्वारा तुम देखी गयी थी। हे शुभे! तुम जाया भाव से चुन ली गयी थीं। जाया स्वरूपेण शुभे वृतात्वं।[11] इस प्रकार महाकाव्य में प्रकृति और पुरूष का अद्भुत सौन्दर्य विद्यमान है।

महाकाव्य में सरयू, घाघरा, नारायणी, गंगा, आदि सप्त नदियों का सजीव वर्णन है। भगवान राघवेन्द्र को पति रूप में वरण करने की इच्छा वाली अयोध्या के तपस्यारत होने का वर्णन है। जोकि प्रकृति में मानवीय भावनाओं का छायातप है।

महाकाव्य में कहाकवि ने प्रकृति में प्रेम और प्रेम में प्रकृति की अभिव्यंजना की है। भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण नगरों एवं प्राकृतिक सम्पदाओं के मध्य में तपोनिष्ठ जीवन दोनों को परस्पर अन्योंन्याश्रित रूप में वर्णित किया है जो कि सम्पूर्ण मानव जगत के लिए यह संदेश है कि प्रकृति के सहयोग से मानव जीवन भौतिकवादी पर्यावरण में भी कल्याणप्रद हो सकता है। प्रकृति की उपेक्षा करते हुए मानव जीवन अवनति के गर्त में जा गिरेगा। प्रकृति विहीन मानव का आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक तथा चारित्रिक पतन निश्चित है इसलिए प्रकृति से भौतिकवाद में परस्पर तालमेल बनाये रखना अनिवार्य है।

कवि ने जहॉ महाकाव्य में उत्तर भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। वहीं कवि ने दक्षिण भारत की प्राकृतिक सम्पदाओं में नदी, वन, पर्वतों आदि का सजीव वर्णन भी किया है। महाकाव्य में वाह्य प्रकृति एवं अन्तः प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन करके यह जता दिया है कि यह महाकाव्य प्रकृति का एक महान मर्मज्ञ एवं संपोषक है।

महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पर्वत राज हिमालय आदि के सौन्दर्य का वर्णन सरयू, घाघरा, गंगा आदि के संगम का सुन्दर वर्णन है द्वितीय सर्ग के प्रारम्भ में मानव पाप भार से प्रपीडित धरा गोरूप धारण करके ब्रह्मा की शरण में उपस्थित हुई है।

अपाकर्तुं चिरं भारं मेदिनी बहुधर्षिता।[12]
माहेयीरूपमाश्रित्य विधातुः शरणं गता।।

इस प्रकार महाकाव्य में भगवान के अवतार लेने का हेतु प्रकृति की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया है साथ ही इस बात की भी निष्पक्षता से पुष्टि की गयी है कि जहॉ व्यक्ति प्रकृति के विरूद्ध आचरण करता है उसे प्रकृति क्षमा नहीं करती फिर चाहे वह कितना महान ही क्यों न हो उदाहरणार्थ–जब राजा दशरथ मृगया के लिए गये थे तब उनसे घोर अनर्थ के रूप में निरपराध श्रवण कुमार की हत्या हुई थी और वे मृतक श्रवण के माता–पिता के कोपाभाजक बने तथेहि–

पुत्रशोकात्तवप्राणा गच्छन्तु निजमन्दिरम्।[13]
शुश्राव तत्कृतं शापं राजा दशरथस्तदा।।

दशरथ नन्दन राम वनवास काल में भार्या सीता की इच्छापूर्ति हेतु मृगया के लिए उद्यत होते हैं तो स्वयं मर्यादा पुरूषोत्तम राम भी सीता विहीन होकर घोर संकट में जा पड़े राम करूण विलाप करते हुए कहते हैं।

क्व चन्द्रश्चन्द्रिकाहीनः पद्मं पद्मश्रियं विना।[14]
शोभते किं प्रिये ब्रूहि रामः सीतां विना क्वचित्।।

अर्थात चन्द्र चन्द्रिका हीन कहॉ? पद्म पद्म श्री बिना कहॉ? और प्रिये, बताओं राम–सीता के बिना कहीं अच्छा लगता है?

महाकाव्य में पूर्वांचल की प्रकृतिमयी संस्कृति का बड़ा ही मनोहर वर्णन उस समय किया है जब राम–लक्षण गुरू विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षार्थ उनके साथ सरयू को वॉये कर यात्रा कर रहे हैं महाकाव्य में मार्ग सुषमा ग्राम्य दृश्य का जो चित्रण किया है वह बड़ा ही मनमोहक है वापियों में सिघाड़ की लतायें विराजमान हैं।

वापिका सुपुष्टश्रृङ्गाटके बेल्लि संयुताः।[15]

कहीं धान की फसल इकठ्ठी हो गयी है तो कहीं धान को पुआल से अलग किया जा रहा है इस प्रकार मान मत्सर शून्य प्रपञ्च रहित अपने परिवार के साथ प्रसन्न अपने कार्यों में लगे हुए कृषक अनेकशः उनके मनोपहारी हुए।

प्रपञ्च हीना गतमान मत्सराः कुटुम्बिभिः साकमपास्तविश्रमाः।[16]
स्वकर्मलग्नाः कृषका अनेकशस्तयोबंभूवुश्च मनोपहारकाः।।

मिथिला नगरी की अपूर्व प्राकृतिक छटा का वर्णन महाकाव्य में वर्णित किया है जो कि अपूर्व है प्रकृति का इतना श्रंगारिक सुरम्य वर्णन पूर्ववर्ती काव्यों में अप्राप्य है। मिथिला नगरी में बसंत ऋतु की कल्पना की गयी है पुष्पवाटिका में श्री राम के रूप सौन्दर्य को देखकर मुग्ध सखियों से घिरी हुयी सीता को देखकर राम भ्रमित हो जाते हैं।

सर्वा वयस्याः सुषमाभियुक्ताः कृशाङ्गयष्ट्यो लतिकानुरूपाः।[17]
पुष्पानना वीक्ष्य मुदा कुमारः स चिन्त्यामास चलल्लतास्ताः।।

दुबली–पतली कृशकाय पुष्प वदना सुषमायुक्त लतिका सदृश सारी सखियों को देखकर सहर्ष कुमार राम ने सोचा ये सारी की सारी चलती फिरती लतायें हैं क्या? तदुपरान्त जगत जननी माता सीता के अप्रतिम सौन्दर्य का वर्णन महाकाव्य में समग्र प्रकृति रूप सौन्दर्य का सार रूप है।

ततः स काञ्चित् सरसीरूहाननां मृणालतन्वीं मृदुशैवलाम्बराम्।[18]
झषेक्षणामालिलताभिरावृतां ददर्श कन्यां सरसीमिवैकाम्।।

राम ने किसी एक सरसी सी कन्या को देखा जो कमल मुखी मृणाल तन्वी कोमल सेवार जैसी वस्त्र धारे मीन नयना सखी लताओं से घिरी थी महाकाव्य में संयोग तथा वियोग प्रकृति के विविध चित्रों का बड़ा ही सुन्दर एवं सजीव दर्शन है। संयोग में जहा प्रकृति इतनी सुखद है वहीं विरह में दग्ध है। सीता के वियोग में सब प्रतिकूल हो गया अब कुसुमित कानन अग्नि सदृश हो गये है मेघ, वर्षा, चांदनी आदि कुछ भी राम को भा नहीं रहे हैं।

श्रीराम बिना सीता के भोजन पानी ग्रहण नहीं कर रहे हैं जागरण करके ही सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत कर

रहे हैं। जड़ीभूत विनत दृष्टि दोषवश सीता अभी गुफा में गयी है ऐसा समझ कर राम वहॉ जाते है तथा उससे पाप न कर वे दृष्टि दोष समझ नहीं पाते और दुखी हो जाते हैं।

सीतैव सम्प्रति गता ननु कन्दराया, मित्थं विभाव्य वितथानतदृष्टिदोषात्।[19]

गत्वा च तामनधिगम्य विदेहजां स, दृष्टिभ्रमं न गणयन् समवाप दुःखम्।।

महाकाव्य में विरही राम वर्षावास के अनन्तर पवन को दूत बनाकर अपनी हृदयेश्वरी सीता के पास अपनी कुशलता का संदेश लेकर भेज रहे हैं जो कि महाकाव्य में कालिदास के दूत काव्य मेघदूतम् का स्मरण करा देता है। इसके अतिरिक्त समूचे दक्षिण भारत के नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णन में वन, पर्वत, समुद्र आदि का विशद वर्णन महाकाव्य में वर्णित है।

इस प्रकार निःसन्देह यह सिद्ध हो जाता है कि रमणीक प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन से महाकाव्य परिपूर्ण है। प्रकृति के इतने विशद चित्रण के दर्शन हैं। प्रकृति एवं मानव सौन्दर्य की पारस्परिक घनिष्टता का सूक्ष्म अवलोकन महाकाव्य में निहित है विविध ऋतुओं विविध पशु–पक्षियों, विविध पर्वतों आदि का सुरम्य वर्णन महाकाव्य में निहित है।

संदर्भ सूची–

1. पर्यावरण सुरक्षानाम शतकम्/2 (महाकवि डा0 द्वारिकानाथ त्रिपाठी कृत)
2. राघवेन्द्र चरितम् 1/19
3. वही 1/22
4. वही 1/25
5. वही 1/29
6. वही 1/33
7. वही 1/35
8. वही 1/36
9. वही 1/56
10. वही 1/58
11. वही 1/59
12. वही 2/1
13. वही 2/74
14. वही 10/326
15. वही 5/45
16. वही 5/47
17. वही 6/53
18. वही 6/54
19. वही 11/7

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 2nd May 21 Paper Accepted : 20th May 21

''रीवा नगर के मलिन बस्ती में रहने वाले (0 से 4 वर्ष के) बच्चों के मानवमिती परीक्षण का अध्ययन''

❑ आरती द्विवेदी*
❑ डॉ. अर्चना गुप्ता**

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के रीवा शहर की मलिन बस्तियों में किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित मलिन बस्तियों के बच्चों में पोषण स्तर के मानवमितीय परीक्षण का शोध अध्ययन हेतु आवश्यक समंको का संकलन वार्ड क्रमांक–1 एवं वार्ड क्रमांक– 2 में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में एवं उनके परिवार में किया गया है। जिनमें वार्ड क्रमांक 1 एवं 2 की मलिन बस्तियों से 30–30 बच्चों को शामिल किया गया है।मलिन बस्ती के बच्चों के पोषण स्तर मापन हेतु ऊंचाई, वजन एवं शरीर द्रव्यमान सूचकांक द्वारा पोषण की स्थिति का परीक्षण किया गया है। परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश बच्चे कुपोषण से ग्रसित पाये गये है।

प्रस्तुति मानवमिती परीक्षण के अध्ययन में यह पाया गया कि 0 से 12 माह के बच्चों में लिए गये मानवमिती परीक्षण का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया। तुलनात्मक रूप से 13 से 48 माह के बच्चों का मानवमिती परीक्षण का स्तर सामान्य से कम पाया गया। कुपोषण का मूल कारण बढ़ती उम्र के बच्चों को उचित पोषण का न मिलना है।

कूटशब्द–रीवा मलिन बस्तीण, स्वायस्थ्या , कुपोषण, मानवमितीय सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक।

प्रस्तावना–

देश की समृद्धि की बुनियाद शिशु एवं बालक के स्वास्थ्य पर टिकी हुई है। इसलिए बालकों का पोषण विशेष दृष्टि से देखना अनिवार्य होता है। कुम्हार अपनी कृति बनाते समय मिट्टी को ठोक–पीटकर, उपयुक्त पानी एवं ताप प्रदान कर मजबूती प्रदान करता है। बालक भी इसी स्थिति के होते हैं। इस अवस्था में प्राप्त पोषण तथा अन्य परिस्थितियां उनका स्वास्थ्य निर्माणक होती है। यह अवस्था बालक के विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

* शोधार्थी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा मध्य प्रदेश
** प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग, कन्या स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

किसी भी जनतंत्र में प्रत्येक बच्चा अनमोल माना जाता है क्यों कि वह राष्ट्र की नींव है एवं किसी भी देश या समाज की प्रगति उसके बच्चों पर निर्भर होती है, क्योंकि वही आने वाले भविष्य का निर्माता और रचनाकार होते हैं, इस अर्थ में बालकों का उचित पोषण उनके समुचित शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक विकास के लिए अनिवार्य है।

मलिन बस्तियां शहरी पर्यावरण का हिस्सा है, और इनकी पहचान इस बात से होती है कि वहां रहन–सहन की स्थिति ठीक नहीं होती, जैसे–लोगों की बहुत भीड़, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पर्याप्त व स्वच्छ पेयजल न होना और कच्चे मकान आदि। वह बस्ती जहां कम–से–कम 20 मकान हो, जो आमतौर पर अस्थाई किस्म के हो, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हो और जहां सफाई और पेयजल की पर्याप्त सुविधा व्यवस्था नहीं हो, मलिन बस्ती माना गया है।

मलिन बस्तियों में जीवन जीने की बुनियादी जरूरतें पानी, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, सम्मानजनक आवास एवं साफ–सफाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव बच्चों और महिलाओं पर देखा जाता है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 61.8 मिलियन लोग मलिन बस्ती में निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.73 करोड़ आवास मलिन बस्तियों में है। इनमें लगभग 70 फीसदी आबादी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शहरों में है।

भारत में आजादी के 72 सालों के बाद भी मलिन बस्ती में रहने वाले 35 प्रतिशत घरों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर 63ः घरों से गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और कहीं यदि है भी तो वहां खुली बदबूदार नाली के रूप में है।

औद्योगिक नगरों में जनसंख्या का दबाव अत्यधि ाक बढ़ गया है। मलिन एवं गंदी बस्तियां मूलतः औद्योगिक नगरों एवं महानगरों की उपज है। यहां व्यक्तियों को काम मिल जाता है पर रहने को घर नहीं मिलता। इसलिए इन महानगरों में मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है।

भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 34 प्रतिशत बच्चे हैं। बच्चों के जीवन के प्रथम 5 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और जोखिम भरे होते हैं और इस समय उन पर विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं।

भारत सूचना कार्यालय के अनुसार दिल्ली की मलिन बस्तियों में कुपोषित बच्चे – महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती कृष्ण तीरथ ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005–2006) के अनुसार दिल्ली की मलिन बस्तियों में रह रहे, 5 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 35.3 है। सरकार कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जिनसे लोगों के पोषण स्तर में सुधार हो सके।

बरेली के शहरी मलिन बस्ती में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर के मापन पर एक अध ययन दिसंबर 2010 से अप्रैल 2011 में किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के 3 उद्देश्यपूर्ण मलिन बस्ती का चयन किया गया और cross & sectional अध्ययन किया गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माताओं का साक्षात्कार सामाजिक प्रजातांत्रिक विशेषताओं के आधार पर लिया गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर मापन के लिए तैयार प्रश्नावली द्वारा एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट किया गया। 5 वर्ष तक के 166 बच्चों पर यह सर्वे किया गया 110(66.3%) बच्चे कुपोषित हैं। लगभग 32.5%, 16.9%, 8.4% और 8.4% मुख्य रूप से ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कुपोषण से पीड़ित थे। कुपोषण मुख्य रूप से बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाता

है और लड़कों में इसका प्रचलन थोड़ा कम है लड़कियों की अपेक्षा।

इरशाद खान, जयंत कुमार नायक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के बच्चों में कुपोषण की स्थिति का मूल्यांकन मानवमिती सूचकांको द्वारा किया गया जिसके आधार पर कुल बालकों में 65.18% कुपोषण एवं बालिकाओं में 69.39 प्रतिशत कुपोषण से पीड़ित पाए गए हैं। वॉटरलो इंडेक्स के आधार पर कुल बालकों में 53.57 प्रतिशत एवं बालिकाओं 50.00 प्रतिशत कुपोषण से प्रभावित पाये गये हैं। इसके पश्चात कनवाती एवं मेकलर्न वर्गीकरण के आधार पर कुल बालकों में 51.79 प्रतिशत एवं बालिकाओं में 57.14 प्रतिशत कुपोषण से प्रभावित पाये गये। उपर्युक्त निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चों में कुपोषण अत्यधि ाक मात्रा में व्याप्त है।

गोविंद प्रसाद धुगना और उनके साथियों द्वारा 2016 में नेपाल में एक हेल्थ सर्वे किया गया जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर और उसके लिए सम्मिलित कारकों का अध्ययन किया गया जिसमें स्टंटिंग (ठिगनापन) का प्रचलन 35.9% तथा कम वजन और वास्टेड (दुबलापन) 31.5% और 10.1% मिला।

अध्ययन के उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन रीवा नगर के मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के मानवमिती परीक्षण का अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं—

- मानवमिती परीक्षण के द्वारा 4 वर्ष तक के बालकों के पोषण स्तोर का अध्ययन करना।
- वजन एवं लम्बाई के आधार पर डब्यू.एच.ओ. के स्टैण्डर्ड वैल्यू से तुलना करके पोषण स्तर ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र की पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के रीवा शहर की मलिन बस्तियों में किया गया है। रीवा शहर संभागीय मुख्यालय है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग–7 निकलता है तथा नागपुर और वाराणसी को जोड़ता है। कल–कल करती बिछिया एवं बीहर नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा शहर बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ–साथ विंध्य प्रदेश की भी राजध ाानी हुआ करता था। ऐतिहासिक प्रदेश रीवा सफेद शेरों की धरती के रूप में भी विश्व जगत में विख्यात है। रीवा नगर के कुल क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है–(1) रीवा नगर निगम क्षेत्र, (2) नियोजन क्षेत्र जिसमें 2003 के अनुसार 39 गांव शामिल हैं। रीवा नगर निगम के अनुसार विकसित भूमि के कुल नियोजित क्षेत्र का 75% भाग आवासीय क्षेत्र का है। और 57% हिस्से का आवासीय घनत्व 109 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है।

रीवा शहर की 38ः जनसंख्या मलिन बस्ती, अस्थाई निवास ध्‍ कच्चा घर में निवास करती है। रीवा नगर निगम में 14 स्लम एरिया ध्शहरी पॉकेट हैं जिसमें 8882 रिहायशी एरिया है। रीवा नगर निगम में 104 अधिसूचित और गैर अधिसूचित मलिन बस्ती हैं।

शोध की विधियां एवं सामग्री–

मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित मलिन बस्तियों के बच्चों में मानवमिती परीक्षण के अध्ययन हेतु आवश्यक समंकों का संकलन वर्ष 2019 जनवरी से 2019 मार्च के मध्य वार्ड क्रमांक–1 एवं वार्ड क्रमांक–2 में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में एवं उनके परिवार में किया गया है।

1. प्राथमिक समंकों का संग्रह

प्रयुक्त अध्ययन हेतु सामान्य अनुसूची का प्रयोग करके प्राथमिक समंको का संग्रहण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से किया गया जिसमें समंको की गोपनीयता एवं विश्वसनियता बनी रहे। जिसमें 2 वार्डों का चयन दैव प्रतिचयन प्रणाली से किया गया। जिनमें वार्ड क्रमांक–1 एवं 2 की मलिन बस्तियों से 30–30 बच्चों को शामिल किया गया है। इन समंकों से प्राप्त निष्कर्ष पूरे वार्ड की बस्तियों के बच्चों का प्रतिबिंबित कर सकेगा।

2. पोषण मानवमिती परीक्षण हेतु संग्रहित न्यादर्श

मलिन बस्ति के बच्चों में मानवमिती परीक्षण का अध्ययन करने हेतु 0 से 4 वर्ष तक के 60 बच्चों को शामिल किया गया और पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए मानवशास्त्रीय सूचकांकों का प्रयोग किया गया, जिसमें एंथ्रोपोमेट्रीक राड, भार मापक मशीन, मेजरिंग टेप आदि उपकरणों से शारीरिक ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि एवं छाती की परिधि के मापन को शामिल किया गया है।

3. उम्र का निर्धारण

सामान्यतः मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की उम्र का निर्धारण करना कठिन कार्य होता है। इन बच्चों की उम्र को आंगनबाड़ी रजिस्टर तथा टीकाकरण कार्ड आदि से ज्ञात किया गया है। इसके साथ ही मनाए जाने वाले त्योहारों तथा ऋतुओं जैसे सर्दी, ग्रीष्म ऋतु और बरसात के मौसम आदि के आधार पर बच्चों की आयु का पता लगाया गया।

समंको का विश्लेषण

1. पोषण मानवमिती परीक्षण हेतु प्रयुक्त तकनीक—मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों में मानवमिति माप लेते समय ऐन्थ्रोपोमीटर राड, पोर्टेबल वजन मशीन, मेजरिंग टेप का प्रयोग किया गया है। इन उपकरणों से बच्चों की शारीरिक ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि तथा छाती की परिधि के मापन को शामिल किया गया तथा इन मापनो से प्राप्त निष्कर्षों को डब्ल्यू. एच.ओ. स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ तुलना करके पोषण स्तर ज्ञात किया गया है।

2. सांख्यिकीय गणनाएं—मलिन बस्ती के बच्चों के पोषण स्तर मापन हेतु विभिन्न गणनाएं की गई हैं। इस हेतु ऊँचाई, वजन के द्वारा एवं शरीर द्रव्यमान सूचकांक द्वारा पोषण की स्थिति का परीक्षण किया गया है।

परिणाम एवं परिचर्चा

सारणी : 1 बच्चों के लम्बाई का वर्गीकरण (सेमी. औसत)

उम्र (माह में)	**संख्या**	**प्रतिशत**	**सामान्य से कम लम्बाई**	**सामान्यलम्बाई**	**औसत लम्बाई**	**सामान्य लम्बाई**
0 से 12 माह	22	36.67	05 (08.33%)	17 (28.33%)	59.72	54-80
13 से 24 माह	18	30.00	16 (26.67%)	02 (03.33%)	73.52	81-93
25 से 36 माह	18	30.00	18 (30.00%)	0 (0%)	83.02	94-103
37 से 48 माह	2	03.33	02 (03.33%)	0 (0%)	88.85	104-113
योग	60	100	41 (68.33%)	19 (31.66%)		

0 से 12 माह के 22 बच्चों की औसत लम्बाई 59.72 प्राप्त हुई, जो कि सामान्य है। 13 से 24 माह के 18 बच्चों की औसत लम्बाई 73.52 प्राप्त हुई जो कि सामान्य से कम है। 25 से 36 माह के 18 बच्चों की औसत लम्बाई 83.02 प्राप्त हुई जो कि सामान्य से कम है। 37 से 48 माह के 2 बच्चों की औसत लम्बाई 88.85 प्राप्त हुई जो कि सामान्य से कम है। 13 से 24 माह, 25 से 36 माह, 37 से 48 माह के बच्चों 5 में क्रमशः 73.52, 83.02 एवं 88.85 औसत लम्बाई प्राप्त हुई जो कि सामान्य से कम है।

सारणी : 2 बच्चों के वजन का वर्गीकरण (कि.ग्रा.)

उम्र (माह में)	कुल संख्या	सामान्य से कम वजन	सामान्य वजन	औसत वजन	सामान्य वजन
0 से 12 माह	22	1 (1.67%)	21 (35%)	4.98	3.5-12
13 से 24 माह	18	18 (30%)	0 (0%)	8.29	12-15
25 से 36 माह	18	18 (30%)	0 (0%)	10.09	15-18
37 से 48 माह	2	2 (3.33%)	0 (0%)	12.4	18-21
योग	60	39 (65%)	21 (35%)		

0 से 12 माह के बच्चों का औसत वजन 4.98 प्राप्त हुआ, जो सामान्य है। 13 से 24 माह के बच्चों का औसत वजन 8.29 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है। 25 से 36 माह के बच्चों का औसत वजन 10.09 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य वजन से कम है। 37 से 48 माह के बच्चों का औसत वजन 12.4 प्राप्त हुआ जो सामान्य से कम है।

सारणी : 3 बच्चों के सिर की परिधि का वर्गीकरण (से.मी.)

उम्र (माह में)	कुल संख्या	सामान्य से कम	सामान्य	सिर की परिधि का औसत	सामान्य सिर की परिधि
0 से 12 माह	22	1 (1.67%)	21 (35%)	41.99	36-48.5
13 से 24 माह	18	18 (30%)	0 (0%)	45.51	48.5-52
25 से 36 माह	18	17 (28.33%)	1 (1.67%)	47.76	51-52
37 से 48 माह	2	2 (3.33%)	0 (0%)	49.65	52-53
योग	60	38 (63.33)	22 (36.67%)		

0 से 12 माह के बच्चों के सिर की परिधि का औसत 41.99 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य है। 13 से 24 माह के बच्चों की सिर की परिधि का औसत 45.51 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है। 25 से 36 माह के बच्चों के सिर की परिधि का मीन 47.76 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है। 37 से 48 माह के बच्चों के सिर की परिधि का औसत 49.65 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है।

सारणी : 4 बच्चों के छाती की परिधि का वर्गीकरण (से.मी.)

उम्र (माह में)	कुल संख्या	सामान्य से कम	सामान्य	छाती कीपरिधि का औसत	सामान्य छाती की परिधि
0 से 12 माह	22	1 (1.67%)	21 (35%)	37.25	30-45
13 से 24 माह	18	15 (25%)	3 (5%)	42.98	45-47.5
25 से 36 माह	18	16 (26.67%)	2 (3.33%)	45.22	47-48
37 से 48 माह	2	1 (1.67%)	1 (1.67%)	47.85	48-49
योग	60	33 (55%)	27 (45%)		

0 से 12 माह के बच्चों की छाती की परीधि का औसत 37.25 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य है। 13 से 24 माह के बच्चों की छाती की परीधि का औसत 42. 98 प्राप्त हुआ जो सामान्य से कम है। 25 से 36 माह के बच्चों की छाती की परिधि का औसत 45.23 प्राप्त हुआ जो सामान्य से कम है। 37 से 48 माह के बच्चों की छाती की परीधि का औसत 47.85 प्राप्त हुआ जो सामान्य से कम है।

सारणी : 5 बच्चों के शरीर द्रव्यमान सूचकांक का वर्गीकरण

उम्र (माह में)	कुल संख्या	सामान्य से कम	सामान्य	शरीर द्रव्यमान सूचकांक का औसत	सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक
0 से 12 माह	22	19 (31.67%)	3 (5%)	13.68	16-19.5
13 से 24 माह	18	18 (30%)	0 (0%)	15.21	19.5-18.5
25 से 36 माह	18	18 (30%)	0 (0%)	14.68	18.5-18.25
37 से 48 माह	2	2 (3.33%)	0 (0%)	15.72	18.25-18
योग	60	57 (95%)	3 (5%)		

0 से 12 माह के बच्चों के बी. एम. आई. का औसत 13.68 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है। 13 से 24 माह के बच्चों के बी. एम. आई.का औसत 15.21 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है। 25 से 36 माह के बच्चों के बी. एम. आई.का औसत 14.68 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है। 37 से 48 माह के बच्चों के बी. एम. आई.का औसत 15.72 प्राप्त हुआ जो कि सामान्य से कम है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भोजन जीवन के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक आवश्यकता है तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य की अधारभूत शिला है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री अरस्तु का मत है कि "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है"। अर्थात् स्वास्थ्य के अन्य आयामों की अपेक्षा व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए अच्छे भोजन व उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन द्वारा हर व्यक्ति को उसकी आयु व कार्य प्रकृति के अनुसार संतुलित मात्रा में कैलोरी तथा पोषक तत्वों का मिलना अति आवश्यवक है क्योंकि इसके अभाव में उसका शारीरिक व मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है, तथा कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है।

वर्तमान अध्ययन अन्तर्गत रीवा शहर की मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों का मानवमिती परीक्षण द्वारा पोषण स्तर का अध्ययन किया गया है। जिसके परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश बच्चे कुपोषण से ग्रसित पाये गये हैं।

बच्चों के लम्बाई के वर्गीकरण के अधार पर 60 बच्चों में सर्वाधिक 13 से 24 माह में 26.67 प्रतिशत एवं 25 से 36 माह में 30 प्रतिशत बच्चें सामान्य से कम पाये गये।

बच्चों के वजन के वर्गीकरण के अध्ययन पर 60 बच्चों में से सर्वाधिक 13 से 24 माह में 30 प्रतिशत एवं 25 से 36 माह में 30 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम पाये गये।

बच्चों के सिर की परिधि के वर्गीकरण का अध्ययन पर सर्वाधिक 13 से 24 माह में 30 प्रतिशत एवं 25 से 36 माह के 28.33 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम पाये गये।

बच्चों के छाती की परिधि के मापन के अध्ययन पर सर्वाधिक 25 से 36 माह मे 26.67 प्रतिशत एवं 13 से 4माह के 25 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम पाये गये।

शरीर द्रव्य मान सूचकांक के विश्लेषण में पाया गया है कि 60 बच्चों में से 57 बच्चे सामान्य से कम शरीर द्रव्यमान सूचकांक के पाये गये।

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि 0 से 12 माह के बच्चों में पोषण स्तर सामान्य से अधिक पाया गया। 6 माह तक बच्चे पूर्णरूप से स्तन पान किया है तब मां के दूध के द्वारा उनकी पोषणिक की आवश्यकतायें पूर्ण होती रहती हैं। उम्र बढने के साथ जैसे ही बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता ऊपरी आहार पर निर्भर होती जाती है, उचित पोषण न मिलने के कारण कुपोषण से ग्रसित हो जाते है। कुपोषण का मूलभूत कारण बढती उम्र के बच्चों को सही पोषण का ना मिलना है। चूंकि मलिन बस्तियों के निवासियों के रोजगार स्थायी न होने के कारण आय कम होती है जिसके कारण माता–पिता को मजदूरी कार्य में होने के कारण अधिकांश घर से बाहर ही रहना होता है। बच्चे केवल शासकीय योजनाओं जैसे आंगबाड़ियों पर निर्भर रहते है। कुछ अभिभावक के जागरूक न होने के कारण वो बच्चों को आंगबाड़ियों में भी नही भेज पाते।

सुझाव–

अभिभावकों एवं परिवार के सदस्यों को पोषण आहार की जानकारी प्रदान करके एवं शासन द्वारा पोषण आहार उपलब्ध कराया जाय। आंगनबाडी के कार्यकताओं के द्वारा अधिक–से–अधिक संख्या में बच्चों को केन्द्र पर बुलाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए एवं उनके उचित पोषण के द्वारा पोषण स्तर को सामान्य रखे जाने का प्रयास करना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ

- Government of India, Millennium development goals India Country Report 2011, Central Statistical Organization, Ministry of Statically and Programme Implementation, New Delhi, 2011
- Govinda Prasad Dhungana, Sujan Neupane and Manisha Sapkota (2019) Nutritional Status and their Associated Factors of Under & five year's Children in Nepal : A Statistical Analysis of Nepal Demographic and Health Survey 2016, Archives of Nutrition and Public Health 1(1).
- M.jagaran.com.cdn.ampproject.org
- Presentation on Detailed Project Report of Rewa Under Rajiv Awas Yojana, Implementation Agency : Municipal Corporation, Rewa
- Srivastava A, Bhushan Kr, Manmood SE, Shratriya V, Mishra S, Payal and Shaifali I, Nutritional study of under five children stum of Bereilly, Indian Journal of Maternal and child health vol. 14 (1)- 2012.
- WHO Multicentre growth reference study group, WHO child growth standards, Length/Height for age, weight for age, weight for length and Body Mass Indeu for age, Methods and development, WHO, Geneva, 2006.
- www.downtoearth.org.in
- इरशाद खान, जयंत कुमार नायक, छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के बच्चों में कुपोषण की स्थिति : एक मानवमितीय अध्ययन, International Journal of Applied Research 2016 : 2(11) : 312 & 316.
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 25 दिसबंर 2013.
- भारत सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 27 अगस्त 2010, महिला और बाल विकास मंत्रालय।

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 5th May 21 Paper Accepted : 25th May 21

भारत में सायबर क्राइम एक चुनौती : शासन की भूमिका

❑ डॉ. कृष्णदास द्विवेदी*

शोध सारांश

व्यक्तिगत कम्प्यूटरों, उच्च बैण्ड क्षमता वाली इन्टरनेट तकनीकों तथा इन्टरनेट के अधिकतम उपयोग ने व्यापार करने के तरीके को परिवर्तित कर दिया है। सूचना और प्रौद्योगिकी की संरचना ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग लगभग सभी सूचनाओं को संरक्षित करने एवं वितरित करने की क्षमता प्रदान की है जिसनें शासकीय एजेन्सियों को आपस में साथ–साथ उद्योगों, नागरिकों, राज्यों, क्षेत्रीय सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक तीव्रता से संपर्क करने में सहायता प्रदान की है। यह शोध पत्र साइबर क्राइम से संबंधित विषय तथा इसमें शासन की भूमिका के बारे में केन्द्रित है। आगे यह उन साइबर क्राइम के विषय में भी बात करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

प्रमुख शब्द– साइबर विधि, डाटा डिडलिंग साइबर स्टाकिंग, लोगों के प्रमुख संरचना, साइबर स्क्वाटिंग।

प्रस्तावना–

इन्टरनेट मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार को अधिक उचाई तक पहुँचाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यादगार उन्नति लाने तथा विश्वस्तरीय संचार जो कि पहले महंगा और सीमित था के क्षेत्रों से संबंध रखता है। यद्यपि इन्टरनेट ने अपने वृहद आकार तथा क्षमताओं के साथ एक उज्जवल क्षेत्र प्रदान किया है परन्तु साथ ही नए–नए आपराधिक अवसरों के द्वार भी खोल दिए है जो न केवल एक चुनौती है वरन् सभी सीमाओं को पार करने में सक्षम है और समाज में एक बडी समस्या के रूप में उभर रहा है।

साइबर क्राइम की अवधारणा सामान्य पारम्परिक अपराधों से अलग नहीं है। दोनों में वह आचरण या व्यवहार सम्मिलित होते है जो राज्य के विधि या नियमों का उल्लंघन करते हैं। साइबर क्राइम अथवा कम्प्यूटर अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसमें कम्प्यूटर और नेटवर्क सम्मिलित हों। इसमें कम्प्यूटर का प्रयोग अपराध के लिए किया जा सकता है। साइबर क्राइम कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट का उपयोग कर के किए गए अपराध है। इसके अंतर्गत गैर कानूनी तरीके से संगीत डाउनलोड करने से लेकर ऑनलाइन बैकिंग में खाते से करोड़ों डॉलर चुराने तक के कोई भी कार्य सम्मिलित हो सकते हैं। साइबर क्राइम के अंतर्गत गैर आर्थिक अपराध जैसे किसी दूसरे कम्प्यूटर में वायरस उत्पन्न करके उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करना या इन्टरनेट पर गोपनीय

* सहायक प्राध्यापक (विधि), श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, जिला–रीवा (म.प्र.)

व्यापारिक सूचनाएं पोस्ट करना आदि भी आते है। निम्नलिखित स्थितियों में कम्प्यूटर गैर कानूनी कार्यों के लिए एक निशाना हो सकता है :– कम्प्यूटर/कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्क आदि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश (कार्यान्वयन), इलेक्ट्रानिक रूप की सूचनाओं की चोरी करना, ई–मेल बॉम्बिंग, डाटा डिडलिंग, सलामी आक्रमण, लॉजिक बम, ट्रॉजन अटैक, इन्टरनेट समय की चोरी, वेब जैकिंग कम्प्यूटर सिस्टम की चोरी, कम्प्यूटर सिस्टम को हानि पहुँचाना आदि।

साइमेन्टेक ने साइबर क्राइम को उन अपराधों के रूप में परिभाषित किया है जिसमें किसी कम्प्यूटर या नेटवर्क या हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया गया हो। कम्प्यूटर अथवा डिवाइस (यंत्र) क्राइम के लिए एजेण्ट अथवा अपराध के लिए माध्यम या निशाना हो सकता है।

साइबर क्राइम की चुनौती– साइबर क्राइम साइबर की दुनिया की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण समस्या है। उद्योग, शासन तथा समाज सभी मुख्य रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) पर निर्भर है। यह देखा गया है कि बहुत ही साधारण सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों के कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है तथा यदि हम साइबर क्राइम के अन्य गंभीर परिणामों की बात करें तो पाएंगें कि हैकर्स द्वारा किए गए अपराध अथवा क्रियाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है। डिलॉइट के अनुसार जानकारी की कमी तथा सूचना प्रैद्योगिकी संस्थानों के जटिल भागों, तथा सुरक्षा अधिकारियों की कमी साइबर क्राइम का प्रमुख कारण है। अधिकांश जानकारों का मानना है कि साइबर क्राइम की तकनीकियॉ भ्रामक पहचान उत्पन्न करने के क्षेत्र में बहुत प्रभावी है इसीलिए वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता। साइबर अपराधियों के बहुत सारे समूह/संगठन बन चुके है।

आज के समय में साइबर अपराधी लगातार अपने पहचान को छिपाकर भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वयं को बनाए रखने में सफल है और लगातार बढ़ते जा रहे है। सायबर अपराधी प्रायः कम्प्यूटर के विशेषज्ञ अथवा कम्प्यूटर के जानकार होते है और हिस्ट्रीशीटर नही होते और इनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी नहीं होता। अध्ययन यह दर्शाते है कि खतरा प्रायः कर्मचारियों से, अथवा उन लोगो से होता है जो कम्प्यूटर सिस्टम को चलाते है अथवा उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की देखरेख करते है जैसे हार्डवेयर/साफ्टवेयर बेण्डर आदि।

अब इन्टरनेट सभी देशों में फैला है और इसके सीमारहित प्रकृति के कारण अपराधी अपराधों को आपसी तालमेल से पूर्ण करते है जिसकी जड़े कई देशों में फैली रहती है। यद्यपि साइबर क्राइम सेल बड़े शहरों में स्थापित होती है परन्तु इससे संबंधित अपराधों में जैसे फिशिंग, हैकिंग आदि में आर्थिक संस्था के कर्मचारी तथा इन्टरनेट यूजर्स जानकारी की कमी के कारण फसते है।

शासन की भूमिका– इसके क्रियान्वयन का प्रतिशत सीधे संबंध के कारण बढ़ा है, यूजर्स और संस्थानों का संबंध सभी राष्ट्रीय सीमाओं संस्थानिक सीमाओं आदि के परे भी आपस में जुड़ा रहता है। जैसे–जैसे आपसी संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि हुई है वैसे–वैसे इलेक्ट्रानिक सूचनाओं का आदान–प्रदान भी बढ़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी की आंतरिक संरचना राष्ट्र के आंतरिक संरचना का अभिन्न भाग बन चुकी है। देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए जटिल सूचनाओं की आंतरिक संरचना की सुरक्षा तथा ऑपरेशनल स्थायित्व आवश्यक है। पूरी अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेटवर्क के तंत्रों के मध्य संपर्क आदि में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आंतरिक संरचना की बड़ी भूमिका है। औद्योगिक रचना एवं निर्माण के क्षेत्र में ई–कामर्स, ई–गर्वनेंस, तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में संपर्क आदि नवीन तकनीकि है।

अभी कुछ वर्षो में साइबर क्राइम, आर्थिक धोखा तथा पहचान की चोरी आदि के बढ़नें के कारण देश में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता दृष्टिगत हुई है।

इन घटनाओं से यह बात स्पष्ट हुई है कि सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा शासन के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। उद्योग भी इसकी आंतरिक संरचना की सुरक्षा के संबंध में लागत लगाने के लिए कार्य कर रहे है।

लंबे समय की योजनाओं के रूप में साइबर सुरक्षा में शासन की एक अलग परन्तु उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दिशा में राष्ट्रीय सूचना बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के कार्यकर्ताओं ने साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय योग्यताओं तथा क्षमताओं के विकास और गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा शीघ्र निदान तथा शीघ्रता से संपर्क करने आदि के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के निर्माण पर जोर डाला। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ते हुए खतरों तथा भय के वर्तमान वातावरण में साइबर सुरक्षा केवल कागजी कार्यवाही नहीं है। विरोधी तत्व सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र, नेटवर्क तथा सूचना तंत्र के ऊपर असुरक्षित आक्रमण करने में सक्षम है। इस प्रकार के आक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र तथा अन्य जटिल तंत्रों दोनों को क्षतिग्रस्त कर सकते है। भारत में सूचनाओं की सुरक्षा के संबंध में बढ़ते हुए भय को दूर करने, उसकी ओर ध्यान देने तथा उससे संबंधित कार्यवाहियॉ करने के लिए शासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को नोडल एजेन्सी के रूप में निर्देशित करके इसके साथ एक इन्टर डिपार्टमेंटल सूचना सुरक्षा टास्क फोर्स (ISTF) की व्यवस्था की है। यह टास्क फोर्स राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं की सुरक्षा से संबंधित शिक्षा एवं जागरूकता के कार्यक्रम, सूचना सुरक्षा नीति की संरचना, (PKI) आंतरिक संरचना, सूचनाओं की सुरक्षा में शोधकार्य और प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, सूचनाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया आदि के मुद्दों का अध्ययन करती है। देश की साइबर सुरक्षा के लिए प्राथमिक (प्रमुख) उद्देश्य निम्न हैः–

(1) साइबर आक्रमणों से होने वाली क्षति तथा उसकी पूर्ति में लगनें वाले समय दोनो को कम करना।

(2) देश के जटिल आंतरिक संरचना के विरूद्ध होने वाले साइबर आक्रमणों की रोकथाम करना।

(3) सम्मिलित साइबर क्षेत्र को सुरक्षित करना।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा के तंत्र तथा नेटवर्क का संरक्षण।

(5) पहले से देखना तथा चेतावनी देना।

(6) अर्थव्यवस्था को क्षति पहुॅचाने में समर्थ संगठित आक्रमणों के विरूद्ध सुरक्षा।

(7) शोध तथा तकनीकि विकास जो कि सुरक्षा तंत्र को संरक्षित करने में सक्षम हो सके।

शासन इलेक्ट्रानिक आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रमुख सेवाओं तथा ऐसे संस्थानों जो कि इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सके कि वे इन आक्रमणों के समकक्ष हो को पहचाननें तथा खोजने के सतत् प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य शासन तथा जटिल क्षेत्रों से संबंधित सूचना स्त्रोतों की सुरक्षा पर केन्द्रित है। जटिल एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा, आर्थिक उर्जा, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सम्मिलित हैं। साथ ही विभिन्न संस्थानों तथा उद्योगों ने स्पष्ट किया कि उन्नत सॉफ्टवेयर विकास, उच्च स्तर की सुरक्षा, तकनीक को ग्रहण करना, सिस्टम इंजीनियरिंग तथा सर्वोत्तम कार्य ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने का प्रमुख आधार है।

सूचनाओं की सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए शासन तथा उद्योगों के बीच पार्टनरशिप आवश्यक है। राष्ट्रीय साइबर एलर्ट तंत्र में सार्वजनिक तथा प्राईवेट दोनों प्रकार के संस्थान सम्मिलित है जो लगातार चेतावनी तथा निगरानी रखने का, सूचना आदान–प्रदान करने का, पुनः स्टोर करने का प्रयास का कार्य करते है। राष्ट्रीय साइबर एलर्ट तंत्र के अंतर्गत जटिल आंतरिक संरचना के केन्द्रीय बिन्दु की पहचान राष्ट्रीय स्तर के साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया के लिए सार्वनिक प्राईवेट तंत्र की स्थापना, राष्ट्रीय घटनाओं की प्रतिक्रियाओं की क्षमताओं में वृद्धि तथा साइबर सुरक्षा की योजना निर्माण आदि आते है।

CERT-In ने शासन और जटिल संस्थानों में जागरूकता लाने तथा सूचना संरक्षण नीति के विकास एवं प्रर्वतन करने ISO/IFC 27001 के द्वारा अपने आंतरिक संरचना की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यो पर आधारित नीतियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना संरक्षण कार्यक्रम (NISAP) को लागू करने की ओर कदम बढ़ाएं है। इन संस्थानों के साथ संपर्क करने के लिए CERT-In ने 1000 से अधिक संपर्क बिन्दु वाले डाटा बेस तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था की है।

साइबर विधि एवं लूपहोल्स– आधुनिक विधि लेक्सिकन शब्दकोष के अनुसार 'साइबर विधि' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "विधि का वह क्षेत्र जो कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट के साथ कार्य करता है तथा जिसमें सम्पत्ति के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के अधिकार तथा सूचना के अधिकार से संबंधित मुद्दे सम्मिलित होते है। 09 जून 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया तथा यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को प्रचलन में आया (लागू किया गया)। 27 अक्टूबर 2009 को इसमें संशोधन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के आरम्भ का आधार इलेक्ट्रानिक कामर्स की मॉडल विधि को माना जा सकता है जिसे अंर्तराष्ट्रीय व्यापर विधि के संयुक्त राष्ट्र आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसके प्रस्ताव 162 के 51वें प्रस्ताव में आम सभा में प्रस्तावित किया गया था। जो प्रस्तावित करता है कि सभी राष्ट्रों को मॉडल विधि पर उचित विचार करना चाहिए जो कि सभी कागजी संचार या इलेक्ट्रानिक संचार के उपयोगकर्ताओं के साथ एक समान विधिक व्यवहार करने की बात करता है।

पिछले दशक में भारत में व्यापर तथा जानकारी प्रक्रिया के उद्योगों में वृद्धि हुई है। यद्यपि डाटा चोरी होने तथा व्यक्तिगत और प्राइवेट सूचनाओं के दुरूपयोग की घटनाएं भी भारत में बढ़ी है। भारत में संयुक्त राज्य तथा संयुक्त राष्ट्र (US और UK) के समान डाटा की सुरक्षा के लिए विशिष्ट विधि के अभाव में भारत में डाटा की सुरक्षा प्राइवेसी और सम्पत्ति के अधिकारों के माध्यम से की जाती है। गुप्तता (निजता) का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रवर्तनीय है जबकि भारतीय कांट्रेक्ट अधिनियम 1872, कॉपीराइट अधिनियम 1957, भारतीय दण्ड संहिता 1860 सम्पत्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करते है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कम्प्यूटर के स्त्रोत डाक्यूमेंट के साथ हैकिंग, सूचनाओं के प्रकाशन जो कि इलेक्ट्रानिक रूप में हो, बाल पोर्नोलॉजी, निजता तथा गोपनीयता भंग करना, के साथ व्यवहार (कार्य) करता है जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत बताए गए अपराधों के अतिरिक्त अन्य साइबर क्राइम जैसे साइबर स्केलिंग, साइबर स्क्वेशिंग, डाटा डिडलिंग, ट्रॉजन अटैक, धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध, इन्टरनेट समय की चोरी, वायरस अटैक, ई–मेल बॉम्बिंग, वेब जैकिंग, सलामी अटैक आदि भी प्रचलित है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 साइबर उल्लघंनों (सेक्शन 43 a से h) तथा साइबर अपराधों (सेक्शन 65 से 74) को दण्डित करता है। प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर सिस्टम अथवा नेटवर्क में संचित डाटा को अनाधिकृत रूप से डाउनलोड करना अथवा बाहर निकालना सम्मिलित है। इस प्रकार के कार्य सिविल कार्यवाही के अंतर्गत आते है। दूसरी श्रेणी में अधिक गंभीर अपराध जैसे कम्प्यूटर स्त्रोत कोड के साथ छेडछाड परिवर्तन करने के लिए इन्टरनेट हैकिंग तथा निजता और गोपनीयता भंग करना आते है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नेटवर्क सेवा प्रदाता अथवा मध्यस्थता करने वाला, किसी तीसरें पक्ष की सूचनाओं अथवा डाटा के दुरूपयोग करने या इस प्रकार के अपराध को रोकनें का प्रयास न करने का जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए एक भारतीय ठच्च कम्पनी एक नेटवर्क सर्विस प्रदाता के रूप में उत्तरदायी मानी जा सकती है क्योंकि यह सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करती है तथा डाटा एवं

सूचनाएं ग्रहण करती है और उनका संचरण करती है। जब तक कम्प्यूटर सिस्टम और नेटवर्क भारत में स्थित है अपराधी की राष्ट्रीयता को न देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी सम्मिलित करता है। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति रखने वाले व्यक्तियों तथा अफसरों तक ही गोपनीयता के बन्धन सीमित है तथा यह प्राइवेट व्यक्तियों तक विस्तृत नही हो सकते। किसी बात के खुलासा होने से किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान के लिए किसी प्रकार की राशि का भुगतान करने के लिए भी अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। आर्थिक दण्ड भी 02 लाख से 05 लाख तक सीमित है जो बहुत बड़ी राशि नहीं है। उस लाभ के आगे जो किसी अपराधी ने अपराध करके प्राप्त कर लिया है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 सिनेमेटोग्राफी, संगीत, कला, नाटक अथवा साहित्य में सम्पत्ति के अधिकार का संरक्षण करता है। अतः किसी कम्प्यूटर डाटाबेस को कॉपी करना या डाटाबेस के भाग को कॉपी करना कॉपीराइट का उल्लंघन है तथा इसके लिए बहुत सारे सिविल और दाण्डिक निदान संभव है।

उपसंहार–

विधि एवं प्रवर्तन एजेन्सियों ने उन क्रियाकलापों को वैधानिक करना आवश्यक पाया जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते है। अपराध दरों को कम करने के लिए विधि एवं कानून को लगातार वृहद और पुनराविलोकित किया जा रहा है। शासन की विपरीत परन्तु समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अपराध दरों तथा साइबर क्राइम को कम करने से होती है। शासन द्वारा साइबर क्राइम को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए है। CERT-In भारत सरकार के सूचना और तकनीकि विभाग, तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो साइबर तंत्र की सुरक्षा के कार्य में महत्वपूण भूमिका निभाती है। CERT-In दुर्घटनाओं से सुरक्षा तथा सुरक्षा तंत्र के प्रशासन की सेवाएं प्रदान करती है। सूचना एवं तकनीकि अधिनियम 2008 में CERT-In को एक राष्ट्रीय संस्था माना गया है जो साइबर तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है।

अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम एक चुनौती है जिससे सजगता एवं जागरुकता के माध्यम से ही बचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
(2) APWG फिसिग एक्टीविटी ट्रेन्ड्स रिपोर्ट 02 अक्टूबर 2010
(3) कापीराइट अधिनियम 1957

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th May 21 Paper Accepted : 5th Jun 21

1850 से 1950 के बीच महिला संगठनों द्वारा महिलाओं की जागृति के लिए किये गये कार्य

❑ डॉ. सुधा सोनी*

शोध सारांश

मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात् भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं अर्थिक दशा अत्यन्त खराब हो चकी थी। अनेक राजमहल रंगमहल में परिवर्तित हो गये थे। अंग्रेजों से लोआ लेने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्रकार खुला विद्रोह किया उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय महिला वह सब कर सकती है। जो एक पुरुष कर सकता है। सीमोन द बोउआर का यह कथन, ''औरत पैदा नही होती बल्कि उसे बना दिया जाता है।'' कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। महिलायें सामाजिक व्यवस्था के विरोध में भीतर ही भीतर सुलग रही। उसी की अभिव्यक्ति थी कि सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न से मुक्ति के लिए महिलाओं ने आंदोलन किये और संगठन बनाये यद्यपि इनके समूह और संगठन में भिन्नता रही किन्तु महिलाओं की एकजुटता और संगठन की प्रेरणा से देश स्वयं की आजादी के साथ देश की आजादी की सफर तय हुआ।

आज हम 8 मार्च का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक दिन प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यक्रम भी किये जाते हैं। इस महिला सम्मान सुरक्षित संग्रहित हो जाता है। महिलायें गौर्वान्वित महसूस करती है। किन्तु इसके पीछे उन तमाम महिलाओं के संघर्ष की कहानी छुपी हुई जो वास्तविक रूप से नारी की जागृति को ससम्मान आत्मसम्मान से सराबोर करती थी क्योंकि उन महिलाओं से सम्पूर्ण समाज की महिलाओं के प्रति संवेदना थी जिसकी गहराई में जाने के लिए संस्थाओं, संगठनों की आवश्यकता थी। नारियों के प्रति सदियों से होने वाले अत्याचार दमन और प्रतिकार की क्षमता पैदा करने की प्रेरणा साहस भरने का उद्देश्य था। धीरे–धीरे महिलायें चार–दीवानी से बाहर की दुनिया में आई और संगठित होकर महिला जागृति के लिए उल्लेखनीय कार्य किये समस्त नारी वादी संगठन सामाजिग एवं राजनीतिक स्तरों पर सामान्य रूप से कार्यरत थे। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1. अखिल भारतीय महिला परिषद – इस संगठन की स्थापना मागरिट कुजिस ने की थी। इस

* प्रोफेसर (इतिहास), शा.श. कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

संगठन के माध्यम से महिलाओं को राजनैतिक कार्यक्रमों में आगे बढ़कर भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता था। 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन नारी संगठनों की एकजुटता का ही परिणाम था। इसके बाद प्रत्येक वर्ष सम्मेलन आयोजित किये गये इन सम्मेलनों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी महिलाओं की सहभागिता होती थी। इसी संगठन द्वारा सर्वप्रथम शारदा अधिनियम का समर्थन किया गया था।

2. महिला समिति – इस संगठन की स्थापना बंगाल मं हुयी थी। इस समिति की संस्थापिका सरोज नलिनी दत्त थी। सन् 1913 में पन्ना में प्रथम महिला समिति संगठित की गयी इसके बाद 1916 में वीर भूमि 1917 में सुल्तानपुर 1918 रामपुरहर और बाकुड़ा में इसकी शाखायें स्थापित की गयी। इस संगठन द्वारा न केवल स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की गयी बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने की योग्यता भी दी। 1935 में नलिनी सरोज दत्त की मृत्यु के बाद उनके पति द्वारा (सरोज नलिनी दत्त मेमोरियल एसोशियेशन फॉर वीमेन्स वर्क इन बंगाल) नामक संस्था की स्थापना की गयी। इस संस्था से संबंद्ध अनेक स्त्री कल्याणकारी शाखायें खोली गयी।

3. भारत स्त्री महामण्डल – भारत स्त्री महामण्डल की स्थापना सन् 1910 में हुयी थी। इसकी संस्थापिका सरला देवी थी। सरला देवी ने 1917 में इस संस्थान द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु बेहतर शैक्षणिक सुविधायें, उचित स्वास्थ्य एवं प्रसुति सेवायें तथा विधवाओं के लिये विशेष शिक्षण संस्थान खुलवायें जाने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरला देवी ने इस संगठन की स्थापना स्त्रियों के समान हितों तथा भारतीय स्त्रियों की नैतिक प्रगति के उद्देश्य से की थी। संगठन में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति वा वर्गों की स्त्रियों को सम्मिलित किया गया। परंतु यह संगठन राष्ट्रीय स्तरपर अपनी पहचान नहीं बना पाया और मात्र 3 शाखाओं तक ही सीमित रह गया।

4. वीमेंस इण्डियन ऐसोशियेशन – इस संस्था की स्थापना मद्रास में सन् 1917 में ऐनीबेसेंट, मालती पटवर्धन, अरयूस्वामीनाथ्न, श्रीमती दादासाई एवं श्रीमती अरबुनम्मल जैसी महिलाओं के संयुक्त प्रयासों से की थी। राजकुमारी अमृत कौर ने इसे भारत में उदित होने वाले शुद्ध नारीवादी संगठन की संज्ञा दी थी। श्रीमती मार्गरिट कुजिस ने संसार के महत्व प्रकाश डालते हुये कहा था कि इसमें नारी जाति के विकास की नूतन आयाम दिये हैं।

5. हिन्दुस्तानी सेवादल – श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय द्वारा सन् 1924 में स्थापित यह संगठन राष्ट्रवादी तथा संघर्षशील संगठन के तौर पर पहचाना गया। विधवाओं को शिक्षित करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिये सदैव तत्पर यह संगठन लोकमान्य तिलक द्वारा सम्पादित केसरी तथा कल के लिये चंदा एकत्रित करने का भी कार्य करता था।

6. राष्ट्रीय स्त्री सभा – यह महिलाओं का राष्ट्रवादी संगठन था जो बम्बई में खादी के प्रचार का कार्य करने के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत था। इसके द्वारा बम्बई के जी वार्ड में हरिजनों की कक्षायें प्रारंभ की गयी जो 1921 से 1931 तक लगातार चलती रही। इस संगठन की महिलाओं ने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का कड़ा बहिष्कार किया था।

7. राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला विभाग – सन् 1943 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना सुचेता कृपलानी द्वारा की गयी। इस राष्ट्रवादी संगठन ने स्त्रियों में राजनैतिक चेतना जागृति करने के लिये भूमिगत स्वयं सेवक दल की स्थापना की। जिसके माध्यम से स्त्रियों को आत्मरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा करने के लिये तैयार किया जाता था।

8. हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ – इस संगठन के माध्यम से राष्ट्र की आजादी के लिये महिला स्वयं सेविकाओं का एक दल गठित किया गया था। भगवत चरण वोहरा की मुहबोली बहन सुशीला मोहन ने हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये।

9. नारी शक्ति वाहिनी – इस संगठन की स्थापना बारी साल में शान्ती सुधा घोष ने अपनी सखियों लीला चटर्जी, अनिला चटर्जी, मुकुल सेन, निर्मला घोष एवं अपराजिता घोष के सहयोग से की थी। इसमें स्त्रियों को व्यायाम करने एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। बाद में इस संस्था का नाम बदलकर 'हरिजन शिक्षक मंदिर' कर दिया गया था।

10. कुमारी सभा – कुमारी सभा की स्थापना लाडोरानी जुत्सी ने लाहौर में की थी। उन्होंने इस संगठन के द्वारा लाहौर में महिलाओं को तैयार किया लाडोरानी मोतीलाल नेहरू के भांजे की पत्नी थी।

11. जीवन कुटीर – इस संगठन की स्थापना श्रीमती रतन शास्त्री द्वारा 1929 में की गयी थी। इस संगठन से संब0ता प्राप्त अन्य संगठनों ने स्त्रियों में शैक्षणिक तथा अनेक कल्याणकारी कार्यों के प्रति जागरुकता पैदा की। जैसे–राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड, लोकवाणी सोसयटी, गांधी स्मारक निधि, राज्य शिक्षण सलाहकार परिषद तथा अखिल भारतीय शिक्षा सलाहकार परिषद के माध्यम से श्रीमती रतन शास्त्री ने अनेक सम्पादित किये।''

12. सोशलिस्ट डिफेंस एसोशियेशन– एनीबेसेंट ने इस संगठन की स्थापना सरकार के समक्ष गरीब मजदूरों की समस्याओं को रखने के लिये की थी। कन्याओं के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास आदि खोलने के लिये सरकार पर दबाव डाला। राष्ट्रवादी विचारधारा में समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला यह प्रमुख संगठन था।

13. विश्वविद्यालय स्त्री संघ – विश्वविद्यालय स्त्री संघ अन्य कार्यों के साथ इनके शैक्षणिक तथा व्यावसायिक हितों का विशेष ध्यान रखता है।

14. ईसाई नवयुवती समिति – ईसाई नवयुवती समिति अन्य देशों के समान इस देश में भी अपना कार्य कर रही हैं। इसमें प्रमुख छात्रावासों का निर्माण तथा प्रबन्ध करना एवं कार्य करने वाली स्त्रियों के लिये व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक विद्यालयों की स्थापना हैं। इसका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है।

15. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक समिति – कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक समिति की स्थापना कस्तूरबा गांधी की स्मृति में की गयी थी। गांधीजी की सम्मति के अनुसार इस धन का उपयोग ग्रामीण जनता के उत्थान विशेषतया स्त्रियों के लिये किया जायेगा। इस धन से ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी हैं। हजारों ग्राम सेविकाएं इस कार्यक्रम को पूरा कर चुकी हैं। इस योजना के अन्तर्गत भारत के अनेक ग्रामों में शाखाएं स्थापित की जा चुकी है।

16. महिला आश्रम – जमनालाल बजाज की प्रेरणा से शान्ताबाई, रानीबाला द्वारा इस संस्था की स्थापना वर्धा में की गयी। यह संस्था गौ सेवा, खादी प्रचार, एवं अछूतोद्धार की कार्य करती थी।

17. लक्ष्मी आश्रम कौसानी – सरला देवी (कुमारी हैंलीमन) ने सन् 1946 में कस्तुरबा महिला उत्थान मण्डल द्वारा लक्ष्मी आश्रम कौसानी की स्थापना की थी। यह संस्था महिलाओं की आर्थिक दशा को सुध ारने का कार्य करती थी।

18. निष्काम कर्मठ – इस मठ की स्थापना महर्षि कर्वे द्वारा की गयी थी। यही मठ आगे चलकर महिला विद्यालय तथा भारत को प्रथम महिला विद्यापीठ बना। महर्षि कर्वे ने आनन्दीबाई नामक विधवा महिला से विवाह किया था। जो इसी संगठन के लिए कार्य करती थी।

19. ज्योतिसंघ – यह पारसी महिलाओं का संगठन था जो पीड़ित महिलाओं की सहायता का कार्य करता था।

20. दयालबाग महिला सरकारी संगठन – इस संस्था की स्थापना सन् 1934 में आगरा में हुयी। इस संगठन ने महिलाओं को स्वाबलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

21. पूना सेवा सदन – महादेव गोविन्द राना डे की पत्नी श्रीमती रमावाई रानाडे ने इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था द्वारा प्लेग और दुर्विक्ष के समय राहत कार्यों का सम्पादन किया। आगे चलकर इस संस्था की अनेक शाखाएं बनी।

22. शारदा सदन एवं कृपा सदन – रमावाई ने सन् 1889 में शारदा सदन नामक संस्था स्थापित कर कन्याओं व विधवाओं को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने विदेशों से आर्थिक सहयोग प्राप्तकर

कृपा सदन नामक अनाथालय खोलकर अनाथ बालिकाओं को आश्रय प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

23. नेशनल कांउसिंल ऑफ वीमेन इन इण्डिया – इस संस्था का नामकरण लेडी विलिंगटन तथा लेडी स्टीफन के नाम पर किया गया। यह संस्था माताओं और शिशुओं के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण कार्य करती थी।

24. नारी कर्म मंदिर – सी.आर. दास की ६ ार्मपत्नी बसंती देवी ने उर्मिला देवी तथा सुनीता देवी के साथ मिलकर यह संस्था स्थापितकर नारी जागृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।

25. दीपावली संघ – इस संस्था की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला श्रीमती लीलानाग द्वारा की गयी थी। जिससे संबंद्ध नारी शिक्षा मंदिर नामक हाईस्कूल खोला गया। जयश्री' नामक मासिक पत्रिका का सम्पादन भी नारी के सामाजितक वा राजनैतिक हित में इस संस्था द्वारा किया गया।

26. साखी समिति – उग्र राष्ट्रवादी महिला सरलादेवी ने इस समिति के माध्यम से विधवाओं को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। सर जगदीश चन्द्र बसु की पत्नी लेडीबोस ने इस समिति के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में अविस्मरणीय कार्य किया वह स्वयं महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बाजार में किया करती थी।

27. कस्तूरबा गांधी मंदिर – बीबी राजपुरा में कस्तूरबा सेवा मंदिर स्थापित कर कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव के लिये गांधी जी के साथ मिलकर अप्रतिक कार्य किया।

28. महाकाली पाठशाला – महारानी लक्ष्मीबाई की भतीजी तपस्वनी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ महारानी का साथ दिया बल्कि 19वीं सदी के 8वें दसक से शुरू होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के लिये कड़ी मेंहनत का कार्य किया। उन्होंने कलकत्ता में महाकाली, पाठशाला के माध्यम से कन्याओं को राष्ट्रीयता की शिक्षा प्रदान की।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की हीन स्थिति का प्रमुख कारण शिक्षा एवं आत्मविश्वास की कमी थी। उन्हें सर्वप्रथम संगठन औरर कार्य करने की प्रेरणा पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्राप्त हुयी। प्रारंभ में नेतृत्व कार्य उच्चवर्गीय महिलाओं द्वारा किया गया। ६ ीरे–धीरे सभी जाति व वर्ग की स्त्रियां शामिल हुयी। प्रेम की पवित्रता, मानवियता और सहानुभूमि संगठन शक्ति के आधार स्तम्भ थे तथा सामाजिक वातावरण भी परिस्थितियों के अनुकूल था। आज भी स्त्रियों को ऐसे ही सबल संगठन की आवश्यकता हैं। बदलते हुये परिवेश में समस्याओं का स्वरूप भी बदल गया हैं। जो स्त्रियों में आत्मबल और आत्मविश्वास कम कर रहा हैं। इस समय जो भी संगठन स्त्री उत्थान के लिये कार्य कर रहे हैं उनमें भी आंतरिक ऊर्जा अत्यंत कमी है।

संदर्भ ग्रंथ :–

(1) डॉ. पट्टाभि सीतारमैया – द हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस पृ. 1–10

(2) आशारानी ठहोरा – महिलायें और स्वराज्य पृ. 98 प्रकाशन विभाग भारत सरकार

(3) डॉ. ऊषा बाला – भारत की वीरांगनायें, नई दिल्ली मई 1985

(4) मनमोहन कौर– रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रीडम मूवमेंट पृ.185 दिल्ली स्टर्लिग पब्लिशर 1968

(5) महिलाओं ने चलाया था स्वदेशी आंदोलन– पत्रिका समाज कल्याण (जनवरी 1990 पृ. 6 केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड की सचित्र मासिक पत्रिका) नई दिल्ली

(6) ए.आर देसाई–भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पृ. 218

(7) वी.एन. सिंह, जन्मेजय सिंह, भारत में सामाजिक आंदोलन

(8) इकोनोमिक एडं पोलिटिकल वीकली में मीरा कौशाम्बी का आलेख वीमेन इमेन्सिपेशन एडं इम्बैलिटी पण्डिता रमाबाईज कान्ट्रीब्यूशन वीमेनज काज वर्ष 23 अंक 44 अक्टूबर 1988 पृ. 89

(9) राधाकुमार 7 स्त्री संघर्ष का इतिहास

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th May 21 Paper Accepted : 5th Jun 21

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में कर्मचारियों की भर्ती एवं वेतनमान

❐ डॉ. प्रभाकर सिंह*
❐ बबिता शुक्ला**

शोध सारांश

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल एक वृहद् औद्योगिक संस्थान हैं यहां की कार्य प्रणाली के सम्पादन के लिए समय–समय पर भर्त्री को आयोजन किया जाता है। संस्था में भर्ती के नियमों के अनुसार दो स्रोतों से भर्ती की जाती है। भर्ती एवं वेतनमान से सम्बन्धित मुख्य बिन्दुओं को इस शोध–पत्र में इंगित करने का प्रयास किया है।

मुख्य शब्द :– भारत, हैवी, इलेक्ट्रिकल्स, कर्मचारियों, भर्ती, पदोन्नति, चयन, वेतनमान आदि।

कर्मचारियेां की आपूर्ति के लिए पदोन्नति एवं सीधे भर्ती की जाती है। कर्मचारियों की 40 प्रतिशत सीटे पदोन्नति के माध्यम से भरी जाती है। एवं शेष भर्ती के लिए अनेक वाह्य स्रोतों का सहारा लिया जाता है। मुख्यतः भर्ती विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षाएँ आयोजित कर योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा में उर्त्तीण प्रत्याशियों का साक्षात्कार द्वारा उनकी शैक्षणिक योगयताओं के रिकार्ड का प्रमाणित कारण किया जाता है। वेवसाइड द्वारा भी आवेदन के लिए आम लाइन आवेदन मंगाये जाते हैं। तत् पश्चात् प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित कर योगय अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है। कम्र्रचारियों का नियुक्ति पत्र भी ऑनलाईन लिए जाते हैं संस्था द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आयेाजित किए जाते हैं उन्हें वेतन मान एवं सेवा की शर्तों से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा अन्य वाह्य स्रोतों को सहारा नहीं लिया जाता है। इस प्रकार योग्य अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है।

चयन :–

भर्ती की प्रक्रिया के समापन के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। किसी भी संगठन की सफलता योगय एवं कुशल मानव संसाधन पर ही निर्भर करता है। क्योंकि कुशल मानव संसाधन संस्था की सम्पत्ति है और वे संस्था की ख्याति व श्रेष्ठ छवि का निर्माण करते हैं। अतः संगठन ये योग्य दक्ष एवं कर्तव्यनिष्ठ मानव संसाधन की मौजूदगी एवं उनका चयन परमावश्यक है। योग्य एवं कुशल कर्मचारियेां के चयन से न केवल संस्था के लाभ में वृद्धि होती है

* निर्देशक एवं प्राध्यापक (वाणिज्य), शास. संजय गॉधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
** शोधार्थी, एम.फिल (वाणिज्य), शास. संजय गॉधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

बल्कि मानव शक्ति के आवर्तक में भी कमी आती है और कर्मचारियेां का मनोबल भी बढ़ता है। उचित मानव संसाधन का चयन संगठन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तो करते ही हैं साथ ही लागतों व वययों में भी कमी आती है।

चयन की अवधारणा :–

चयन का अर्थ उपलब्ध मानव संसाधनों में से उपयुक्त मानव संसाधनों का चयन करने से है। भर्ती की प्रक्रिया में से उपलब्ध प्रार्थियों में से योग्य, कुशल प्रतिभावान प्रार्थियों को छाटना या चयन करना ही चयन हैं यह कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों में से योग्य व्यक्तियों को चयन करने की प्रक्रियों में से रिक्त स्थानों के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया है।

"Selection means choosing-Choosing the most suitable Candidates from among the available candidates" ''चयन कुशल एवं योग्य व्यक्तियों की खोज है ताकि उन्हें उपयुक्त कार्य स्थान पर बिठाया जा सके यह कहलाता है।

"Selection is the process of discovering the qualifications and characteristics of the Job applicants in order to establish their likely suitability for the Job position"

इसके अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों की खोज कर उन्हें स्वीकार करना तथा अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीाकर करने की प्रक्रिया में शामिल है। चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत आवेदन पत्रों की जाँच, साक्षात्कार, योग्यता परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षण आदि प्रक्रिया शामिल की जाती है।

डेल योडर ने कहा है कि ''चयन वह प्रक्रिया हे जिसके द्वारा नियुक्ति के इच्छुक प्रार्थियों के दो भागों में विभाजित किया जाता है। वे जिन्हीं नियुक्ति का प्रस्ताव करना है और वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं करना है।1

"Selection is the process by which candidates for employment are divided into tow class-those who will be offered employment and those who will not"

कुंज और बेहरिच (Koontz and Weihrich) ने कहा कि ''चयन संगठन के भीतर और बाहर से वर्तमान एवं भविष्य की स्थितियों के लिए व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया है।2

"Selection is the process of choosing from among candidates from within the organisation or from the outside, the most suitable person for the current position or for the future position"

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में भर्ती की प्रक्रिया के उपरान्त चयन की प्रक्रिया आती है ीर्ती के माध्यम से रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आकर्षित किया जाता हे आवेदन करने के बाद आवेदक को परीक्षा देनी होती है जो प्राप्त अंकों के आधार पर एक चयन सूची बनाई जाती है उस चयन सूची के आधार पर संसीान के द्वारा गठित टीम के द्वारा सूची से प्राप्तांक के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता को चयन कर लिया जाता है। इस क्रिया के दौरान संस्था न आयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार कर योग्य व्यक्तियों को स्वीकार करती है यह एक लम्बी प्रक्रिया एक पक्षीय प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया एक पक्षीय प्रक्रिया है। इस क्रिया के दौरान संस्थान योग्य प्रत्याशियों, अनुीाव कौशल, स्वास्थ्य कार्य क्षमता, आदि गुणों का मूल्यांकन करती है। इसके द्वारा संसथा योगय व्यक्तियों को चुनने का कार्य करती है तथा योग्य प्रतयाशियों को चयन कर अयोग्य प्रत्याशियों को छॅटनी कर दिया जाता हैं

चयन की प्रक्रिया BHEL esa (Process of Selection)

आवेदन पत्रों की जांच / चयन परीक्षण / चयन साक्षात्कार / विशिष्ट योगयता परीक्षण / सन्दर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच शारीरिक और चिकित्सीय जांच / चयन निर्णय / कार्य अर्पण तथा रोजगार संविदा / पदस्थापन एवं पूर्वाभिमुखीकरण मूल्यांकन आदि।

वेतनमान संरचना –

भेल ग्रेड पे

भेल कर्मचारी अपने रैंक और पदों के अनुसार ग्रेड पे प्राप्त करते हैं। एक ही रैंक में अलग ग्रेड अधिकारी अलग ग्रेड वेतन प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर अधिकारी ए और बी–ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। वे रुपये के पे बैंड के तहत आते हैं। 10,500/- प्रति माह रु 56,000/- प्रति माह। भेल के अधीन इंजीनियर एस–ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। उनका वेतन बैंड रुपये से शुरू होता है। 12,300/- प्रति माह रु। 62,000/- प्रति माह। प्रबंधक ई–ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। ई–ग्रेड अधिकारियों के लिए वेतन बैंड रु। 24,900/- से रु। 80,000/- प्रति माह। निदेशक या अध्यक्ष किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए उन्हें कोई ग्रेड पे नहीं मिलता है।

फ्रेशर के लिए भेल वेतनमान

भेल के तहत एक फ्रेशर न्यूनतम रु। 10,500/- प्रति माह किसी भी अन्य भत्ते को छोड़कर। यदि फ्रेशर अकुशल श्रमिक है, तो हाथ से प्रवेश स्तर का वेतन रु। 10,500/- प्रति माह। एक इंजीनियर प्रशिक्षु के लिए भेल के तहत फ्रेशर का मूल वेतन हाथ में है। 20,600/- प्रति माह भत्ते और इस तरह के बिना। एक प्रवेश स्तर के फ्रेशर इंजीनियर प्रशिक्षु को मूल वेतन मिलता है रू 20,600/- प्रति माह, डीए (102%), एचआरए (30%), भत्ते (46%) = कुल रु। 57,300/- प्रति माह (लगभग)

तालिका क्रमांक 1
भेल वेतनमान और पदनाम
कर्मचारी ग्रेड़ – ए
प्रबंधकीय स्तर का वेतनमान

क्र.	पद	वेतन मान	रु
1.	उप प्रबंधक	32900	58000
2.	प्रबंधक	36600	62000
3.	वरिष्ठ प्रबंधक / उप महाप्रबंधक	43200	66000
4.	सीनियर डिप्टी जीएम	53100	73000
5.	अतिरिक्त जीएम	62000	80000
6.	जीएम	53100	73000
7	कार्यकारी निदेशक	62000	80000
8.	निर्देशक	75000	100000
9.	अध्यक्ष	80000	125000
कर्मचारी ग्रेड़ – बी			
कार्यकारी अभियंता स्तर वेतनमान			
1.	जूनियर कार्यकारी	12500	32200
2.	इंजीनियर प्रशिक्षु	20600	46500
3.	इंजीनियर	24900	50500
4.	वरिष्ठ अभियंता	29100	54500
कर्मचारी ग्रेड़ – सी			
इंजीनियर वेतनमान			
1.	पर्यवेक्षी प्रशिक्षु	12300	26000
2.	सहायक अभियंता	12400	32500
3.	उप अभियंता	16400	40500
4.	अतिरिक्त अभियंता	24,900	54500
5.	सीनियर एडिशनल इंजीनियर	32900	62000
कर्मचारी ग्रेड़ – डी			
श्रमिक वेतनमान			
1.	अकुशल श्रमिक	10,500	21,000
2.	अर्ध–कुशल श्रमिक	11,000	22,000
3.	कारीगर	11,700	28,000
4.	तकनीशियन	12,400	56,000

भेल भत्ता

कुछ मूल भत्ते हैं, जो प्रत्येक कर्मचारी को उनके मूल वेतनमान के साथ मिलते हैं। भत्ते हैं : महंगाई भत्ते (102%), HR। (A के लिए 30%, B के लिए 20% और C क्षेत्रों के लिए 10%)। एचआरए उस परिवर्तन के कारण होता है जिस स्थान पर कर्मचारी तैनात है। अन्य भत्ते जैसे कि पर्क (46%), चिकित्सा लाभ, यात्रा भत्ते, टेलीफोन बिल और जैसे कि इंजीनियरों और अन्य समकक्ष अधिकारियों को भी भुगतान किया जा रहा है। ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे अन्य लाभ केंद्र सरकार के नियमों के समान हैं।

7वें वेतनमान आयोग में भेल वेतनमान

7वें CPC के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ डीए 125% तक बढ़ गया है और साथ ही पेंशनभोगियों के लिए लाभ भी बढ़ गए हैं और उन्हें काम करने वाले कर्मचारी के समान माना जाता है। टीसीआईएल के तहत आने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में संदर्भित किया जाता है और उन्हें इस योजना के अनुसार लाभान्वित किया जाता है, और उन कर्मचारियों को लाभ मिलता है जिनकी घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए की जाती है और इस तरह से नवीनतम 7वें वेतन आयोग ने भी उन्हें अच्छे तरीके से प्रभावित किया है। बीएचएचएल द्वारा जारी कर्मचारियों के बीएचएचएल वेतन पर्ची का उपयोग उनके भुगतान के प्रमाण के रूप में एक महीने के लिए और उनकी कमाई को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, और औद्योगिक महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नए मूल आधार पर 3 पीआरसी कर्मचारियों के लिए नए आईडीए दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। नीचे उल्लिखित वेतन।

यहां हम बीएचएचएल वेतनमान के संशोधित वेतन बैंड को पेश कर रहे हैं जो उनके कार्यकारी कर्मचारियों को उनके पद के आधार पर दिया जाता है, और ये वेतन केवल मूल वेतन की पुष्टि की जाती है, जो कि 1 जनवरी 2017 से प्रभावी 3 जी संशोधन के अनुसार मिलेगा, और दूसरा यहां सूचीबद्ध औसत वेतन प्रति माह बुनियादी है और सबसे कम शुरुआत के लिए है जब विभिन्न संवर्गों के लिए उच्च अनुभवी कर्मचारियों के लिए उच्चतम वेतनमान निर्धारित है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि देश एवं प्रदेश का यह उपक्रम है। इस संस्थान में भारी इलेक्ट्रिल्स उपकरणों का निर्माण कार्य होता है साथ ही विपणन की भी व्यवस्था है जिससे देश एवं विदेशों में भारी इलेक्ट्रिल्स उपकरणों की पूति की जाती है जिससे भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को भी इससे आय के क्षेत्र में एक बढ़िया साधन है।

संदर्भ सूची :–

1. डॉ. कमेश्वर पंडित प्रीती रैना (2018) मानव संसाधन प्रबन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स–आगरा पेज नं. 88
2. डॉ. कमेश्वर पंडित प्रीती रैना (2018) मानव संसाधन प्रबन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स–आगरा पेज नं. 89
3. www.bhel.co.in 4. www.wikipidia.com

1. डॉ. कमेश्वर पंडित प्रीती रैना (2018) मानव संसाधन प्रबन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स–आगरा पेज नं. 88
2. डॉ. कमेश्वर पंडित प्रीती रैना (2018) मानव संसाधन प्रबन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स–आगरा पेज नं. 89

SHODH CHETNA – YEAR-7, VOL. 1&2 (JAN. TO JUNE, 2021) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 5.299
International Referred &
Multifocal Research Journal
Paper Recieved : 20th May 21 Paper Accepted : 5th Jun 21

लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगार सृजन

❑ डॉ. जे.पी. सिंह*

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र अलीगढ़ मण्डल पर आधारित किया गया है। अलीगढ़ मंडल में रोजगार सृजन में लघु उद्योगों का विशेष रूप प्रदान है। लघु उद्योग अब विवादात्मक विषय बन गया है। जहाँ एक ओर लघु उद्योगों का प्रबल समर्थन हैं वहीं दूसरी और विरोधी स्वरों का अभाव नहीं है। सर्वप्रथम रोजगार विषयक युक्ति इसके जनाधार की पुष्टि करती है। ऐसा लघु उद्योगों के श्रम प्रदान प्रकृति फलस्वरूप है। इन उद्योगों में निवेशित पूँजी की इकाई वृहत् उद्योगों की अपेक्षाकृत अधिक रोजगार का सृजन करती है।

रोजगार अनुपात कम होता है रोजगार निर्वाह क्षमता वृहत उद्योगों की रोजगार क्षमता की तुलना में लघु उद्योगों की यह क्षमता 8 गुना होती है। इसके साथ ही लघु उद्योगों में नियोक्ता एवं श्रमिकों के अधिक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होते है। लघु उद्योगों में अपसंचिव धन का प्रयोग विशेष रूप से पूँजी प्रवाह एवं आय प्रवाह को गतिमान कर रोजगार सृजन को भी गति प्रदान करता है। वृहत उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों में यदि अन्य प्रकार की लागत अधिक आती है। राय उसकी क्षतिपूर्ति भी उपरिव्यय पर कम लागत से हो जाती है। इसके अतिरिक श्रम उत्पादकता सापेक्ष दृष्टि से कम होते हुए भी वृद्धल उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों का उत्पाद–पूँजी अनुपात 3 गुना है। यह तर्क है कि लघु उद्योगों में अल्प मजदूरी के कारण न्यून बंथरा एवं निवेश के कारण विकास क्षमता कम हो जाती है। कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि कम मजदूरी पर रोजगार प्राप्त होना बेरोजगारी से अधिक, अच्छा है। लघु उद्योग राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण वितरण और प्रभावी होते हुए तथा पूँजी एवं कौशल के साधनों को प्रभावशाली रूप से गति देते है। संतुलित विकास के दृष्टिकोण से लघु उद्योगों का विस्तार प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इससे केन्द्रीय करण कीप्रवृत्ति निश्चित ही बलवती नहीं रहती। लघु उद्योगों के विकास से विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। इससे क्षेत्रीय संतुलित विकास का औचित्य सिद्ध हो जाती है। लघु उद्योग आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण को हतोत्साहित करते है। इससे इनके द्वारा आय और सम्पत्ति के वितरण में अधिक समानता आती है। लघु उद्योगों के विकास से क्षेत्रीय साधनों एवं प्रतिमाओं को गतिशील बनाना सम्भव हो जाती है। लघु उद्योगों से दुर्लभ साधनों का प्रयोग अधिक रोजगार सृजन में किया जाता है।

नगरीय क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियाँ गठित की गई। इन समितियों ने नगरीय क्षेत्र को लघु उद्योगों के विकास से अनेक कठिनाइयाँ बताई जाती है। इस समितियों ने इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की समस्या को प्रमुख समस्या बताया। इन लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की समस्या को प्रमुख समस्या

* एसो0 प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी0एस0 कालेज, अलीगढ़

बताया। इन लघु उद्योगों की दूसरी मुख्य एवं सहायक उपकरण की व्यवस्था करने को बताया। इन लघु उद्योगों की कुशलता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रणाली एवं नवीन यंत्रों के प्रयोग कठिनाइयों को प्रस्तुत किया। पिछड़े क्षेत्रों में इन उद्योगों की विशेषकठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए औद्योगिक वस्तियों की स्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों को स्पष्ट किया। इन उद्योगों के उत्पादों की विषणन व्यवस्था की कठिनाईयों की विवेचना करते हुए बताया कि इन उद्योगों को आन्तरिक एवं वाह्य प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। इसका सामना करना लघु उद्योगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने वाली कठिनाईयों को स्पष्ट किया। इन उद्योगों को एक ओर समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या प्रमाणीकरण की है। जिसके अभाव में इन उद्योगों को स्थानीय करों के भुगतान में होने वाली जिन अनेक कठिनाइयों का समान करना पड़ता है। उनको भी व्यक्त किया। अलीगढ़ मंडल के नगरीय लघु उद्योगों के अन्तर्गत राइस एवं दाल मिल ब्रेकरी, मसाला, आइसक्रीम एवं कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्री, आयल मिल एवं डेयरी उद्योग प्रमुख रूप से जाते है। प्रिंटिंग लेखन सामिग्री एवं पेन्टर्स जाते है इलैक्ट्रोनिक्स, इलैक्ट्रोस्टेट, ऑडियों सिस्टम, इंजीनियरिगंग मोटर वाइडिंग, इलैक्ट्रिीकल्स, प्लास्टिक, केमीकल, इन्डस्ट्रीज, टेपरिकॉडर एवं कैसिट, ऑटो मोबाइल्स,कलर लेब, बैटरी चार्जिंग एवं रिपेयरिंग, एक्सरे, ट्रेक्टर एवं ट्राली लघु उधु उद्योग है चिकित्सा सम्बन्धी उद्योगो में आयुर्वेदिक फार्मसी एनीमल मेडीसिन, सर्जीकल वर्क्स, एवं हर्बल प्रोडक्ट्स प्रमुख है कृषि से सम्बन्धित लघु उद्योगों में कृषि उपकरण मरम्मत, ट्यूबबैल, बोरिंग, एव एग्रीमल्चर इन्डस्ट्रीज पाये जाते है। अन्य उद्योगों के अन्तर्गत सीमेन्ट टंकी निमार्ण, सीमेन्ट जाती उद्योग फर्नीचर स्टील इन्डस्ट्रीण आयरन इन्डस्ट्रीज, बुडन फ्रेम मशीनरी पार्ट्स, मैटल हैन्डलूम एम्पोरियम, कूलवाडी, पी.वी. सी. पाइप प्रमुख रूप से है।

नगरीय क्षेत्र में लघु उद्योगों की विविधता को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास और रोजगार सृजन की दिशा एवं स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए लघु उद्योगों की संख्या उनमें रोजगार सृजन की मात्र एंव प्रति उद्योग रोजगार सृजन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रत किया गया है। इस हेतु मंडल के नगरीय क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ़ की सहायता से प्रतिवर्ष स्थापित नगरीय लघु उद्योगो की संख्या एवं इनमें रोजगार सृजन की मात्रा को अध्ययन में केन्द्रीय स्थान दिया गया है विश्लेषण की दृष्टि से मंडल के नगरीय क्षेत्र मेरोजगार सृजन हेतु लघु उद्योगों के योगदान को उपलब्धगया है।

अलीगढ़ मंडल में रोजगार सृजन की दशा एवं स्वरूप प्रदान करनेके कुटीर उद्योगों का योगदान है। किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में कुटीर उद्योग आधार मूल स्थान रखते है। कुटीर उद्योग उतने महत्वपूर्ण होते है जितना स्वशासन। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने यह स्वीकार किया कि भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग में नीहित है। वर्तमान में कुटीर उद्योगों का महत्व कम न होकर बढ़ गया है। इस प्रकार कुटीर उद्योगों का महत्व बहुआयामी है। कुटीर उद्योग प्रमुख रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में चलाये जाते है। इसलिए इनमे कभी कभी श्रमिकों की भी सहायता ली जाती है। ये उद्योग पूर्ण कालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते है। नगरीय क्षेत्र में लघु उद्योगों की तुलना में कुटीर उद्योगों की संख्या कम होती है। कुटीर उद्योग लघु उद्योगों की संख्या कम होती है। कुटीर उद्योग लघु उद्योगों की तुलना में अधिक गहन श्रम होते है। इसका कारण है कि कुटीर उद्योगों में नाम मात्र का घन व्यय कियाजाता है। इससे इन उद्योगों की अधिकाधिक रोजगार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं रोजगार का सृजनइ न उद्योगों में सहज परिणाम हैं। कुटीर उद्योग में हस्तशिल्प की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें हस्तकोशल का विशेष प्रयोग किया जाता है। जिससे परम्परागत वस्तुएँ निर्मित की

जाती है। नगरीय क्षेत्र में स्थापित होने के कारण अन्य कच्चे माल का प्रयोग भी किन्ही उद्योगों में किया जाता है। कुटीर उद्योग स्थानीय मांगों को पूरा करते है। किन्तु साथ ही नगरीय क्षेत्र में स्थापित होने के कारण इनका निर्मित माल देश के अन्य भागों में निर्यात किया जाता है। यह निर्यात कतिपय उन्हीं कुटीर उद्योगों के द्वारा किया जाता है। जो उत्कृष्ट एवं कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते है। कुटीर उद्योगों में हस्तशिल्प कला की प्रधानता होने से यांत्रिक प्रक्रिया का न्यूनतम प्रयोग नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र में कुटीर उद्योग लघु उद्योग के सहायक उद्योग के रूप में चलाये जाते है। कुटीर उद्योगों में रोजगार सृजन के साथ ही औद्योगीकरण के दोषो को सर्वथा अभाव रहता है। नगरीय क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशेष परिषदों की नियुक्रियों की गइ। इन परिषदों में नगरीय क्षेत्र कुटीर उद्योगों की विभिन्न कठिनाईयों की ओर ध्यान आकर्षितकिया। नगरीय क्षेत्र में इन उद्योगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई वित सम्बन्धी बताई इसका कारण प्रमुख रूप से राज्यक्ति निगम व्यापारिक बैंको एवं सहकारी साख संस्थाओं से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होता है। इन उद्योगों के लिए दूसरी कठिनाई कार्यक्षेत्र के पृथक करने की है। नगरीय कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगो को पृथक करने का कार्य कठिन है। फिर भी नगरीय क्षेत्र के कुटीर उद्योगों के विकास के लिए नितान्त आवश्यक है। इन उद्योगों की प्राचीन उत्पादन विधि एवं प्राचीन उपकरणों के प्रयोग करने को कठिनाई एक विशेष समस्या बन गई है। नगरीय क्षेत्र में इन उद्योगों की सफलता के लिए क्रय एवं विक्रय सम्बन्ध ी कठिनाईयाँ प्रमुख हैं। जिन कुटीर उद्योगों के प्राथमिक मँहगी एवं विलासिता की वस्तुओं का मॉग का क्षेत्र सीमित है। उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत करने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। नगरीय क्षेत्र में महंगी शक्ति एवं यान्त्रिक का अभाव विशेष कठिनाइयों को जन्म देता है। नगरीय कुटीर उद्योगों की स्थानीय कर एवं सरक्षण सम्बन्धी कठिनाइयों महत्व पूर्ण है।

अलीगढ़ मंडल में नगरीय कुटीर उद्योगों में रिपेयरिंग सम्बन्धीउद्योगों के अन्तर्गत टेम्पू रिपेयरिंग, आटो रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीकल बोर्ड कूलर फ्रिज रिपेयरिंग प्रमुख रूप से पाये जाते है। परम्परागत उद्योगों में काष्ठ उद्योग, लैदर उद्योग प्लास्टिक उद्योग, बताशे उद्योग, मोमवत्ती अगरवत्ती उद्योग तेल मिल, फ्लोर मिल, फ्लोर मिल दोना पत्ता झाडू निर्माण, बुनाई, हस्तशिल्प, मूर्ति कला उद्योग टेलरिंग का बाहुल्य है। आधुनिक उद्योगों में फोटो ग्राफी, कृषि उपकरण जाली फर्नीचर, कृतिमआभूषण, रेडीमेड वस्त्र साड़ी फल, कढ़ाई उद्योग स्टील उद्योग, गैस वेल्डिंग, सीट मैटल लाण्ड्री प्रमुख है।

संदर्भ

1. गौड, के.डी., अनिल कुमार (2008). इकानोमिक्स आम्फ इग्रोइण्डस्ट्रीज, सनराइज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. कपिला उमा (2008). अण्डरस्टैण्डिंग द प्राब्लम ऑफ इण्डियन इकॉनौमी, एकेडमिक फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
3. भट्टा, एम.एस. (2004). पावर्टी एण्ड फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया, मिथ एण्ड रिलायटीज ओमगस रिसर्च एण्ड इनवेस्टमेण्टस, न्यू दिल्ली।
4. कुमार, महेन्द्र (2018). ग्रामीण विकास के तत्व, सनराइज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
5. The Indian Economic Journal, 2019
6. UPUEA Economic Journal.
7. Kurukshetra, Govt. of India.

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205